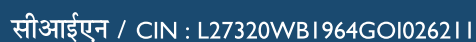


2020-21





श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह
माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री (07.07.2021 से प्रभावी)
Shri Ram Chandra Prasad Singh
Hon'ble Minister of Steel (w.e.f. 07.07.2021)



श्री धर्मेंद्र प्रधान
माननीय केंद्रीय मंत्री - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय
(06.07.2021 तक)
Shri Dharmendra Pradhan
Hon'ble Minister of Petroleum & Natural Gas & Minister of Steel
(upto 06.07.2021)



श्री फगगन सिंह कुलस्ते
माननीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
Shri Fagga Singh Kulaste
Hon'ble Minister of State for Steel &
Rural Development



श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी
सचिव (इस्पात)
Shri Pradip Kumar Tripathi
Secretary (Steel)

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

विषय सूची Contents

निदेशक मंडल Board of Directors	2
प्रबंधन दल Management Team	3
दृष्टि, ध्येय और लक्ष्य Vision, Mission and Objectives	4
अध्यक्षीय संबोधन Chairman's Statement	5
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	11
बोर्ड की रिपोर्ट Board's Report	25
निगमित अभिशासन रिपोर्ट Corporate Governance Report	43
व्यवसायिक दायित्व रिपोर्ट Business Responsibility Report	74
सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट Annual Report on CSR	90
सचीवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	96
स्टैंडएलोन रिपोर्ट Standalone Report	
क) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	112
ख) सीएजी रिपोर्ट CAG Report	130
ग) तुलन पत्र Balance Sheet	132
घ) लाभ-हानि का विवरण Statement of Profit & Loss	133
ङ) इक्विटी में बदलाव का विवरण Statement of Changes in Equity	134
च) नकद प्रवाह का विवरण Statement of Cash Flow	135
छ) वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां Notes on Financial Statements	136
समेकित रिपोर्ट Consolidated Report	
क) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	195
ख) सीएजी रिपोर्ट CAG Report	210
ग) तुलन पत्र Balance Sheet	212
घ) लाभ-हानि का विवरण Statement of Profit & Loss	213
ङ) इक्विटी में बदलाव का विवरण Statement of Changes in Equity	214
च) नकद प्रवाह का विवरण Statement of Cash Flow	215
छ) वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां Notes on Financial Statements	216

निदेशक मंडल / Board of Directors



श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Surinder Kumar Gupta
Chairman & Managing Director



श्रीमती भानु कुमार
निदेशक (वाणिज्यिक)
Smt. Bhanu Kumar
Director (Commercial)



श्री सुब्रत सरकार
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
Shri Subrata Sarkar
Director (Finance) and CFO



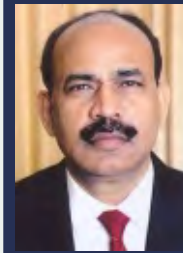
श्रीमती रुचिका चौधरी
गोविल
सरकारी नामांकित निदेशक
Smt. Ruchika Chaudhry Govil
Govt. Nominee Director



श्री अवधेश कुमार चौधरी
सरकारी नामांकित निदेशक
Shri Awadhesh Kumar Choudhary
Govt. Nominee Director



श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी
स्वतंत्र निदेशक
Smt. Aparna Chaturvedi
Independent Director



श्री जी.आर. अलोरिया
स्वतंत्र निदेशक
[05.09.2020 तक]
Shri G. R. Aloria
Independent Director
[Upto 05.09.2020]



डॉ. टी.वी. मुरलीवल्लभन
स्वतंत्र निदेशक
[05.09.2020 तक]
Dr. T. V. Muralivallabhan
Independent Director
[Upto 05.09.2020]



डॉ. आर. एस. येली
स्वतंत्र निदेशक
[08.03.2021 तक]
Dr. R. S. Yeli
Independent Director
[Upto 08.03.2021]

प्रबंधन दल / Management Team



श्री सुरेश माधवन
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Shri Suresh Madhavan
Chief Vigilance Officer



श्री सी.आर. गिरि
महाप्रबंधक (सिस्टम्स)
Shri C. R. Giri
GM (Systems)



श्रीमती वी. वसन्ती
महाप्रबंधक (अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक के
तकनीकी सचिव)
Smt. V. Vasanti
GM (TS to CMD)



श्री अरूप बैनर्जी
महाप्रबंधक (विधि)
[31.01.2021 तक]
Shri Arup Banerjee
GM (Legal)
[Upto 31.01.2021]



श्री बी. मजुमदार
महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)
Shri B. Majumdar
GM (Training)



श्री अजय कुमार राय
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी
Shri Ajay Kumar Rai
Company Secretary and
Compliance Officer

कॉर्पोरेट पहचान संख्या
Corporate Identification No.
L27320WB1964GOI026211

लेखा परीक्षक
एस. घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल

Auditors
S. Ghose & Co. LLP
Chartered Accountants

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक
इंडियन बैंक
इण्डसइंड बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Bankers

Bank of Baroda
Bank of India
HDFC Bank
Indian Bank
IndusInd Bank
Punjab National Bank
State Bank of India
Union Bank of India
Canara Bank
Central Bank of India

सचिवालय लेखा परीक्षक

सौम्य ज्योति सील, अभ्यासरत कंपनी सचिव
Secretarial Auditors
Saumayo Jyoti Seal, Practising Company Secretary

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय

प्लॉट नं. सीएफ-18/2, स्ट्रीट नं. 175 एक्सन एरिया 1C,
न्यू टाउन, कोलकाता-700 156, प. ब.
दूरभाष : 91-33-2340-0000
ई-मेल : mstcindia@mstcindia.in
वेबसाइट : www.mstcindia.co.in

पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता :

मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
अलंकित हाउस, 4E/2, झंडेवाला
एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 055
दूरभाष सं. -+91-11-4254-1951/+91-224348-1200
ई-मेल-sarunraj@alankit.com/
saching@alankit.com

Registrar and Transfer Agents :

M/s Alankit Assignments Limited
Alankit House, 4E/2, Jhandewalan
Extension, New Delhi-110 055
Tel : +91-11-4254-1951/+91-224348-1200
E-mail : sarunraj@alankit.com/
saching@alankit.com

Registered & Head Office

Plot No. CF-18/2, Street no 175, Action Area 1C
New Town, Kolkata – 700156, W.B.
Phone : 91-33-2340-0000
Email : mstcindia@mstcindia.in
Website : www.mstcindia.co.in

दृष्टि, ध्येय और लक्ष्य

दृष्टि

- क) विश्व बाजार में ई-कॉमर्स की शीर्ष कंपनी बनना।
- ख) ट्रेडिंग के क्षेत्र में एक प्रमुख विश्वसनीय और पारदर्शी कंपनी बनना।
- ग) अनुपयोगी सामग्री को टिकाऊ एवं पर्यावरण-हितैषी पुनर्प्रक्रिया के माध्यम से उपयोगी सामग्री में बदलना।

ध्येय

- क) ई-कॉमर्स के व्यापक उपयोग से पारदर्शिता और बेहतर कीमत सुनिश्चित करना।
- ख) परेशानी मुक्त और निष्पक्ष ई-कॉमर्स से ट्रेडिंग को शक्ति-सम्पन्न बनाना।
- ग) टिकाऊ एवं पर्यावरण-हितैषी पुनर्प्रक्रिया को बल देना।
- घ) निरंतर नवोन्मेष के माध्यम से अपने सभी स्टेक होल्डरों को वांछित परिमाण देना।
- ङ) निरंतर अपने कार्य-क्षेत्र में नए क्षेत्र की तलाश करना तथा अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि करना।

लक्ष्य

- क) ई-कॉमर्स की विश्वसनीय सुगम सेवा से विश्व स्तर पर सीमा पार व्यवसाय को शक्ति-सम्पन्न बनाते हुए भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करना।
- ख) अपने व्यवसायिक सहयोगियों को त्वरित और कुशल सेवाएं प्रदान करते हुए अपने व्यवसाय के प्रति ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाना तथा ग्राहकों की संतुष्टि में महत्वपूर्ण-सकारात्मक योगदान करना।
- ग) भारत और अन्य देशों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की लेनदेन एवं बेहतर कीमत पाने के लिए अपना सुरक्षित और पारदर्शी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।
- घ) सक्षम, समर्पित और उत्प्रेरित कार्यबल का विकास करना।
- ङ) मेटल एवं ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग के क्षेत्र में तथा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भावी व्यवसाय-वृद्धि के लिए ऐसी कंपनियों से संयुक्त उद्यम की कंपनी बनाना, जो इन उपक्रमों में समन्वयक की भूमिका निभाए।
- च) नियोजित पूंजी पर इष्टतम रिटर्न सुनिश्चित करने और नेट वर्थ पर 15% की वापसी हासिल करने के लिए उपरोक्त गतिविधियों को शुरू करना।
- छ) रिसाइक्लिंग क्षमता निर्माण में निवेश कर और स्कैप के सुनियोजित निपटान के लिए अपना पारदर्शी प्लेटफॉर्म देते हुए देश में पुनर्नवीनीकरण मेटल और ई-वेस्ट वस्तुओं की मांग बनाना और उनकी आपूर्ति में वृद्धि करना।

Vision, Mission and Objectives

Vision

- a) To be the global market leader in e-commerce domain.
- b) To emerge as a dominant player in secured and transparent trading.
- c) Creating value from waste resources through sustainable and eco-friendly recycling.

Mission

- a) To ensure transparency and better price discovery through extensive use of e-commerce.
- b) To ensure hassle-free and fair e-commerce enabled trading.
- c) To promote sustainable and eco-friendly recycling.
- d) To strive for continuous innovation to deliver desired value to our stakeholders.
- e) To penetrate and expand the markets we handle and enhance the value of services we render on sustained basis.

Objectives

- a) To increase India's share in global cross border trade by facilitating reliable e-commerce enabled trading.
- b) To improve customer experience and make a significant positive impact on customers' satisfaction by providing prompt and efficient services to business associates, driving improved loyalty to its business.
- c) To provide a secure and transparent e-commerce platform enabling better price discovery and meet the transactional requirements of Indian and cross border public and private sector enterprises.
- d) To develop and maintain a competent, dedicated and motivated workforce.
- e) To enter into joint ventures with enterprises offering synergy in the area of metal and e-waste recycling, prospective business on e-commerce platform.
- f) To undertake these activities so as to ensure an optimum return on capital employed and to attain a return of 15% on the net worth.
- g) To build demand and increase supply of recycled metal and e-waste commodities in the country by investing in recycling capacity building and providing a transparent platform for organized disposal of scrap.



अध्यक्षीय संबोधन Chairman's Statement

प्रिय शेयरधारकों एवं निदेशक मंडल के सदस्यगण,

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हममें से कइयों के लिए बहुत ही मुश्किल एवं चुनौतियों से भरा रहा था। कोविड-19 महामारी ने अनिश्चितता और चिन्ता का एक माहौल बना दिया है। इसका लोगों के जीवन, जीविकाओं और व्यवसायिक कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मौजूदा हालात में, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। वित्तीय वर्ष के दौरान, जहाँ एक ओर हमें जबरदस्त चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर हमने व्यवसाय में विस्तार आते देखा है जो परिकल्पना से परे था। हमें उम्मीद है कि हमारी तरक्की और उन्नति आगे बनी रहेगी जो आपकी कंपनी को आने वाले वर्षों में उसकी स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

आर्थिक एवं व्यावसायिक परिवेश

वित्तीय वर्ष 2020-21 बहुत ही अस्थिर और चुनौतियों से भरा था। कोविड-19 ने मानव जीवन के सभी पहलुओं में अकल्पनीय बदलाव लाया है। महामारी से आर्थिक क्षति का परिमाण अप्रत्याशित रहा था। आवागमन के साधनों पर प्रतिबंध रहने एवं आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने के कारण परिचालनीय चुनौतियाँ बढ़ती गईं। कोविड-19 के मामले में निरंतर उल्लेखनीय बढ़ोतरी आने से, आर्थिक दशा में तेजी से गिरावट आने लगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मार्च-अप्रैल, 2020 के दौरान सख्त लॉकडाउन लगाए जाने के कारण वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 23.9 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत का संकुचन आया। तबसे, कई उच्च एवं सक्षम संकेतकों ने त्वरित एवं स्थायी सुधार दर्शाया है। हमारी अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार बहुत ही मजबूत हैं और लॉकडाउन से उबरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिशन के दक्ष सहयोग ने हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता के साथ सुधार का मार्ग दिखाया है। कोविड-19 महामारी से उबरते हुए भारत की आर्थिक गतिविधियाँ बहुत तेजी से ऊपर उठी हैं, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की अभूतपूर्व मंदी से निकलते हुए सरकार एवं आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए असाधारण वित्तीय एवं धन संबंधी सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 में, आईटी-बीपीएम सेक्टर में नवाचार, प्रौद्योगिकी संग्रहण एवं दक्षता को आगे ले आने हेतु कई उल्लेखनीय संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, जिसमें ओएसपी के नियम और शर्तों और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम,

Dear Shareholders & Members of the Board,

It gives me immense pleasure to present to you the Annual Report and Accounts of your Company for the year ended 31st March, 2021. The financial year 2020-21 was most difficult and challenging one that many of us have faced. The Covid-19 pandemic has cast a shadow of uncertainty and anxiety, it has a significant impact on lives, livelihoods and the business operations. Presently, safety and well-being remains our highest priority. During the financial year, on one hand we have faced overwhelming challenges and hardship and on the other hand we have experienced business expansion that was not envisaged. We are hopeful that the growth and advancement will continue to help your company to improve its position in the coming years.

Economic and Business Environment

Financial year 2020-21 was a highly volatile and challenging one. Covid-19 changed almost every aspect of human lives in ways never imagined. The economic toll from the pandemic was unprecedented. Operational challenges mounted due to restricted movement and disrupted supply lines. As the Covid-19 cases continued to rise exponentially, the economy declined sharply.

The Indian economy witnessed a sharp contraction of 23.9% in Q1: FY 2020-21 and 7.5% in Q2: FY 2020-21 due to the stringent lockdown imposed during March-April, 2020. Since then, several high frequency indicators have demonstrated a V-shaped recovery. The fundamentals of the economy remain strong as gradual scaling back of lockdowns along with the astute support of Atmanirbhar Bharat Mission have placed the economy firmly on the path of revival. There has been rapid recovery in India's economic activity from the COVID-19 pandemic induced unprecedented lows of the first quarter of FY 2020-21 on the back of extraordinary fiscal and monetary support provided by the Government and RBI.

In 2020-21, a number of significant structural reforms have been undertaken to drive innovation, technology adoption and efficiency in the IT-BPM sector, including Relaxation of

2020 में रियायत लाया जाना शामिल है। इससे प्रतिभा तक पहुँचने में विस्तार लाने, रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं के लिए भारत को वैश्विक गढ़ बनाने एवं इस सेक्टर को तरक्की और नवाचार की अगली श्रेणी तक पहुँचाने में उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त होगा। बी2बी ई-कॉमर्स में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। 4जी/5जी के लिए फाइबर नेटवर्क आरंभ करने से दूरसंचार प्रचालकों एवं भारत सरकार द्वारा किए जा रहे लगातार निवेश से भारत में ई-कॉमर्स को अच्छा प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

कोविड-19 के कारण ग्राहकों की ओर से खर्च में कमी, आर्थिक मंदी और अनिश्चितता के बावजूद ई-कॉमर्स कंपनियाँ साल 2021 में उत्साहवर्धक बिक्री की उम्मीद कर रही हैं। चालू वर्ष 21 में, ऑनलाइन ग्राहक, ई-फार्मसी और सोशल कॉमर्स जोर-शोर से बढ़ोतरी की अपेक्षा कर रहे हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती तादाद लोगों के झुकाव को ई-कॉमर्स की ओर बढ़ाएगा।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान :

आपकी कंपनी ने महामारी का डटकर सामना किया है। एमएसटीसी के प्रत्येक सदस्य की वचनबद्धता और निष्ठा से वित्तीय वर्ष के दौरान आई चुनौतियों का मुकाबला करने में व्यवसाय को सहयोग मिला है। वित्त वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई बाधाओं को देखते हुए, टीम ने अथक रूप से कार्य करते हुए परिचालनीय स्तर पर सराहनीय तरक्की हासिल की है। वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने,

- ◆ ₹ 6391.33 मिलियन की कुल आय दर्ज की है।
- ◆ वित्तीय वर्ष के दौरान कुल ई-कॉमर्स व्यवसाय में लगभग 2% की वृद्धि दर्ज की गई।
- ◆ वित्त वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ ₹ 1010.70 मिलियन था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह राशि ₹ 752.03 मिलियन थी, इस वृद्धि में, मुख्य योगदान ई-कॉमर्स का था।

एमएसटीसी के फायदे

एमएसटीसी की ई-कॉमर्स में एक सेवा प्रदाता के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है एवं इस क्षेत्र में इसने बाजार में एक अग्रणी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भौतिक उपस्थिति और/या किसी अन्य विधि द्वारा संचालित किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप को ऑनलाइन कार्यकलापों में परिवर्तित करने की हमारी क्षमता ही हमारी प्रमुख शक्ति है। अधिकांश केन्द्र/लोक सेवा उद्यम/ राज्य सरकार के विभागों एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों के अपने उपभोक्ताओं को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विघ्नरहित ई-कॉमर्स सेवाएँ प्रदान करने में इसकी अपनी विशिष्टता रही है।

अपने व्यवसाय क्षेत्रों में एमएसटीसी ने हमेशा ही पहला कदम उठाते हुए लाभ प्राप्त किया है।

सहायक कंपनी

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कंपनी की 100% सहायक कंपनी है। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनी का निष्पादन सराहनीय रहा है। एफएसएनएल का कर पश्चात लाभ ₹ 227.50 मिलियन था।

संयुक्त उद्यम-एमएमआरपीएल

आप तो जानते ही हैं कि कंपनी ने एमएमआरपीएल के माध्यम से संयुक्त उद्यम के जरिये रिसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण) क्षेत्र में कदम रखते हुए, ग्रेटर नोएडा में भारत के प्रथम प्राधिकृत डिस्मैटलिंग एवं कलेक्शन सेन्टर की स्थापना की है, तत्पश्चात चेन्नई और पुणे में भी इस सेन्टर को स्थापित किया गया एवं आने वाले समय में ऐसे चार और कलेक्शन एवं डिस्मैटलिंग सेन्टर स्थापित किए जाने की योजना है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी ने ₹ 98.77 मिलियन की आय की है।

OSP Terms & Conditions, and Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020. This would significantly expand access to talent, increase job creation, make India a global hub for digital services and catapult the sector to the next level of growth and innovation. 100% FDI is permitted in the B2B E-commerce. Continuing investments by telecom operators and Government of India in rolling out fiber network for 4G/5G will help boost E-commerce in India.

Despite depressed consumer spending, economic slowdown and uncertainty created due to COVID-19, e-commerce players are expecting strong sales growth in 2021. Online grocery, e-pharmacy and social commerce are expected to witness strong growth in CY21. Rising penetration of internet users will drive e-commerce adoption among masses.

During the year under review;

Your company has weathered the pandemic very well. The commitment and dedication of every member of the MSTC has helped the business to overcome the challenges faced during the financial year. Considering the constraints faced during the financial year the team has worked relentlessly to achieve significant growth at the operational level. During the financial year your company;

- ◆ Has recorded total revenue of ₹ 6391.33 millions.
- ◆ Total e-Commerce business has recorded an increase of around 2% during the financial year;
- ◆ Profit after Tax during the financial year was ₹ 1010.70 millions compared to ₹ 752.03 millions in the previous financial year riding mainly on the e-commerce contribution.

MSTC Advantage

MSTC plays a very important role as a service provider in e-commerce and is a market leader in this sector. Our strength lies in our ability to convert any business activity conducted through brick and mortar method and/or in any other method to online activity. It has the distinction of serving majority of Central/PSUs/State Govt. departments and large private Institutions for providing transparent, fair & seamless e-Commerce services to its clients.

MSTC has always been availing first mover advantage in its business verticals.

Subsidiary Company

Ferro Scrap Nigam Limited is the 100% Subsidiary of the Company. During the year the subsidiary has performed well. The Profit after Tax of FSNL was ₹ 227.50 millions.

Joint Venture - MMRPL

As you are aware that our Company through MMRPL forayed into the recycling sector through JV, has set up India's first authorised Collection & Dismantling centre at Greater Noida and later at Chennai and Pune also and intends to set up four more Collection & Dismantling centres. During the year ended 31st March 2021, the JV Company earned an Income of ₹ 98.77 Millions.

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

दोस्तों, आपके सतत भरोसे, प्रोत्साहन और सहयोग ने हमारे कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। हम जन-समुदायों और समाज में रहने वाले लोगों की जीविका को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

परिचालनीय उत्कर्षता

आप जानते हैं कि आपकी कंपनी देश की एक प्रमुख स्टैंडएलोन ई-कॉमर्स कंपनी है। इसके कार्य क्षेत्र में, सेलिंग एजेंसी व्यवसाय, स्क्रेप एवं अन्य वस्तुओं की ई-बिक्री, ई-प्रोक्योरमेंट इत्यादि शामिल हैं। जरूरत के अनुसार निर्मित ई-कॉमर्स समाधान एमएसटीसी का एक प्रमुख नवाचार व्यवसाय मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है। कंपनी द्वारा निष्पादित प्रमुख परिचालनीय गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

- ◆ शुरुआती अंश के तौर पर, स्पेक्ट्रम नीलामी का सफलतापूर्वक संचालन किया जिससे भारत सरकार के लिए ₹ 7,78,150 मिलियन की आय हुई है।
- ◆ राजस्थान राज्य में, शराब के दुकानों के लिए लाइसेंस के आवंटन हेतु आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार के लिए ऑनलाइन नीलामियों का संचालन किया है।
- ◆ आंध्र प्रदेश राज्य में रेत परिचालनों के निष्पादन हेतु एजेंसी के चयन हेतु ऑनलाइन बोली मंच प्रदान किया है।
- ◆ साल 2020 के नवम्बर माह में, वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी हेतु बोली का संचालन किया है।
- ◆ भारतीय कपास निगम लि. ने कॉटन बेल एवं कॉटन सीड की ई-नीलामी के लिए सेवा प्रदाता के रूप में एमएसटीसी को नियुक्त किया है। एमएसटीसी ने पोर्टल विकसित किया है और सफलता के साथ नीलामियों का संचालन किया है।
- ◆ एमएसटीसी ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की रणनीतिक बिक्री हेतु 'निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग' (भारत सरकार) के लिए वेब एप्लिकेशन विकसित किया है।

भावी दृष्टिकोण

एमएसटीसी निर्णय लेने के उद्देश्य से लॉजिस्टिक्स, मूल्यांकन परामर्श कार्य और प्रौद्योगिकी प्रेरित सहयोग के नजरिये से अपने मौजूदा और भावी उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने का अवसर ढूँढ रही है।

आपकी कंपनी अपने समाधान केन्द्रित दृष्टिकोण के विश्वास के आधार पर, नई टेक्नोलॉजी चक्र पर कदम बढ़ाते हुए तरक्की की असीमित संभावनाएँ देख रही है, जिसने इसे इसके उपभोक्ताओं के लिए उनका पसंदीदा ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनाया है।

खनिज एवं खनिज ब्लॉक

एमएसटीसी विशेष रूप से निर्मित ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से देश में कोयले के ब्लॉक (प्रखंड) एवं सभी प्रमुख खनिज ब्लॉकों के आवंटन हेतु एक नामित एजेंसी है। देश के विभिन्न राज्यों में एमएसटीसी के ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से लघु खनिज ब्लॉकों का आवंटन भी चल रहा है।

ई-रिटेल सॉफ्टवेयर

एमएसटीसी ने तेल विपणन कंपनियों के लिए एक अद्वितीय एग्जिम पोर्टल का विकास करते हुए अपनी एक विशेष पहचान बनाई है एवं इस प्रक्रिया में, एमएसटीसी ने सरकार एवं निजी क्षेत्र के संगठनों विशेषकर एमएसएमई (सूक्ष्म,

Corporate Social Responsibility (CSR)

Friends, your continued trust, encouragement and support drive us to improve our performance. We are committed to participate in improving the livelihood of communities and societies at large.

Operational Excellence

As you know your company is a major standalone e-Commerce Company in the country. The area includes selling agency business, e-sales of scrap and other commodities, e-procurement etc. Customized e-commerce solutions have emerged as major innovative business models of MSTC. Major operation activities undertaken by the company are as follows;

- ◆ Has successfully conducted Spectrum auction which has fetched revenue of ₹ 7,78,150 Million for Govt. of India in the first tranche.
- ◆ Has conducted online auctions for Excise Department, Government of Rajasthan for allotment of License for Liquor Shops in the State of Rajasthan.
- ◆ Has provided online bidding platform for selection of Agency to carry out Sand Operations in the State of Andhra Pradesh.
- ◆ Has conducted the bidding for Commercial Coal Mine auction in the month of November, 2020.
- ◆ Cotton Corporation of India has appointed MSTC as service provider for e-auction of Cotton bales & Cotton Seeds. MSTC has developed the portal and successfully conducted the auctions.
- ◆ MSTC has developed the web application for Department of Investment and Public Asset Management (GoI) for strategic sale of Public Sector Enterprises.

Future outlook

MSTC is looking at giving more value added services to existing and future clients in terms of logistics, valuation consultancy and technology driven assistance for decision making.

Looking ahead, your company sees immense opportunities for growth riding the new technology cycle, powered by the belief that its solution centric approach makes it the preferred transformation partner within its customers.

Minerals and Mineral Blocks

MSTC is a nominated agency for allocation of coal blocks and all major mineral blocks in the country through its very customized e-Commerce portal. The minor mineral blocks allocation is also happening through MSTC's e-Commerce portal in the various states in the country.

e-Retail Software

MSTC has carved niche for itself by developing an unique Exim portal for Oil marketing companies and in the process MSTC has developed required expertise for providing

लघु एवं मध्यम उद्यम) को ई-रिटेल सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने हेतु अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित की है। इस क्षेत्र में एमएसटीसी के लिए भविष्य में अच्छे अवसर एवं संभावनाएँ मौजूद हैं।

निजी कंपनियों को लक्ष्य बनाना

एमएसटीसी निजी क्षेत्र से अनछुए ई-कॉमर्स व्यवसाय पर अधिक ध्यान दे रही है एवं अपने इस प्रयास के तहत एमएसटीसी ने रिलायंस इंडस्ट्री, इंडस टावर, टाटा पावर, एल एण्ड टी, जिन्दल ग्रुप, वेदांता आदि जैसे कुछ बड़े नामों के साथ स्वीकृति हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है।

अवसर

- ई-कॉमर्स : एमएसटीसी देश में एक प्रमुख स्टैंडएलोन ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत सरकार की अग्रणी परियोजनाओं समेत नए एवं विविध व्यवसाय स्तरों में कदम रखने के साथ इन कार्यक्षेत्रों में बहुगुणा विकास लाने की प्रबल संभावनाएँ हैं।
- एमएसटीसी सरकारी एवं पीएसयू व्यवसाय को बरकरार रखते हुए निजी क्षेत्र की अनछुई संभावनाओं का उपयोग करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है।
- पुनर्चक्रण क्षेत्र : संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से पीपीपी मॉडल के जरिये एमएसटीसी पुनर्चक्रण नीति के गठन के लिए नई पहलों को प्रस्तुत करने में आगे रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ई-वेस्ट एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-सेक्टर जो कि एक उभरता सेक्टर है, में पुनर्चक्रण संयंत्र की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ एमएसटीसी सबसे आगे है।

संकट

- जीईएम पोर्टल - जोखिम कम होने का अवसर : क्रय के लिए जीईएम पोर्टल इस्तेमाल करने के सरकारी अनुदेश के साथ, आम वस्तुओं एवं सेवाओं का ई-प्रोक्योरमेंट व्यवसाय प्रभावित होगा। ई-प्रोक्योरमेंट की कार्य-परिधि में कमी आएगी; क्योंकि किसी भी निगम के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय पर खर्च किया जाता है।
- ट्रेडिंग व्यवसाय - नीति के अंतर्गत एमएसटीसी ने पारंपरिक ट्रेडिंग व्यवसाय में जोखिम अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित मार्ग अपनाया है।
- साइबर हमले - इस प्रकार के संकट की दिनों-दिन बढ़ती आशंका को देखते हुए साइबर हमले का जोखिम हमेशा के लिए बना रहता है। व्यवसाय परिचालनों को प्रभावित करने के अलावा, सुरक्षा उल्लंघन से प्रतिष्ठा पर आंच, दंड और कानूनी एवं वित्तीय देनदारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

निवेशक सेवाएं

दोनों ही डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल एवं सीडीएसएल में कंपनी के शेयर अभौतिकीकृत हुए हैं। लगभग 49000 शेयरधारकों में से 59 शेयरधारक अभी भी भौतिक स्वरूप में शेयर रख रहे हैं। मैं शेष शेयरधारकों से अनुरोध करता हूँ कि अपने शेयर को अभौतिकीकृत कराएं, ताकि “दावारहित बोनस सस्पेंस खाता” में पड़े हुए बोनस शेयरों को संबंधित शेयरधारकों के डिमैट खाते में स्थानांतरित किया जा सके। इसके अलावा, इससे शेयरधारक समय पर लाभांश पाने में सक्षम हो पाएंगे।

निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी निगमित अभिशासन अभ्यासों के उच्चतम मानदंडों को हासिल करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रही है। सीपीएसई के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग

e-Retail Software solutions to the Government and private organizations particularly the MSME. This sector holds a great opportunity and potential for MSTC in future.

Targeting private companies

MSTC is casting more focus on the untapped e-Commerce business from the private sector and in this stride MSTC has signed big ticket agreement with Reliance Industries, Indus Tower, Tata Power, L&T, Jindal Group, Vedanta etc. to name a few.

Opportunities

- E-Commerce: MSTC has emerged as a major standalone e-commerce service provider in the country. With its foray into new and diverse business verticals including the flagship projects of the Govt. of India, it has an immense potential to grow multifold in this arena.
- MSTC is endeavoring to harness the untapped potential in the Private Sector also, beside trying to retain the Govt. and PSU business.
- Recycling Sector: MSTC through PPP model via joint venture route is spearheading the initiatives of framing a recycling policy, its pivotal role in setting up recycling plant in the automobile sector, e-waste and solid based management sector which is a sunrise sector.

Threats

- GeM portal - reducing opportunity in exposure: With the Govt.'s directive to use the GeM Portal for purchases, the business in e-procurement of common goods and services will take a hit. The scope of work in e-procurement gets a bit downsized, as major percentage of any Corporation's business is spent on procurement of goods and services.
- Trading business - As a policy matter, MSTC has decided to play safe in the traditional trading business due to the extent of risk involved.
- Cyber attacks - Risks of cyber-attacks are forever a threat on account of the fast-evolving nature of the threat. In addition to impact on business operations, a security breach could result in reputational damage, penalties and legal and financial liabilities.

Investor Services

The Company's shares have been dematerialized in both the depositories, i.e., NSDL and CDSL. 59 Shareholders out of 49000 (approx.) shareholders are holding shares in physical mode. I would like to request to the remaining shareholders to get their shares dematerialized so that the bonus shares lying in the "Unclaimed Bonus Suspense Account" can be transferred to the demat account of the respective shareholders. Further, this will also enable the shareholders to receive the dividend on time.

Corporate Governance

Your Company always strives to attain highest standards of

(डीपीई) एवं सेबी (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 द्वारा गठित निगमित अभिशासन पर सरकारी अनुदेशों का कंपनी पूर्णतया पालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने हितधारकों के यथा उपयुक्त लाभ के लिए निरंतर कार्य कर रही है एवं इन दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने निगमित संचालन में बदलाव किया है। आपकी कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल को नीतियों के बारे में यथा अवगत रखने के लिए प्रणालियों एवं कार्य-प्रक्रियाओं को स्थापित किया है, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें एवं सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन में वृद्धि ला सकें। आपकी कंपनी बदलते विधि-विधानों को अपनाने एवं पालन करने की दिशा में सर्वोत्तम प्रयास कर रही है एवं अपनी नियंत्रण सीमा के अधीन निगमित अभिशासन के अनुदेशों/मानदंडों का अनुसरण करना जारी रखा है।

पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को अपनी गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में पहचान व सम्मान प्राप्त हुआ है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

1. एमएसटीसी ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए निगमित कार्यालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।
2. कंपनी ने राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु संसदीय राजभाषा समिति से भी प्रशंसा प्राप्त की है।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी ने हमेशा से ही अपने मानव संसाधन को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में विवेचित किया है एवं यह विभिन्न कर्मचारी लाभदायी कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इसके औद्योगिक संबंध बहुत ही सौहार्द भरे एवं सहभागी प्रकृति के रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल एवं ग्राहकों तक आसानी से पहुँचने एवं ज्यादा व्यापार हासिल करने के लिए हमने भारत के कई शहरों में नए कार्यालयों का उद्घाटन किया है। इसके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अधिकारियों एवं सभी शाखाओं में गैर-कार्यपालकों को नियुक्त किया है, ताकि हर प्रकार के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकें।

मैं आपको आश्चस्त करना चाहूँगा कि कोविड-19 के इस चुनौती भरे चरण में हम राष्ट्र के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, आपकी कंपनी ने पीएम केयर फंड में ₹ 50.00 मिलियन का योगदान दिया है। इसके अलावा, कंपनी के कर्मचारियों ने भी अपने एक दिन का वेतन पीएम केयर फंड में जमा किया है।

कोविड-19 से प्रभावित परिवारों और दोस्तों एवं अन्य लोगों के साथ बने रहने की राह पर हम चले हैं। अपने कर्मचारियों और प्रियजनों के साथ बने रहने का हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे।

आभारोक्ति

मैं पूरी कृतज्ञता के साथ माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री, माननीय इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इस्पात), अपर सचिव एवं एफए (इस्पात), अपर सचिव इस्पात एवं इस्पात मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, नागरिक एवं विमानन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों, शेयरधारकों, हमारे

Corporate Governance practices. The Company is complying with Government Guidelines on Corporate Governance framed by the Department of Public Enterprises (DPE) for CPSEs, and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 in letter and spirit. Your company is continuously working for the optimum benefit of its stakeholders and has thus moulded its corporate conduct to fulfill these responsibilities. The Company has established systems & procedures to ensure that its Board of Directors is well informed about the policies of the Company to enable them to discharge their responsibilities and to enhance the overall value of all stakeholders. Your Company is making best efforts to adapt and comply with the changing statutes and continue to comply with the Corporate Governance guidelines/ norms to the extent within its control.

Accolades and Recognitions

During the year your company has received recognitions in various spheres of its activities. A few of the significant are as follows:

1. MSTC has received the first award in corporate office category for the best performance in the field of official language implementation.
2. Company has also received appreciation for implementation of official language from the Parliamentary Official Language Committee.

Human Resources

Your company has always considered its human resource as the most important resource and has been conducting various employee benefit programs. The industrial relations have remained cordial and participative all along. We have opened offices in many cities in India so that we can reach out to our principals and customers easily and generate more business. Therefore, we have posted officers for expansion of business and non – executives all over the branches to cater the needs of all type of clients.

I would like to assure you that we continue to stand with the nation during the challenging phase of Covid-19, your company has contributed ₹ 50.00 Millions to the PM CARES fund, further the employees of the Company has also contributed their one day salary to the PM CARES Fund.

Our thought go out to the families and friends and to all those whose life is impacted due to Covid-19. We will continue to be with our employees and their dear ones in the best possible manner.

Acknowledgement

I would like to place on record my gratitude to the Hon'ble Union Minister for Steel, Hon'ble Minister of State for Steel, Secretary (Steel), Additional Secretary and FA (Steel), Additional Secretary (Steel) and other officials of the Ministry of Steel, Defence Ministry, Coal Ministry, Mining Ministry, Civil & Aviation, Petroleum, Natural Gas Ministry and various other Central Government Ministries, all State Governments, various Central and State Public Sector

प्रिंसिपल और अन्य व्यक्तियों को वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किए गए उनके ईमानदार प्रयासों के लिए भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं सभी हितधारकों, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं को साल-दर-साल कंपनी के प्रति उनके विश्वास और भरोसे के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ एवं आपको आश्चस्त करता हूँ कि हमारे हितधारकों के लिए और भी बेहतर मूल्य सृजन हेतु हम अपने प्रयास को निरंतर जारी रखेंगे।

धन्यवाद,

जय हिन्द!



(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन : 08643406]

स्थान : कोलकाता

तिथि : 25 जून, 2021

Undertakings, private companies, the bankers, shareholders, our principals and others for their valuable assistance and guidance extended to the Company during the year. I also place on record the appreciation of the sincere efforts made by various employees at all level. I also express my gratitude to all stakeholders, customers and suppliers for the trust and confidence reposed by them on your Company year after year and assure you that we shall continue to create more value for our stakeholders.

Thanking you,

Jai Hind!



Place : Kolkata

Date : June 25, 2021

(Surinder Kumar Gupta)

Chairman and Managing
Director

[DIN : 08643406]

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था में, मार्च-अप्रैल, 2020 के दौरान सख्त लॉकडाउन लगाए जाने के फलस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 23.9% और वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में 7.5% का संकुचन आया। तब से कई उच्च एवं सक्षम संकेतकों ने त्वरित एवं स्थायी सुधार दर्शाया है। हमारी अर्थव्यवस्था के ढांचे बहुत ही मजबूत हैं और लॉकडाउन में धीरे-धीरे ढील के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिशन के मजबूत सहयोग ने हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता के साथ सुधार के मार्ग पर लाया है। कोविड-19 महामारी से उबरते हुए भारत की आर्थिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से ऊपर उठी हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की अभूतपूर्व मंदी से निकलते हुए सरकार एवं आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए असाधारण वित्तीय एवं धन संबंधी सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। तिमाही 1, तिमाही 2 एवं तिमाही 3 में अति प्रभावी वृद्धि कारकों ने दूसरी तिमाही में तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है और तीसरी तिमाही में महामारी की पूर्वावस्था की ओर तेज़ी से लौट रही है। भारत की गतिशीलता एवं महामारी के रुझानों में एक साथ सुधार आ रहे हैं, ऐसे में ई-वे बिल, रेल भाड़ा, जीएसटी कलेक्शन एवं बिजली की खपत जैसे कारक न केवल महामारी की पूर्वावस्था तक पहुँच गए हैं, बल्कि पिछले वर्ष के आंकड़ों को पार कर गए हैं।

भारत वित्त वर्ष 2020-21 में निवेश के लिए एक पसंदीदा मंजिल रहा है। इक्विटी की ओर वैश्विक परिसंपत्तियों के झुकाव एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेज़ी से सुधार आने की संभावना के बीच एफडीआई जोर-शोर से की जा रही है। नवम्बर 2020 में, शुद्ध एफपीआई अंतर्वाह ने यूएस डॉलर 9.8 बिलियन का सर्वकालीन मासिक कीर्तिमान दर्ज किया, क्योंकि निवेशकों में जोखिम लेने का जज्बा फिर से लौट आया है। उभरते बाजारों में भारत एकमात्र देश था जिसने साल 2020 में इक्विटी एफआईआई अंतर्वाह के आने का फायदा प्राप्त हुआ है।

भारत ने नियंत्रण, राजस्व संबंधी, वित्तीय एवं दीर्घमियादी संरचनात्मक सुधारों की चार स्तंभ वाली रणनीति को अपनाया है। महत्वपूर्ण राजकोषीय एवं धन-संबंधी सहयोग प्रदान किए गए थे, जिससे लॉकडाउन के आघात में राहत मिली एवं अनलॉक के दौरान खपत और निवेश को बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। हितदायी मौद्रिक नीति से प्रचुर नकदीकरण की सुविधा प्राप्त हुई एवं देनदारों को तत्काल राहत मिली एवं मौद्रिक नीति के संचारण में एक खुलापन आ पाया।

वित्त 2021 में, आईटी-बीपीएम सेक्टर में नवाचार, प्रौद्योगिकी संग्रहण एवं दक्षता को आगे ले आने हेतु कई उल्लेखनीय संरचनात्मक सुधार किए गए हैं, जिसमें ओएसपी के नियम और शर्तों एवं उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में रियायत लाया जाना शामिल है। इससे प्रतिभा तक पहुँचने में विस्तार लाने, रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने, डिजिटल सेवाओं के लिए भारत को वैश्विक गढ़ बनाने एवं इस सेक्टर को तरक्की और नवाचार की अगली श्रेणी तक पहुँचाने में उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त होगा। बी2बी ई-कॉमर्स में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। 4जी/5जी के लिए फाइबर नेटवर्क आरंभ करने हेतु दूरसंचार प्रचालकों एवं भारत सरकार द्वारा किए जा रहे लगातार निवेश से भारत में ई-कॉमर्स को अच्छा प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

भारत के ई-कॉमर्स को वर्ष 2019-24 में 27% सीएजीआर की वृद्धि के साथ वर्ष 2024 तक यूएस डॉलर 99 बिलियन पहुँचने की अपेक्षा की जाती है। इसमें किराना एवं फैशन/अपैरल क्षेत्र मुख्य रूप से वृद्धि के कारक होंगे। वर्ष 2024 तक ऑनलाइन में रिटेल व्यवसाय की पहुँच 10.7% की उम्मीद की जाती है, जो वर्ष 2019 में 4.7% था। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग वर्ष 2025 तक 220 मिलियन तक हो सकते हैं। भारत सरकार ने अपने 'डिजिटल इंडिया' अभियान के द्वारा वर्ष 2025

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Overview of Indian Economy

The Indian economy witnessed a sharp contraction of 23.9% in Q1: FY 2020-21 and 7.5% in Q2: FY 2020-21 due to the stringent lockdown imposed during March-April, 2020. Since then, several high frequency indicators have demonstrated a V-shaped recovery. The fundamentals of the economy remain strong as gradual scaling back of lockdowns along with the astute support of Atmanirbhar Bharat Mission have placed the economy firmly on the path of revival. There has been rapid recovery in India's economic activity from the COVID-19 pandemic induced unprecedented lows of the first quarter of FY 2020-21 on the back of extraordinary fiscal and monetary support provided by the Government and RBI. Overall movement of high frequency indicators over Q1, Q2 and Q3 indicated speedy pickup in Q2 and growing convergence to pre-pandemic levels in Q3. As India's mobility and pandemic trends aligned and improved concomitantly, indicators like E-way bills, rail freight, GST collections and power consumption not only reached pre-pandemic levels but also surpassed previous year levels.

India remained a preferred investment destination in FY 2020-21 with FDI pouring in amidst global asset shifts towards equities and prospects of quicker recovery in emerging economies. Net FPI inflows recorded an all-time monthly high of US\$ 9.8 billion in November 2020, as investors' risk appetite returned. India was the only country among emerging markets to receive equity FII inflows in 2020.

India adopted a four-pillar strategy of containment, fiscal, financial, and long-term structural reforms. Calibrated fiscal and monetary support was provided, cushioning the vulnerable in the lockdown and boosting consumption and investment while unlocking. A favourable monetary policy ensured abundant liquidity and immediate relief to debtors while unlogging monetary policy transmission.

In 2021, a number of significant structural reforms have been undertaken to drive innovation, technology adoption and efficiency in the IT-BPM sector, including Relaxation of OSP Terms & Conditions, and Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020. This would significantly expand access to talent, increase job creation, make India a global hub for digital services and catapult the sector to the next level of growth and innovation. 100% FDI is permitted in the B2B E-commerce. Continuing investments by telecom operators and Government of India in rolling out fiber network for 4G/5G will help boost E-commerce in India.

India's e-commerce is expected to reach US\$ 99 bn by 2024, growing at a 27% CAGR over 2019-24, with grocery and fashion/apparel likely to be the key drivers of incremental growth. Online penetration of retail is expected to reach 10.7% by 2024, versus 4.7% in 2019. Online shoppers in India are expected to reach 220 million by 2025. Through its 'Digital India' campaign, the Government of India is aiming to create a trillion-dollar online economy by 2025. Indian

तक भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय ई-कॉमर्स ने वर्ष 2020 में कुल खाद्य एवं ग्रीसरी, अपैरल एवं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के खुदरा व्यवसाय में 4% की तुलना में वर्ष 2025 तक इस आंकड़े को 8% तक पहुँचाने की परिकल्पना रखी है।

कोविड-19 के कारण ग्राहकों की ओर से खर्च में तंगी, आर्थिक मंदी और अनिश्चितता के बावजूद ई-कॉमर्स की कंपनियाँ साल 2021 में उत्साहवर्धक बिक्री की उम्मीद कर रही हैं। चालू वर्ष 21 में, ऑनलाइन ग्रीसरी, ई-फार्मेसी और सोशल कॉमर्स जोर-शोर से बढ़ोतरी की अपेक्षा कर रहे हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती तादाद लोगों के झुकाव को ई-कॉमर्स की ओर बढ़ाएगा। पूरे भारत में मौजूदा 20,000 पिनकोड से बढ़ते हुए 1,00,000 पिन कोड तक ऑनलाइन रिटेलरों का विस्तार, वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। कोविड-19 महामारी ने डिजिटल, कॉन्टैक्टलेस भुगतान को और बढ़ावा दिया है, ग्राहक नकद के बजाय कार्ड को अधिक अहमियत दे रहे हैं।

वैश्विक नजरिया

साल 2020 में नोवेल कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था, इसने कई बुनियादी जरूरतों को संकट में डाल दिया था, चाहे हम परिवहन, सुरक्षा की बात करें या एक आम जीवन की। इससे पूरे विश्व को भीषण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस महामारी से वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़ी अकल्पनीय चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं एवं असमंजस भरी अनूठी नीतियों से जूझना पड़ा। वर्ष 2018 से, वैश्विक उत्पादन में वृद्धि का रुझान कमजोर रहा था, जिसके पीछे कई कारण थे जैसे कि व्यवसाय में तनाव, राजनैतिक अस्थिरता, मांग में कमी एवं औद्योगिक गतिविधि में कटौती। कोविड-19 महामारी ने मांग और आपूर्ति के मोर्चे में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करते हुए इस गिरावट को और भी बढ़ा दिया था। परिवहन की सुविधा में कमी आने के कारण आर्थिक गतिविधियाँ कर्मचारी-शून्य हो गई थी। इसके लिए आधिकारिक प्रतिबंध और निजी निर्णय दोनों जिम्मेदार थे। इसके अलावा, महामारी के पश्चात आर्थिक संभावनाओं एवं नीतियों के संबंध में अनिश्चितता से निवेश प्रभावित हुआ है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की व्यवहार्यता चिंता के कठघरे में आ खड़ी हुई है और अंतराष्ट्रीय व्यवसाय और पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

पिछले सौ वर्ष के लेखा-जोखा में, वैश्विक उत्पादन में सबसे तेज़ संकुचन अपेक्षित है, आईएमएफ एवं विश्व बैंक द्वारा दिए गए आकलनों के अनुसार वर्ष 2020 में 3.5% - 4.3% की रेंज में संकुचन आने की संभावना है। साल 2020 एवं 2021 में वैश्विक जीडीपी में संचयी क्षति का अनुमान लगभग यूएस डॉलर 9 ट्रिलियन है। जुलाई-सितम्बर की तिमाही में लॉकडाउन में ढील दिए जाने एवं आर्थिक गतिविधियों के पुनः शुरू होने से वर्ष के दौरान वैश्विक वृद्धि के अनुमानों में संशोधन किया गया था। हालांकि वैश्विक गतिविधि के दोबारा लौटने का सिलसिला एक समान नहीं रहा है, एवं साल के द्वितीयार्ध के प्रारंभ में कोविड-19 की संक्रमण दरों में वृद्धि आने से आर्थिक गतिविधियाँ फिर से सिमट गईं।

वैश्विक वृद्धि में रुझान



e-commerce is projected to increase from 4% of the total food and grocery, apparel and consumer electronics retail trade in 2020 to 8% by 2025.

Despite depressed consumer spending, economic slowdown and uncertainty created due to COVID-19, e-commerce players are expecting strong sales growth in 2021. Online grocery, e-pharmacy and social commerce expected to witness strong growth in CY21. Rising penetration of internet users to drive e-commerce adoption among masses. Expansion of online retailers from current up to 20,000 pin codes to 100,000 pin codes across India remains one of the key growth drivers, COVID-19 pandemic has led to a further rise in digital, contactless payments as customer behaviour has shifted from cash to card.

Global Scenario

The year 2020 threw at the world a bedlam of novel COVID-19 virus, threatening all that was taken for granted mobility, safety, and a normal life itself. This, in turn, posed the most formidable economic challenge to the world in a century. The pandemic raised unprecedented health challenges on a global scale and posed unique policy dilemmas. Since 2018, the growth momentum in global output was on a weakened footing owing to various factors like trade tensions, political instability, slowed demand and reduction in industrial activity. COVID-19 pandemic accentuated the deceleration by causing severe demand and supply disruptions. Economic activity has been belaboured by reduced mobility, owing both to official restrictions and private decisions; uncertainty regarding the post-pandemic economic prospects and policies has impacted investment; concerns about the viability of global value chains; and the adverse impact on international trade and tourism.

Global output is expected to witness the sharpest contraction in a century, contracting in the range of 3.5% - 4.3% in 2020 as per the estimates provided by IMF and World Bank. The cumulative loss to global GDP over 2020 and 2021 is estimated at around USD 9 trillion. The estimates for global growth were revised upward through the year with easing of lockdowns and resurgence in economic activity in July-September quarter of the year. The rebound in global activity has, however, been uneven and subdued since the beginning of second half of the year due to resurgence in COVID-19 infection rates.

TREND IN GLOBAL GROWTH



साल 2020 में अनुमानित 3.3% के संकुचन के बाद इंटरनैशनल मॉनिटरिंग फंड (आईएमएफ) साल 2021 के लिए 6% की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की उम्मीद की जा रही है। कोविड-19 की चालू दूसरी लहर, तीसरी और चौथी लहर की संभावना एवं वायरस के नए रूप की उत्पत्ति के मद्देनजर अभी भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तथापि, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, इस बार विश्व के पास भावी विकास का बेहतर अवलोकन उपलब्ध है। समूचे उद्योगों में व्यवसाय की प्रत्याशा सभी बाजारों में सकारात्मक नज़र आ रही है। इससे ई-कॉमर्स सेवाओं पर अधिक व्यय किए जाने की संभावना बन रही है।

तथापि, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में भावी विकास के लिए अब हमारे पास बेहतर अवलोकन मौजूद है।

कंपनी का व्यवसाय

एमएसटीसी के दो प्रमुख व्यवसाय हैं - पहला ई-कॉमर्स और दूसरा ट्रेडिंग। ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक सेवा प्रदाता के रूप में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा इस क्षेत्र में यह सबसे अग्रणी है। अपने ग्राहकों को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विघ्नरहित सेवाएं प्रदान करने जैसी वजह से इसे केंद्र/पीएसयू/राज्य सरकार के विभागों तथा कुछ निजी प्रतिष्ठानों में भी सेवा प्रदान करने का गौरव प्राप्त है।

क) ई-कॉमर्स व्यवसाय

एमएसटीसी देश का मुख्य एकल ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता है। एमएसटीसी ने विभिन्न उत्पादों जैसे कि स्कैप, कोयला, लौह अयस्क, खनिज, कृषि / वन उत्पादों, फ्लाई एश इत्यादि में ई-कॉमर्स शुरू किया है। इसके अलावा, भूमि, भवन, अपार्टमेंट, बैंक के एनपीए एवं डीआरटी के अधीन सम्पत्तियों, जैविक कृषि उपज आदि के ई-ऑक्शन का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

स्पेक्ट्रम नीलामियाँ, कोयला खान की नीलामियाँ, उ.प्र. में रेत खनन ब्लॉक की ई-नीलामी एवं आईओसीएल के एग्जिम प्रोडक्ट, कॉटन बेल, बैंक का एनपीए हाल के दिनों के प्रमुख कार्यकलाप रहे हैं।

कोयला एवं खनिज ब्लॉक (बड़े एवं लघु दोनों) की नियमित नीलामी के लिए पोर्टल का विकास, एमएसटीसी के ई-कॉमर्स सेवाओं में सरकार के विश्वास को प्रतिपादित करता है।

सेलिंग एजेंसी व्यवसाय

दीर्घ समयावधि हेतु अब एमएसटीसी बड़ी संख्या में सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्कैप, अधिशेष भंडारों, पुराने संयंत्र एवं मशीनरी, ई-वेस्ट, खतरनाक सामग्रियों, परित्यक्त सामग्रियों के निपटान हेतु सेलिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रही है। एमएसटीसी की प्रक्रिया विक्रेताओं को ऐसे निपटान की गतिविधियों से उनके वार्षिक राजस्व सृष्टि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थ करती है। एमएसटीसी न्यूनतम मानव प्रयासों के साथ ऑक्शन कैटलॉग को तैयार करने से डिलीवरी आर्डर के जारी करने तक सेवाओं का परिपूर्ण पैकेज ऑफर करती है। निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्योग भी अपने स्कैप और अधिशेष भंडार के निपटान हेतु, एमएसटीसी की ई-नीलामी प्रणाली में भरोसा दिखा रहे हैं, ताकि उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो सके।

ई-बिक्री

2004 में ई-ऑक्शन के जरिए कोयला की बिक्री प्रारम्भ हुई है, तब से एमएसटीसी ने सामग्रियों के विभिन्न विक्रेताओं की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ई-ऑक्शन के विभिन्न मॉड्यूल विकसित कर रही हैं। कोयला के साथ ही एमएसटीसी अन्य खनिजों यथा मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, लिग्नाइट, क्रोम

The global economy is expected to see a rebound in 2021 with the International Monetary Fund (IMF) expecting 6% growth after an estimated contraction of 3.3% in 2020. While there is still uncertainty on the path with ongoing second wave of Covid 19, likelihood of third or fourth waves, and the emergence of new strains of the virus. However, this time the world has better visibility for future growth than in the last financial year. Overall business outlook across industries appears to be positive in all markets. This is expected to result in an expansion in enterprise spending on e-commerce services.

However, in the current financial year we have much better visibility for future growth than we did had last year.

Company's Business

MSTC has two core business segments namely e-Commerce & Trading. MSTC plays a very important role as a service provider in e-Commerce and is a market leader in this sector. It has the distinction of serving majority of Central / State Govt. Departments, PSUs and a few leading Private Institutions for providing transparent, fair & seamless e-Commerce services to its clients.

A. e-Commerce Business

MSTC is a major standalone e-Commerce service provider in the country. MSTC has introduced e-Commerce in various commodities such as scrap, coal, Iron ore, minerals, Agro/forest produces, fly-ash etc. Apart from this, MSTC has also undertaken the e-Auction of land, buildings, apartment, banks' NPAs and also assets under DRT, organic Agri produce etc.

Spectrum auctions, coal mine auctions, e-Auction of sand Mining blocks in UP and exim-product of IOCL, cotton bales, NPA's of Banks have been the signature events in the recent past.

Development of portal for regular auction of coal and mineral blocks (both major & minor) has been the reflection of Government's faith in MSTC's e-Commerce services.

Selling Agency Business

For a long period of time, MSTC has been acting as the selling agent of a large number of Government departments/PSUs for disposal of scrap, surplus stores, old Plant & Machinery, e-waste, hazardous items, obsolete items, etc. MSTC's processes enable the sellers to achieve their annual revenue generation target from such disposal activities. MSTC offers complete package of services from preparation of the auction catalogue to the issuance of delivery order with minimum human efforts. Major industries in private sector are also reposing their faith on MSTC's e-auction system for disposal of their scrap and surplus stores for generating valuable revenue.

E-Sales

Starting with sale of coal through e-Auction way back in 2004, MSTC has been developing different modules of e-Auction to cater to the various needs of different sellers of items. Besides coal, MSTC is selling other minerals like manganese ore, iron ore, lignite, chrome ore, bauxite etc. and various other products like raw petroleum coke, human

अयस्क, बॉक्साइट आदि तथा विविध अन्य उत्पादों मसलन रॉपेट कोक, पेट कोक, मानव केश, फ्लाई एश आदि की बिक्री कर रही है। एमएसटीसी कई राज्य, केन्द्रशासित प्रदेशों में सभी प्रमुख खनिज ब्लॉक एवं लघु खनिज ब्लॉक के लिए मनोनीत एजेंसी है।

ई-प्रोक्योरमेंट

ई-प्रोक्योरमेंट में, एमएसटीसी गुणमान आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र के समर्थन के साथ ई-निविदा एवं ई-रिवर्स नीलामी सेवाएँ प्रदान करती हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 2013-14 में एमएसटीसी ने मामूली शुरुआत की, परंतु तदुपरांत वर्ष में इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है एवं भविष्य में जबरदस्त वृद्धि के लिए तैयार हैं। यह पद्धति गुणवत्ता एवं सुरक्षा जाँचों के लिए एसटीक्यूसी द्वारा गठित दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। इस साल ई-प्रोक्योरमेंट के लिए एक नया उपयोगकर्ता उपयोगी पोर्टल एवं अधिक विशेषताओं के साथ एक नवीन संस्करण को पेश किया गया है। इस ई-प्रोक्योरमेंट एन्टरप्राइज एप्लिकेशन में सभी खरीदार एवं विक्रेता इस सिंगल एप्लिकेशन में पंजीकृत हो सकते हैं। इस एप्लिकेशन से कई सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जैसे कि एक आम वेंडर बेस जो सभी उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, स्वतंत्र पोर्टल के विकास के लिए डाउनटाइम की जरूरत नहीं पड़ती है एवं क्रेताओं को सामान्य भूमिका आधारित सक्रियकरण एप्लिकेशन वर्धित सुरक्षा उपाय आदि देने की जरूरत है।

ई-समाधान

पिछले कई वर्षों से, एमएसटीसी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए कई प्रमुख ई-बोली पैकेज की डिलीवरी की है। अंतिम आर्थिक वर्ष में, इसे और मजबूत बनाते हुए ई-बोली समाधानों जैसे कि दीप, टीबीसीबी, शक्ति, ई बीक्रेय पोर्टल आदि के लिए अपने विभिन्न मंचों में सुधार किया है।

एमएसटीसी ने जैविक खेती पोर्टल के विकास हेतु कृषि, सहयोग एवं कृषक कल्याण विभाग (डीएसी एण्ड एफडब्ल्यू) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएफडब्ल्यू) के साथ सहयोग किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है देश में जैविक खेती की खपत और जैविक खाद्य पदार्थों की खपत को प्रोत्साहित करना। अंतिम वित्त वर्ष के दौरान, एमएसटीसी डाक विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए ग्राहकों के घर तक जैविक खेती की उपज को पहुँचाने की पहल की है। अतएव, उत्पादकों एवं ग्राहकों के बीच के फासले को मिटाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरफेसी अधिनियम के अधीन विभिन्न बैंकों की गिरवी रखी संपत्तियों की बिक्री हेतु आईबीए के ईबीक्रेय वेबसाइट के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने के लिए एमएसटीसी को ई-ऑक्शन पोर्टल को विकसित करने की एजेंसी के रूप में इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा नामित किया गया है। उक्त पोर्टल दिसम्बर 2019 में सक्रिय हुआ है एवं वित्त वर्ष के दौरान तक निजी क्षेत्र के बैंकों को 4,344 संपत्तियों की नीलामी की थी। जिसका मूल्य ₹ 29,680 मिलियन से अधिक है।

एमएसटीसी द्वारा विकसित कुछ उल्लेखनीय ई-समाधान निम्नानुसार हैं :

क. स्पेक्ट्रम नीलामी:

दूरसंचार विभाग (भारत सरकार) द्वारा स्पेक्ट्रम नीलामी की स्थिति हेतु, लेनदेन सलाहकार सह 'सॉफ्टवेयर डेवलपर एवं ऑपरेटर' के रूप में एमएसटीसी को नियुक्त किया गया था। इस एप्लिकेशन का विकास विभिन्न बैंड जैसे कि 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100

hair, fly ash etc. MSTC is a nominated agency for all major mineral blocks and minor mineral blocks in various states/UT's.

E-Procurement

In e-procurement, MSTC provides e-Tender and e-Reverse auction services backed by mandatory STQC certificate for quality requirements. Although, MSTC made a modest beginning in FY 2013-14 but it has made a significant growth in the subsequent year and is poised for exponential growth in future. The system complies with the guidelines framed by STQC for quality and security checks. A new user friendly portal and updated version with enhanced features for e-procurement has been launched this year. In this e-procurement enterprise application, all the buyers and vendors can be registered in this single application. The application provides various advantages like common vendor base that can be used by all the clients, no downtime for development of independent portals and simple role based activation of buyers is required, added security measures etc.

E-Solutions

Over the years, MSTC has delivered certain key e-bidding packages for various ministries of Government of India. During the last fiscal, MSTC has further strengthened and made improvements in its various platforms for e-bidding solutions like DEEP, TBCB, SHAKTI, eBKray portal etc.

MSTC has collaborated with Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare (DAC&FW), Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare (MoAFW) for development of Jaivik kheti portal whose primary objective is to promote consumption of organic farming and consumption of organic food in the country. During the last fiscal, MSTC signed an agreement with Department of Posts to make organic farm produce available on door delivered basis to consumers. Thus, it is a step to bridge the gap between producers and consumers.

MSTC has been nominated by Indian Bank Association (IBA) as the agency to develop an e-auction portal to function as an integral part IBA's eBKray website for sale of mortgaged properties of different banks under SARFAESI Act. The said portal became operational in December'2019 and during the fiscal 4,344 properties were sold for the Public Sector Banks valued at more than ₹ 29,680 Million.

Few of the noteworthy E-Solutions developed by MSTC are as follows:

a. Spectrum Auction:

MSTC was appointed as the transaction advisor cum software developer and operator of spectrum auction by Department of Telecommunication (GoI). The developed application was used for conduction of 'Simultaneous Multiple Round Ascending' (SMRA)

MHz, 2300 MHz और 2500 MHz के अधीन फ्रिक्वेंसी की बिक्री हेतु 'साइमलटेनिएस मल्टीपल राउंड एसेंडिंग' (एसएमआरए) के संचालन हेतु प्रयोग किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 में संचालित नीलामी से सरकार को कुल ₹ 7,78,150 मिलियन की आय हुई।

ख. कोयला खान की नीलामियाँ:

एमएसटीसी ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 और साथ ही अन्य संबंधित अधिनियमों के अनुसार कोयले की बिक्री (वाणिज्यिक खनन) के लिए कोयला खान की नीलामी हेतु कोयला मंत्रालय (भारत सरकार) के लिए पोर्टल का विकास किया है एवं इसका परिचालन कर रहा है। इसकी ई-बोली प्रक्रिया को चरणों में ई-(क) टेक्निकल सह आईपीओ और (ख) फारवर्ड ऑक्शन। वित्त वर्ष 2020-21 में नीलामी में 38 खान को रखा गया था जिसमें से 20 खानों की नीलामी सफलतापूर्वक की गई। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में 67 कोयला खानों को बिक्री के लिए चिह्नित किया गया है।

ग. पेट्रोलियम उद्योग के लिए एग्जिम पोर्टल:

पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात एवं आयात के लिए ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है एवं इसकी डिलीवरी आईओसीएल को की गई है। एग्जिम पोर्टल पूर्ण रूप से चालू है एवं आईओसीएल विगत वित्त वर्ष के दौरान एग्जिम पोर्टल का उपयोग जारी रखा है।

घ. ई-रकम (ई-राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी) पोर्टल:

एमएसटीसी ने कृषि उत्पादों में व्यवसाय के लिए देशव्यापी एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल - ई-रकम को आरंभ किया है। यह ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो मूल रूप से खाद्यान्नों, सब्जियों, फल, मसालों एवं सभी कृषि संबंधी उत्पादों का व्यापार करता है एवं किसानों को ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म को सफल बनाने के लिए एमएसटीसी ने दाल, तिलहन एवं जौ बाजरा के साथ ऐसे अन्य अनाजों में फॉरवर्ड ट्रेडिंग चालू किया है।

यह पोर्टल विभिन्न स्तर पर बिचौलिए को खत्म करेगा एवं ग्राहकों को वाजिब मूल्य में अच्छी उपज प्रदान करने के वादे के साथ किसानों को उनकी उपज का लाभदायी मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा।

Auctions for sale of frequencies under various bands like 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz and 2500 MHz. Total revenue earned by Govt. for the auction conducted in FY 2020-21 stands at ₹7,78,150 Million.

b. Coal Mine auctions:

MSTC has developed and is operating the portal for Ministry of Coal (GoI), to auction Coal Mine for sale of coal (commercial mining) as per the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 as well as other related acts. The e-bidding process comprises of two stages- (a) Technical cum IPO and (b) forward auction. In FY 2020-21, 38 mines were put up for auction out of which 20 mines have been successfully auctioned. 67 coal mines have been earmarked for sale in the FY 2021-22 by Government of India.

c. EXIM Portal for Petroleum Industry:

The online bidding platform for Export & Import of petroleum products has been developed & delivered to IOCL. The EXIM portal is fully operational and IOCL has continued to utilize the EXIM portal during the last fiscal.

d. e-RaKAM (e-Rashtriya Kisan Agri Mandi) Portal:

MSTC Ltd had launched a nationwide electronic portal – e-RaKAM for trading in the agriculture produce. The online trading platform which primarily deals in food grains, vegetables, fruits, spices and all agriculture related commodities and connected farmers directly with consumers. MSTC has launched forward trading in pulses, oilseeds and millets among a number of other such commodities to make the platform successful.

This portal will eliminate multi layers of middlemen and help farmers get remunerative prices for their produce besides promising rich produces at reasonable prices to consumers also.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 55वीं एजीएम के दौरान
CMD during 55th AGM held through Video Conferencing



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वर्ष 2019-20 के लिए नराकास, कोलकाता का
पहला पुरस्कार प्राप्त करते हुए
CMD receiving the first prize of NARAKAS, Kolkata
for the year 2019-20

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने कॉटन एवं कॉटन सीड की ई-नीलामी हेतु सेवा प्रदाता के रूप में एमएसटीसी को नियुक्त किया है। एमएसटीसी ने सफलतापूर्वक पोर्टल विकसित और नीलामियों का संचालन किया है।

ड. एलपीजी डीलरशिप के चयन के लिए ऑनलाइन ड्रॉ सिस्टम:

ऑनलाइन ड्रॉ सिस्टम सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के योग्य आवेदकों में से आवेदकों के चयन की प्रक्रिया है। वर्तमान प्रणाली में, इच्छुक आवेदक से ऑनलाइन आवेदन का अनुरोध किया जाता है और फिर इन उम्मीदवारों में से योग्य उम्मीदवारों को ड्रॉ में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ड्रॉ के संचालन के कार्यकलापों में उपयोग किया जाता है एवं स्क्रीन पर विजेताओं के नाम की घोषणा करती है। यह प्रणाली इस्तेमाल में बहुत आसान है और अधिकतम जटिल ड्रॉ के लिए भी तैयार है। कुल योग्य आवेदकों में से प्रत्येक बार केवल एक योग्य आवेदक के चयन द्वारा ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ (ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ सिस्टम) के संचालन हेतु यादृच्छिक नम्बर देने वाली कलन गणित (एल्गोरिथम) के साथ इस अनुप्रयोग को विकसित किया गया है। एक बटन को दबाने से यादृच्छिक क्रम में पूरे विवरण के साथ आवेदकों के नाम के प्रदर्शन के लिए शफलिंग की जाएगी। शफलिंग (उलट-पलट) करने की प्रक्रिया का विज्युलाइजेशन प्रदर्शनी स्क्रीन पर की जाती है।

च. एमएसटीसी ने राजस्थान राज्य उत्पाद-शुल्क विभाग की ओर से ई-नीलामी के माध्यम से राजस्थान शराब की दुकान के लाइसेंसिंग अनुबंध का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस नीलामी का आयोजन 34 जिलों के लिए किया गया था। इन जिलों में कुल दूकानों की संख्या 7665 है जिनकी नीलामी की गई थी।

छ. एमएसटीसी ने आईओसीएल के लिए एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसमें थोक पीओएल (पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेन्ट) के लिए ट्रान्सपोर्टर्स को अंतिम रूप से तय किए जाने हेतु निविदा सह नीलामी/स्वतंत्र नीलामी मुहैया कराया जा सकती है। इस एप्लिकेशन में कई अत्याधुनिक प्रणालियाँ हैं जैसे कि पूर्व निर्धारित नियमों पर आधारित स्व-मूल्यांकन एवं प्रावधानिक आवंटनों का निर्धारण जिसमें आरक्षित श्रेणियों आदि के लिए उपयुक्त आवंटन प्रदान किया गया है।

ज. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने 'गैस एक्सप्लोरेशन और सेलिंग एजेंसीज' द्वारा ई-बोली गतिविधियों के संचालन हेतु एमएसटीसी को सेवा प्रदाताओं के रूप में सूचीबद्ध किया है। वर्तमान में, हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड अपनी ई-बोली गतिविधियों के संचालन के लिए एमएसटीसी की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

झ. एमएसटीसी ने लोक क्षेत्र उद्यमों की रणनीतिक बिक्री के लिए निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (भारत सरकार) के लिए वेब एप्लिकेशन का विकास किया है। डीआईपीएम की रूपांतरित आवश्यकताओं सहित पोर्टल का नवीनतम संस्करण बहुत जल्द इन कार्यकलापों के संचालन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

ञ. डीआईपीएम परिसंपत्ति का मुद्रीकरण : भारत सरकार के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार, डीआईपीएम विभिन्न सीपीएसई की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगा। इसके लिए, एमएसटीसी को नीलामी सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रयोजन के लिए एक सुनिर्दिष्ट पोर्टल का विकास किया जा रहा है जिसके तहत निविदा, तत्पश्चात नीलामी या स्वतंत्र नीलामी माध्यम से अप्रयुक्त परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा।

Cotton Corporation of India has appointed MSTC as service provider for e-auction of Cotton & Cotton Seeds. MSTC has developed the portal and successfully conducted the auctions.

e. Online Draw System for selection of LPG Dealership:

Online Draw System is the process to select the applicants out of the eligible applicants, in secured and transparent manner, without any human intervention. In the current system, online applications are requested from the interested candidates and then from these candidates, eligible candidates are allowed to take part in the draw. This software is used in events to conduct online draws and display the names of the winners on the screen. The system is easy to use and ready for more complex draws. The application is developed with random number generation algorithm for conducting on-line computerized draw of lots (Online Computerized Draw System) by selecting only one eligible candidate at each time out of the total eligible applicants. Shuffling occurs for the names of the applicants along with their details in random order at the press of a button. Visualization of the shuffling process for display on the screen is there.

f. MSTC has successfully conducted Rajasthan Liquor Shop Licensing contract through e- Auction mode on behalf of Rajasthan State Excise Department. The auctioning event was conducted for 34 districts. Total no. of shops belonging to these districts which has been auctioned stands at 7665.

g. MSTC has developed an application software for IOCL wherein Tender cum auctions/ independent auction can be floated for finalization of Transporters for bulk POL (Petroleum Oil Lubricant). The application has various sophisticated mechanism, like auto evaluation and determination of provisional allotments based on pre fixed rules, maintaining optimum allotment to reserved categories etc.

h. Directorate General of Hydrocarbons has empanelled MSTC as one of the service providers for conduction of e-bidding events by 'gas exploration and selling agencies'. Currently 'Hindustan Oil Exploration Company Limited' has committed to use MSTC's services for conducting their e-bidding events.

i. MSTC has developed the web application for 'Department of Investment and Public Asset Management (GoI)' for strategic sale of Public Sector Enterprises. The updated version of the portal which would include the modified requirements of DIPAM may soon be utilized for conduction of the events.

j. DIPAM Asset Monetization: As per the renewed directives from GOI, DIPAM shall be monetizing the assets of various CPSE. For the same, MSTC has been appointed as the Auction service provider. A dedicated portal is being developed for this purpose wherein unutilized assets will be monetized through tender followed by auction or independent auctioning mode.

- ट. ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता (इंटरस्टेट/इंट्रास्टेट टीबीसीबी) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने “पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली निर्देश” तथा “पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धी को बढ़ावा देने के लिए निर्देश” सूचित किया है। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसरण में, बिड प्रोसेस को ऑर्डिनेटर, जैसे कि आरईसीटीपीसीएल और पीएफसीएल इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) परियोजनाओं के लिए एमएसटीसी की सेवाओं का उपयोग करते हुए कार्यकलापों का संचालन कर रहे हैं। इसमें सौर विद्युत एवं पवन विद्युत परियोजनाएँ भी शामिल हैं।
- ठ. एमएसटीसी ने हाल ही में, अपने संगठन की टीम द्वारा विकसित अपना मोबाइल एप प्रारंभ किया है। जनरल स्क्रेप की नीलामी में शामिल होने के लिए सभी बोलीदाता इस एप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही, आरक्षित मूल्य को लिखने, चालू नीलामी को देखने, नीलामी संबंधी रिपोर्ट को देखने आदि जैसे संबंधित कार्यों के लिए विक्रेताओं एवं एडमिन द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। भविष्य में, सभी अन्य कार्यकलापों और नीलामी के प्रकारों को शामिल करने के लिए एप का विस्तार किया जा सकता है जो एमएसटीसी के पोर्टल के वेब वर्शन में उपलब्ध है।
- ड. एमएसटीसी ने रिटेल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कदम रखा है एवं ‘रबड़ बोर्ड’ के लिए एक व्यापक ई-सॉल्यूशन का विकास कर रही है। इसमें ‘मानव संसाधन प्रबंधन’, ‘वेतन एवं भत्ता प्रबंधन’ और ‘स्व सेवा प्रबंधन’ पैकेज शामिल हैं।
- ढ. एनटीपीसी के अपने विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एफजीडी (पलू गैस डिस्ल्फराइजेशन) प्लांट और कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट यूनिट की अन्य परियोजनाओं की स्थापना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ एवं सुविधानुसार निर्मित एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का विकास किया है। इसकी प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के तहत निविदा निकाली जाएगी, फिर रिवर्स ऑक्शन और मल्टीकरेंसी में बोली प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के कुल व्यवसाय परिमाण में ई-कॉमर्स का व्यवसाय लगभग 99.85% (वर्ष 2019-20 में 99.10%) है। कुल परिचालनीय आय में इसका योगदान 80.11% (वर्ष 2019-20 में 69.27%) है।

ख. ट्रेडिंग व्यवसाय

ट्रेडिंग व्यवसाय में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान व्यवसाय के कुल परिमाण का 0.15% (2019-20 में 0.90%) की भागीदारी के साथ एमएसटीसी क्रेताओं की ओर से कच्ची सामग्री के क्रय हेतु एक सुगमकर्ता (फेसिलिटेटर) के रूप में कार्य करता है एवं प्रतिशत आधार पर शुल्क प्रभारित करता है।

कंपनी के कुल परिचालनीय आय में इस व्यवसाय का योगदान 1.65% (वर्ष 2019-20 में 4.27%) है।

ट्रेडिंग डिवीजन में मुख्यतः वास्तविक उपयोगकर्ताओं एवं व्यापारियों के लिए थोक औद्योगिक कच्ची सामग्रियों के आयात एवं घरेलू प्राप्ति शामिल है। यह डिवीजन विविध उद्योगों की ओर से औद्योगिक कच्ची सामग्रियों यथा हेवी मेल्टिंग स्कैप, लो ऐश मेटालर्जिकल कोक, एचआर क्वायल, नेप्था, क्रूड ऑयल, कोकिंग कोल, स्टीम कोल आदि की सोर्सिंग, क्रय एवं विक्रय को ध्यान देता है। विविध पेशानियों एवं संबंधित जोखिम कारकों के कारण इस विशेष मॉडल को संपूर्ण रूप से रोक दिया गया है।

एमएसटीसी ने एक और नई योजना को प्रारम्भ किया था जिसमें प्रोक्योरमेंट ग्राहक की बैंक गारंटी (बीजी) द्वारा समर्थित है। ग्राहक जिसने बीजी सीमाओं की स्वीकृति की है अपनी परियोजनाओं या व्यापार के लिए कच्ची सामग्रियों/पदार्थों की खरीद

- k. Transmission Service Provider (Interstate/Intrastate TBCB): Ministry of Power, Govt. of India notified “Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Service” and “Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects” (Guidelines). In line with provisions of the guidelines, Bid Process Coordinator like RECTPCL and PFCL are conducting events, using the services of MSTC for Interstate Transmission system (ISTS) projects. This also includes solar power and wind power projects.
- l. MSTC has recently launched its mobile app, developed by the in-house team. The app can be used by all the bidders to participate in General Scrap Auctions. At the same time, it can be used by sellers and ADMIN to perform associated functions like entry of reserve prices, view live auctions, see auction related reports etc. In future, the app may be expanded to cover all other functionalities and auction types that are available in the web version of MSTC portal.
- m. MSTC has also ventured into the domain of Retail software development and is developing a comprehensive e-solution for ‘Rubber Board’. It includes ‘Human Resource Management’, ‘Pay and Allowance management’ and ‘Self Service management’ packages.
- n. A specially designed and customized procurement portal has been developed for establishment of FGD (Flue-gas desulfurization) plant and other projects of Corporate Contracts Unit of NTPC at its various Sewage Treatment Plants. The procurement process shall be tendered followed by Reverse Auction and the bidding shall be in multicurrency.

e-Commerce business constitutes about 99.85% (99.10% in 2019-20) of the total volume of business of the Company during FY 2020-21. It contributed 80.11 % (69.27% in 2019-20) of the total operational income.

B. Trading Business

In trading business, which constituted 0.15% (0.90% in 2019-20) of the total volume of business during FY 2020-21, MSTC acts as a facilitator for procurement of raw material on behalf of buyers and charge mark-up on percentage basis.

This business contributed 1.65% (4.27% in 2019-20) of the total operational income of the Company.

The trading division was engaged in import as well as domestic sourcing of bulk industrial raw material for actual users as well as traders. This division looks after sourcing, purchase and sale of industrial raw materials like Heavy Melting Scrap, Low Ash Metallurgical Coke, HR Coil, Naptha, Crude Oil, Coking Coal, Steam Coal etc. on behalf of various industries. Due to various issues and associated risk factors, this particular business model has been completely stopped.

MSTC also had another scheme under which procurement is done backed by Bank Guarantee (BG) from the Customer. Customers who have sanctioned BG limits can use the same to procure raw materials / commodities for their projects or for trading. In this model, MOA is signed with the Customer

के लिए उसका उपयोग कर सकता है। इस मॉडल में निर्देशित प्रक्रियाओं का पालन करने के उपरान्त ग्राहक के साथ एमओए हस्ताक्षरित किया जाता है। किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोले गये 110% बीजी द्वारा समर्थित ग्राहकों की ओर से क्रय किया जाता है। आयात या घरेलू प्रोक्योरमेंट हेतु फेसिलिटेटर पद्धति में एलसी/आरटीजीएस के माध्यम से आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाता है। सामग्री सीधे ग्राहक को भेज दी जाती है जिसके चलते भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है, परिणामस्वरूप वेयरहाउस एवं कस्टोडियन प्रभार की बचत होती है। एमएसटीसी की समूची अवस्थिति पार्टी/ग्राहक द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी द्वारा संरक्षित रहती है।

वर्ष के दौरान इस क्षेत्र से सेवा प्रभार ₹ 41.70 मिलियन अर्जित किया गया था।

ग. पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग)

एमएसटीसी ने महिन्द्रा इंटरट्रेड लि. के साथ अपने संयुक्त उद्यम महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआरपीएल) के माध्यम से एंड ऑफ लाइफ वेहिकल्स (ईएलवी) एवं व्हाइट गुड्स के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण हेतु ग्रेटर नोएडा में भारत का सर्वप्रथम अधिकृत संग्रहण एवं डिस्मैटलिंग सेन्टर की स्थापना की है, जहाँ पर्यावरणीय उपयोगी स्वरूप में प्रदूषण-मुक्त करने, विखंडित करने और धात्विक

after following the laid down process. Procurement is done on behalf of the Customers backed by 110% BG opened on any Scheduled commercial Bank. The payment is released to the Supplier by way of LC/RTGS in facilitator mode for import or domestic procurement. The material is directly shipped to the customer thereby eliminating the need for storage which results in saving on account of warehouse and custodian charges. MSTC's entire exposure is covered by the Bank Guarantee submitted by the party/Customer.

The Service charge earned from this segment was ₹41.70 Million during the year.

C. Recycling

MSTC has set up India's first authorised Collection and Dismantling center at Greater Noida, for the scientific recycling of End of Life Vehicles (ELVs) and white goods through its Joint Venture, Mahindra MSTC Recycling Private Limited (MMRPL) with Mahindra Intertrade Ltd, wherein the ELVs are purchased for de-polluting, dismantling and converting the metallic parts into bales in an environmental friendly manner. MMRPL has further operationalized



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमएसटीसी लिमिटेड के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए
CMD inaugurating the Annual Cultural Programme of MSTC Limited



कर्मचारियों के लिए एमएसटीसी में कोविड टीकाकरण अभियान
MSTC Covid Vaccination drive for employees

अंश को बेल में रूपांतरित करने के लिए ईएलवी का क्रय किया जाता है। एमएमआरपीएल ने आगे चेन्नई और पुणे में भी परिचालनयुक्त कलेक्शन एवं डिस्मैटलिंग सेन्टरों की स्थापना की है एवं आने वाले महीनों में चार और कलेक्शन एवं डिस्मैटलिंग सेन्टर स्थापित किए जाने की योजना है।

संवृद्धि एवं भावी विकास का विविधीकरण

अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में लागू नियमों के अनुसार वाहनों की वैधता समय के समाप्त होने पर स्कैपिंग की अनिवार्यता को प्रोत्साहित करने का कानून लागू करने के लिए एमएसटीसी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएम) तथा इस तरह के अन्य निकायों से चर्चा शुरू कर चुकी है। भारत सरकार इस संबंध में शीघ्र ही एक नीति निर्धारण करने वाली है।

भावी दृष्टिकोण

1. एमएसटीसी अपने मौजूदा एवं भावी ग्राहकों को लॉजिस्टिक्स (संभार तंत्र), मूल्यन परामर्श एवं निर्णय लेने हेतु प्रौद्योगिकी प्रेरित सहयोग के लिए अधिक मूल्य वर्धित सेवाएँ देने हेतु तत्पर है।
2. एमएसटीसी विशिष्ट रूप से निर्मित अपने ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से देश में कोयला ब्लॉक एवं सभी प्रमुख खनिज ब्लॉक के आवंटन हेतु एक नामित एजेंसी है। लघु खनिज ब्लॉक का आवंटन भी देश के विभिन्न राज्यों में एमएसटीसी के ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से चल रहा है।
माइन डेवलपर-सह-ऑपरेटर का चयन ज्यादातर एमएसटीसी के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
इसके अलावा, कोयला समेत सभी प्रमुख खनिजों की बिक्री एमएसटीसी के ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिसमें बारबिल क्षेत्र में खनिज के लिए दो खान शामिल नहीं हैं जो ओडिशा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के संगम पर स्थित हैं।
3. हालांकि एमएसटीसी ने भारत में वन एवं कृषि क्षेत्र में कदम रखा है, परंतु आक्रामक विपणन रणनीति एवं विघ्नरहित सेवाओं के माध्यम से भारत के विशाल बाजार में इसे अग्रणी भूमिका निभानी है। जैविक उपज एवं पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रूप से उपजे कृषि-बागवानी उत्पाद जैसे उत्कृष्ट बाजार में पैठ जमाना एमएसटीसी का लक्ष्य है।
4. तेल विपणन कंपनियों के लिए एक अभूतपूर्व एग्जिम पोर्टल का विकास करते हुए एमएसटीसी ने अपने लिए एक उच्च दर्जा बनाया है एवं इस प्रक्रिया के तहत एमएसटीसी ने सरकारी एवं निजी संगठनों, विशेषकर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को ई-रिटेल सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता विकसित की है। इस क्षेत्र में एमएसटीसी के लिए भविष्य में अच्छा अवसर एवं संभावना विद्यमान है।
5. एमएसटीसी सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए एनपीए के रूप में चल एवं अचल परिसंपत्तियों के लिए नियमित रूप से नीलामी का संचालन कर रही है। परन्तु एकल सेवा प्रदाता द्वारा एनपीए की बिक्री के समेकन हेतु बैंकों की ओर से हाल ही में उठाया गया कदम परिचालन में है।
6. एमएसटीसी निजी क्षेत्र से अनछुए ई-कॉमर्स व्यवसाय पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर रही है एवं अपने इस प्रयास के तहत एमएसटीसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, टाटा पावर, वेदांता, जिन्दल पावर लि., जैसे कुछ बड़े नामों के साथ स्वीकृति अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है।

Collection & Dismantling centres at Chennai and Pune and intends to set up more Collection & Dismantling centres in the current financial year.

Diversification of Growth and future developments

MSTC in association with the Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Heavy Industries, Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and other such bodies has taken up for enactment of a Law for incentivizing compulsory scrapping of End of Life Vehicles as existing in other developed and developing countries. In the near future, Govt. of India is likely to come up with a policy in this regard.

Future Outlook

1. MSTC is looking at giving more value added services to existing and future clients in terms of logistics, valuation consultancy and technology driven assistance for decision making.
2. MSTC is a nominated agency for allocation of coal blocks and all major mineral blocks in the country through its customized e-Commerce portal. The minor mineral blocks allocation is also happening through MSTC's e-Commerce portal in the various states in the country.
The selection of Mine Developer-cum-Operator is mostly done through e-Procurement portal of MSTC.
In addition, all the major minerals including coal are being sold through e-Auction portal of MSTC barring a couple of mines for mineral in Barbil area which is at the confluence of Orissa, Jharkhand & West Bengal.
3. Although MSTC has made inroads into forest and Agri sector in India but has to play lead role for huge market in India through aggressive marketing strategy and rendering seamless services. The niche market, such as organic produces and natural grown Agri-horti produces of North-East are the target market for MSTC.
4. MSTC has carved niche for itself by developing an unique exim portal for Oil marketing companies and in the process MSTC has developed required expertise for providing e-Retail Software solutions to the Government and private organizations particularly the MSME. This sector holds a great opportunity and potential for MSTC in future.
5. MSTC has been conducting regular auction for moveable and immovable assets as NPAs for Government as well as private companies. But the recent move of banks for consolidation of the sale of NPAs by a single service provider has become operational.
6. MSTC is casting more focus on the untapped e-Commerce business from the private sector and in this stride MSTC has signed big ticket agreements with Reliance Industries, Indus Tower, Tata Power, Vedanta, Jindal Power Ltd. etc. to name a few.

7. इसके अलावा, प्रस्तावित ऑटो श्रेडिंग प्लांट के साथ ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग प्लांट को शामिल किए जाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है जो ई-वेस्ट में उपलब्ध बहुमूल्य धातुओं का निष्कर्षण एवं पुनरुद्धार भी कर सकता है।

कतिपय प्रमुख अवसर जिस पर एमएसटीसी प्रयास कर रही है:

- क. हाल ही में ई-ऑक्शन के जरिए दोनों बड़े एवं लघु खनिज ब्लॉकों की बिक्री हेतु सरकार की पहल भी एमएसटीसी के लिए अवसर की खुली खिड़की है एवं अधिकांश राज्य सरकारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो एमएसटीसी के राजस्व के लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है।
- ख. एमएसटीसी उत्तर प्रदेश मॉडल के अनुसरण में अन्य राज्यों में बालू खनन ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए प्रयास कर रही है।
- ग. राजस्थान सरकार ने रॉयल्टी संग्रह ठेका, अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रह ठेका (ईआरसीसी), संभावित लाइसेंस-सह-खनन लीज (पीएल सह एमएल) एवं लघु खनिजों हेतु खनन लीज के ई-ऑक्शन के लिए एमएसटीसी को नियुक्त किया है।
- राजस्थान में शराब की दुकानों के लाइसेंस की नीलामी पहल की सफलता से आशावित होकर एमएसटीसी अन्य राज्यों में भी इससे संबंधित संभावना तलाश कर रही है।
- घ. एमएसटीसी ने ई-ऑक्शन के जरिए देश के विभिन्न गोदामों में पड़े हुए खाद्यान्नों की बिक्री करने के लिए एनएफआईडी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। उसका प्रोक्योरमेंट भी ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिए अनुबंध के दायरे में है।
- ङ. ई-प्रोक्योरमेंट एक और संभावित क्षेत्र है जिसमें एमएसटीसी व्यापार को पकड़ने के लिए तेजी से प्रगति कर रही है। ई-प्रोक्योरमेंट व्यवसाय क्षेत्र में गहन प्रवेश के लिए एमएसटीसी ने बहु ब्रोकर सुविधा शुरू की है।
- च. भारत सरकार ने एमएसटीसी को उसके ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए अपने विविध महत्वपूर्ण अभिनव योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्य में शामिल किया है, कुछ कार्यान्वित हो चुके हैं तथा कुछ आनेवाले हैं। ऐसी ही एक योजना है ई-कॉमर्स के जरिए सीपीएसई का विनिवेश एवं डीआईपीएम द्वारा इसका नेतृत्व दिया जा रहा है।
- छ. एमएसटीसी ने सीमेंट, इस्पात, स्पंज आयरन आदि जैसे गैर-नियमित क्षेत्र हेतु कोल लिंकेज का ई-ऑक्शन सफलतापूर्वक संचालित किया। कोल लिंकेज का ई-ऑक्शन कोयला मंत्रालय द्वारा शक्ति योजना के अधीन शुरू हुआ है।
- ज. आईओसीएल के लिए एग्जिम उत्पादों हेतु सफल पोर्टल ने अन्य ओएमसी, सार्वजनिक एवं गैर सार्वजनिक - दोनों के लिए ऐसे पोर्टल को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रचालन एवं निष्पादन से संबंधित वित्तीय मानदंडों पर चर्चा

निष्पादन

क) एजेंसी व्यवसाय

इस वर्ष एजेंसी व्यवसाय की कुल राशि ₹ 10,51,016.10 मिलियन है, जबकि वर्ष 2019-20 में यह राशि ₹ 4,20,415.90 मिलियन थी। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 का विवरण निम्नानुसार है:

7. Besides, the possibility of inclusion of e-Waste recycling plant which can also extract & recover precious metals availability in the e-Waste with the proposed Auto Shredding Plant, is also being considered.

Some of the major opportunities MSTC is pursuing:

- The recent initiative of the Government for sale of mineral blocks, both major and minor, through e-auction has also opened window of opportunity for MSTC and it has signed agreement with most of the State Governments which may yield positive results to the revenue of MSTC.
 - MSTC is exploring e-auction of sand mining block in other states in line with Uttar Pradesh model.
 - Govt. of Rajasthan has appointed MSTC for e-Auction of Royalty Collection Contract, Excess Royalty Collection Contract (ERCC), Prospective License-cum-Mining Lease (PL cum ML) and Mining Lease for minor minerals.
- MSTC is exploring the possibility of liquor license auctioning in other states based upon the success of such an event in Rajasthan.
- MSTC has signed an agreement with NAFED to sell the food grain lying with various godowns in the country through e-auction. Procurement of the same is also within the ambit of agreement through e-reverse auction.
 - e-Procurement is another potential area in which MSTC is making a rapid stride to grab the business. MSTC has introduced multi broker facility to make much deeper dent in the e-procurement domain of business.
 - Govt. of India has engaged MSTC for implementation of its various flagship of Innovative schemes through its e-Commerce portal. Some are already implemented and some are upcoming. One such scheme is disinvestment of CPSE through e-Commerce route and is being spearheaded by DIPAM.
 - MSTC has successfully conducted e-auction of coal linkages for unregulated sector such as cement, steel, sponge iron, etc. The e-auction of coal linkage has commenced under Shakti scheme by Ministry of Coal.
 - The successful portals for EXIM products for IOCL has paved way for development of such portal for other OMC's both public and private.

Discussion on Financial Parameters with respect to Operations and Performance

Performance

A) Agency Business

This year the total volume of Agency Business stands at ₹ 10,51,016.10 Million, against ₹ 4,20,415.90 Million in 2019-20. Break-up for the year 2020-21 vis-à-vis 2019-20 is as follows:

व्यवसाय क्षेत्र	व्यवसाय की मात्रा (₹ मिलियन में)	
	2020-21	2019-20
स्कैप की बिक्री	45,704.20	42,209.10
ई-बिक्री	8,49,103.80	2,38,621.50
कोयले की ई-नीलामी	74,297.00	70,399.90
लौह अयस्क की ई-नीलामी	81,911.10	69,185.40
कुल (क) :	10,51,016.10	4,20,415.90

ख) ई-प्रोक्योरमेंट

व्यवसाय क्षेत्र	व्यवसाय की मात्रा (₹ मिलियन में)	
	2020-21	2019-20
ई-प्रोक्योरमेंट	2,36,947.00	8,41,973.20
कुल (ख) :	2,36,947.00	8,41,973.20
कुल (क + ख)	12,87,963.10	12,62,389.10

ग) ट्रेडिंग

इस वर्ष ट्रेडिंग विभाग के निष्पादन में व्यवसाय की कुल राशि ₹ 1,895.90 मिलियन है, जबकि वर्ष 2019-20 में यह राशि ₹ 11,523.20 मिलियन थी। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 का विवरण निम्नानुसार है:

व्यवसाय क्षेत्र	व्यवसाय की मात्रा (₹ मिलियन में)	
	2020-21	2019-20
आयातित सामग्रियाँ	0.00	201.20
स्वदेशी सामग्रियाँ	1,895.90	11,322.00
कुल (ग) :	1,895.90	11,523.20
महायोग (क + ख + ग) :	12,89,859.00	12,73,912.30

जोखिम एवं चिन्ता

एजेंसी व्यवसाय

सेलिंग एजेंसी व्यवसाय में पारंपरिक जोखिम रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल किसी भी समय अपना माल खुद बेचने का निर्णय ले सकता है। हाल के समय में, प्रिंसिपल निविदा का सहारा ले रहे हैं और छोटी कंपनियाँ कम सेवा प्रभार कोट कर रही हैं; क्योंकि उनकी संरचना में निवेश कम है और सीवीसी के दिशा-निर्देश और आईटी एक्ट 2000 के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं है। बहरहाल, गुणवत्ता और पारदर्शिता की वजह से एमएसटीसी इस क्षेत्र में अपने अधिकांश व्यवसाय को कायम रखे हुए है।

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते एमएसटीसी के लिए यह अनिवार्य है कि वह सीवीसी के दिशा-निर्देशों, आईटी एक्ट, 2000 के निर्देशों का तथा एसटीक्यूसी के लेखा परीक्षण की आवश्यकताओं से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें। इसके लिए एमएसटीसी को सिस्टम की संरचना में बड़ी राशि का निवेश करना पड़ता है, लेकिन निजी कंपनियों के ऊपर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने टेंडर दस्तावेज में सेवा प्रदाता के लिए सीवीसी के दिशा-निर्देशों के पालन की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं करते हैं; तो एमएसटीसी के लिए कार्य आदेश पाना क्रमशः कठिन होता जाएगा, क्योंकि निजी कंपनियों के पास अपर्याप्त संरचना है और उनके लिए कम सेवा दर कोट करना मुमकिन होता है।

Business Segment	Volume of Business (₹ in Million)	
	2020-21	2019-20
Scrap Disposal	45,704.20	42,209.10
e-Sale	8,49,103.80	2,38,621.50
Coale-Auction	74,297.00	70,399.90
Iron ore e-Auction	81,911.10	69,185.40
Total (A) :	10,51,016.10	4,20,415.90

B) E-Procurement

Business Segment	Volume of Business (₹ in Million)	
	2020-21	2019-20
e-Procurement	2,36,947.00	8,41,973.20
Total (B) :	2,36,947.00	8,41,973.20
Total (A+B) :	12,87,963.10	12,62,389.10

C) Trading

The performance of the Trading Division shows a total volume of business of ₹ 1,895.90 Million, against ₹ 11,523.20 Million in 2019-20. Break-up for the year 2020-21 vis-à-vis 2019-20 is as follows:

Business Segment	Volume of Business (₹ in Million)	
	2020-21	2019-20
Imported materials	0.00	201.20
Indigenous materials	1,895.90	11,322.00
Total (C) :	1,895.90	11,523.20
Grand Total (A+B+C)	12,89,859.00	12,73,912.30

Risks and Concerns

Agency Business

The Selling Agency business has inherent risk since principal can any time decide to do the selling job themselves. Of late, principals are resorting to tendering and small players are quoting very less rate of service charge owing to their less investment in infrastructure and nil obligations towards CVC guidelines and IT Act, 2000. However, because of quality and transparency, MSTC has retained most of the business in this segment.

Being a PSU, MSTC has to follow all the guidelines issued by CVC, regulation of IT Act 2000 and other audit requirements of STQC for which, MSTC has to invest huge amount towards Systems infrastructure, whereas, the private players are not under any such obligation. Therefore, unless Government Departments and PSUs insist upon fulfillment of criteria in line with CVC guidelines by the service providers in the tender documents, it would be increasingly difficult for MSTC to get orders, since private players, having scanty infrastructure, can afford to quote very low service charge.

ट्रेडिंग व्यवसाय (बीजी समर्थित)

वर्तमान में एमएसटीसी ग्राहकों से मूल्य के 110% की बैंक गारंटी की रसीद के तहत सामग्री प्राप्त कर रही है जो बैंक गारंटी का समर्थन रहने के कारण अपेक्षाकृत जोखिम रहित है।

कोविड-19 का प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने हर मुमकिन तरीके से व्यवसायों के लिए मुश्किलों को उत्पन्न करना जारी रखा है एवं उसने मौजूदा जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया है। एक अनिश्चित एवं निरंतर बदलते परिवेश में व्यवसाय करना पड़ रहा है। महामारी के पहले कुछ महीनों के दौरान परिवहन पर प्रतिबंध एवं आपूर्ति साधनों में बाधा आने से जबरदस्त परिचालनीय चुनौतियाँ उपस्थित हुई थीं। चूंकि महामारी की दूसरी लहर के शुरू होने के साथ तीसरी लहर की संभावना की शंका जाहिर की गई है, ऐसे में हमारे लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना, ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं से उत्पन्न मांग को पूरा करना एवं हमारे व्यवसाय मॉडल को संरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता रही है।

मुकदमेबाजी का जोखिम

कंपनी के परिचालनों के परिमाण एवं भौगोलिक विस्तार को देखते हुए, बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों एवं नियुक्ति संबंधी विषयवस्तुओं के कथित अतिक्रमण, वाणिज्यिक मतभेदों से मुकदमेबाजी से जुड़े जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। विभिन्न देशों में यह जोखिम व्यवसाय में अंतर्निहित रहता है एवं इस उद्योग से जुड़ी अन्य कंपनियों को इस प्रकार के जोखिम का सामना करना पड़ता है। कानूनी खर्च लगने एवं प्रबंधन का ध्यान तोड़ने के अलावा, मुकदमेबाजी से मीडिया में नकारात्मक भावनाएँ पनपती हैं एवं प्रतिष्ठा पर आँच आती है। प्रतिकूल निर्णयों से हानिकारक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

आंकड़ों को सुरक्षित रखने के कानूनों का उल्लंघन

आंकड़ों की गोपनीयता एवं व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा पूरे विश्व में निरंतर बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। कई देश व्यक्तिगत डेटा या आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डेटा प्राइवसी (आंकड़ों की गोपनीयता) विनियमों को लागू कर रहे हैं। डेटा सुरक्षित रखने के लिए बने कानूनों का उल्लंघन या सुरक्षा अतिक्रमण से भारी देयता, जुर्माना या दंड भरना पड़ सकता है एवं प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुँचता है।

साइबर हमले

इस प्रकार के संकट की दिनों-दिन बढ़ती आशंका को देखते हुए साइबर हमले का जोखिम हमेशा के लिए बना रहता है। व्यवसाय परिचालनों को प्रभावित करने के अलावा, सुरक्षा उल्लंघन से प्रतिष्ठा पर आँच, दंड और कानूनी एवं वित्तीय देनदारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

व्यवसाय मॉडल की चुनौतियाँ

तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों से प्रौद्योगिकी के प्रयोग स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, जिससे नई श्रेणी के क्रेता तैयार हो रहे हैं जिससे संपूर्ण नए व्यवसाय मॉडल की उत्पत्ति हुई है एवं नए प्रकार के प्रतियोगी सामने आए हैं। ग्राहकों की अपेक्षाओं पर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कंपनी की दक्षता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। ऐसा न कर पाने से बाजार की भागीदारी में कमी आ सकती है एवं व्यवसाय का विकास प्रभावित हो सकता है।

बौद्धिक संपत्ति (आईपी) का अतिक्रमण एवं लीकेज

तीसरे पक्ष की आईपी के अतिक्रमण का जोखिम संभावित देयताएँ उत्पन्न कर सकता है। मुकदमेबाजी बढ़ा सकता है एवं प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है और स्वामित्व अधिकार, आय और मूल्य में कमी आती है।

Trading Business (BG Backed)

MSTC is presently sourcing materials against receipt of Bank Guarantee for 110% of value from the customers which is relatively risk free being backed by Bank Guarantee.

COVID-19 Effect

The COVID-19 pandemic continues to challenge businesses in every possible way and has amplified existing risks. Operating in an uncertain and ever-changing environment. Operational challenges mounted due to restricted movement and disrupted supply lines during the first few months of the pandemic. As the second wave of the pandemic unfolds with predictions of a third wave in the offing, our focus continues to be on our people's health & safety, meeting the demand arising out of evolving consumer needs, and protecting our business model.

Litigation risks

Given the scale and geographic spread of the Company's operations, litigation risks can arise from commercial disputes, perceived violation of intellectual property rights and employment related matters. This risk is inherent to doing business across various countries and commensurate with the risk faced by other players similarly placed in the industry. In addition to incurring legal costs and distracting management, litigations garner negative media attention and pose reputation risk. Adverse rulings can result in substantive damages.

Breach of data protection laws

Data privacy and protection of personal data is an area of increasing concern globally. Many countries are enacting their Data Privacy regulations to ensure protection of personal data. Violation of data protection laws or security breaches can result in substantive liabilities, fines or penalties and reputational impact.

Cyber attacks

Risks of cyber attacks are forever a threat on account of the fast-evolving nature of the threat. In addition to impact on business operations, a security breach could result in reputational damage, penalties and legal and financial liabilities.

Business model challenges

Rapidly evolving technologies are changing technology consumption patterns, creating new classes of buyers within the enterprise, giving rise to entirely new business models and therefore new kinds of competitors. This is resulting in increased demands on the company's agility to keep pace with the changing customer expectations. Failure to cope may result in loss of market share and impact business growth.

Intellectual Property (IP) infringement and leakage

Risk of infringement of third-party IPs may lead to potential liabilities, increased litigation and impact reputation and loss of ownership right, revenue and value.

जोखिम, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

वर्ष 2008-09 में व्यापार के लिए जोखिम प्रबंधन नीति को एमएसटीसी में लागू किया गया। 05 अप्रैल, 2018 में यह नीति अंतिम बार संशोधित किया गया था। एमएसटीसी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जोखिम लेने की क्षमताओं के अन्दर कार्य करे एवं इसे और बेहतर एवं प्रभावी बनाने हेतु अधिक सुरक्षा उपायों को शामिल किया जा रहा है।

व्यापार के अन्य क्षेत्रों अर्थात ई-कॉमर्स के लिए जोखिम प्रबंधन नीति को 2015-16 में प्रारंभ किया गया है ताकि इस व्यापार में भी आवश्यक सुरक्षा दी जा सके।

मेसर्स निरुपम एण्ड एसोशिएट्स, मेसर्स विश्वास दास गुप्ता और राय एवं मेसर्स पी. के. चोपड़ा एण्ड कं, सनदी लेखापाल को इस वर्ष के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था और उनके प्रतिवेदन को प्रबंधन के समक्ष नियमित अंतराल पर रखा जाता है एवं महत्वपूर्ण मुद्दों के संक्षिप्त विवरण को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। लेखा परीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कार्यों की समीक्षा करती है और समिति की अनुशंसाओं को निदेशक मंडल के समक्ष पेश किया जाता है और निदेशक मंडल के विवेचना के अनुसार लागू होते हैं। लेखा परीक्षा समिति विभिन्न वित्तीय विवरणों के भी जोखिम विश्लेषण एवं नियंत्रण के लिए कार्य करती है।

ऊर्जा एवं संसाधनों का संरक्षण

एमएसटीसी मुख्यतः विभिन्न उपभोक्ताओं से स्क्रेप सामग्री विशेषतः फेरस स्क्रेप की खरीद का कार्य करती है तथा इन स्क्रेप की रिसाइक्लिंग के लिए व्यापार करती है। इस तरह एमएसटीसी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषकों को कम करने में, दोबारा इस्तेमाल के योग्य फेरस स्क्रेप के पुनः चक्रण द्वारा ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है। इस प्रकार एमएसटीसी एक रिसाइक्लिंग कंपनी हैं जो सुविधाओं को समेकित करती है एवं क्रेता द्वारा प्रक्रिया के बाद पुनः व्यवहार के लिए विभिन्न प्रकार के स्क्रेप की नीलामी करती है।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक) एमएसटीसी लिमिटेड के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंचासीन हुए
CMD, Director(Finance) and Director(Commercial)
attending the Annual Cultural Programme of MSTC Limited

Risks, Internal Control Systems and their adequacy

Risk Management Policy in MSTC for trading was introduced in the year 2008-09. The policy has been last revised on 05th April, 2018. MSTC makes it certain that the internal control system functions within the risk appetite of the Company and is being fine-tuned to include more safeguards for being more effective.

Risk Management Policy for another segment of business i.e. e-Commerce has also been introduced in 2015-16 to have necessary safeguards in this business too.

M/s. Nirupam and Associates, M/s Biswas Das Gupta and Roy and M/s P.K Chopra and Co., Chartered Accountants were assigned with the Internal Audit function of the Company for the year and their reports are put up to the management at regular intervals and summarized statement of important issues are placed before the Audit Committee. The Audit Committee analyses the functions of the internal control system and recommendations of the committee are put up to the Board and those are implemented as per the considerations of the Board. Audit Committee also considers various financial statements for risk analysis and control.

Conservation of Energy and Resources

MSTC works primarily in the field of procurement of scrap materials, especially ferrous scraps from different consumers and trading of those scraps for recycling. Thus, MSTC works for the conservation of the natural resources, reduction in pollutants, conservation of energy by recycling ferrous scraps into a re-useable form. MSTC is in a way, a recycling Company that consolidates facilities and auctions scrap of various types for reuse after processing by its buyers.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वर्ष 2019-20 के लिए राजभाषा प्रशस्ति फलक प्रदान करते हुए

CMD presenting the Official Language Commendation Plaque for the year 2019-20

प्रमुख वित्तीय अनुपात:

प्रमुख अनुपात	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2019-20	% में परिवर्तन	अंतर के लिए कारण
देनदार का कारोबार	2.29	1.04	28.70	कोविड-19 के कारण, व्यापारिक व्यवसाय की प्राप्ति में कुछ देरी हुई।
मालसूची कारोबार				प्रयोज्य नहीं
ब्याज व्याप्ति अनुपात	18.00	0.17	210.94	31 मार्च, 2021 तक एमएसटीसी लगभग ऋण मुक्त कंपनी है, इसलिए ब्याज खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप अनुपात में काफी सुधार हुआ है।
वर्तमान अनुपात	1.01	0.96	4.58	कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं
ऋण इक्विटी अनुपात				नगण्य नहीं माना गया
प्रचालनगत लाभ मार्जिन (%)	26.81	15.59	11.22	अंतर व्यापार के सामान्य मार्ग में है।
शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	23.63	9.05	14.58	पिछले वर्ष की तुलना में पीएटी के आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण।
शुद्ध मूल्य पर रिटर्न	28.47	26.87	1.60	कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं

Key Financial Ratios:

Key Ratios	FY 2020-21	FY 2019-20	Change in %	Reason for Difference/Remarks
Debtors Turnover	2.29	1.04	28.70	Due to Covid-19, there was some delay in realization in trading business.
Inventory Turnover				Not Applicable
Interest Coverage Ratio	18.00	0.17	210.94	MSTC is almost debt free Company as on 31st March, 2021, hence the interest outgo has gone down significantly. As a result of which the ratio has improve significantly.
Current Ratio	1.01	0.96	4.58	No significant difference
Debt Equity Ratio				Negligible Not Considered
Operating Profit Margin (%)	26.81	15.59	11.22	The Difference is in normal course of business.
Net profit Margin (%)	23.63	9.05	14.58	Due to significant increase in PAT figures as compare to last year.
Return on Net Worth (%)	28.47	26.87	1.60	No significant difference

सचेतक अभियुक्ति

“प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण” कंपनी के प्रक्षेपण तथा आकलन के तहत अभियुक्ति है। वास्तविक परिणाम ऐसे प्रक्षेपण से भिन्न हो सकते हैं तथा यह आर्थिक स्थिति तथा संबंधित देशी एवं विदेशी बाजार में उद्योग मांग पर निर्भर करती है। प्रक्षेपण तथा आकलन को सरकार के विनियम, जिसमें वित्तीय नियमन तथा अन्य आकस्मिक कारक हैं, भी प्रभावित कर सकते हैं।

Cautionary Statement

Statements under “Management Discussion and Analysis” are on Company’s projections and estimates. Actual results may materially differ from such projections and depends on economic condition and industry demand in the relevant domestic and international market. Government regulations including fiscal regulations and other incidental factors may also affect the projections and estimates.

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से



(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन : 08643406]

स्थान : कोलकाता

तिथि : 25 जून, 2021

For and on behalf of the Board of Directors



(Surinder Kumar Gupta)

Chairman and Managing Director

[DIN : 08643406]

Place : Kolkata

Date : June 25, 2021

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारकगण

एमएसटीसी लिमिटेड

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कारोबार और प्रचालन से संबंधित 56वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ लेखा परीक्षित वित्तीय लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मत को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कंपनी की वित्तीय उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर पश्चात लाभ ₹ 1010.71 मिलियन है जबकि पिछले वर्ष ₹ 752.03 मिलियन थी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के लिए कंपनी के एकल वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(₹ मिलियन में)

विवरण	2020-21	2019-20
व्यवसाय की मात्रा	12,89,859.00	12,73,912.30
कर पूर्व लाभ (हानि)	1,146.81	1,294.91
कर	136.10	542.88
कर पश्चात लाभ	1,010.71	752.03
प्रदत्त पूंजी (इक्विटी)	704.00	704.00
आरक्षित निधि	2,845.59	2,094.31
लाभांश (%)	44%	33%
कर पूर्व लाभ प्रति कर्मचारी	3.42	3.76
प्रति शेयर अर्जन (₹)	14.36	10.68
(अंकित मूल्य ₹ 10/-)		

परिचालनीय उपलब्धियाँ :

1. स्पेक्ट्रम नीलामी : वित्त वर्ष के दौरान एमएसटीसी ने सफलतापूर्वक स्पेक्ट्रम नीलामी का संचालन किया जिससे भारत सरकार के लिए ₹ 7,78,150 मिलियन की आय प्राप्त हुई।
2. वाणिज्यिक खनन के लिए कोल ब्लॉक की नीलामी : साल 2020 के नवम्बर माह में वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के लिए बोली का निष्पादन किया गया था। नीलामी में रखी गई 38 खानों में से 19 खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। एमएसटीसी के बोली पोर्टल से बोलीदाताओं में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी।
3. शराब की दुकान के लिए लाइसेंस का आवंटन : एमएसटीसी ने राजस्थान राज्य में लिकर की दुकानों के लिए लाइसेंस के आवंटन हेतु उत्पाद शुल्क विभाग, राजस्थान सरकार के लिए ऑनलाइन नीलामियों का संचालन किया।
4. आंध्र प्रदेश में रेत परिचालन के लिए एजेंसी का चयन: खान एवं भूविज्ञान विभाग, आंध्रप्रदेश ने आंध्रप्रदेश राज्य में रेत परिचालनों के निपटान हेतु एजेंसी के चयन के लिए ऑनलाइन बोली प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु एमएसटीसी को नियुक्त किया है। इस प्रक्रिया में, एमएसटीसी ने लेनदेन सलाहकार के साथ-साथ ई-निविदा सेवा प्रदाता की भूमिका निभायी है।

BOARD'S REPORT

To,

The Shareholders

MSTC Limited

The Directors are pleased to present the 56th Annual Report on the business and operations of the Company together with the Audited Financial Statements, Auditor's Report and comments of the Comptroller & Auditor General of India for the year ended 31st March, 2021.

Financial Highlights of the Company

The Profit after Tax stands at ₹1010.71 Million in Financial Year 2020-21 as against ₹ 752.03 Million last year.

The Standalone Financial results of the Company for the financial year 2020-21 and 2019-20 are given below:

(₹ in Million)

Particulars	2020-21	2019-20
Volume of Business	12,89,859.00	12,73,912.30
Profit (Loss) before tax	1,146.81	1,294.91
Tax	136.10	542.88
Profit after tax	1,010.71	752.03
Paid up capital (Equity)	704.00	704.00
Reserves	2,845.59	2,094.31
Dividend (%)	44%	33%
PBT Per Employee	3.42	3.76
Earnings per share (₹)	14.36	10.68
(Face value ₹10/-)		

Operational Highlights:

1. Spectrum Auction: During the financial year MSTC has successfully conducted Spectrum auction which has fetched revenue of ₹ 7,78,150 Million for Govt. of India.
2. Coal Block Auction for Commercial Mining: The bidding for Commercial Coal Mine auction was concluded in the month of November, 2020. Out of 38 mines put up for auction 19 mines have been successfully auctioned. The bidding portal of MSTC was able to generate huge competition among the bidders.
3. Allotment of License for Liquor Shop: MSTC has conducted online auctions for Excise Department, Government of Rajasthan for allotment of License for Liquor Shops in the State of Rajasthan.
4. Selection of Agency for Sand Operation in A.P.: Department of Mines & Geology, Andhra Pradesh, appointed MSTC for providing online bidding platform for selection of Agency to carry out Sand Operations in the State of Andhra Pradesh. In this process MSTC played the role of a Transaction Advisor as well as e-tendering service provider.

कोविड-19

वित्तीय वर्ष 2020-21 बहुत ही अस्थिर एवं चुनौतियों से भरा वर्ष रहा था। कोविड-19 ने मानव जीवन के प्रायः सभी पहलुओं को बदल दिया है, कुछ इस तरह से जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। महामारी से आर्थिक क्षति अभूतपूर्व थी। प्रतिबंधित परिवहन एवं बाधित आपूर्ति साधनों के कारण परिचालनीय चुनौतियों ने सारी हदें पार कर ली थीं। कोविड-19 के मामले में तेजी से आए उछाल से, आर्थिक दशा में भारी मंदी छा गई। हमारा पूरा ध्यान हमारे लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की ओर रहा था।

चूंकि देश संकटों के दौर से गुजर रहा था, ऐसे में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने मजबूती के साथ आर्थिक सुधार लाने हेतु कारगर उपायों को अपनाया। केन्द्रीय बजट 2021 में कर दरों को स्थिर रखते हुए एवं आधारभूत संरचनाओं में निवेश को बढ़ाते हुए बहुविध उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

एमएसटीसी कर्मचारियों के कुशल-मंगल को प्राथमिकता देती है। कोरोनावायरस पर परामर्श सम्बंधी दिशानिर्देश, कार्य के लिए यात्रा करने से जुड़े निर्देश एवं नवीनतम कार्यालय आचरण जारी किए गए थे। कंपनी ने अपने सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा जारी विविध निर्देशों/नियमों/दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु पहले से सक्रिय कदम उठाया है। इसके अलावा, कोविड से प्रभावित कर्मचारियों को स्वास्थ्यलाभ सुनिश्चित करने के लिए जरूरी मदद एवं सहयोग प्रदान किए गए। जरूरतमंद कर्मचारियों के नजदीकी परिवारों को भी सहयोग दिया गया था।

जन समुदाय के दायित्वशील सदस्य के रूप में, कंपनी ने प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेंस एण्ड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशन्स फंड (पीएम केयर्स फंड) में ₹ 50.00 मिलियन का योगदान दिया है। कंपनी के सभी सदस्यों ने प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेंस एण्ड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशन्स फंड (पीएम केयर्स फंड) में अपने एक दिन का वेतन जमा किया है।

पूर विश्व में एवं भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप शुरू होने से, कंपनी के प्रबंधन ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव का प्रारंभिक आकलन किया है एवं एक प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में बने रहने और अपनी देयताओं को निभाने में कंपनी की दक्षता में माध्यम से लेकर दीर्घकालिक कोई जोखिम, प्रबंधन के अवलोकन में नहीं आया है।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) एमएसटीसी एम्प्लॉइज रिक्लिंशन्स क्लब द्वारा आयोजित एमएसटीसी में रक्तदान शिविर के दौरान CMD and Director (Finance) during Blood Donation camp of MSTC organized by MSTC employees' Recreation Club

Covid-19

Financial year 2020-21 was a highly volatile and challenging year. Covid-19 changed almost every aspect of human lives in ways never imagined. The economic toll from the pandemic was unprecedented. Operational challenges mounted due to restricted movement and disrupted supply lines. As the Covid-19 cases continued to rise exponentially, the economy declined sharply. Our focus was on our people's health & safety.

As the country navigated through the crisis, the Government and the Reserve Bank of India took effective measures to support a robust economic recovery. The Union Budget 2021 focused on regaining the growth momentum in the economy through several measures including keeping tax rates stable and enhancing investments in infrastructure.

MSTC holds employee well-being in high regard. An advisory guide on corona virus, guidelines for travel to work and updated office etiquette were issued. The Company has taken proactive measures to comply with various directions / regulations / guidelines issued by the Government and local bodies to ensure safety of workforce across all its offices. Further, Employees who were affected by COVID were provided with necessary help and aid to ensure their recovery. Help was also extended to the immediate families of the employees in need.

As a responsible member of the communities the Company has contributed ₹ 50.00 Million to the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund). All the employees of the Company have also contributed one day salary to Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund).

Due to outbreak of 2nd wave of Covid-19 globally and in India, the Company's management has made initial assessment of likely adverse impact on business and financial risks on account of 2nd wave of Covid-19, and that the management does not see any medium to long term risks in the Company's ability to continue as a going concern and meeting its liabilities.



कर्मचारीगण रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हुए
Employees donating blood during Blood Donation camp

लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रसन्नतापूर्वक ₹ 10 प्रत्येक अंकित मूल्य के लिए ₹ 4.40 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश (@ 44%) की सिफारिश की है, जो उन शेयरधारकों को देय है जिनके नाम बुक क्लोजर / रेकॉर्ड डेट को सदस्यों के रजिस्टर में उल्लिखित हैं। वर्ष के लिए कुल प्रस्तावित लाभांश ₹ 309.76 मिलियन है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान किया जाएगा। कंपनी द्वारा निरूपित लाभांश वितरण नीति वेबलिंग https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/DIVIDENDDISTRIBUTIONPOLICY.pdf पर प्राप्त किया जा सकता है।

आरक्षित निधि

31 मार्च 2021 को सामान्य आरक्षित निधि ₹ 2845.59 मिलियन है।

शेयर पूंजी में परिवर्तन

31 मार्च, 2021 को आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 1500.00 मिलियन है जो ₹ 10.00 प्रत्येक के 150.00 मिलियन इक्विटी शेयरों में विभाजित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं है।

निदेशकों की दायित्वशीलता का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल ने बताया है कि :

- वार्षिक लेखा तैयार करते वक्त प्रयोजनीय भारतीय लेखा मानकों (आइएनडी-एस) का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है एवं जहां इन मानकों से हटकर कार्रवाई की गई है वहाँ उसके साथ समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- निदेशकों ने इस तरह की लेखा नीतियों को चुना है, जिनका बराबर अनुसरण किया है एवं इस तरह से निर्णय और प्राक्कलन तैयार किए हैं, जो युक्तिपूर्ण और तर्कसंगत हैं एवं जिनसे कंपनी के 31 मार्च, 2021 के कार्यकलापों एवं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लाभ की सही और सटीक तस्वीर प्रकट होती है।
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।
- निदेशकों ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए जारी कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।
- निदेशकों ने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्देशित किया है एवं इन सभी प्रणालियों ने उचित एवं प्रभावी ढंग से कार्य किया है।
- निदेशकों ने प्रयोज्य सभी कानून प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए उचित प्रणाली तैयार की है एवं इन सभी प्रणालियों ने उचित एवं प्रभावी ढंग से कार्य किया है।

निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्रीमती भानु कुमार, निदेशक (वाणिज्यिक) एवं श्री सुब्रत सरकार, निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी

Dividend

The Board of Directors of your Company is pleased to recommend a final dividend of ₹ 4.40 per equity share of the face value of ₹ 10 each (@ 44%), payable to those Shareholders whose names appear in the Register of Members as on the Book Closure / Record Date. The total proposed dividend for the year aggregates to ₹ 309.76 Million. The dividend pay-out will be in accordance with the Company's dividend distribution policy. The Dividend Distribution policy as formulated by the Company may be accessed at the web link https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/DIVIDENDDISTRIBUTIONPOLICY.pdf.

Reserves

The Reserves stand at ₹2845.59 Million as on 31st March 2021.

Changes in Share Capital

The authorized share capital of your Company as on 31st March, 2021 stands at ₹ 1500.00 Million divided into 150.00 Million equity shares of ₹ 10.00 each. During the year under review there is no change in share capital of your company.

Directors Responsibility Statement

Pursuant to the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors shall state that:

- In preparation of the Annual Accounts, applicable Indian Accounting Standards (IND- AS) have been followed along with proper explanation relating to material departures.
- The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2021 and of the profit of the Company for the financial year 2020-21.
- The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities.
- The Directors have prepared the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2021 on a going concern basis.
- The Directors had laid down internal financial controls of the Company and that such systems were adequate and operating effectively.
- The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Directors & Key Managerial Personnel

Shri Surinder Kumar Gupta, Chairman and Managing Director, Smt. Bhanu Kumar, Director (Commercial) and Shri

कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक हैं। श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) एवं महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्रा. लि. (एमएमआरपीएल) के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। श्रीमती भानु कुमार, निदेशक (वाणिज्यिक) फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में भी कार्य कर रही हैं। श्री सुब्रत सरकार महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्रा. लि. (एमएमआरपीएल) के निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान डॉ. प्रमोदिता सतीश, सरकारी नामित निदेशक, श्री गंगाराम अलोरिया, डॉ. टी.वी. मुरलीवल्लभन, और डॉ. आर. एस. येली, स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड के सदस्य नहीं रहे हैं। उपर्युक्त निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ उनके लम्बे कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए बोर्ड ने अपना आभार व्यक्त किया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, श्री अवधेश कुमार चौधरी को डॉ. प्रमोदिता सतीश के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल, सरकारी नामित निदेशक रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं एवं योग्य होने के नाते पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया है। निदेशकगणों ने कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण बैठक में उनकी पुनः नियुक्ति की सिफारिश की है।

कंपनी ने सभी स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणा एवं प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जो पुष्टि करते हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रयोज्य प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत नियमों के अधीन स्वतंत्र निदेशकों के लिए निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं।

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक का आयोजन किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) का प्रावधान यह अपेक्षित करता है कि एक सूचीबद्ध संस्था एक विवरण शामिल करे जो बोर्ड, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य-निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन की विधि को दर्शाता है। तथापि, उक्त प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है क्योंकि निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्देशित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

आगामी एजीएम में नियुक्ति एवं पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण निम्नित अभिशासन रिपोर्ट खंड में दिया गया है।

इस रिपोर्ट की तिथि को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	केएमपी	पदनाम
1.	श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)
3.	श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
4.	श्री अजय कुमार राय	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

एक निदेशक की योग्यताएँ, सकारात्मक विशेषताएँ एवं स्वतंत्रता तथा धारा 178(3) में प्रदत्त अन्य विषय-वस्तुओं के निर्धारण हेतु मानदंड समेत निदेशकों की

Subrata Sarkar, Director (Finance) and Chief Financial Officer are Whole-time Directors of the Company. Shri Surinder Kumar Gupta is also acting as Chairman and Managing Director of Ferro Scrap Nigam Limited (FSNL) and Chairman of Mahindra MSTC Recycling Pvt. Ltd. (MMRPL). Smt. Bhanu Kumar is also acting as Director of Ferro Scrap Nigam Limited. Shri Subrata Sarkar is also acting as Director of Mahindra MSTC Recycling Pvt. Ltd. (MMRPL).

During the current financial year Dr. Promodita Sathish, Govt. Nominee Director, Shri Gangaram Aloria, Dr. T.V. Muralivallabhan and Dr. R.S. Yeli, Independent Directors ceased to be the member of the Board. The Board places on its record sincere gratitude for the valuable guidance and support rendered by the aforesaid Directors during their long association with the company.

During the financial year Shri Awadhesh Kumar Choudhary was appointed as Govt. Nominee Director in place of Dr. Promodita Sathish.

Smt. Ruchika Chaudhury Govil, Govt. Nominee director is retiring by rotation and being eligible offered herself for re-appointment. The Directors recommended her re-appointment in the ensuing Annual General Meeting of the Company.

The Company has received necessary declaration and certificate from all the Independent Directors confirming that they meet the criteria prescribed for Independent Directors under the applicable provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and rules made there under.

A separate meeting of Independent Directors was held during the year.

The provisions of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 require a listed entity to include a statement indicating the manner of formal annual evaluation of performance of the Board, its Committees and of individual Directors. However, the said provisions are not applicable for Government Companies as the performance evaluation of Directors is carried out by the Administrative Ministry as per laid down evaluation methodology.

A brief profile of the Directors proposed to be appointed and reappointed at the ensuing AGM is provided in the Corporate Governance Report section.

The details of the Key Managerial Personnel of the Company as on the date of this report are as follows;

Sl. No.	KMP	Designation
1.	Shri Surinder Kumar Gupta	Chairman and Managing Director
2.	Smt. Bhanu Kumar	Director (Commercial)
3.	Shri Subrata Sarkar	Director (Finance) & CFO
4.	Shri Ajay Kumar Rai	Company Secretary & Compliance Officer

The provisions of Section 134(3)(e) of the Companies Act, 2013 regarding the policy on Directors appointment and remuneration including criteria for determining

नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर नीति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

संबंधित पार्टी के लेनदेन

वित्तीय वर्ष के दौरान सभी संबंधित पार्टी के लेनदेन जो दर्ज हुए थे, वे संबंधित पक्ष के आधार पर थे एवं व्यवसाय के सामान्य क्रम में रहे थे। अतएव, कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के अनुसार धारा 188 का प्रावधान लागू नहीं है। सभी संबंधित पार्टी के लेनदेन का वर्णन वित्तीय विवरण में लेखा की टिप्पणियों में किया गया है। इसलिए फॉर्म एओसी- 2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसके अलावा, निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ कोई संबंधित पार्टी के लेनदेन नहीं हुए थे, जिनका कंपनी के हित पर कोई संभावी संघर्ष हो सकता है। संबंधित पक्ष के सारे लेनदेन अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे गए हैं।

कंपनी के पास एक संबंधित पार्टी लेनदेन नीति है एवं इसे कंपनी की वेबसाइट: www.mstcindia.co.in पर अपलोड किया गया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के लेनदेन का वर्णन वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 39 में दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में दिया गया है।

निगमित अभिशासन रिपोर्ट

निगमित अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ निगमित अभिशासन रिपोर्ट पर पृथक विवरण यहाँ अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न किया जाता है एवं निदेशक मंडल की इस रिपोर्ट का अंश माना जाएगा।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्मिकगण एमएसटीसी लिमिटेड के वार्षिक खेलकूद के दौरान

CMD and other officials during the Annual Sports of MSTC Limited

qualifications, positive attributes, independence of a Director and other matters provided in Sec 178(3) are exempted for Government Companies

Related Party Transactions

All Related Party Transactions that were entered into during the financial year were on an arm's length basis and were in the ordinary course of business. Hence, the provision of section 188 of Companies Act, 2013 as amended are not attracted. Details of all related party transactions are provided in the financial statement in notes to accounts. Thus, disclosures in Form AOC-2 are not required. Further there are no related party transactions with the Directors and KMP or other designated persons, which may have a potential conflict with the interest of the Company. All Related Party Transactions are placed before the Audit Committee for approval.

The Company has a related party transaction policy and the same has been uploaded on the website of the Company at www.mstcindia.co.in.

The details of the related party transactions during the financial year are provided in note no. 39 of the financial statement.

Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning and Outgo

In accordance with the provisions of Section 134(3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars relating to Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo are given in **Annexure-I** to this Report.

Corporate Governance Report

Separate details on Corporate Governance Report along with the Compliance Certificate on Corporate Governance are attached herewith as **Annexure-II** and form part of the Board's Report.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक) और एमएसटीसी के अन्य अधिकारीगण अपने परिवार के साथ एमएसटीसी के वार्षिक पिकनिक के दौरान

CMD, Director(Commercial) and other officials of MSTC along with their families during Annual Picnic of MSTC

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक मंडल की इस रिपोर्ट का अंश माना जाएगा।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट यहाँ अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न किया जाता है एवं निदेशक मंडल की इस रिपोर्ट का अंश माना जाएगा।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट <https://www.mstcindia.co.in/content/Shareholder.aspx> पर उपलब्ध है।

नैगमिक सामाजिक दायित्व

सामाजिक विकास के लिए कंपनी गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (नैगमिक सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 तथा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने एक सीएसआर समिति का गठन किया है, जो सरकार के दिशानिर्देशों तथा कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार कार्य करती है। कंपनी की सीएसआर नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी ने 30 मार्च 2020 को अपने सीएसआर फंड में से ₹ 5.40 मिलियन 'पीएम केयर्स फंड' में स्थानांतरित किया है जो कि इस्पात मंत्रालय के अनुरोध/निर्देश के तहत किया गया है।

कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत आवश्यक निगमित सामाजिक दायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के अनुसार श्री सौम्या ज्योति सील, (सदस्यता सं. - एफ 9766) अभ्यासरत कंपनी सचिव को वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की निर्धारित रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक V के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित का अवलोकन किया है:

कंपनी के निदेशक मंडल और समितियों के गठन के संबंध में, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक की संख्या में अभाव रहा है।

इस विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है एवं न तो बोर्ड और न ही कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार है क्योंकि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास है।

कंपनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी अर्थात् फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) की साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी बोर्ड रिपोर्ट का अंश माना जाता है एवं अनुलग्नक VI के रूप में संलग्न है। एसएफएनएल की साचिविक

Management Discussion and Analysis Report

Management Discussion and Analysis Report forms part of the Board's Report.

Business Responsibility Report

Business Responsibility Report is attached herewith as **Annexure III** and forms part of the Board's Report.

Annual Return

In compliance of Section 92 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, the Annual Return for the financial year 2020-21 is available on the Company's Website at <https://www.mstcindia.co.in/content/Shareholder.aspx>

Corporate Social Responsibility

The Company is seriously committed to social upliftment. In line with the Companies Act, 2013, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 & DPE guidelines, the Company has constituted a CSR Committee which functions as per the Govt. guidelines and the Company's CSR policy. The CSR Policy of the Company has been approved by the Board and is hosted on the website of the Company.

The Company has transferred ₹ 5.40 Million from its CSR fund on 30th March, 2020 to PMCARES FUND in pursuance of the appeal/directions of the Ministry of Steel.

Annual Report on Corporate Social Responsibility as required under Rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 is placed as **Annexure IV**.

Secretarial Audit

In compliance with Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, Shri Saumayo Jyoti Seal (Membership No. - F9766), Practicing Company Secretary has been appointed as the Secretarial Auditor for the year 2020-21. The Report of the Secretarial Auditor as prescribed is enclosed as **Annexure V** to this Report.

The Secretarial Auditor has made following observations;

With respect to constitution of Board of Directors of the Company and the committees thereof, there exists shortage in the number of Independent Director during the financial year under review.

In this regard it is clarified that your Company is a Govt. Company under the administrative control of Ministry of Steel and neither the Board nor the Company is empowered to appoint Independent Directors as the power to appoint Independent Director vest with Government of India as per the Government guidelines.

The Secretarial Audit Report of Company's unlisted material subsidiary i.e. Ferro Scrap Nigam Limited (FSNL) also forms part of the Board's Report and is enclosed as **Annexure VI**.

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल, टिप्पणी या अस्वीकरण संलग्न नहीं है।

लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेसर्स एस. घोष एण्ड कं. एलएलपी, सनदी लेखापाल (एफआरएन:302184ई) को वर्ष 2020-21 हेतु कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्ति किया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न है। लेखा परीक्षकों की टिप्पणी/अवलोकन पर प्रबंधन के प्रत्युत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक VII के साथ दिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (कैग) के मत

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अनुसरण में कंपनी के वार्षिक लेखों पर कैग के मत निदेशक मंडल की रिपोर्ट का भाग माना जाएगा।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड की सात बैठकें हुईं। वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या का विवरण निगम अभिशासन रिपोर्ट का भाग माना जाता है।

निदेशकों की अयोग्यता

अधिनियम की धारा 164(2) एवं कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 14(1) के अनुसार, सभी निदेशकों ने सूचित किया है कि वे निदेशक होने की किसी भी अयोग्यता से मुक्त हैं।

निदेशकों द्वारा हित की सूचना

अधिनियम की धारा 184(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 9(1) एवं सेबी के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसरण में, सभी निदेशकों ने हित की सूचना प्रदान की है।

बोर्ड की समितियाँ

एमएसटीसी ने बोर्ड की चार समितियों अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति और हित धारक संबंध समिति का गठन किया है। इनका विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं एवं इसके अंतर्गत बने नियमों के साथ पठित अनुसार एवं सेबी (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुसार कंपनी के पास बोर्ड स्तर की लेखा परीक्षा समिति है, जिसके बारे में विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अलावा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है जब निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 135(1) के अनुपालन में, कंपनी ने अध्यक्ष के रूप में डॉ. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्यगण के रूप में श्री अवधेश कुमार चौधरी, सरकारी

The Secretarial Audit Report of FSNL does not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer.

Auditors

Pursuant to Section 139 of the Companies Act, 2013, the Comptroller and Auditor General of India, has appointed M/s. S Ghose & Co LLP Chartered Accountants (FRN: 302184E), as Statutory Auditors of the Company for the year 2020-21. The report of the Auditors is attached to the Financial Statements of the Company. Management replies on the comments/observations of the Auditors are placed as Annexure VII to the Board's Report.

Comments by the Comptroller and Auditor General of India (CAG)

The comments of the CAG on the Annual Accounts of the Company in terms of Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013, shall be deemed as part of the Board's Report.

Number of Meetings of the Board

The Board met seven times during the financial year 2020-21. The details of number of meetings of the Board of Directors held during the year 2020-21 form a part of the Corporate Governance Report.

Disqualification of Directors

Pursuant to Section 164(2) of the Act and Rule 14(1) of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, all the Directors have intimated that, they stand free from any disqualification from being a Director.

Notice of Interest by the Directors

Pursuant to Section 184(1) of the Act, Rule 9(1) of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and applicable provisions of SEBI, all the Directors have given Notice of Interest.

Committees of the Board

MSTC has constituted four committees of the Board viz., Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and Stakeholders Relationship Committee, details of which are provided in the Corporate Governance Report.

Audit Committee

The Company has in place a board level Audit Committee, in terms of the requirements of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and Regulation 18 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details in respect of which are given in the Corporate Governance Report. Further, there has been no instance where the Board of Directors has not accepted the recommendation of Audit Committee.

Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

In compliance of Section 135(1) of the Act, read with Rule 5 of the Companies (CSR Policy) Rules 2014, the Company had constituted the CSR Committee of the Board with Smt. Aparna Chaturvedi, Independent Director as Chairman, Shri

नामित निदेशक और श्री सुब्रत सरकार, निदेशक (वित्त) के साथ बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन किया था।

सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम

फेरो स्कैप निगम लिमिटेड

फेरो स्कैप निगम लिमिटेड कंपनी की 100% सहायक कंपनी है। दो वर्षों का प्रचालन परिणाम नीचे दिया गया है:

(₹ मिलियन में)

विवरण	2020-21	2019-20
कुल राजस्व	3,649.69	4,098.96
कर पूर्व लाभ / (हानि)	320.65	460.17
कर पश्चात लाभ / (हानि)	227.50	305.76

कंपनी (लेखा) नियम के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) के अनुपालन में फॉर्म एओसी-1 में सहायक कंपनी के संबंध में विस्तृत सूचना अनुलग्नक VIII के रूप में वार्षिक रिपोर्ट का अंश माना जाएगा।

महिन्द्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्रा. लि.

एमएसटीसी ने महिन्द्रा इंटरट्रेड लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम अनुबंध (जेवीए) किया एवं एक संयुक्त उद्यम कंपनी “महिन्द्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्रा. लि.” का गठन किया। रीसाइक्लिंग प्रचालनों से कंपनी के उत्पादन को मार्केट में अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी को ₹ 98.77 मिलियन की आय हुई है जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा ₹ 58.32 मिलियन था। एमएसटीसी ने इस जेवी के जरिये नोएडा, चेन्नई और पुणे में भी भारत के सर्वप्रथम अधिकृत डिस्मैटलिंग एवं कलेक्शन सेन्टर की स्थापना की एवं चार और कलेक्शन एवं डिस्मैटलिंग सेन्टरों की स्थापना की योजना है।

समेकित वित्तीय परिणाम

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार, आपकी कंपनी ने समूह, इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है।

समेकित वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है:

(₹ मिलियन में)

विवरण	2020-21	2019-20
कर पूर्व लाभ / (हानि)	1,358.84	1,667.43
कर	229.25	697.29
कर पश्चात लाभ	1,129.59	970.15
प्रदत्त पूंजी (इक्विटी)	704.00	704.00
आरक्षित निधि	4,875.53	4,035.23
कर पूर्व लाभ प्रति कर्मचारी	4.06	4.85
प्रति शेयर अर्जन (₹)	16.05	13.78
(अंकित मूल्य ₹ 10/-)		

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन एवं वचनबद्धताएँ, यदि कोई है

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन एवं वचनबद्धताएँ नहीं हैं जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष एवं बोर्ड की रिपोर्ट

Awadhesh Kumar Choudhary, Govt. Nominee Director and Shri Subrata Sarkar, Director (Finance) as members.

Subsidiary Company and Joint Venture

Ferro Scrap Nigam Limited

Ferro Scrap Nigam Limited is the 100% Subsidiary of the Company. The Operational result are given:

(₹ in Million)

Particulars	2020-21	2019-20
Total Revenue	3,649.69	4,098.96
Profit/(Loss) Before Tax	320.65	460.17
Profit/(Loss) After Tax	227.50	305.76

The detailed information relating to the subsidiary Company in form AOC-1 in compliance with Section 129(3) of the Companies Act, read with Rule 5 of Companies (Accounts) Rules forms part of Annual Report as **Annexure VIII**.

Mahindra MSTC Recycling Pvt. Ltd

MSTC had entered into JVA with Mahindra Intertrade Limited and formed a Joint Venture Company “Mahindra MSTC Recycling Pvt. Ltd.”. MSTC through this JV, has set up India's first authorised Collection and Dismantling centre at Greater Noida, Chennai and Pune and also intends to set up four more Collection & Dismantling centres. The Company's output from the recycling operations was well received by the market. During the year ended 31st March 2021, the Company earned an Income of ₹ 98.77 Million as against a figure of ₹58.32 Million in previous year.

Consolidated Financial Results

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, your Company has prepared the Consolidated Financial Statement for the group, including its subsidiary and joint venture.

The Summary of Consolidated Financial Results are as follows:

(₹ in Million)

Particulars	2020-21	2019-20
Profit (Loss) before tax	1,358.84	1,667.43
Tax	229.25	697.29
Profit after tax	1,129.59	970.15
Paid up capital (Equity)	704.00	704.00
Reserves	4,875.53	4,035.23
PBT Per Employee	4.06	4.85
Earnings per share (₹)	16.05	13.78
(Face value ₹10/-)		

Material Changes and Commitments, if any, affecting the Financial Position of the Company

There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Company that have occurred between the close of the financial year ended 31st March,

की तिथि के बीच घटी हैं।

नियामकों, अदालतों एवं न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश का विवरण

नियामकों, अदालतों एवं न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण एवं भौतिक आदेश पारित नहीं हुआ है, जो चालू संस्था की वस्तुस्थिति एवं भविष्य में कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करें।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों एवं इसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत शामिल ऋण, गारंटी एवं निवेश के विवरण वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में दिए गए हैं।

सार्वजनिक जमा

आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

डीपीई अनुदेशों एवं नीतियों का अनुपालन

लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों एवं नीतियों का यथा पालन आपकी कंपनी द्वारा किया गया है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

आपकी कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास निर्धारित नीतियों के अनुपालन में इसके व्यवसाय के कुशल संचालन, इसकी परिसंपत्तियों की सलामती, धोखाधड़ी एवं त्रुटि की रोकथाम एवं पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता तथा यथा समय विश्वसनीय वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था है जो कंपनी के प्रचालनों के अनुरूप है।

मेसर्स निरुपम एण्ड एसोशिएट्स, मेसर्स बिश्वास दास गुप्ता एण्ड राय और मेसर्स पी. के. चोपड़ा एण्ड कं. वर्ष के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक थे एवं उनकी रिपोर्ट नियमित अंतराल पर प्रबंधन के समक्ष रखी जाती है और महत्वपूर्ण मसलों का सारबद्ध विवरण लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

सिस्टम्स

एमएसटीसी की आईटी संरचना विश्व के 1,50,000 से अधिक ग्राहकों के लिए देश में अत्याधुनिक और गतिशील ई-कॉमर्स सेवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से करने में सक्षम है।

एमएसटीसी का आईटी विभाग शक्तिशाली आरआईएससी आधारित आईबीएम पावर सीरीज सर्वर से सुसज्जित है, यह अधिक प्रोसेसिंग पावर की क्षमता रखता है और दस हजार से अधिक समवर्ती उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान कर सकता है। यह सर्वर ऊर्जा के स्तर पर काफी सक्षम है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी एवं ये सर्वर हमारे हितधारकों मसलन प्रिंसिपल, बोलीदाताओं एवं अन्य उपयोगकर्ताओं को अनवरत सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्तता व उच्च उपलब्धता डिजास्टर रिकवरी पद्धति के साथ संचालन में हैं।

कोलकाता डाटा सेंटर के तर्ज पर समान रूप से मुंबई डिजास्टर रिकवरी साइट की भी स्थापना की गई है।

2021 and the date of Board's Report.

Details of Significant and material order passed by the Regulators, Courts and Tribunals

No significant and material order has been passed by the Regulators, Courts and Tribunal impacting the going concern status and the Company's operation in future.

Particulars of Loans, Guarantees or Investments

Details of Loan, Guarantees and Investments covered under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013 and Rules made there under are given in the notes to the financial statements.

Public Deposits

Your company has not accepted any deposits under the Companies Act, 2013 during the financial year ended 31st March, 2021.

Compliance with DPE Guidelines and Policies

The guidelines and policies issued by the Department of Public Enterprise from time to time are duly complied with by the Company.

Compliance with Secretarial Standards

Your Company complies with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

Internal Financial Controls

Your Company has put in place adequate internal financial controls for ensuring the efficient conduct of its business in adherence with laid-down policies; the safeguarding of its assets; the prevention and detection of frauds and errors; the accuracy and completeness of the accounting records; and the timely preparation of reliable financial information, which is commensurate with the operations of the Company.

M/s. Nirupam and Associates, M/s Biswas Das Gupta and Roy and M/s P.K Chopra and Co. were the Internal Auditor of the Company for the year and their reports are put up to the management at regular intervals and summarized statement of important issues are placed before the Audit Committee.

Systems

MSTC's IT infrastructure is by far the most sophisticated and robust in the country to take up ecommerce services in a secure and transparent manner for more than 1,50,000 clients across the globe.

MSTC's IT Department is equipped with the powerful RISC based IBM Power Series Servers having robust processing power and can serve more than ten thousand of concurrent hits. The servers are highly energy efficient leading to saving of power and these servers are in operation with redundancy & high availability disaster recovery mode for providing uninterrupted services to our stakeholders like Principals, Bidders & other users.

Mumbai Disaster Recovery site is also having a similar set up as in Kolkata Data Center.

एमएसटीसी सूचना सुरक्षा मसलों के प्रति सचेत है। अधिकतम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न ओईएम नेक्स्ट जेनरेशन फायरवॉल, इंटरनल प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस), मैनेज्ड डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (एमडीडीओएस), एसएसएल आदि की स्थापना करके सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी है।

अत्यावश्यक सुरक्षा विशेषता 'राइट वन्स मीडिया' जो गैर-संपदानयोग्य हस्तक्षेपरहित मीडिया पर लेखा-परीक्षा प्रभावों को अभिगृहीत करती है, यह एमएसटीसी की ई-कॉमर्स पद्धति की खास विशेषता रही है।

एसएसएल एन्क्रिप्शन

एसएसएल (सिक्योर सॉकेट लेयर) वेब सर्वर एवं क्लाइंट एंड ब्राउजर के बीच एक इन्क्रिप्टेड लिंक (कूटयुक्त संबंध) स्थापित करने के लिए एक मानक सुरक्षा तकनीक है। यह लिंक वेब सर्वर एवं ब्राउजरों के बीच आदान-प्रदान होने वाले सभी आंकड़ों को असार्वजनिक एवं मौलिक रखने की सुनिश्चितता प्रदान करती है। हमलोगों ने अपने वेब सर्वर में टीएलएस 1.2 एवं अधिक के लागू किए जाने के साथ 256 बिट एसएसएल कार्यान्वित किया है।

सभी नेटवर्क उपकरणों मसलन, राउटर्स एवं स्वीच सिस्को/चेकपॉइंट से हैं और यह आईपीवी 6 में जाने के लिए पूर्णतः तैयार है। सुरक्षा यंत्र जैसे फायरवॉल एवं आईपीएस अनधिकृत अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए लगाया गया है।

पिरिऑडिकल अप्लिकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग एसटीक्यूसी, भारत सरकार के एक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। एमएसटीसी एसटीक्यूसी द्वारा अतिक्रमण, जोखिम तथा प्रदर्शन जांच के जरिए समयावधि सुरक्षा सुनिश्चित करती है। एमएसटीसी अपना व्यावसायिक परिचालन पूर्ण समर्पित 155.52 एमबीपीएस आईएलएल के जरिए करती है एवं डेटा सिंक्रोनाइजेशन (संकलन) के लिए डीसी एवं डीआर के बीच पॉइंट-टू-पॉइंट (पी2पी) कनेक्टिविटी के साथ है एवं भिन्न प्रदाता से गृहित एक अतिरिक्त आईएलएल कनेक्टिविटी भी है।

एमएसटीसी ने ई-टेंडरिंग, ई-रिवर्स ऑक्शन, एल-1 मैचिंग के साथ ई-रिवर्स ऑक्शन एवं अन्य मॉडल के साथ एक आंतरिक ब्राउजर स्वतंत्र ई-प्रोक्योरमेंट विकसित किया है। सामान्य वित्तीय नियमों, सीवीसी दिशा-निर्देशों, आईटी अधिनियम 2000 एवं इसके वर्ष 2008 के संशोधन इस ई-प्रोक्योरमेंट एप्लिकेशन में शामिल किए गए हैं तथा उक्त सेवा को एसटीक्यूसी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

एमएसटीसी सर्वर कोलकाता में वर्ष भर अनवरत कार्यशील है। सिस्टम विभाग योग्यताप्राप्त पेशेवरों से सुसज्जित है, जो कि लगातार अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण के साथ अपनी दक्षता को उन्नत करते रहते हैं।

एमएसटीसी का सिस्टम विभाग एसटीक्यूसी द्वारा आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित है।

एमएसटीसी का ई-कॉमर्स विभाग भी आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता से प्रमाणित है।

एमएसटीसी ई-कॉमर्स सीएमएमआई लेवल-3 डेव को मूल्यांकित किया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

1. स्पेक्ट्रम ऑक्शंस पर एमएसटीसी ई-बोली पोर्टल को एसटीक्यूसी कोलकाता द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसमें सभी परीक्षण जैसे कि कार्यात्मक परीक्षण, सीवीसी एवं आईटी अधिनियम अनुपालन लेखापरीक्षा, वेब एप्लिकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, कार्य निष्पादन परीक्षण, वलनरेबिलिटी असेसमेंट एवं पेनिट्रेशन टेस्टिंग शामिल है एवं प्रमाणपत्र दिनांक 24 जुलाई 2022 तक वैध है।

MSTC is concerned with information security issues and has left no stone unturned to achieve maximum security by installing different OEM Next Generation Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), Managed Distributed Denial of Service (MDDoS), SSL etc.

The much needed security features 'Write Once Media' which captures the Audit trails on a non-editable tamperproof media, has been the hallmark of MSTC's e-Commerce system.

SSL Encryption

SSL (Secure Sockets Layer) is the standard security technology for establishing an encrypted link between a web server and a client end browser. This link ensures that all data passed between the web server and browsers remain private and integral. We have implemented 256-bit SSL in our web server with enforcement of TLS 1.2 & above.

All network equipment like routers, switches are from CISCO/CHECKPOINT and are totally ready for IPv6 migration. Security Appliances like Firewalls, IPS are in place to prevent unauthorized intrusion with latest signatures.

Periodical Application Security Testing is conducted by STQC, a Govt. of India Department. MSTC ensures security through periodical penetration, vulnerability & performance testing by STQC. MSTC conducts its business through a dedicated 155.52 MBPS ILL and also has a standby ILL connectivity taken from a different provider and with a point-to-point(P2P) connectivity between DC & DR for data synchronization.

MSTC has developed an in-house browser independent e-Procurement solution with e-tendering, e-reverse auction, e-reverse auction with L1 matching and many other models. General Financial Rules, CVC guidelines, IT Act 2000 and its Amendment of 2008 have been adhered to in this e-Procurement application and the said service has been certified by STQC.

MSTC server in Kolkata is manned round-the-clock throughout the year. The Systems dept. is well equipped with qualified professionals whose skills are continuously upgraded with training on latest technology.

MSTC's System Department is ISO 27001:2013 certified by STQC.

MSTC e-Commerce division is also ISO 9001:2015 Quality certified.

MSTC e-Commerce System is appraised to CMMI Level-3 Dev.

Developments of Information Technology during 2020-21

1. MSTC e-Bidding Portal on Spectrum Auctions is certified by STQC Kolkata that included all the testing like Functional testing, CVC and IT Act compliance Audit, Web Application Security Testing, Performance Testing, Vulnerability Assessment & Penetration Testing and the certificate is valid till 24th July, 2022.

2. दो स्तरों पर दो विभिन्न ओईएम चेकपॉइंट एवं सिस्को नेक्स्ट जेनरेशन फायरवॉल द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
3. मानकों के अनुसार आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन का भी प्रबंध किया गया है एवं यह प्रमाणपत्र 09 दिसम्बर 2023 तक वैध है।
4. सीएमएमआई लेवल 3 में एमएसटीसी सिस्टम विभाग का मूल्यांकन किया गया। यह 18 सितंबर 2022 तक वैध है एवं इसके वर्शन का नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है।
5. डेटा से जुड़े कार्यकलापों के बेहतर प्रबंधन एवं निगरानी के लिए इम्पर्वा राइट-वन्स मैनेजमेंट डिवाइस (नए डिवाइस द्वारा ईओएल डिवाइस को बदला गया) की व्यवस्था की गई है।
6. हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट www.mstcindia.co.in की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 256 बिट सिम्योर्ड सॉकेट लेयर का कार्यान्वयन किया गया एवं इस साइट को एसटीक्यूसी से जीआईडीडब्ल्यू के अनुसार अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है एवं 04 फरवरी 2022 तक वैध है।
7. राजस्थान राज्य उत्पाद शुल्क विभाग लिकर शॉप लीजिंग नीलामी के लिए जरूरतानुसार निर्मित ई-कॉमर्स समाधान विकसित किया गया है एवं प्रसारित किया गया है जहाँ बड़े पैमाने पर भागीदारी एवं दर-वृद्धि देखी गई है।
8. वर्ष 2020-21 में, एमएसटीसी ने अपने पोर्टल के माध्यम से 52,716 नीलामी/गतिविधियों का निष्पादन किया था, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 46,535 था, कोविड-19 महामारी के कारण इस संख्या में आगे बढ़ोतरी नहीं हो सकी थी।
9. एमएसटीसी की आंतरिक जावा टीम ने वाणिज्यिक खनन के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन पोर्टल, सीसीआई कॉटन/बेलन/एक्सपोर्ट ई-ऑक्शन पोर्टल, कोल ब्लॉक ऑक्शन पोर्टल, साथ में एचएसआईआईडीसी ई-ऑक्शन पोर्टल, आईटी टीडीएस कार्यान्वयन, डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित एएल/डीओ राजस्थान लिकर शॉप लाइसेंसिंग ई-ऑक्शन पोर्टल, मेघालय कोल स्कीम कार्यान्वयन आदि जैसे कई जरूरत अनुसार निर्मित समाधानों का विकास एवं कार्यान्वयन किया है।
10. एमएसटीसी के निजी संगठन की डॉटनेट टीम ने कई जरूरत अनुसार निर्मित समाधानों का विकास एवं कार्यान्वयन किया है जैसे कि लादे गये वाहनों का वजन करने एवं इसी अनुसार बिल तैयार करने के लिए एचएसआईआईडीसी सॉफ्टवेयर, ई-ऑफिस एप्लिकेशन, रिएक्ट नेटिव में विकसित जैविक खेती मोबाइल एप (पहले यह वहां था, परन्तु वेब व्यू पर आधारित था), एमएसटीसी ई-ऑक्शन एप, आंतरिक एप तक पहुँचने के लिए सिंगल साइन ऑन एवं डैश बोर्ड आदि।
11. वर्ष 2020-21 में एमएसटीसी ई-कॉमर्स पर सेवा प्रसार के रूप में परिचालनों से ₹ 2,027.80 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 1,831.40 मिलियन) का आय की है।
12. वर्ष 2020-21 के दौरान, ई-कॉमर्स में प्रिंसिपलों के साथ 40 अदद नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया गए।
13. वर्ष 2020-21 के दौरान, एमएसटीसी ने नए विशेषताओं से युक्त विशेष रूप से कस्टमाइज्ड पोर्टल के विकास के माध्यम से ₹ 73.50 मिलियन की आय की है।
14. वर्ष 2020-21 के दौरान, एमएसटीसी ने वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए क्यूसीबीएस आधारित क्रय के साथ समाधान प्रदान करने के लिए प्रिंसिपलों के साथ 5 अदद नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
2. Security is in place by two different OEM Checkpoint & CISCO Next Generation Firewall at two levels.
3. ISO 9001:2015 certification is also maintained as per standards and this certificate is valid up to 9th December, 2023.
4. MSTC Systems division is CMMI Level 3 appraised. The same is valid up to 18th September, 2022 and version upgradation is under process.
5. Imperva Write-once management device (EOL device replaced with new device) is in place for better management & monitoring of activities related to data.
6. Security of our corporate website www.mstcindia.co.in was enhanced by implementing 256 bit Secured Socket Layer and this site has received compliance certification as per GIGW from STQC and is valid till 04th February, 2022.
7. Customized e-Commerce solution for Rajasthan State Excise Department Liquor shop Leasing auction has been developed and made live where huge participation and rate hike is seen in a big way.
8. In 2020-21, MSTC had executed 52,716 no. of Auctions/ events through its portal as compared to previous year figure of 46,535 which could not be increased further due to COVID-19 pandemic.
9. MSTC In-house Java Team developed and implemented many customized ecommerce solutions like Spectrum auction portal, CCI Cotton Bales/Export e-auction portal, Coal Block Auction portal for Commercial Mining, HSIIDC e-auction portal, IT TDS implementation, Digitally signed AL/DO, Rajasthan Liquor Shop Licencing e-auction portal, Meghalaya Coal Scheme implementation etc.
10. MSTC In-house dotnet Team developed and implemented many customized solutions like HSIIDC Software to weigh the loaded vehicles and generate bills accordingly, E-Office application, Jaivikkheti Mobile App developed in REACT NATIVE (Earlier it was there but it was based on web view), MSTC eAuction App, Single Sign On and dash board for accessing the Internal Apps etc.
11. In FY 2020-21, MSTC has generated revenue from operations from service charges on e-Commerce to the tune of ₹ 2,027.80 million (previous year ₹1,831.40 million).
12. 40 nos. of new agreements were signed with Principals during FY 2020-21 in e-Commerce.
13. During FY 2020-21, MSTC has generated ₹ 73.50 million revenue through development of Customised Portal with new features.
14. In FY 2020-21, MSTC has signed 5 nos. of new Agreements with Principals for providing solution with QCBS based procurement for goods and services.

15. एमएसटीसी अपने ऑक्शन पोर्टल में मूल्य वर्धित सेवा के रूप में दिनांक 19 फरवरी 2021 से डेटा एनालिटिक टूल्स का कार्यान्वयन किया है।
16. वर्ष 2020-21 में, एमएसटीसी ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय किया है और ऐसे क्रय का प्रतिशत वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए कुल क्रय का 34.10% है।

एमओयू का निष्पादन

वर्ष 2020-21 के लिए निष्पादन मानदंड एवं लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 23 नवम्बर, 2020 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सचिव (इस्पात मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया। कंपनी के एमओयू का लक्ष्य साल दर साल ज्यादा चुनौतियों एवं मुश्किलों से भरा रहा है। हालांकि, कंपनी अपनी पिछली सभी उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अपने कार्य-निष्पादन को निरंतर नई ऊँचाइयों पर पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निष्पादन का दर्जा मूल्यांकन के अधीन है।

मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.)

एमएसटीसी लिमिटेड ने अपने मानव संसाधन को हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना है। व्यवसाय के परिमाण में वृद्धि आने एवं कंपनी से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने के साथ-साथ कार्यपालक संवर्ग एवं कनिष्ठ कम्प्यूटर सहायक पद दोनों के प्रवेश स्तर पर नियुक्तियों की गई हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्यक्ष नियुक्ति के माध्यम से हमारी कंपनी से कुल 06 (छः) व्यक्ति जुड़े हैं।

चूँकि हम जन अभिमुखी कंपनी हैं, इसलिए प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों का विकास एचआर कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कंपनी में उच्च स्तरीय भूमिका निभाने के लिए दक्षता निर्माण पर जोर दिया गया। कंपनी ने क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास के लिए विभिन्न विषय-वस्तुओं पर भारत में सेन्टर्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 12 (बारह) अधिकारियों को अब तक प्रशिक्षण दिया है एवं 04 (चार) और व्यक्तियों को नामांकित किया है। संगठन में कर्मचारियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने एवं समझ-बूझ, सहयोग, टीम भावना एवं नेतृत्व की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की विषय वस्तु चुने गए थे। अभी तक 119 कार्यपालकों को एवं 50 अन्य को नामित किया गया है जिनकी क्षमता विकास के लिए संगठन में ही प्रशिक्षण दिया गया था।

कमजोर वर्गों का कल्याण

सरकार की नीतियों एवं कार्य-प्रक्रियाओं के अनुसरण में एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी आवेदकों के लिए आरक्षण, रियायत, छूट आदि के संबंध में समय-समय पर जारी अध्यक्षीय दिशा-निर्देश का यथा पालन किया गया था। कमजोर वर्गों के संबंध में उनकी नियुक्ति एवं पदोन्नति की विषयवस्तुओं से जुड़े दिशा-निर्देशों का संपूर्ण रूप से पालन किया गया था। वर्ष के दौरान गठित सभी विभागीय प्रोत्साहन समिति एवं चयन समिति (नियुक्ति के मामले में) में एससी/एसटी समुदाय के प्रतिनिधि थे। वर्ष के दौरान नियुक्त हुए 06 (छः) व्यक्तियों में से क्रमशः 01 (एक) व्यक्ति ओबीसी का था।

वर्ष के दौरान कंपनी के 8 एसटी, 16 एससी, 30 ओबीसी और 4 पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को आंतरिक एवं संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया

15. MSTC has implemented Data Analytic Tools with effect from 19th February, 2021 as value added service to its auction portal.
16. In FY 2020-21, MSTC has procured goods and services through GeM portal and such procurement percentage comes to 34.10% of total procurement made during the FY 2019-20.

MOU PERFORMANCE

The Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of India setting performance parameters and targets for the year 2020-21 was signed by Chairman and Managing Director of the Company and Secretary (Ministry of Steel), Govt. of India, on 23rd November, 2020. MoU targets for the Company continue to be more challenging and tougher over the years. However, the Company has been continuously striving to achieve new heights in terms of performance numbers surpassing all previous achievements. The performance rating for the financial year 2020-21 is under evaluation.

Human Resource Development (HRD)

MSTC Limited has always considered its human resource as the most important resource. With the increase in volume of business and employees retiring from the Company, recruitment has been undertaken at the entry level of both executive cadre and Junior Computer Assistant posts. Total of 06 (six) persons have joined our company through direct recruitment during the year 2020-21.

Since we are a people oriented company, development of employees through training has been an important area of HR activities. Emphasis was laid on competency building of employees for higher roles in the Company. The company has trained 12 (twelve) executives so far and 04 (four) more have been nominated in various training programs held by Centers of excellence in India on topics for capability enhancement and skill development. The topics for training were chosen to promote overall development and to foster understanding, collaboration, teamwork and leadership qualities amongst the employees in the organization. Further 119 executives so far and 50 more have been nominated, were trained in-house for development of their capabilities.

Welfare of Weaker Sections

The Presidential Directives issued from time to time in regard to reservation, relaxation, concession, etc. for the SC/ST/OBC/PWD candidates pertaining to the policies and procedures of the Government were duly observed. The directives in matters concerning recruitment and promotion regarding the weaker sections have been duly complied with. All Departmental Promotion Committees and Selection Committees (in case of recruitment) constituted during the year had representatives of SC/ST community. Out of 06 (six) no. of persons recruited during the year, 01 (one) person belonged to OBC category.

During the year, 8 ST, 16 SC, 30 OBC and 4 PWD employee of the Company, were sponsored for in-house and Institutional training programmes. In addition, all possible cooperation

गया था। इसके अलावा, एमएसटीसी एससी/एसटी कर्मचारी परिषद को सभी सहयोग एवं सहायता दी गई थी जो कंपनी कर्मचारियों के आरक्षित वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कार्य करता है।

नारी सशक्तिकरण

एमएसटीसी वुमेन इन पब्लिक सेक्टर (डब्ल्यूआईपीएस) मंच का एक आजीवन नैगमिक सदस्य है एवं महिला कर्मचारियों को डब्ल्यूआईपीएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नामित किया गया था। एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत कमिटियों का गठन किया गया है जो सफलतापूर्वक काम करती हैं। सावधिक बैठक के अलावा कमिटियों द्वारा शिकायत निवारण, जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि का भी विधिवत परिचालन किया जाता है।

कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण)

अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कार्यस्थल में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण हेतु एमएसटीसी ने कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक तंत्र की स्थापना की है। कंपनी की सभी महिला कर्मचारियों की शिकायत, यदि कोई है, पर आवश्यक सहायता प्रदान करने एवं निपटाने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, आउटसोर्स, प्रशिक्षु आदि) इस नीति के अंतर्गत शामिल हैं। कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

क) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या : शून्य

ख) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या : उपलब्ध नहीं

ग) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लम्बित शिकायतों की संख्या : शून्य

and assistance was provided to the MSTC SC/ST Employees' Council, which function primarily to safeguard the interest of the reserved section of employees of the Company.

Empowerment of Women

MSTC is a Corporate Life Member of Forum of Women in Public Sector (WIPS) and women employees were nominated in the programs organized by WIPS. Internal Complaints Committees constituted in all the offices of MSTC have been functioning successfully. Periodical meetings and Complaint redressal, awareness programs, etc. are also duly conducted by the Committees.

Disclosure under Section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

MSTC has in place a mechanism for prevention and redressal of sexual harassment of women employees at the workplace, in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Internal Complaints Committees (ICCs) have been set up in all the offices of the Company for rendering necessary assistance to and dealing with complaints, if any, of all the women employees of the Company. All employees (permanent, outsourced, trainees etc.) are covered under this policy. Workshop are held with an objective to create awareness among the employees.

(a) Number of Complaints filed during the financial year 2020-21 : Nil

(b) Number of complaints disposed off during the financial year 2020-21 : NA

(c) Number of Complaints pending as on end of the financial year 2020-21 : Nil



अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक), निदेशक (वित्त) एवं सीवीओ और अन्य कार्मिकगण सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शपथ लेते हुए

CMD, Director (Commercial), Director (Finance) and CVO with other officials, taking pledge during observation of Vigilance Awareness Week



श्री फगन सिंह कुलस्ते, माननीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री एमएसटीसी के अधिकारियों के साथ

Shri Faggan Singh Kulaste, Honble Minister of State for Steel and Rural Development with the officials of MSTC

दिनांक 31-03-2021 को एमएसटीसी के कार्यबल के आंकड़े

	प्र. का	ईआरओ	पटना	रांची	गुवाहाटी	एनआरओ	देहरादून	रायपुर	जयपुर	चंडीगढ़	डब्लूआरओ	नागपुर	एसआरओ	बंगलोर	तिरुवनंतपुरम	वाइजैग	अमरावती	भोपाल	वडोदरा	हैदराबाद	भुवनेश्वर	लखनऊ	कुल
कार्यपालक	92*	9	2	4	4	16	0	6	7	8	15	1	9	10	9	7	0	7	10	7	5	8	236
गैर कार्यपालक	30	7	0	1	0	9	0	1	1	0	12	0	5	7	3	10	0	1	7	3	0	2	99

* एमएमआरपीएल में तैनात किये गए

MANPOWER STATISTICS OF MSTC AS ON 31-03-2021

	HO	ERO	PATNA	RANCHI	GUWAHATI	NRO	DEHRADUN	RAIPUR	JAIPUR	CHANDIGARH	WRO	NAGPUR	SRO	BANGALORE	TRIVANDRUM	VIZAG	AMRAVATI	BHOPAL	VADODARA	HYDERABAD	BHUBANESWAR	LUCKNOW	TOTAL
EX	92*	9	2	4	4	16	0	6	7	8	15	1	9	10	9	7	0	7	10	7	5	8	236
NEX	30	7	0	1	0	9	0	1	1	0	12	0	5	7	3	10	0	1	7	3	0	2	99

*Posted in MMRPL.

31-03-2021 को अनु. जाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग की स्थिति

समूह	कुल	अनु. जाति (%)	अनु. जनजाति (%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (%)	दिव्यांग (%)
क	236	34(14.40)	16(6.77)	59(25.00)	8(3.38)
ख	5	2(40.00)	शून्य	शून्य	शून्य
ग	88	18(20.45)	3(3.40)	23(26.13)	2(2.27)
घ	6	2(33.33)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	335	56(16.71)	19(5.67)	82(24.47)	10(2.98)

SC/ST/OBC/PHYSICALLY HANDICAPPED STATUS AS ON 31-03-2021

GROUP	TOTAL	SC(%)	ST(%)	OBC(%)	PHYSICALLY HANDICAPPED (%)
A	236	34(14.40)	16(6.77)	59(25.00)	8(3.38)
B	5	2(40.00)	NIL	NIL	NIL
C	88	18(20.45)	3(3.40)	23(26.13)	2(2.27)
D	6	2(33.33)	NIL	NIL	NIL
TOTAL	335	56(16.71)	19(5.67)	82(24.47)	10(2.98)

31-03-2021 को पुरुष / महिला कर्मिक की स्थिति MALE/FEMALE EMPLOYEES AS ON 31-03-2021

समूह Groups	पुरुष Male	महिला Female	कुल Total
कार्यपालक EX	195	41	236
गैर-कार्यपालक NEX	82	17	99
कुल TOTAL	277	58	335

शिकायत निवारण तंत्र

आपकी कंपनी जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ प्रदान करती है। क्षेत्रीय एवं कार्यालयों में कुल 8 (आठ) प्रकोष्ठ हैं एवं प्रधान कार्यालय में एक नोडल अधिकारी एवं जन शिकायत अधिकारी हैं। कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। एमएसटीसी ने जनशिकायतों की ऑनलाइन प्राप्ति एवं निपटान हेतु केन्द्रीकृत जनशिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को भी कार्यान्वित किया है ताकि शिकायतों को तुरंत वर्गीकृत किया जा सके एवं मामलों के निपटान के लिए कदम उठाया जा सके। कुछ शिकायतें डाक द्वारा भी प्राप्त की जाती हैं। बाहर से एवं संगठन के कर्मचारी से प्राप्त शिकायतों को समाधान एवं निवारण के लिए कदम उठाया जाता है।

इन प्रकोष्ठों के अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत समिति भी है। शिकायतों की जाँच-परख एवं संबंधित विभाग/क्षेत्र/शाखा से मत प्राप्त करने के बाद शिकायत समिति अपनी सलाह देती है। मामलों की समीक्षा हेतु समय-समय पर शिकायत समिति बैठक करती है। कंपनी की केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) और जन शिकायत साइट की नियमित रूप से निगरानी प्रधान कार्यालय द्वारा की जाती है। जन शिकायत निवारण पर रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाता है।

01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि की जन शिकायतों का विवरण

01.04.2020 को बकाया शिकायतें	2020-21 में दाखिल शिकायतें	2020-21 में निवारण की गई शिकायतें	31.03.2021 को बकाया शिकायतें
02	30	29	03

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आपकी कंपनी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रारंभ किए गए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के साथ संगठित किया है एवं पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदन/निवेदन का निपटान पोर्टल यथा <https://rtionline.gov.in> के माध्यम से किया गया।

आरटीआई आवेदन के प्रक्रियाकरण एवं एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में प्राप्त निवेदन के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। कंपनी के विभिन्न स्थानों में प्राप्त आरटीआई आवेदनों के प्रभावी प्रक्रियाकरण के लिए एमएसटीसी, प्रधान कार्यालय में एक पारदर्शी अधिकारी, एक प्रथम अपील प्रार्थी अधिकारी, एक सीपीआईओ, एक नोडल अधिकारी एवं प्रत्येक क्षेत्र/शाखा में एक पीआईओ है।

सभी तिमाही रिपोर्ट सीआईसी साइट पर ऑनलाइन अपलोड की गई हैं। 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान कुल 88 आरटीआई आवेदन ऑनलाइन एवं डाक के माध्यम से भी प्राप्त हुए हैं। कुल 23 प्रथम अपील (निवेदन) प्राप्त हुई हैं। इनमें से 84 आरटीआई आवेदन एवं 19 प्रथम अपील का निपटान किया जा चुका है। शेष आरटीआई आवेदन/निवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

राजभाषा

कंपनी की सभी इकाइयों में राजभाषा के प्रचार एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लगातार प्रचार किए जा रहे हैं एवं इस विषय में की गई प्रगति की लगातार समीक्षा

Grievance Redressal Mechanism

Your Company is providing Public Grievance Redressal Cells. There are total 8 (eight) cells in regions and branches of the organisation and there are a Nodal Officer and a Public Grievance officer in the Head Office. There is facility of online registration for lodging grievance on the Company's website www.mstcindia.co.in. MSTC has also implemented Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System (CPGRAMS) for online receipt and disposal of public grievances, so that grievance can be sorted out immediately and to take action to solve the cases. Some grievances are also received by post. Action is taken to address and redress grievances received from outside and from staff of the organisation.

Apart from the cells, a Grievance Committee is also constituted at Head Office. The Grievance Committee makes recommendations after examination of the grievances and comments obtained from the concerned department/region/branch. The Grievance Committee meets at periodic intervals to review the cases. The Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System (CPGRAMS) and Public Grievance site of the Company are monitored regularly by the Head Office. Report on Public Grievance Redressal is sent to the Administrative Ministry.

Statement of Public Grievances for the period of 01.04.2020 to 31.03.2021

Grievances outstanding as on 01.04.2020	Grievances registered in 2020-21	Grievances redressed in 2020-21	Grievances outstanding as on 31.03.2021
02	30	29	03

Right to Information Act 2005

Your Company has aligned with the online RTI portal launched by DoPT and all the applications / appeals received through the portal have been disposed off through the portal, namely <https://rtionline.gov.in>.

Provisions of RTI Act 2005 were complied with for processing the RTI applications and appeals received in all offices of MSTC. There is one Transparency Officer, one First Appellate Authority, one CPIO, one Nodal Officer in MSTC, Head office and every region/branch has one PIO for effectively processing the RTI applications received at various locations of the Company.

All quarterly reports have been uploaded online on CIC site. During 1st April, 2020 to 31st March, 2021, a total 88 RTI applications have been received through online and by post. A total of 23 First Appeals have been received. Out of the above, 84 RTI Applications and 19 First Appeals have been disposed of. The remaining RTI applications/appeals are under process.

Official Language

Continuous efforts are being made for publicity and effective implementation of official language in all the units

एवं निगरानी की जा रही है। वित्त वर्ष के दौरान राजभाषा निगरानी समिति का गठन किया गया है।

राजभाषा के प्रचार हेतु प्रयास: आपकी कंपनी में राजभाषा के इस्तेमाल का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की गई हैं

क) हिंदी कम्प्यूटर कार्यशाला

ख) हिंदी के प्रयोग का प्रचार करने के लिए ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर का विकास

ग) संगठन में हिंदी का प्रशिक्षण

घ) नए जुड़े अधिकारियों/पर्यवेक्षकों के लिए प्रेरणात्मक कार्यक्रम

ङ) विविध प्रोत्साहक योजनाओं का कार्यान्वयन

नराकास द्वारा दिनांक 26.08.2020 को आयोजित छमाही ई-मीटिंग में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने हिस्सा लिया एवं नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिकारियों ने पूरे उत्साह से हिस्सा लिया था।

अखिल भारतीय एमएसटीसी कार्यालयों में “ई-राजभाषा त्रिमास-2020” का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में 114 इनाम थे।

राजभाषा पुरस्कार:

एमएसटीसी ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार पाया है।

कंपनी ने राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु संसदीय राजभाषा समिति से भी प्रशंसा पाई है।

सतर्कता की स्थापना

सतर्कता को सावधान रहने एवं चौकन्ना रहने के रूप में परिभाषित किया जाता है। सावधान एवं सतर्क रहते हुए संगठन में भ्रष्टाचार मुक्त पर्यावरण सुनिश्चित करना सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी है। एमएसटीसी के पास मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में एक पूर्ण व्याप्त सतर्कता तंत्र है एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए सीवीओ की नियुक्ति की गई है। सीवीओ एवं सतर्कता तंत्र राष्ट्र की सबसे बड़ी सांविधिक भ्रष्टाचार-रोधी निकाय, सीवीसी के विस्तारित अंश के रूप में कार्य करता है। सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित विषयवस्तुओं पर संगठन एवं राज्य सरकार एवं प्रशासनिक मंत्रालय की अन्य भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसियों जैसे कि सीबीआई, भ्रष्टाचार-रोधी शाखाओं (एसीबी) के बीच एक संयोजन के रूप में कार्य करता है।

सतर्कता कार्य मुख्य रूप से प्रबंधन का कार्य है एवं जाँच-पड़ताल का हिस्सा है जो संगठन के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार की लड़ाई को मुख्यतः दो मोर्चों पर निर्वाह करता है - निवारक एवं दंडात्मक इसमें शामिल है अनियमितताओं का अनुसंधान, इन अनियमितताओं के लिए कारणों का विश्लेषण एवं अवगति और इन्हें रोकने के लिए प्रभावी एवं सिलसिलेवार सुधार लाना।

of the company and the progress made in this regard is being continuously reviewed and monitored. Official Language Monitoring Committee has been reconstituted during the financial year.

Efforts to Promote Use of Official Language: In order to promote use of Official Language in your Company, the following activities had been undertaken:

(a) Hindi Computer Workshops;

(b) Development of e-office software to promote use of Hindi

(c) In-House Hindi Training;

(d) Induction Programme for newly joined Officers/ Supervisors;

(e) Implementation of various incentive schemes.

Chairman and Managing Director participated in the half yearly e-meeting organized by Narakas on 26th August, 2020 and Officials also enthusiastically participated in various competitions organized by Narakas.

"E-Rajbhasha Trimas-2020" was organized online among all India MSTC offices. During this period Hindi competitions and workshops were organized in Head Office, Regional and Branch Offices. It had 114 prizes in various Hindi competitions.

Rajbhasha Award:

MSTC has received the first award in corporate office category for the best performance in the field of official language implementation.

Company has also received appreciation for implementation of official language from the Parliamentary Official Language Committee.

Vigilance Setup

Vigilance is defined as watchfulness and alertness. Being watchful & alert and thereby ensuring a corruption free environment in the organization is the responsibility of the Vigilance department. MSTC Ltd is having a full-fledged Vigilance setup headed by the Chief Vigilance Officer (CVO), who is appointed for a fixed tenure by the Central Government with the approval of Central Vigilance Commission (CVC). The CVO and the vigilance setup functions as the extended arm of CVC, the apex statutory anticorruption body of the Nation. The Vigilance department also acts as a link between the organisation and other anti-corruption agencies like CBI, Anti-Corruption Branches (ACB) of State Governments and Administrative Ministry etc. on vigilance related matters.

Vigilance function essentially is a management function and is part of the checks that are required for healthy growth of the organization. Vigilance department takes up the anti-corruption fight mainly on two fronts - Preventive & Punitive. It includes detecting irregularities, analysing and finding out reasons for such irregularities and making effective systemic improvements to curb them.

वर्ष 2020-21 के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा सरप्राइज जाँच समेत 19 निरीक्षण किए गए थे। 86 संपत्ति वापसियों की जाँच की गई एवं 48 लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जाँच-पड़ताल की गई। एमएसटीसी में 46 शिकायतें प्राप्त हुईं, 41 शिकायतों को निपटारा किया गया। 03 शिकायतों को विस्तृत जाँच-पड़ताल के लिए लिया गया (शिकायतों से 02 एवं फाइलों की जाँच से 01)। इंडक्शन लेवल पर 32 कर्मचारियों एवं मिड कैरियर लेवल पर 71 कर्मचारियों को लेते हुए 04 निवारक सतर्कता प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन किया गया। 01 विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया, कर्मचारियों के संवेदीकरण के लिए कार्यशालाओं एवं सतर्कता अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया। इसके अलावा, 03 विभागीय पृष्ठताल शुरू की गई। बोर्ड स्तर से नीचे के 04 अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई। इस प्रकार के निरीक्षण/जाँच-परीक्षण से विभिन्न प्रणाली सुधार उपायों को अमल में लाया जा सका।

प्रणालीवार संस्थानिक परिवर्तनों का कार्यान्वयन किया गया;

- ◆ एपीआर की प्राप्ति/ अभिरक्षण हेतु प्रक्रिया में मानकीकरण
- ◆ लघु/बड़े दंडात्मक मामलों में प्रत्यायुक्त अधिकारों-अनुशासनिक प्राधिकरण की सूची से संबंधित सीडीए नियम
- ◆ सचेतक नीति / सतर्कता तंत्र
- ◆ सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाने से संबंधित बोलीदाता/ विक्रेता के लॉग इन को ओटीपी आधारित किया जाना
- ◆ निम्नोक्त पर आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना (i) बकाया देनदारों का अनुसरण रखने (ii) निधियों / लेखों का मिलान करने एवं यथोचित समय में समायोजन करने (iii) अस्थायी अग्रिमों को निपटारे और (iv) प्रक्रिया के स्वतंत्र किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित समीक्षा के एक और स्तर के व्यवस्थापन एवं अनुमोदन का कार्यान्वयन किया गया है।
- ◆ इन्वाइसिंग (प्रारूप III), ऑनलाइन मेडिकल बिल जमा करने एवं प्रतिपूर्ति में आईटी का लाभ लेना।

सतर्कता द्वारा प्रणालियों में कुछ अन्य सुधार लाने की सलाह दी गई है, जो प्रबंधन के विचाराधीन है।

एमएसटीसी के सभी कार्यालयों में दिनांक 27 अक्टूबर 2020 से 02 नवंबर 2020 तक "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" (Vigilant India, Prosperous India) विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 का पालन किया गया। इसके प्रचार अभियान में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के पालन पर सीवीसी दिशानिर्देशों में सूचित आंतरिक कार्यकलाप किये गये थे। विभिन्न गतिविधियों जैसे कि शपथ ग्रहण, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध रचना, स्लोगन लेखन, क्विज वक्तृत्व प्रतियोगिताएँ, प्रसिद्ध वक्ता द्वारा व्याख्यान, विक्रेता सम्मेलन, ग्राहक शिकायत निवारण शिविर आदि का आयोजन किया गया था जिससे कि भागीदार कर्मचारियों, उनके आश्रितों एवं अन्य हितधारकों में सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। सचेतक पर विशेष मैगजीन एवं पैम्फलेट और अन्य भ्रष्टाचार विरोधी उपाय इस अवसर पर अपनाए गये थे। विशेष सतर्कता मैगजीन का दूसरा संस्करण, जाग्रत को भी इस अवधि के दौरान पेश किया गया।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल, वर्ष के दौरान कंपनी को दिए गए मूल्यवान सहयोग एवं मार्ग दर्शन के लिए माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री, माननीय इस्पात राज्य मंत्री, सचिव (इस्पात),

During the year 2020-21, 19 inspections were carried out by Vigilance including surprise checks. 86 Property Returns were scrutinized and 48 Audit Reports examined. 46 Complaints received in MSTC; 41 Complaints disposed. 03 taken up for detailed Investigation (02 from complaints and 01 from scrutiny of files). 04 Preventive Vigilance Training Module organized covering 32 employees at induction level and 71 employees at mid career level, 01 vendor meet organized, 03 Workshops were held for sensitization of employees as well as refresher courses for Vigilance Officers. Besides, 03 Departmental Inquiries initiated. Punitive action initiated against 04 below board level officials. Such examinations/investigations have resulted into initiation of various system improvement measures.

Systemic Institutional changes implemented;

- ◆ Standardization in the process for receipt/custody of APR.
- ◆ CDA rule pertaining to schedule of delegated powers-Disciplinary Authority in Minor /Major penalty cases.
- ◆ Whistleblower policy /vigil mechanism.
- ◆ OTP based login of the bidder's/seller's login augmenting the security aspects.
- ◆ Strengthening of internal controls on (i) pursuance of outstanding debtors; (ii) reconciliation of funds/ accounts and adjustments in timely manner; (iii) settlement of temporary advances and (iv) maintaining another level of review and approval performed by an individual independent of the process has been implemented.
- ◆ Leveraging of IT in invoicing (Format III), online medical bill submission and reimbursement.

Some other System Improvements have been suggested by vigilance which are under consideration of management.

Vigilance Awareness Week – 2020 was observed with the theme "Vigilant India, Prosperous India" (सतर्क भारत, समृद्ध भारत) in all offices of MSTC w.e.f 27th October, 2020 to 2nd November, 2020. Internal (housekeeping) activities as indicated in the CVC guidelines on the observance of VAW was taken up in campaign mode. Various activities viz; Pledge taking, poster competition, Essay writing, Slogan writing, Quiz, Elocution Competitions, Lecture by an eminent speaker, Vendors meet, Customer grievance redressal camp etc organized to create awareness about vigilance involving the participation of employees, their dependents and other stakeholders. A special magazine and pamphlet on whistleblower and other anti-corruption measures has been brought out on the occasion. Second edition of special vigilance magazine, named Jaagrut, was also brought out during the period.

Acknowledgement

The Board of Directors wish to place on record their gratitude to the Hon'ble Union Minister for Steel, Hon'ble

अपर सचिव एवं एफए (इस्पात) एवं इस्पात मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, नागरिक एवं विमानन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं विभिन्न अन्य केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों, बैंकों, हमारे प्रिंसिपलों एवं अन्य लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण अपने सभी हितधारकों, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के प्रति साल-दर-साल कंपनी के प्रति दिखाए गए भरोसे एवं विश्वास के लिए उनके आभारी हैं।

निदेशकगण कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं एवं इस महामारी से लड़ने में अपने जीवन एवं अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आभारी हैं एवं सम्मान प्रकट कर रहे हैं।

आपके निदेशकगण, कर्मचारियों की लगनशीलता और परिश्रम की भी हार्दिक सराहना करते हैं, जिसकी बदौलत कंपनी का उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन सुनिश्चित हुआ है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से



स्थान : कोलकाता

तिथि : 25 जून, 2021

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन : 08643406]

Minister of State for Steel, Secretary (Steel), Additional Secretary and FA (Steel), and other officials of the Ministry of Steel, Defence Ministry, Coal Ministry, Mining Ministry, Civil Aviation, Petroleum, Natural Gas Ministry and various other Central Government Ministries, all State Governments, various Central and State public sector undertakings, private companies, the bankers, our principals and others for their valuable assistance and guidance extended to the Company during the year. The Directors express their gratitude to all stakeholders, customers and suppliers for the trust and confidence reposed by them on your Company year after year.

The Directors mourn the loss of life due to COVID-19 pandemic and are deeply grateful and have immense respect for every person who risked their life and safety to fight this pandemic.

Your Directors also place on record the appreciation of the sincere efforts made by employees which has resulted in excellent performance of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors



Place : Kolkata

Date : June 25, 2021

(Surinder Kumar Gupta)

Chairman and Managing Director

[DIN : 08643406]



नराकास द्वारा प्रदान किया गया प्रशस्ति फलक
Commendation Plaque provided by Narakas



अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (वित्त)
31 अक्टूबर, 2020 को स्वर्गीय वल्लभभाई पटेल की जयंती को
'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाते हुए

CMD, Director (Commercial) and Director (Finance), Observation of Birth Anniversary of Late Sardar Vallabhbhai Patel as 'Rashtriya Ekta Diwas' (National Unity Day) on 31st October, 2020

अनुलग्नक : I

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समाविष्टि, विदेशी विनियम आय एवं खर्चों का विवरण।

क. ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समाविष्टि

कंपनी ने अपने सर्वर को नवीनतम आईबीएम पावर सीरीज सर्वर से उन्नत किया है, जिसमें काफी कम मात्रा में विद्युत की खपत होती है एवं ऊर्जा का संरक्षण होता है। सूचना प्रौद्योगिकी उन्मुखी कंपनी होने के नाते, तकनीकी सुधार एमएसटीसी में एक नियमित प्रक्रिया है तथा आपकी कंपनी द्वारा इस लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल किया गया है।

ख. विदेशी मुद्रा आय एवं खर्च

वर्ष 2019-20 के ₹ 201.25 मिलियन की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान सामानों एवं अन्य के आयात हेतु कुल विदेशी मुद्रा व्यय शून्य था। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान विगत वर्ष 2019-20 की तरह ही कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं किया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से



स्थान : कोलकाता

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)

तिथि : 25 जून, 2021

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन : 08643406]

Annexure: I

Particulars of conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo as per Section 134 of the Companies Act, 2013, as read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

A. Conservation of Energy and Technology Absorption

The Company has upgraded its Server to the latest IBM Power Series Server which consumes much less electrical power and conserves energy. Being IT oriented Company, technological upgradation is a continuous process in MSTC and has been fully achieved by your Company.

B. Foreign Exchange Earnings & Outgo

The total foreign exchange outgo during the year 2020-21 for import of goods and others was Nil as against ₹201.25 Million in the year 2019-20. The Company has no foreign exchange earnings during the year 2020-21 as well as in the previous year i.e. 2019-20.

For and on behalf of the Board of Directors



Place : Kolkata

Date : June 25, 2021

(Surinder Kumar Gupta)

Chairman and Managing Director

[DIN : 08643406]

अनुलग्नक : II

निगमित अभिशासन रिपोर्ट

निगमित अभिशासन का तात्पर्य है कि किस तरह से कंपनी संचालित है, जो सुनिश्चित करे कि इसके सभी हितधारक अपनी आय और परिसंपत्तियों में उचित हिस्सा पा सकें। अच्छे निगमित शासन का अर्थ है कि कानूनी, नैतिक एवं पारदर्शी तरीके से व्यवसाय को चलाने में कंपनी की वचनबद्धता - एक ऐसी निष्ठा एवं भावना जो एकदम ऊपरी स्तर से शुरू हो एवं पूरे संगठन में व्याप्त रहे। एक अच्छा निगमित शासन केवल विश्वसनीयता एवं भरोसे के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि विकास, संपोषण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीतिक प्रबंधन के अंश के रूप में भी जरूरी है। निगमित शासन स्टॉक मार्केट में विश्वास स्थापित करने में मदद करता है और इस प्रकार एक संपूर्ण आर्थिक परिवेश में सहयोग मिलता है एवं निवेश/निवेशक के लिए आकर्षक परिवेश प्राप्त होता है।

निगमित अभिशासन पर एमएसटीसी की धारणा

कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रभावशाली निगमित अभिशासन के अभ्यास आपकी कंपनी के बुनियादी प्रबंधन सिद्धांत रहे हैं।

Annexure: II

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

Corporate Governance implies the way in which a company is managed to ensure that all of its stakeholders get their fair share in its earnings and assets. Good corporate governance involves the commitment of a company to run its businesses in a legal, ethical and transparent manner - a dedication that must come from the very top and permeate throughout the organization. Good corporate governance is necessary, not only in order to gain credibility and trust, but also as a part of strategic management for growth, sustenance and consolidation. Corporate governance helps to enforce confidence in the stock market and thereby in the economic environment as a whole, creating an attractive environment for investment/investor.

Corporate Governance Philosophy of MSTC

Effective corporate governance practices to provide for an environment in achieving the objectives of the Company have been the basic management philosophy of your Company.

हितधारकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन पर जताए गए भरोसे को बरकरार रखने के उद्देश्य से एमएसटीसी अपने प्रबंधन के हर स्तर पर पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के लिए संपूर्ण प्रयत्नशील रहता है।

एमएसटीसी व्यवसाय के दौरान उच्च मूल्य मानदंड, मूल्य प्रतिबद्धता, पारदर्शिता तथा वाणिज्यिक संविदाओं के बीच उचित तत्परता एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के अनुसरण की अभिलाषा रखता है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन एवं श्रेणी

एमएसटीसी के बोर्ड में कार्यपालक (पूर्णकालिक निदेशकगण) एवं गैर-कार्यपालक निदेशकगण (जिसमें स्वतंत्र निदेशकगण एवं सरकारी नामित निदेशकगण) शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके पास अर्थव्यवस्था, प्रशासन आदि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

31 मार्च, 2021 के अनुसार, एमएसटीसी के निदेशक मंडल में 6 निदेशक हैं जिनमें 3 कार्यपालक निदेशकगण (पूर्णकालिक निदेशक) एवं 3 गैर-कार्यपालक निदेशकगण शामिल हैं, जिनमें से 1 स्वतंत्र निदेशक एवं 2 सरकार के नामित निदेशकगण हैं। निदेशक मंडल में 3 महिला निदेशकगण हैं। सेबी एलओडीआर, 2015 में निर्धारित कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल के प्रमुख कौशल/सक्षमता की निम्नलिखित सूची को चिह्नित किया है।

- ◆ कार्यपालक नेतृत्व
- ◆ अभिशासन अनुभव
- ◆ रणनीति / जोखिम प्रबंधन
- ◆ वित्तीय कुशाग्रता
- ◆ सचिवीय / डोमेन ज्ञान
- ◆ विपणन जानकारी
- ◆ नीति मूल्यांकन एवं संस्कृति विकास



अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, निदेशक (वित्त), अन्य अधिकारियों के साथ 'संविधान दिवस' के अवसर पर
CMD, Director (Finance) with other officials during 'Constitution Day'

All our efforts are made for transparency and integrity at all levels of management in order to retain confidence reposed in its management by the stakeholders.

MSTC aspires to follow high ethical standards, commitment to values while doing business, maintain transparency, conduct due diligence in commercial contracts and follows best governing practices.

BOARD OF DIRECTORS

Composition & Category of Board of Directors

The Board of MSTC comprises of Executive (Whole Time Directors) and Non Executive Directors (which includes Independent Directors and Government Nominee Directors). Independent Directors are eminent persons having vast experience in the field of finance, economics, administration etc.

As on 31st March, 2021, the Board of MSTC comprises of 6 Directors which includes 3 Executive Directors (Whole- Time Directors) and 3 Non – Executive Directors, out of which 1 is Independent Director and 2 are Government Nominee Directors. The Board Comprises of 3 Women Directors. As stipulated by SEBI LODR, 2015 the Nomination and Remuneration Committee of the company and Board of Directors has identified following list of core skills/ competencies of the Board of Directors

- ◆ Executive Leadership
- ◆ Governance Experience
- ◆ Strategy/Risk management
- ◆ Financial Acumen
- ◆ Sectorial/Domain Knowledge
- ◆ Marketing Knowledge
- ◆ Policy Evaluation and Culture Building



कंपनी सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमएसटीसी की 55वीं वार्षिक साधारण बैठक के दौरान शेयरधारकों के प्रश्नों का जवाब देते हुए
Company Secretary addressing shareholders queries during 55th AGM of MSTC through Video Conferencing

यहाँ तालिका में बोर्ड के सदस्यों के पास वास्तव में उपलब्ध प्रमुख कौशल /दक्षताओं को दर्शाया गया है जो निम्नानुसार है :
The chart showing core skills/competencies actually available with the board members are as follows:

कौशल एवं इसका विवरण Skills & its Description	सुरेंद्र कुमार गुप्ता Surinder Kumar Gupta	भानु कुमार Bhanu Kumar	सुब्रत सरकार Subrata Sarkar	रुचिका चौधरी गोविल Ruchika Chaudhry Govil	अवधेश चौधरी Awadhes Kr. Choudhary	अपर्णा चतुर्वेदी Aparna Chaturvedi
बड़े उद्यम को चलाने में नेतृत्व का अनुभव Leadership Experience of running large enterprise	✓	✓	✓	✓	✓	✓
नियामक परिप्रेक्ष्य के बदलाव को समझने में अभिशासन अनुभव Governance Experience understanding of the changing regulatory landscape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
व्यवसाय की कार्यनीतियों एवं जोखिम प्रबंधन तैयार करने का अनुभव Experience of crafting Business Strategies and Risk Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓
वित्त एवं लेखांकन अनुभव Finance and Accounting Experience	✓	✓	✓	✓	✓	✓
विविध परिस्थितियों एवं दशाओं में ग्राहक एवं उपभोक्ता की अंतरदृष्टि को समझना Understanding of Consumer and Customer Insights in diverse environments and conditions	✓	✓	✓	X	X	✓
ई-कॉमर्स की कार्यप्रणाली के निरीक्षण एवं उद्योग में डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का अनुभव Experience in overseeing ecommerce functioning and use of Digital Technology across industry	✓	✓	✓	X	X	X
नीति मूल्यांकन एवं संस्कृति विकास के निरीक्षण में अनुभव Experience in overseeing Policy Evaluation and Culture Building	✓	✓	✓	✓	✓	✓



निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक) एमएसटीसी के वार्षिक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान
Director(Finance) and Director (Commercial) during the Annual Social Programme of MSTC



संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिल्ली कार्यालय के निरीक्षण के दौरान राजभाषा प्रदर्शनी
Official language exhibition during the inspection of Delhi office by Parliamentary Committee on Official Language

निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

The Composition of Board of Directors are as follows:

निदेशक का नाम Name of Director	श्रेणी Category	31.03.2021को भारत में निगमित अन्य कंपनियों में निदेशक पद एवं समिति पदों की सं. No. of Directorships and Committee Positions in other companies incorporated in India as on 31.03.2021			कंपनी में धारित शेयरों की सं. No. of Shares held in the Company
		निदेशक पद Directorship	समितियों के सदस्य ** Member of the committees**	समितियों की अध्यक्षता** Chairmanship of the committee **	
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता Shri Surinder Kumar Gupta	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	2	-	-	160*
श्रीमती भानु कुमार Smt. Bhanu Kumar	पूर्णकालिक निदेशक (वाणिज्यिक) Whole Time Director (Commercial)	1	-	-	160*
श्री सुब्रत सरकार Shri Subrata Sarkar	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) Whole Time Director (Finance)	1	-	-	160*
श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल Smt. Ruchika Chaudhry Govil	सरकारी नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) Government Nominee Director (Non Executive)	1	-	-	शून्य / NIL
श्री अवधेश कुमार चौधरी (02.07.2020 से) Shri Awadhesh Kumar Choudhary (w.e.f. 02.07.2020)	सरकारी नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) Government Nominee Director (Non Executive)	-	-	-	160*
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी Smt. Aparna Chaturvedi	गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक Non Executive & Independent Director	4	2	2	शून्य / NIL
डॉ. प्रमोदिता सतीश (02.07.2020 तक) Dr. Promodita Sathish (upto 02.07.2020)	सरकारी नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) Government Nominee Director (Non Executive)	-	-	-	शून्य / NIL
श्री गंगाराम अलोरिया (05.09.2020 तक) Shri Gangaram Aloria (upto 05.09.2020)	गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक Non Executive & Independent Director	-	-	-	शून्य / NIL
डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन (05.09.2020 तक) Dr. T.V.Muralivallabhan (upto 05.09.2020)	गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक Non Executive & Independent Director	-	-	-	शून्य / NIL
डॉ. आर. एस. येली (08.03.2021 तक) Dr. R.S. Yeli (upto 08.03.2021)	गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक Non Executive & Independent Director	-	-	-	शून्य / NIL

टिप्पणी:

* भारत के राष्ट्रपति के नामिनी के रूप में निदेशकगण शेयर धारित किए हुए हैं।

** सूचीकरण विनियमों के विनियम 26 के अनुसार सभी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में लेखा परीक्षा समिति एवं हितधारक संबंध समिति में केवल सदस्यता एवं अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

Notes:

* Shares are held by directors as Nominee of the President of India.

** In accordance with Regulation 26 of the Listing Regulations, Membership(s) / Chairmanship(s) of only Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee in all Public Limited companies have been considered.

बोर्ड की बैठक

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान बोर्ड की 7 (सात) बैठकों का आयोजन 29 जून, 2020, 17 अगस्त, 2020, 03 सितम्बर, 2020, 09 नवम्बर, 2020, 11 दिसम्बर, 2020, 11 फरवरी 2021 और 20 मार्च, 2021 को किया गया। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं था।

वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों द्वारा उपस्थित बोर्ड बैठक की संख्या समेत बोर्ड के गठन एवं संबंधित विषय-वस्तुओं के संबंध में सूचीयन नियमनों की अनुसूची V के अधीन प्रकट किये जाने के लिए अपेक्षित सूचना, 31 मार्च, 2021 को अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति एवं विविध कंपनियों में अन्य निदेशक पद की संख्या नीचे तालिका में दी गई है।

Board Meetings

During the Financial Year under review, 7 (seven) Meetings of the Board were held on 29th June, 2020, 17th August, 2020, 03rd September, 2020, 09th November, 2020, 11th December, 2020, 11th February, 2021 and 20th March, 2021. The maximum gap between two meetings did not exceed 120 days.

The information as required to be disclosed under Schedule V of the Listing Regulations, pertaining to Composition of Board and related matters including number of Board Meetings attended by Directors during the year 2020-21, attendance at the last Annual General Meeting by them and the number of other Directorship in various companies as of 31st March, 2021 are tabulated below:-

निदेशक का नाम Name of Director	श्रेणी Category	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की सं. No of Meetings held during Tenure	बैठक में निदेशकों की उपस्थिति Attendance by Directors in Meetings	क्या 25.09.2020 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थित हुए Whether attended last AGM held on 25.09.2020	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की सं. No. of Directorships in other Companies
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता Shri Surinder Kumar Gupta	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	7	7	हाँ Yes	2
श्रीमती भानु कुमार Smt. Bhanu Kumar	पूर्णकालिक निदेशक (वाणिज्यिक) Whole Time Director (Commercial)	7	7	हाँ Yes	1
श्री सुब्रत सरकार Shri Subrata Sarkar	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) Whole Time Director (Finance)	7	7	हाँ Yes	1
श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल Smt. Ruchika Chaudhry Govil	सरकारी नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) Government Nominee Director (Non Executive)	7	6	नहीं No	1
श्री अवधेश कुमार चौधरी (02.07.2020) Shri Awadhesh Kumar Choudhary (02.07.2020)	सरकारी नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) Government Nominee Director (Non Executive)	6	5	हाँ Yes	-
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी Smt. Aparna Chaturvedi	गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक Non Executive & Independent Director	7	7	हाँ Yes	4
डॉ. प्रमोदिता सतीश (02.07.2020 तक) Dr. Promodita Sathish (upto 02.07.2020)	सरकारी नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक) Government Nominee Director (Non Executive)	1	-	-	-
श्री गंगाराम अलोरिया (05.09.2020 तक) Shri Gangaram Aloria (upto 05.09.2020)	गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक Non Executive & Independent Director	3	3	-	-
डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन (05.09.2020 तक) Dr. T.V.Muralivallabhan (upto 05.09.2020)	गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक Non Executive & Independent Director	3	3	-	-
डॉ. आर. एस. येली (08.03.2021 तक) Dr. R.S. Yeli (upto 08.03.2021)	गैर-कार्यपालक एवं स्वतंत्र निदेशक Non Executive & Independent Director	6	5	हाँ Yes	-

टिप्पणी :

1. डॉ. प्रमोदिता सतीश दिनांक 02 जुलाई, 2020 से सरकारी नामित निदेशक नहीं रहे हैं, श्री गंगाराम अलोरिया और डॉ. टी. वी. मुरली वल्लभन दिनांक 05 सितंबर, 2020 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे हैं और डॉ. आर. एस. येली दिनांक 08 मार्च, 2021 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे हैं।
2. श्री अवधेश कुमार चौधरी को दिनांक 02 जुलाई, 2020 से सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया था।
3. कोई भी निदेशक सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों के सदस्य या 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं, जिसमें वे विनियम 26(1)(क) एवं (ख) के अनुसार निदेशक हैं।
4. निदेशकगण एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
5. कंपनी के सभी प्रयोज्य कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समय-समय पर समीक्षा करने में निदेशक मंडल को सक्षम बनाने हेतु कंपनी के पास समुचित प्रणाली है।
6. सेबी सूचीयन विनियमनों की अनुसूची II भाग ए में उल्लिखित अनुसार सूचना बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखा गया है।
7. जोखिम आकलन एवं न्यूनीकरण के बारे में निदेशक मंडल के सदस्यों को सूचित करने के लिए कंपनी के पास कार्य-प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।
8. श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, श्री सुब्रत सरकार, श्रीमती भानु कुमार एवं श्री अवधेश कुमार चौधरी जो प्रत्येक भारत के राष्ट्रपति के नामित के रूप में 160 शेयर रखे हुए हैं, को छोड़कर अन्य निदेशकों के पास कंपनी के शेयर नहीं हैं।
9. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी जो तिलक नगर इंडस्ट्रीज लि. में गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक पद रखी हुई हैं, को छोड़कर आपकी कंपनी के कोई भी निदेशक अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद को धारित नहीं किए हुए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को उनकी भूमिका, अधिकार, उत्तरदायित्व, व्यवसाय मॉडल, कंपनी द्वारा परिचालित उद्योग की प्रकृति आदि से परिचित रखने के लिए, कंपनी ने विभिन्न परिचय कार्यक्रमों का संचालन किया है।

परिचित कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in में दिया गया है।

आगामी एजीएम में नियुक्ति एवं पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों को संक्षिप्त जानकारी

श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल

श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल, उम्र पचपन (55) वर्ष एक सरकारी नामित निदेशक हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री की है एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी उनके पास है। राजस्व और आयकर विषय वस्तुओं में उनके पास तीस (30) वर्ष से अधिक का अनुभव है। वह भारतीय राजस्व सेवा संवर्ग से है एवं पूर्व में आयकर विभाग में कार्य किया है।

बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड की समितियाँ कंपनी के अभिशासन ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं एवं कंपनी की चिंता-फिक्र से जुड़े क्षेत्र/कार्यकलापों के निष्पादन के लिए इनका गठन

Note:

1. Dr. Promodita Sathish ceased to be the Government Nominee Director w.e.f 2nd July, 2020, Shri Gangaram Aloria and Dr. T.V. Muralivallabhan ceased to be independent directors w.e.f 5th September, 2020 and Dr. R.S. Yeli ceased to be independent director w.e.f 8th March, 2021.
2. Shri Awadhesh Kumar Choudhary was appointed as Government Nominee director w.e.f 2nd July, 2020.
3. None of the directors is a member of more than 10 Committees or Chairman of more than 5 Committees, across all companies in which he/she is a director as per Regulation 26(1) (a) & (b).
4. Directors per se not related to each other.
5. The Company has proper system to enable the Board of Directors to periodically review the compliance reports of all laws applicable to the Company.
6. Information as mentioned in Schedule II Part A of the SEBI Listing Regulations has been placed before the Board for its consideration.
7. The Company also has in place, procedures to inform Members of the Board of Directors about the risk assessment and minimization.
8. Except Shri Surinder Kumar Gupta, Shri Subrata Sarkar, Smt. Bhanu Kumar and Shri Awadhesh Kumar Choudhary, who are holding 160 shares each as nominee of the President of India, no other director is holding shares in the Company.
9. Except Smt. Aparna Chaturvedi, who is holding directorship in Tilaknagar Industries Ltd. as Non Executive Independent Director, none of the directors of your company are holding directorship in other listed Company.

In order to familiarize the Independent directors with their roles, rights, responsibilities, business model, nature of Industry in which company operates, etc. the Company has conducted various familiarization programmes.

The details of the familiarization program are disclosed in the website of the company at www.mstcindia.co.in.

Brief information of Directors proposed to be appointed/reappointed at the ensuing AGM.

Smt. Ruchika Chaudhry Govil

Smt. Ruchika Chaudhry Govil, aged fifty five (55) years is a Government Nominee Director. She holds a degree of Bachelor of Laws from the University of Delhi and also holds a degree of Master of Arts in Economics from the University of Delhi. She has over thirty (30) years of experience in revenue and income tax matters. She is cadre of the Indian Revenue Services and has previously worked in the Income Tax Department.

COMMITTEES OF THE BOARD

The Board Committees plays a crucial role in the Governance Structure of the Company and have been constituted to deal

किया गया है एवं इनकी बारीक समीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। बोर्ड के औपचारिक अनुमोदन के अधीन बोर्ड की समितियों की स्थापना की जाती है, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करती हैं, जो एक अच्छे निगमित अभिशासन अभ्यास के अंश के तौर पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा निष्पादन करने के लिए अपेक्षित है। समितियों द्वारा इनकी जिम्मेदारियों के निष्पादन को बोर्ड निरीक्षण करता है एवं उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। संबंधित समितियों के अध्यक्ष समिति बैठकों में हुई चर्चा का संक्षिप्त विवरण बोर्ड को सूचित करता है। सभी समितियों की बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए रखे जाते हैं।

एमएसटीसी ने बोर्ड की चार समितियों यथा लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति एवं हितधारक संबंध समिति का गठन किया है।

i) लेखा परीक्षा समिति

संदर्भ की शर्तें

लेखा परीक्षा की संदर्भ की शर्तें सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ), विनियम 2015 के विनियम 18 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अधीन लेखा परीक्षा समिति के लिए उल्लिखित विषयवस्तुओं को संरक्षित करती है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखा परीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम 2015 की अनुसूची II के पार्ट सी के अधीन निर्धारित है।

लेखा परीक्षा समिति से संबंधित निगमित अभिशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देश को भी लेखा परीक्षा समिति पालन करती है।

लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में उल्लिखित विषयवस्तुओं को संरक्षित करती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- 1) निम्नलिखित से संबंधित इसके निरीक्षण कार्यों में बोर्ड को सहयोग देना:
 - क) लेखा परीक्षित एवं अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में संलग्न प्रकटनों की गुणवत्ता एवं सत्यनिष्ठा
 - ख) कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन
 - ग) बाह्य लेखा परीक्षकों की योग्यताएँ, अनुभव, निष्पादन एवं स्वतंत्रता
 - घ) समय-समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की ईमानदारी और
 - ङ) कंपनी के निवेश
- 2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में उल्लिखित या बोर्ड द्वारा इसे संदर्भित विषय-वस्तुओं के संबंध में जाँच-पड़ताल करना एवं इस प्रयोजन के लिए इसके पास कंपनी के अभिलेखों में संलग्न सूचना को पूर्णरूप से प्राप्त करने का अधिकार होगा एवं जरूरत पड़ने पर बाह्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- 3) इसके संदर्भ की शर्तों के अंदर किसी कार्यकलाप की जाँच करना।
- 4) कर्मचारियों समेत किसी भी स्रोत से सूचना प्राप्त करना।
- 5) आवश्यकता पड़ने पर, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह लेना।

with specific areas/ activities which concern the company and need a closer review. The Board Committees are set up under the formal approval of the Board to carry clearly defined roles which are considered to be performed by the Members of the Board, as part of Good Corporate Governance practice. The Board supervises the execution of its responsibilities by the Committees and is responsible for their action. The Chairman of the respective Committees inform the Board about the summary of the discussion held in the Committee Meetings. The Minutes of the Meeting of all the Committees are placed before the Board for review.

MSTC has constituted four committees of the Board viz, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and Stakeholders Relationship Committee.

i) Audit Committee

Terms of Reference

The Terms of Reference of the Audit Committee covers the matters specified for Audit Committee under Regulation 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 as well as in section 177 of the Companies Act, 2013. In Addition, the role of Audit Committee and review of Information by Audit Committee is as prescribed under part C of Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Audit Committee also complies with the guidelines issued by DPE on Corporate Governance relating to Audit Committee.

The Terms of Reference of Audit Committee covers all matters specified in the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations, 2015 which inter-alia includes the following;

- 1) To assist the Board in its oversight functions relating to:
 - a) quality and integrity of disclosures contained in the audited and unaudited financial statements;
 - b) compliance with legal and regulatory requirements;
 - c) qualifications, experience, performance and independence of external auditors;
 - d) integrity of the internal controls established from time to time; and
 - e) Investments of the Company.
- 2) To investigate into any matter in relation to the items specified in Section 177 of the Companies Act, 2013 or referred to it by the Board and for this purpose, shall have full access to information contained in the records of the Company and seek external professional advice, if necessary.
- 3) To investigate any activity within its terms of reference.
- 4) To seek information from any source including employees.
- 5) To obtain outside legal or other professional advice, if necessary.

- 6) संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्तियों की सेवा सुनिश्चित करना, यदि ऐसा जरूरी होता है।
- 7) व्हिसल ब्लोअर (सचेतकों) को संरक्षित करना।
- 8) लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित संलग्न हैं:
 - क) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण एवं इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन, जिससे सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।
 - ख) बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए जमा देने से पहले तिमाही/छमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा
 - ग) बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए जमा देने से पहले निम्न विशेष संदर्भ के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण एवं इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा:
 - i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के खंड (3)(ग) के तहत निदेशक दायित्व विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित विषयवस्तु जो बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी;
 - ii) लेखांकन नीतियों एवं अभ्यासों में कोई बदलाव एवं इसके कारण;
 - iii) प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर आकलनों से सन्निहित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
 - iv) लेखा परीक्षकों की खोज-बीन के फलस्वरूप वित्तीय विवरणियों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - v) भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन;
 - vi) वित्तीय विवरण के संबंध में अपेक्षित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
 - vii) किसी संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटन और
 - viii) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में योग्यताएँ।

9) लेखा परीक्षा (एँ)

क) आंतरिक लेखा परीक्षा :

- प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन (वाह्य फर्म) एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक लेखा परीक्षा (निजी संगठन) कार्य यदि कोई है, की पर्याप्तता के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज एवं ऐसी लेखा परीक्षा की समीक्षा।
- महत्वपूर्ण जाँच परिणामों पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा एवं आगे की कार्यवाही।
- लेखा परीक्षा एवं अन्य सेवाओं, यदि कोई है, के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं शुल्क के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिश देना।

ख) सांविधिक लेखा परीक्षा एवं शाखा लेखा परीक्षा:

- लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में लेखा परीक्षा से पूर्व एवं लेखा

- 6) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.
- 7) To protect whistle blowers.
- 8) The role of the Audit Committee shall include the following:
 - a) Overseeing the Company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
 - b) Reviewing with the management, the quarterly / half yearly financial statements before submission to the Board for approval.
 - c) Reviewing with the management, annual financial statements and auditors report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:
 - i) Matters required to be included in the Directors' Responsibility Statement to be included in the Board's report in terms of clause (3)(c) of Section 134 of the Companies Act, 2013;
 - ii) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
 - iii) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
 - iv) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
 - v) Compliance with accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India;
 - vi) Compliance with legal requirements relating to financial statements;
 - vii) Disclosure of any related party transaction; and
 - viii) Qualifications in the draft audit report.

9) Audit(s)

a) Internal Audit:

- Reviewing, with the management, performance of internal auditors (external firms) and adequacy of internal control systems.
- Reviewing the adequacy of internal audit (in house) function, if any, including the structure of internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of such audit.
- Discussion with internal auditors on any significant findings and follow up thereon.
- Recommending to the Board appointment and fixation of fees for Internal Auditors for Audit and other services if any.

b) Statutory Audit & Branch Audit:

- Discussion with Statutory Auditors & Branch Auditors

परीक्षा के बाद की चर्चा पर सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों के साथ-चर्चा ताकि चिन्ता के विषय से अवगत हो सके।

- किसी महत्वपूर्ण जाँच परिणाम पर सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा एवं आगे की कार्यवाही करना।
- सांविधिक एवं शाखा लेखा परीक्षा शुल्क को निर्धारित करने हेतु बोर्ड को सिफारिश देना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा (लेखा परीक्षा के अलावा) के लिए भुगतान का अनुमोदन।

ग) लागत लेखा परीक्षा एवं कर लेखा परीक्षा:

लागत लेखा परीक्षकों एवं कर लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति एवं जरूरत पड़ने पर प्रतिस्थापन या बरखास्तगी तथा लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों के बारे में बोर्ड को सिफारिश देना।

- 10) लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता की समीक्षा एवं निगरानी।
- 11) लागत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के साथ इसमें संलग्न हर आरक्षण या योग्यता पर संपूर्ण जानकारी एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा और बोर्ड के पास विचार हेतु रिपोर्ट की सिफारिश करना।
- 12) स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक एवं निदेशक मंडल के मध्य संपर्क का एक खुला मार्ग प्रदान करना।
- 13) कवरेज की संपूर्णता, अनावश्यक प्रयासों की कमी एवं सभी लेखा परीक्षा संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रयासों के समन्वय को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा।
- 14) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों एवं प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार एवं समीक्षा:
 - क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों एवं सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और
 - ख) स्वतंत्र लेखा परीक्षक एवं आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित जाँच परिणामों एवं सिफारिशों के साथ प्रबंधन के प्रत्युत्तर।
- 15) प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक एवं स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार एवं समीक्षा:
 - क) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण जाँच-परिणाम के साथ पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की वस्तु-स्थिति।
 - ख) लेखा परीक्षा कार्य के दौरान उत्पन्न हुई परेशानियों के साथ कार्यकलापों की परिधि या अपेक्षित सूचना की पहुँच पर कोई प्रतिबंध।
- 16) सरकारी लेखा परीक्षा-सी एण्ड एजी लेखा परीक्षा के लेखा परीक्षा अवलोकन पर आगे की कार्यवाही की समीक्षा।
- 17) किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या प्रासंगिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता जैसी विषयवस्तु में आंतरिक लेखा परीक्षकों/सांविधिक लेखा परीक्षकों/ अन्य एजेंसियों द्वारा किसी आंतरिक जाँच-पड़ताल के परिणामों की समीक्षा एवं बोर्ड को इसके बारे में सूचना देना।
- 18) जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के गैर-भुगतान के

before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern.

- Discussion with Statutory Auditors & Branch Auditors on any significant findings and follow up thereon.
- Recommending to the Board the fixation of Statutory and Branch Audit Fees.
- Approval of payment to statutory auditors for any other services (other than audit) rendered by them.

c) Cost Audit & Tax Audit:

Recommending to the Board, the appointment, re-appointment and if required, replacement or removal of cost auditors and tax auditors and fixation of Audit fees and other terms of appointment.

- 10) Reviewing and monitoring the auditors' independence and performance and effectiveness of audit process.
- 11) Review the Cost Audit Report along with full information and explanation on every reservation or qualification contained therein and recommend the report to the Board for consideration
- 12) Provide an open avenue of communication between the independent auditor, internal auditor and the Board of Directors.
- 13) Review with the independent auditors the co-ordination of audit efforts to assure completeness of coverage, reduction of redundant efforts, and the effective use of all audit resources.
- 14) Consider and review the following with the independent auditors and management:
 - a) The adequacy of internal controls including computerized information system controls and security, and
 - b) Related findings and recommendations of the Independent auditor and internal auditor, together with the management responses.
- 15) Consider and review the following with the management, internal auditor and the independent auditor:
 - a) Significant finding during the year, including the status of previous audit recommendations.
 - b) Any difficulties encountered during audit work including any restrictions on the scope of activities or access to required information.
- 16) Government Audit- To review the follow up action on the audit observations of the C&AG Audit.
- 17) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors/statutory auditors/other agencies into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- 18) To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders,

मामले में) एवं लेनदारों को भुगतान में बड़े पैमाने पर हुई चूक के लिए कारणों की जाँच करना।

- 19) व्हिसल ब्लोअर (सचेतक) तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
- 20) संसद के लोक उपक्रम पर समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर आगे की कार्यवाहियों की समीक्षा।
- 21) हमारी कंपनी में सभी संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा एवं पूर्व-अनुमोदन। इस प्रयोजन के लिए, लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को निर्दिष्ट कर सकती है, जो पूर्व-अनुमोदन वाले संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए जिम्मेदार होगा।
- 22) कंपनी की वित्तीय नीतियों, वाणिज्यिक नीतियों एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा।
- 23) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- 24) एक मुद्दा (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफरेंशियल इश्यू आदि) के माध्यम से फंड के प्रयोग/इस्तेमाल के विवरण, प्रस्ताव कागजात/विवरणिका/सूचना में व्यक्त के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के विवरण एवं पब्लिक एवं राइट इश्यू की प्रक्रियाओं के इस्तेमाल की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट के बारे में प्रबंधन के साथ समीक्षा एवं इस विषय में आगे कदम उठाने के लिए बोर्ड के पास उपयुक्त सिफारिशें करना।
- 25) अंतर-निगमित ऋण एवं निवेश की जाँच-पड़ताल।
- 26) जहाँ भी जरूरत पड़े, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।
- 27) संबंधित पार्टी के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या तदुपरांत कोई परिवर्तन।
- 28) निम्नलिखित सूचना की समीक्षा:
 - क) वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन के परिणामों का प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण;
 - ख) पार्टी संबंधित महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण, (लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित अनुसार) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत;
 - ग) प्रबंधक पत्र / आंतरिक नियंत्रण के पत्र सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी कमजोरियाँ;
 - घ) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट;
 - ङ) आंतरिक लेखा परीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तों और
 - च) मुख्य कार्यपालक / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।
- 29) बोर्ड के पास दाखिल करने से पूर्व आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखा परीक्षा की परिधि के साथ लेखा परीक्षकों के अवलोकन एवं वित्तीय विवरण की समीक्षा के बारे में लेखा परीक्षकों का मत लेना एवं आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी संबंधित विषय पर चर्चा करना।

shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors.

- 19) To review the functioning of the Whistle Blower Mechanism.
- 20) To review the follow-up action taken on the recommendations of Committee On Public Undertakings (COPU) of the Parliament.
- 21) Review and pre-approve all related party transactions in our Company. For this purpose, the Audit Committee may designate a member who shall be responsible for pre-approving related party transactions.
- 22) Review the Company's financial policies, commercial policies and risk management policies.
- 23) Evaluation of internal financial controls and risk management system.
- 24) Reviewing with the management, the statement of uses/application of funds raised through an issue (public issue, right issue, preferential issue etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/prospectus/notice, and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilization of proceeds of a public or right issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter.
- 25) Scrutiny of inter-corporate loans and investments.
- 26) Valuation of undertakings or assets of the Company, wherever it is necessary.
- 27) Approval or any subsequent modification of transactions of the Company with related parties.
- 28) Review the following information:
 - a) The management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
 - b) Statement of significant related party transactions (as defined by the Audit Committee), submitted by the management;
 - c) Management letter / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
 - d) Internal audit reports relating to internal control weaknesses;
 - e) The appointment, removal and terms of remuneration of internal auditors/chief internal auditor; and
 - f) Certification / declaration of financial statements by the chief executive/chief finance officer.
- 29) To call for comments of the auditors about internal control systems, the scope of audit, including the observations of the auditors and review of financial statement before their submission to the Board and to discuss any related issue with the internal and statutory auditors and the management of the Company.

- 30) स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा किए गए तिमाही विवरण में किसी अंतर के लिए निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि है, की समीक्षा करना।
- 31) कंपनी द्वारा इसकी सहायक कंपनी में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10% जो भी कम हो, के निवेश से ऋण और/या अग्रिम/के साथ मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश के इस्तेमाल की समीक्षा जो 1 अप्रैल, 2020 या सेबी द्वारा निर्धारित ऐसी किसी अन्य तिथि से जैसे मामले हो, प्रभावी होगा।
- 32) ऐसे किसी अन्य कार्यों का निष्पादन जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समिति और/या निदेशक की किसी अन्य समिति को विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का गठन एवं विवरण

लेखा परीक्षा समिति में वर्तमान में तीन सदस्य हैं, जिनमें एक सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं एवं दो सदस्य सरकारी नामित निदेशक हैं। समिति के अध्यक्ष एक गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (वाणिज्यिक) लेखा परीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।

कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति में सचिव का कार्य करते हैं।

इस समिति ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 5 बार यथा 29 जून, 2020, 3 सितम्बर, 2020, 9 नवम्बर 2020, 11 फरवरी, 2021 एवं 20 मार्च, 2021 को बैठक की।

लेखा परीक्षा समिति का मौजूदा गठन एवं बैठक का विवरण एवं उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य	श्रेणी	पद	आयोजित बैठक की सं.	सदस्यों की उपस्थिति
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	5	5
श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल (09.03.2021 से)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	1	1
श्री अवधेश कुमार चौधरी (16.07.2020 से)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	4	3
श्री जी. आर अलोरिया (05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	2	2
डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन (05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
डॉ. प्रमोदिता सतीश (02.07.2020 तक)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	1	-
डॉ. आर एस येली (14.09.2020 से 08.03.2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2

- 30) Review of the quarterly statement for deviation including report of monitoring agency, if applicable submitted to Stock Exchanges.
- 31) Review the utilization of loans and/ or advances from/investment by the Company in its subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans / advances / investments which shall be effective from 1st April, 2020 or such other date as may be prescribed by SEBI, as the case may be.
- 32) Carrying out such other functions as may be specifically referred to the Committee by the Company's Board of Directors and/or other Committees of Directors.

Composition & Details of Meetings of Audit Committee

The Committee consists of three members out of which one member is Independent Director and two members are Government Nominee Directors. The Chairman of the Committee is Non-Executive Independent Director.

Director (Finance) and Director (Commercial) are the Permanent Invitees of the Audit Committee.

Company Secretary acts as Secretary to the Audit Committee.

The Committee met 5 times during the financial year ended 31st March, 2021, on 29th June, 2020, 03rd September, 2020, 09th November, 2020, 11th February, 2021 and 20th March, 2021.

The current composition of the Audit Committee and details of meeting & attendance is as follows

Members	Category	Position	No. of Meetings held	Attendance by Members
Smt.Aparna Chaturvedi	Independent Director	Chairman*	5	5
Smt. Ruchika Chaudhry Govil (w.e.f. 09.03.2021)	Government Nominee Director	Member	1	1
Shri Awadhesh Kumar Chaudhary (w.e.f. 16.07.2020)	Government Nominee Director	Member	4	3
Shri G.R. Aloria (Upto 05.09.2020)	Independent Director	Chairman*	2	2
Dr. T. V. Muralivallabhan (Upto 05.09.2020)	Independent Director	Member	2	2
Dr. Promodita Sathish (Upto 02.07.2020)	Government Nominee Director	Member	1	-
Dr. R.S.Yeli (w.e.f 14.09.2020 Upto 08.03.2021)	Independent Director	Member	2	2

* टिप्पणी:

1. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी 05.09.2020 तक लेखा परीक्षा समिति की सदस्य थी एवं 06.09.2020 से अध्यक्ष का पद ग्रहण किया।
2. श्री जी. आर. अलोरिया 05.09.2020 से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं रहे हैं।

ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

संदर्भ की शर्तें

कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, निदेशकों की नियुक्ति, अवधि एवं पारिश्रमिक भारत सरकार के द्वारा तय किये जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी के कर्मचारियों के साथ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक बोर्ड के द्वारा प्रयोज्य डीपीई दिशा-निर्देश के अनुपालन में तय किया जाता है। साथ ही निदेशकों की नियुक्ति के लिए मानदंड, निदेशक (कों) के पारिश्रमिक एवं एनआरसी से संबंधित निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में नीति पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं। सूचीयन विनियमों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसरण में सेबी से समरूप छूट की प्रत्याशा की जाती है। तथापि, एनआरसी के लिए यह अनिवार्य है कि डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन प्रदत्त सीमाओं के अंदर कंपनी के कर्मचारियों में वितरण करने के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पे पुल एवं नीति तय करे।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के लिए संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका निम्नानुसार होगी:

1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सीमाओं के अंदर कार्यपालकों (बोर्ड स्तर के कार्यपालकों समेत), गैर-कार्यपालक एवं गैर संगठित पर्यवेक्षकों में वितरण के लिए वार्षिक बोनस/ परिवर्तनीय पे पुल परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) एवं नीति तय करना।
2. एचआर मामले से संबंधित सभी प्रस्तावों की जाँच एवं अपनी सिफारिशें देना।
3. “नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति” की सिफारिशों को निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
4. भारत सरकार के दिशानिर्देश / निर्देशों के अनुसार अधिकारियों एवं गैर-कार्यपालकों के लिए अनुषंगी लाभ एवं भत्ते प्रदान करने हेतु योजनाओं का निरूपण एवं रूपांतरण।
5. एक निदेशक की योग्यताओं, सकारात्मक विशेषताओं व स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड तैयार करना एवं निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में एक नीति निदेशक मंडल को सिफारिश की जाती है।
6. स्वतंत्र निदेशकों एवं निदेशक मंडल के कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु मानदंड का निरूपण।
7. निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति निरूपित करना।
8. निर्देशित मानदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को चिह्नित करना जो निदेशक बनने की योग्यता रखते हैं एवं उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी के लिए निदेशक मंडल को सिफारिश करना।

*Note:

1. Smt Aparna Chaturvedi was member of Audit Committee upto 05.09.2020 and assumed the charge of Chairman with effect from 06.09.2020.
2. Shri G. R. Aloria ceased to be member and Chairman of Audit Committee w.e.f 05.09.2020.

ii) Nomination and Remuneration Committee

Terms of Reference

The Company, being a Government Company, the appointment, tenure and remuneration of directors are decided by the Government of India. Further, the remuneration of the employees of the Company including senior management personnel is decided by the Board in line with applicable DPE Guidelines. Further, provisions of the Companies Act, 2013 relating to criteria for appointment of Director(s), policy relating to the remuneration of Director(s) and performance evaluation pertaining to NRC shall not be applicable to Government Companies. Similar exemption is anticipated from SEBI in terms of requirements under Listing Regulations. However, it is mandatory for NRC to decide the annual Bonus/variable pay pool and policy for its distribution among the employees of the Company within the limits as provided under DPE Guidelines.

Terms of reference for the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

The role of the Nomination and Remuneration Committee shall be as follows:

1. To decide the annual bonus / variable pay pool Performance Related Pay (PRP) and policy for its distribution across the executives (including Board Level executives), non executives and non-unionized supervisors within the prescribed limits for each financial year.
2. To examine all the proposals related to HR issue and give its recommendations.
3. The recommendations of the “Nomination & Remuneration Committee” shall be placed before the Board of Directors for approval.
4. Formulation and modification of schemes for providing perks and allowances for officers and non-executives as per the guidelines/directions of the Govt. of India.
5. Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the board of directors a policy relating to the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees.
6. Formulation of criteria for evaluation of performance of independent directors and the board of directors.
7. Devising a policy on diversity of board of directors.
8. Identifying persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, and recommend to the board of directors their appointment and removal.

9. स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि में विस्तार करना या बरकरार रखना;
10. वरिष्ठ प्रबंधन को देय किसी भी रूप में सभी पारिश्रमिक के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना, जो 1 अप्रैल, 2019 से या सेबी द्वारा निर्धारित ऐसी किसी अन्य तिथि, जैसे मामले हो, से प्रभावी होगी।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन एवं बैठकों का विवरण

समिति में तीन सदस्य हैं, जिनमें एक सदस्य स्वतंत्र निदेशक है एवं दो सरकारी नामित निदेशक हैं। समिति के अध्यक्ष गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं।

कंपनी सचिव नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के लिए सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति ने पाँच बार यथा 22 जून 2020, 17 अगस्त 2020, 7 नवम्बर 2020, 05 मार्च 2021 और 20 मार्च 2021 को बैठक की।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का मौजूदा गठन एवं बैठक और उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य	श्रेणी	पद	आयोजित बैठक की सं.	सदस्यों की उपस्थिति
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (14.09.2020 से प्रभावी)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	3	3
श्री अवधेश कुमार चौधरी (16.07.2020 से प्रभावी)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	4	2
श्रीमती रुचिका चौधरी गोविल (09.03.2021 से प्रभावी)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	1	1
श्री जी. आर अलोरिया (05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	2	2
डॉ. आर. एस. येली (08.03.2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	4	3
डॉ. प्रमोदिता सतीश (02.07.2020 तक)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	1	-
डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन (05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	1

* टिप्पणी:

1. श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी 14.09.2020 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सदस्य थी एवं 09.03.2021 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्ष बनी।
2. श्री जी. आर. अलोरिया 05.09.2020 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इसके बाद डॉ. आर. एस. येली ने 06.09.2020 से 08.03.2021 तक समिति के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया।

9. Whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors.
10. Recommend to the board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management which shall be effective from 1st April, 2019 or such other date as may be prescribed by SEBI, as the case may be.

Composition and Details of Meetings of Nomination & Remuneration Committee

The Committee consists of three members out of which one members is Independent Director and two members are Government Nominee Directors. The Chairman of the Committee is Non – Executive Independent Director.

Company Secretary acts as the Secretary to the Nomination & Remuneration Committee.

The Committee met five times during the financial year 2020-21 on 22nd June, 2020, 17th August, 2020, 07th November, 2020, 05th March, 2021 and 20th March, 2021.

The current composition of the Nomination & Remuneration Committee and details of meeting & attendance is as follows:

Members	Category	Position	No. of Meetings held	Attendance by Members
Smt. Aparna Chaturvedi (w.e.f. 14.9.2020)	Independent Director	Chairman*	3	3
Shri Awadhesh Kumar Chaudhary (w.e.f. 16.07.2020)	Government Nominee Director	Member	4	2
Smt. Ruchika Chaudhry Govil (w.e.f. 09.03.2021)	Government Nominee Director	Member	1	1
Shri G.R. Aloria (upto 05.09.2020)	Independent Director	Chairman*	2	2
Dr. R.S.Yeli (upto 08.03.2021)	Independent Director	Chairman*	4	3
Dr. Promodita Sathish (upto 02.07.2020)	Government Nominee Director	Member	1	-
Dr. T.V. Muralivallabhan (upto 05.09.2020)	Independent Director	Member	2	1

*Note:

1. Smt Aparna Chaturvedi was member of Nomination and Remuneration Committee w.e.f 14.09.2020 and became Chairman of Nomination and Remuneration Committee w.e.f 09.03.2021.
2. Shri G. R. Aloria ceased to be member and Chairman of Nomination and Remuneration Committee w.e.f 05.09.2020. Thereafter Dr. R.S. Yeli assumed the charge of chairman of the committee w.e.f. 06.09.2020 till 08.03.2021.

पारिश्रमिक नीति

निदेशकों को पारिश्रमिक

एमएसटीसी लिमिटेड एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा इसके प्रशासनिक मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित निदेशक) कंपनी से कोई पारिश्रमिक आहरित नहीं करते हैं।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन एवं भारत सरकार के द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट सीमा के अंदर बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अनुसार बोर्ड की बैठक एवं इसकी समिति की बैठक के लिए ₹ 15,000/- प्रति बैठक के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ मिलियन में) (₹ in million)						
क्रम सं.	नाम	पदनाम	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) एवं (2) के अनुसार वेतन एवं परिलब्धियां	नियुक्ति उपरांत लाभ	अन्य दीर्घमियादी लाभ	कुल
Sl no.	Name	Designation	Salary and Perquisites as per Section 17(1) & (2) of the Income Tax Act, 1961	Post Employment Benefit	Other Long term Benefit	Total
1.	श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता Shri Surinder Kumar Gupta	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	4.76	0.30	0.09	5.15
2.	श्रीमती भानु कुमार Smt. Bhanu Kumar	निदेशक (वाणिज्यिक) Director (Commercial)	4.78	0.35	(0.15)	4.98
3.	श्री सुब्रत सरकार Shri Subrata Sarkar	निदेशक (वित्त) Director (Finance)	3.82	0.28	0.05	4.15

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	कुल पारिश्रमिक (₹ मिलियन में)
1.	श्री जी. आर. अलोरिया	0.10
2.	डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन	0.12
3.	डॉ. आर. एस. येली	0.20
4.	श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	0.23

iii) हितधारक संबंध समिति

संदर्भ की शर्तें

हितधारक संबंध समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

- सूचीबद्ध संस्था के प्रतिभूत धारकों की शिकायतों के साथ शेयरों के अंतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्रति, घोषित लाभांश की अप्रति, नए/अनुलिपि प्रमाणपत्रों को जारी करने, सामान्य बैठकों आदि के संबंध में शिकायतों का निराकरण।
- शेयरधारकों के मताधिकारों के प्रभावी निष्पादन के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा।

Remuneration Policy

Remuneration to the Directors

MSTC Limited being a Government Company, the terms and conditions of the appointment and remuneration of functional directors are determined by government of India through its Administrative Ministry, Ministry of Steel. Part-time official Directors (Government Nominee Directors) do not draw any remuneration from the company.

The part-time Non-Official Directors (Independent Directors) are paid a sitting fees of ₹ 15,000/- per Meeting of the Board and its Committee meetings as approved by the board within the ceiling fixed under the Companies Act, 2013 and as per the guidelines fixed by the Government of India.

The details of the remuneration paid to the Functional Directors during the financial year 2020-21 are as under:

(राशि ₹ मिलियन में) (₹ in million)		
Sl No.	Name	Total Remuneration (₹ in Million)
1.	Shri G.R. Aloria	0.10
2.	Dr. T. V. Muralivallabhan	0.12
3.	Dr. R.S. Yeli	0.20
4.	Smt. Aparna Chaturvedi	0.23

iii) Stakeholders Relationship Committee

Terms of Reference

The Terms of reference of Stakeholders Relationship Committee are as follows:

- Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by the shareholders.

3. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाए गए सेवा मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा।
4. दावारहित लाभांशों के परिमाण को कम करने के लिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा लिए गए विविध उपायों एवं पहलों की समीक्षा और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश अधिपत्र/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक सूचनाओं की यथा समय प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

हितधारक संबंध समिति की बैठक का गठन एवं उपस्थिति का विवरण:

31 मार्च 2021 की तिथि के अनुसार समिति के पास तीन सदस्य हैं, जिनमें से 1 सदस्य गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं एवं 2 सदस्य कार्यात्मक निदेशक हैं। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

कंपनी सचिव हितधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

समिति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दो बार यथा 19 दिसंबर 2020 एवं 17 फरवरी 2021 को बैठक की।

हितधारक संबंध समिति का मौजूदा गठन, बैठक और उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य	श्रेणी	पद	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	सदस्यों की उपस्थिति
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (09.03.2021 से)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	-	-
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)	सदस्य	2	2
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
डॉ. टी.वी.मुरलीवल्लभन (05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	-	-
डॉ. आर. एस. येली (08.03.2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	2	2

* टिप्पणी:

1. डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन 05.09.2020 से हितधारक संबंध समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं। इसके बाद, डॉ. आर. एस. येली ने 06.09.2020 से हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया एवं 08.03.2021 तक पद पर बने रहे। कंपनी के निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त है। श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी को हितधारक संबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

iv) निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 135(1) के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन किया है।

3. Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
4. Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company

Composition and details about meeting & attendance of Stakeholders Relationship Committee

As on 31st March, 2021 the committee comprises of three members out of which 1 member is Non-Executive Independent Director and 2 members are Functional Directors. The Chairman of the Committee is an Independent Director.

The Company Secretary acts as the Secretary to the Stakeholders Relationship Committee.

The Committee met two times during the financial year 2020-21 on 19th December, 2020 and 17th February, 2021.

The current composition, meetings and attendance of the Stakeholders Relationship Committee are as follows:

Members	Category	Position	No. of Meetings held during the Tenure	Attendance by Members
Smt. Aparna Chaturvedi (w.e.f 09.03.2021)	Independent Director	Chairman*	-	-
Smt. Bhanu Kumar	Director (Commercial)	Member	2	2
Shri Subrata Sarkar	Director (Finance)	Member	2	2
Dr. T. V. Muralivallabhan (Upto 05.09.2020)	Independent Director	Chairman*	-	-
Dr. R.S. Yeli (upto 08.03.2021)	Independent Director	Chairman*	2	2

*Note:

1. DR. T.V. Muralivallabhan ceased to be member and Chairman of the Stakeholders Relationship Committee w.e.f. 05.09.2020. Thereafter, Dr. R.S. Yeli assumed the charge of Chairman of Stakeholders Relationship Committee w.e.f. 06.09.2020 and held the post till 08.03.2021. Consequent to his cessation as director of the Company, Smt. Aparna Chaturvedi was appointed as the Chairman of Stakeholders Relationship Committee.

iv) Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

In compliance of Section 135(1) read with Rule 5 of the Companies (CSR Policy) Rules 2014, the Company has constituted the CSR Committee of the Board.

निगमित सामाजिक दायित्व समिति अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित विषय-वस्तुओं से सन्निहित कंपनी की एक निगमित सामाजिक दायित्व नीति के गठन के लिए निदेशक मंडल को सिफारिशें, प्रस्ताव एवं निविष्टियाँ प्रदान करती है।

संदर्भ की शर्तें

निगमित सामाजिक दायित्व समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

- क) एक निगमित सामाजिक दायित्व एवं सततता नीति का गठन एवं बोर्ड को सिफारिश जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में उल्लिखित अनुसार आपकी कंपनी द्वारा किए जानेवाले कार्यकलापों को सूचित करेगी।
- ख) सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च की जाने वाली व्यय राशि की सिफारिश।
- ग) कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व एवं सततता नीति की निगरानी एवं समय-समय पर इसका प्रभावी कार्यान्वयन।

सीएसआर समिति का गठन एवं बैठक और उपस्थिति का विवरण:

वर्तमान में निगमित सामाजिक दायित्व समिति में तीन सदस्य हैं, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक हैं, एक सरकारी नामित निदेशक हैं एवं एक कार्यात्मक निदेशक हैं। समिति के अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं।

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व समिति ने दो बैठक यथा 15 जून 2020 एवं 17 अगस्त 2020 को हुई।

बैठक का गठन एवं विवरण और उपस्थिति निम्नानुसार हैं:

सदस्य	श्रेणी	पद	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	सदस्यों की उपस्थिति
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (09.03.2021 से)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	-	-
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
श्री अवधेश कुमार चौधरी (16.07.2020 से)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	1	-
डॉ. टी.वी.मुरलीवल्लभन (05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	2	2
डॉ. प्रमोदिता सतीश (02.07.2020 तक)	सरकारी नामित निदेशक	सदस्य	1	-
डॉ. आर. एस. येली (08.03.2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष*	2	1

Corporate Social Responsibility Committee provides recommendations, suggestions, and inputs to the Board of Directors for formulation of a Corporate Social Responsibility Policy of the company covering, inter alia, the matters specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Terms of Reference

The Terms of Reference of Corporate Social Responsibility Committee is as follows:

- (a) Formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility and Sustainability Policy which shall indicate the activities to be undertaken by your company as specified in Schedule VII of the Companies Act 2013.
- (b) Recommend amount of Expenditure to be incurred on CSRAactivities.
- (c) Monitor the Corporate Social Responsibility and Sustainability Policy of the Company and its effective implementation from time to time.

Composition and details of meeting & attendance of CSR Committee

Presently Corporate Social Responsibility Committee comprises of three members out of which one is Independent Director, one is Government Nominee Director and one is Functional Director. The Chairman of the Committee is a Non-Executive Independent Director.

The Company Secretary acts as the Secretary to the Committee.

During the Financial Year 2020-21 two meetings of Corporate Social Responsibility Committee were held on 15th June, 2020 and 17th August, 2020.

The Composition and details of meeting and attendance are as follows:

Members	Category	Position	No. of Meetings held during the Tenure	Attendance by Members
Smt. Aparna Chaturvedi (w.e.f 09.03.2021)	Independent Director	Chairman*	-	-
Shri Subrata Sarkar	Director (Finance)	Member	2	2
Shri Awadhesh Kumar Choudhary (w.e.f 16.07.2020)	Government Nominee Director	Member	1	-
Dr. T. V. Muralivallabhan (Upto 05.09.2020)	Independent Director	Chairman*	2	2
Dr. Promodita Sathish (upto 02.07.2020)	Government Nominee Director	Member	1	-
Dr. R.S Yeli (upto 08.03.2021)	Independent Director	Chairman*	2	1

*** टिप्पणी :**

डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन 05.09.2020 से निगमित सामाजिक दायित्व समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इसके बाद डॉ. आर. एस. येली ने 06.09.2020 से सीएसआर समिति के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया एवं 08.03.2021 तक पद पर बने रहें। कंपनी के निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने पर, श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी को निगमित सामाजिक दायित्व समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

सहायक कंपनियाँ

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के नाम से अभी कंपनी के पास एक सहायक कंपनी है। एफएसएनएल के निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों के समक्ष रखा गया है।

साधारण निकाय की बैठकें:

क) अंतिम तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक सं.	स्थान	तिथि और समय	विशेष प्रस्ताव पारित किया गया
53वीं	एमएसटीसी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय जो 225 सी, एजेसी बोस रोड, कोलकाता में स्थित है	26 सितंबर, 2018 को 11.00 बजे	नहीं
54वीं	हॉल नं. 6, (लेवल 1 में ऑडिटोरियम), विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेन्टर, विश्व बांग्ला सरणी, डीजी ब्लॉक, न्यू टाउन, एक्शन एरिया-1 कोलकाता-700156	25 सितंबर, 2019 को 11.00 बजे	हाँ
55वीं	225 सी, एजेसी बोस रोड, कोलकाता में स्थित एमएसटीसी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	25 सितंबर, 2020 को 11.00 बजे	नहीं
ईजीएम	एमएसटीसी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय जो 225 सी, एजेसी बोस रोड, कोलकाता में स्थित है	26 दिसंबर, 2018 को 11.00 बजे	हाँ

GENERAL BODY MEETINGS

(a) The details of last three Annual General Meetings is as follows:

Meeting No	Venue	Date & Time	Special Resolution Passed
53rd	Registered office of MSTC Limited, located at 225C, AJC Bose Road, Kolkata	26th September, 2018 at 11:00 Hours	No
54th	Hall No. 6, (Auditorium at Level 1), Biswa Bangla Convention Centre, Biswa Bangla Sarani, DG Block, New town, Action Area-1, Kolkata – 700156.	25th September, 2019 at 11:00 Hours	Yes
55th	Though Video Conferencing at Registered office of MSTC Limited, located at 225C, AJC Bose Road, Kolkata	25th September, 2020 at 11:00 Hours	No
EGM	Registered office of MSTC Limited, located at 225C, AJC Bose Road, Kolkata	26th December, 2018 at 11:00 Hours	Yes

ख) अतिरिक्त साधारण बैठक में शेयरधारकों ने निम्नलिखित विषयों पर विशेष प्रस्ताव पारित किया है:

- आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पूंजी खंड 2(i) में परिवर्तन, जिससे अधिकृत पूंजी में ₹ 500 मिलियन से ₹ 1500 मिलियन का परिवर्तन आया।
- आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नए सेट को अपनाना।

ग) पिछले वर्ष पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था एवं आगामी एजीएम में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

*** Note :**

Dr. T.V. Muralivallabhan ceased to be the member and Chairman of Corporate Social Responsibility Committee w.e.f. 05.09.2020. Thereafter, Dr. R.S. Yeli assumed the charge of Chairman of CSR Committee w.e.f. 06.09.2020 and held the post till 08.03.2021. Consequent to his cessation as Director of the Company, Smt. Aparna Chaturvedi was appointed as Chairman of Corporate Social Responsibility Committee.

SUBSIDIARY COMPANIES

The Company has one subsidiary as on date namely, Ferro Scrap Nigam Limited (FSNL). The Minutes of Meetings of the Board of Directors of FSNL is placed before the Meetings of the Board of Directors of the Company.

(b) The Shareholders in the Extra-ordinary General Meeting has passed special resolution for the following items:

- To alter the capital clause 2(i) of the Articles of Association resulting in altering Authorized Capital from ₹500 Million to ₹1500 Million.
- To adopt the new set of Articles of Association.

(c) No special resolution was passed last year through postal ballot and no special resolution is proposed to be passed through Postal Ballot in the ensuing AGM.

प्रकटन

1. वस्तुगत रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी के लेनदेन पर प्रकटन जिसका मुख्य रूप से कंपनी के हित के साथ संभावी टकराव है:

बोर्ड ने पदार्थों से संबंधित पार्टी लेनदेन के महत्व पर एवं संबंधित पार्टियों के साथ सौदेबाजी पर एक नीति को अनुमोदित किया है एवं कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर इसे प्रकाशित किया गया है।

2. सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 26(5) के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने निदेशक मंडल को पुष्टि की है कि उनका कंपनी के साथ कोई वस्तुगत, वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, जिसका कंपनी के हितों के साथ एक बड़ा संभावी संघर्ष हो सकता है।

3. कानून के अनुपालन पर प्रकटीकरण:

कंपनी ने गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित सभी विषयों पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी एवं अन्य सांविधिक प्राधिकारियों की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी विषयवस्तु पर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कोई दण्ड या बाध्यता नहीं लगाया गया था।

हालांकि वर्ष के दौरान कंपनी को जून, 2020, सितम्बर, 2020, दिसम्बर 2020 एवं मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिये सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1) के गैर-अनुपालन के संबंध में एवं बोर्ड में 50% स्वतंत्र निदेशकों के न रहने के लिए मौद्रिक दंड को लागू किए जाने के संबंध में एनएसई के साथ-साथ बीएसई से नोटिस प्राप्त हुई है। कंपनी ने विनियम केन्द्र को सूचित किया है कि एमएसटीसी एक सरकारी कंपनी है, जिसमें निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। एमएसटीसी ने विनियम केन्द्र को दंड को छोड़ने का भी अनुरोध किया है, क्योंकि यह अभाव कंपनी की ओर से किसी असावधानी के कारण नहीं हुआ है। बीएसई ने 31 दिसम्बर 2020 तक कंपनी पर लगाए गए दंड को माफ कर दिया है।

4. सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी (सचेतक नीति):

कंपनी के पास एक व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी/सतर्कता तंत्र है, जो इसके निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर प्रकाशित किया गया है, ताकि कंपनी के कार्यों के बारे में या इन नीतियों के किसी उल्लंघन के बारे में अपनी चिन्ता रिपोर्ट कर सकें। यह सतर्कता तंत्र निदेशक (कों) या कर्मचारी (रियों) या किसी अन्य व्यक्ति के अत्याचार के विरुद्ध इस तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है एवं लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुँच की भी सुविधा प्रदान करता है। किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति की पहुँच से इनकार नहीं किया गया है।

5. भीतरी ट्रेडिंग अभ्यासों से जुड़ी रोकथाम संहिता

भीतरी ट्रेडिंग के निषेध पर सेबी विनियम के अनुपालन में, कंपनी के पास अपने निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन और अधिकारियों के लिए एक व्यापक आचार संहिता है। इस संहिता में दिशानिर्देश वर्णित है, जो उन्हें शेयरों के साथ लेनदेन के समय

DISCLOSURES

1. Disclosures on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interest of the company at large:

The Board has approved a policy on materiality of related party transactions and on dealing with related parties and the same is posted on the company's website at www.mstcindia.co.in.

2. Disclosure by Senior Management in accordance with Regulation 26(5) of the SEBI Listing Regulations:

For the financial year ended 31st March, 2021 the Senior Management Personnel of the Company have confirmed to the Board of Directors that they do not have any personal interest relating to material, financial and commercial transactions entered into with the Company that may have a potential conflict with the interests of the Company at large.

3. Disclosures on Compliance of Laws:

The Company has complied with the mandatory requirements of the Stock Exchanges, SEBI and other statutory authorities on all matters related to capital markets during the last three years. No penalties or strictures were imposed by SEBI, Stock Exchanges, or any statutory authorities on any matter related to capital markets during the last three years.

However, during the year, the Company received notices from NSE as well as BSE regarding non-compliance with the provision of Regulations 17(1) of the SEBI (LODR) for the quarter ended June, 2020, September, 2020, December, 2020 and March, 2021 and imposition of monetary penalty for not having 50% of the Independent Directors in the Board. The Company informed the Stock Exchanges that MSTC is a Govt. Company in which appointment of all Directors is done by the Government of India. MSTC further requested the Stock Exchanges to waive off the penalties as shortcoming was not due to any negligence on part of the Company. BSE has waived penalty imposed on the Company upto 31st December, 2020.

4. Vigilance Mechanism/Whistle Blower Policy:

The Company has a Whistle Blower Policy/Vigil Mechanism which is posted on the Website of the Company at www.mstcindia.co.in for its Directors and employees to report their concerns about the Company's working or about any violation of its policies. The Vigil mechanism provides for adequate safeguards against victimization of Director(s) or Employee(s) or any other person who avail the mechanism and also provide direct access to the Chairperson of the Audit Committee. No personnel have been denied any access to the Audit Committee.

5. Code of Prevention of Insider Trading Practices

In compliance with the SEBI Regulations on prohibition of Insider Trading, the company has in place a comprehensive code of conduct for its Directors, Senior Management and

पालन की जाने वाली कार्य-प्रक्रियाओं एवं प्रकटन के बारे में सलाह देते हैं। यह संहिता अन्य विषयवस्तुओं के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि कंपनी के निदेशक एवं उल्लिखित कर्मचारी केवल 'व्यवसाय खिड़की खुली रहने की अवधि' के दौरान कंपनी के शेयरों का व्यवसाय कर सकते हैं। संहिता के अनुसार परिणाम, लाभांश एवं अन्य वस्तुगत गतिविधियों की घोषणा के दौरान व्यवसाय खिड़की बंद रहती है एवं इसे कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर प्रकाशित की गई है।

6. अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अंगीकार किए जाने का विवरण

सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया गया है एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को इस रिपोर्ट के अंत में निपटाया गया है।

7. मटीरियल सब्सिडियरी निर्धारण नीति

कंपनी ने मटीरियल सब्सिडियरी (सहायक कंपनी) के निर्धारण हेतु एक नीति को अपनाया है एवं इसे कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर उल्लेख किया गया है।

8. वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव कार्यकलाप

कंपनी पर लागू नहीं है।

9. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्रमाणपत्र

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 17(8) के अनुपालन में श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं श्री सुब्रत सरकार, निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी से प्रमाणपत्र कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया।

10. आचार संहिता

निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों के लिए, कंपनी अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के कार्यभार से यथा उपयुक्त समाहित व्यवसाय आचार एवं नैतिक संहिता को सेबी सूचीयन विनियमों के अनुरूप बनाया गया है, जिसे बोर्ड ने अंगीकार किया है। कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिक के लिए आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर दी गई है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिक ने वार्षिक आधार पर आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। सेबी सूचीयन विनियम की शर्तों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस विषय में की गई घोषणा बोर्ड रिपोर्ट का भाग माना जाएगा।

11. अधिनियम की धारा 149(6) एवं सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 16(1)(ख) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 149(6) के प्रावधानों एवं सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 16(1)(ख) के अनुसरण में कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त की।

Officers. The code lays down guidelines, which advises them on procedures to be followed and disclosures to be made, while dealing with the shares of the company. The code clearly specifies, among other matters, that Directors and specified employees of the Company can trade in the shares of the Company only during "trading window open period". The trading window is closed during the time of declaration of results, dividend and other material events, as per the code and the same is posted on the website of the company at www.mstcindia.co.in.

6. Details of compliance with mandatory requirements and adoption of non mandatory requirements

All mandatory requirements have been complied with and the non mandatory requirements are dealt with at the end of this Report.

7. Policy for determining Material Subsidiaries

The Company has adopted Policy for determining material subsidiaries and the same is posted on the Company's website at www.mstcindia.co.in.

8. Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities

Not applicable to the Company.

9. Certificate from the Managing Director and the Chief Financial Officer

Certificate from Shri Surinder Kumar Gupta, Chairman Cum Managing Director and Shri Subrata Sarkar, Director (Finance) and Chief Financial Officer, in terms of Regulation 17(8) of the SEBI Listing Regulations for the financial year ended 31st March, 2021 was placed before the Board of Directors of the Company.

10. Code of Conduct

A Code of Business Conduct and Ethics for Members of the Board and Senior Management Personnel which suitably incorporates the duties of Independent Directors as laid down in the Companies Act, 2013, has been adopted by the Board, to bring it in line with the SEBI Listing Regulations. The Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel of the Company is posted on the Company's website at www.mstcindia.co.in. All Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the Code on an annual basis. A declaration to this effect signed by the Chairman Cum Managing Director in terms of SEBI Listing Regulations forms part of the Board's Report.

11. Declaration by Independent Directors under Section 149(6) of the Act and Regulation 16(1)(b) of the SEBI Listing Regulations

During the financial year ended 31st March, 2021, the Company has received declarations in terms of the provisions of Section 149(6) of the Act and Regulation 16(1)(b) of the SEBI Listing Regulations from all Independent Directors of the Company.

12. नेटवर्क फर्म / नेटवर्क संस्था में सांविधिक लेखा परीक्षक एवं सभी संस्थाओं जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को कंपनी एवं सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सभी सेवाओं के लिए चुकाए गए कुल शुल्क:

कृपया मेसर्स एस. घोष एण्ड कं. एलएलपी (302184ई) द्वारा चार्ज किए गए कुल भुगतान / उपचय शुल्क के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण में लेखा परीक्षकों के भुगतान पर टिप्पणी 30 का संदर्भ लें। इसके अलावा, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों को कोई सेवा नहीं दी है।

13. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 43 के अनुसार एक लाभांश वितरण नीति को प्रतिपादित किया है। बोर्ड की रिपोर्ट में नीति के बारे में विस्तार से बताया गया है एवं कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर प्रकाशित की गई है।

संपर्क के साधन

1. वित्तीय परिणाम

सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार नियत समय में कंपनी के तिमाही परिणाम घोषित किए गए थे एवं स्टॉक एक्सचेंज के पास भेजे गए थे। ये परिणाम प्रमुख अंग्रेजी, हिन्दी एवं बंगला समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे। कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर और साथ ही बीएसई एवं एनएसई वेबसाइट पर भी परिणाम प्रकाशित किए गए हैं।

2. नई विज्ञप्तियाँ

जब भी कंपनी कोई नई प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है, तो इसे स्टॉक एक्सचेंज और साथ ही कंपनी की वेबसाइट पर तुरन्त भेजा जाता है। कंपनी एवं इसके कार्य निष्पादन के बारे में प्रमुख सूचना, तिमाही परिणाम, सरकारी नई विज्ञप्तियों एवं संस्थानिक निवेशकों या विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतीकरण को भी अपनी वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को एवं मुख्य रूप से जनसाधारण के हित के लिए प्रकाशित करती है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचना दी जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसरण में एवं सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक का आयोजन 5 मार्च, 2021 को किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों ने प्रबंधन एवं बोर्ड और इसकी समितियों के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयसीमा की समीक्षा की, जो उनके कार्यभार को प्रभावी एवं यथा संगत तरीके से निष्पादित करने एवं निर्वाह करने के लिए आवश्यक है।

कंपनी व्यवसाय निष्पादन, दीर्घमिादी कार्यनीति पहल एवं निहीत जोखिम पर बोर्ड की बैठक में किए गए आवधिक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संरचना उन्मुखी एवं परिचय कार्यक्रम का पालन करती है।

शेयरधारक की सूचना

(क) वार्षिक साधारण बैठक:

वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन 28 सितंबर, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से किया जाएगा।

12. The total fees for all services paid by the Company and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the Statutory Auditor and all entities in the network firm/network entity of which the Statutory Auditor is a part:

Please refer Note 30 on payments to Auditors in standalone financial statements for total payment/accrual of fees charged by M/s. S GHOSE & CO LLP (302184E). Other than that, Statutory Auditors of the Company have not provided any service to the Company or its subsidiaries.

13. Dividend Distribution Policy

The Company has formulated a Dividend Distribution Policy in accordance with Regulation 43A of the SEBI Listing Regulations. The policy has been detailed in the Boards' Report and is posted on the Company's website www.mstcindia.co.in.

MEANS OF COMMUNICATION

1. Financial Results

The quarterly results of the Company were announced within due time as per the statutory requirements and were sent to the Stock Exchanges. These results were also published in the leading English, Hindi & Bengali newspapers. The results are also displayed on the Company's website www.mstcindia.co.in as well as on the BSE and NSE websites.

2. News releases

Whenever the Company issues any press release, it is immediately sent to the Stock Exchanges as well as posted on the Company's website. The Company also puts forth the key information about the Company and its performance, including quarterly results, official news releases and presentations made to institutional investors or analysts, on its website www.mstcindia.co.in regularly for the benefit of its shareholders and the public at large. The intimations are also given to the Stock Exchanges simultaneously.

MEETINGS OF INDEPENDENT DIRECTORS

Pursuant to Schedule IV of the Companies Act, 2013 and as per regulation 25(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a separate meeting of the Independent Directors of the Company was held on 05th March, 2021. The Independent Directors reviewed the quality, quantity and timeliness of the flow of information between the Management and the Board and its Committees, which is necessary to effectively and reasonably perform and discharge their duties.

The Company follows a structured orientation and familiarization program through periodic representations made at the board meeting on business performance, long term strategies initiatives and risk involved.

SHAREHOLDER'S INFORMATION

(A) Annual General Meeting:

The Annual General Meeting for the Year 2020-21 will be held on 28th September, 2021 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").

(ख) वित्तीय कैलेंडर : प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक

वर्ष 2021-22 के लिए तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणाम को अनुमोदित करने के लिए वित्तीय कैलेंडर नीचे दिया गया है:

14.08.2021 को या उससे पूर्व 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही

14.11.2021 को या उससे पूर्व 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही

14.02.2022 को या उससे पूर्व 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही

30.05.2022 को या उससे पूर्व 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष

(ग) बही समापन तिथि: 21 सितंबर, 2021-28 सितंबर, 2021

(घ) लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि: 20 सितंबर, 2021

(ङ) लाभांश भुगतान तिथि: अंतिम लाभांश अनुमोदित किए जाने पर निर्धारित समय के अंदर भुगतान/जमा किया जाएगा।

च) लाभांश का इतिहास:

एमएसटीसी निरंतर रूप से लाभांश का भुगतान कर रही है। अंतिम सात वर्षों में एमएसटीसी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	प्रकार	%	31.03.2021 को दावारहित लाभांश की राशि (₹ मिलियन में)	लाभांश की कुल राशि (₹ मिलियन में)
2019-20	अंतिम	33.00	2.14	232.32
2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई लाभांश की घोषणा नहीं की गई			
2017-18	अंतिम	74.00	0.81	260.48
2016-17	अंतरिम	95.00	1.02	167.20
2016-17	अंतिम	71.00	2.36	249.90
2015-16	अंतिम	102.50	1.05	180.40
2014-15	अंतिम	207.00	1.11	182.16
2013-14	वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कोई लाभांश की घोषणा नहीं की गई			

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 प्रावधान करती है कि कोई भी लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाता में अंतरण करने की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए भुगतान नहीं हुए/दावा नहीं हुए के रूप में पड़ा हुआ है, को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए दावारहित लाभांश को नियत तिथि के अंदर आईईपीएफ में अंतरित किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) एवं इसके अंतर्गत बने नियम यह प्रावधान करते हैं कि वे सभी शेयर जिसके संबंध में लाभांश सात लगातार या अधिक वर्षों के लिए भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि के नाम में कंपनी द्वारा अंतरित किया जाएगा।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ऐसे सभी शेयरधारक जिनके लाभांश 7 लगातार वर्षों की अवधि के लिए भुगतान नहीं हुए हैं/ दावा नहीं किये हैं, को पत्र के जरिए स्मरण कराते हुए अनुरोध किया जाता है कि वे अपने लाभांश पर दावा करें, अन्यथा शेयर नियत तिथि आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर दिया जाएगा।

(B) Financial Calendar: From 1st April to 31st March every year.

The financial calendar to approve quarterly / annual financial result for the year 2021-22 is given below:

Quarter ending 30th June, 2021 on or before 14.08.2021

Quarter ending 30th September, 2021 on or before 14.11.2021

Quarter ending 31st December, 2021 on or before 14.02.2022

Quarter and year ending 31st March, 2022 on or before 30.05.2022

(C) Book Closure Date: 21st September, 2021 to 28th September, 2021

(D) Record Date for payment of Dividend: 20th September, 2021

(E) Dividend Payment Date: The Final Dividend, if approved, shall be paid/credited within the stipulated time.

(F) Dividend History:

MSTC has been paying dividend consistently. The details of dividend paid by MSTC in the last seven years are as follows;

Financial Year	Type	%	Amount of unclaimed dividend as on 31.03.2021 (₹ in Million)	Total amount of Dividend (₹ in Million)
2019-20	Final	33.00	2.14	232.32
2018-19	During the financial year 2018-19 no dividend was declared			
2017-18	Final	74.00	0.81	260.48
2016-17	Interim	95.00	1.02	167.20
2016-17	Final	71.00	2.36	249.90
2015-16	Final	102.50	1.05	180.40
2014-15	Final	207.00	1.11	182.16
2013-14	During the financial year 2013-14 no dividend was declared			

Transfer to Investor Education and Protection Fund:

Section 124 of the Companies Act, 2013 provides that any dividend that has remained unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government.

Unclaimed dividend for the FY 2012-13 was transferred to the IEPF within the due date.

Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with rules made there under provide that all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company in the name of Investor Education and Protection Fund.

In compliance of the IEPF Rules, the Company sends reminder letter to all such shareholders, whose dividend has remained unpaid /unclaimed for a consecutive period of 7 years with a request to claim the dividends, failing which the shares would be transferred to the IEPF Authority on the due date.

इसी अनुसार, ऐसे सभी शेयर जिनके लाभांश वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2019-20 के लिए दावारहित रहे हैं, को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाता में अंतरित किया गया था। ऐसे शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर प्रकाशित किया गया है।

वे सभी लाभांश/शेयर जो आईईपीएफ में अंतरित किए गये हैं, पर शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं प्रतिदाय) नियम, 2016 के अधीन निर्देशित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा कर सकते हैं। ये नियम आईईपीएफ की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) एवं कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in पर उपलब्ध हैं।

सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची-V(च) के अधीन अपेक्षानुसार डिमैट उच्चत खाता /दावारहित उच्चत खाता के संबंध में प्रकटन:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की सं.	इक्विटी शेयरों की सं.
क)	1 अप्रैल, 2020 को शेयरधारकों की कुल संख्या एवं दावारहित उच्चत खाता में पड़े बकाया शेयर	91	10,38,237
ख)	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की सं. जो दावारहित उच्चत खाता से शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी के पास पहुँचे	27	4,31,900
ग)	शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर वर्ष के दौरान दावारहित उच्चत खाते से अंतरित की गई थी	27	4,31,900
घ)	शेयरधारकों की संख्या जिनके दावारहित लाभांश दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के निगमित मामले मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं. 12/2017 के अनुसार आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए थे	1	8,320
ङ)	31 मार्च, 2021 को शेयरधारकों की कुल संख्या एवं दावारहित उच्चत खाते में पड़े बकाया शेयर टिप्पणी: एमएसटीसी लिमिटेड ने वर्ष 2018-19 में बोनस शेयर जारी किया एवं दिनांक 11/01/2019 को उन शेयरधारकों को शेयर आवंटित किए, जिन्होंने डिमैट रूप में शेयर रखा था। तथापि, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के संबंध में बोनस शेयर “एमएसटीसी लिमिटेड दावारहित उच्चत खाता” में अंतरित किया गया। शेष को “एमएसटीसी लिमिटेड के दावारहित उच्चत खाता” में दर्शाया गया है।	63	5,98,017
च)	एतद्वारा पुष्टि की जाती है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेंगे; जब तक कि ऐसे शेयरों के वैध मालिक शेयरों का दावा नहीं करते हैं।		

Accordingly, all such shares in respect of which dividend had remained unclaimed for the FY 2012-13 to 2019-20 were transferred to the demat account of the IEPF Authority. The details of such shares are hosted on the website of the company at www.mstcindia.co.in.

In respect of dividend/shares which have been transferred to IEPF, shareholders can claim the same from IEPF Authority by following the procedure prescribed under IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016. These Rules are available on the website of IEPF (www.iepf.gov.in) and Company's website www.mstcindia.co.in.

Disclosure with respect to demat suspense account / unclaimed suspense account as required under Schedule V (F) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

S. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Equity Shares
a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account as on 1st April, 2020	91	10,38,237
b)	Number of shareholders who approached the Company for transfer of shares from the Unclaimed Suspense Account during the year.	27	4,31,900
c)	Number of shareholders to whom the shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year.	27	4,31,900
d)	Number of shareholders whose unclaimed dividends were transferred to the IEPF account in terms of Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 12/2017 dated 16th October, 2017.	1	8,320
e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding Shares lying in the Unclaimed Suspense Account as on 31st March, 2021.	63	5,98,017
Note: MSTC Limited issued Bonus Shares in the year 2018-19 and allotted the shares on 11/01/2019 to the shareholders who were holding shares in the demat mode. However, the bonus shares pertaining to the shareholders who were holding shares in physical mode were transferred to “MSTC Limited Unclaimed Suspense Account”. Balance in “MSTC Limited Unclaimed Suspense Account” is shown.			
f)	It is hereby confirmed that the voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.		

छ) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन

कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं :

नाम एवं पता	स्टॉक कोड
बीएसई लिमिटेड पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई - 400001	542597
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400051	एमएसटीसी लि.

ज) निर्गम एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक :

अलंकित असाइन्मेंट्स लिमिटेड
205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान
एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 055
दूरभाष : +91-11-4254-1951/+91-22-4348-1200
ई-मेल : sarunraj@alankit.com/ saching@alankit.com
निवेशक शिकायत ई-मेल : mstcigr@alankit.com
वेबसाइट : www.alankit.com
संपर्क व्यक्ति : एस अरुणराज / सचिन गुप्ता
सेबी पंजीयन सं. : INR000002532

झ) शेयर अंतरण प्रणाली

कंपनी के शेयर अभौतिकीकृत रूप में व्यापारित होते हैं। अंतरण के लिए भेजे गए शेयर निर्धारित अवधि के अंदर पंजीकृत किए जाते हैं। आपत्ति के अधीन वाले शेयर उपयुक्त सुधार हेतु निर्धारित अवधि के अंदर लौटा दिये गए हैं। शेयरधारकों से समय-समय पर प्राप्त शेयर प्रमाणपत्रों के अभौतिकीकरण/पुनःभौतिकीकरण/अंतरण/पारेषण/ विभाजन/समेकन/पुनः निर्गम के संबंध में अनुरोध के अनुमोदन हेतु कंपनी के पास एक हितधारक संबंध समिति है।

ञ) शेयर का अभौतिकीकरण एवं नकदीकरण

31 मार्च, 2021 के अनुसार 99.53% इक्विटी शेयर एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के पास अभौतिकीकृत रूप में धारित हैं। विवरण निम्नानुसार है:

स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
सीडीएसएल में अभौतिकीकृत रूप में धारित	78,20,094	11.11
एनएसडीएल में अभौतिकीकृत रूप में धारित	6,22,51,457	88.43
भौतिक रूप में धारित	3,28,449	0.47

ट) सूचीयन शुल्क

वर्ष 2020-21 के लिए प्रयोज्य अनुसार वार्षिक सूचीयन शुल्क स्टॉक एक्सचेंज के पास भुगतान किया गया है।

ठ) स्टॉक मार्केट की सूचना

कंपनी के शेयर 29 मार्च, 2019 को बीएसई एवं एनएसई के साथ सूचीबद्ध हैं।

ड) स्टॉक मार्केट मूल्य के आंकड़े

बीएसई एवं एनएसई में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मासिक उच्च एवं न्यून (व्यापारित मूल्य) एवं व्यापारित शेयरों की संख्या (परिमाण) निम्नानुसार है :

(G) Listing on Stock Exchanges

The Equity Shares of the Company are listed on the following Stock Exchanges:

Name & Address	Stock Code
BSE Limited P.J. Towers, Dalal Street, Fort Mumbai- 400001	542597
National Stock Exchange of India limited (NSE) Exchange Plaza, C-1, G Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	MSTCLTD

(H) Registrar to Issue and Share Transfer Agents:

Alankit Assignments Limited

205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan
Extension, New Delhi-110 055
Tel: +91-11-4254-1951/+91-22-4348-1200
E-mail: sarunraj@alankit.com/ saching@alankit.com
Investor Grievance E-mail: mstcigr@alankit.com
Website: www.alankit.com
Contact Person: S. Arunraj/Sachin Gupta
SEBI Registration No.: INR000002532

(I) Share Transfer System

The Shares of the Company are traded in dematerialized form. Shares sent for transfer are registered within stipulated period. Shares under objection are returned within the stipulated period seeking suitable rectification. The Company has a Stakeholders Relationship Committee for approving requests related to Dematerialization/ Rematerialization/ Transfer/ Transmission/ Splitting/ Consolidation/ Reissue of Shares Certificates etc. received from the shareholders from time to time.

(J) Dematerialization of Share and Liquidity

As on 31st March 2021, 99.53% of the Equity Shares are held in dematerialized form with NSDL and CDSL. The details are as under:

Form	No. of Shares	Percentage (%)
Held in Dematerialized form in CDSL	78,20,094	11.11
Held in Dematerialized form in NSDL	6,22,51,457	88.43
Held in Physical Form	3,28,449	0.47

(K) Listing Fees

Annual Listing fees for the year 2020-21, as applicable, have been paid to the Stock Exchanges.

(L) Stock Market Information

The shares of the Company are listed with BSE and NSE on 29th March, 2019.

(M) Stock Market Price Data

The monthly high and low (traded price) and number of shares traded (Volume) at BSE and NSE for the financial year 2020-21 are as under:

माह	बीएसई लिमिटेड*			एनएसई लिमिटेड*		
	उच्च (प्रति शेयर)	न्यून (प्रति शेयर)	परिमाण	उच्च (प्रति शेयर)	न्यून (प्रति शेयर)	परिमाण
अप्रैल 2020	103.00	81.00	3,00,000	99.05	80.10	1,83,3145
मई 2020	122.45	84.80	3,00,000	122.45	87.00	19,50,883
जून 2020	153.50	109.60	10,00,000	155.00	108.25	61,98,837
जुलाई 2020	179.45	122.85	22,00,000	179.50	123.15	1,56,26,412
अगस्त 2020	166.70	136.00	9,00,000	166.85	138.00	1,04,33,347
सितंबर 2020	186.55	137.95	11,00,000	186.75	137.50	1,20,01,825
अक्टूबर 2020	176.00	145.00	4,00,000	175.70	145.00	46,08,402
नवंबर 2020	161.00	141.10	7,00,000	161.20	142.45	63,17,823
दिसंबर 2020	173.95	143.15	9,00,000	173.40	142.95	1,05,69,994
जनवरी 2021	263.65	162.55	32,00,000	263.90	162.70	3,09,97,596
फरवरी 2021	400.00	200.00	44,00,000	400.00	200.05	3,63,56,231
मार्च 2021	357.50	276.80	41,00,000	357.90	276.30	2,84,43,452

Month	BSE LIMITED*			NSE LIMITED*		
	High (Per Share)	Low (per Share)	Volume	High (Per Share)	Low (Per Share)	Volume
April 2020	103.00	81.00	3,00,000	99.05	80.10	1,83,3145
May 2020	122.45	84.80	3,00,000	122.45	87.00	19,50,883
June 2020	153.50	109.60	10,00,000	155.00	108.25	61,98,837
July 2020	179.45	122.85	22,00,000	179.50	123.15	1,56,26,412
August 2020	166.70	136.00	9,00,000	166.85	138.00	1,04,33,347
September 2020	186.55	137.95	11,00,000	186.75	137.50	1,20,01,825
October 2020	176.00	145.00	4,00,000	175.70	145.00	46,08,402
November 2020	161.00	141.10	7,00,000	161.20	142.45	63,17,823
December 2020	173.95	143.15	9,00,000	173.40	142.95	1,05,69,994
January 2021	263.65	162.55	32,00,000	263.90	162.70	3,09,97,596
February 2021	400.00	200.00	44,00,000	400.00	200.05	3,63,56,231
March 2021	357.50	276.80	41,00,000	357.90	276.30	2,84,43,452

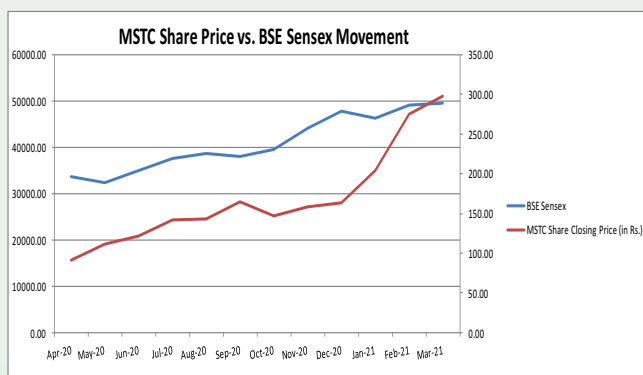
*स्रोत : बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट

*Source: Website of BSE and NSE.

(ढ) बीएसई सेंसेक्स की तुलना में कंपनी के शेयर मूल्य का निष्पादन:

(N) Performance of the share price of the Company in comparison to the BSE Sensex :

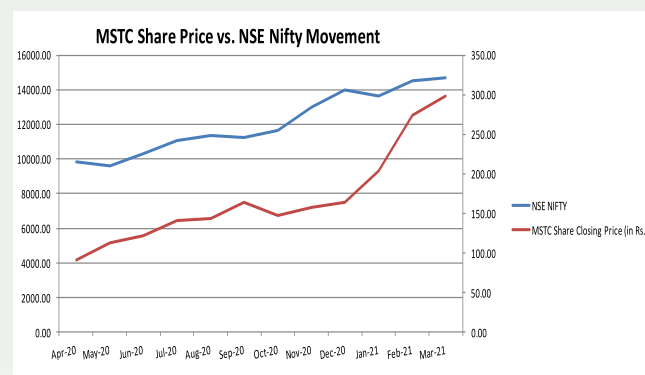
एमएसटीसी शेयर मूल्य बनाम बीएसई सेंसेक्स संचलन



ण) एनएसई निफ्टी की तुलना में कंपनी के शेयर मूल्य का निष्पादन:

(O) Performance of the share price of the Company in comparison to the NSE Nifty :

एमएसटीसी शेयर मूल्य बनाम एनएसई निफ्टी संचलन



त) बकाया जीडीआर/एडीआर/अधिपत्र या कोई परिवर्तनीय साधनों, रूपांतरण तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव – शून्य

थ) कंपनी की सीआईएन : **L27320WB1964GOI026211**

द) डिमैट आईएसआईएन नं. : **INE255X01014**

ध) संपर्क के लिए पता

शेयरों के अंतरण या संचारण, शेयरों के अभौतिकीकरण, पता में परिवर्तन, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, लाभांश अधिपत्र एवं कंपनी के संबंध में कोई अन्य पूछताछ के विषय में किसी प्रकार के सहयोग, अनुरोध या निर्देश के लिए, निवेशक निम्नलिखित पते पर लिख सकते हैं :

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

एमएसटीसी लिमिटेड

225-सी, ए.जे.सी बोस रोड,

कोलकाता-700020, पश्चिम बंगाल, भारत

दूरभाष : +91-33-2281-3088

ईमेल : cosec@mstcindia.co.in

न) 31 मार्च, 2021 को सर्वोच्च दस शेयरधारक

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	धारित शेयरों की सं.	कुल शेयरधारिता का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	4,55,80,000	64.75
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	30,03,559	4.27
3.	सूर्यवंशी कमोडिटी प्रा. लि.	14,65,809	2.08
4.	मुकुल महावीर अग्रवाल	10,00,000	1.42
5.	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7,80,735	1.11
6.	एमएसटीसी लिमिटेड अनक्लेमड सस्पेन्स अकाउंट	5,98,017	0.85
7.	संजय कटकर	5,37,450	0.76
8.	टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,94,110	0.70
9.	जे. के. ट्रेडर्स लिमिटेड	3,84,000	0.55
10.	निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि	3,23,840	0.46

प) 31 मार्च, 2021 को माप के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

श्रेणी (शेयर)		शेयरधारक		शेयरों की संख्या	
से	तक	संख्या	%	संख्या	%
1	500	35,114	91.29	32,99,628	4.69
501	1000	1,634	4.25	13,10,669	1.86
1001	2000	802	2.09	12,27,684	1.74
2001	3000	251	0.65	6,36,274	0.90
3001	4000	156	0.41	5,53,478	0.79
4001	5000	111	0.29	5,28,531	0.75
5001	10000	204	0.53	15,50,466	2.20
10001	अधिक	192	0.50	6,12,93,270	87.06

(P) Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity – NIL

(Q) CIN of the Company: L27320WB1964GOI026211

(R) Demat ISIN No: INE255X01014

(S) Address for Communication:

For any assistance, request or instruction regarding transfer or transmission of shares, dematerialization of shares, change of address, non-receipt of annual report, dividend warrant and any other query relating to the company, the investors may please write to the following address :

The Company Secretary & Compliance Officer

MSTC Limited

225-C, A. J. C. Bose Road,

Kolkata – 700020, West Bengal, India

Tel: +91-33- 2281-3088

Email: cosec@mstcindia.co.in

(T) Top ten shareholder's as on 31st March, 2021.

S.No.	Name of Shareholders	No. of Shares held	% of Total Shareholding
1.	President of India	4,55,80,000	64.75
2.	Life Insurance Corporation of India	30,03,559	4.27
3.	Suryavanshi Commotrade Pvt. Ltd.	14,65,809	2.08
4.	Mukul Mahavir Agrawal	10,00,000	1.42
5.	The New India Assurance Company Limited	7,80,735	1.11
6.	MSTC Limited Unclaimed Suspense Account	5,98,017	0.85
7.	Sanjay Katkar	5,37,450	0.76
8.	Tata Investment Corporation Limited	4,94,110	0.70
9.	J.K. Traders Limited	3,84,000	0.55
10.	Investor Education and Protection Fund	3,23,840	0.46

(U) Distribution of Shareholding by Size as on 31st March, 2021.

Category (Shares)		Shareholders		Number of Shares	
From	To	Number	%	Number	%
1	500	35,114	91.29	32,99,628	4.69
501	1000	1,634	4.25	13,10,669	1.86
1001	2000	802	2.09	12,27,684	1.74
2001	3000	251	0.65	6,36,274	0.90
3001	4000	156	0.41	5,53,478	0.79
4001	5000	111	0.29	5,28,531	0.75
5001	10000	204	0.53	15,50,466	2.20
10001	ABOVE	192	0.50	6,12,93,270	87.06

फ) कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची

i) केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा क्रेडिट रेटिंग

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ मिलियन में)	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	दीर्घमियादी सुविधाएँ	6,200	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	केयर बीबीबी; स्टेबल (ट्रिपल बी; आउटलुक : स्टेबल)
2.	अल्पमियादी सुविधाएँ	48,800	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	केयर ए3+ (ए श्री प्लस)
कुल		₹ 55,000 मिलियन (रुपये पचपन हजार मिलियन मात्र)		

(ii) एक्ज्युट रेटिंग्स एण्ड रिसर्च लिमिटेड द्वारा क्रेडिट रेटिंग :

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ मिलियन में)	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग
1.	दीर्घमियादी सुविधाएँ	6,200	एक्ज्युट रेटिंग्स एण्ड रिसर्च लिमिटेड	एक्ज्युट ए + (आउटलुक : स्टेबल)
2.	अल्पमियादी सुविधाएँ	48,800	एक्ज्युट रेटिंग्स एण्ड रिसर्च लिमिटेड	एक्ज्युट ए1+
कुल		₹ 55,000 मिलियन (रुपये पचपन हजार मिलियन मात्र)		

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से



सुरेंद्र कुमार गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन : 08643406]

स्थान : कोलकाता

तिथि : 25 जून, 2021

(V) List of all Credit Rating obtained by the Company:

(i) Credit Rating by CARE Ratings Limited:

Sr. No.	Particulars	Amount (₹in Million)	Rating Agency	Rating
1.	Long Term facilities	6,200	CARE Ratings Limited	CARE BBB; Stable (triple B; Outlook : Stable)
2.	Short Term facilities	48,800	CARE Ratings Limited	CARE A3+ (A Three Plus)
Total		₹ 55,000 Million (Rupees Fifty Five Thousand Million Only)		

(ii) Credit Rating by Acuite Ratings & Research Limited:

Sr. No.	Particulars	Amount (₹in Million)	Rating Agency	Rating
1.	Long Term facilities	6,200	Acuite Ratings & Research Limited	ACUITE A+ (Outlook : Stable)
2.	Short Term facilities	48,800	Acuite Ratings & Research Limited	ACUITE A1+
Total		₹ 55,000 Million (Rupees Fifty Five Thousand Million Only)		

For and on behalf of the Board of Directors



(Surinder Kumar Gupta)

Chairman and Managing
Director

[DIN : 08643406]

Place : Kolkata

Date : June 25, 2021

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन

सेवा में
निदेशक मंडल

एमएसटीसी लिमिटेड

हम, अधोहस्ताक्षरी, एमएसटीसी लिमिटेड (कंपनी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में हमारी संबंधित क्षमताओं में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में प्रमाणित करते हैं कि:

- क) हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में:
- i) इन विवरणियों में कोई भौतिक गलत विवरण नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को हटाया नहीं गया है या ऐसा कोई विवरण नहीं है जो भ्रामक प्रकृति के हैं।
 - ii) ये विवरण सूचीबद्ध संस्था के मामलों का सही एवं स्वच्छ अवलोकन प्रस्तुत करते हैं एवं मौजूदा लेखांकन मानकों, प्रयोज्य कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में वर्ष के दौरान सूचीबद्ध संस्था में ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी है या सूचीबद्ध संस्था की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।
- ग) वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए हम आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने एवं बनाये रखने हेतु जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सूचीबद्ध संस्था की आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और ऐसी आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या प्रचालन में कमियाँ जिससे हम अवगत हैं एवं उन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है, के बारे में लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति के पास प्रकट किया है।
- घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है:
- i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन,
 - ii) वर्ष के दौरान की गई लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन है तो वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उसको प्रकट किया गया है, और
 - iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण, जिनके बारे में हम अवगत हैं तथा प्रबंधन या कोई कर्मचारी जिसका वित्तीय रिपोर्टिंग पर सूचीबद्ध संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, यदि शामिल है।

Subrata Sarkar

(सुब्रत सरकार)

स्थान: कोलकाता

तिथि : 25 जून, 2021

निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

[डीआईएन : 08290021]



(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन : 08643406]

सीएमडी का प्रमाणन

मैं घोषणा करता हूँ कि भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, सेबी एवं अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आदर्श व्यवसाय आचरण और आचार संहिता को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था एवं बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकृति दी है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

स्थान: कोलकाता

तिथि : 25 जून, 2021



(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन : 08643406]

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) & CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) CERTIFICATION

To,
The Board of Directors
MSTC Limited

We, the undersigned, in our respective capacities as Chief Executive Officer and Chief Financial Officer of MSTC Limited ('the Company'), to the best of our knowledge and belief certify that:

- A. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the financial year ended 31st March, 2021 and to the best of our knowledge and belief:
- (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - (ii) These statements together present a true and fair view of the listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the listed entity during the year which are fraudulent, illegal or violative of the listed entity's code of conduct.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control system of the listed entity pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee;
- (i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - (ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the listed entity's internal control system over financial reporting.

Subrata Sarkar

(Subrata Sarkar)

Director (Finance) & CFO

[DIN: 08290021]

Surinder Kumar Gupta

(Surinder Kumar Gupta)

Chairman and Managing Director

[DIN: 08643406]

Place: Kolkata

Date: June 25, 2021

CMD'S CERTIFICATION

I declare that the Model Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, SEBI and other authorities was adopted by the Board of Directors of the company and all the Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2021.

For and on behalf of Board of Directors

Surinder Kumar Gupta

(Surinder Kumar Gupta)

Chairman and Managing Director

[DIN: 08643406]

Place: Kolkata

Date: June 25, 2021

निदेशको के गैर-अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

जिससे यह संबंधित है

मैं, प्रीति टोडी, बजाज टोडी एण्ड एसोसिएट्स का साझेदार, पेशेवर कंपनी सचिव एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि एमएसटीसी लिमिटेड के बोर्ड में किसी भी निदेशक को मेरी सर्वोत्तम जानकारी के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड या कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रहने से वंचित या अयोग्य नहीं किया गया है।

यह प्रमाणपत्र सेबी (सूचीयन बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के अंतर्गत अनुसूची V के अनुसार जारी किया जा रहा है।

कोलकाता में जून 2021 की 2 तारीख को जारी

कृते बजाज टोडी एण्ड एसोसिएट्स



(प्रीति टोडी)

साझेदार

सी. पी नं. 7270, एसीएस:14611

यूडीआईएन नं. : A014611C000411007

निगमित अभिशासन प्रमाणपत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015

की अनुसूची V के भाग ग के मद (10) के खंड (i) के अनुसरण में

सदस्यों के प्रति

एमएसटीसी लिमिटेड

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीयन विनियम") की अनुसूची V के अनुच्छेद ग, घ एवं ङ तथा विनियम 17 से 27, विनियम 46 के उप विनियम (2) के खंड(ख) से (झ) के अंतर्गत निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं एवं इसके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही मतों की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सेबी सूचीयन विनियमों में निर्धारणानुसार निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है :-

कंपनी ने अप्रैल 2019 से निदेशक मंडल के गठन में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या के संबंध में शर्तों का अनुपालन नहीं किया है। साथ ही लेखापरीक्षा समिति एवं नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन में भी मार्च 2021 से स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या का अनुपालन नहीं किया है।

हम आगे व्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावकारिता है, जिस पर कंपनी के मामलों का प्रबंधन ने संचालन किया है।

कृते बजाज टोडी एण्ड एसोसिएट्स

(पूर्व में पीएस एण्ड एसोसिएट्स के रूप में परिचित)



(प्रीति टोडी)

साझेदार

सी. पी नं. 7270, एसीएस:14611

यूडीआईएन नं. : A014611C000472816

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 16 जून, 2021

टिप्पणी: कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण कंपनी के अभिलेखों की भौतिक जाँच एवं परीक्षा के प्रयोजन के लिए मेरी उपस्थिति अव्यावहारिक थी एवं मैंने, इसलिए, सत्यापन हेतु आवश्यकतानुसार जानकारी एवं समुचित अभिलेखों को प्राप्त करने हेतु कंपनी द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों पर भरोसा किया है।

CERTIFICATE ON NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

I, Priti Todi, Partner of Bajaj Todi & Associates, Practising Company Secretaries do hereby certify that none of the directors on the board of MSTC Limited have been debarred or disqualified from being appointed or from continuing as directors of Companies by the Securities and Exchange Board of India or Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority to the best of my knowledge.

This certificate is being issued as per Schedule V under Regulation 34(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Issued this 2nd day of June, 2021, at Kolkata

For Bajaj Todi & Associates



(Priti Todi)

Partner

C.P.No.: 7270, ACS:14611

UDIN NO : A014611C000411007

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

Pursuant to Clause (i) of point (10) of Para C of Schedule V of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To the Members of MSTC Limited

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by MSTC Limited ('the Company') for the year ended on March 31, 2021, as stipulated under Regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 and para C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management of the Company. Our examination was limited to the review of procedures and implementation thereof, as adopted by the Company for ensuring compliance with conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and the representations made by the Management, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the SEBI Listing Regulations for the year ended on March 31, 2021 except for the following:-

The Company has not complied with the conditions with regard to minimum number of Independent Directors in the composition of the Board of Directors from April 2019. Also the composition with respect to the composition of Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee is not complied with in respect of the minimum number of Independent Directors from March 2021.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Bajaj Todi & Associates

(Formerly known as PS & Associates)



(Priti Todi)

Partner

C.P.No.: 7270, ACS:14611

UDIN NO : A014611C000472816

Place: Kolkata

Date: June 16, 2021

Note : My attendance for the purpose of physical verification and examination of the records of the company was impracticable due to lockdown restrictions imposed by the Government due to COVID -19 and I have, therefore, relied on the electronic data as provided by the company to gather informations and proper records as necessary for verification.

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	L27320WB1964GOI026211
2. कंपनी का नाम	एमएसटीसी लिमिटेड
3. पंजीकृत पता	225सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020
4. वेबसाइट	www.mstcindia.co.in
5. ई-मेल आईडी	cosec@mstcindia.co.in
6. रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2020-21
7. क्षेत्र (त्रों) जिसमें कंपनी संलिप्त है (औद्योगिक गतिविधि संहिता-वार)	1.ट्रेडिंग व्यवसाय 2.ई-कॉमर्स
8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी निर्माण करती है / प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)	1. ई-कॉमर्स मंच 2. ई-अभिशासन का डिजिटाइजेशन 3. जैविक खेती पोर्टल
9. स्थानों की कुल संख्या जहाँ कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की गई है क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	20 शून्य 20
10. कंपनी द्वारा सेवित बाजार-स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय

खंड ख. : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. प्रदत्त पूंजी (आईएनआर)	₹ 704 मिलियन
2. कुल कारोबार (आईएनआर)	₹ 6391.33 मिलियन
3. कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर)	₹ 1010.70 मिलियन
4. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर पर कुल व्यय)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में हुई हानि के कारण एवं नकारात्मक औसत शुद्ध लाभ के फलस्वरूप कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीएसआर कार्यकलापों के लिए कोई फंड/बजट नहीं है।
5. कार्यकलापों की सूची जिनमें उपयुक्त 4 में व्यय किया गया है	शून्य

खंड ग : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं	हाँ
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियाँ मूल कंपनी की व्यवसाय दायित्व (बीआर) पहलों में हिस्सा लेती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या बताएं	नहीं। कंपनी के पास केवल 1 (एक) सहायक कंपनी है एवं यह कंपनी की व्यवसाय दायित्व (बीआर) पहलों में हिस्सा नहीं लेती है।
3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएँ (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी की बीआर पहलों में हिस्सा लेती है ? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें। (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)	नहीं।

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A : GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L27320WB1964GOI026211
2. Name of the Company	MSTC Limited
3. Registered address	225C, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700 020
4. Website	www.mstcindia.co.in
5. E-mail id	cosec@mstcindia.co.in
6. Financial Year reported	2020-21
7. Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	1. Trading Business 2. E-commerce
8. List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	1. E-commerce platform 2. Digitization of e-governance 3. Jaivik Kheti portal
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	20
a) Number of International Locations	Nil
b) Number of National Locations	20
10. Markets served by the Company – Local/State/National/International	Local, State and National.

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1. Paid up Capital(INR)	₹ 704 Million
2. Total Turnover(INR)	₹ 6391.33 Million
3. Total Profit After Taxes(INR)	₹ 1010.70 Million
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax(%)	Due to loss incurred in the financial year 2018-19 and consequent negative average net profit, company does not have any fund/budget for the CSR activities in the financial year 2020-21.
5. List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred.	Nil

SECTION C: OTHER DETAILS

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	Yes
2. Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	No The company has only 1(one) subsidiary and it does not participate in the BR Initiatives of the company.
3. Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	No

खंड घ : बीआर सूचना

1. बीआर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

1. डीआईएन नम्बर : 08643406
2. नाम : सुरेंद्र कुमार गुप्ता
3. पदनाम : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ख) बीआर प्रमुख का विवरण

1. डीआईएन नम्बर (यदि प्रयोज्य) 08643406
2. नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता
3. पदनाम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
4. दूरभाष संख्या 033-2287-0810
5. ई-मेल आईडी cmd@mstcindia.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनबीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ

निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी व्यवसाय के सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक दायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनबीजी) ने व्यवसाय दायित्व के नौ क्षेत्रों को अंगीकार किया है।

संक्षेप में ये निम्नानुसार हैं :

- पी1 व्यवसाय का संचालन एवं अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।
- पी2 व्यवसाय ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ दे जो सुरक्षित हों एवं अपने पूरे जीवन चक्र में सततता में योगदान दें।
- पी3 व्यवसाय सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करे।
- पी4 व्यवसाय सभी पक्षों का सम्मान करे एवं सभी हितधारकों को विशेष रूप से उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।
- पी5 व्यवसाय मानव अधिकारों का सम्मान एवं प्रचार करे।
- पी6 व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान एवं रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करें।
- पी7 व्यवसाय सार्वजनिक हित एवं नियामक नीति के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखे।
- पी8 व्यवसाय समावेशित एवं समान विकास का पक्षधर हो।
- पी9 व्यवसाय दायित्वशील रूप में अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ संबंध रखे एवं मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

क) अनुपालन का विवरण (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

क्रम	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या..... के लिए आपके पास नीति/नीतियाँ हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श पर नीति तैयार की गई है ? टिप्पणी 1 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या नीति राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? टिप्पणी 2 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, यदि हाँ, तो यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है ? टिप्पणी 3 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण हेतु कंपनी के पास बोर्ड/निदेशक/अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएँ। टिप्पणी 6 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को सूचित की गई है ? टिप्पणी 4 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों को कार्यान्वयन के लिए निजी संरचना है।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए नीति/नीतियों के विषय में शिकायत निवारक तंत्र है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इसी नीति के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया है ? टिप्पणी 5 देखें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

- (a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/policies
1. DIN Number : 08643406
 2. Name : Surinder Kumar Gupta
 3. Designation : Chairman and Managing Director
- (b) Details of the BR head
1. DIN Number : 08643406
 2. Name : Surinder Kumar Gupta
 3. Designation : Chairman and Managing Director
 4. Telephone number : 033-2287-0810
 5. E-mail ID : cmd@mstcindia.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies

The National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business (NVGs) released by the Ministry of Corporate Affairs has adopted nine areas of Business Responsibility.

These briefly are as follows:

- P1 Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability.
- P2 Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.
- P3 Businesses should promote the wellbeing of all employees.
- P4 Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.
- P5 Businesses should respect and promote human rights.
- P6 Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment.
- P7 Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.
- P8 Businesses should support inclusive growth and equitable development.
- P9 Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

(a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	Do you have a policy/ policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders? Refer Note 1	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national / international standards? Refer Note 2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director? Refer Note 3	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online? Refer Note 6.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders? Refer Note 4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency? Refer Note 5	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

टिप्पणी :

1. सभी हितधारकों के साथ औपचारिक परामर्श नहीं भी हो सकता है, संबंधित हितधारकों से निविष्टियाँ ग्रहण करते हुए समय के साथ संबंधित नीतियाँ तैयार हुई हैं।
2. एमएसटीसी ने विभिन्न नीतियों का गठन किया है, जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न प्रयोज्य बाध्यताओं / दिशानिर्देशों / नियमों / नीतियों आदि के अनुरूप है। नीति बनाते समय उद्योग अभ्यासों राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखा गया है।
3. अनुमोदित प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल के अनुसार नीतियाँ बोर्ड / सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित हैं।
4. जहाँ भी उपयुक्त हो, संबंधित हितधारकों को नीतियाँ सूचित कर दी गई हैं।
5. बाहरी एजेंसियों द्वारा नीतियों की लेखा परीक्षा / मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि विभिन्न सांविधिक दिशानिर्देशों एवं व्यवसाय की आवश्यकता एवं समय समय पर किए गए संशोधन के दायरे में नीतियों को तैयार किया गया है।
6. नीतियों के लिए लिंक निम्नानुसार हैं :

नीति का नाम	वेबलिंक
धोखाधड़ी रोकथाम की नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/FPF-MSTC.htm
व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी (सचेतक नीति)	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Whistle_Blower_Scheme.htm
व्यवसाय आचरण एवं आचार संहिता	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/BOD/Model_code_of_business_conduct.pdf
संबंधित पार्टी लेनदेन की उपयुक्तता एवं संबंधित पार्टी लेनदेन के सौदे पर नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/RELATEDPARTYTRANSACTIONS.pdf
स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रकटन हेतु गतिविधियों या सूचना की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु मानदंड पर नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/POLICYFORDETERMINATIONOFMATERIALITYOFEVENTSORINFORMATION.pdf
लाभांश वितरण नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/DIVIDENDDISTRIBUTIONPOLICY.pdf
भीतरी व्यवसाय की रोकथाम के लिए आचार संहिता, वैध प्रयोजन के निर्धारण हेतु नीति, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना का निष्पक्ष प्रकटन एवं यूपीएसआई के लीक होने के मामले में जाँच हेतु नीति एवं कार्य-प्रक्रिया	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/THECODEOFINTERNALPROCEDURESANDCONDUCTFORPROHIBITIONOFINSIDERTRADING.pdf
निगमित सामाजिक दायित्व एवं सततता विवरण नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/CSR/MSTC_CSR_Policy.pdf
कागजातों का संरक्षण एवं आर्काइव नीति	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/PreservationofdocumentsandArchivepolicies.pdf
यौन उत्पीड़न नीति	www.mstcindia.co.in
पर्यावरणीय नीति	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Environmental%20Policy.pdf
ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ताओं के लिए नीति	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Policy%20towards%20Customer%20and%20Suppliers.pdf
सुरक्षा एवं सतत सेवाओं पर नीति	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Policy%20on%20Safe%20and%20Sustainable%20Services.pdf

Notes:

1. While there may not be formal consultation with all stakeholders, the relevant policies have evolved over a period of time by taking inputs from concerned stakeholders.
2. MSTC has framed various policies which confirm to different applicable statutes/ guidelines/ rules/ policies, etc., issued by the Government of India from time to time. Industry practices, national/international standards are kept in view while formulating the policies.
3. The policies are approved by the Board/Competent Authorities as per the approved Delegation of Authority.
4. The policies have been communicated to relevant stakeholders wherever appropriate.
5. The policies are not audited/evaluated by external agencies. However, the policies are formulated within the ambit of various statutory guidelines and business requirement and amended from time to time.
6. Link for the policies are as follows:

Name of the Policy	Weblink
Policy for Prevention of Fraud	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/FPF-MSTC.htm
Whistle Blower Policy	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/MSTC%20Whistle%20Blower%20Policy.pdf
Code of Business Conduct and Ethics	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/BOD/Model_code_of_business_conduct.pdf
Policy on Materiality of Related Party Transactions and dealing with Related Party Transactions	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/RELATEDPARTYTRANSACTIONS.pdf
Policy on Criteria for determining Materiality of Events or Information for disclosure to Stock Exchanges	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/POLICYFORDETERMINATIONOFMATERIALITYOFEVENTSORINFORMATION.pdf
Dividend Distribution Policy	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/DIVIDENDDISTRIBUTIONPOLICY.pdf
Code of Conduct for prevention of Insider Trading, Policy for determining legitimate purpose, Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information and Policy and procedure for inquiry in case of leak of UPSI	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/THECODEOFINTERNALPROCEDURESANDCONDUCTFORPROHIBITIONOFINSIDERTRADING.pdf
Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Policy	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/CSR/MSTC_CSR_Policy.pdf
Preservation of documents and Archive Policy	https://mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/newpolicy/PreservationofdocumentsandArchivepolicies.pdf
Sexual Harassment Policy	www.mstcindia.co.in
Environmental Policy	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Environmental%20Policy.pdf
Policy towards Customers and Suppliers	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Policy%20towards%20Customer%20and%20Suppliers.pdf
Policy on Safe and Sustainable Services	https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/Policy%20on%20Safe%20and%20Sustainable%20Services.pdf

ख) किसी भी सिद्धांत के लिए क्रम सं० 1 में दिए गए प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया बताएं क्यों : (2 विकल्प तक निशान लगाएँ)

क्रम	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	कंपनी उस चरण में नहीं है, जहाँ वह स्वयं को निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वयन करने की स्थिति में आ सके	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	इस कार्य के लिए कंपनी के पास वित्तीय या जनशक्ति के रूप में संसाधन नहीं हैं	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	अगले 6 महीने में किए जाने की योजना है	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	अगले 1 वर्ष के अंदर किए जाने की योजना है।	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

कंपनी के बीआर निष्पादन का आकलन निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कितनी बार किया जाता है। 3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक

वार्षिक

क्या कंपनी बीआर या सततता रिपोर्ट का प्रकाशन करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है ? यह कितनी बार प्रकाशित होता है ?

बीआर इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। वार्षिक रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक है

<https://mstcindia.co.in/content/Financialperformance.aspx>

खंड ड : सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1 : नैतिकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही

1.1 क्या नैतिकता, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबंधी नीति केवल कंपनी को संरक्षित करती है ? हाँ/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को शामिल करती है ?

हाँ। एमएसटीसी ने ट्रांसपैरेंसी इंटरनैशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी) पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा, सतर्कता विभाग भी संगठन एवं राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय की अन्य भ्रष्टाचार-रोधी एजेंसियों आदि के बीच एक लिंक का कार्य करता है एवं उद्देश्य को हासिल करने में कंपनी का मार्गदर्शन करता है।

1.2 गत वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संतोषप्रद समाधान का प्रतिशत कितना था ? यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों से कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन उद्देश्य से 33 शिकायतों (91.67%) का निपटारा किया जा चुका है एवं 3 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं। आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों की शिकायतें एवं संबंधित क्षेत्र/शाखा एवं विभाग के मत शिकायत समिति द्वारा जाँच पड़ताल की गई, ताकि शिकायतों के समाधान हेतु सिफारिशें पारित की जा सकें। समिति की सिफारिश के अनुसार संबंधित क्षेत्र/शाखा एवं विभाग ने शिकायतों के निपटारा के लिए कदम उठाया है।

सिद्धांत 2 : व्यवसाय ऐसी वस्तुएँ एवं सेवाएँ प्रदान करे जो सुरक्षित हैं एवं उनके पूरे जीवन चक्र की सततता में योगदान दे।

2.1 अपने 3 उत्पादों एवं सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है।

एमएसटीसी एक ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता कंपनी है।

1. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
2. ई-अभिशासन का डिजिटल इजेशन
3. एग्री क्षेत्र के लिए जैविक खेती पोर्टल

2.2 ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, प्रति यूनिट उत्पाद पर संसाधन के इस्तेमाल (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक):

ई-कॉमर्स एवं ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म कार्बन अवशेष को कम करने में मदद करते हैं एवं अधिक पारदर्शिता लाते हैं।
खुली नीलामी से प्रतिस्पर्धी बोली सुनिश्चित होती है एवं सामान्य रूप से सर्वाधिक लाभ सुनिश्चित करने एवं विशेष रूप से जनहित के विरुद्ध इच्छुक पक्षों के बीच व्यवसायी समूहन एवं टकराव की संभावना को दूर करती है।

(b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	The company has not understood the Principles	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	It is planned to be done within next 6 months	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	It is planned to be done within the next 1 year	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Any other reason (please specify)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Governance related to BR

Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

Annually

Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

The BR is a part of its Annual Report. The hyperlink of viewing annual report is <https://mstcindia.co.in/content/Financialperformance.aspx>

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Ethics, Transparency and Accountability

1.1 Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/ Others?

Yes. MSTC has signed an Integrity Pact (IP) with Transparency International India (TII). Further the Vigilance department also acts as a link between the organisation and other anti-corruption agencies of State Governments and Administrative Ministry etc. and guide company in achieving the objective.

1.2 How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

During the Financial Year 2020-21, 36 grievances in total were received from both internal and external stakeholders. Out of 36, 33 grievances (91.67%) were disposed of and 3 were under process. Grievances of the internal and external stakeholders and the comments of the concerned region/branch and department were examined by the Grievance Committee to pass the recommendation for redressal of the grievances. According to the recommendation of the Committee, concerned Region/ Branch and Departments have taken action to redress the grievances.

Principle 2 : Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.

2.1 List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

MSTC is an e-commerce service provider company.

1. E-Commerce Platform
2. Digitization of e-governance
3. Jaivik Kheti portal for Agro Sector.

2.2 For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

E-Commerce and E-Auction platform helps in reducing carbon footprint and bring more transparency. Open auctions ensure competitive bidding, and eliminate

2.3 क्या कंपनी के पास सतत स्रोत के लिए कार्य-प्रक्रियाओं की व्यवस्था है (परिवहन समेत)

यदि हाँ, तो आपकी निविष्टियों का कितना प्रतिशत सतत रूप से प्राप्त किया गया था? साथ ही, 50 शब्दों के आसपास इसका विवरण दें।

2.4 क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों समेत स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय हेतु कोई कदम उठाया है?

यदि हाँ, तो स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं समर्थता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

2.5 क्या कंपनी के पास उत्पादों एवं अपशिष्टों के पुनर्चक्रण के लिए कार्यविधि है? यदि हाँ, तो उत्पाद एवं अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (पृथक रूप से <5%, 5-10%, >10%)। साथ ही 50 शब्दों के आसपास इसका विवरण दें।

सिद्धांत 3 : व्यवसाय सभी कर्मचारियों के कल्याण को प्रोत्साहित करे।

3.1 कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें

3.2 अस्थायी/ठेकाजनिता/आकस्मिक आधार पर किराये पर लिए कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें

3.3 कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या सूचित करें

3.4 कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या सूचित करें

3.5 क्या आपके पास कोई कर्मचारी संघ है, जो प्रबंधन द्वारा स्वीकृत है

3.6 आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस स्वीकृत कर्मचारी संघ का सदस्य है?

3.7 कृपया गत वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित एवं वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।

जैविक खेती पोर्टल - सतत कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करता है एवं लम्बे समय में व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के मोनोपॉल को समाप्त करने में इससे मदद मिलेगी।

प्रयोज्य नहीं

हाँ, एमएसटीसी स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं और एमएसएमई की भागीदारों को सहयोग देने के साथ उत्साहित करती है एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न नीतियों एवं दिशानिर्देशों का पालन करती है।

एमएसटीसी एक ई-कॉमर्स कंपनी है एवं मुख्य रूप से बिक्री एवं खरीद के लिए मंच प्रदान करती है। कंपनी मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर प्रदान कर रही है एवं एक अच्छे निगमित नागरिक के रूप में उत्पादित अपशिष्ट के कुशल प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित किया है।

कंपनी के पास फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड के नाम में एक 100% सहायक कंपनी है जो लौह एवं इस्पात स्क्रेप और अन्य धातुओं के पुनरुद्धार हेतु स्टील मिल्स स्लैग एवं अन्य परित्यक्त और मलबे के प्रक्रिया व्यवसाय का निष्पादन करती है। इसके अलावा, कंपनी के पास महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्रा. लिमिटेड के नाम में एक अनुषंगी कंपनी है जो ईएलवी एवं एंड ऑफ लाइफ व्हाइट गुड्स एवं अन्य सामग्रियों के संग्रह, पृथक्करण, प्रक्रियाकरण, पुनर्चक्रण एवं आयात के व्यवसाय करती है।

31.03.2021 को 335

31.03.2021 को 2

31.03.2021 को 56

10

हाँ

लगभग 29%

क्रम श्रेणी

वित्तीय वर्ष के दौरान

दाखिल शिकायतों की सं.

1. बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी

शून्य

2. यौन उत्पीड़न

शून्य

3. पक्षपातपूर्ण नियोजन

शून्य

2.3 Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

2.4 Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

2.5 Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

the possibility of cartelization and collusion between the interested parties, for profit maximization in general, and against public interest in particular.

Jaivik Kheta portal encourages sustainable agricultural practices and will help in long range to demolish the monopoly enjoyed by the traders and commission agents.

Not applicable

Yes, MSTC support and encourage the participation of local and small vendors and MSME and follows various policy and guidelines issued by the Govt. of India from time to time.

MSTC is an e-commerce company and mainly providing platform for sale and purchase. The company is basically providing software and as a good corporate citizen adopted focused approach to manage waste generation.

The Company has a 100% Subsidiary namely Ferro Scrap Nigam Limited which carries out the business of process of steel mills slag and other refuse and debris for the recovery of iron and steel scrap and other metallic. Further the Company has an associate company namely Mahindra MSTC Recycling Private Limited which is engaged in the business of collection, segregating, processing, recycling and importing of ELVs and end of life white goods and other materials.

Principle 3 : Business should promote the well-being of all employees

3.1 Please indicate the total number of employees.

335 as on 31.03.2021

3.2 Please indicate the total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.

2 as on 31.03.2021

3.3 Please indicate the number of permanent women employees.

56 as on 31.03.2021

3.4 Please indicate the number of permanent employees with disabilities

10

3.5 Do you have an employee association that is recognized by management?

Yes

3.6 What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

29% approximately

3.7 Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

No.	Category	No. of complaints filed during the financial year
1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil
2	Sexual harassment	Nil
3	Discriminatory employment	Nil

3.8 पिछले वर्ष आपके उल्लेखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था ?

क) स्थायी कर्मचारियों	39%
ख) स्थायी महिला कर्मचारियों	18%
ग) आकस्मिक /अस्थायी/टेकाजनित कर्मचारियों	-
घ) दिव्यांग कर्मचारियों	40%

सिद्धांत 4 : व्यवसाय सभी पक्षों का सम्मान करे एवं सभी हितधारकों को विशेष रूप से उपेक्षित, वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।

4.1 क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाहरी हितधारकों की व्यवस्था की है ? हाँ/नहीं

- हाँ,
प्रमुख श्रेणी हैं
1. कर्मचारी
 2. ग्राहक
 3. सरकारी एवं नियामक प्राधिकरण
 4. निवेशक
 5. स्थानीय समुदाय

4.2 उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित एवं कमजोर वर्ग के हितधारकों की पहचान की है ?

हाँ

4.3 क्या उपेक्षित, सुविधाओं से वंचित एवं कमजोर वर्ग के हितधारकों से जुड़ने के लिए कंपनी ने कोई विशेष पहल की है ? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

हाँ, कंपनी अपने सीएसआर कार्यकलापों के माध्यम से शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं स्वच्छ भारत मिशन के क्षेत्र में कार्य करती है।

सिद्धांत 5 : व्यवसाय मानव अधिकार का सम्मान एवं प्रचार करे।

5.1 क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को संरक्षित रखती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ एनजीओ/अन्य को भी शामिल करती है ?

यह नीति केवल एमएसटीसी को संरक्षित रखती है।
तथापि, एमएसटीसी, इसकी सहायक एवं अनुषंगी कंपनियाँ अच्छे निगमित अभिशासन के प्रचार हेतु एवं अत्यंत पारदर्शी और नैतिक उपाय से व्यवसाय के निष्पादन के लिए सभी क्षेत्रों में हितधारकों के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.2 गत वित्तीय वर्ष में हितधारक की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं कितने प्रतिशत का निष्पादन प्रबंधन द्वारा संतोषजनक तरीके से किया गया ?

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आंतरिक एवं बाहरी हितधारकों से कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें से 33 शिकायतों (91.67%) का निपटारा किया गया एवं 3 प्रक्रियाधीन हैं।

सिद्धांत 6 : व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान एवं रक्षा करे और बनाए रखने का प्रयास करे।

6.1 सिद्धांत 6 से संबंधित नीति क्या केवल कंपनी को संरक्षित रखती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को शामिल करती है ?

इस सिद्धांत में निर्दिष्ट तथ्य कंपनी की व्यवसाय प्रकृति के संगत में नहीं हैं। कंपनी अपने परिसर एवं प्रचालनों के संबंध में प्रयोज्य पर्यावरणीय विनियमों का पालन करती है। इसके अलावा, पर्यावरणीय मामलों के निवारण से संबंधित प्रयासों में कंपनी हिस्सा लेती है। स्क्रेपेज नीति चालू करने के लिए कंपनी ने प्रयास किए हैं। केंद्रीय बजट 2021 में सरकार ने पुराने एवं अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रेपिंग नीति की घोषणा की है, जिससे ईंधन क्षमता को बढ़ाने, पर्यावरणीय उपयोगी वाहनों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी जिससे वाहन संबंधी प्रदूषण कम होगा एवं तेल की आयात लागत कम होगी।

6.2 क्या वैश्विक पर्यावरणीय मामलों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग आदि पर ध्यान देने के लिए कंपनी के पास नीति/पहल है ? हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें।

हाँ, कंपनी अपनी सहयोगी एवं अनुषंगी कंपनी के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस विषय में विवरण यहां से देखा जा सकता है।
<https://www.mstcindia.co.in/content/about.aspx>

6.3 क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान एवं आकलन

हाँ

3.8 What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

(a) Permanent Employees	39%
(b) Permanent Women Employees	18%
(c) Casual/Temporary/Contractual Employees	-
(d) Employees with Disabilities	40%

Principle 4 : Business should respect the interest of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

4.1 Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

Yes
The key categories are
1. Employees
2. Customers
3. Government and Regulatory Authorities
4. Investors
5. Local communities

4.2 Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?

Yes

4.3 Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Yes, the Company through its CSR activities works in the field of Education, Women empowerment, Skill development and Swachh Bharat Mission.

Principle 5 : Business should respect and promote human rights

5.1 Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

The policy covers only to MSTC. However, MSTC, its subsidiary and JV company are committed to work with stakeholders in all sectors to promote good corporate governance and to carry out business in utmost transparent and ethical way.

5.2 How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

During the Financial Year 2020-21, 36 grievances in total received from both internal and external stakeholders. Out of this, 33 grievances (91.67%) were disposed of and 3 were under process.

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

6.1 Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.

The aspects outlined under this Principle are not relevant to the nature of business of the Company. The Company complies with applicable environmental regulations in respect of its premises and operations. Further, the Company participates in initiatives towards addressing environmental issues. The Company has made efforts for introducing scrappage policy. In union budget 2021, the government has announced introduction of voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles which will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import cost.

6.2 Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

Yes. Company through its subsidiary and associate company are working in this area. The details in this regard can be referred from <https://www.mstcindia.co.in/content/about.aspx>.

किया है? हाँ/नहीं

6.4 क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र (क्लीन डेवलपमेंट मिनेजिज्म) से संबंधित कोई परियोजना है? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें। साथ ही, यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गई है।

6.5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई पहल की है? हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपरलिंक दें।

6.6 वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा उत्पादित निस्सरण/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमानित सीमा के अंदर रिपोर्ट की गई है?

6.7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ / कानूनी नोटिस की संख्या जो लंबित है (अर्थात संतोषप्रद समाधान नहीं हुआ)।

सिद्धांत 7 : व्यवसाय सार्वजनिक हित एवं नियामक नीति के प्रति जिम्मेदारी का रुख रखे।

7.1 क्या आपकी कंपनी किसी व्यवसाय और चेम्बर या एसोसिएशन का सदस्य है?

यदि हाँ, तो केवल कुछ प्रमुख का नाम बताएं, जिनमें आपका व्यवसाय होता है

7.2 क्या आपने लोक हित की प्रगति या बेहतरी के लिए उपर्युक्त एसोसिएशन के माध्यम से वकालत/ समर्थन किया है? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स: अभिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)

सिद्धांत 8 : व्यवसाय समावेशित प्रगति एवं समान विकास का पक्षधर हो

8.1 क्या सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के लिए कंपनी के पास निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/ परियोजनाएँ हैं? यदि हाँ, तो इसका विवरण दें।

एमएसटीसी ने अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी एमएमआरपीएल के माध्यम से पुनर्चक्रण क्षेत्र में कदम रखा है। एमएमआरपीएल ईएलवी एवं अन्य व्हाइट गुड्स को श्रेडेड स्क्रेप में बदलते हुए इनके पुनर्चक्रण हेतु अति संगठित एवं अत्याधुनिक श्रेडिंग प्लांट भारत में स्थापित करने के लिए तत्पर है, ये स्क्रेप इस्पात संयंत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियाँ हैं।

हां, कंपनी का प्रस्तावित कॉर्पोरेट कार्यालय ऊर्जा सुदक्ष एवं जीआरआईएचए 3 स्टार दर्जे वाला हरित भवन है। इस प्रस्तावित भवन में बिजली की कम खपत होगी एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी।

प्रयोज्य नहीं

1

1. इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)
2. कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)

नहीं

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई परियोजना हाथ में नहीं ली है, तथापि पहले के वित्तीय वर्षों में कंपनी के पास सीएसआर नीति में परिभाषित विभिन्न परियोजनाएँ एवं पहल हैं। पहले के वित्तीय वर्षों में कंपनी द्वारा ली गई कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं;

साक्षरता एवं शिक्षा ;

- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को सहयोग।
- भारत के विभिन्न स्कूलों में कक्षाओं/स्कूल भवन का निर्माण एवं नवीकरण।
- मिड डे मील योजना के लिए खाने की जगह का निर्माण।

स्वास्थ्य देखरेख ;

- स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय का निर्माण।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस का क्रय।
- चिकित्सा केन्द्रों के लिए चिकित्सा उपकरण का क्रय।
- बीमार शिशु की देखभाल वाले केन्द्र का निर्माण।

- 6.3 Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N
- 6.4 Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?
- 6.5 Has the company undertaken any other initiatives on clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.
- 6.6 Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?
- 6.7 Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

Yes

MSTC, through its Joint Venture company MMRPL, forayed the recycling sector. MMRPL is poised to set up one of the organized state of the art auto shredding plant in India for recycling ELVs and other white goods by converting these into shredded scrap which is a vital raw material for steel plants.

Yes

The proposed corporate office of the company is energy efficient and GRIHA 3 star rated green building. The proposed building will result in less consumption of electricity and help to keep environment clean.

Not applicable

1

Principle 7 : Business when engaged in influential public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.

- 7.1 Is your company a member of any trade and chamber or association?
If Yes, Name only those major ones that your business deals with:
- 7.2 Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good?
Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

Yes,

1. Indian Chamber of Commerce (ICC)
2. Confederation of Indian Industry (CII)

No

Principle 8 : Business should support inclusive growth and equitable development

- 8.1 Does the company have specified programmes / initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

During the current financial year company has not taken up any project however in earlier financial years company has various projects and initiative defined in the CSR policy some of the major initiative taken by the company in the earlier financial years are as follows;

Literacy and Education;

- Support to schools imparting education in rural and tribal areas.
- Construction and renovation of class rooms / school building in various schools across India.
- Construction of Dining Space for mid-day meal scheme

Healthcare;

- Construction of toilet for girls in school.
- Purchase of Ambulance for rural areas
- Purchase of medical equipment for medical centers.
- Construction of ill baby care center.

कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण

- युवाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण।
- गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रबंध।
- कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए आश्रय घर का निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान।
- आदिवासी महिलाओं में सिलाई मशीन का वितरण।
- लड़कियों के स्कूल की प्रयोगशाला के लिए कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला के उपकरणों का क्रय।

8.2 क्या संगठन की निजी टीम/निजी फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी ढांचे/किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यक्रम/ परियोजनाएँ की गई ?

एमएसटीसी ने एनजीओ, राज्य/जिला प्राधिकारियों एवं न्यास की सहयोगिता में कई सीएसआर कार्यक्रमों को किया है। सीएसआर समितियों एवं सहयोगी संगठन द्वारा सीएसआर कार्यक्रमों पर निगरानी रखी जाती है।

8.3 अपने प्रयास या पहल का क्या आपने कोई प्रभाव आकलन किया है ?

प्रभाव आकलन एमएसटीसी लिमिटेड पर लागू नहीं होता है।

8.4 समुदाय विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है-भारतीय रुपये में राशि एवं संबंधित परियोजनाओं का विवरण ?

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एण्ड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशन्स फंड (पीएम केयर्स फंड) में कोविड-19 के लिए ₹ 50.00 मिलियन का योगदान दिया है।

8.5 इस समुदाय विकास पहल को जनसमुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अंगीकार किए जाने की सुनिश्चितता हेतु क्या आपने कोई कदम उठाया है ? कृपया लगभग 50 शब्दों में बताएं।

कंपनी की सीएसआर समिति समय-समय पर परियोजनाओं का दौरा करती है एवं यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर टीम द्वारा निष्पादित विकास कार्य को जन समुदाय द्वारा अपनाया जाए।

सिद्धांत 9 : व्यवसाय दायित्वशील रूप में अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के साथ संबंध रखे एवं मूल्य प्रदान करें।

9.1 वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें /उपभोक्ता मामले लंबित हैं ?

नगण्य अर्थात 31.03.2021 को 300 लंबित मामलों में से 3 ग्राहक मामले लंबित हैं।

9.2 क्या कंपनी स्थानीय विधि-विधानों के अनुसार अनिवार्य पहलुओं के अलावा उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है ? हाँ/नहीं/प्रयोज्य नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)

प्रयोज्य नहीं

9.3 क्या गत पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यवसाय अभ्यासों, गैर-दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी-रोधी आचरण के संबंध में कंपनी के विरुद्ध किसी हितधारक ने कोई मामला दायर किया है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

नहीं

9.4 क्या आपकी कंपनी ने कोई ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि विचारधाराओं का निष्पादन किया है ?

नहीं

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

स्थान : कोलकाता

तिथि : 25 जून, 2021



(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन : 08643406]

8.2 Are the programmes /projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?

8.3 Have you done any impact assessment of your initiative?

8.4 What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken?

8.5 Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

Principle 9 : Business should engaged with and provide value to their customers in a responsible manner

9.1 What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

9.2 Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)

9.3 Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

9.4 Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

Skill development and Women empowerment

- Construction of training center for youth.
- Organizing skill development training for poor youth.
- Construction of shelter home for marginalized women and provide training.
- Distribution of sewing machine to tribal women.
- Purchase of computers and laboratory equipments for girls school laboratory.

MSTC take up various CSR activities in partnership with NGO's, State/District Authorities and Trust. The CSR activities are monitored by CSR committees and partnering organization.

Impact assessment is not applicable to MSTC Limited

During the current financial year company has contributed Rs. 50.00 million to the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) for Covid 19

The CSR Committee of the Company visits the projects on time to time basis and ensure that the development work carried by the CSR team is adopted by the community.

Negligible i.e. 3 out of around 300 pending cases are consumer cases pending as on 31.03.2021

Not applicable

No

No

For and on behalf of the Board of Directors



(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and Managing Director
[DIN : 08643406]

Place : Kolkata
Date : June 25, 2021

वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

- (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर नीति का गठन किया है जो बोर्ड की विधिवत संगठित सीएसआर समिति द्वारा संस्तुत एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। नीति कंपनी की वेबसाइट : www.mstcindia.co.in पर उपलब्ध है।
- (ख) नीति का लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा, संसाधनों का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने हेतु समावेशित वृद्धि एवं सतत विकास के साथ दायित्वशील व्यवसाय करना है।
- (ग) बोर्ड अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक के साथ सीएसआर समिति का गठन करेगा। नोडल अधिकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यान्वित करेगा। कंपनी सचिव समिति के सचिव होंगे।
- (घ) समिति बजट, की जाने वाली परियोजना एवं कार्यान्वयन की पद्धति को अनुमोदित करेगी। समिति एवं बोर्ड सुनिश्चित करेंगे कि चालू वर्ष हेतु बजट विगत 3 वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का कम से कम 2% हो।
- (ङ) कार्यकलापों में कंपनी की सीएसआर नीति के अनुलग्नक के अधीन सम्मिलित सभी गतिविधियां होंगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII एवं डीपीई दिशानिर्देश के अधीन प्रदत्त मर्दे शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त समिति / बोर्ड द्वारा सरकारी दिशानिर्देश / अनुदेश पर विचार किया जाएगा।
- (च) एमएसटीसी अन्य पीएसयू, सरकारी एजेंसी, एनजीओ के साथ, अगर अपेक्षित हो, परियोजना के मेरिट के आधार पर संयुक्त परियोजनाओं के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

2. सीएसआर समिति का गठन:

सीएसआर समिति का गठन, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या एवं दर्ज उपस्थिति के सम्बंध में विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति के खंड से देखा जा सकता है।

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को निम्नलिखित वेब-लिंक पर कंपनी की वेबसाइट में प्रकट किया गया है।

- क) सीएसआर समिति का गठन <https://www.mstcindia.co.in/content/BODComm.aspx>
- ख) सीएसआर नीति https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/CSR/CSR_Home.htm
- ग) सीएसआर परियोजनाएँ https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/CSR/CSR_Home.htm

4. सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी आकलन का विवरण कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित हुआ है, यदि प्रयोज्य (रिपोर्ट संलग्न करें); प्रयोज्य नहीं

5. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में अलग रखे जाने हेतु उपलब्ध राशि एवं वित्तीय वर्ष के लिए अलग रखे जाने हेतु आवश्यक राशि का विवरण, यदि है।

क्रम सं	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से अलग रखे जाने हेतु उपलब्ध राशि (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष के लिए अलग रखे जाने हेतु आवश्यक राशि, यदि है (₹ लाख में)
1	2019-20	54.00*	शून्य
	कुल	54.00	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (लाख ₹ में) : (₹ 937.60)

7. वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर दायित्व का विवरण

क्रम सं०	विवरण	राशि (₹ लाख में)
क	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	(18.75)
ख)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न अधिशेष	शून्य
ग)	वित्तीय वर्ष के लिए अलग रखी जाने वाली राशि, यदि कोई हो	शून्य
घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क + 7ख - 7ग)	(18.75) अर्थात् शून्य *

Annual Report on CSR Activities for the Financial Year 2020-21

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

- Company has formulated a CSR Policy in line with the Companies Act, 2013 which has been recommended by duly constituted CSR Committee of the Board and approved by the Board. The policy is available at Company's website at www.mstcindia.co.in.
- The vision of the Policy is blending responsible business with inclusive growth and Sustainable Development for protecting environment, conserving resources and improving human health and education.
- Board shall constitute a CSR Committee with an Independent Director as Chairman. Nodal officers shall implement the decisions taken by the Committee. Company Secretary shall be secretary to the Committee.
- The Committee shall recommend budget, the projects to be taken up, and the method of implementation. The Committee and the Board shall ensure that at least 2% of the average Profit Before Tax (PBT) of preceding 3 years is the budget for the current year.
- Activities shall include all activities covered under Annexure to the CSR Policy of the Company which includes inter alia, items as provided under Schedule VII of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines. Additionally, any Govt. guidelines/instructions shall be considered by the Committee/Board.
- MSTC shall also encourage collaborative projects with other PSUs, Govt. agencies, NGOs, if required, on the basis of merit of the project.

2. Composition of CSR Committee:

The details regarding Composition of CSR Committee, number of meetings held during the year and attendance records can be referred from the section of Corporate Social Responsibility (CSR) Committee in the Corporate Governance Report.

3. Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company on the following web-link:

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Composition of CSR committee | https://www.mstcindia.co.in/content/BODComm.aspx |
| b. CSR Policy | https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/CSR/CSR_Home.htm |
| c. CSR projects | https://www.mstcindia.co.in/MSTC_Static_Pages/frontpage/CSR/CSR_Home.htm |

4. Details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report): Not Applicable

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (₹ in lakh)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (₹ in lakh)
1	2019-20	54.00*	Nil
	Total	54.00	Nil

6. Average net profit of the company as per section 135(5) (₹ in lakh): ₹ (937.60)

7. Details of CSR obligation for the financial year.

Sl.No.	Particulars	Amount (₹ in lakh)
a.	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	(18.75)
b.	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years	Nil
c.	Amount required to be set off for the financial year, if any	Nil
d.	Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c).	(18.75) i.e. Nil*

8 (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययीत या अव्ययीत सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययीत कुल राशि (₹ में)	अव्ययीत राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययीत सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन निर्दिष्ट किसी भी निधि में स्थानांतरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि के नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
शून्य*	शून्य		शून्य		

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के लिए व्ययीत सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)	परियोजना का स्थान	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता में स्थानांतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की विधि प्रत्यक्ष (हाँ/ना)	कार्यान्वयन की विधि कार्यान्वयनकारी एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					नाम	सीएसआर पंजीकरण सं०
शून्य*											

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा व्ययीत सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)	परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए व्ययित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन की विधि प्रत्यक्ष (हाँ/ना)	कार्यान्वयन की विधि कार्यान्वयनकारी एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला	नाम	सीएसआर पंजीकरण सं०
शून्य*							

घ)	प्रशासनिक खर्चों में व्यय की गई राशि	:	शून्य
ङ)	प्रभावी आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि प्रयोज्य हो	:	प्रयोज्य नहीं
च)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख + 8ग + 8घ + 8ङ)	:	शून्य
छ)	अलग से रखने हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो		

क्र. सं०	विवरण	राशि (₹ में)
i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	शून्य
iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई है	शून्य
v)	परवर्ती वित्तीय वर्षों में अलग रखने हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
Nil*	Nil		Nil		

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local area (Yes/No)	Location of the project	Project duration	Amount allocated for the project (in ₹)	Amount spent in the current financial Year (in ₹)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in ₹)	Mode of Implementation Direct (Yes/No)	Mode of Implementation Through Implementing Agency
State. District.									Name	CSR Registration No.
Nil*										

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in schedule VII to the Act	Local area (Yes/ No)	Location of the project	Amount spent for the project (in ₹)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing agency
State. District.							Name CSR Registration No.
Nil*							

(d) Amount spent in Administrative Overheads : Nil

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : Not Applicable

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e) : Nil

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	Nil
(ii)	Total amount spent for the financial year	Nil
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	Nil
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	Nil

***टिप्पणी :** कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 में हानि हुई है। इसके अलावा, कर पूर्व औसत लाभ (₹ 937.60) लाख है। इसलिए सीएसआर समिति एवं बोर्ड द्वारा तय किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर व्यय के लिए कोई बजट नहीं होगा। इसी अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई सीएसआर का निष्पादन नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने ₹ 200.00 लाख के सीएसआर फंड के प्रतिपक्ष में ₹ 254.00 लाख की सीएसआर परियोजना लिया है। कंपनी ने ₹ 200.00 लाख का पूरा सीएसआर बजट व्यय किया है। व्यय नहीं गई अनुमोदित राशि, जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर व्यय की अनिवार्य सीमा से अधिक है, और इस ₹ 54.00 लाख (लगभग) राशि को इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेंस एण्ड इमर्जेंसी सिचुएशन्स फंड (पीएम केयर्स फंड) में स्थानांतरित किया गया था।

एक अच्छे निगमित मंशा के रूप में, सीएसआर समिति और बोर्ड ने तय किया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जो परियोजना पूरी नहीं हुई थी एवं व्यय नहीं की गई संबंधित राशि जो कि पहलेही पीएम केयर्स फंड में स्थानांतरित की गई थी, की समीक्षा सीएसआर समिति द्वारा की जाएगी एवं सीएसआर समिति की समीक्षा एवं बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर, इस निधि को मामला-दर-मामला आधार पर योग्य परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जा सकता है।

9 (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययीत सीएसआर राशि का विवरण :

क्रम सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाता में स्थानांतरित राशि (₹ लाख में)	रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो,	परवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जानेवाली राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ लाख में)
				स्थानांतरण की तिथि	
				शून्य	

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1) क्रम सं.	(2) परियोजना आईडी	(3) परियोजना का नाम	(4) वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	(5) परियोजना की अवधि	(6) परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ में)	(7) रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ में)	(8) रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (₹ में)	(9) परियोजना की वस्तुस्थिति संपूर्ण हो चुकी/चालू है
								शून्य

10. पूंजी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए सीएसआर के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित की जाने वाली परिसंपत्ति के संबंध में विवरण

(परिसंपत्ति-वार विवरण)

- क) पूंजी परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि : प्रयोज्य नहीं
- ख) पूंजी परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर की राशि : प्रयोज्य नहीं
- ग) संस्था या लोक प्राधिकारी या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम के अधीन ऐसी परिसंपत्तियों को पंजीकृत किया गया, उनका पता आदि : प्रयोज्य नहीं
- घ) सृजित या अधिग्रहित पूंजी परिसंपत्ति (यों) का विवरण प्रदान करें (पूंजी परिसंपत्ति का संपूर्ण पता एवं स्थान) : प्रयोज्य नहीं
11. कारण बताएं, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में असमर्थ रही है : प्रयोज्य नहीं



(अपर्णा चतुर्वेदी)

अध्यक्ष, सीएसआर समिति

[डीआईएन : 00028647]



(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[डीआईएन : 08643406]

तिथि : 25 जून, 2021

***Note:** The Company has incurred losses in the financial year 2018-19. Further as the Average Profit Before Tax is ₹ (937.60) lakh, it was decided by the CSR Committee and the Board that during the financial year 2020-21 there will not be any budget for CSR expenditure. Accordingly, during the financial year 2020-21 no CSR project was undertaken.

During the financial year 2018-19 company has undertaken CSR project of ₹ 254.00 lakh against the CSR Fund of ₹ 200.00 lakh. Company had spent the entire CSR budget of ₹ 200.00 lakh. The unspent sanctioned amount, which however exceeded the mandatory limit of CSR expenditure as per the provisions of the Companies Act, 2013 aggregating to ₹ 54.00 lakh (approx.) were transferred to the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) during the FY 2019-20 as per the directions of Ministry of Steel, Government of India.

As a good corporate gesture the CSR Committee and the Board decided that, project which were not completed in the financial year 2018-19 and respective unspent amount which had already been transferred to PM Cares Fund, will be reviewed by the CSR Committee and based on the review of the CSR committee and approval of the Board, fund may be released to eligible projects on case to case basis.

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (₹ in lakh)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in ₹)
				Name of the Fund	Amount (₹ in lakh).	Date of transfer.	
NIL							

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

(1) Sl. No.	(2) Project ID	(3) Name of the Project	(4) Financial Year in which the project was commenced	(5) Project duration	(6) Total amount allocated for the project (in ₹)	(7) Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in ₹)	(8) Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year (in ₹)	(9) Status of the project - Completed/ Ongoing
Nil								

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year

(asset-wise details).

- (a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s). : Not Applicable
- (b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset. : Not Applicable
- (c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc. : Not Applicable
- (d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset). : Not Applicable

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5) : Not Applicable



(Aparna Chaturvedi)

Chairman CSR Committee

[DIN: 00028647]



(Surinder Kumar Gupta)

Chairman and Managing Director

[DIN: 08643406]

Date: June 25, 2021

प्रपत्र सं. - एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 की नियम सं. 9 के तहत]

सेवा में,

सदस्यगण,

एमएसटीसी लि.

मैंने एमएसटीसी लि. (सीआईएन : L27320WB1964GOI026211) (तत्पश्चात कंपनी के रूप में उल्लिखित) द्वारा किए गए अच्छे निगमित कार्यों के प्रयोज्य वैधानिक प्रावधान और उसके अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा निगमित संचालन/वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु उचित आधार प्रदान करती है जिसके अनुसार मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ।

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान एमएसटीसी लि. की पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों जिन्हें कंपनी ने तैयार किया है, उनकी जांच और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों व अधिकृत प्रतिनिधियों से मिली जानकारी और प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारी व अपनी जांच के आधार पर मैं यहां कंपनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ, जो आमतौर पर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधान के अनुपालन में है एवं कंपनी के पास बोर्ड की प्रक्रिया और अनुपालन की पद्धति उचित सीमा एवं तरीके में है एवं यहां दी गयी रिपोर्ट के अधीन है :

मैंने कंपनी की पुस्तकों एवं कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों, दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों की, जिन्हें एमएसटीसी लि. ने 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए मुझे उपलब्ध कराया है एवं उनका रखरखाव किया है, उनकी निम्न लागू प्रावधानों के अनुसार जांच की है :

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसमें तैयार नियम, जैसे लागू हों;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) व वहां बने नियम;
- डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 एवं नियमन तथा उसमें तैयार किए गए उप-कानूनों के अनुसार : लागू नहीं
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रीयपार प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारी के तहत बने नियम एवं विनियम;
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित नियमावली एवं दिशा-निर्देश :
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पर्याप्त शेयरों का अधिग्रहण व अधिनीकरण) विनियम, 2011;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भीतरी ट्रेडिंग पाबंदी) विनियम, 2015;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निक्षेपागार एवं भागीदारी) विनियम, 2018;
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
- प्रबंधन द्वारा किये गये प्रतिनिधित्व के अनुसार कंपनी को प्रयोज्य अन्य कानून

मैंने निम्न प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

- निर्दिष्ट बोर्ड एवं साधारण सभाओं के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सचिवीय मानकों का इंस्टीट्यूट द्वारा अधिनियम के अधीन अभी निर्दिष्ट किया जाना बाकी है।
- कंपनी द्वारा बीएसई लि. व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के साथ की गई सूचीबद्धता संबंधी समझौते

समीक्षाधीन अवधि में कंपनी द्वारा मुझे दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए निरूपण के अनुसार आमतौर पर कंपनी ने अधिनियम के प्रावधान, नियमों, नियमनों, दिशा-निर्देशों आदि का पालन किया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथापि निम्नलिखित विषयवस्तुओं के संबंध में मेरा अवलोकन निम्नानुसार है

- कंपनी के निदेशक मंडल एवं इसकी समितियों के गठन के संबंध में, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक की संख्या में कमी रही है।

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

[Pursuant to Section 204 (1) of the companies act, 2013 and rule No.9 of the companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personal) rules, 2014]

**To,
The Members,
MSTC Limited**

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provision and the adherence to good corporate practices by MSTC Limited (CIN: L27320WB1964GOI026211) (hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provides me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the MSTC Limited's books, paper, minute books, forms, and return filed and other records maintained by the company and also the information provided by the company, its officers, agents and authorized representative during the conduct of secretarial audit and as per the explanations given to me and the representation made by the management, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021 generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that company has proper Board process and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined books, papers, minute books, forms and returns filed and other records made available to me and maintained by the MSTC Limited for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the applicable provision of:

- i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made there under, as applicable;
- ii. The Securities contract (regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- iii. The Depository Act, 1996 and the regulation and Bye-laws framed there under : Not Applicable
- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct investment, Overseas direct Investment and External Commercial borrowing;
- v. The following regulations and guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):
 - a. Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
 - b. Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - c. Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - d. Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - e. Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;
 - f. Securities and Exchange Board of India (Registrar to an issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;
- vi. Other laws applicable to the company as per the representations made by the Management.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i. Secretarial standards of the Institute of Company Secretaries of India with respect board and general meetings are yet to be specified under the Act by the Institute.
- ii. The Listing agreements entered into by company with BSE limited and National Stock Exchange of India limited.

During the period under review and as per the explanations and clarifications given to me and the representation made by management, the company has generally complied with the provision of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above. However, with respect to the following matters my observations are as follows:

- With respect to constitution of Board of Directors of the Company and the committees thereof, there exists shortage in the number of Independent Director during the financial year under review.

अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन किए गए थे। सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए थे। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स अग्रिम में भेजे गए थे और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है।

प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के अनुसार बोर्ड की बैठकों में आम सहमति से निर्णय लिए गए।

मैं आगे प्रबंधन की तरफ से मुझे दिये गए स्पष्टीकरण एवं किए गये प्रतिनिधित्व के अनुसार प्रतिवेदन करता हूँ तथा उन पर मेरे विश्वास के अनुसार कंपनी के पास अपने आकार व परिचालन के अनुसार सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चितता हेतु उपयुक्त पद्धति व प्रक्रिया मौजूद है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लेखा परीक्षा की अवधि में ऐसी कोई निर्दिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं हुई, जिसका कंपनी के मामलों पर उपरोक्त प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि जैसा कि ऊपर उल्लेख है, के अनुसार कोई असर पड़ा है।

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 19 जून, 2021

यूडीआईएन : F009766C000488519

सीएस सौम्यो ज्योति सील

एफसीएस : 9766

सी.पी. नं. : 11169

यह रिपोर्ट मेरे समदिनांक पत्र जो अनुलग्नक-क में है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है, के साथ पढ़ी जाए।

‘अनुलग्नक क’

सेवा में

सदस्यगण

एमएसटीसी लिमिटेड

मेरी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है और इसके तहत मेरा कार्य इन सचिवीय रिकॉर्डों पर मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।
2. सचिवीय रिकॉर्डों के तथ्यों की सटीकता से जुड़े उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने की दिशा में मैंने उपयुक्त लेखा परीक्षा कार्य व प्रक्रिया का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो। मैंने जो प्रक्रिया व पद्धति अपनायी है वो मेरे विचार व्यक्त करने के पर्याप्त आधार हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और खाता-बही की सत्यता व उपयुक्तता की जांच नहीं की है।
4. जब भी जरूरत पड़ी, मैंने प्रबंधन के प्रतिनिधियों से कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में जानकारी ली है।
5. निगम के प्रावधान व अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच इनकी परीक्षण प्रक्रिया की जांच तक सीमित है।
6. इस सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी, निष्कर्ष, घोषणा आदि पर मैंने भरोसा किया है, कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन पर विचार करते हुए जानकारी एवं पुष्टिकरण डिजिटल माध्यम से प्राप्त किए गए थे।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की संभाव्यता का और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन के आचरण की दक्षता या प्रभाविकता का आश्वासन है।

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provision of the Act. Adequate notice was given to all Directors. Agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Decisions at the board meeting, as represented by the management, were taken unanimously.

I further report as per the explanation given to me and the representation made by the management and relied upon by me there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to the monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period the company has not taken any actions having a major bearing on the Companies affair in pursuance of the above applicable laws, rules, regulations, guidelines, standards etc referred to above.

Place: Kolkata
Date: June 19, 2021
UDIN: F009766C000488519

CS SAUMAYO JYOTI SEAL
FCS: 9766
C. P. No. 11169

This report is to be read with my letter of even date which is annexure A and forms an integral part of this report.

'Annexure A'

**To,
The Members,
MSTC Limited**

My report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management and my job is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.
2. I have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the process and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.
4. Wherever required, I have obtained the management representation about the compliance of laws, rules, and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provision of corporate and other applicable laws, rules, regulation, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. I have relied upon the information, extracts, declarations etc as provided by the Company for this Secretarial Audit, considering the COVID 19 pandemic & lockdown the information and confirmation were received digitally.
7. The secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

प्रपत्र सं. - एमआर-3

सहायक कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 की नियम सं. 9 के तहत)

सेवा में,

सदस्यगण,

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

(सीआईएन : U27102CT1989GOI005468)

पंजीकृत कार्यालय : एफएसएनएल भवन

इक्विपमेंट चौक, सेन्ट्रल एवेन्यू

भिलाई - 490001, जिला - दुर्ग (सी.जी) भारत

हमने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (तत्पश्चात कंपनी या एफएसएनएल के रूप में उल्लिखित) द्वारा किए गए अच्छे निगमित कार्यों के प्रयोज्य वैधानिक प्रावधान और उसके अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा निगमित संचालन/वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु उचित आधार प्रदान करती है जिसके अनुसार हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों एवं दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों जिन्हें कंपनी ने तैयार किया है, उनकी जांच और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों व अधिकृत प्रतिनिधियों से मिली जानकारी और प्रबंधन द्वारा दी गयी जानकारी व अपनी जांच के आधार पर हमें यहां कंपनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की "लेखा परीक्षा अवधि" के बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहा है, जो आमतौर पर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधान के अनुपालन में है एवं कंपनी के पास बोर्ड की प्रक्रिया और अनुपालन की पद्धति उचित सीमा एवं तरीके में है एवं यहां दी गयी रिपोर्ट के अधीन है :

हमने कंपनी की पुस्तकों एवं कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों, दाखिल रिटर्न व अन्य अभिलेखों की 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए उनकी निम्न लागू प्रावधानों के अनुसार जांच की है :

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं इसके अंतर्गत बने नियम :
- ii. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश (डीपीआई दिशानिर्देश)
- iii. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी एक असूचीबद्ध कंपनी रहने के कारण, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं इसके अंतर्गत बने नियम लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- iv. डिपोजिटरी एक्ट 1996 एवं इसके अंगर्गत बने विनियम और उप-नियम (कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान रिपोर्ट करने लायक कोई घटना नहीं थी)
- v. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रीयपार प्रत्यक्ष निवेश, और बाहरी वाणिज्यिक उधारों के अंतर्गत बने नियम एवं विनियम (कंपनी पर लागू नहीं हैं, क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान रिपोर्ट करने लायक कोई घटना नहीं थी)
- vi. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी एक असूचीबद्ध कंपनी होने के कारण भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं हैं :
 - क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पर्याप्त शेयरों का अधिग्रहण एवं अधिनीकरण) विनियम, 2011;
 - ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भीतरी ट्रेडिंग पाबंदी) विनियम, 2015;
 - ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018;
 - घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
 - ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम, 2008;
 - च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्टर) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक से लेनदेन करने में ;

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT OF SUBSIDIARY COMPANY

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members of
Ferro Scrap Nigam Limited
 (CIN:- U27102CT1989GOI005468)
 Regd. Off:- FSNL Bhawan,
 Equipment Chowk, Central Avenue,
 Bhilal-490001, Dist. Durg (C.G.) India

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Ferro Scrap Nigam Limited (hereinafter called 'the Company' or 'FSNL'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended 31st March, 2021 ('Audit Period'), generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (DPE Guidelines);
- (iii) The Company being an unlisted Company during the Audit period, The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder are not applicable to the Company during the Audit Period);
- (iv) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder (Not applicable to the Company as there was no reportable event during the Audit Period);
- (v) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made hereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings (Not applicable to the Company as there was no reportable event during the Audit Period);
- (vi) The Company being an unlisted Company during the Audit period, the following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') are not applicable to the Company:-
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011,"
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

- छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर-सूचीयन) विनियम, 2009 ;
- ज. भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998 ;
- झ. भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ;
- vii. प्रबंधन ने निम्नलिखित विधियों को चिह्नित किया है एवं कंपनी पर विशेष रूप से लागू किए जाने की पुष्टि की है :-
- क. औद्योगिक एवं श्रम विधियों में मुख्य रूप से शामिल हैं - कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, अनुबंध श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश अधिनियम, 1963, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, अनुदान भुगतान अधिनियम, 1972, नियोजन विनियम (रिक्तियों की आवश्यक अधिसूचना) अधिनियम, 1959, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (पूर्व में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के रूप में परिचित), प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस-1) की बैठक और साधारण बैठक (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक :

ii सूचीयन अनुबंध (प्रयोज्य नहीं, क्योंकि कंपनी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गैर-सूचीबद्ध कंपनी है)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान एवं प्रबंधन द्वारा किए गए स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के अनुसार और हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अधीन, कंपनी ने यहाँ वर्णित अधिनियम, विनियमों, दिशानिर्देश के प्रावधानों का सामान्य रूप से पालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

मेसर्स फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एवं एमएसटीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति, सीएसआर निगरानी समिति एवं नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश (डीपीई दिशानिर्देश) के अनुसार और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत नियमों के अनुसार है। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

बोर्ड की बैठकों की सूची निर्दिष्ट करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है एवं अल्पावधि के लिए सूचना या कार्यसूची के प्रेषण के सारे उदाहरण निदेशक/समिति द्वारा यथा निश्चय किए गए थे एवं कार्यवृत्त में दर्ज किए गए। इसके अलावा, बैठक से पूर्व कार्यसूची के मदों पर आगे जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं पाने तथा बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में सारे फैसलों के साथ सर्कुलेशन के माध्यम से अनुमोदित प्रस्ताव बहुमत के आधार पर निष्पादित हुए थे एवं असहमत सदस्यों के विचार यदि कोई है, कार्यवृत्त के अंश के तौर पर दर्ज किए गए थे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निगरानी रखने एवं सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार एवं परिचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

प्रयोज्य वित्तीय कानूनों जैसे कि प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर के लिए कंपनी द्वारा अनुपालन एवं लेखा मानकों एवं वार्षिक वित्तीय विवरण लागत अभिलेखों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नहीं की गई है, क्योंकि ये अन्य निर्दिष्ट पेशेवर व्यक्तियों द्वारा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा/लागत लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, उपर्युक्त प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में निम्नलिखित घटनाओं / कार्यों का कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव पड़ा है :-

क) कंपनी को भारत में विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए स्क्रैप रिकवरी एवं संबंधित कार्य प्रदान करने हेतु निगमित किया गया था एवं एफएसएनएल विविध सरकारी इस्पात संयंत्रों से कार्य पाने पर पूर्णरूप से निर्भर है, इसी अनुसार एफएसएनएल का नामांकन आधार पर इस्पात पीएसयू से कार्य प्राप्त हो रहे हैं। इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप (आईएमजी) ने सिफारिश की है कि सीपीएसई के इस्पात संयंत्रों द्वारा नामांकन आधार के बदले प्रतिस्पर्धी बोली पर एफएसएनएल को कार्यों सौंपा जाए। एफएसएनएल द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली किए जाने के लिए आईएमजी की यह सिफारिश एफएसएनएल के वर्तमान व्यवसायी कार्यकलाप (पों) पर महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न कर सकता है।

इस सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त सूचना, निष्कर्षण, घोषणाओं आदि पर हमने भरोसा किया है। कोविड-19 महामारी

- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
 - (i) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (vii) Management has identified and confirmed the following laws as being specifically applicable to the Company:-
- (a) The Industrial and Labour Laws mainly consisting of the Factories Act, 1948, Industrial Disputes Act, 1947, The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, National & Festival Holiday Act, 1963, Minimum Wages act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Petroleum Act, 1934, Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946, Maternity Benefit Act, 1961, The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, Payment of Gratuity Act, 1972, The Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959, Indian Explosive Act, 1884, The Employees' Compensation Act, 1923 (earlier known as Workmen's Compensation Act, 1923), The Apprentices Act, 1961, and Equal Remuneration Act, 1976.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meeting (SS-2) Issued by The Institute of Company Secretaries of India;
- (ii) Listing Agreement (Not applicable, as the Company is Unlisted Company during the Audit Period).

During the period under review and as per the explanations and representations made by the management and subject to clarifications given to us, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc., mentioned hereinabove.

We further report that:

M/s Ferro Scrap Nigam Limited is a Private Limited Company and is a wholly owned subsidiary of MSTC Limited. The composition of Board of Directors, the Audit Committee, CSR Monitoring Committee and Nomination & Remuneration Committee is as per the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (DPE Guidelines) and also as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder. We further report that the Changes in the composition of the Board of Directors that took during the period under review were carried out in compliance with the provision of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings and all instances of dispatch of notice or agenda for shorter period were duly ratified by the Board /Committee and recorded in the minutes. Further, a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All Decisions at the meetings of the Board of Directors of the Company, including the resolutions approved through circulations, were carried through on the basis of majority, and dissenting members' views, where any, were recorded as part of the minutes.

We further report that:

There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that:

The compliance by the Company for the applicable Financial Laws like Direct Taxes, Indirect Taxes and the compliance of the Accounting Standards and the annual financial statements, Cost Records has not been reviewed in this audit report, since the same have been subject to the statutory financial audit/cost audit by other designated professionals.

We further report that:

During the during the financial year under review, following events/actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above applicable laws, rules, regulations, guidelines, standards etc. have occurred:-

- a) The Company was incorporated to provide Scrap recovery and allied jobs for various steel plants in India and FSNL entirely depends on work from various Government Steel Plants, accordingly FSNL has been getting jobs from Steel PSUs on Nomination basis. The Inter-Ministerial Group (IMG) has recommended that award of works to FSNL on competitive bidding rather than nomination basis by steel plants of CPSEs. This recommendation of IMG for competitive bidding by FSNL may create significant risk to the present business activity(s) of FSNL.

We have relied upon the information, extracts, declarations etc. as provided by M/s. Ferro Scrap Nigam Limited for this



एवं लॉकडाउन पर विचार करते हुए अधिकांश सूचना एवं पुष्टीकरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हुए थे।

इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है एवं इस रिपोर्ट का मूलभूत अंश माना जाए।

स्थान : भिलाई

तिथि : 18 जून, 2021

यूडीआईएन : F007018C000485056

सीएस अमरीश कुमार चौरसिया

पेशेवर कंपनी सचिव

एफसीएस सं. 7018

सीपी सं. 12594

‘अनुलग्नक क’

सेवा में,

सदस्यगण,

फेरो स्ट्रैप निगम लिमिटेड

(सीआईएन : U27102CT1989GOI005468)

पंजीकृत कार्यालय : एफएसएनएल भवन

इक्विपमेंट चौक, सेन्ट्रल एवेन्यू

भिलाई - 490001, जिला - दुर्ग (सी.जी) भारत

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी सचिवीय रिकॉर्डों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।
2. सचिवीय रिकॉर्डों के तथ्यों की सटीकता से जुड़े उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने की दिशा में हमने उपयुक्त लेखा परीक्षा कार्य व प्रक्रिया का पालन किया है। परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमने जो प्रक्रिया व पद्धति अपनायी है वो हमारे विचार व्यक्त करने के पर्याप्त आधार हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और खाता-बही की सत्यता व उपयुक्तता की जांच नहीं की है।
4. जब भी जरूरत पड़ी, हमने कंपनी के प्रतिनिधियों से कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में जानकारी ली है।
5. निगम के प्रावधानों व अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच इनकी परीक्षण प्रक्रिया की जांच तक सीमित है।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की संभाव्यता का और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन के आचरण की दक्षता या प्रभाविकता का आश्वासन है।
7. कोविड-19 महामारी की मौजूदा परिस्थितियों के कारण कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त बहियों, फार्म एवं दायर किए गए रिटर्न, कागजातों और अन्य जो कंपनी द्वारा जमा प्राप्त हुए हैं एवं कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक माध्यम से प्रदान किए गए हैं, के सत्यापन के आधार पर लेखा परीक्षा का संचालन किया गया था।

स्थान : भिलाई

तिथि : 18 जून, 2021

यूडीआईएन : F007018C000485056

सीएस अमरीश कुमार चौरसिया

पेशेवर कंपनी सचिव

एफसीएस सं. 7018

सीपी सं. 12594

Secretarial Audit. Considering the COVID-19 pandemic & lockdown most of the information and confirmation were received electronically.

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms and integral part of this report.

Place : Bhilai
Date: June 18, 2021
UDIN:- F007018C000485056

CS Amrish Kumar Chourasia
Practicing Company Secretaries
FCS No.: 7018
CP No.: 12594

Annexure A

To,
The Members of
Ferro Scrap Nigam Limited
(CIN:- U27102CT1989GOI005468)
Regd. Off:- FSNL Bhawan ,
Equipment Chowk, Central Avenue,
Bhilai-490001, Dist. Durg (C.G.) India

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.
7. Due to prevailing circumstance of COVID-19 pandemic, the audit was conducted based on the verification of the Company's books, papers, minutes books, forms and returns filed, documents and other records furnished by / obtained from the Company and information provided by the Company and its officers electronically/physically.

Place : Bhilai
Date: June 18, 2021
UDIN:- F007018C000485056

CS Amrish Kumar Chourasia
Practicing Company Secretaries
FCS No.: 7018
CP No.: 12594

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएसटीसी लि. के स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के मत/अवलोकन पर प्रबंधन के जवाब

क्रम सं.	योग्यताप्राप्त मत / अवलोकन	प्रबंधन के जवाब
i(ग)	अन्य नियामक आवश्यकता (सीएआरओ) (अनुलग्नक क) कंपनी की अचल संपत्तियों का अधिकार पत्र कंपनी के नाम में पाया गया है, केवल मुंबई में एक फ्लैट को छोड़कर (बही मूल्य : क्रमशः सकल/शुद्ध ₹ 0.74/ ₹0.42 मिलियन) जिसके लिए सत्यापन हेतु कोई अधिकार पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका था।	कंपनी के पास सवाल की गई संपत्ति पर स्पष्ट अधिकार पत्र है। संबंधित कागजात बहुत पुराने होने के कारण लेखापरीक्षा के दौरान दिखाए नहीं जा सके थे। संपत्ति का अधिकार पत्र पुनः प्राप्त करने का प्रयास जारी है।
viii	हमारी मत में एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंक को बकाया के भुगतान में कोई चूक नहीं की है, केवल स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं.20(क) एवं 20(ख) में उल्लिखित स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक से ₹ 1436.20 मिलियन एवं ₹ 13.80 मिलियन के ऋण के विचाराधीन मामले को छोड़कर।	दोनों ही मामले विभिन्न पीठों में विचाराधीन हैं एवं लेखा पर टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 20 में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है।
क्रम 6	अन्य नियामक आवश्यकता क्रम 9(च) (अनुलग्नक ख) व्यवसाय का कैश एंड कैरी मॉडल जो अब बंद कर दिया गया है, के अधीन कंपनी द्वारा नियुक्त अभिरक्षक के अधीन इसके ग्राहकों की ओर से कंपनी द्वारा क्रय की गई कच्ची सामग्री के गिरवी रखे स्टॉक को सुरक्षापूर्वक हिफाजत में रखने की प्रक्रिया में यह पाया गया है कि अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण का पर्याप्त अभाव है।	कंपनी ने गिरवी रखे स्टॉक के लिए अभिरक्षक के रूप में सेन्ट्रल रेल साइड वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लि., एक सीपीएसई को नियुक्त किया है। इसके अलावा आवधिक अंतराल पर तीसरे पक्ष की जाँच एजेंसी के माध्यम से स्टॉक की भौतिक जाँच की एक प्रणाली है एवं इसे मजबूत बनाया जा रहा है। तथापि, उक्त सत्यापन के फलस्वरूप उत्पन्न किसी अभाव को जहाँ भी उपयुक्त हो, प्राप्त करते हुए तुरंत इसका निवारण किया गया है, अन्यथा चूक करने वाले ग्राहक के विरुद्ध पुलिस में शिकायत की गई और अन्य कानूनी कदम उठाए गए।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए



(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 08643406)

Annexure - VII

Management Replies to Comments/Observations of the Statutory Auditors on the Standalone Ind AS Financial Statement of MSTC Ltd. for the financial year ending on 31st March, 2021.

Sl. No.	Qualified Opinion/ Observation	Management's Replies
i(c)	Other Regulatory Requirement (CARO) (Annexure A) The title deed of the Company's immovable properties have been found to be held in the name of the Company except a flat at Mumbai (book value: gross / net Rs. 0.74 / Rs. 0.42 million respectively) for which no title deed could be made available for verification.	The Company holds clear title over the asset in question. Due to very old nature the relevant papers could not be shown during audit. Efforts are on to retrieve title deed of the property.
viii	In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to banks, except subjudice cases of loans from Standard Chartered Bank and Indian Overseas Bank ₹ 1436.20 million and ₹ 13.80 million as mentioned in Note No. 20(a) and 20(b) of the notes to the standalone financial statements.	Both the matters are subjudice in various forums and have been adequately disclosed in Note No.20 of the Notes on Accounts.
Pt. 6	Other Regulatory Requirement Pt 9(f) (Annexure B) In the process of maintaining safe custody of pledged stock of raw materials procured by the Company on behalf of its customers under the Company appointed custodian under Cash & Carry Model of Business, now discontinued, it has been observed that there is inadequacy of required internal control.	The Company has engaged Central Rail Side Warehousing Corporation Ltd., a CPSE as a custodian for pledged stock. In addition to this there is a system of physical verification of stock through third party inspection agency at periodic intervals and same is being strengthened. However, shortages, if any, arising out of the said verification are immediately addressed by recovering the same wherever feasible, else police complaints and other legal steps are taken against the defaulting customer.

For and on behalf of the Board of Directors



(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and Managing Director
(DIN : 08643406)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएसटीसी लि. के समेकित इंड एस वित्तीय विवरण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के मत/अवलोकन पर प्रबंधन के जवाब

क्रम सं.	योग्यताप्राप्त मत / अवलोकन	प्रबंधन के जवाब
क्रम 6	अन्य नियामक आवश्यकता क्रम 8(च) (अनुलग्नक क) व्यवसाय का कैश एंड कैरी मॉडल जो अब बंद कर दिया गया है, के अधीन कंपनी द्वारा नियुक्त अभिरक्षक के अधीन इसके ग्राहकों की ओर से होल्डिंग कंपनी द्वारा क्रय की गई कच्ची सामग्री के गिरवी रखे स्टॉक को सुरक्षापूर्वक हिफाजत में रखने की प्रक्रिया में यह पाया गया है कि अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण का पर्याप्त अभाव है।	होल्डिंग कंपनी ने गिरवी रखे स्टॉक के लिए अभिरक्षक के रूप में सेन्ट्रल रेल साइड वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लि., एक सीपीएसई को नियुक्त किया है। इसके अलावा आवधिक अंतराल पर तीसरे पक्ष की जाँच एजेंसी के माध्यम से स्टॉक की भौतिक जाँच की एक प्रणाली है एवं इसे मजबूत बनाया जा रहा है। तथापि, उक्त सत्यापन के फलस्वरूप उत्पन्न किसी अभाव को जहाँ भी उपयुक्त हो, प्राप्त करते हुए तुरंत इसका निवारण किया गया है, अन्यथा चूक करने वाले ग्राहक के विरुद्ध पुलिस में शिकायत की गई और अन्य कानूनी कदम उठाए गए।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए



(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 08643406)

Management Replies to Comments/Observations of the Statutory Auditors on the Consolidated Ind AS Financial Statement of MSTC Ltd. for the financial year ending on 31st March, 2021.

Sl. No.	Qualified Opinion/ Observation	Management's Replies
Other Regulatory Requirement Pt 8(f) (Annexure A)		
Pt. 6	In the process of maintaining safe custody of pledged stock of raw materials procured by the Holding Company on behalf of its customers under the Company appointed custodian under Cash & Carry Model of Business, now discontinued, it has been observed that there is inadequacy of required internal control.	The Holding Company has engaged Central Rail side Warehousing Corporation Ltd., a CPSE as a custodian for pledged stock. In addition to this there is a system of physical verification of stock through third party inspection agency at periodic intervals and same is being strengthened. However, shortages, if any, arising out of the said verification are immediately addressed by recovering the same wherever feasible, else police complaints and other appropriate legal steps are taken against the defaulting customer.

For and on behalf of the Board of Directors



(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and Managing Director
(DIN : 08643406)

प्रपत्र एओसी -1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम प्रावधान के तहत)

सहायिकाओं या सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा

भाग क सहायक कंपनियों

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में सूचना मिलियन ₹ में प्रस्तुत की जानी चाहिए)

1. क्रम संख्या	1
2. सहायक कंपनी का नाम	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
3. तारीख जब से सहायक कंपनी अधिग्रहित की गई थी	1979-80
4. संबद्ध सहायक कंपनी हेतु रिपोर्टिंग अवधि यदि होल्डिंग कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है।	2020-21
5. विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विनिमय दर	लागू नहीं
6. शेयर पूंजी :	₹ 320.00
7. आरक्षित एवं अधिशेष :	₹ 1950.51
8. कुल परिसम्पत्तियां :	₹ 4219.81
9. कुल दायित्व :	₹ 4219.81
10. निवेश	शून्य
11. टर्नओवर	₹ 3649.69
12. कर पूर्व लाभ	₹ 320.65
13. कराधान का प्रावधान	₹ 93.15
14. कराधान उपरान्त लाभ :	₹ 227.50
15. प्रस्तावित लाभांश :	-
16. शेयरधारिता की सीमा (प्रतिशत में)	100%

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184ईई300007

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझेदार
एम नं. : 052183

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

भाग ख सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

(सहयोगी कंपनी एवं संयुक्त उद्यम से सम्बद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत विवरण)

1. सहयोगी या संयुक्त उद्यमों का नाम	महिन्द्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्रा. लि.
2. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख	31.03.2021
3. सहयोगी या संयुक्त उद्यम जिस तारीख को जुड़े या अधिग्रहित हुए थे	16.12.2016
4. साल के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी या संयुक्त उद्यम के शेयर शेयरों की सं.	प्रत्येक का ₹ 10 अंकित मूल्य 22.60 मिलियन
सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	₹ 226 मिलियन
होल्डिंग (नियंत्रक) की सीमा (प्रतिशत में)	50%
5. महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन	शेयरधारिता के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव
6. सहयोगी/संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं
7. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण शुद्ध मूल्य	₹ 143.27 मिलियन
8. वर्ष के लिए लाभ या (हानि)	(₹ 17.21) मिलियन
i. समेकन पर विचार किया गया	50% शेयर (₹ 8.60) मिलियन
ii. समेकन पर विचार नहीं किया गया	50% शेयर (₹ 8.60) मिलियन

कृते एमएसटीसी लिमिटेड

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएडओ
डीआईएन - 8290021

(एस. के.बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं.- एफ5627

FORM AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries or associate companies or joint ventures

Part A Subsidiaries

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts ₹ in Million)

1. Sl.No.	1
2. Name of the subsidiary	Ferro Scrap Nigam Limited
3. The date since when subsidiary was acquired	1979-80
4. Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period.	2020-21
5. Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.	Not Applicable
6. Share capital	₹ 320.00
7. Reserves and surplus	₹ 1950.51
8. Total assets	₹ 4219.81
9. Total Liabilities	₹ 4219.81
10. Investments	Nil
11. Turnover	₹ 3649.69
12. Profit before taxation	₹ 320.65
13. Provision for taxation	₹ 93.15
14. Profit after taxation	₹ 227.50
15. Proposed Dividend	-
16. Extent of shareholding (in percentage)	100%

Part B Associates and Joint Ventures

(Statement pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures)

1. Name of Associates or Joint Ventures	Mahindra MSTC Recycling Pvt Ltd
2. Latest audited Balance Sheet Date	31.03.2021
3. Date on which the Associate or Joint Venture was associated or acquired	16.12.2016
4. Shares of Associate or Joint Ventures held by the company on the year end	Face Value of ₹ 10/- each
No. of shares	22.60 Million
Amount of Investment in Associates or Joint Venture	₹ 226 Million
Extent of Holding (in percentage)	50%
5. Description of how there is significant influence	Significant influence due to shareholding
6. Reason why the associate / joint venture is not consolidated	Not Applicable
7. Net worth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet	₹ 143.47 Million
8. Profit or (Loss) for the year	(₹17.21) Million
i. Considered in Consolidation	50% share (₹8.60) Million
ii. Not Considered in Consolidation	50% share (₹ 8.60) Million

In terms of our report of even date
For **S Ghose & Co. LLP**
Chartered Accountants
FRN : 302184E/E300007

For **MSTC LIMITED**

(**CA Pradip Kumar Mitra**)
Partner
M. No : 052183

(**Surinder Kumar Gupta**)
Chairman & Managing Director
DIN - 08643406

(**Subrata Sarkar**)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

Date: June 25, 2021
Place : Kolkata

(**S K Barnwal**)
Addl. General Manager
(Finance & Accounts)

(**Ajay Kumar Rai**)
Company Secretary
M. No : F5627

स्टैंडअलोन रिपोर्ट

STANDALONE REPORT

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएसटीसी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

राय

- हमने एमएसटीसी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय समेत), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना और वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ शामिल हैं।

हमारी राय एवं हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अपेक्षानुसार अधिनियमों में अपेक्षित सूचना देते हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 के अनुसार कंपनी के मामलों की वस्तु-स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक के दायित्व में वर्णित है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बने नियमों के अधीन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए संगत नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं एवं इन आवश्यकताओं एवं आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमने हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षा के लिए जो साक्ष्य प्राप्त किया है वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मामलों पर ध्यानाकर्षण

- हमारी राय को सीमित किए बिना हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

- व्यवसाय का "कैश एवं कैरी" मॉडल, जो अब बंद हो चुका है, के अधीन ग्राहकों की ओर से उनके परिसर में कंपनी द्वारा धारित गिरवी रखे स्टॉक को दर्शाने वाले व्यापार प्राप्य-क्षीण हो चुके ऋण के लिए टिप्पणी 8.4 के संदर्भ में, कंपनी के पास मालसूची (इंवेन्ट्री) के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिसके कारण विगत वर्ष में और साथ ही वर्तमान वर्ष के दौरान पर्याप्त राशि प्रदान किया जाना था/ बड़े खाते में डाला जाना था।

इसके अलावा, उक्त टिप्पणी के संदर्भ में, वर्ष के दौरान कुछ ग्राहकों के मामले में स्टॉक के परिमाण एवं बाजार मूल्य के साथ अंतिम परिमाणात्मक विश्लेषण किया गया था। जबकि अन्य के मामले में इस कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था, इसके लिए धारित स्टॉक की

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of MSTC Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying standalone Financial Statements of MSTC Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2021, and the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone Financial Statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2021, Profit and Other Comprehensive Income, changes in Equity and its Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements' section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

- Without qualifying our opinion, we draw attention to the following:

- With reference to Note 8.4 for Trade Receivables-Credit Impaired representing pledged stocks held by the Company in the premises of the Customers on behalf of them under "Cash & Carry" model of business, now discontinued, the Company does not have appropriate internal control system in place for inventory due to which substantial amounts have had to be provided for/written off in the past as well as during the year.

Further, with reference to the said Note, last Volumetric Analysis was done during the year with quantity and Market Value of stocks in respect of few Customers while in rest of the cases, such

रिपोर्ट “शून्य” की गई है या संबंधित ग्राहक द्वारा उन तक पहुँचने से अस्वीकार किया गया था।

(ख) स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की टिप्पणी सं. 36 के संदर्भ में, दिनांक 01.04.2018 से ₹ 3402.48 मिलियन के संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान पर ₹ 1188.96 मिलियन की आस्थगित कर संपत्ति का गैर-प्रावधान है।

ग) 31.03.2021 की तिथि के अनुसार मुंबई में ₹ 0.74 मिलियन के सकल ब्लॉक वाले पूर्णस्वामित्व के फ्लैट का अधिकार पत्र सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था।

लेखा-परीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ

3. लेखा परीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ वे हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखा-परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में एवं इस पर हमारी राय स्थापित करने में इन विषयवस्तुओं पर ध्यान दिया गया था एवं हम इन विषयवस्तुओं पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने लेखा परीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुओं में निम्नलिखित विषयवस्तुओं को निर्धारित किया है, जो हमारी रिपोर्ट में सूचित की जाएगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ	लेखापरीक्षक के जवाब
i.	व्यापार प्राप्य की वसूली :	
	31 मार्च 2021 के अनुसार, सकल व्यापार प्राप्य ₹15502.93 मिलियन (शुद्ध ₹7237.64 मिलियन) है, इसमें से ₹8265.29 मिलियन ऋण में हुई हानि के रूप में विचार किया जा रहा है जिसके लिए बहीखातों में खराब एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान कंपनी द्वारा किया गया है।	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्यों एवं लेनदेनों के विवरण की जाँच पर हमने व्यापार प्राप्यों की प्रकृति, सततता एवं प्राप्यों की संभाव्य वसूली योग्यता का आकलन किया है। लेखांकन नीति के अनुसरण में वसूली के लिए संदिग्ध ऐसे सभी ऋणों को 31.03.2021 को बहियों में प्रदान किया गया है।
	सहयोजन के लिए एनसीएलटी और/या अन्य मंच में क्षीणयुक्त ऋण के साथ ऋण के प्रत्येक मामले के संदर्भ में, कंपनी वित्तीय हानि की संभावित जोखिम में आ जाती है, जब वसूली मुकदमेबाजी की लम्बी प्रक्रिया के अधीन रहती है एवं फलस्वरूप संदिग्ध हो जाती है। वसूलीयोग्य राशि का आकलन प्रबंधन द्वारा व्यक्तिगत देनदार पर उनकी विशिष्ट वसूली योग्यता के आकलन और साथ ही प्रावधानीकरण नीति के विवेचना एवं	चूँकि पार्टियों से शेष राशियों के पुष्टिकरण की प्राप्ति कंपनी की निरंतर प्रक्रिया है (टिप्पणी 42 देखें), इसलिए शेष राशियों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है। ग्राहक के ऋण स्वरूप एवं उनकी ऐतिहासिक भुगतान रूपरेखा, जो भी प्रयोज्य हो, के संदर्भ में एवं ग्राहकों के साथ किए नवीनतम पत्राचार के साथ पठित कंपनी की वर्तमान

exercise was not undertaken for either the Stocks held are reported to be “Nil” or access was denied by the concerned Customer.

(b) With reference to Note No. 36 of the standalone Financial Statements there is a non-Provision of Deferred Tax Asset of ₹ 1,188.96 millions on Provision for Doubtful Debts of ₹ 3,402.48 millions since 1st April, 2018.

(c) The Title Deed of a freehold flat in Mumbai having Gross Block of ₹ 0.74 million as at 31st March, 2021 was not available for verification.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sl.	Key Audit Matters	Auditor's Response
i.	Recoverability of Trade Receivables:	
	As at 31st March 2021, While examining details of Trade Receivables-Gross is ₹ 15,502.93 millions (Net transactions during the ₹ 7,237.64 millions), with year ended 31st March ₹ 8,265.29 millions being 2021, if any, we have considered as Credit Impaired for which a provision for bad and doubtful debts for similar amount is held in the Books.	While examining details of Trade Receivables, the sustainability and the likelihood of recoverability of Receivables. In terms of an Accounting Policy all such debts as considered doubtful of recovery have been provided for in the Books as at 31st March, 2021.
	In the event of reference of each case of debt with impaired credit to NCLT and/or other forums for adjudication, the Company is exposed to potential risk of financial loss when the recoveries become subjected to long processes of litigations and eventually doubtful.	Since Company's obtaining of balance confirmations from Parties is an ongoing process (as referred to in Note 42), substantive audit procedures have been followed to ensure accuracy of balances. We have assessed the recoverability of the unsettled receivables on a sample basis through our evaluation of management's assessment with reference to the credit profile of the customers
	The recoverable amounts are estimated by management based on their specific recoverability	

आवेदन पर आधारित है।

जोखिम प्रबंधन नीति अनुसार प्रबंधन के आकलन के हमारे मूल्यांकन के माध्यम से नमूना आधार पर हमने निपटारे नहीं गए प्राप्ति की वसूली योग्यता का आकलन किया है।

कंपनी के व्यापार प्राप्ति से संबंधित प्रकटीकरण संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी 8.1 में प्रदान किए गए हैं।

ii. आईटी प्रणालियाँ एवं नियंत्रण :

वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण कंपनी के समर्थित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर नियंत्रणों पर निर्भर है जिसमें अशुद्ध आंकड़ों के सर्वाधिक उन्मूलन के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य शामिल है। अतः लेखापरीक्षा परिणाम की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता आईटी नियंत्रणों एवं प्रणालियों की सीमा पर निर्भर है।

हमने वांछित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं एवं नमूने की जाँच योजना की रूपरेखा बनायी है एवं निष्पादन किया है जो हमारी राय में व्यवस्थित आईटी नियंत्रणों की पर्याप्तता पर यथासंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं।

iii. खराब एवं संदिग्ध अग्रिम एवं आकस्मिक देयताओं के लिए भत्ते का आकलन:

वर्ष के दौरान की गई खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों एवं आकस्मिक देयताओं के लिए भत्ते के आकलन के लिए संभाव्य परिणामों एवं नकद प्रवाहों का आकलन आवश्यक है। अभिनिर्धारण एवं मात्रा निर्धारण के लिए प्रबंधन द्वारा आकलन एवं निर्णय अपेक्षित है। वर्ष के दौरान खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों और आकस्मिक देयताओं के लिए भत्ते से संबंधित प्रकटीकरण संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में टिप्पणी सं. 30 एवं 35(क) में दिए गए हैं।

हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं के निष्पादन द्वारा प्रबंधन की ओर से दी गई सूचना के वैधीकरण का निष्पादन किया है :-

- अंतर्निहित अनुमानों के औचित्य का मूल्यांकन।
- मुकदमों की मौजूदा वस्तुस्थिति को समझना।
- उपलब्ध रिकॉर्ड पर संबंधित कागजातों की जाँच।
- जब भी जरूरत पड़े विधिक राय / उद्योग-अभ्यासों की समीक्षा।
- प्रबंधन द्वारा किए गए विभिन्न प्रकटीकरण का अभिप्रमाणन।
- आईसीएआई के निर्देशों के अनुसार प्रबंधन के अभिवेदन को प्राप्त करना।
- कंपनी की लेखांकन नीति।

assessment on individual and their historical debtor as well as payment pattern, wherever consideration and applicable, along with the application of a latest correspondences provisioning policy.

with the customers, as available read with the Company's existing Risk Management Policy.

The disclosures related to Trade Receivables of the Company are provided in Note 8.1 to the accompanying standalone Financial Statements

ii. IT Systems & Control:

Preparation and presentation of Financial Statements are dependent on Company's supporting software and hardware controls involving risk management exercise for maximum elimination of erroneous data. Thus, quality of audit outcome and its authenticity are dependent on the extent of IT controls and systems.

We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, which in our opinion are adequate to provide reasonable assurance on the adequacy of IT controls in place.

iii. Assessment of allowance for Bad and Doubtful Advances and Contingent Liabilities:

Assessment of allowance for Bad and Doubtful Advances made during the year and Contingent liabilities require assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification require estimation and judgment by the management. The disclosure related to allowance for Bad and Doubtful Advances during the year and Contingent liabilities are provided in Note No 30 & 35 (a) to the accompanying Standalone Financial Statements.

We have carried out the validation of the information provided by the management by performing the following procedures:-

- Evaluating reasonableness of the underlying assumptions.
- Understanding the current status of the litigations.
- Examining the relevant documents on available records.
- Reviewing legal opinion/ industry practices wherever necessary.
- Verification of various disclosures made by the management.
- Obtaining Management's Representation as per guidelines of the ICAI.
- Company's Accounting Policy.

iv. सतत कोविड-2019 का प्रभाव: देश में व्याप्त सतत कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के फलस्वरूप, शाखाओं के संबंध में आंकड़ों के संग्रह एवं इनके विश्लेषण की प्रक्रिया में परेशानी/ विलम्बता का सामना हमें करना पड़ा था, क्योंकि भौतिक रूप से इनका दौरा नहीं किया जा सका था। नियामक प्राधिकारियों के अपेक्षानुसार लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में कोई समझौता किए बिना लेखा परीक्षा की निष्पत्ति पर आने हेतु कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए अनुसार शाखाओं के संबंध में आंकड़ों को दूर से प्राप्त करने के आधार पर शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई थी।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं इस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

4. कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना की प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, निगमित अभिशासन एवं शेयरधारक की सूचना शामिल है, परन्तु इनमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं इस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है एवं हम इस पर किसी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर अभिनिर्धारित अन्य सूचना के पढ़ने तक है एवं ऐसा करते हुए हम विवेचित करते हैं कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण या हमारी लेखा परीक्षा चलने के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ यथार्थ रूप से असंगत हैं या हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर यथार्थ रूप से गलत व्यक्त किए हुए हैं। हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर हम निश्चित करते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई गलत बयानबाजी रहने पर, हमें इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन एवं अभिशासन प्रभार का उत्तरदायित्व

5. कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) ("अधिनियम") में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य विशद आय सहित वित्तीय निष्पादन, नकद प्रवाह तथा इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के

iv. **Impact of continuing COVID-2019 pandemic:** As a result of continuing COVID-19 pandemic situation prevailing in the country, we had to encounter difficulties / delay in the process of collection of data and analysing the same in respect of Branches which could not be physically visited. Accordingly, the audit of the Branches was carried out based on remote access of the data in respect of the Branches as provided by the management of the Company, to enable us to come to an audit conclusion without compromising the maintenance of quality of audit as desired by the regulatory authorities.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

4. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the information included in the Management Discussions and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the standalone Financial Statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance and conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone Financial Statements or our knowledge obtained during the course of our audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management and Those Charged with Governance for Standalone Financial Statements

5. The Company's Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, total comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with

अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन शामिल है, जो कंपनी की संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग के लिए, तर्क एवं आकलन देने, जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हों।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में जारी रहने हेतु कंपनी की क्षमता के आकलन प्रतिष्ठित संस्था से संबंधित विषयवस्तुओं को प्रयोज्यानुसार प्रकटीकरण एवं प्रतिष्ठित संस्था के लेखांकन का प्रयोग करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है बशर्ते कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या कार्य-प्रचालनों को समाप्त करने की इच्छा करता है या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य यथार्थ विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

- हमारा उद्देश्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के बारे में यथासंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या यह भौतिक गलत बयानबाजी, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, से मुक्त है एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परन्तु यह सुनिश्चित नहीं करता है कि एसाए के अनुसार संचालित कोई लेखापरीक्षा हमेशा ही कोई भौतिक गलत बयानबाजी रहने पर उनका पता लगा लेगी। गलत बयानबाजी जालसाजी या धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जब व्यक्तिगत रूप से या एकीकृत रूप में इनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर यथोचित प्रभाव पड़ने की अपेक्षा रहती है।

एसाए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के अंश के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा में पेशवर निर्णय का पालन करते हैं एवं पेशवर संशयवाद (Skepticism) बनाए रखते हैं।

हम साथ ही :

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की गलत बयानबाजी, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण एवं आकलन करते हैं, उन जोखिम के प्रभावनीय लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार एवं निष्पादन करते हैं एवं लेखा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। चूक की बजाय किसी जालसाजी के फलस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी का पता नहीं चल पाने का जोखिम ज्यादा रहता है, क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, धोखाधड़ी, जानबूझकर चूक, गलत कथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल रहता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं।

the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS's specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate Accounting Policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a Going Concern, disclosing, as applicable, matters related to Going Concern and using the Going Concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

- Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम हमारी यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्यवस्था है एवं ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन आकलनों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रतिष्ठित संस्था के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन के आधार एवं प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष रखते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जिससे प्रतिष्ठित संस्था के रूप से जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो हमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण में हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की जरूरत पड़ती है या यह प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हमारी राय में परिवर्तन करते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की नवीनतम तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर है। तथापि, भावी गतिविधियाँ या परिस्थितियाँ एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में कंपनी के बने रहने की स्थिति को समाप्त कर सकती है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं तथ्य के साथ प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना एवं क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं गतिविधियों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि सही प्रस्तुतीकरण प्राप्त हो सके।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में गलत बयानबाजी की मात्रा है जो व्यक्तिगत या एकीकृत रूप में यह संभावना उत्पन्न करती है कि वित्तीय विवरण के एक यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता है। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा की कार्य परिधि की योजना तैयार करने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने एवं (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी चिह्नित गलत बयानबाजी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

अन्य विषयवस्तुओं के साथ अभिशासन से प्रभावित व्यक्तियों को लेखापरीक्षा की सुनियोजित परिधि एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अनुसंधानों के साथ आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों को सूचित करते हैं, जो हमने हमारी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया है।

अभिशासन से जुड़े व्यक्ति को हम एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है एवं उन्हें सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं को सूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य पड़े, संबंधित सुरक्षा को यथोचित प्रभावित कर सकता है।

अभिशासन से प्रभावित व्यक्तियों को सूचित विषयवस्तुओं से हम उन विषयवस्तुओं का निर्धारण करते हैं, जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए ये प्रमुख लेखा परीक्षा विषयवस्तुएँ हैं। हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हम इन विषयवस्तुओं का वर्णन करते हैं, बशर्ते कानून या विनियम द्वारा विषयवस्तु को लोक प्रकटीकरण से वर्जित किया गया है या अति असामान्य परिस्थिति में जब हम यह निर्धारण करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में विषयवस्तु को सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोकहित के फायदों की तुलना में प्रतिकूल परिणाम होने के आसार रहते हैं।

143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial control systems in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of Accounting Policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the Going Concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a Going Concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a Going Concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatement in the standalone Financial Statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decision of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone Financial Statements of the current period and are, therefore, the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

अन्य मामलें

7. निम्नलिखित अन्य विषयवस्तुओं का उल्लेख किया गया है

- (क) टिप्पणी 42 के संदर्भ में, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों, व्यापार एवं अन्य देयों, किए गए एवं प्राप्त हुए ऋण एवं अग्रिमों, जमा राशि के कई मामले में शेष राशियों का पुष्टीकरण उपलब्ध नहीं था एवं इसके फलस्वरूप किसी समायोजन का प्रभाव का पता नहीं चला है।
- (ख) पूरे भारत में, कोविड-19 के निरंतर प्रसार ने शाखाओं के भौतिक दौरे पर प्रतिबंध लगाने एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्था (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निष्पादन के आवश्यकता को बाध्य किया है। उपर्युक्त के फलस्वरूप, कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए अनुसार शाखाओं के संबंध में आंकड़ों को दूर से प्राप्त किए जाने के आधार पर लेखा परीक्षा का निष्पादन किया गया। आईसीएआई के ऑडिटिंग एण्ड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा जारी 'वर्तमान कोविड-19 स्थिति के अधीन डिस्टेंस ऑडिट/रिमोट ऑडिट/ऑनलाइन ऑडिट का संचालन करते समय विशिष्ट विचारण पर जारी परामर्श' के आधार पर इसका निष्पादन किया गया है। हमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है एवं हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए आंकड़े सही, सम्पूर्ण, विश्वसनीय हैं और कंपनी की लेखांकन प्रणाली द्वारा तैयार किए गए हैं।
- उपर्युक्त के सिलसिले में लेखा परीक्षा पर हमारी राय में कोई रूपांतरण नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अपेक्षानुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक क में एक विवरण देते हैं।
9. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
- (क) हमने वे सभी जानकारी और व्याख्या मांगी हैं एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
- (ख) हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून की अपेक्षानुसार कंपनी द्वारा यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।
- (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय समेत), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के सुसंगत हैं।
- (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन एवं इसके अंतर्गत बने संबंधित नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
- (ङ) निगमित मामले मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

Other Matter

7. The following other matters are mentioned.

- (a) With reference to Note 42, confirmation of balances were not available in many cases of Trade and other Receivables, Trade and other Payables, Loans and Advances, Deposits made and received and the impact of consequent adjustments required, if any, is not ascertained.
- (b) The continued spreading of COVID -19 across India has resulted in restriction on physical visit to the Branches and the need for carrying out alternative audit procedures as per the Standards on Auditing prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). As a result of the above, the audit was carried out based on remote access of the data in respect of the Branches as provided by the management of the Company. This has been carried out based on the advisory on "Specific Considerations while conducting Distance Audit/ Remote Audit/ Online Audit under current Covid-19 situation" issued by the Auditing and Assurance Standards Board of ICAI. We have been represented by the management of the Company that the data provided for our audit purposes is correct, complete, reliable and are generated by the accounting system of the Company.
- Our audit opinion is not modified in respect of the above.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by Government of India in terms of Sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
9. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- (b) In our opinion, proper Books of Accounts as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those Books.
- (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including other Comprehensive Income), the statement of changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the Books of Accounts.
- (d) In our opinion, the aforesaid standalone Financial Statements comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with relevant Rules thereto.
- (e) Notification no. G.S.R 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding disqualification of the Director is not applicable to the Company, since it is a Government Company.

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के संबंध में “अनुलग्नक ख” में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) एक सरकारी कंपनी होने के कारण, निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(16) के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दी व्याख्याओं के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 35(क) देखें।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं, जिसके लिए पहले से ही पूर्वाभासी भौतिक क्षतियाँ थीं।

10. अधिनियम की धारा 143(5) के अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों के तहत, हम एतद्वारा संलग्न “अनुलग्नक ग” में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण में अपना मत देते हैं।

कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन 302184ई/ई300007

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझेदार
स्थान : कोलकाता
तारीख : 25 जून, 2021
सदस्यता सं. 052183
यूडीआईएन: 21052183AAAAAC2933

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure B”.

(g) The Company being a Government Company, provisions of Section 197 (16) of the Companies Act, 2013 regarding managerial remuneration is not applicable to the Company as per notification no. G.S.R. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs.

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone Financial Statements –Refer Note 35(a) to the standalone Financial Statements.

(ii) The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any foreseeable material losses.

10. As required by Section 143(5) of the Act the directions and sub-directions issued by the Comptroller & Auditor General of India, we give our comments on the standalone Financial Statements in “Annexure-C” annexed herewith.

For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN- 302184E/E300007

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
Place: Kolkata
Date: June 25, 2021

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M.No.052183
UDIN: 21052183AAAAAC2933

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(सम दिनांकित हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” के अंतर्गत अनुच्छेद 8 से संदर्भित)

- i. क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति समेत संपूर्ण विवरण दर्शानेवाले समुचित रिकार्डों का रखरखाव किया है।
ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अचल परिसंपत्तियों की भौतिक रूप से जाँच की है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियाँ अवलोकित नहीं हुई थी।
ग) कंपनी की अचल संपत्तियों का अधिकार-पत्र कंपनी के नाम में पाया गया है, केवल मुंबई में एक फ्लैट को छोड़कर (बही मूल्य: सकल/शुद्ध ₹ 0.74/ ₹ 0.42 मिलियन) जिसके लिए अभिप्रायण हेतु कोई अधिकार पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
- ii. वर्ष के अंत में कंपनी ने कोई इन्वेन्टरी (मालसूची) नहीं रखी है। अतएव, आदेश के खंड 3(ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- iii. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, संस्थाओं, सीमित देयता साझेदारों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित प्रदान नहीं किया है। इसी के अनुसार आदेश के खंड 3(iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- iv. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई गारंटी / सिक्योरिटी प्रदान नहीं की है, अतएव अधिनियम की धारा 185 लागू नहीं है। अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है। इसी के अनुसार आदेश का खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- v. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदेशों एवं अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। अतएव, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- vi. हमें दी गई सूचना के अनुसार, अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया गया है। अतएव, आदेश के खंड 3(vi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- vii. (क) कंपनी साधारणतया प्रयोज्य अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री एवं सेवा कर, उपकर एवं अन्य सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए उपर्युक्त बकाया के संबंध में कोई अविवादित देय बकाया नहीं है।
(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्डों की जाँच के आधार पर, 31 मार्च, 2021 को आय कर, सेवा कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क आदि के बकाये का विवरण जो विवाद के कारण जमा नहीं किए गये हैं, निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सांविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	जिस अवधि से राशि संबंधित है (वित्त वर्ष)	राशि (₹ मिलियन में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2001-02	0.19	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम 2008		2004-05	0.17	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण पीठ, गाजियाबाद
2	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम 2003	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2009-10	42.63	अपीलेट रिविजन बोर्ड, कोलकाता
	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम 2003		2012-13	51.72	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कोलकाता
3	आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम 2005	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	1998-99	2.25	सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसटीएटी) विशाखापट्टनम
	आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम 2005		1999-00	4.11	सीटीओ-सूर्यबाग सर्कल
	आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम 2005		2004-05	0.91	सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसटीएटी), विशाखापट्टनम

Annexure-A to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 8 under 'Report on Other Legal & Regulatory Requirement' of our report of even date)

- (i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.
- (b) The Company has carried out physical verification of its fixed assets during the year. According to the information and explanations, no material discrepancies were noticed on such verification.
- (c) The title deed of the Company's immovable properties have been found to be held in the name of the Company except a flat at Mumbai (Book Value : Gross / Net Rs. 0.74 / Rs. 0.42 million respectively) for which no title deed could be made available for verification.
- (ii) The Company does not hold any Inventory as at the year end. Therefore, the provisions of Clause 3(ii) of the order are not applicable to the Company.
- (iii) As per information and explanations given to us, the Company has not granted any loan, secured or unsecured to Companies, Firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the Register maintained under section 189 of the Act. Accordingly, the provisions of Clause 3 (iii) of the order are not applicable to the Company.
- (iv) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loan or provided any guarantee/security and hence Section 185 of the Act is not applicable. The company has not made any investment during the year under section 186 of the Act. Accordingly, the provisions of Clause 3 (iv) of the order are not applicable to the Company.
- (v) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder, therefore, the provision of Clause 3(v) of the Order is not applicable on the Company
- (vi) As informed to us, the maintenance of Cost Records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Act. Therefore, the provision of Clause 3(vi) of the Order is not applicable on the Company
- (vii) (a) The company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Goods and Service Tax, Cess and any other statutory dues as applicable with the appropriate authorities. According to the information and explanation given to us, no undisputed amount payable in respect of aforesaid dues were outstanding as at 31st march, 2021 for a period of more than six months from the date of becoming payable.
- (b) According to the information and explanations given to us, and the records of the Company examined by us, the particulars of dues of Income Tax, Service Tax, Sales Tax, Value Added Tax, Duty of Customs, etc as at 31st March, 2021 which has not been deposited on account of a dispute are as follows:

Sl No	Name of the Statute	Nature of Dues	Period to which the amount relates (FY)	Amount (₹ in Million)	Forum where the dispute is pending
1	UP VAT Act 2008	Claim by Sales Tax Authority	2001-02	0.19	High Court Allahabad
	UP VAT Act 2008		2004-05	0.17	Commercial Tax Tribunal Bench, Ghaziabad.
2	WB VAT Act 2003	Claim by Sales Tax Authority	2009-10	42.63	Appellate Revision Board, Kolkata
	WB VAT Act 2003		2012-13	51.72	Senior Joint Commissioner, Commercial Taxes, Kolkata
3	AP VAT Act 2005	Claim by Sales Tax Authority	1998-99	2.25	Sales Tax Appellate Tribunal (STAT) , Visakhapatnam
	AP VAT Act 2005		1999-00	4.11	CTO-Suryabag Circle
	AP VAT Act 2005		2004-05	0.91	Sales Tax Appellate Tribunal (STAT) , Visakhapatnam

	आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम 2005		2005-06	0.37	सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसटीएटी), विशाखापट्टनम
	आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम 2005		2006-07	0.08	सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसटीएटी), विशाखापट्टनम
	आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम 2005		2008-13	7.93	हैदराबाद में हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर
	आंध्र प्रदेश वैट अधिनियम 2005		2008-13	5.62	अपीलीय संयुक्त आयुक्त (अपील्स), विजयवाडा
4	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2004	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2010-11	0.02	वीएटीओ-केसीएस-डीवीएटी
5	जम्मू व कश्मीर बिक्री कर अधिनियम 1962	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2015-16	0.03	वाणिज्यिक कर मंडल-एन, जम्मू
6	सीएसटी (केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम)	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2009-10	24.90	सेल्स टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसटीएटी) विशाखापट्टनम
	सीएसटी (केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम)		2015-16	1.43	सीटीओ-सूर्यबाग सर्कल
7	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2015-16	0.45	वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड सरकार
	झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005		2016-17	0.79	वाणिज्यिक कर आयुक्त, झारखंड सरकार
8	उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	1986-87	26.90	उच्च न्यायालय, उड़ीसा
9	गुजरात वैट अधिनियम 2003	बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा दावा	2002-03	5.22	पूर्व-लेखा परीक्षा विभाग, अहमदाबाद
	गुजरात वैट अधिनियम 2003		2004-05	21.80	डीसी (अपील ऑर्डर) के विरुद्ध गुजरात मूल्य वर्धित कर न्यायाधिकरण
कुल बिक्री कर बकाया राशि				197.52	
10	सीमा शुल्क अधिनियम 1962	सीमा शुल्क विभाग द्वारा दावा	1995-96	26.63	मद्रास उच्च न्यायालय
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962		2001-02	20.38	उच्च न्यायालय, कोलकाता
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962		2012-13	63.57	सीईएसटीएटी, बैंगलोर या सीईएसटीएटी, चेन्नई
	सीमा शुल्क अधिनियम 1962		2013-14	8.35	सीईएसटीएटी, बैंगलोर या सीईएसटीएटी, चेन्नई
कुल सीमा शुल्क बकाया राशि				118.93	
11	वित्त अधिनियम 1994 (सेवा कर)	सेवा कर मांग	2005-07	149.01	सीईएसटीएटी, कोलकाता
कुल सेवा कर बकाया राशि				149.01	
12	आयकर अधिनियम 1961(टीडीएस)		2015-16	0.99	अपील आयुक्त, कोलकाता
कुल आयकर बकाया राशि				0.99	
कुल कर बकाया राशि				466.45	

	AP VAT Act 2005		2005-06	0.37	Sales Tax Appellate Tribunal (STAT) , Visakhapatnam
	AP VAT Act 2005		2006-07	0.08	Sales Tax Appellate Tribunal (STAT) , Visakhapatnam
	AP VAT Act 2005		2008-13	7.93	High Court of Judicature at Hyderabad
	AP VAT Act 2005		2008-13	5.62	Appellate Joint Commissioner (Appeals), Vijayawada
4	Delhi Value Added Tax Act, 2004	Claim by Sales Tax Authority	2010-11	0.02	VATO-KCS, DVAT
5	J&K Sales Tax Act 1962	Claim by Sales Tax Authority	2015-16	0.03	Commercial Tax Circle-N, Jammu
6	CST (CENTRAL SALES TAX ACT)	Claim by Sales Tax Authority	2009-10	24.90	Sales Tax Appellate Tribunal (STAT) , Visakhapatnam
	CST (CENTRAL SALES TAX ACT)		2015-16	1.43	CTO-Suryabagh circle
7	Jharkhand Value Added Tax Act, 2005	Claim by Sales Tax Authority	2015-16	0.45	Commissioner of Commercial Tax, Govt. of Jharkhand
	Jharkhand Value Added Tax Act, 2005		2016-17	0.79	Commissioner of Commercial Tax, Govt. of Jharkhand
8	Orissa Sales Tax Act	Claim by Sales Tax Authority	1986-87	26.90	High Court Orissa
9	Gujarat VAT Act 2003	Claim by Sales Tax Authority	2002-03	5.22	Pre-Audit Deptt. Ahmedabad
	Gujarat VAT Act 2003		2004-05	21.80	Gujarat Value Added Tax Tribunal against DC (Appeal Order)
Total of Sales Tax Dues				197.52	
10	Customs Act 1962	Claim by Custom Department	1995-96	26.63	Madras High Court
	Customs Act 1962		2001-02	20.38	High Court Calcutta
	Customs Act 1962		2012-13	63.57	CESTAT Bangalore or CESTAT Chennai
	Customs Act 1962		2013-14	8.35	CESTAT Bangalore or CESTAT Chennai
Total of Custom Dues				118.93	
11	Finance Act 1994 (Service Tax)	Service Tax Demand	2005-07	149.01	CESTAT Kolkata
Total of Service Tax Dues				149.01	
12	Income Tax Act 1961 (TDS)		2015-16	0.99	Commissioner Appeals, Kolkata
Total Income Tax Dues				0.99	
TOTAL TAX DUES				466.45	

- viii. हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणियों की टिप्पणी सं. 20(क) एवं 20(ख) में इंडियन ओवरसीज बैंक से ₹13.80 मिलियन एवं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ₹ 1436.20 मिलियन के विचाराधीन मामले वाले ऋणों को छोड़कर बैंकों को बकाया राशि की चुकौती में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट या चूक नहीं की है।
- कंपनी के पास किसी वित्तीय संस्थान या सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं है एवं कोई डिबेंचर या बंधक पत्र जारी नहीं किया है।
- ix. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक जन प्रस्ताव या आगे जन प्रस्ताव एवं ऋण पत्रों द्वारा कोई राशि जारी नहीं की है। इसके अलावा, मियादी ऋण द्वारा ली गई राशि अपने प्रयोजन के लिए ही इस्तेमाल की गई थी।
- x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा अभ्यासों के निष्पादन के तहत कंपनी की बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के दौरान एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी वर्ष के दौरान अवलोकित नहीं हुई है या रिपोर्ट की गई है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।
- xi. प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस. आर. 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के तहत कंपनी पर लागू नहीं है।
- xii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- xiii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हुए हैं एवं प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 39 में प्रकट किए गए हैं।
- xiv. निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान शेयरों या आंशिक/पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्रों (डिबेंचर) का अधिमान्य आवंटन या गैर सरकारी व्यवस्थापन कंपनी द्वारा नहीं किया गया है और इसी अनुसार, आदेश का खंड 3(xiv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- xv. निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम 2013 की धारा 192 में संदर्भित अनुसार किसी निदेशक या उससे जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। इसी अनुसार, सीएआरओ का खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- xvi. हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 IA के अधीन पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसी अनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी

सनदी लेखापाल

एफआरएन-302184ई/ई300007

सीए प्रदीप कुमार मित्र

साझेदार

सदस्यता सं. 052183

यूडीआईएन: 21052183AAAAAC2933

स्थान : कोलकाता

तारीख : 25 जून, 2021

- (viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to banks, except sub-judice cases of loans from Indian Overseas Bank Rs. 13.80 million and Standard Chartered Bank Rs. 1436.20 million as mentioned in Note No. 20(a) and 20(b) of the Notes respectively to the standalone Financial Statements.

The Company did not have any loans or borrowings from financial institutions or Government and has not issued any debentures.

- (ix) Based on the information and explanations given by the management, the Company has not raised any money by way of Initial Public Offer or further Public Offer including Debt Instruments. Further Money raised by way of term loan was applied for the purpose for which it was raised.
- (x) During the course of our examination of the books and record of the Company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we report that no fraud on or by the Company or no fraud by the officers and employees of the company has been noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the management.
- (xi) Section 197 of the Act regarding managerial remuneration is not applicable to the Company by virtue of Notification No. G.S.R 463(E) dated 05 June 2015, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India.
- (xii) As per information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provision of clause 3 (xii) of the Order is not applicable to the Company.
- (xiii) As per information and explanations given to us, transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details have been disclosed in the Note No 39 to the Standalone Financial Statements as required by the applicable Indian Accounting Standards.
- (xiv) Based upon the audit procedures performed and according to the information and explanations given by the management, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully/partly convertible debentures during the year. Accordingly, the provision of clause 3 (xiv) of the Order is not applicable to the Company.
- (xv) Based upon the audit procedures performed and according to the information and explanations given by the management, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them as referred to in Section 192 of Companies Act 2013. Accordingly, the provision of clause 3 (xv) of CARO is not applicable to the Company.
- (xvi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provision of clause 3 (xvi) of the Order is not applicable to the Company.

For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN- 302184E/E300007

CA Pradip Kumar Mitra
Partner

M.No.052183

UDIN : 21052183AAAAAC2933

Place: Kolkata

Date: June 25, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर एमएसटीसी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति सम दिनांकित

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 9(च) के संदर्भ में

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

- हमने 31 मार्च, 2021 की स्थिति को एमएसटीसी लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना है, जो कंपनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए, वे पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

- वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है, जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो :

- (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के संबंध में हैं, जो सुसंगत विस्तार में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थिति को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं।
- (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित है एवं कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

- नियंत्रण का अतिक्रमण करने वाली मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रायोजन जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या ये फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

Annexure –B to the Independent Auditor's Report

Referred to in paragraph 9(f) of the Independent Auditor's Report of even date to the members of MSTC Limited on the Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2021.

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

1. We have audited the internal financial controls over Financial Reporting of MSTC Limited as at 31st March, 2021 in conjunction with our audit of the standalone Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

2. The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") and the Standards on Auditing, prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with the ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

4. A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:
 - (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
 - (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and Directors of the Company; and
 - (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's Assets that could have a material effect on the Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

5. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

योग्यताप्राप्त राय

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2021 के अनुसार निम्नलिखित भौतिक कमजोरी चिह्नित की गई है:

व्यवसाय के कैश एवं कैरी मॉडल के अधीन ग्राहकों की ओर से कंपनी द्वारा क्रय की गई एवं ग्राहकों के परिसर में गिरवी रखी सामग्री के स्टॉक को कंपनी द्वारा नियुक्त अभिरक्षण की हिफाजत में सुरक्षा के साथ बनाये रखने की प्रक्रिया को अब बंद कर दिया गया है।

तथापि कंपनी ने अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा के लिए एक पृथक लेखापरीक्षा शुरू की थी एवं वर्ष 2020-21 के दौरान इसकी लेखा परीक्षा समिति द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया गया है।

हमारी राय में, ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी के संभावी प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का रखरखाव किया है एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्था द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण की अनिवार्य विषयवस्तुओं को विचार में लेते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2021 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी

सनदी लेखापाल

एफआरएन-302184ई/ई300007

सीए प्रदीप कुमार मित्र

साझेदार

सदस्यता सं. 052183

यूडीआईएन: 21052183AAAAAC2933

स्थान : कोलकाता

तारीख : 25 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत, हम निम्नवत रिपोर्ट करते हैं :

दिशानिर्देश

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया के लिए किसी प्रणाली की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो लेखा की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों की प्रक्रिया के परिणामों के साथ वित्तीय परिणामों यदि कोई है, को व्यक्त किया जा सकता है।
2. क्या किसी मौजूदा ऋण की पुनः संरचना तैयार करने या ऋण को चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए किसी कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को छोड़ने/ बट्टे में डालने का मामला है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव को व्यक्त किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों को यथा खाते में लिया गया था? (यदि ऋणी सरकारी कंपनी है, तो ऋणी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी यह निर्देश लागू है)।
3. क्या केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि अनुदान/उपदान आदि इसके नियम और शर्तों के अनुसार खाते में यथोचित डाला गया था/उपयोग किया गया था? भिन्नता वाले मामलों की सूची दें।

लेखापरीक्षक के जवाब

सम दिनांकित हमारी रिपोर्ट में इस विषयवस्तु को पर्याप्त रूप से निपटाया गया है।

[अनुच्छेद 3(ii) प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु]

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी मौजूदा ऋण की पुनः संरचना तैयार करने या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए किसी कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को छोड़ने/ बट्टे में डालने का उदाहरण नहीं।

केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किसी प्राप्त हुए/ प्राप्य फंड का मामला नहीं है।

कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी

सनदी लेखापाल

एफआरएन-302184ई/ई300007

सीए प्रदीप कुमार मित्र

साझेदार

सदस्यता सं. 052183

यूडीआईएन: 21052183AAAAAC2933

स्थान : कोलकाता

तारीख : 25 जून, 2021

Qualified Opinion

6. According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following weaknesses have been identified as at 31st March 2021:

In the process of maintaining safe custody with the Company appointed Custodian of Pledged Stock of materials held in the premises of the Customers, procured by the Company on behalf of them under Cash & Carry Model of Business, now discontinued.

However, the Company had a separate Audit for Audit of its Internal Financial Control System carried out and the report has been considered by its Audit Committee during 2020-21.

In our opinion, except for the possible effects of the weaknesses described herein above, the Company has maintained, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Place: Kolkata

Date: June 25, 2021

For S. Ghose & Co LLP

Chartered Accountants

FRN- 302184E/E300007

CA Pradip Kumar Mitra

Partner

M.No.052183

UDIN : 21052183AAAAAC2933

Annexure – C to the Independent Auditors' Report

Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013, based on the verification of records of the Company and according to information and explanation given to us, we report as under:

Directions

1. Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.
2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the Company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case lender is a Government Company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender Company).
3. Whether funds (grants/subsidy etc.) received / receivable for specific schemes from Central / State Governments or its agencies were properly accounted for / utilised as per its term and conditions? List the cases of deviation.

Auditor's Reply

The matter has been adequately dealt with in our report of even date. [Para 3 (ii) of Key Audit Matter]

There is no instance of restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts/ loans / interest etc. made by a lender to the Company due to Company's inability to repay the loan during the financial year 2020-21.

There is no case of funds received/receivable during the financial year 2020-21 for specific schemes from Central/State Government or its agencies.

Place: Kolkata

Date: June 25, 2021

For S. Ghose & Co LLP

Chartered Accountants

FRN- 302184E/E300007

CA Pradip Kumar Mitra

Partner

M.No.052183

UDIN : 21052183AAAAAC2933



31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएसटीसी लि. के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्ट के अधीन प्रदान रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरण पर विचार प्रकट करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 25 जून, 2021 के अनुसार उनके द्वारा किया हुआ बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6) (क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा का संचालन किया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजात को प्राप्त किए बगैर यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है, जिससे कि अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा पूरक प्रदान किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक

की ओर से एवं उनके लिए

(सुपर्णा देव)

लेखा परीक्षा के महानिदेशक (खदान)

कोलकाता

स्थान : कोलकाता

तारीख : 03 सितंबर, 2021

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MSTC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of MSTC Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 June 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of MSTC Limited for the year ended 31 March 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Kolkata

Date: 03 SEP 2021



(Suparna Deb)

Director General Audit (Mines)
Kolkata

स्टैंडअलोन तुलन पत्र : 31 मार्च 2021

Standalone Balance Sheet as at 31st March 2021

(राशि ₹ मिलियन में Amount in ₹ million)

	टिप्पणियां Notes	31 मार्च 2021 को As at 31 st March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 st March 2020
परिसंपत्तियां			
(1) गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	(1) Non-current assets		
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(a) Property, Plant and Equipment	70.48	79.23
(ख) प्रगति में पूंजीगत कार्य	(b) Capital Work in Progress	502.50	289.23
(ग) पट्टेवाली भूमि	(c) Leasehold Land	70.82	71.57
(घ) अमूर्त संपत्तियां	(d) Intangible assets	1.40	11.39
		645.20	451.42
(ङ) वित्तीय संपत्तियां	(e) Financial assets		
(i) निवेश	(i) Investments		
(क) सहायक कंपनी में	(a) In Subsidiary	158.10	158.10
(ख) संयुक्त उद्यम में	(b) In Joint Venture	226.00	186.00
(ii) अन्य वित्तीय संपत्तियां	(ii) Other financial assets	49.20	50.12
(च) गैर-मौजूदा कर संपत्ति	(f) Non-Current tax assets	526.42	521.57
(छ) आस्थगित कर संपत्ति (निवल)	(g) Deferred tax assets (net)	2,225.01	2,245.05
(ज) अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां	(h) Other non current assets	3.40	26.34
कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां	Total non-current assets	3,833.33	3,638.60
2. मौजूदा परिसंपत्तियां	(2) Current assets		
(क) वित्तीय संपत्तियां	(a) Financial assets		
(i) व्यापार प्राप्त राशियां	(i) Trade receivables	7,237.64	12,334.44
(ii) नकद और नकदी समकक्ष	(ii) Cash and cash equivalents	7,078.78	1,597.23
(iii) अन्य बैंक शेष	(iii) Other Bank Balances	119.89	114.27
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	(iv) Other financial assets	205.35	131.16
(ख) अन्य मौजूदा संपत्तियां	(b) Other current assets	23.37	20.81
कुल मौजूदा संपत्ति	Total current assets	14,665.03	14,197.91
कुल परिसंपत्तियां	TOTAL ASSETS	18,498.36	17,836.51
इक्विटी एवं देयता	EQUITY AND LIABILITIES		
(1) इक्विटी	(1) Equity		
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	(a) Equity Share Capital	704.00	704.00
(ख) अन्य इक्विटी	(b) Other equity	2,845.58	2,094.31
कुल इक्विटी	Total equity	3,549.58	2,798.31
(2) गैर-मौजूदा देयता	(2) Non-current liabilities		
(क) वित्तीय देयता	(a) Financial liabilities		
(i) उधार	(i) Borrowings	43.19	33.91
(ii) व्यापार देय	(ii) Trade payables		
कुल बकाया राशि	Total Outstanding dues of		
(क) सूक्ष्म व लघु उद्यम	a) Micro & Small Enterprises	-	-
(ख) सूक्ष्म व लघु उद्यम के अलावा लेनदार	b) Creditors other than Micro & Small Enterprises	-	2.64
(iii) अन्य वित्तीय देयता	(iii) Other financial liabilities	7.28	5.70
(ख) प्रावधान	(b) Provisions	253.09	165.98
(ग) अन्य गैर मौजूदा देयता	(c) Other non-current liabilities	61.20	63.25
कुल गैर मौजूदा देयता	Total non-current liabilities	364.76	271.48
(3) मौजूदा देयता	(3) Current liabilities		
(क) वित्तीय देयता	(a) Financial liabilities		
(i) उधार	(i) Borrowings	1,500.74	2,282.24
(ii) व्यापार देय	(ii) Trade payables		
कुल बकाया राशि	Total Outstanding dues of		
(क) सूक्ष्म व लघु उद्यम	a) Micro & Small Enterprises	0.35	0.75
(ख) सूक्ष्म व लघु उद्यम के अलावा लेनदार	b) Creditors other than Micro & Small Enterprises	3,807.83	5,916.39
(iii) अन्य वित्तीय देयता	(iii) Other financial liabilities	8,790.12	6,463.13
(ख) प्रावधान	(b) Provisions	-	25.17
(ग) अन्य मौजूदा देयता	(c) Other current liabilities	484.98	79.04
कुल मौजूदा देयता	Total current liabilities	14,584.02	14,766.72
कुल देयता	Total liabilities	14,948.78	15,038.20
कुल इक्विटी एवं देयता	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	18,498.36	17,836.51

संलग्न टिप्पणियाँ हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा मानी जाएंगी।
हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस घोष एण्ड के. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184/ईई300007

The accompanying notes forms an integral part of the financial statements.
In terms of our report of even date.

In terms of our report of even date
For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN : 302184/E/300007

कृते एमएसटीसी लिमिटेड For MSTC LIMITED

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझेदार
एम नं. : 052183

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M. No : 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and
Managing Director
DIN- 08643406

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 8290021

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

(एस. के. बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. - एफ5627

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण
Standalone Statement of Profit & Loss for the period 31st March 2021

विवरण	Particulars	(राशि ₹ मिलियन में Amount in ₹ million)		
		टिप्पणी	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
		Note	For the year ended 31 st March 2021	For the year ended 31 st March 2020
I परिचालन से राजस्व	I Revenue from operations	25	4,277.45	8,307.08
II अन्य आय	II Other Income	26	2,113.88	615.00
III कुल राजस्व (I + II)	III Total Revenue (I + II)		6,391.33	8,922.08
IV व्यय	IV EXPENSES			
(क) व्यापारगत माल की खरीदारी	(a) Purchases of Stock-in-Trade	27	1,746.07	5,663.12
(ख) कर्मचारी हितलाभ पर व्यय	(b) Employee benefit expense	28	677.58	711.54
(ग) वित्तीय लागत	(c) Finance costs	29	68.90	274.56
(घ) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	(d) Depreciation and amortisation expense	2	24.81	20.35
(ङ) अन्य व्यय	(e) Other expenses	30	2,727.16	957.60
कुल व्यय	Total Expenses		5,244.52	7,627.17
V कर से पूर्व लाभ (III- IV)	V Profit before tax (III- IV)		1,146.81	1,294.91
VI कर व्यय	VI Tax Expense	36		
(क) वर्तमान कर	(a) Current tax		103.91	238.24
(ख) आस्थगित कर	(b) Deferred tax		32.20	304.64
कुल कर व्यय	Total tax expense		136.11	542.88
VII वर्ष के लिए लाभ (V- VI)	VII Profit for the year (V- VI)		1,010.70	752.03
VIII अन्य व्यापक आय	VIII Other comprehensive income			
(क) वस्तु जिसका लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, परिभाषित लाभ योजना का पुनःमापन	(a) Items that will not be reclassified to profit or loss Remeasurement of Defined Benefit Plan	40	(39.27)	(51.73)
(ख) उपरोक्त पर आय कर	(b) Income tax on above		12.16	17.18
			(27.11)	(34.55)
IX वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII + VIII)	IX Total comprehensive income for the year (VII + VIII)		983.59	717.48
X प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक):	X Earnings per equity share (face value ₹10 each):	37		
(क) बेसिक (₹ में.)	(a) Basic (in ₹)		14.36	10.68
(ख) डायल्यूटेड (₹ में.)	(b) Diluted (in ₹)		14.36	10.68

संलग्न टिप्पणियाँ हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा मानी जाएंगी।

The accompanying notes forms an integral part of the financial statements. In terms of our report of even date.

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184ई/ई300007

In terms of our report of even date For S. Ghose & Co LLP Chartered Accountants
FRN : 302184E/E300007

कृते एमएसटीसी लिमिटेड

For MSTC LIMITED

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझेदार
एम नं. : 052183

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M. No : 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and
Managing Director
DIN- 08643406

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 8290021

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

(एस. के. बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. - एफ5627

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण Standalone Statement of Changes in Equity for the year ended 31st March 2021

(राशि ₹ मिलियन में Amount in ₹ million)

विवरण	Particulars	सं. Nos.	अंकित मूल्य (₹) Face Value (₹)	(₹ मिलियन) (₹ Million)
क इक्विटी शेयर पूंजी	A Equity Share Capital			
इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक जारी, सबस्क्राइब्ड एवं पूर्णतया प्रदत्त	Equity shares of ₹10 each issued, subscribed and fully paid			
शेष राशि 31 मार्च, 2019 को	Balance as at 31st March, 2019	7,04,00,000	10	704.00
शेष राशि 31 मार्च, 2020 को	Balance as at 31st March, 2020	7,04,00,000	10	704.00
शेष राशि 31 मार्च, 2021 को	Balance as at 31st March, 2021	7,04,00,000	10	704.00
ख अन्य इक्विटी	B. Other Equity			
		सामान्य आरक्षण General Reserve	प्रतिधारित आय Retained Earnings	कुल Total
शेष राशि 31 मार्च, 2019 को	Balance as at 31st March, 2019	4,961.60	(3,584.77)	1,376.83
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ	Profit for the year ended 31st March 2020	-	752.03	752.03
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	Other Comprehensive Income for the year	-	(34.55)	(34.55)
सामान्य आरक्षित में अंतरण/(से) प्रतिधारित आय	Transfer to General Reserve/(From) Retained Earning	-	-	-
शेष राशि 31 मार्च, 2020 को	Balance as at 31st March, 2020	4,961.60	(2,867.29)	2,094.31
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ	Profit for the year ended 31st March 2021	-	1,010.70	1,010.70
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	Other Comprehensive Income for the year	-	(27.11)	(27.11)
अंतिम लाभंश : वित्तीय वर्ष 19-20	Final Dividend : FY 19-20	-	(232.32)	(232.32)
सामान्य आरक्षित में अंतरण/(से) प्रतिधारित आय	Transfer to General Reserve/(From) Retained Earning	-	-	-
शेष राशि 31 मार्च, 2021 को	Balance as at 31st March, 2021	4,961.60	(2,116.02)	2,845.58

संलग्न टिप्पणियाँ हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा मानी जाएंगी।

The accompanying notes forms an integral part of the financial statements.
In terms of our report of even date.

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस घोष एण्ड क. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184ई/ई300007

In terms of our report of even date
For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN : 302184E/E300007

कृते एमएसटीसी लिमिटेड

For MSTC LIMITED

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझादार
एम नं. : 052183

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M. No : 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and
Managing Director
DIN- 08643406

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 8290021

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

(एस. के. बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. - एफ5627

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण Standalone Statement of Cash Flows for the Year ended 31st March 2021

(राशि ₹ मिलियन में Amount in ₹ million)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year Ended 31st March 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year Ended 31st March 2020
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह वर्ष के लिए कर से पूर्व लाभ समायोजन : मूल्यह्रास / परिशोधन व्यय लाभांश आय व्याज से आय वित्तीय लागत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से हानि आवश्यक नहीं रह गए प्रावधान पुनरांकित किए गए खराब ऋण बट्टे खाता में डाला गया खराब एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान देयता पुनरांकित की गई कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ परिचालन संपत्ति एवं दायित्व में परिवर्तन हेतु समायोजन परिचालन संपत्ति में (वृद्धि)/कमी हेतु समायोजन: कार्यशील पूंजी में गति व्यापार एवं अन्य प्राप्त में (वृद्धि)/कमी अन्य परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी परिचालन दायित्व में वृद्धि/(कमी) हेतु समायोजन: व्यापार भुगतान एवं अन्य वित्तीय दायित्व में वृद्धि/(कमी) अन्य दायित्व में वृद्धि/(कमी) प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) परिचालन से नकद की सृष्टि प्रत्यक्ष कर भुगतान (शुद्ध वापसी) परिचालन कार्यकलाप से शुद्ध नकद	A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES Profit Before Tax for the year Adjustments for: Depreciation /Amortisation Expenses Dividend Income Interest Income Finance Cost Loss on sale of Property Plant and Equipments Provision no Longer Required Written Back Bad Debt Witten Off Provision for Bad and Doubtful Advances Liability written Back Operating profit before Working Capital changes Adjustments for changes in Operating Assets & Liabilities Adjustments for (increase) / decrease in Operating Assets: Movement in working capital: (Increase)/decrease in Trade and Other Receivables (Increase)/decrease in Other Assets Adjustments for increase / (decrease) in Operating Liabilities: Increase/ (decrease) in Trade Payables & Others Financial Liabilities Increase/ (decrease) in Other Liabilities Increase/ (decrease) in Provisions Cash generated from Operations Direct Taxes Paid (Net of Refund) Net cash from Operating Activities	1,146.81 25.56 (100.02) (67.72) 68.90 0.12 (1,929.80) 1,803.61 695.05 12.76 1,655.27 4,442.02 20.38 216.96 403.90 22.66 6,761.19 (108.75) 6,652.44	1,294.91 21.10 (60.70) (75.53) 274.56 1.06 (474.94) 373.99 339.91 - 1,694.36 4,864.88 32.89 (3,835.27) (125.03) 11.46 2,643.29 (310.05) 2,333.24
ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों पर प्राप्ति (शुद्ध) मियादी जमा में निवेश संयुक्त उद्यम में निवेश व्याज प्राप्त लाभांश आय निवेश कार्यकलाप में शुद्ध नकद (प्रयुक्त)	B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES Proceeds of Property Plant and Equipment (Net) Investment In Fixed Deposits Investment in Joint Venture Interest received Dividend Income Net cash (used) in Investing Activities	(219.46) (5.61) (40.00) 67.60 100.02 (97.45)	(140.36) 2,315.68 - 75.20 60.70 2,311.22
ग) वित्तीय कार्यकलाप से नकद प्रवाह अल्पमियादी उधारी पर प्राप्ति/(चुकोती) व्याज भुगतान लाभांश भुगतान वित्तीय कार्यकलापों में व्यवहृत शुद्ध नकद नकद एवं नकद समकक्ष (क+ख+ग) में शुद्ध वृद्धि/(कमी) अवधि के प्रारम्भ में नकद एवं नकद के समकक्ष अवधि के अंत में नकद एवं नकद के समकक्ष ध्यान दें : (1) कोष्ठक में शामिल अंक बहिर्वाह दर्शाते हैं (2) नकद एवं नकद समतुल्य दर्शाने वाले विवरण अवधि के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष घटाएँ : अवधि के अंत में ओवरड्राफ्ट बैलेंस अवधि के अंत में शुद्ध नकद एवं नकद समकक्ष	C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds/(Repayment) of Short Term Borrowings Interest Paid Dividend Paid Net cash used in Financing Activities Net increase/(decrease) in Cash & Cash equivalents(A+B+C) Cash and Cash equivalents at the beginning of the Period Cash and Cash equivalents at the end of the Period	(770.98) (68.90) (232.32) (1,072.20) 5,482.79 1,595.99 7,078.78	(2,031.84) (274.69) - (2,306.53) 2,337.93 (741.94) 1,595.99
Note : (1) Figures in brackets indicate outflows. (2) Statement Showing Cash and Cash Equivalents Cash and Cash equivalents at the end of the Period Less : Over Draft Balances at the end of the Period Net Cash and Cash equivalents at the end of the Period		7,078.78 - 7,078.78	1,597.23 (1.24) 1,595.99

टिप्पणी : भारतीय लेखांकन मानक-7 के अनुसार परोक्ष विधि का इस्तेमाल करके नकद प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है: नकद प्रवाह विवरण।
संलग्न टिप्पणियाँ हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा मानी जाएगी।

Note : Statement of Cash Flows is prepared using Indirect Method as per Indian Accounting Standard-7: Statement of Cash Flows.
The accompanying notes forms an integral part of the financial statements. In terms of our report of even date.

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date
कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी For S. Ghose & Co LLP
सनदी लेखापाल Chartered Accountants
एफआरएन : 302184ईई300007 FRN : 302184E/E300007

कृते एमएसटीसी लिमिटेड For MSTC LIMITED

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझेदार
एम. नं. : 052183

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M. No : 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and
Managing Director
DIN- 08643406

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 8290021

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

(एस. के. बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. - एफ5627

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

1.क) सामान्य जानकारी

एमएसटीसी लिमिटेड ("कंपनी") एक मिनीरतन श्रेणी-I कंपनी है जो, 9 सितंबर, 1964 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित हुई थी। यह भारत में अधिवासित है एवं इसका पंजीकृत कार्यालय 225 सी ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 020 में स्थित है एवं (सीआईएन: L27320WB1964GOI026211) शेयरों द्वारा परिसीमित है। प्रारंभिक जन प्रस्ताव के तहत एमएसटीसी लिमिटेड के इक्विटी शेयर 29 मार्च, 2019 से बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों में सूचीबद्ध एवं व्यापारित हैं। कंपनी व्यापारिक गतिविधियों, ई-कॉमर्स और फेरस और गैर-फेरस स्क्रेप, अधिशेष भंडार, खनिज, कृषि और वन उत्पादन आदि का निपटान करती है, जो ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के हैं। कंपनी की मुख्य गतिविधि दो संचालन प्रभागों में विभाजित की गई है, अर्थात ई-कॉमर्स और ट्रेडिंग। ई-कॉमर्स डिवीजन स्क्रेप, अधिशेष भंडार, खनिज, कृषि और वन उत्पादों की ई-बिक्री एवं ई-प्रोक्योरमेंट का निपटान करता है। मूल कार्यालय की सूची में - रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि., भारत संचार निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. आदि शामिल हैं। निपटान की पद्धति में - ई-ऑक्शन, ई-टेंडर, ई-रिवर्स ऑक्शन आदि शामिल हैं। साथ ही, एमएसटीसी कोल इंडिया लि., सिंगरेनी कोलफील्ड्स लि. आदि से कोयला भी ई-ऑक्शन करती है। इसके अलावा एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट समाधान भी प्रदान करती है। ट्रेडिंग डिवीजन आयात/निर्यात एवं घरेलू व्यापार का मुख्यतया थोक औद्योगिक कच्ची सामग्रियों का परिचालन करता है। यह भारतीय उद्योगों की आपूर्ति के लिए औद्योगिक कच्ची सामग्रियां यथा हेवी मेल्टिंग स्क्रेप, लो एंश मेटालर्जिकल कोक, एचआर क्वायल, क्रूड ऑयल, नैप्था, कोकिंग कोल, स्टीम कोल आदि के उपलब्धता स्रोत, क्रय एवं बिक्री को देखती है। कोयला/इस्पात उद्योग, तेल क्षेत्र, राज्य की स्वामित्ववाली विद्युत कंपनियाँ आदि अंतिम ग्राहक हैं।

1.ख) हाल के लेखांकन विकास

24 मार्च, 2021 को निगमित मामले मंत्रालय ("एमसीए") की एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में परिवर्तन किया गया जिसके जरिये अनुसूची III के प्रभाग I, II एवं III में संशोधन हुआ है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। संशोधन मुख्य रूप से इनसे संबंधित हैं:

- तुलनपत्र में कुछ मदों के लिए, वर्तमान प्रस्तुतीकरण आवश्यकता में परिवर्तन, उदाहरण के लिए पट्टा देयताएँ, प्रतिभूति जमा, दीर्घमियादी ऋणों की मौजूदा परिपक्वता, शेयर पूंजी पर पूर्वावधि त्रुटि का प्रभाव।
- विशिष्ट प्रारूपों में अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ, उदाहरण के लिए व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, जारी पूंजी कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों, प्रमोटरों की शेयरधारिता आदि का समय विश्लेषण।
- यदि विशिष्ट प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य ज़रूरत के लिए निधि का उपयोग किया गया है, जिसके लिए इसने बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से उधार लिया है, का प्रकटीकरण।
- अतिरिक्त नियामक सूचना, उदाहरण के लिए कंपनियों के स्तरों, अचल परिसंपत्तियों के स्वत्वाधिकार, वित्तीय अनुपातों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों आदि को ऋण एवं अग्रिम के संबंध में अनुपालन।

Notes to Standalone financial statements for the year ended 31st March, 2021

1.A General Information

MSTC Limited (the "Company") is a Miniratna Category-I Company was incorporated under the Companies Act, 1956 on 9th September, 1964. It is domiciled in India, having registered office at 225 C, AJC Bose Road, Kolkata-700020 and limited by shares (CIN:L27320WB1964GOI026211). Pursuant to Initial Public Offer equity shares of MSTC Limited are listed and traded on both BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited w.e.f. 29th March, 2019. The Company undertakes trading activities, e-commerce and also disposal of ferrous and non-ferrous scrap, surplus stores, minerals, agri and forest produces etc. mostly from Public Sector Undertakings and Govt. Departments. The core activity of the Company has been divided into two Operational Divisions, i.e. e-Commerce and Trading. The e-Commerce division undertakes disposal of Scrap, surplus stores, e-sales of minerals, agri and forest produces, and e procurement. The list of Principals includes Ministry of Defence, State Governments, PSUs like Indian Oil Corporation Ltd., Oil and Natural Gas Corporation Ltd, Bharat Sanchar Nigam Ltd, Hindustan Petroleum Corporation Ltd. etc. The mode of disposal includes e-auction, e-tender, e-reverse auction etc. Besides, MSTC also e-auctions coal from Coal India Ltd, Singareni Coalfields Ltd etc. Apart from these MSTC also provides e-procurement solution. The trading division handles import/export and domestic trade of mainly bulk industrial raw material. It looks after sourcing, purchase and sales of industrial raw materials like Heavy Melting Scrap, Low Ash Metallurgical Coke, HR Coil, Crude Oil, Naptha, Coking Coal, Steam Coal etc. for supply to Indian industries. The end customers are Coal/Steel Industries, Oil sector, State owned Power Companies etc.

1.B RECENT ACCOUNTING DEVELOPEMENTS

On 24th March, 2021, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") through a notification, amended Schedule III of the Companies Act, 2013 revising Division I, II, and III of schedule III. These amendments are applicable from 1st April, 2021. The amendments primarily relate to:

- Change in existing presentation requirement for certain items in the Balance Sheet, for e.g. Lease liabilities, security deposits, current maturities of long term borrowings, effect of prior period error on share capital.
- Additional disclosure requirements in specified formats, for e.g. age analysis of trade receivables, trade payables, capital work in progress, intangible assets, share holding of promoters etc.
- Disclosure if funds have been utilised other than for the specific purpose for which it has borrowed from banks and financial institutions.
- Additional regulatory information for example compliance with layers of companies, title deed of immovable properties, financial ratios, loans and advances to key managerial persons, etc.

ड. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), अधोषित आय और क्रिप्टो या आभास मुद्रा के संबंध में प्रकटीकरण

1. ग) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. ग) 1 तैयारी के आधार

वित्तीय विवरण को कुछ संपत्ति और देनदारियों के अपवाद के साथ ऐतिहासिक लागत परम्परा के तहत तैयार किया गया है, जिन्हें इंड-एएस द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाना अपेक्षित है। कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों ('इंड एएस') और साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत सूचित नियमों के अनुपालन हेतु तैयार किये गए हैं।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाती है या मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही उस कीमत को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है या किसी मूल्यांकन तकनीक के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी परिसंपत्ति या दायित्व के उचित मूल्य के आकलन में, कंपनी परिसंपत्ति या देनदारी की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, अगर बाजार के प्रतिभागियों ने उन विशेषताओं को माप की तारीख में परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण में लिया है।

कार्यवाहक मुद्रा एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में तैयार किए जाते हैं, जो कि कंपनी के सभी प्रचालनों के लिए इसकी कार्यवाहक मुद्रा है। भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचना निकटतम मिलियन में पूर्ण राशि में दी गई है, यदि अन्यथा उल्लेख नहीं है।

वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्ति एवं देनदारी प्रस्तुत करती है। सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कंपनी के आम प्रचालन चक्र एवं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III और इंड एएस 1- 'वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतीकरण' में निर्धारित अन्य मानदंड के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन चक्र कार्य-प्रक्रिया हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं नकद और नकद समतुल्य में इनकी वसूली के बीच का समय है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में बारह महीने चिह्नित किए हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अनुमान एवं आलोचनात्मक निर्णय का उपयोग

इंड एएस के अनुसार खातों की तैयारी के लिए प्रबंधन को परिसंपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशि, लेखा की तारीख को आकस्मिक संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान आय एवं व्यय की रिपोर्ट राशि के प्रभाव का अनुमान एवं आकलन करना अपेक्षित है।

वास्तविक परिणाम उनके अनुमान से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों को नीचे लेखांकन नीतियों में वर्णित किया गया है। महत्वपूर्ण लेखांकन फैसले और कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनिश्चितता या आकलन के महत्वपूर्ण स्रोत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान परिसंपत्ति

e. Disclosures related to corporate social responsibility (CSR), undisclosed income and crypto or virtual currency.

1.C SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.C.1 BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention with the exception of certain assets and liabilities that are required to be measured at fair value at the end of each reporting period by Ind ASs. The financial statements of the Company have been prepared to comply with the Indian Accounting Standards ('Ind ASs'), including the rules notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

Functional Currency and Presentation Currency

The financial statements are prepared in Indian Rupees (₹) which is the Company's functional currency for all its operations. All financial information presented in Indian Rupees (₹) has been rounded to the nearest Million, unless otherwise stated.

Current and Non-Current Classification

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the schedule III to the Companies Act, 2013 and Ind AS 1 - 'Presentation of Financial Statements'.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents. The Company has identified twelve months as its operating cycle.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

Use of estimates and critical judgements

The preparation of accounts in accordance with Ind ASs requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the accounts and reported amounts of income and expenses during the period.

Actual results could differ from those estimates. The most significant techniques for estimation are described in the accounting policies below. Critical accounting judgments and the key sources of estimation or uncertainty in applying the Company's accounting policies arise in relation to property, plant and equipment, current asset provisions,

प्रावधान, आस्थगित कर, सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में उत्पन्न होते हैं। इनमें से प्रत्येक मद के लिए अंतर्निहित निर्णय और अनुमानों की विधियों सहित विस्तृत लेखा नीतियां नीचे चर्चा की गई हैं। इन सभी महत्वपूर्ण कारकों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखा अनुमानों के लिए संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें अनुमान संशोधन किए गए हैं और किसी भी भविष्य की अवधि जो प्रभावित होती है।

1.ग)2 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

कंपनी के वित्तीय विवरण को तैयार करते समय, कार्यात्मक मुद्रा को छोड़कर अन्य मुद्राओं में लेनदेन, लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा दर पर दर्ज की जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दरों पर पुनः रूपांतरित किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित, उचित मूल्य पर गैर-मौद्रिक मद इस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः रूपांतरित होते हैं जिस पर उचित मूल्य का निर्धारण किया गया था। कोई भी गैर मौद्रिक मद जो किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत की शर्तों में मापे जाते हैं, का रूपांतरण नहीं किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटारे पर एवं मौद्रिक मदों के पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न मुद्रा अंतर अवधि के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में सम्मिलित किए गए हैं। उचित मूल्य पर लिए गए गैर-मौद्रिक मदों के पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न मुद्रा अंतर अवधि के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में सम्मिलित हैं, जिसमें गैर-मौद्रिक मदों के पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न अंतर शामिल नहीं है जिसके लिए लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है।

जहाँ कहीं भी, ग्राहकों को उनके साथ अनुबंध के अनुसार विदेशी मुद्रा की अस्थिरता वहन करनी पड़ती है, कंपनी की बहियों में विदेशी मुद्रा लाभ/हानि की स्वीकृति नहीं दी गई है।

1.ग)3 (क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है यदि यह संभव है, कि मद के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आएंगे और इसकी लागत को विश्वास से मापा जा सकता है। यह मान्यता सिद्धांत संपत्ति, संयंत्र, और उपकरणों के मद को प्राप्त करने के लिए शुरू में किए गए खर्चों के लिए लागू किया जाता है और बाद में खर्च किए गए खर्चों को भी शामिल करने, किसी अंश को बदलने या सेवा देने के लिए किया जाता है। नियमित सर्विसिंग सहित सभी अन्य मरम्मत और रखरखाव लागत, लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत है। जब कोई प्रतिस्थापन होता है, तो प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि को मान्यता नहीं दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण संचित हास एवं न्यूनता हानि को घटाकर लागत पर व्यक्त किये जाते हैं। लागत में सभी प्रत्यक्ष लागत एवं व्यय शामिल है जो संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यकारी स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिए खर्च किए जाते हैं।

किसी परिसंपत्ति के निपटान पर होने वाले लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

deferred tax, retirement benefits. The detailed accounting policies, including underlying judgments and methods of estimations for each of these items are discussed below. All of these key factors are reviewed on a continuous basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which estimates are revised and any future periods affected.

1.C.2 FOREIGN CURRENCY TRANSLATION

In preparing the financial statements of the Company, transactions in currencies other than the functional currency are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the end of the reporting period. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing on the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not translated.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items, and on retranslation of monetary items are included in the Statement of Profit and Loss for the period. Exchange differences arising on retranslation on non-monetary items carried at fair value are included in statement of profit and loss for the period except for differences arising on the retranslation of non-monetary items in respect of which gains and losses are recognised directly in other comprehensive income.

Wherever foreign exchange fluctuations are to be borne by the customers as per agreement with them, foreign exchange gain/ loss are not recognised in the books of the Company.

1.C.3 (a) PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

An item of property, plant and equipment is recognised as an asset if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and its cost can be measured reliably. This recognition principle is applied to the costs incurred initially to acquire an item of property, plant and equipment and also to costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service it. All other repair and maintenance costs, including regular servicing, are recognised in the Statement of Profit and Loss as incurred. When a replacement occurs, the carrying amount of the replaced part is derecognised.

Property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses. Cost includes all direct costs and expenditures incurred to bring the asset to its working condition and location for its intended use.

The gain or loss arising on disposal of an asset is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset, and is recognised in the Statement of Profit and Loss.

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में शामिल हैं - खुले संयंत्र और औजार जो कि उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन और अनुमानित स्क्रेप मूल्य और साथ ही स्पेयर से संबंधित बट्टे राशि को निकालकर लागत पर बताए गए हैं, जिसके विरुद्ध जहाँ भी आवश्यक है क्षति प्रावधान दिए गए हैं, ताकि धीमी गति वाले एवं अप्रचलित मदों को उपलब्ध किया जा सके।

भूमि से अनंत आर्थिक जीवन प्राप्त होता है। कंपनी इसके कुछ हिस्से के जीवनकाल को प्रतिबंधित पट्टा वर्षों के लिए इसका आनंद उठा सकती है। अग्रिम में प्रदत्त पट्टे वाले भाड़े को पट्टा अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है।

1.ग)3 (ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास

मूल्यहास को सीधी रेखा पर बट्टा खाता के रूप में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य पर प्रावधान किया जाता है। यह प्रभार संपत्ति की तारीख से प्रारम्भ किये जाते हैं, जब से इच्छित उपयोग के लिए उपलब्ध होती है तथा उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर लिया जाता है। सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है एवं जब आवश्यकता होती है, संशोधन किया जाता है। उन सम्पत्तियों के संबंध में आगे कोई प्रभार नहीं दिया जाता है जो पूर्णतया अवलेखित हो चुकी हैं, परन्तु अभी भी उपयोग में हैं।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास संपत्ति के अभीष्ट उपयोग के लिए प्रस्तुत होने पर शुरू होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत को उनके उपयोगी जीवनकाल पर आवंटित करने हेतु उनके अवशिष्ट मूल्यों को छोड़कर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

प्रमुख श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अपेक्षित उपयोगी जीवन :

परिसंपत्ति का प्रकार	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्ष)
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10
विभाजन एवं क्यूबिकल्स	10
बिल्डिंग	60
एयर कंडिशनर्स	10
कम्प्यूटर्स	3
सर्वर्स	6

निर्माण चल रही परिसंपत्तियों को प्रगति में पूंजी कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी स्वीकृत क्षीण हानि को घटाते हुए लागत पर लिया जाता है। प्रगति में ऐसा पूंजी कार्य पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित किया जाता है।

1.ग)3 (ग) अमूर्त संपत्तियां

सीमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्तियां जो अलग-अलग अधिगृहित की गई हैं, उन्हें संचित परिशोधन एवं संचित न्यूनता हानि को घटाकर लागत पर लिया जाता है। परिशोधन को अपने अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है। अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन विधि को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है, जिसमें किसी भावी आधार पर, अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को लिया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर गैर-स्वीकृति दी जाती है, या जब उपयोग या निपटान पर कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं रहता है। इसके अलावा, प्रबंधन अनुमान

Included in property, plant and equipment are loose plant and tools which are stated at cost less amounts written off related to their expected useful lives and estimated scrap value and also spares, against which impairment provisions are made where necessary to cover slow moving and obsolete items.

Land has an indefinite economic life. The Company can enjoy the part of the life restricted to years of lease. The lease rent paid in advance is being amortised over the period of lease.

1.C.3 (b) Depreciation of property, plant and equipment

Depreciation is provided so as to write off, on a straight-line basis, the cost of property, plant and equipment to their residual value. These charges are commenced from the date the assets are available for their intended use and are spread over their estimated useful lives. The estimated useful lives of assets and residual values are reviewed regularly and, when necessary, revised. No further charge is provided in respect of assets that are fully written down but are still in use.

Depreciation on assets under construction commences only when the assets are ready for their intended use.

Depreciation is provided to allocate the costs of property, plant and equipment, net of their residual values, over their useful life as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013. The estimated useful lives for the main categories of property, plant and equipment are:

Type of Asset	Estimated Useful life (Years)
Office Equipment	5
Vehicles	8
Furnitures and Fixtures	10
Partition and Cubicles	10
Building	60
Air Conditioners	10
Computers	3
Servers	6

Assets in the course of construction are included under capital work in progress and are carried at cost, less any recognized impairment loss. Such capital work-in-progress, on completion, is transferred to the appropriate category of property, plant and equipment.

1.C.3 (c) Intangible Assets

Intangible assets with finite useful lives that are acquired separately are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Amortization is recognised on a straight-line basis over their estimated useful lives. The estimated useful life and amortization method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

An intangible asset is de-recognised on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal.

लगाती है कि अमूर्त परिसंपत्ति का उसके उपयोगी जीवनकाल के अंत में शून्य वहन लागत है अर्थात् शून्य अवशिष्ट मूल्य है।

पृथक् रूप से अर्जित सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के रूप में पंजीकृत किया जाता है। उनकी लाइसेंस अवधि तक उन्हें परिशोधित किया जाता है। अविच्छिन्न लाइसेंस के मामले में, लागत को पाँच वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

1.ग.4 गैर वित्तीय संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी की (सुनिश्चित करने के लिए) संपत्तियों, संयंत्र एवं उपकरणों की तथा अमूर्त संपत्तियों की वहन कीमत समीक्षा करती है, क्या उन संपत्तियों की वहन कीमत निरंतर उपयोग के जरिए वसूलीयोग्य नहीं हो सकती है, का कोई संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो सम्पत्ति की वसूलीयोग्य कीमत की क्षीणता हानि (यदि कोई है) के निर्धारण हेतु समीक्षा की जाती है। जहाँ सम्पत्ति से नगद प्रभाव की सृष्टि नहीं होती है जो अन्य सम्पत्ति से स्वतंत्र है, कंपनी नगद सृष्टिकारी इकाई जिससे सम्पत्ति का संबंध है, की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। अनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति की क्षीणता वार्षिक रूप से जांच की जाती है एवं जहाँ उसका कोई संकेत मिलता है, संपत्ति क्षीणता को प्राप्त कर सकती है।

वसूलीयोग्य राशि बिक्री मूल्य को घटाकर प्राप्त उचित मूल्य एवं उपयोग मूल्य में से अधिक वाली राशि होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य से पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है, जो राशि के समय मूल्य के चालू बाजार आकलन एवं संपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रतिबिंबित करती है जिसके लिए भावी नकद प्रवाह के अनुमान का समायोजन नहीं किया गया है। क्षीणता हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब संपत्ति की वहन कीमत वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

जब कोई क्षीणता हानि तत्पश्चात व्युत्क्रमित होती है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद सृजन इकाई) अपनी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान में बढ़ती है, पर इतना कि वर्धित वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो, जो निर्धारित किया गया होता, अगर पूर्व के वर्षों में क्षीणता हानि परिसंपत्ति (या नकद सृजन इकाई) के लिए स्वीकृति नहीं दी गई होती। क्षीणता हानि की विपरीत स्थिति को तुरंत लाभ या हानि में स्वीकृति दी जाती है।

1.ग.5 सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश

सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश लागत पर किया जाता है। इंड एस 27 की शर्तों में लागत के आधार पर, जहाँ नुकसान का संकेत दिखता है, निवेश की धारित राशि का आकलन किया जाता है एवं तुरंत उसे वसूलीयोग्य राशि में लिख लिया जाता है। सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश के निपटान पर शुद्ध निपटान प्रक्रिया एवं धारित राशि के बीच का अंतर लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

1.ग.6 वित्तीय साधन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय लेखपत्र के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है। वित्तीय संपत्तियां एवं दायित्व प्रारम्भ में उचित मूल्य में मापे जाते हैं। लेनदेन की लागतें जो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय संपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों के

Further, the management estimates that the intangible assets are having zero carrying cost at the end of its useful life i.e. zero residual value.

Softwares acquired separately are capitalised as software. These are amortized over a period of their license. In case of perpetual licences the cost is amortized over a period of five years.

1.C.4 Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amounts of its property, plant and equipment and intangible assets to determine whether there is any indication that the carrying amount of those assets may not be recoverable through continuing use. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is reviewed in order to determine the extent of impairment loss (if any). Where the asset does not generate cash flows that are independent from other assets, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. Intangible assets with an indefinite useful life are tested for impairment annually and whenever there is an indication, the asset may be impaired.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted. An impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss as and when the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised in profit and loss immediately.

1.C.5 Investment in Subsidiaries and Joint venture

Investment in subsidiaries and Joint venture are carried at cost in terms of Ind AS 27. Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the investment is assessed and written down immediately to its recoverable amount. On disposal of investments in subsidiaries and joint venture, the difference between net disposal proceeds and carrying amounts are recognised in Statement of Profit and Loss.

1.C.6 Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit and loss) are added to or

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के अलावा) के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोपित हैं, उन्हें वित्तीय संपत्तियों या वित्तीय दायित्वों के प्रारम्भिक मान्यता पर मापे गए निष्पक्ष मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

I. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को तदुपरांत परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल के रूप में रखी जाती हैं जिनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाह को एकत्रित करने के लिए इन संपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों के नकद प्रवाह को बढ़ाती है जो मूलतः बकाया मूलधन एवं इस मूलधन पर ब्याज के भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के पश्चात ऐसी वित्तीय संपत्तियाँ तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के प्रयोग द्वारा परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय साधन की परिशोधित लागत के निर्धारण एवं संबंधित अवधि पर ब्याज आय या व्यय के आवंटन की विधि है। प्रभावी ब्याज वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या जहाँ उपयुक्त हो, कम अवधि के माध्यम से ठीक उतनी ही भावी नकद प्राप्ति या भुगतान की छूट देती है।

II. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल के रूप में रखी जाती हैं जिनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाह को एकत्रित करने या इन वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए इन संपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों के नकद प्रवाह को बढ़ाती है जो मूलतः बकाया मूलधन एवं इस मूलधन पर ब्याज के भुगतान हैं।

इन मानदंडों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्रारंभ में उचित मूल्य और साथ में लेनदेन लागत पर मापी जाती हैं। ये तदुपरांत अन्य व्यापक आय में स्वीकृत पुनःमापन पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। तथापि, ब्याज आय, हानियाँ एवं उत्क्रमण तथा विदेशी मुद्रा लाभ एवं हानि की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में दी जाती है।

III. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य में नहीं मापी गई परिसंपत्ति लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ली जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति की हानि

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्ते को अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृति दी जाती है।

जीवनभर के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर हानि भत्ते को तब स्वीकृति दी जाती है जब वित्तीय साधनों पर क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक स्वीकृति से उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय साधन जिनके क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति से

deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in the Statement of Profit and Loss.

a) Financial assets

I. Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business model whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts future cash receipts or payments through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period.

II. Financial assets measured at fair value through Other comprehensive income

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business model whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows or to sell these financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets meeting these criteria are measured initially at fair value plus transaction costs. They are subsequently measured at fair value with any gains or losses arising on remeasurement recognised in other comprehensive income. However, the interest income, losses and reversals, and foreign exchange gains and losses are recognised in the Statement of Profit and Loss.

III. Financial assets measured at fair value through profit and loss

Financial asset not measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income is carried at fair value through profit and loss.

Impairment of financial assets

Loss allowance for expected credit losses is recognised for financial assets measured at amortised cost and fair value through other comprehensive income.

Loss allowance equal to the lifetime expected credit losses is recognised if the credit risk on the financial instruments has

उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़े हैं, तो बारह महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर हानि भत्ते को स्वीकृति दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब स्वीकृति नहीं देती है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंधित अधिकार खत्म हो जाते हैं या वित्तीय संपत्ति और साथ ही परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से किसी दूसरी संस्था को स्थानांतरित करती है। यदि कंपनी पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिम एवं पुरस्कार को न तो स्थानांतरित करती है और न ही बरकरार रखती है एवं हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण जारी रखती है, तब कंपनी परिसंपत्तियों में बरकरार रखे अपने हित एवं उस राशि के लिए किसी संबंधित की देनदारी जिसका भुगतान करना पड़ सकता है, को स्वीकृति देती है। यदि कंपनी किसी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की स्वीकृति जारी रखती है एवं प्राप्त कार्यवाहियों के सहवर्तित उधारी को भी स्वीकृति देती है।

ख) वित्तीय देनदारियों एवं इक्विटी लेखपत्र वर्गीकरण

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय देनदारियों एवं इक्विटी लेखपत्र को निष्पादित अनुबंधित व्यवस्थाओं के सार एवं किसी वित्तीय देनदारी एवं इक्विटी लेखपत्र की परिभाषाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी लेखपत्र

इक्विटी लेखपत्र एक संविदा है जो सभी देनदारियों को घटाने के बाद कंपनी की परिसंपत्तियों में अवशिष्ट ब्याज का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इक्विटी लेनदेन की लेनदेन लागत इक्विटी से कटौती के रूप में खाते में लिया जाता है।

वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देय तथा उधारी और साथ ही बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जिन्हें प्रारंभ में लेनदेन मूल्य को छोड़कर, उचित मूल्य पर मापा जाता है एवं तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की गैर-मान्यता

कंपनी वित्तीय देनदारियों को केवल तब गैर-मान्यता देती है, जब कंपनी के दायित्व पूरे हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं या वे समाप्त हो जाते हैं।

वित्तीय लेखपत्र की क्षतिपूर्ति या समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ उस समय क्षतिपूर्ति हो उठती हैं एवं शुद्ध राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती हैं, जब स्वीकृत राशियों की क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी तौर पर लागू योग्य कोई अधिकार है एवं शुद्ध आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति को प्राप्त करने एवं देनदारी निपटाने की कोई इच्छा है। कानूनी तौर पर लागू योग्य अधिकार भावी गतिविधियों पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यवसाय के सामान्य प्रचालन और प्रतिपक्ष की चूक, दिवालियापन, दिवाला की स्थिति में निश्चित रूप से लागू योग्य हो।

1.1.7 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद प्रवाह के विवरण में प्रस्तुत करने के प्रयोजन से नकद और नकद समतुल्य में हाथ में नकद, तीन महीने की मूल या उससे कम परिपक्वता वाले उच्च रूप से तरल

significantly increased since initial recognition. For financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition, loss allowance equal to twelve months expected credit losses is recognised.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the assets and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing of the proceeds received.

b) Financial liabilities and equity instruments Classification

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Transaction costs of an equity transaction are being accounted as a deduction from equity.

Financial Liabilities

The Company's financial liabilities include Trade and other payables and borrowings including bank overdrafts are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or they expire.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the Balance Sheet when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the counterparty.

1.C.7 CASH AND CASH EQUIVALENTS

For the purpose of presentation in the statement of cash flows, cash and cash equivalent includes cash on hand, highly

निवेश जो ज्ञात नकद राशि में तुरंत परिवर्तन योग्य हैं, बैंक में नकद एवं बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं और जो मूल्य में गैर-उल्लेखनीय परिवर्तन जोखिम के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलनपत्र में चालू देनदारियों में उधारी के अंदर दिखाया गया है।

1.ग.8 माल सूची

मार्गस्थ सामग्री समेत व्यापारित स्टॉक लागत पर या अनुमानित शुद्ध वसूलीयोग्य लागत, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित होती है।

1.ग.9 राजस्व की मान्यता

किसी ग्राहक के प्रति वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानांतरण की निष्पादन देयता की पूर्ति होने पर राजस्व को स्वीकृति दी जाती है।

बिक्री

- उच्च समुद्री बिक्री (हाई सी सेल्स) की बुकिंग हाई सी सेल पत्र जारी करने की तिथि के आधार पर की जाती है। मूल्य के संबंध में, बिक्री यदि बुक की गई हो, तो अनुबंधित फारवर्ड मुद्रा दरों पर या फिर प्रावधानिक रूप से वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को प्रचलित एफईडीआई स्पॉट मुद्रा दरों के आधार पर की जाती है, जहाँ फारवर्ड कवर नहीं लिया गया था, जिसमें सी एवं एफ/सीआईएफ मूल्य, मियादी ब्याज, तदुपरांत वित्तीय वर्ष में भुगतान की नियत तिथि को अंतिम समायोजन शामिल है।
- स्वदेशी सामग्रियों के मामले में, परिवहन दस्तावेजों की तिथि के आधार पर एवं मूल्य के संबंध में चालान के मूल्य के आधार पर बिक्री को हिसाब में लिया जाता है। दरवाजे पर डिलीवरी के आधार पर की गई बिक्री के मामले में बिक्री बिल की तिथि पर बुक की जाती है।
- निर्यात के मामले में, शिपमेंट की तारीख के आधार पर बिक्री को हिसाब में लिया जाता है। मूल्य के संबंध में, बिक्री अनुबंधित फॉरवर्ड विनिमय दरों पर बुक किए जाने पर या सीमा शुल्क अनुमत दस्तावेज के अनुसार शिपमेंट की तारीख को एफईडीआई दर पर बुक की जाती है जिसके बाद निर्यात की प्राप्ति की वास्तविक वसूली पर अंतिम समायोजन किया जाता है।

सेवा शुल्क:

सरलीकरण (फेसिलिटेटर) पद्धति के माध्यम से विपणन विभाग में लेनदेन हेतु एवं नीलामी, निविदाओं या किसी अन्य साधन द्वारा प्रिन्सिपल की ओर से विक्रय/क्रय के संचालन हेतु पारिश्रमिक को सेवा प्रभार के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

क) निम्नलिखित पर सेवा प्रभार को अनुबंधित दरों पर आय के रूप में खाते में लिया जाता है :

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा एवं अन्य सरकारी विभागों की ओर से बिक्री आदेश/सुपुर्दगी आदेश के जारी करने पर निविदा/ऑक्शन बिक्री।
 - ई-बिक्री को संतोषजनक पूरा करने पर।
- (i) एवं (ii) के संबंध में, सेवा प्रभार प्रिन्सिपल द्वारा वास्तविक सुपुर्दगी के आधार पर समायोजन के साथ, यदि कोई है, ऑक्शन के बोली मूल्य पर लिया जाता है, यदि सेवा प्रभार प्रतिशत आधार पर भुगतानयोग्य है।

liquid investments with original maturities of three months or less that are readily convertible to known amounts of cash, cash at bank, and bank overdraft and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

1.C.8 INVENTORIES

Stock in trade including material-in-transit is valued at cost or estimated net realisable value whichever is less.

1.C.9 REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognized when the performance obligation towards transfer of goods and services to a customer is satisfied.

SALES

- High sea sales are booked on the basis of date of issuance of high sea sale letter. As regards value, sales are booked either at contracted forward exchange rates, if booked, or provisionally on the basis of FEDAI spot exchange rates prevailing on the last date of the financial year, where forward cover was not taken, which includes C&F / CIF price, usance interest followed by final adjustment on due date of payment in subsequent financial year.
- In case of indigenous material, sales are accounted for on the basis of date of transport documents and as regards value, based on the value of invoices. In case of sale on door delivery basis sales are booked on sales invoice dates.
- In case of export, sales are accounted for on the basis of date of shipment. As regards value, sales are booked either at contracted forward exchange rates, if booked, or at the FEDAI rate on the date of shipment as per custom clearance document, followed by final adjustment on actual realisation of export proceeds.

SERVICE CHARGES

Remuneration for transaction in Marketing Department through facilitator mode and for conducting sales/ procurement on behalf of Principals, by way of auctions, tenders, or any other means, are accounted for as service charges.

(a) Service charges are accounted for as income at contracted rates on:

- Tender/Auction sale on behalf of Public Sector Undertakings, Defence and other Government Departments on issuance of sale orders / delivery orders.
- On satisfactory completion of e-sales.

In respect of (i) & (ii), service charges are accounted for on bid price of auction with adjustments, if any, on the basis of actual delivery by the Principals, in case service charges are payable on percentage basis.

- iii. गतिविधि के आधार पर सेवा ठेका के मामले में, गतिविधि के घटने पर।
- iv. ई-प्रोक्योरमेंट के मामले में सेवा प्रभार तब बुक किया जाता है, जहाँ सेवा प्रभार गतिविधि की समाप्ति पर प्रिन्सिपल से संग्रह योग्य है।
- (ख) बोलीदाताओं से एकत्रित ई-प्रोक्योरमेंट लेनदेन शुल्क गतिविधि के सफलतापूर्वक संचालित होने पर हिसाब में लिया जाता है।
- (ग) सुगमकर्ता के रूप में क्रय के संबंध में प्रोद्भूत सेवा प्रभार बिल ऑफ लैडिंग/रेलवे रसीद/लॉरी रसीद जैसे भी मामले हो, की तारीख के आधार पर संविदागत दर पर खाते में लिया जाता है। आयातीत सामग्रियों हेतु, वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को प्रचलित फॉरवर्ड कवर रेट पर या एफईडीएआई स्पॉट दर पर मूल्य सुनिश्चित किया जाता है। वास्तविक भुगतान पर अंतिम समायोजन किया जाता है। स्वदेशी सामग्रियों में मूल्य ठेकागत दर में वास्तविक भुगतान के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

ई-ऑक्शन पंजीकरण

विक्रेताओं से संग्रहित ई-ऑक्शन पंजीयन शुल्क चालू वर्ष के आय के रूप में विचार किया जाता है, यदि पंजीकरण की वैधता एक वर्ष तक है। जीवन भर के पंजीयन के मामले में संग्रहित राशि पांच वर्षों में समान रूप से वितरित की जाती है।

अन्य आय

निम्नलिखित मदों को छोड़कर उपचय आधार पर राजस्व स्वीकार किया जाता है जो वास्तविक वसूली पर लेखाकृत किया जाता है चूंकि ऐसी सामग्रियों की वसूली क्षमता लेखामानकों के प्रावधानों के अनुसार अनिश्चित है :

- (i) निष्पादन/विवादास्पद बकाया एवं उस पर ब्याज, यदि कोई है, हेतु विचाराधीन निर्णय।
- (ii) अतिदेय वसूलीयोग्य पर ब्याज जहाँ वसूली क्षमता अनिश्चित है।
- (iii) आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों पर निर्णीत परिसमापन हर्जाना।
- (iv) आयकर/बिक्री कर / वैट की पुनः प्राप्ति एवं इस पर ब्याज।
- (v) लाभांश आय की स्वीकृति दी जाती है जब भुगतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है।

क्रय

- (i) आयातित सामग्रियों को बिल ऑफ लैडिंग (लदान पत्र) की तिथि के आधार पर क्रय के रूप में खाते में लिया जाता है। मूल्य के संबंध में, क्रय को वास्तविक धन प्रेषण के आधार पर बुक किया जाता है एवं जहाँ ऐसे प्रेषण वर्ष की समाप्ति पर बकाया रहते हैं, तब बुक किए जाने पर, अनुबंधित फॉरवर्ड विनिमय दरों या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को प्रचलित एफईडीएआई स्पॉट विनिमय दरों पर, यदि फारवर्ड कवर नहीं लिया गया है, जैसे मामले हो, के आधार पर क्रय को बुक किया जाता है। क्रय मूल्य में, सामग्री मूल्य के भाड़े, बीमा आदि एवं मियादी ब्याज और तत्पश्चात तदुपरांत वित्तीय वर्ष में वास्तविक भुगतान पर अंतिम समायोजन शामिल है।
- (ii) देशी सामग्रियों के मामले में, क्रय को परिवहन कागजातों के आधार पर एवं मूल्य के संबंध में बिलों के मूल्य के आधार पर बुक किया जाता है।

1.ग.10 उधार-लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य उधारी लागत, जो ऐसी परिसंपत्ति हैं जो अपने अभीष्ट उपयोग या विक्रय के लिए

- iii. On occurrence of event, in case of service contract on event basis.

- iv. In case of E-Procurement Service charges are booked, where service charges are collectable from the Principal, on completion of event.

- (b) E-Procurement transaction fees collected from bidders are accounted on successful conduct of event.
- (c) Service charges accrued in respect of purchase as facilitator are accounted for at the contracted rate on the basis of date of bill of lading / railway receipt / lorry receipt as the case may be. For imported materials, value is ascertained either at forward cover rate or at FEDAI spot rate prevailing on the last date of the Financial Year. Final adjustment is made on actual payment. In case of indigenous materials, value is ascertained on the basis of actual payment at contracted rate.

E-AUCTION REGISTRATION

E-auction Registration fees collected from buyers is considered as income of the current year if the validity of registration is upto one year. In case of life long registration, the amount so collected is distributed in five years equally.

OTHER INCOME

Revenue is recognised on accrual basis except in the following items which are accounted on actual realization since realisability of such items is uncertain in accordance with the provisions of the accounting standards:

- i) Decrees pending for execution/contested dues and interest thereon, if any.
- ii) Interest on overdue recoverables where realisability is uncertain.
- iii) Liquidated damages on suppliers or contractors.
- iv) Refund of Income-Tax/Sales Tax/VAT and interest thereon.
- v) Dividend income is recognised when right to receive payment is established

PURCHASES

- (i) Imported materials are accounted for as purchase on the basis of date of bill of lading. As regards value, purchase are booked on the basis of actual remittance and where such remittance are outstanding at the close of the year, on the basis of contracted forward exchange rates, if booked, or FEDAI spot exchange rates prevailing on the last date of the financial year, in case forward cover is not taken, as the case may be. Purchase value includes material value freight, insurance etc. and usance interest followed by final adjustments on actual payment in subsequent financial year.
- (ii) In case of indigenous materials, purchases are booked on the basis of transport documents and as regards value, based on the value of invoices.

1.C.10 BORROWING COST

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are

तैयार होने में पर्याप्त रूप से समय लेती हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने की अवधि तक इन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

विशिष्ट उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित अन्य आय जो अर्हक परिसंपत्तियों पर अपने व्यय को लम्बित करती है, पूँजीकरण के लिए योग्य उधारी लागत से घटायी जाती है।

सभी अन्य उधारी लागत को उस अवधि में लाभ या हानि में स्वीकृति दी जाती है, जिनमें ये घटित होती हैं।

1.G.11 कर्मचारी लाभ

(क) अल्पकालीन लाभ

अल्पमियादी कर्मचारी लाभ लेखांकन अवधि जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवा दी जाती है, में उनकी गैर-छूट प्राप्त राशि पर हिसाब में लिया जाता है एवं अवधि जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा दी है, के दौरान लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

(ख) अवकाश नकदीकरण

अर्जित छुट्टी एवं रूपांतरित छुट्टी के लिए देयताएँ अवधि की समाप्ति जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा दी है, के पश्चात 12 महीने के अंदर संपूर्ण रूप से निपटायी जाना अपेक्षित नहीं है। इसलिए ये निर्धारित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भावी भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापी जाती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणाम का प्रयोग करते हुए लाभ पर छूट दिए गये हैं जिनमें संबंधित दायित्वों की शर्तों की अनुरूपी शर्तें हैं। बीमांकिक प्राक्कलनों में हुए अनुभव समायोजन एवं परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः मापन को लाभ या हानि में मान्यता दी गई है। यह सुविधा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित है।

(ग) रोजगार के उपरांत दायित्व

परिभाषित योगदान योजना-

i. भविष्य निधि

भविष्य निधि को आयकर अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रस्ट द्वारा प्रशासित किया जाता है और इस निधि में योगदान राजस्व में प्रभारित होता है। पेंशनरों के लाभ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के माध्यम से सुरक्षित है।

ii. पेंशन

पेंशन प्लान एक स्वतंत्र न्यास के माध्यम से संचालित होता है एवं इस निधि में योगदान को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। इस निधि का व्यवस्थापन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें डीपीई अनुदेशों के अनुसारण में इस्पात मंत्रालय के निर्देशों द्वारा योगदान राशि नियंत्रित है।

परिभाषित लाभ योजना-

i. सेवा ग्रांथ्युटी

परिभाषित ग्रांथ्युटी योजना के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकृत देनदारी या परिसंपत्ति योजना संपत्ति के उचित मूल्य से कम किया हुआ, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्वों को प्रति वर्ष

assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Other income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.

All other borrowing costs are recognised in profit and loss in the period in which they are incurred.

1.C.11 EMPLOYEE BENEFITS

(a) Short term benefits

Short term employee benefits are accounted for at their undiscounted amount in the accounting period in which the services are rendered by the employees are recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss during the period in which the employee renders the related service.

(b) Leave encashment

The liabilities for earned leave and commuted leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

The benefits are discounted using the market yield at the end of the reporting period that have terms of approximating to the terms of related obligations. Remeasurement as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in profit and loss. The facility is funded through LIC of India.

(c) Post-employment obligation

Defined Contribution Plan -

i. Provident Fund

Provident Fund is administered by a Trust recognised by Income Tax Authorities and contribution to this Fund is charged to revenue. Pensioner's Benefits are secured through Employees' Pension Scheme 1995.

ii. Pension

Pension plan is administered through an independent trust and contribution to this Fund is charged to revenue. The fund is being managed through Life Insurance Corporation of India. The contribution amount is governed by Ministry of Steel directives in terms of DPE guidelines.

Defined Benefit Plan -

i. Service Gratuity

The liabilities or assets recognised in the Balance Sheet in respect of defined gratuity plan is the present value of the defined benefits obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefits obligations are calculated annually by actuaries using

अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकक द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य, सरकारी बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार के परिणाम के संदर्भ द्वारा अनुमानित भावी नगदी बहिर्वाहों को छोड़ कर निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों की शर्तों की अनुरूपी शर्तें हैं।

शुद्ध व्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर छूट प्राप्त दर लागू करके की जाती है। लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में यह लागत शामिल है।

अनुभव समायोजन एवं बीमांकक आकलनों में परिवर्तन से होने वाले पुनर्निर्धारित लाभ व हानि उन समयावधि में माने जाते हैं, जिनमें वे अन्य व्यापक आय में सीधे घटते हैं। इक्विटी में बदलाव के विवरण में प्रतिधारित आय में इन्हें रखा गया है।

संशोधन एवं कटौतियों के फलस्वरूप उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में संशोधन पिछली सेवा लागत के रूप में तुरंत लाभ या हानि में पहचाने जाते हैं। ग्रैच्युटी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्रुप ग्रैच्युटी लाइफ एश्योरेंस योजना के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई एक अलग अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा लाभ

कंपनी अपने अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का अधिकार आमतौर पर सेवानिवृत्ति की उम्र तक सेवारत कर्मचारी और न्यूनतम सेवा अवधि की समाप्ति पर सशर्त है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए इस्तेमाल की गई उसी लेखा पद्धति के उपयोग से इन लाभों की अपेक्षित लागत रोजगार की अवधि में अर्जित की गई है। अनुभव समायोजन एवं बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनःमापन लाभ व हानि उत्पन्न होने वाली अवधि में अन्य व्यापक आय में प्रभारित या जमा किये जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए सृजित एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से निधि को प्रशासित किया जाता है।

1.ग.12 कराधान

वर्ष हेतु कर-व्यय में शामिल है चालू एवं आस्थगित कर।

(i) वर्तमान कर

वर्तमान में भुगतानयोग्य कर वर्ष के करयोग्य लाभ पर आधारित है। करयोग्य लाभ वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ से अलग है जैसा कि लाभ और हानि के विवरण में दिया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की सामग्रियों को छोड़ दिया जाता है जो अन्य वर्षों में करयोग्य या घाटवयोग्य हैं एवं आगे उन सामग्रियों का छोड़ा जाता है जो कभी करयोग्य या घाटवयोग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी के दायित्व की गणना कर दरों या कर कानूनों के उपयोग से की जाती है जो देश में अधिनियमित हुए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हुए हैं जहाँ कंपनी रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक संचालित है।

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताएँ आयकर की वो राशि है जो कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में भावी अवधियों में भुगतान योग्य है। आस्थगित कर संपत्तियाँ आयकर की वो राशि है जो कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, गैर-प्रयुक्त कर हानि को आगे लाए जाने एवं गैर-प्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे लाए जाने के संबंध में भविष्य में वसूली योग्य है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ उस सीमा तक स्वीकृत हैं कि यह संभावना है

projected unit credit method. The present value of defined benefits obligations is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on Government bonds that are terms approximating to the terms of the related obligations.

The net interest cost is calculated by applying the discounted rate to the net balance of defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity.

Changes in the present value of defined benefit obligation resulting from amendments and curtailments are recognised immediately in profit or loss as past service cost. The Gratuity obligation is funded through Group Gratuity Life Assurance Scheme of Life Insurance Corporation of India and is administered through a separate irrevocable trust created by the Company for this purpose.

ii. Post Retirement medical benefit

The Company provides post retirement healthcare benefits to their retirees. The entitlement to these benefits is usually conditional on the employee remaining in service up to the retirement age and the completion of minimum service period. The expected cost of these benefits is accrued over the period of employment using the same accounting methodology as used for defined benefit plans. Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited in other comprehensive income in the period in which they arise. The fund is administered through a separate trust created for this purpose.

1.C.12 TAXATION

Tax expense for the year comprises current and deferred tax.

(i) Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax for the year as reported in the Statement of Profit and Loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted in the country where the Company operates by the end of the reporting period.

(ii) Deferred tax

Deferred tax liabilities are the amount of income taxes payable in future periods in respect of taxable temporary differences. Deferred tax assets are the amount of income tax recoverable in future in respect of deductible temporary

कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में केवल तब एवं उस सीमा तक स्वीकृत होती है, जब विश्वसनीय साक्ष्य हो कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आय कर का भुगतान करेगी। ऐसी परिसंपत्ति की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को की जाती है एवं मैट क्रेडिट परिसंपत्ति की वहन राशि उसी सीमा तक पुनरांकित होती है, जिसके लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं रह गया है कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है एवं इस सीमा तक कम हो जाती है कि कोई संभावना नहीं रहे कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के संपूर्ण या भाग के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो पाएगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ उस सीमा तक क्षतिपूर्ति होती हैं जिससे वे वही कर प्राधिकारी द्वारा प्रभारित कर से संबंधित हैं एवं उस न्यायक्षेत्र के अधीन चालू कर परिसंपत्तियों एवं चालू कर देनदारियों को छोड़ने के लिए कानूनी तौर पर लागू योग्य अधिकार हैं।

चालू एवं आस्थगित कर को लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय या आय के रूप में स्वीकृति दी जाती है सिवाय उस स्थिति के, जब ये अन्य व्यापक आय में या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में जोड़े गए या घटाए गए मदों से संबंधित हैं, इस मामले में कर को अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में भी स्वीकृति दी जाती है।

1.ग.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को तुलनपत्र में मान्यता दी जाती है जब एक पिछली घटना के परिणाम स्वरूप कंपनी का एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित संसाधनों के बहिर्वाह से आर्थिक लाभ मिलते हैं जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक प्रावधान तुलन पत्र की तारीख में मौजूदा दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित है। जब उपयुक्त होता है, तो प्रावधान छूट आधार पर मापा जाता है।

संरचनात्मक जिम्मेदारी एक ऐसा दायित्व है जो प्रतिष्ठान के कार्यों से प्राप्त होता है जिसमें पिछले अभ्यास, प्रकाशित नीतियों या पर्याप्त रूप से एक विशिष्ट वर्तमान विवरण की एक स्थापित पद्धति से संस्थानों ने अन्य पार्टियों को संकेत दिया है कि वह कुछ जिम्मेदारियों को स्वीकार करेगी, परिणामस्वरूप संस्था ने उन अन्य पार्टियों के लिए एक वैध अपेक्षा का सृजन करेगी कि वह उन जिम्मेदारियों को पूरा करेगी।

टिप्पणी के माध्यम से आकस्मिक देयता प्रकट की जाती है जिसका प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के वर्तमान अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में स्वीकृति नहीं दी जाती है, परंतु प्रकट की जाती है, जब आर्थिक लाभ के अंतःप्रवाह की संभावना रहती है।

1.ग.14 खंड रिपोर्टिंग

इंड एस 108 मानकों को उस तरीके में स्थापित करता है कि लोक व्यवसाय उद्यम प्रचालन क्षेत्रों एवं संबंधित प्रकटीकरण के बारे में जानकारी की रिपोर्ट करे। कंपनी व्यापारिक कार्यकलापों का काम करती है एवं ई-कॉमर्स सेवा-प्रदाता के रूप में भी

differences, carry forward of unused tax losses and carry forward of unused tax credits. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deferred tax assets can be utilised.

Minimum Alternate Tax credit is recognised as deferred tax asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax during the specified period. Such asset is reviewed at each Balance Sheet date and the carrying amount of the MAT credit asset is written down to the extent there is no longer a convincing evidence to the effect that the Company will pay normal income tax during the specified period.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset to the extent that they relate to taxes levied by the same tax authority and there are legally enforceable rights to set off current tax assets and current tax liabilities within that jurisdiction.

Current and deferred tax are recognised as an expense or income in the Statement of Profit and Loss, except when they relate to items credited or debited either in other comprehensive income or directly in equity, in which case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity.

1.C.13 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

Provisions are recognised in the Balance Sheet when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, which is expected to result in an outflow of resources embodying economic benefits which can be reliably estimated. Each provision is based on the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the Balance Sheet date. When appropriate, provisions are measured on a discounted basis.

Constructive obligation is an obligation that derives from an entity's actions whereby an established pattern of past practice, published policies or a sufficiently specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities; and as a result, the entity has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities.

Contingent liabilities are disclosed by way of notes. These are reviewed at each Balance Sheet date and are adjusted to reflect the current estimate of management.

Contingent assets are not recognised but disclosed in the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

1.C.14 SEGMENT REPORTING

Ind AS 108 establishes standards for the way that public

कार्य करती है। इंड एस 108 में परिभाषित अनुसार 'प्रबंधन दृष्टिकोण' के आधार पर, मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं एवं प्रचालन सेगमेंट (क्षेत्रों) के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण पर संसाधनों को आवंटित करते हैं। उपर्युक्त शर्तों के तहत, कंपनी ने मार्केटिंग यानी विपणन और ई-कॉमर्स को दो प्राथमिक रिपोर्टयोग्य व्यवसाय क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सेगमेंट से संबंधित राजस्व एवं पहचानयोग्य प्रचालन व्यय को सेगमेंट में पृथक रूप से पहचान योग्य मदों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व एवं व्यय के शेष मद, जिन्हें विशिष्ट सेगमेंट के अंतर्गत विशेष रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है, को अनावंटित के रूप में पृथक रूप से प्रकट किया गया है।

1.ग.15 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, प्राक्कलन एवं निर्णय

इंड एस की अनुरूपता में वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आकलन एवं प्राक्कलन की आवश्यकता इस प्रकार पड़ती है कि लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय की सूचित राशियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रचालनों के परिणामों पर प्रभाव पड़े। हालांकि ये आकलन प्रबंधन द्वारा वर्तमान गतिविधियों एवं कार्यों की सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर किए जाते हैं, फिर भी वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान एवं अंतर्निहित धारणाएँ सतत आधार पर पुनरीक्षित होती हैं। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये संशोधित हुए हैं एवं कोई भावी अवधि जो प्रभावित हुआ है।

अनुमान एवं धारणाएँ जिसमें अगले वित्तीय वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की वहन राशि के भौतिक समायोजन का कारण बनने का महत्वपूर्ण जोखिम रहता है, उसके बारे में नीचे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) उपयोगी आर्थिक जीवन एवं अन्य परिसंपत्तियों की हानि

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कई घटकों पर निर्भर रहता है, जिसमें शामिल है अप्रचलन के प्रभाव, परिसंपत्ति एवं अन्य आर्थिक कारकों का प्रयोग (जैसे कि ज्ञात प्रौद्योगिकीजनित उन्नति)।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में पीपीई एवं अमूर्तों के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है एवं कोई भी परिवर्तन मूल्यहास दरों को भावी रूप से प्रभावित कर सकता है।

कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की संभावी क्षति की भी समीक्षा करती है कि क्या कोई गतिविधि है या परिस्थितियों में परिवर्तन है जो परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली न होने पाने का संकेत देते हैं। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की क्षति के आकलन में, लाभ में उल्लेखनीय घटाव लाने वाले कारकों जैसे कि कंपनी की व्यवसाय योजनाएँ एवं नियामक पर्यावरण में परिवर्तन को विवेचना में लिया जाता है।

business enterprises report information about operating segments and related disclosures. The Company undertakes trading activities, and also acts as e-commerce service provider. Based on the 'management approach' as defined in Ind AS 108, the Chief Operating Decision Maker (CODM) evaluates Company's performance and allocates resources on an analysis of various performance indicators by operating segments. In terms of above the Company has identified Marketing and e-Commerce as its two Primary Reportable Business Segments. Revenue and identifiable operating expenses in relation to segments are categorised based on items that are individually identifiable to that segment. Rest of the items of revenue and expenses, which cannot be specifically allocated under specific segments are separately disclosed as unallocated.

1.C.15 CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES, ASSUMPTIONS AND JUDGMENTS

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income, expenses, and disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting period end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed in the paragraphs that follow.

(i) Useful economic lives and impairment of other assets

The estimated useful life of property, plant and equipment (PPE) and intangible asset is based on a number of factors including the effects of obsolescence, usage of the asset and other economic factors (such as known technological advances).

The Company reviews the useful life of PPE and intangibles at the end of each reporting date and any changes could affect the depreciation rates prospectively.

The Company also reviews its property, plant and equipment for possible impairment if there are events or changes in circumstances that indicate that the carrying value of the assets may not be recoverable. In assessing the property, plant and equipment for impairment, factors leading to significant reduction in profits, such as the Company's business plans and changes in regulatory environment are taken into consideration.

(ii) आकस्मिकताएँ एवं वचनबद्धताएँ

व्यवसाय के सामान्य प्रचलन में, आकस्मिक देयताएँ मुकदमे, कराधान एवं कंपनी के विरुद्ध अन्य दावे से उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ निधियों का बहिर्वाह संभाव्य है एवं प्रत्येक मतभेद की विशिष्ट परिस्थितियों का प्रबंधन के आकलन एवं संबंधित बाहरी सलाह के आधार पर मतभेद के परिणाम का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है, तब प्रबंधन ऐसी देनदारी का सर्वोत्तम अनुमान प्रदान करती है। ऐसी देनदारियों को टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है, परंतु वित्तीय विवरणों में नहीं दिए जाते हैं।

हालांकि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिल सकता है, परंतु कंपनी की वित्तीय स्थिति या लाभकारिता पर कंपनी इसके महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की अपेक्षा नहीं करती है।

(iii) बीमांकिक मूल्यांकन

कर्मचारियों को परिभाषित लाभ दायित्व के बारे में कंपनी की देनदारी का निर्धारण स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें लाभ एवं हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में स्वीकृति दी जाने वाली राशि का निर्धारण शामिल है। यह मूल्यांकन मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग कारकों को विचार में लेने के बाद निर्धारित धारणाओं पर निर्भर करता है।

(iv) उचित मूल्य मापन एवं मूल्यांकन पद्धतियाँ

कंपनी की कुछ परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य के आकलन में, कंपनी बाजार के अवलोकन योग्य डेटा का उसकी उपलब्ध सीमा में उपयोग करती है। जहाँ लेवल 1 निविष्टि उपलब्ध नहीं हैं, कंपनी वहाँ आवश्यक मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकक को नियोजित करती है। विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों एवं निविष्टियों की सूचना वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रकट की गई है।

(v) आगे ले ली गई कर हानियों एवं उपयोग नहीं किए गए टैक्स क्रेडिट के लिए आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को स्वीकृति दी जा सकती है, वह कंपनी की भावी कर योग्य आय की संभाव्यता के आकलन पर आधारित होती है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी कानूनी या आर्थिक सीमाओं के प्रभाव के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है।

1.ग.16 व्यापार प्राप्तियों का प्रावधान

- कंपनी के पास एक प्रावधान नीति की व्यवस्था है, जो नीति के अनुसार तिमाही समीक्षा एवं प्रावधान प्रदान करती है।
- कंपनी ने “सहयोगी सप्लायरों के साथ बैक टू बैक व्यवस्था” के अधीन व्यापार किया है। की गई व्यवस्था के अनुसार, केवल व्यापार प्रायों की वसूली पर, सप्लायरों को भुगतान दिया जाएगा। अतएव, कंपनी इन व्यापार प्रायों को सुरक्षित मानती है।

(ii) Contingencies and commitments

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigation, taxation and other claims against the Company. Where an outflow of funds is believed to be probable and a reliable estimate of the outcome of the dispute can be made based on management's assessment of specific circumstances of each dispute and relevant external advice, management provides for its best estimate of the liability. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements.

Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, the Company does not expect them to have a materially adverse impact on the Company's financial position or profitability.

(iii) Actuarial Valuation

The determination of Company's liability towards defined benefit obligation to employees is made through independent actuarial valuation including determination of amounts to be recognised in the Statement of Profit and Loss and in other comprehensive income. Such valuation depend on assumptions determined after taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand factors in the employment market.

(iv) Fair Value measurements and valuation processes

Some of the Company's assets and liabilities are measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company uses market-observable data to the extent it is available. Where Level 1 inputs are not available, the Company engages third party valuers, where required, to perform the valuation. Information about the valuation techniques and inputs used in determining the fair value of various assets and liabilities are disclosed in the notes to the financial statements.

(v) Recognition of deferred tax assets for carried forward tax losses and unused tax credit

The extent to which deferred tax assets can be recognised is based on an assessment of the probability of the Company's future taxable income against which the deferred tax assets can be utilised. In addition significant judgement is required in assessing the impact of any legal or economic limits.

1.C.16 PROVISION OF TRADE RECEIVABLES

- The Company has a provisioning policy in place which provides for quarterly review and provision as per the policy.
- The Company has done trading under “Back to Back Arrangement with Associate Suppliers”. As per the arrangement the payment to suppliers will be released only on realization of Trade Receivables. Hence the Company treats these Trade Receivables as Secured.

एमएसटीसी लिमिटेड

2. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	पूर्णस्वामित्व के भवन	कार्यालय उपकरण	कार्यालय के एयर कंडीशनर	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय के पार्टिशन्स एवं क्यूबिकल्स	ईडीपी उपकरण	वाहन	कुल मूल्य परिसंपत्तियाँ
31 मार्च, 2019 को सकल ब्लॉक संयोजन	11.27	4.03	4.24	13.60	9.39	38.66	2.09	83.28
निपटान	-	0.92	0.69	0.31	0.74	37.98	-	40.64
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक संयोजन	11.27	3.73	4.06	13.68	7.57	55.66	2.09	98.06
निपटान	-	0.16	0.95	0.04	0.25	4.82	-	6.22
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक संयोजन	11.27	3.82	4.79	13.69	7.82	58.68	2.09	102.16
निपटान	-	0.07	0.22	0.03	-	1.80	-	2.12
31 मार्च, 2019 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	1.06	1.11	2.49	9.51	6.07	10.55	0.81	31.60
निपटान	0.29	0.65	0.28	0.47	0.38	9.43	0.25	11.75
31 मार्च, 2020 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	-	1.16	0.79	0.22	2.43	19.92	-	24.52
निपटान	1.35	0.60	1.98	9.76	4.02	0.06	1.06	18.83
31 मार्च, 2021 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	0.29	0.69	0.35	0.47	0.42	12.35	0.25	14.82
निपटान	-	0.05	0.21	0.01	-	1.70	-	1.97
31 मार्च, 2021 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	1.64	1.24	2.12	10.22	4.44	10.71	1.31	31.68
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को निवल बही मूल्य	9.92	3.13	2.08	3.92	3.55	55.60	1.03	79.23
31 मार्च, 2021 को निवल बही मूल्य	9.63	2.58	2.67	3.47	3.38	47.97	0.78	70.48

विवरण	प्रगति में पूंजी कार्य	पट्टेवाली भूमि	सॉफ्टवेयर लाइसेंस	ट्रेड मार्क	कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ
31 मार्च, 2019 को सकल ब्लॉक संयोजन	204.62	72.32	15.31	0.04	15.35
निपटान*	84.61	-	15.39	-	15.39
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक संयोजन	-	0.75	-	-	-
निपटान*	289.23	71.57	30.70	0.04	30.74
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक संयोजन	213.27	-	-	-	-
निपटान*	-	0.75	-	-	-
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक संयोजन	502.50	70.82	30.70	0.04	30.74
निपटान	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	-	-	10.74	0.01	10.75
निपटान	-	-	8.58	0.02	8.60
31 मार्च, 2020 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	-	-	19.32	0.03	19.35
निपटान	-	-	9.98	0.01	9.99
31 मार्च, 2021 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	-	-	29.30	0.04	29.34
निपटान	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को निवल बही मूल्य	289.23	71.57	11.38	0.01	11.39
31 मार्च, 2021 को निवल बही मूल्य	502.50	70.82	1.40	-	1.40

* पट्टेवाली भूमि का निपटान पूर्व प्रदत्त पट्टा भुगतान के परिशोधन को प्रस्तुत करता है।

सभी पूर्णस्वामित्व वाले भवन डीआरटी, मुंबई के आदेश द्वारा कुर्की के अधीन हैं।

न्यूटाउन, कोलकाता में कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सीडब्ल्यूआईपी लागत पर बुक की गई है जो इस प्रयोजन के लिए ऋण के प्रतिपक्ष एसबीआई के पास गिरवी रखी हुई है।

इंड एस 101 की शर्तों के अनुसार दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी इंड एस के कार्यान्वयन एवं ग्रहण के समय, परिसंपत्तियों के शुद्ध प्रखंड को सकल प्रखंड के रूप में विवेचित किया गया था, इसी अनुसार उस तिथि को संचित मूल्यहास को “शून्य” लिया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मूल्यहास प्रभारित हुआ है। अतएव, संचित मूल्यहास 01.04.2015 से केवल संचयी आंकड़ों को दर्शाता है। इसके कारण, उपर्युक्त अनुसार निर्धारित स्थिर परिसंपत्तियों और स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर के बीच सकल प्रखंड एवं संचित मूल्यहास के आंकड़ों में अंतर है। तथापि शुद्ध प्रखंड के आंकड़े स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर की पूर्ण सहमति में हैं।

2. Property, Plant and Equipment

(Amount in ₹ million)

Particulars	Freehold Buildings	Office Equipment	Office Air Conditioner	Furniture and fixtures	Office Partition & Cubicles	EDP Equipments	Vehicles	Total Tangible Assets
Gross Block as at 31st March, 2019	11.27	4.03	4.24	13.60	9.39	38.66	2.09	83.28
Additions	-	0.92	0.69	0.31	0.74	37.98	-	40.64
Disposals	-	1.22	0.87	0.23	2.56	20.98	-	25.86
Gross Block as at 31st March, 2020	11.27	3.73	4.06	13.68	7.57	55.66	2.09	98.06
Additions	-	0.16	0.95	0.04	0.25	4.82	-	6.22
Disposals	-	0.07	0.22	0.03	-	1.80	-	2.12
Gross Block as at 31st March, 2021	11.27	3.82	4.79	13.69	7.82	58.68	2.09	102.16
Depreciation as at 31st March, 2019	1.06	1.11	2.49	9.51	6.07	10.55	0.81	31.60
Charge for the year	0.29	0.65	0.28	0.47	0.38	9.43	0.25	11.75
Disposals	-	1.16	0.79	0.22	2.43	19.92	-	24.52
Depreciation as at 31st March, 2020	1.35	0.60	1.98	9.76	4.02	0.06	1.06	18.83
Charge for the year	0.29	0.69	0.35	0.47	0.42	12.35	0.25	14.82
Disposals	-	0.05	0.21	0.01	-	1.70	-	1.97
Depreciation as at 31st March, 2021	1.64	1.24	2.12	10.22	4.44	10.71	1.31	31.68
Net book value as at 31st March, 2020	9.92	3.13	2.08	3.92	3.55	55.60	1.03	79.23
Net book value as at 31st March, 2021	9.63	2.58	2.67	3.47	3.38	47.97	0.78	70.48

Particulars	Capital Work in Progress	Leasehold Land	Software Licence	Trade Mark	Total Intangible Assets
Gross Block as at 31st March, 2019	204.62	72.32	15.31	0.04	15.35
Additions	84.61	-	15.39	-	15.39
Disposals*	-	0.75	-	-	-
Gross Block as at 31st March, 2020	289.23	71.57	30.70	0.04	30.74
Additions	213.27	-	-	-	-
Disposals*	-	0.75	-	-	-
Gross Block as at 31st March, 2021	502.50	70.82	30.70	0.04	30.74
Depreciation as at 31st March, 2019	-	-	10.74	0.01	10.75
Charge for the year	-	-	8.58	0.02	8.60
Disposals	-	-	-	-	-
Depreciation as at 31st March, 2020	-	-	19.32	0.03	19.35
Charge for the year	-	-	9.98	0.01	9.99
Disposals	-	-	-	-	-
Depreciation as at 31st March, 2021	-	-	29.30	0.04	29.34
Net book value as at 31st March, 2020	289.23	71.57	11.38	0.01	11.39
Net book value as at 31st March, 2021	502.50	70.82	1.40	-	1.40

* Disposal of Leasehold land represents amortisation of Prepaid Lease Payment.

All Freehold buildings are under attachment by the order of DRT, Mumbai.

The CWIP is cost booked for Construction of Corporate Office Building in New Town, Kolkata which is mortgaged to SBI against a loan for this purpose.

At the time of implementation and adoption of IndAS w.e.f 1st April, 2015 in terms of IndAS 101, the Net Block of Assets was considered as Gross Block treating Accumulated Depreciation on that date as "Nil". Depreciation has been charged since in terms of Companies Act 2013. Hence, the Accumulated Depreciation represents cumulative figures since 1st April, 2015 only. Due to this, there are differences in the figure of Gross Block and Accumulated Depreciation between the Fixed Assets schedule as above and Fixed Assets Register. However the Net Block figures are in complete agreement with Fixed assets Register.

3. लागत पर लिए गए अनुद्धत इक्विटी शेयर, पूर्ण प्रदत्त में निवेश

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	शेयरों की संख्या		राशि मिलियन ₹ में	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
क) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में निवेश				
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)	3,20,00,000	3,20,00,000	158.10	158.10
ख) 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश				
महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)	2,26,00,000	1,86,00,000	226.00	186.00

टिप्पणियाँ

- 1) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एमएसटीसी लिमिटेड ने महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड में अनुद्धत इक्विटी अंशदान बाबत ₹ 40.00 मिलियन (पिछले साल शून्य) निवेश किया है, जो समरूप शेयरों में वर्तमान निवेश के साथ समान दर्जे के ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के ₹ 4 मिलियन शेयरों से संलग्न है।

4. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर-चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) सुरक्षित जमा	8.30	8.11
(ख) कर्मचारियों को ऋण	37.28	41.82
(ग) कर्मचारियों के ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज	0.12	0.14
(घ) अनुसूचित बैंकों के जमा खातों में शेष 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ मियादी जमा	3.50	0.05
कुल	49.20	50.12

5. गैर-चालू कर परिसंपत्तियाँ

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
करों का अग्रिम भुगतान	4,564.93	6,474.68
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	4,038.51	5,953.11

3. Investment in Unquoted Equity Shares, fully paid up- carried at cost.

Particulars	No. of Shares		Amount in ₹ Millions	
	31st March 2021	31st March 2020	31st March 2021	31st March 2020
(a) Investement in Wholly Owned Subsidiary Company				
Ferro Scrap Nigam Limited (Face Value ₹10/- each)	3,20,00,000	3,20,00,000	158.10	158.10
(b) Investement in 50:50 Joint Venture Company				
Mahindra MSTC Recycling Private Limited (Face Value ₹10/- each)	2,26,00,000	1,86,00,000	226.00	186.00

Notes:

- During F.Y 2020-21 MSTC Limited have invested ₹40.00 Millions (Previous Year Nil) towards unquoted equity contribution in Mahindra MSTC Recycling Private Limited, comprising of 4 million shares of Face value of ₹ 10 each ranking pari passu with the existing investment in similar shares.

4. Other Financial Assets (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Security deposits	8.30	8.11
(b) Loans to employees	37.28	41.82
(c) Interest accrued on loans to employees	0.12	0.14
(d) Balance with scheduled banks in deposit accounts		
Term Deposits with original maturity of more than 12 months	3.50	0.05
Total	49.20	50.12

5. Non-Current Tax Assets

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Advance payment of Taxes	4,564.93	6,474.68
Less: Provision for Taxation	4,038.51	5,953.11
Total	526.42	521.57

6. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) लाभ या हानि के माध्यम से		
आस्थगित कर (देनदारियाँ)/परिसंपत्तियाँ:		
आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव		
ईएफबीएस योजना	(0.53)	(0.64)
आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव	(0.53)	(0.64)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के बही शेष एवं कर शेष के बीच अंतर पर	(0.63)	-
संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए भत्ते	1699.26	1754.15
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40(क)(i), 43ख के अंतर्गत अस्वीकृति	168.66	150.38
एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र	309.09	304.16
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव	2,176.38	2,208.69
आस्थगित कर (देनदारियों)/परिसंपत्तियों (शुद्ध)	2,175.85	2,208.05
(ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव		
परिभाषित लाभ योजना का पुनःमापन	49.16	37.00
आस्थगित कर (देनदारियों)/परिसंपत्तियों (शुद्ध)	49.16	37.00
आस्थगित कर (देनदारियों)/परिसंपत्तियों (शुद्ध)	2,225.01	2,245.05

7. अन्य परिसंपत्तियाँ (गैर-चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) सार्वजनिक निकायों के साथ अग्रिम		
बिक्री कर	0.69	0.69
(ख) भवन निर्माण के लिए अग्रिम	-	23.66
(ग) अन्य अग्रिम		
(i) पूर्व प्रदत्त व्यय	1.66	1.65
(ii) अन्य	1.05	0.34
कुल	3.40	26.34

8. व्यापार प्राप्य (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
व्यापार प्राप्य		
(क) सुरक्षित, अच्छा माना गया	6,559.40	11,406.06
(ख) असुरक्षित, अच्छा माना गया	678.24	1,019.02
(ग) क्रेडिट क्षीणता	8,265.29	9,409.40
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए भत्ते	8,265.29	9,500.04
कुल	7,237.64	12,334.44

6. Deferred Tax Assests (Net)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Through Profit or Loss		
Deferred tax (liabilities) / assets:		
Tax effect of items constituting deferred tax liabilities		
EFBS Scheme	(0.53)	(0.64)
Tax effect of items constituting deferred tax liabilities	(0.53)	(0.64)
Tax effect of items constituting deferred tax assets		
On difference between book balance and tax balance of Property, Plant and Equipment & Intangible assets	(0.63)	-
Allowances for doubtful debts / advances	1699.26	1754.15
Disallowances under Section 40(a)(i), 43B of the Income Tax Act, 1961	168.66	150.38
MAT credit Entitlement	309.09	304.16
Tax effect of items constituting deferred tax assets	2,176.38	2,208.69
Deferred tax (liabilities) / assets (net)	2,175.85	2,208.05
(b) Through Other Comprehensive Income		
Tax effect of items constituting deferred tax assets		
Remeasurement of Defined Benefit Plan	49.16	37.00
Deferred tax (liabilities) / assets (net)	49.16	37.00
Deferred tax (liabilities) / assets (net)	2,225.01	2,245.05

7. Other Assets (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Advance with public bodies		
Sales Tax	0.69	0.69
(b) Advance for Building Construction	-	23.66
(c) Other Advances		
(i) Prepaid expenses	1.66	1.65
(ii) Others	1.05	0.34
Total	3.40	26.34

8. Trade Receivables (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Trade receivables		
(a) Secured considered good	6,559.40	11,406.06
(b) Unsecured, considered good	678.24	1,019.02
(c) Credit Impaired	8,265.29	9,409.40
Less: Allowance for Doubtful trade receivables	8,265.29	9,500.04
Total	7,237.64	12,334.44

टिप्पणियाँ :

8.1 व्यापार प्राप्य

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
व्यापार प्राप्य जो भुगतान के लिए नियत तिथि से छह महीने से अधिक समय के लिए बकाया है	3813.90	3696.75
सुरक्षित, अच्छा माना गया	225.12	621.63
असुरक्षित, अच्छा माना गया	8265.29	9409.40
क्रेडिट क्षीणता	8265.29	9500.04
घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते	4,039.02	4,227.74
व्यापार प्राप्य जो भुगतान के लिए नियत तिथि से छह महीने से कम समय के लिए बकाया है	2745.50	7709.31
सुरक्षित, अच्छा माना गया	453.12	397.39
असुरक्षित, अच्छा माना गया	3,198.62	8,106.70
कुल	7,237.64	12,334.44

8.2: व्यापार प्राप्य में वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी द्वारा लिए गए सोने के गहनों के निर्यात पर ₹ 1478.20 मिलियन (पिछले वर्ष ₹1478.20 मिलियन) की राशि शामिल है। उक्त प्राप्य को एक ऋण प्राप्य क्रय अनुबंध के अंतर्गत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) द्वारा क्रय किया गया था। उक्त अनुबंध की शर्तों के तहत ऐसे खरीदारों को किए गए निर्यातों पर विदेशी खरीदारों पर एमएसटीसी द्वारा किए गए बिलों को एससीबी क्रय करेंगे एवं बिल राशि का 95% एमएसटीसी को भुगतान करेंगे और विदेशी खरीदार बिल की संबंधित नियत तिथियों को बिल के एवज में एससीबी को सीधे भुगतान करेंगे। कंपनी के लिए उक्त निर्यात लेनदेन को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, सह-बीमित के रूप में एमएसटीसी सहित एससीबी द्वारा बीमा किया गया था। विदेशी खरीदारों से नियत तिथियों को बिल की कार्यवाहियों की गैर-प्राप्ति पर एससीबी ने बीमा कंपनी से राशि के लिए दावा किया, जिसने बहरहाल एससीबी के दावे को अनुचित तरीके से नकार दिया। इस प्रकार नकारे जाने पर, एससीबी ने एमएसटीसी से क्रय किए गए प्राप्य को एकतरफा एमएसटीसी के ऋण के रूप में परिवर्तित किया एवं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मुंबई में बतौर मूल आवेदन मामला दर्ज किया। एससीबी के दावे के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय, डीआरटी एवं डीआरएटी मुंबई सहित विभिन्न फोरम और साथ ही एमएसटीसी के विरुद्ध डीआरटी, मुंबई द्वारा पारित दिनांक 16 सितंबर, 2017 के अंतरिम आदेश के विरुद्ध एमएसटीसी द्वारा दायर किए गए मिस. अपील समेत एमएसटीसी मामले को चुनौती दे रही थी एवं दे रही है। यदि डीआरएटी द्वारा मामले को सुनवाई होती है, तब एमएसटीसी को संबंधित संविधिक प्रावधानों के अनुसार डीआरएटी के पास पहले से जमा करनी होगी। एससीबी ने गैर-प्राप्त ऋण की वसूली के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विरुद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष इंस्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत एक विधि संक्षिप्त मुकदमा दायर किया था जो लंबित है।

डीआरटी मुंबई द्वारा पारित दिनांक 16 सितंबर, 2017 के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए डीआरएटी, मुंबई के समक्ष एमएसटीसी द्वारा दायर किए गए मिस. अपील समेत ऐसे मामलों के अंतिम निपटान को लंबित देखते हुए एमएसटीसी के विरुद्ध एससीबी के विवादित दावे को बिना समायोजित किए असुरक्षित उधार (टिप्पणी सं. 20 के माध्यम से) एवं व्यापार प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है।

8.3: व्यापार प्राप्य को कंपनी के पास ग्राहकों द्वारा बंधक रखे स्टॉक द्वारा या बैंक गारंटी द्वारा आमतौर पर सुरक्षित रखा जाता है, अनुरूपी प्राप्यों के बही मूल्य की तुलना में ऐसे बंधक रखे स्टॉक के वसूली योग्य मूल्य में कोई महत्वपूर्ण क्षीणता रहने पर, अंतर आई राशि को 'असुरक्षित' के अंतर्गत दर्शाया गया है। आगे एक ग्राहक द्वारा जमा की गई ₹ 311.53 मिलियन राशि की 15 अदद बैंक गारंटी (बीजी) कंपनी द्वारा लागू की गई थी। ग्राहक ने लागू की गई गारंटी पर रोक लगाने के लिए अन्य बातों के साथ एक प्रार्थना लेकर आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा है। माननीय न्यायालय ने प्रारंभ में अंतरिम रोक प्रदान किया था। तथापि कंपनी की ओर से प्रार्थना किए जाने पर, माननीय न्यायालय ने तदुपरांत सुनवाई में ग्राहक को बीजी में विस्तार करने का आदेश दिया जो समाप्ति के लिए नियत थे। ग्राहक ने तबसे अनुपालन किया है। अभी तक सारे बीजी वैध हैं।

Notes:

8.1 Trade Receivables

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Trade Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment	3,813.90	3,696.75
Secured, Considered good	225.12	621.63
Unsecured, Considered good	8,265.29	9,409.40
Credit Impaired	8,265.29	9,500.04
Less: Allowance for doubtful trade receivables	4,039.02	4,227.74
Trade Receivables outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment	2,745.50	7,709.31
Secured, Considered good	453.12	397.39
Unsecured, Considered good	3,198.62	8,106.70
Total	7,237.64	12,334.44

8.2: Trade Receivables include an amount of ₹ 1478.20 millions (prev year ₹ 1478.20 millions) on account of exports of Gold Jewelleries undertaken by the Company during the year 2008-09. The said Receivables were purchased by Standard Chartered Bank (SCB) under a Receivable Purchase Agreement. In terms of the said Agreement, SCB would purchase the bills raised by MSTC on the foreign buyers on account of the exports made to such buyers and pay off MSTC 95% of the bill amount and the foreign buyers would be making payments against the bills directly to SCB on the respective due dates. The said export transactions for the Company were also insured by SCB along with MSTC as co-insured, with ICICI Lombard General Insurance Company. On non-receipt of the proceeds of the bills on the due dates from the foreign buyers, SCB claimed the amounts from the Insurance Company, who, however, wrongfully repudiated the claim of SCB. On such repudiation, SCB unilaterally converted the receivables purchased by it from MSTC into debts of MSTC with interest and filed the case being Original Application in the Debt Recovery Tribunal, Mumbai. MSTC had been and is contesting the claims of SCB before various forums including before the Hon'ble Bombay High Court, the DRT and DRAT, Mumbai including the Misc. Appeal filed by MSTC against an interim Order dated 16th September 2017 passed by the DRT, Mumbai against MSTC. In case appeal is heard by DRAT then MSTC has to make a pre deposit with DRAT, as per the provisions of relevant statute. SCB had filed a Summary Suit against ICICI Lombard for the recovery of the unrealised debts under the insurance policy, before the Bombay High Court which is pending. Pending final disposal of such cases including the Misc. Appeal filed by MSTC before the DRAT, Mumbai challenging the validity of the Order dated 16th September 2017 passed by the DRT, Mumbai, the disputed claim of SCB against MSTC has been shown as Unsecured Borrowings (vide note no 20) and Trade Receivables, without adjustments.

8.3: Trade receivables are generally secured either by way of stocks pledged by the customers with the Company or Bank Guarantees. In case there is a significant depletion in realizable value of such pledged stock against the book value of the corresponding receivables, the differential amount has been shown under 'Unsecured'. Further 15 Nos. of Bank Guarantees (BG) amounting to ₹ 311.53 Millions submitted by a customer was invoked by the Company. The Customer has approached Honble High Court of Andhra Pradesh with a prayer interlia for stay on invocation. The Honble High Court had initially granted interim stay. However, upon a prayer from the company, the Honble Court in a subsequent hearing has ordered the Customer for extending the BGs which were due for expiry. The Customer has since complied with. As on date all the BGs are valid.

8.4: व्यापार प्राप्य ऋण क्षणता में निम्नलिखित शामिल है :

(राशि ₹ मिलियन में)

पार्टी का नाम	31 मार्च 2021	31st मार्च 2020
गीसकोल एलायज लि.	60.60	60.60
महरकिरन एन्टरप्राइजेस लि.	430.05	430.05
तिरुपति फ्यूल्स पी. लि. / बालाजी कोक	554.87	555.87
सेसा इंटरनैशनल लि.	587.12	587.12
बालासोर एलायज लि.	131.59	19.71
कृष्णा कोक (इंडिया) प्रा. लि.	196.51	197.51
सिद्धार्थ ट्यूब्स लि.	55.56	55.56
टॉपवर्थ पाइप्स एण्ड ट्यूब्स लि.	36.27	36.27
टॉपवर्थ ऊर्जा एण्ड मेटल्स लि.	59.43	64.53
क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर लि.	376.67	299.13
टॉपवर्थ स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लि.	1035.78	916.88
रोहित फेरो टेक लि.	432.37	308.65
कॉनकास्ट स्टील एण्ड पावर लि.	2208.42	2208.42
माँ महामाया इंडस्ट्रीज लि.	-	11.55
जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि.	473.40	315.70
एसपीएस स्टील्स रोलिंग मिल्स लि.	-	1889.22
कुल	6,638.64	7,956.77

एमएसटीसी ने उपर्युक्त ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए सभी कानूनी कदम उठाया है। संबंधित मामले विभिन्न स्तरों पर सहायक प्राधिकरणों के यहाँ लम्बित है।

8.5: व्यापार प्राप्य में सुगमीकरण माध्यम में किए गए व्यवसाय के लिए ₹ 3266.87 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 6537.58 मिलियन) शामिल है (निवल प्रावधान)।

8.6: व्यापार प्राप्य में ई-कॉमर्स व्यापार के लिए ₹ 678.13 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 695.00 मिलियन) शामिल है (निवल प्रावधान)।

9. नकद एवं नकद समतुल्य

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
नकद एवं नकद समतुल्य		
(क) हाथ में नकद	0.02	-
(ख) बैंक में शेष राशि		
अनुसूचित बैंक में शेष		
चालू खाता में	1,936.02	604.56
3 माह से कम परिपक्वता की सावधि जमा में	5,142.74	992.67
कुल	7,078.78	1,597.23

10. नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
बैंक के पास निर्दिष्ट शेष		
(i) दवारहित लाभांश खाता में	8.55	8.03
(ii) 3 महीने से अधिक मगर 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	111.34	106.24
कुल	119.89	114.27

10.1 उपर्युक्त (ii) में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए बैंक में बंधक रखी जमा राशि में शून्य (पिछला वर्ष ₹ 424.65 मिलियन) शामिल है। उपर्युक्त (ii) में जमा गारंटी के विरुद्ध मार्जिन ₹ 111.34 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 106.24 मिलियन) को दर्शाता है।

8.4: Trade Receivable Credit Impaired Includes the following :

(Amount in ₹ million)

Name of the Party	31st March 2021	31st March 2020
Gyscoal Alloys Ltd.	60.60	60.60
Meherkiran Enterprises Ltd.	430.05	430.05
Tirupati Fuels P. Ltd./BALAJI COKE	554.87	555.87
Sesa International Ltd.	587.12	587.12
Balasure Alloys Ltd.	131.59	19.71
Krishna Coke (India) Pvt Ltd	196.51	197.51
Siddhartha Tubes Ltd	55.56	55.56
Topworth Pipes and Tubes Ltd.	36.27	36.27
Topworth Urja & Metals Ltd	59.43	64.53
Crest Steel & power Ltd	376.67	299.13
Topworth Steels & Power Private Ltd	1,035.78	916.88
Rohit Ferro Tech Ltd.	432.37	308.65
Concast Steel and Power Ltd	2,208.42	2,208.42
Maa Mahamaya Industries Ltd.	-	11.55
Jai Balaji Industries Ltd	473.40	315.70
SPS Steels Rolling Mills Ltd.	-	1,889.22
Total	6,638.64	7,956.77

MSTC has initiated all steps including legal action to realise the dues from the above customers. The related cases are pending before adjudicating authorities at various levels.

8.5: Trade Receivables include ₹ 3,266.87 Millions (Previous Year ₹ 6,537.58 Millions), against business done in facilitator mode (net of provision).

8.6: Trade Receivables include ₹ 678.13 Millions (Previous Year ₹ 695.00 Millions), against E-Commerce business (net of provision).

9. Cash and Cash Equivalents

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Cash and Cash Equivalents		
(a) Cash in hand	0.02	-
(b) Balances with banks		
Balance with scheduled banks		
In Current Account	1,936.02	604.56
In Fixed Deposit Maturity less than 3 months	5,142.74	992.67
Total	7,078.78	1,597.23

10. Bank balances other than cash & cash equivalents

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Earmarked Balances with banks		
(i) In Unclaimed dividend account	8.55	8.03
(ii) Deposits with original maturity of more than 3 months but less than 12 months	111.34	106.24
Total	119.89	114.27

10.1 The deposits at (ii) above include Nil (Previous Year ₹ 424.65 Millions) pledged with banks against over draft facility. The deposit at (ii) represents Margin against guarantee ₹ 111.34 Millions (Previous Year ₹ 106.24 Millions).

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) सुरक्षित जमा	113.83	115.81
(ख) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को ऋण	4.77	5.32
(ii) कर्मचारियों को पुनःप्राप्ति योग्य अग्रिम	3.01	0.98
(iii) तीसरे पक्ष से प्राप्त	81.28	6.49
(iv) अन्य अग्रिम	1.59	1.81
(ग) निम्नोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज		
(i) मियादी जमा	0.83	0.72
(ii) कर्मचारियों को ऋण	0.04	0.03
कुल	205.35	131.16

12. अन्य परिसंपत्तियाँ (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(असुरक्षित, विवेचित अच्छा)		
(क) सार्वजनिक निकायों के साथ अग्रिम		
जीएसटी, सेवा कर एवं बिक्री कर	5.13	9.24
(ख) अन्य अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को अग्रिम	16.97	11.08
(ii) पूर्व प्रदत्त व्यय	1.01	0.43
(iii) अन्य	0.26	0.06
कुल	23.37	20.81

13. शेयर पूँजी

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
अधिकृत :		
₹ 10 प्रत्येक के 15,00,00,000 सामान्य शेयर	1,500.00	1,500.00
	1,500.00	1,500.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त :		
₹ 10 प्रत्येक के 704,00,000 सामान्य शेयर	704.00	704.00
	704.00	704.00

13(क)(i) बकाये शेयरों के पुनर्मिलान का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	संख्या	अंकित	मूल्य	संख्या	अंकित	मूल्य
		मूल्य (₹)	(₹ मिलियन)		मूल्य (₹)	(₹ मिलियन)
प्रारंभिक शेष	7,04,00,000	10	704.00	7,04,00,000	10	704.00
अंतिम शेष	7,04,00,000	10	704.00	7,04,00,000	10	704.00

13(क)(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमन्य एवं प्रतिबंध।

कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के सामान्य शेयर ("इक्विटी शेयर") है, जिनका मूल्य ₹ 10 प्रत्येक है। सामान्य शेयरों के प्रत्येक धारक ("इक्विटी शेयरधारक") एक वोट प्रति शेयर का अधिकारी है एवं लाभांश पाने एवं अधिशेष में भाग लेने के अधिकारी हैं, यदि कोई, समापन की स्थिति उत्पन्न होती है।

13(क)(iii) : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में 88,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

13(क)(iv) : वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1:1 के अनुपात में 1,76,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

13(क)(v) : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1:1 के अनुपात में 3,52,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

13(क)(vi) : कंपनी की 5% से अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

11. Other financial assets (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Security deposits	113.83	115.81
(b) Other loans and advances		
(i) Loans to employees	4.77	5.32
(ii) Recoverable Advances to employees	3.01	0.98
(iii) Receivable from third party	81.28	6.49
(iv) Other Advances	1.59	1.81
(c) Interest accrued on		
(i) Term deposits	0.83	0.72
(ii) Loans to employees	0.04	0.03
Total	205.35	131.16

12. Other Assets (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(Unsecured, considered good)		
(a) Advance with public bodies GST, Service Tax & Sales Tax	5.13	9.24
(b) Other Advances		
(i) Advances to employees	16.97	11.08
(ii) Prepaid expenses	1.01	0.43
(iii) Others	0.26	0.06
Total	23.37	20.81

13. Share Capital

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Authorised:		
15,00,00,000 Ordinary Shares of ₹ 10 each	1,500.00	1,500.00
	1,500.00	1,500.00
Issued, Subscribed and fully paid up :		
704,00,000 Ordinary Shares of ₹ 10 each	704.00	704.00
	704.00	704.00

13(a)(i) Statement of Reconciliation of Shares Outstanding

Particulars	31st March 2021			31st March 2020		
	Number	Face Value (₹)	Amount (₹ Million)	Number	Face Value (₹)	Amount (₹ Millions)
Opening Balance	7,04,00,000	10	704.00	7,04,00,000	10	704.00
Closing Balance	7,04,00,000	10	704.00	7,04,00,000	10	704.00

13(a)(ii) Rights, preferences and restrictions attached to equity shares.

The Company has only one class of ordinary shares ('Equity Shares') having a par value of ₹10 each. Each holder of ordinary shares ('Equity Shareholders') is entitled to one vote per share and are entitled to dividend and to participate in surplus, if any, in the event of winding up.

13(a)(iii) : 88,00,000 bonus shares have been issued during F.Y 2016-17 in the ratio of 1:1

13(a)(iv) : 1,76,00,000 bonus shares have been issued during F.Y 2017-18 in the ratio of 1:1

13(a)(v) : 3,52,00,000 bonus shares have been issued during F.Y 2018-19 in the ratio of 1:1

13(a)(vi) : Details of shareholders holding more than 5% of the company.

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	45580800	64.75%	45580800	64.75%
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	3003559	4.27%	6716279	9.54%

भारत सरकार ने मार्च 2019 के दौरान आईपीओ के माध्यम से एमएसटीसी लि. में अपने 25.10 % शेयर को विनिवेश किया है। एमएसटीसी लि. के इक्विटी शेयर 29 मार्च, 2019 से बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. दोनों में सूचीबद्ध एवं व्यापारित हैं। आईपीओ के बाद शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत है:

शेयरधारक	पूर्व आईपीओ %	आईपीओ के बाद %
भारत सरकार	89.85%	64.75%
अन्य	10.15%	35.25%
कुल	100.00%	100.00%

14. अन्य इक्विटी

विवरण	(राशि ₹ मिलियन में)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(1) सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	4,961.60	4,961.60
जोड़ें : प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-
अंतिम शेष	4,961.60	4,961.60
(2) प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष	(2,867.29)	(3,584.77)
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ	1,010.70	752.03
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(27.11)	(34.55)
घटाएं : अंतिम लाभांश : वित्तीय वर्ष 19-20	(232.32)	-
घटाएं : सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
अंतिम शेष	(2,116.02)	(2,867.29)
कुल अन्य इक्विटी (1+2)	2,845.58	2,094.31

15. व्यापार देय (गैर चालू)

विवरण	(राशि ₹ मिलियन में)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
आपूर्तियों एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	-	-
- अन्य	-	2.64
कुल	-	2.64

31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रति 45 दिनों से अधिक बकाया का कोई ब्याज एवं अतिदेय भुगतान नहीं था।

16. अन्य वित्तीय देनदारियाँ (गैर-चालू)

विवरण	(राशि ₹ मिलियन में)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ईएफबीएस योजना के अधीन देनदारी	7.28	5.70
कुल	7.28	5.70

17. प्रावधान (गैर-चालू)

विवरण	(राशि ₹ मिलियन में)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान	156.87	119.79
(ख) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	80.59	29.48
(ग) उपदान के लिए प्रावधान	15.63	16.71
कुल	253.09	165.98

Name of the Shareholder	31st March 2021		31st March 2020	
	No. of shares held	% of holding	No. of shares held	% of holding
President of India	45580800	64.75%	45580800	64.75%
Life Insurance Corporation of India (LIC)	3003559	4.27%	6716279	9.54%

The Government of India has divested its 25.10 % stake in MSTC Ltd through IPO during March 2019. Equity shares of MSTC Limited are listed and traded on both BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited w.e.f. March 29, 2019. Change in shareholding pattern post IPO is as following:

Shareholders	Pre IPO%	Post IPO%
Government of India	89.85%	64.75%
Others	10.15%	35.25%
Total	100.00%	100.00%

14. Other Equity

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(1) General Reserve		
Opening balance	4,961.60	4,961.60
Add: Transfer from Retained Earnings	-	-
Closing Balance	4,961.60	4,961.60
(2) Retained Earnings		
Opening balance	(2,867.29)	(3,584.77)
Add: Profit for the year	1,010.70	752.03
Other Comprehensive income for the year	(27.11)	(34.55)
Less: Final Dividend: FY 19-20	(232.32)	-
Less: Transfer to General Reserve	-	-
Closing Balance	(2,116.02)	(2,867.29)
Total Other Equity (1+2)	2,845.58	2,094.31

15. Trade payables (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Creditors for supplies and services		
- Dues to micro and small enterprises	-	-
- Others	-	2.64
Total	-	2.64

Both as at March 31, 2021 and as at March 31, 2020, there is no interest and overdue payment of more than 45 days outstanding to Micro, Small and Medium Enterprises.

16. Other financial liabilities (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Liability under EFBS Scheme	7.28	5.70
Total	7.28	5.70

17. Provision (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Provision for Post Retirement Medical Scheme	156.87	119.79
(b) Provision for Leave Encashment	80.59	29.48
(c) Provision for Gratuity	15.63	16.71
Total	253.09	165.98

18. अन्य देनदारियाँ (गैर चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) ग्राहकों से अग्रिम	61.20	63.25
कुल	61.20	63.25

19. उधार (गैर चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
सुरक्षित उधार		
एसबीआई से गृह निर्माण ऋण	43.19	33.91
कुल	43.19	33.91

यह राशि न्यूटाउन, राजारहाट, कोलकाता में कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ऋण को प्रस्तुत करता है। ₹ 300 मिलियन की कुल अनुमोदित राशि में से, ₹ 195.07 मिलियन राशि वितरित की गई जो ₹ 12.50 मिलियन के तिमाही किस्तों में चुकाए जाने के योग्य है जो 30 जून 2019 से शुरू है। प्रस्तावित कार्यालय भवन को गिरवी रखते हुए राशि की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। दैनिक शेष राशि विधि पर ब्याज की गणना की जाती है एवं वितरण की तिथि से मासिक शेष आधार पर देय है। मियादी ऋण किस्तों के पूर्व-भुगतान के मामले में प्रयोज्य अनुसार पूर्व-भुगतान शुल्क लागू रहेगा।

20. उधार (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
क. सुरक्षित उधार		
(क) मांग पर देय योग्य		
बैंकों से		
(i) कार्यशील पूंजी मांग ऋण #	13.82	794.11
(ii) एफडीआर पर ग्रहणाधिकार (लियन) के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट*	-	1.24
(ख) बैंक से गृह निर्माण ऋण (टिप्पणी सं. 19 देखें)	50.72	50.69
कुल सुरक्षित उधार	64.54	846.04
ख. असुरक्षित उधार		
बैंकों से मांग पर देय योग्य	1,436.20	1,436.20
कुल असुरक्षित उधार	1,436.20	1,436.20
कुल (क+ख)	1,500.74	2,282.24

क) इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से ₹ 13.8 मिलियन का ऋण : (19.9.2011 से पड़ा हुआ) यह राशि बैंक द्वारा अपने दावे की प्रतिरक्षा में भुगतान किए गए कानूनी शुल्क को प्रस्तुत करता है, जिस पर कंपनी ने बैंक पर एक विरोध दायर किया है। एमएसटीसी ने आईओबी के विरुद्ध ₹ 365.6 मिलियन के लिए कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है (जिसमें एलसी मूल्य के ऋण बाबत ₹ 279.8 मिलियन एवं कानूनी व्यय बाबत ऋण के रूप में ₹ 85.8 मिलियन शामिल है)।

ख) उपरोक्त राशि प्राप्य क्रय अनुबंध के तहत 2008-09 के दौरान खरीदारों को सोने के गहनों के निर्यात पर विदेशी खरीदारों को किए गए एमएसटीसी के निर्यात बिलों के क्रय के बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) द्वारा एमएसटीसी को भुगतान पर ₹ 1436.20 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 1436.20 मिलियन) को प्रस्तुत करता है। उक्त अनुबंध के अंतर्गत, एससीबी ने निर्यात बिलों के मूल्य का 95% भुगतान एमएसटीसी को किया एवं विदेशी खरीदार जिन पर एमएसटीसी द्वारा बिल किया गया था, बिल का भुगतान बिल की संबंधित नियत तिथियों को सीधे एससीबी को करेंगे। एमएसटीसी द्वारा किए गए बिल के लिए विदेशी खरीदारों से किसी भुगतान की विफलता को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी के साथ एक बीमा नीति के माध्यम से एमएसटीसी को सह-बीमाकृत के रूप में लेते हुए, एससीबी द्वारा सुरक्षित रखे गए थे। विदेशी खरीदारों से कार्यवाहियों की गैर-प्राप्ति पर एससीबी ने इश्योरेंस कंपनी के पास दावा जमा किया, जिसने अनुचित प्रकार से एससीबी के दावे को नकार दिया। इसके बाद एससीबी ने प्राप्य क्रय अनुबंध के अधीन एमएसटीसी से क्रय किए गए प्राप्यों को ऋण/कर्ज में रूपांतरित किया एवं एमएसटीसी से ब्याज के साथ राशि के लिए दावा किया एवं वर्ष 2012 में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मुंबई (डीआरटी) में मूल एप्लिकेशन के रूप में मामला दायर किया जिसे एमएसटीसी ने अस्वीकार करते हुए विवादित रखा है। 16 सितंबर, 2017 को डीआरटी मुंबई द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध समेत ऐसी कार्यवाहियों में एससीबी के दावे की वैधता को एमएसटीसी द्वारा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मुंबई के समक्ष एक मिस. अपील दायर करते हुए चुनौती दी गई है, जो अभी लंबित है। यदि डीआरटी द्वारा अपील की सुनवाई होती है, तो एमएसटीसी को संबंधित संविधि के प्रावधानों के अनुसार डीआरटी के पास एक पूर्व जमा करनी होगी। एससीबी के दावे को चुनौती देने वाली अन्य कार्यवाहियाँ भी माननीय उच्च न्यायालय, बॉम्बे एवं अलीपुर, कोलकाता के सिविल कोर्ट समेत विभिन्न फोरम में लंबित हैं, जो एससीबी एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध एमएसटीसी द्वारा शुरू की गई हैं। तत्पश्चात एससीबी ने भी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में वर्ष 2012 की अंतिम पर्व में एक विधि संक्षिप्त मुकदमा दायर

18. Other liabilities (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Advance from customers	61.20	63.25
Total	61.20	63.25

19. Borrowings (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Secured Borrowings		
House Building Loan from SBI	43.19	33.91
Total	43.19	33.91

The amount represents the loan obtained from State Bank of India for the construction of Corporate Office Building at Newtown, Rajarhat Kolkata. Out of the total sanctioned amount of ₹ 300 Millions, ₹ 195.07 Millions has been disbursed which is repayable in Quarterly Installments of ₹ 12.50 Millions commencing from 30th June 2019. The amount is secured by way of mortgage of the proposed Office Building. Interest is computed on daily balance method and is payable on monthly rest basis from the date of disbursement. Prepayment charges as applicable shall be payable in case of prepayment of Term loan installments.

20. Borrowings (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
A. Secured Borrowings		
(a) Repayable on Demand		
From Banks		
(i) Working Capital Demand Loans#	13.82	794.11
(ii) Overdraft against lien on FDR*	-	1.24
(b) House Building Loan from Bank (Refer Note No. 19)	50.72	50.69
Total Secured Borrowings	64.54	846.04
B. Unsecured Borrowings		
Repayable on Demand From Banks	1,436.20	1,436.20
Total Unsecured Borrowings	1,436.20	1,436.20
Total(A+B)	1,500.74	2,282.24

a) Loan from Indian Overseas Bank (IOB) amounting to ₹13.8 Millions : (lying since 19.9.2011) This amount represents legal fees paid by the bank in defending their claims to which the Company has lodged its protest with the Bank. MSTC has filed a case in Hon'ble High Court of Calcutta against IOB for ₹ 365.6 Millions (which includes ₹279.8 Millions towards debit of LC value & ₹ 85.8 Millions as debit towards legal expenses).

b) The above amount represents ₹ 1,436.20 million (Previous year ₹ 1,436.20 million) towards payment made by Standard Chartered Bank (SCB), after purchase of export bills of MSTC raised on foreign buyers against export of Gold Jewellerys to the buyers during 2008-09, under a Receivable Purchase Agreement. Under the said Agreement, SCB paid 95% of the value of export bills to MSTC and the foreign buyers on whom the bills were raised by MSTC would be paying against the bills directly to SCB on respective due dates mentioned in the bills. Payment failures, if any from the foreign buyers against the bills raised by MSTC was covered by SCB through an insurance Policy taken from ICICI Lombard General Insurance Company with MSTC as co-insured. On non receipt of the proceeds from the foreign buyers against the bills, SCB submitted claims with the Insurance Company, who, however, wrongfully repudiated the claim of SCB. Thereafter, SCB converted the receivables purchased from MSTC under the Receivables Purchase Agreement into loans / debts as if owing by MSTC, claimed the amount from MSTC with interest and filed a case, being the Original Application in the Debt Recovery Tribunal, Mumbai(DRT) in the year 2012, which MSTC has denied and disputed. The validity of the claim of SCB in such proceedings including against an Interim Order passed by the DRT, Mumbai on 16th September, 2017 have been challenged by MSTC by filing a Misc. Appeal before the Debt Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, which are currently pending. In case appeal is heard by DRAT then MSTC has to make a pre deposit with DRAT, as per the provisions of relevant statute. Other

किया जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा एससीबी के दावे के नकारे जाने पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पॉलिसी के अंतर्गत उसी राशि का दावा किया गया। एससीबी का दावा कानूनी मामलों के परिणाम पर आकस्मिक है। ऐसे सभी अदालती मामलों जहाँ विषयवस्तु वर्तमान में लंबित है, के अंतिम निपटान को लंबित देखते हुए, एमएसटीसी बिना समायोजन के राशि को एक साथ असुरक्षित उधार एवं व्यापार प्राप्य के रूप में प्रकट किया है (टिप्पणी सं. 8.2 के माध्यम से)।

चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित

* वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एफडीआर पर लियन द्वारा सुरक्षित शून्य (पिछला वर्ष ₹ 424.65 मिलियन)

21. व्यापार देय (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	0.35	0.75
- अन्य #	3,641.37	5,805.54
- मजदूरी एवं वेतन प्रोद्भूत*	166.46	110.85
कुल व्यापार देय	3,808.18	5,917.14

* कर्मचारी पेंशन लाभ के लिए प्रावधान बाबत वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 28.53 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 28.06 मिलियन) तथा 01.01.2017 से नियत कर्मचारियों के मजदूरी संशोधन बाबत वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 67.64 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 47.36 मिलियन) शामिल है।

व्यापार प्राप्य में शून्य (पिछला वर्ष ₹ 484.32 मिलियन) शामिल है, जिसके साथ लेटर ऑफ क्रेडिट है।

31 मार्च, 2021 के अनुसार एवं 31 मार्च, 2020 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को 45 दिनों से अधिक का कोई ब्याज एवं अतिदेय भुगतान बकाया नहीं है।

22. अन्य वित्तीय देनदारियाँ (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) ब्याज देय		
(i) उधार पर ब्याज प्रोद्भूत मगर देय नहीं	788.90	788.90
(ख) दवारहित लाभांश	8.49	8.03
(ग) अन्य देनदारियों के लिए लेनदार		
(i) सुरक्षित जमा राशि/ईएमडी	6,325.59	4,537.99
(ii) ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि	1,646.62	1,109.14
(iii) ईएफबीएस के अंतर्गत जमा	9.75	8.27
(iv) ईएफबीएस जमा योजनाओं के अंतर्गत देय	2.44	1.89
(v) अन्य	8.33	8.91
कुल	8,790.12	6,463.13

23. प्रावधान (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
भविष्य निधि के लिए प्रावधान	-	25.17
कुल	-	25.17

24. अन्य देनदारियाँ (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) वैधानिक देय		
(i) सेवा कर एवं जीएसटी देय	91.31	29.50
(ii) स्रोत पर कर कटौती एवं एकत्रित	350.49	9.73
(ख) ग्राहकों से अग्रिम	43.18	39.81
कुल	484.98	79.04

proceedings challenging the claim of SCB are also pending before various forums including the Hon'ble High Court, Bombay and in the Civil Court at Alipore, Kolkata initiated by MSTC both against SCB and the Insurance Company. Subsequently, SCB also filed a Summary Suit in late 2012 in the Hon'ble Bombay High Court against ICICI Lombard claiming the same amount under the Policy from ICICI Lombard on account of the repudiation of the claim of SCB by ICICI Lombard. The claim of SCB is contingent upon the outcome of the legal cases. Pending final disposal of all such court cases where the matters are currently pending, MSTC has disclosed the amount simultaneously as Unsecured Borrowings and as Trade Receivables (vide Note No. -8.2).

Secured against Current Assets.

* Secured by lien on FDR for F.Y. 2020-21 is Nil (Previous Year ₹ 424.65 Millions).

21. Trade payables (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Creditors for supplies and services		
- Dues to micro and small enterprises	0.35	0.75
- Others #	3,641.37	5,805.54
- Accrued wages and salaries*	166.46	110.85
Total trade payables	3,808.18	5,917.14

* Includes ₹ 28.53 Millions in FY 2020-21 (Previous Year ₹ 28.06 Millions) towards provision for pension benefit of employees, and ₹ 67.64 Millions in FY 2020-21 (Previous Year ₹ 47.36 Millions) towards wage revision of the employees due from 1st January, 2017.

Trade Payable includes Nil (Previous Year ₹ 484.32 Millions) backed by Letter of credit.

Both as at 31st March, 2021 and as at 31st March, 2020, there is no interest and overdue payment of more than 45 days outstanding to Micro, Small and Medium Enterprises.

22. Other Financial Liabilities (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Interest payable		
(i) Interest accrued but not due on borrowings	788.90	788.90
(b) Unclaimed dividends	8.49	8.03
(c) Creditors for other liabilities		
(i) Security deposits/EMD	6,325.59	4,537.99
(ii) Deposits received from customers	1,646.62	1,109.14
(iii) Deposit under EFBS	9.75	8.27
(iv) Payable under EFBS Deposit schemes	2.44	1.89
(v) Others	8.33	8.91
Total	8,790.12	6,463.13

23. Provision (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Provision for Provident Fund	-	25.17
Total	-	25.17

24. Other Liabilities (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Statutory Dues		
(i) Service Tax & GST payable	91.31	29.50
(ii) Tax deducted and collected at source	350.49	9.73
(b) Advance from customers	43.18	39.81
Total	484.98	79.04

25. प्रचालनों से राजस्व

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) वस्तुओं की बिक्री	1,757.69	5,703.60
(ख) सेवा प्रभार	2,057.86	1,903.75
(ग) अन्य प्रचालन राजस्व	461.90	699.73
कुल	4,277.45	8,307.08

(क) वर्ष के दौरान, ई-नीलामी पंजीकरण बाबत ₹ 51.41 मिलियन की राशि (पिछले वर्ष ₹ 48.12 मिलियन) एकत्रित की गई। वर्तमान वर्ष के कुल संग्रह में से ₹ 41.13 मिलियन की राशि (पिछले वर्ष ₹ 38.50 मिलियन) देनदारियों में रखी गई है, जो लेखांकन नीति के अनुसार तदुपरांत चार वर्षों में वितरित की जाएगी, क्योंकि संबंधित पंजीकरण जीवन भर के लिए वैध है। दिनांक 31 मार्च, 2021 के अनुसार, संचित अवितरित शेष ₹ 104.38 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 103.07 मिलियन) है। शेष राशि जिसके लिए पंजीकरण एक वर्ष तक के लिए वैध है, को वर्तमान वर्ष के दौरान आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

(ख) अन्य प्रचालन राजस्व में वर्तमान वर्ष में ग्राहकों से ब्याज बाबत ₹ 345.04 मिलियन भी शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 586.73 मिलियन)।

(ग) वर्तमान वर्ष में सेवा प्रभार एवं ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती ₹ 99.79 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 126.67 मिलियन) है।

26. अन्य आय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) ब्याज आय		
(1) एफडीआर पर ब्याज	67.72	75.53
(2) कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	2.90	3.23
(ख) लाभांश आय		
सहायिकाओं में किए निवेशों से	100.02	60.70
(ग) देयता पुनरांकित की गई	12.76	-
(घ) प्रावधान जो आवश्यक नहीं रहा, पुनरांकित किया गया	1,929.80	474.94
(ङ) विविध आय	0.68	0.60
कुल	2,113.88	615.00

बैंक जमा पर ब्याज से स्रोत पर कर कटौती ₹ 4.99 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 7.54 मिलियन) है।

27. स्टॉक-इन-ट्रेड का क्रय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
स्टॉक-इन-ट्रेड का क्रय	1,746.07	5,663.12
कुल	1,746.07	5,663.12

28. कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) वेतन एवं मजदूरी	580.66	614.63
(ख) भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	58.90	58.03
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	38.02	38.88
कुल	677.58	711.54

29. वित्त लागत

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ब्याज व्यय		
(i) बैंकों से अल्पकालिक उधारों पर ब्याज	8.36	217.72
(ii) ग्राहकों को भुगतान किया गया ब्याज	60.23	56.70
(iii) ईएफबीएस जमा राशियों के खाते पर ब्याज	0.31	0.14
कुल	68.90	274.56

25. Revenue from operations

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Sale of Goods	1,757.69	5,703.60
(b) Service Charges	2,057.86	1,903.75
(c) Other Operating Revenues	461.90	699.73
Total	4,277.45	8,307.08

(a) During the year, an amount of ₹ 51.41 Million (Previous Year ₹ 48.12 Million) was collected towards E-auction Registration. Out of total collection of current year, an amount of ₹ 41.13 Million (Previous Year ₹ 38.50 Million) has been kept in liabilities to be distributed in subsequent four years, as per accounting policy since related registration is valid for life long. Accumulated undistributed balance standing as on 31st March, 2021 is ₹ 104.38 Million (Previous Year ₹ 103.07 Million). Balance amount for which registration is valid upto one year is accounted for as income during the current period.

(b) Other Operating Revenues also include Interest from customers ₹ 345.04 Million in current year (Previous Year ₹ 586.73 Million).

(c) Tax deducted at source on Service Charge and Interest income amounts to ₹ 99.79 Million in current year (Previous Year ₹ 126.67 Million).

26. Other income

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Interest income		
(1) Interest on FDR	67.72	75.53
(2) Interest on Employee Advances	2.90	3.23
(b) Dividend Income		
From investment in subsidiaries	100.02	60.70
(c) Liability written back	12.76	-
(d) Provision no longer required written back	1,929.80	474.94
(e) Miscellaneous income	0.68	0.60
Total	2,113.88	615.00

Tax deducted at source from interest on bank deposits amounted to ₹ 4.99 Millions (Previous Year ₹ 7.54 Millions).

27. Purchases of Stock-in-Trade

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Purchases of Stock-in-Trade	1,746.07	5,663.12
Total	1,746.07	5,663.12

28. Employee Benefit Expense

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Salaries and Wages	580.66	614.63
(b) Contribution to Provident and other funds	58.90	58.03
(c) Staff welfare expenses	38.02	38.88
Total	677.58	711.54

29. Finance costs

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Interest expense		
(i) Interest on Short term borrowings from Banks	8.36	217.72
(ii) Interest Paid to Customers	60.23	56.70
(iii) Interest on account of EFBS Deposits	0.31	0.14
Total	68.90	274.56

30. अन्य व्यय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) मरम्मत एवं रखरखाव	46.31	43.87
(ख) ईडीपी व्यय	8.95	14.72
(ग) बीमा शुल्क	0.91	0.38
(घ) किराया	34.79	35.02
(ङ) दर एवं कर	0.87	7.08
(च) बैंक शुल्क	7.80	7.89
(छ) यात्रा व्यय	4.82	24.36
(ज) विदेशी यात्रा व्यय	-	-
(झ) गाड़ी भाड़ा शुल्क	10.88	12.70
(ञ) बैठक एवं सम्मेलन	1.57	5.43
(ट) प्रशिक्षण	1.04	5.26
(ठ) निदेशकों का बैठक शुल्क	0.65	1.25
(ड) सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक		
(i) लेखा परीक्षा शुल्क	0.98	0.90
(ii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.10	0.10
(iii) फुटकर व्यय	0.08	0.41
(ढ) स्टॉक यार्ड व्यय	13.90	9.80
(ण) टेलेक्स, पोस्टेज एवं टेलीग्राम	1.69	4.09
(त) बिजली	9.57	11.47
(थ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.05	3.80
(द) मनोरंजन	1.42	2.02
(ध) टेलीफोन शुल्क	3.47	3.14
(न) विज्ञापन	2.81	5.19
(प) कानूनी व्यय	8.29	18.47
(फ) परामर्श शुल्क	4.23	5.69
(ब) आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.16	0.28
(भ) फुटकर व्यय (आंतरिक लेखापरीक्षक)	0.27	0.63
(म) कर्मचारी नियुक्ति व्यय	0.45	0.71
(य) समाचारपत्र, पुस्तक एवं पत्रिकाएँ	0.20	0.24
(कक)) निगमित सामाजिक दायित्व (टिप्पणी सं.41 देखें)	-	5.40
(कख) नीलामी निविदा व्यय	8.48	9.99
(कग) खराब ऋण बट्टे में डाला गया *	1,803.61	373.99
(कघ) खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते *	695.05	339.91
(कङ) विविध व्यय	1.01	2.66
(कच) दान	50.00	-
(कच्) प्लॉट किराया	0.75	0.75
कुल	2,727.16	957.60

* टिप्पणी

- 1) दान में पीएम केयर्स फंड में दी गई राशि को दर्शाती है।
- 2) उपयुक्त (कग) खराब ऋण बट्टा में डाला गया लेखा संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान में धरित समरूप राशि के साथ व्यवसाय के कैश एवं कैरी मॉडल के अधीन प्राप्त नहीं हुई व्यापार प्राप्य को दर्शाता है जो पुनरांकित किया गया है एवं टिप्पणी 26(घ) का हिस्सा है। उपयुक्त बट्टे में डाला गई राशि 11 फरवरी, 2021 को आयोजित बैठक सं. 303 में निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार है।
- 3) खराब एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान है जो 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही के लेखा से कार्यान्वित व्यापार प्राप्य पर प्रावधानीकरण नीति के अनुसार है।

30. Other expenses

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Repairs and Maintainance	46.31	43.87
(b) EDP Expenses	8.95	14.72
(c) Insurance charges	0.91	0.38
(d) Rent	34.79	35.02
(e) Rates and taxes	0.87	7.08
(f) Bank Charges	7.80	7.89
(g) Travelling Expenses	4.82	24.36
(h) Foreign Travelling Expenses	-	-
(i) Car Hire Charges	10.88	12.70
(j) Meeting and Conference	1.57	5.43
(k) Training	1.04	5.26
(l) Directors' Sitting Fees	0.65	1.25
(m) Statutory Auditor's Remuneration		
(i) Audit Fees	0.98	0.90
(ii) Tax Audit Fees	0.10	0.10
(iii) Out-of-Pocket Expenses	0.08	0.41
(n) Stock Yard Expenses	13.90	9.80
(o) Telex, Postage and Telegram	1.69	4.09
(p) Electricity	9.57	11.47
(q) Printing and Stationery	2.05	3.80
(r) Entertainment	1.42	2.02
(s) Telephone Charges	3.47	3.14
(t) Advertisement	2.81	5.19
(u) Legal Expenses	8.29	18.47
(v) Consultancy Charges	4.23	5.69
(w) Internal Audit fees	0.16	0.28
(x) Out-of-Pocket Expenses (Internal Auditor)	0.27	0.63
(y) Staff Recruitment Expenses	0.45	0.71
(z) Newspaper, Books and Periodicals	0.20	0.24
(aa) Corporate Social Responsibility (Refer Note No- 41)	-	5.40
(ab) Auction Tender Expenses	8.48	9.99
(ac) Bad Debts Written off *	1,803.61	373.99
(ad) Allowance for Bad and Doubtful Advances *	695.05	339.91
(ae) Miscellaneous Expenses	1.01	2.66
(af) Donation	50.00	-
(ag) Plot Rent	0.75	0.75
Total	2,727.16	957.60

* Notes

- 1) Donation represents the money paid to PM CARES Fund.
- 2) Bad Debt written off at (ac) above represents unrealised trade receivable under cash and carry model of business with equivalent amount held in Provision for Doubtful Debts and Advances which has been written back and is part of Note 26(d). The above write off is as per approval of Board of Directors in Meeting no 303 held on 11th February, 2021.
- 3) Allowances for Bad and Doubtful Advances are provision made during the year as per Provisioning Policy on Trade Receivable implemented from third Quarter Accounts ending 31st December, 2019.

31 : 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, विक्रय एवं अंतिम स्टॉक का विवरण

31 : Statement of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing Stock for the year ended 31st March 2021

(मात्रा '000 एमटी/एमटीआर)(राशि ₹ मिलियन में)

(Qty '000 MT/MTR) (Amount in ₹ million)

सामग्री का विवरण Description of material		शुरुआती स्टॉक Opening Stock		क्रय Purchases		विक्रय Sales		अंतिम स्टॉक Closing Stock	
		मात्रा Qty	मूल्य Value	मात्रा Qty	मूल्य Value	मात्रा Qty	मूल्य Value	मात्रा Qty	मूल्य Value
कोक /कोल Coke / Coal	2020-21	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019-20	-	-	548.92	2,398.94	548.92	2,417.77	-	-
पाइप्स एवं ट्यूब्स Pipes & Tubes	2020-21	-	-	190.03	1,841.70	190.03	1,853.44	-	-
	2019-20	-	-	44.13	3,261.69	44.13	3,283.34	-	-
	2020-21	-	-	-	1,841.70	-	1,853.44	-	-
	2019-20	-	-	-	5,660.63	-	5,701.11	-	-
जोड़ें Add :	2020-21	अंतिम बिल समायोजन		-	(95.63)	-	(95.75)	-	-
	2019-20	Final Bill Adjustment		-	2.49	-	2.49	-	-
अंतिम Closing	2020-21	-	-	-	1,746.07	-	1,757.69	-	-
	2019-20	-	-	-	5,663.12	-	5,703.60	-	-

32 : टिप्पणी सं. 31 के अलावा, कंपनी ने सुगमकर्ता (फेसिलिटेटर) के रूप में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सामग्री का भी क्रय किया है:

32 : In addition to Note no. 31, the Company have also purchased material as facilitator as per details below:

(मात्रा '000 एमटी/एमटीआर)(राशि ₹ मिलियन में)

(Qty '000 MT/MTR) (Amount in ₹ million)

सामग्री का विवरण Description of material		मात्रा Qty	खरीद मूल्य Purchase Value	अर्जित सेवा प्रभार Service Charges Earned
कोक / कोल Coke / Coal	2020-21	-	-	-
	2019-20	132.33	236.85	4.40
टावर Tower	2020-21	-	-	0.58
	2019-20	3.97	93.61	0.94
विविध सामग्रियां Misc Items	2020-21	112.00	10.00	4.01
	2019-20	396.26	642.79	11.05
टीएमटी बार TMT Bar	2020-21	4,157.00	78.33	15.49
	2019-20	2,942.83	2,094.74	30.51
क्रोम ओर Chrome Ore	2020-21	12.00	7.00	1.33
	2019-20	17.65	1,430.64	13.19
चैनल Channel	2020-21	1,200.00	54.52	7.28
	2019-20	22.19	1,045.13	9.02
विद्युत उपकरण / प्रोजेक्ट सामग्री Electrical Equipment/Project Materials	2020-21	-	-	1.39
	2019-20	364.00	315.85	3.18
कुल Total	2020-21	5,481.00	149.85	30.08
	2019-20	3,879.23	5,859.61	72.29

33 : इंड एस 108 के अनुसार सेगमेंट-वार रिपोर्टिंग :

33 : Segmental Reporting as per IndAS 108:

इंड एस 108 के अनुसार, कंपनी ने मार्केटिंग एवं ई-कॉमर्स को अपने दो प्राथमिक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है।

In terms of IndAS 108 the Company has identified Marketing and E-Commerce as its two Primary Reportable Business Segments.

(₹ मिलियन में) (Amount in ₹ million)

विवरण Particulars	वर्ष Year	विपणन Marketing	ई-कॉमर्स E-Commerce	अन्य (अनावंटित) Others (unallocated)	कुल Total
कुल राजस्व Total Revenue	2020-21	4,062.61	2,212.36	116.36	6,391.33
	2019-20	6,463.57	2,019.99	438.52	8,922.08
कुल व्यय Total expenses	2020-21	4,251.65	100.82	892.06	5,244.52
	2019-20	6,295.14	24.71	1,307.32	7,627.17
परिणाम (लाभ/हानि(-) कर पूर्व)	2020-21	(189.04)	2,111.54	(775.70)	1,146.80
Result (Profit/Loss(-) before Tax)	2019-20	168.42	1,995.28	(868.79)	1,294.91
कर व्यय Tax expenses	2020-21	-	-	-	136.11
	2019-20	-	-	-	542.88
अवधि के लिए लाभ/हानि (-)	2020-21	-	-	-	1,010.70
Profit/ Loss(-) for the period	2019-20	-	-	-	752.03

कंपनी के व्यवसाय में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को किसी भी रिपोर्ट योग्य खंड में चिह्नित नहीं किया गया है, क्योंकि ये खंडों के मध्य अंतर-परिवर्तन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसलिए प्रबंधन को विश्वास है कि परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से संबंधित खंड का प्रकटन वर्तमान में व्यवहारयोग्य नहीं है।

Assets and liabilities used in the Company's business are not identified to any of the reportable segments, as these are used interchangeably between the segments. Hence the Management believes, that it is currently not practicable to provide segmentwise disclosure relating to assets and liabilities.

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना Information about major customers

संस्था के राजस्व के 10 प्रतिशत या अधिक की राशि वाले एकल बाह्य ग्राहक के साथ लेनदेन से प्राप्त राजस्व नीचे दिए गए हैं :

The revenues from transactions with a single external customer amounting to 10 per cent or more of the entity's revenues are given below:-

(₹ मिलियन में) (Amount in ₹ million)

प्रमुख ग्राहक (10% से अधिक राजस्व रखने वाले ग्राहक) Major Customer (Customer having more than 10% revenue)	2020-21	2019-20
कुल राजस्व Total Revenue	1853.44	6293.32
ग्राहक की सं. No. of Customers	2	2
कुल राजस्व का % % of Total Revenue	29.00%	70.54%
उत्पाद खंड Product Segment	विपणन Marketing	विपणन Marketing

34. विदेशी मुद्रा में व्यय :

34. Expenditure incurred in Foreign Currency:

(राशि मिलियन ₹ में) (Amount in ₹ million)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2021 31st March 2021	31 मार्च, 2020 31st March 2020
सामानों का आयात Import of Goods	-	201.25
कुल Total	-	201.25

35. आकस्मिक देनदारियाँ एवं प्रतिबद्धताएँ (क) आकस्मिक देनदारियाँ

		(राशि ₹ मिलियन में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1	बिक्री कर एवं सीमा शुल्क	316.45	315.19
2	मुद्रा मामले	1742.70	1567.84
3	मध्यस्थता	3.02	3.02
4	आय कर	0.99	26.57
5	सेवा कर	149.01	149.01
6	बकाया बैंक गारंटी	55.59	140.55
	कुल	2267.76	2202.18

35. (ख) प्रतिबद्धताएँ

		(राशि ₹ मिलियन में)	
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1	न्यू टाउन कोलकाता में नये कार्यालय भवन का निर्माण	75.14	160.92

36. कर व्यय

(I) लाभ या हानि में आय कर की मान्यता

		(राशि ₹ मिलियन में)	
विवरण		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(1) वर्तमान कर			
- अवधि के लिए		-	183.34
- पूर्व के वर्षों के लिए		103.91	54.90
कुल		103.91	238.24
(2) आस्थगित कर		32.20	304.64
वर्तमान वर्ष में कुल आयकर व्यय की मान्यता		136.11	542.88

(II) अवधि के लिए आय कर व्यय को लेखाकरण लाभ (हानि) में निम्नानुसार सामंजस्य किया जा सकता है :

		(राशि ₹ मिलियन में)	
विवरण		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(1) अवधि के लिए कर पूर्व लाभ		1,146.81	1,294.91
(2) आय कर व्यय की गणना 34.944 % पर		400.74	452.49
(3) व्यय का प्रभाव जो करयोग्य लाभ के निर्धारण में घटाने योग्य नहीं है		228.03	14.82
(4) आय का प्रभाव जो कर से मुक्त है/घटाने योग्य है		33.68	20.66
(5) पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर		103.91	54.90
(6) अग्रेषित व्यवसाय हानि		-	-
(7) बट्टे खाते में डाले गए खराब ऋण पर कर का प्रभाव		(630.25)	-
चालू वर्ष में मान्य कुल आय कर व्यय		136.11	542.88

उपर्युक्त के मिलान में वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के लिए प्रयुक्त कर दर भारतीय कर कानून के अंतर्गत कर योग्य लाभों पर भारत में निगमित संस्थाओं द्वारा देय 34.944% की निगमित कर दर है (30% के साथ अधिक 12% की दर से एवं शिक्षा प्रभार 4% की दर से)। वित्तीय वर्ष 2020-21 की आस्थगित कर गणना के लिए, 34.944% की आय कर दर (30% के साथ 12% अधिक एवं 4% की दर से शिक्षा प्रभार) को विवेचित किया गया है।

तथापि, कंपनी के पास ₹ 309.09 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 304.16 मिलियन) की एमएटी क्रेडिट है, जिसके लिए कंपनी के पास अगले आकलन वर्षों में उन वर्षों के लिए आय पर देय कर के विरुद्ध क्रेडिट पाने का अधिकार है। कंपनी को लगता है कि आनेवाले वर्षों में पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। इसी अनुसार एमएटी क्रेडिट अधिकार को आगे ले जाने के लिए आस्थगित का संपत्तियों की स्वीकृति दी गई है। तथापि अपरिवर्तनवादी दृष्टिकोण के तहत संदिग्ध ऋण के लिए ₹ 695.05 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 339.91 मिलियन) के लिए प्रावधान पर कोई आस्थगित कर संपत्ति का सृजन नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 के अधीन ₹ 6.85 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 10.25 मिलियन) जमा किया गया है। साथ ही स्कीम के अधीन वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 1.07 मिलियन की राशि जमा की गई है। उक्त स्कीम के अधीन निपटाई गई / दाखिल किए गए आयकर मामले के विरुद्ध ₹ 9.53 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 54.30 मिलियन) का कर व्यय किया गया है जो 5 (पाँच) आकलन वर्षों में व्याप्त है।

कंपनी ने धारा 115बीएए के अंतर्गत वर्णित नई आयकर दर का अनुपालन नहीं किया है एवं सामान्य आयकर दर को लागू करना जारी रखा है।

35. Contingent Liabilities and Commitments

(a) Contingent Liabilities

(Amount in ₹ million)

Sl No.	Particulars	31st March 2021	31st March 2020
1	Sales Tax & Customs	316.45	315.19
2	Money Suits	1742.70	1567.84
3	Arbitration	3.02	3.02
4	Income Tax	0.99	26.57
5	Service Tax	149.01	149.01
6	Outstanding Bank Guarantees	55.59	140.55
	Total	2267.76	2202.18

35 (b) Commitments

(Amount in ₹ million)

Sl No.	Particulars	31st March 2021	31st March 2020
1	Construction of New Office Building at New town Kolkata	75.14	160.92
	Total	75.14	160.92

36. Tax Expenses

(I) Income Tax Recognised in Profit or Loss

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(1) Current tax		
- For the period	-	183.34
- For earlier years	103.91	54.90
Total	103.91	238.24
(2) Deferred tax	32.20	304.64
Total income tax expense recognised in the current year	136.11	542.88

(II) The income tax expense for the period can be reconciled to the accounting profit (loss) as follows:

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(1) Profit before tax for the period	1,146.81	1,294.91
(2) Income tax expense calculated at 34.944 %	400.74	452.49
(3) Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	228.03	14.82
(4) Effect of income that is exempt/deductible from tax	33.68	20.66
(5) Tax for earlier years	103.91	54.90
(6) Carry Forward of Business Loss	-	
(7) Effect of Taxes on Bad Debt written off	(630.25)	
Total income tax expense recognised in the current year	136.11	542.88

The tax rate used for the year 2020-21 and 2019-20 in the reconciliations above is the corporate tax rate of 34.944% (30% plus surcharge @ 12% and education cess @ 4%) payable by corporate entities in India on taxable profits under the Indian tax law. For Deferred Tax calculation of financial year 2020-21, income tax rate of 34.944% (30% plus surcharge @ 12% and education cess @ 4%).

However the company has a MAT credit of ₹309.09 Millions (Previous Year - ₹ 304.16 Million) for which company is entitled to credit in next assessment years against tax payable on income for those years. The Company feels that it will earn sufficient profit in coming years. Accordingly deferred tax assets has been recognised for MAT credit entitlement. However no Deferred tax asset has been recognised on the provision for Doubtful Debts of ₹ 695.05 Millions (Prev year ₹ 339.91 Millions) as a conservative approach.

During the year, an amount of ₹6.85 Million (Previous Year ₹10.25 Million) has been deposited under Direct Tax Vivad Se Vishwas Act, 2020. Further an amount of ₹1.07 Million has also been deposited in FY 2021-22 under said scheme. Tax Expense of ₹ 9.53 Million (Previous Year ₹ 54.30 Million) has been booked against Income Tax cases settled/deposited under the said scheme which comprised 5 (five) assessment years.

The company did not adopt new Income Tax Rate specified under section 115BAA and continued to apply normal Income Tax Rate.

(III) आस्थगित कर में बदलाव

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2020	वर्ष के लिए प्रभार / (क्रेडिट)	31 मार्च, 2021
लाभ या हानि के माध्यम से आस्थगित कर देनदारियाँ कर्मचारी परिवार लाभ योजना	0.64	(0.11)	0.53
	0.64	(0.11)	0.53
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	(0.63)	(0.63)
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	150.38	18.28	168.66
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए भत्ते	1,754.15	(54.89)	1,699.26
एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र	304.16	4.93	309.09
शुद्ध आस्थगित कर (देनदारियाँ)/ परिसंपत्तियाँ	2,208.69	(32.31)	2,176.38
कुल आस्थगित कर (देनदारी)/परिसंपत्ति	2,208.05	(32.20)	2,175.85
अन्य व्यापक आय के माध्यम से आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
परिभाषित लाभ योजना का पुनःमापन	37.00	12.16	49.16
सकल आस्थगित कर (देनदारी)/परिसंपत्ति	2,245.05	(20.04)	2,225.01

37. प्रति शेयर आय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्ष के लिए लाभ	1,010.70	752.03
शेयरधारकों को आरोप्य लाभ	1,010.70	752.03
मूल ईपीएस के लिए शेयरों की भारित औसत सं.	7,04,00,000	7,04,00,000
सामान्य शेयरों का आम मूल्य (₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर मूल/मिश्रित आय (₹ प्रति शेयर)	14.36	10.68

38. वित्तीय लेखपत्र पर प्रकटीकरण

यह प्रभाग कंपनी के वित्तीय साधनों के महत्व का अवलोकन प्रस्तुत करता है एवं वित्तीय साधनों से संलग्न तुलनपत्र के सामानों पर अतिरिक्त सूचना प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ परिसंपत्ति मान्यता के लिए मानदंड, वित्तीय संपत्ति, वित्तीय देयता एवं इक्विटी साधन की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में मापन के आधार एवं आय और व्यय को जिस आधार पर मान्यता दी गई है, का विवरण स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

(1) वित्तीय लेखपत्र की श्रेणियाँ

निम्नलिखित तालिका वर्ष के अंत में प्रत्येक श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की अग्रेषित राशि एवं उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। उचित मूल्य अग्रेषित मूल्य के समकक्ष है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	जिस पर मापे गए
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्त्य	7,237.64	12,334.44	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	254.55	181.28	परिशोधित लागत
नकद एवं नकद समकक्ष	7,078.78	1,597.23	परिशोधित लागत
अन्य बैंक शेष	119.89	114.27	परिशोधित लागत
निवेश	384.10	344.10	परिशोधित लागत
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	15,074.96	14,571.33	
वित्तीय देनदारियाँ			
उधार	1,543.93	2,316.15	परिशोधित लागत
व्यापार देय	3,808.18	5,919.03	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8,797.39	6,468.83	परिशोधित लागत
कुल वित्तीय देनदारियाँ	14,149.50	14,704.01	

(III) Movement in Deferred Tax

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2020	Charge/ (credit) for the Year	31st March 2021
Through Profit or Loss			
Deferred Tax Liabilities			
Employee Family Benefit Scheme	0.64	(0.11)	0.53
	0.64	(0.11)	0.53
Deferred Tax Assets			
Property, Plant & Equipment and Intangible Assets	-	(0.63)	(0.63)
Provision against other expenses	150.38	18.28	168.66
Allowance for Doubtful Debts & Advances	1,754.15	(54.89)	1,699.26
MAT Credit Entitlement	304.16	4.93	309.09
Net Deferred Tax (Liabilities)/ Assets	2,208.69	(32.31)	2,176.38
Total Deferred Tax (Liabilities)/ Assets	2,208.05	(32.20)	2,175.85
Through Other Comprehensive Income			
Deferred Tax Assets			
Remeasurement of Defined Benefit Plan	37.00	12.16	49.16
Gross Deferred Tax (Liabilities)/ Assets	2,245.05	(20.04)	2,225.01

37. Earnings Per Share

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Profit for the year	1,010.70	752.03
Profit attributable to Shareholders	1,010.70	752.03
Weighted average No. of Shares for Basic EPS	7,04,00,000	7,04,00,000
Nominal value of Ordinary Shares (₹)	10.00	10.00
Basic/Diluted Earnings per Share (₹ Per Share)	14.36	10.68

38. Disclosures on financial instruments

"This section gives an overview of the significance of financial instruments for the Company and provides additional information on balance sheet items that contain financial instruments. The details of significant accounting policies, including the criteria for recognition, the basis of measurement and the basis on which income and expenses are recognized, in respect of each class of financial asset, financial liability and equity instrument are disclosed in notes to the standalone financial statements."

(1) Categories of Financial Instruments

The following table presents carrying amount and fair value of each category of financial assets and liabilities as at the year end. The Fair value is equivalent to the Carrying value.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020	Measured at
Financial assets			
Trade Receivables	7,237.64	12,334.44	Amortised cost
Other Financial Assets	254.55	181.28	Amortised cost
Cash and Cash Equivalents	7,078.78	1,597.23	Amortised cost
Other Bank Balances	119.89	114.27	Amortised cost
Investments	384.10	344.10	Amortised cost
Total Financial Assets	15,074.96	14,571.33	
Financial Liabilities			
Borrowings	1,543.93	2,316.15	Amortised cost
Trade Payables	3,808.18	5,919.03	Amortised cost
Other Financial Liabilities	8,797.39	6,468.83	Amortised cost
Total Financial Liabilities	14,149.50	14,704.01	

(2) पूंजी प्रबंधन

कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है कि कंपनी ऋण और इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से शेयरधारकों के रिटर्न को अधिकतम करते हुए कंपनी जारी रहती है। कंपनी किसी भी बाहरी रूप से नियोजित पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

(3) वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

कंपनी के कॉर्पोरेट ट्रेजरी कार्य व्यापार के लिए सेवाएं प्रदान करता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच का समन्वय, कंपनी के संचालन से जुड़े वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन और निगरानी करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (जैसे-मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम), क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं। नीतियों और उपस्थिति सीमाओं के अनुपालन के निरंतर आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाती है। कंपनी अव्यवहार्य के प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों समेत वित्तीय साधनों में शामिल नहीं होती है और न ही व्यापार करती है।

(क) बाजार जोखिम

कंपनी की गतिविधियां, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों को प्रदर्शित करती है। मामले के आधार पर, विनिमय दर जोखिम का बचाव करने के लिए कंपनी फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा अनुबंधों को अपनाती है।

(i) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

वर्तमान में कंपनी ने अपने अधिकतम ऋण को एमसीएलआर के आधार पर परिवर्तित किया है, इसलिए दर अनुबंध अवधि के लिए आम तौर पर एक वर्ष के लिए स्थिर है।

(ii) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आयात देयताओं के कारण होता है। लेनदेन ग्राहकों के साथ एक के बाद एक के आधार पर है। लाभ और हानि अगर हो तो ग्राहक को उपलब्ध कराया जाता है। ग्राहकों के साथ चर्चा कर विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को बचाने के लिए कभी-कभी फॉरवर्ड कवर लिया जाता है। जहां भी विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हो, ग्राहकों द्वारा उनके साथ समझौता के अनुसार वहन किया जाता है, विदेशी मुद्रा लाभ / हानि को पुस्तकों में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ख) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को दर्शाता है कि एक काउंटरपार्टी अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों पर चूक जाएगी; जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। कंपनी ने जहां उपयुक्त हो, चूक से वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करने के एक साधन के रूप में केवल ऋणयोग्य काउंटर पार्टियों के साथ काम करने की नीति अपनाई है, कंपनी केवल ऐसी संस्थाओं से लेनदेन करती है, जो उपलब्ध एजेंसियों द्वारा रेट किए गए हैं और अगर उपलब्ध नहीं हैं; तो कंपनी अपने प्रमुख ग्राहकों को रेट करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय जानकारी और अपने पिछले रिकॉर्ड का उपयोग करती है। कंपनी के जाखिम और उसके प्रतिपक्षों की क्रेडिट रेटिंग पर नजर रखी जाती है और निष्कर्ष निकाले गए लेनदेन का एकत्रित मूल्य अनुमोदित काउंटरपार्टी में प्रसारित किया जाता है। क्रेडिट एक्सपोजर को काउंटरपार्टी की सीमाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है; जो वरिष्ठ प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

(ग) तरलता जोखिम प्रबंधन

कंपनी लगातार भविष्य की और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके पर्याप्त भंडार, बैंकिंग सुविधाएं और आरक्षित उधार सुविधा बनाए रखने के तरलता जोखिम का प्रबंध करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2020 के अनुसार 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देनदारियों की संविदागत छूट रहित नकद दायित्वों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

(राशि ₹ मिलियन में)

वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2021				
	आगे लायी गई राशि	ठेकागत नकद प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
उधार	1,543.93	1,543.93	1,500.74	43.19	-
व्यापार देय	3,808.18	3,808.18	3,808.18	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	8,797.39	8,798.92	8,790.11	6.83	1.98
	14,149.50	14,151.03	14,099.03	50.02	1.98

(राशि ₹ मिलियन में)

वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2020				
	आगे लायी गई राशि	ठेकागत नकद प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
उधार	2,316.15	2,316.15	2,282.24	33.91	-
व्यापार देय	5,919.03	5,919.03	5,916.39	-	2.64
अन्य वित्तीय देयताएं	6,468.83	6,470.66	6,264.92	154.62	51.12
	14,704.01	14,705.84	14,463.55	188.53	53.76

(2) Capital Management

The Company manages its capital to ensure that the Company is able to continue as going concern while maximising the return to shareholders through the optimisation of the debt and equity balance. The Company is not subject to any externally imposed capital requirements.

(3) Financial risk management objectives

The Company's Corporate Treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the company. These risks include market risk (like- currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Company does not enter into or trade of financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

(a) Market Risk

The Company's activities exposes it, primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates. On a case to case basis, the Company enters into Forward foreign exchange contracts to hedge the exchange rate risk.

(i) Interest rate risk management

At present company has converted maximum of its loan to MCLR based, hence the rate is firm for a contract period usually for a year.

(ii) Foreign Currency risk management

The foreign currency exposure of the Company is due to import liabilities. Transactions are on back to back basis with customers. The gain and loss if any is passed on to the customers. Some times forward cover is taken to hedge the related foreign currency exposure in terms of discussion with the customers. Wherever foreign exchange fluctuations are to be borne by the customers as per agreement with them, foreign exchange gain/ loss are not recognized in the books of the Company.

(b) Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. The Company has adopted a policy of only dealing with creditworthy counterparties, where appropriate, as a means of mitigating the risk of financial loss from defaults. The Company only transact with entities that are rated by agencies where available and if not available, the company uses other publicly available financial information and its own past records to rate its major customers. The Company's exposure and the credit ratings of its counterparties are monitored and the aggregated value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the Senior management committee.

(c) Liquidity risk management

The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below provides details regarding the contractual undiscounted cash obligations of financial liabilities including estimated interest payments for the period 31st March 2021, as at 31st March, 2020.

(Amount in ₹ million)

Financial Liabilities	31st March 2021				
	Carrying amount	Contractual cash flows	less than 1 year	between 1 - 5 years	More than 5 years
Borrowings	1,543.93	1,543.93	1,500.74	43.19	-
Trade payables	3,808.18	3,808.18	3,808.18	-	-
Other financial liabilities	8,797.39	8,798.92	8,790.11	6.83	1.98
	14,149.50	14,151.03	14,099.03	50.02	1.98

(Amount in ₹ million)

Financial Liabilities	31st March 2020				
	Carrying amount	Contractual cash flows	less than 1 year	between 1 - 5 years	More than 5 years
Borrowings	2,316.15	2,316.15	2,282.24	33.91	-
Trade payables	5,919.03	5,919.03	5,916.39	-	2.64
Other financial liabilities	6,468.83	6,470.66	6,264.92	154.62	51.12
	14,704.01	14,705.84	14,463.55	188.53	53.76

(घ) उचित मूल्य माप

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं में से कोई भी उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है।

39. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

(i) संबंधित पक्षों के नाम एवं संबंध का विवरण :

1) सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	
2) संयुक्त उद्यम महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड	
3) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
श्री बम बहादुर सिंह (30.11.2019 तक)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त)
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)
श्री अजय कुमार राय	कंपनी सचिव
श्री गंगाराम अलोरिया (05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. रुद्रमौनी शिवयोगेष्वा येली (08.03.2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती प्रभाती परिदा (01.04.2019 तक)	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक
श्री टी. वी. मुरलीवल्लभन (05.09.2020 तक)	स्वतंत्र निदेशक

(ii) संबंधित पार्टी के लेनदेन

(क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

विवरण	पारिश्रमिक (₹ मिलियन में)				कुल
	संबंधित पक्ष का स्वरूप/संबंध	अल्पकालिक लाभ	नियुक्ति उपरान्त लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	
(क) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक					
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	4.76	0.30	0.09	5.15
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	3.82	0.28	0.05	4.15
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्यिक)	4.78	0.35	(0.15)	4.98
श्री अजय कुमार राय	कंपनी सचिव	2.65	0.18	0.29	3.12
श्री गंगाराम अलोरिया	स्वतंत्र निदेशक	0.10*	-	-	0.10
डॉ. रुद्रमौनी शिवयोगेष्वा येली	स्वतंत्र निदेशक	0.20*	-	-	0.20
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	0.23*	-	-	0.23
डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन	स्वतंत्र निदेशक	0.12*	-	-	0.12

(d) Fair value Measurement

None of the Company's financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of the reporting period.

39. Related Party Disclosure**(i) Name of the related parties and description of relationship:**

1) Subsidiary Company	
Ferro Scrap Nigam Limited	
2) Joint Venture	
Mahindra MSTC Recycling Private Limited	
3) Key Managerial Personnel	
Shri Surinder Kumar Gupta	Chairman and Managing Director
Shri Bam Bahadur Singh (Upto 30.11.2019)	Chairman and Managing Director
Shri Subrata Sarkar	Director (Finance)
Smt. Bhanu Kumar	Director (Commercial)
Shri Ajay Kumar Rai	Company Secretary
Shri Gangaram Aloria (upto 05.09.2020)	Independent Director
Dr. Rudramauni Shivayogeppa Yeli (upto 08.03.2021)	Independent Director
Smt. Pravati Parida (upto 01.04.2019)	Independent Director
Smt. Aparna Chaturvedi	Independent Director
Dr. T. V. Muralivallabhan (upto 05.09.2020)	Independent Director

(ii) Transaction with Related Parties**(a) Compensation to Key Managerial Personnel**

Particulars	Remuneration (₹ in Million)				Total
	Nature of related party / relationship	Short Term Benefit	Post Employment Benefits	Other Long Term Benefits	
(a) Compensation to Key Managerial Personnel					
For the year ended 31st March, 2021					
Shri Surinder Kumar Gupta	Chairman and Managing Director	4.76	0.30	0.09	5.15
Shri Subrata Sarkar	Director (Finance) & CFO	3.82	0.28	0.05	4.15
Smt. Bhanu Kumar	Director (Commercial)	4.78	0.35	(0.15)	4.98
Shri Ajay Kumar Rai	Company Secretary and Compliance Officer	2.65	0.18	0.29	3.12
Shri Gangaram Aloria	Independent Director	0.10*	-	-	0.10
Dr. Rudramauni Shivayogeppa Yeli	Independent Director	0.20*	-	-	0.20
Smt. Aparna Chaturvedi	Independent Director	0.23*	-	-	0.23
Dr. T. V. Muralivallabhan	Independent Director	0.12*	-	-	0.12

विवरण	पारिश्रमिक (₹ मिलियन में)				कुल
	संबंधित पक्ष का स्वरूप/संबंध	अल्पकालिक लाभ	नियुक्ति उपरान्त लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	
(क) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक					
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता (17.12.2019 से)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	1.20	0.06	-	1.26
श्री बमबहादुर सिंह (30.11.2019 तक)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	4.06	-	-	4.06
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त)	3.91	0.32	0.27	4.50
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्य)	4.67	0.36	0.51	5.54
श्री अजय कुमार राय	कंपनी सचिव	2.75	0.11	0.38	3.24
श्री गंगाराम अलोरिया	स्वतंत्र निदेशक	*0.32	-	-	0.32
डॉ. रुद्रमौनी शिवयोगेष्पा येली	स्वतंत्र निदेशक	*0.32	-	-	0.32
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	*0.23	-	-	0.23
डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन	स्वतंत्र निदेशक	*0.39	-	-	0.39

टिप्पणी : *यह निदेशक के बैठक शुल्क का सूचक है।

(क) चूंकि कंपनी द्वारा निदेशकों को सीमित दूरी के लिए निजी इस्तेमाल हेतु कार की सुविधा दी जाती है; इसलिए ऐसी सुविधा को लाभ/परिलाभ में विवेचित नहीं किया गया है।

(ख) उपरोक्त में वास्तविक भुगतान आधार पर निष्पादन संबंधी भुगतान शामिल है।

(ख) एफएसएनएल के साथ लेनदेन (100% सहायिका)

विवरण	(राशि ₹ मिलियन में)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
मूल्यांकन सेवा के लिए भुगतान	-	0.09
ई-नीलामी सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त राशि	0.20	0.27

(ग) महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेनदेन (50:50 संयुक्त उद्यम)

विवरण	(राशि ₹ मिलियन में)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
संयुक्त उद्यम में निवेश	40.00	-
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त राशि	1.65	0.66
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए राशि का भुगतान	0.60	0.61
ई-नीलामी सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त राशि	0.14	0.23

40. कर्मचारी लाभ

परिभाषित योगदान योजनाएं

1. भविष्य निधि

मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट में योगदान दिया गया।

2. पेंशन

इस्पात मंत्रालय के अनुदेश के अनुपालन में परिभाषित अंशदान योजना के अधीन एमएसटीसी के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तैयार की गई है। कंपनी एक ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय एलआईसी को वार्षिक अंशदान करती है। एमएसटीसी (नियोक्ता) से अंशदान के जरिए कर्मचारियों के खाते में सृजित कोष से एलआईसी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करेगी।

परिभाषित लाभ योजनाएं

1. उपदान (ग्रैच्युटी) :

ग्रैच्युटी 15 दिनों के भुगतान की दर से पृथक् रूप से योग्य कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए देय है, जो न्यूनतम 5 वर्ष तक सतत सेवा प्रदान करते हैं।

Particulars	Remuneration (₹ in Million)				Total
	Nature of related party / relationship	Short Term Benefit	Post Employment Benefits	Other Long Term Benefits	
(a) Compensation to Key Managerial Personnel For the year ended 31st March, 2020					
Shri Surinder Kumar Gupta (From 17.12.2019)	Chairman and Managing Director	1.20	0.06	-	1.26
Shri Bam Bahadur Singh (Upto 30.11.2019)	Chairman and Managing Director	4.06	-	-	4.06
Shri Subrata Sarkar	Director (Finance)	3.91	0.32	0.27	4.50
Smt. Bhanu Kumar	Director (Commercial)	4.67	0.36	0.51	5.54
Shri Ajay Kumar Rai	Company Secretary	2.75	0.11	0.38	3.24
Shri Gangaram Aloria	Independent Director	*0.32	-	-	0.32
Dr. Rudramauni Shivayogeppa Yeli	Independent Director	*0.32	-	-	0.32
Smt. Aparna Chaturvedi	Independent Director	*0.23	-	-	0.23
Dr. T. V. Muralivallabhan	Independent Director	*0.39	-	-	0.39

Note: * It indicate Director's Sitting Fees.

- (a) Since the facility of private use of car for limited mileage is provided by the company to the Directors, such facility has not been considered as benefit/perquisite.
- (b) The above includes Performance related pay on actual payment basis.

(b) Transaction with Ferro Scrap Nigam Limited (100% Subsidiary)

(₹ in million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Payment for Valuation Service	-	0.09
Amount Received for providing E-Auction Service	0.20	0.27

(c) Transaction with Mahindra MSTC Recycling Private Limited (50:50 Joint Venture)

(₹ in million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Investment in Joint Venture	40.00	-
Amount received towards reimbursement of expenditure	1.65	0.66
Amount paid towards reimbursement of expenditure	0.60	0.61
Amount Received for providing E-Auction Service	0.14	0.23

40. Employee Benefits

Defined Contribution Plans

1. Provident Fund

12% of Basic pay and dearness allowance contributed to the provident fund trust by the company.

2. Pension

In terms of Ministry of Steel Directives Pension scheme for the employees of MSTC has been formulated, under Defined Contribution Plan. The company contributes annually to LIC of India through a trust. LIC will provide the pension to the employees from the corpus created on account of employees, by way of contribution from MSTC (The Employer)."

Defined Benefits Plans

1. Gratuity:

The Gratuity is payable on separation at the rate of 15 days pay for each completed year of service to eligible employees who render continuous service for a minimum period of 5 years. The Gratuity is calculated at the rate of one month's wages last

गैर-कार्यकारी अधिकारियों के मामले में 30 वर्ष से अधिक के प्रत्येक पूर्ण लेखा वर्ष के लिए कर्मचारी द्वारा एक महीने की अंतिम आहरित मजदूरी की दर पर ग्रेच्युटी की गणना की जाती है। कर्मचारी को देय अधिकतम ग्रेच्युटी ₹ 2 मिलियन है। गैर कार्यपालक, जो 01 जुलाई, 2014 को या उससे पहले सेवा से जुड़े हैं, ग्रेच्युटी सीमा रहित है। ग्रेच्युटी को भारत के एलआईसी के साथ वित्त पोषित किया जाता है।

कंपनी भारत में एलआईसी द्वारा की गई मांग के आधार पर हर साल प्रीमियम के रूप में योगदान करती है।

2. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ :

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी के लिए एक चिकित्सा लाभ है। सदस्यों को बीमा कंपनी के मेडिकलेम बीमा के माध्यम से कवर किया जाएगा। यह मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी अस्पताल में सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त घरेलू चिकित्सा में किए गए खर्चों को भी निर्धारित सीमा के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। लाभ इस उद्देश्य के लिए एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है। कंपनी इसके लिए कोष प्रदान करती है। कमी, यदि कोई, को कंपनी द्वारा पूरा किया जाता है।

निवेश जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य एक छूट दर का उपयोग करके गणना किया जाता है, जो कि सरकारी बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार के परिणामों के संदर्भ से निर्धारित होता है। अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, ऐसे बॉण्ड के लिए एक गहन बाजार होने पर उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की उपज के संदर्भ में छूट की दर निर्धारित की जाती है, यदि योजना संपत्ति पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह एक योजना घाटे को बनाएगा। वर्तमान में, भारत की योजना के लिए, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ऋण साधन में निवेश का अपेक्षाकृत संतुलित मिश्रण है, इसके अलावा, विदेशी योजना में इक्विटी प्रतिभूतियों, ऋण साधनों और रियल एस्टेट में अपेक्षाकृत संतुलित निवेश है। योजना देनदारियों की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, विदेशी बोर्ड फंड इसे उचित मानता है कि योजना संपत्तियों का एक उचित हिस्सा इक्विटी प्रतिभूतियों और रियल एस्टेट में फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न का लाभ उठाने के लिए निवेश किया जाना चाहिए।
ब्याज जोखिम	बॉन्ड की ब्याज दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी। हालांकि, आंशिक रूप से योजना के ऋण पर रिटर्न में वृद्धि द्वारा इसकी भरपाई की जाएगी।
दीर्घायु जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के प्रतिभागियों की मृत्यु दर का सबसे अच्छा अनुमान के अनुसार उनके रोजगार के दौरान और बाद में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी।
वेतन जोखिम	परिभाषित लाभ योजना देयताएं के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ द्वारा की जाती है। ऐसे में योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ेगी।

(क) कंपनी ने परिभाषित योगदान योजनाओं के तहत वर्तमान वर्ष के रूप में व्यय के लिए लाभ और हानि के विवरण में ₹ 66.93 मिलियन की राशि (पिछले वर्ष ₹. 90.25 मिलियन) व्यय को मान्यता दी है।

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
लाभ (योगदान)		
भविष्य निधि *	38.40	62.19
पेंशन	28.53	28.06
कुल	66.93	90.25

* इसमें ईपीएफओ के अनुसार रिटर्न की न्यूनतम दर की घोषणा में पीएफ ट्रास्ट की कमी के लिए कंपनी का योगदान शून्य शामिल है।

(ख) कंपनी सेवानिवृत्ति उपरांत परिभाषित लाभ योजनाओं को निम्नानुसार संचालित करती है :

i. वित्त पोषित

(क) उपदान (ग्रेच्युटी)

(ख) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना

drawn by the employee for every completed year of service in excess of 30 years in case of non executives only. The maximum amount of Gratuity payable to employee is ₹ 2 Millions. In case of non executive join on or before 1st July, 2014, the gratuity is ceiling less. The Gratuity is funded with LIC of India. The Company contributes in the fund every year as premium on the basis of demand raised by LIC of India.

2. Post Retirement Medical Benefit:

The Post Retirement Medical Benefit is a medical benefit to the superannuated employees and their spouse. The members will be covered through Mediclaim Insurance of the Insurance Company. This is available to superannuated employees at any hospital under the Mediclaim Insurance Policy. In addition to this expenses incurred in domiciliary treatment is also reimbursed as per prescribed ceiling. The benefits are funded through a separate trust formed for this purpose. The Company provides the corpus for this. Deficit, if any, is being compensated by the company.

Investment risk	The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate which is determined by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds. For other defined benefit plans, the discount rate is determined by reference to market yields at the end of the reporting period on high quality corporate bonds when there is a deep market for such bonds; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, for the plan in India, it has a relatively balanced mix of investments in government securities, and other debt instruments. Further, the overseas plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the overseas Fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.
Interest risk	A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.
Longevity risk	The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.
Salary risk	The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

- (a) The company has recognised an amount of ₹ 66.93 Millions (Previous Year ₹ 90.25 Millions) in Statement of Profit and Loss for the current year as expenses under defined contribution plans.

(Amount in ₹ million)		
Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Benefit (Contribution to)		
Provident Fund*	38.40	62.19
Pension	28.53	28.06
Total	66.93	90.25

* It includes Nil contributed by the company towards deficit of PF Trust in declaring the minimum rate of return as per EPFO.

- (b) The company operates post retirement defined benefit plans as follows :

- i. Funded
 - a. Gratuity
 - b. Post Retirement Medical Benefit Scheme

(ग) उपदान (ग्रेच्युटी) योजना का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1. धारणाएँ		
क. छूट दर (प्रति वर्ष)	5.90%	6.20%
ख. योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर (प्रति वर्ष)	5.90%	6.20%
ग. वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%

2. ग्रेच्युटी के अंतर्गत परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में स्वीकृत राशि निम्नानुसार है:

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
क. वर्तमान सेवा लागत	16.12	15.38
ख. सेवा लागत	16.12	15.38
ग. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	0.97	1.51
घ. लाभ व हानि में स्वीकृत लागत	17.09	16.89
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति पर पुनर्मापन		
क. डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.61)	(6.09)
ख. डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.72	11.49
ग. अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.11	5.40
घ. योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर की तुलना में (अधिक)/कम	(0.99)	(0.94)
ङ. ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.88)	4.46
च. ओसीआई में स्वीकृत (आय)/लागत	(0.88)	4.46

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं शुद्ध ब्याज व्यय इंड एएस 19 के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में 'कर्मचारी लाभ व्यय' वाले मदों में सम्मिलित है।

4. शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी का पुनर्मापन अन्य व्यापक आय में सम्मिलित है।

5. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में बदलाव निम्नानुसार है

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
क. वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	202.22	188.74
ख. वर्तमान सेवा लागत	16.12	15.38
ग. डीबीओ पर ब्याज लागत	12.47	13.51
घ. पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
ङ. अधिग्रहण (क्रेडिट) / लागत	-	-
च. वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	-	-
छ. अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) एवं हानि	0.11	5.40
ज. योजना परिसंपत्ति से लाभ का भुगतान	(24.79)	(20.81)
झ. अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	206.13	202.22

6. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव निम्नानुसार है

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
क. पूर्वावधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	185.50	165.56
ख. योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	11.50	12.00
ग. नियोक्ता अंशदान	17.29	27.81
घ. छूट दर से अधिक / (कम) पर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	1.00	0.94
ङ. लाभ का भुगतान	(24.79)	(20.81)
च. चालू अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	190.50	185.50

(c) Details of the Gratuity Plan are as follows :

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
1. Assumptions		
a. Discount rate (per annum)	5.90%	6.20%
b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	5.90%	6.20%
c. Rate of escalation in salary (per annum)	8.00%	8.00%

2. Amounts recognised in standalone statement of profit and loss in respect of defined benefit plans under Gratuity are as follows:

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Current service cost	16.12	15.38
b. Service Cost	16.12	15.38
c. Net Interest on net defined benefit liability / (asset)	0.97	1.51
d. Cost recognized in P&L	17.09	16.89
Remeasurement on the net defined benefit liability/asset:		
a. Actuarial (gain)/loss due to DBO Experience	(3.61)	(6.09)
b. Actuarial (gain)/loss due to DBO assumption changes	3.72	11.49
c. Actuarial (gain)/loss arising during period	0.11	5.40
d. Return on plan assets (greater)/less than discount rate	(0.99)	(0.94)
e. Actuarial (gains)/losses recognised in OCI	(0.88)	4.46
f. (Income)/Cost recognized in OCI	(0.88)	4.46

3. The current service cost and the net interest expenses for the year are included in the 'Employee benefits expense' line item in the standalone statement of profit and loss on the basis of actuarial valuation under IndAS 19.

4. The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

5. Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
a. Obligation as at the beginning of the year	202.22	188.74
b. Current Service Cost	16.12	15.38
c. Interest Cost on DBO	12.47	13.51
d. Past Service Cost- Plan Amendment	-	-
e. Acquisitions (credit)/cost	-	-
f. Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions	-	-
g. Actuarial (gains) and losses arising from experience adjustments	0.11	5.40
h. Benefits paid from plan asset	(24.79)	(20.81)
i. Closing defined benefit Obligation	206.13	202.22

6. Movements in the fair value of the plan assets are as follows

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
a. Fair value of the assets at end of prior period	185.50	165.56
b. Interest Income on plan assets	11.50	12.00
c. Employer Contributions	17.29	27.81
d. Return on plan assets greater/(lesser) than discount rate	1.00	0.94
e. Benefits paid	(24.79)	(20.81)
f. Fair Value of assets at the end of current period	190.50	185.50

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ छूट दर एवं वेतन स्फीति है। सभी अन्य धारणाओं को स्थायी रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटनेवाले संबंधित घटनाओं के यथासंगत संभावी परिवर्तन के आधार पर नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(11.82)	(10.94)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	194.31	191.28
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	12.37	11.50
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	218.50	213.72
		(राशि ₹ मिलियन में)
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वेतन वृद्धि दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	5.78	5.42
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	211.91	207.64
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(5.54)	(5.10)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	200.59	197.12

7. प्रस्तुत सुग्राही विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं भी कर सकता है क्योंकि संभावना कम है कि धारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे से अलगाव में घटेगा, क्योंकि कुछ धारणाएँ सह-संबंधित हो सकती हैं।

(घ) सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना का विवरण :

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1. धारणाएँ		
(क) छूट दर (प्रति वर्ष)	5.90%	6.20%
(ख) चिकित्सा स्फीति (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%

2. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के अधीन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) वर्तमान सेवा लागत	6.60	4.62
(ख) सेवा लागत	6.60	4.62
(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	8.71	4.39
(घ) लाभ व हानि में स्वीकृत लागत	15.31	9.01
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति पर पुनः मापन		
(ङ) डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	7.25	12.60
(च) डीबीओ धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	35.92	23.36
(छ) अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	43.17	35.96
(ज) छूट दर से (अधिक)/ कम योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(3.02)	11.31
(झ) ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	40.15	47.27
(ञ) शुद्ध परिसंपत्तियों पर सीमा के लिए समायोजन	-	-
(ट) ओसीआई में स्वीकृत (आय) / लागत	40.15	47.27

6. Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and escalation in salary. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Effect of a 1% change in discount rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	(11.82)	(10.94)
(ii) closing balance of obligation	194.31	191.28
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	12.37	11.50
(ii) closing balance of obligation	218.50	213.72

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Effect of a 1% change in salary escalation rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	5.78	5.42
(ii) closing balance of obligation	211.91	207.64
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	(5.54)	(5.10)
(ii) closing balance of obligation	200.59	197.12

7. The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

(d) Details of the Post Retirement Medical Benefit Scheme are as follows:

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
1. Assumptions		
a. Discount rate (per annum)	5.90%	6.20%
b. Medical Inflation (per annum)	5.00%	5.00%

2. Amounts recognised in standalone statement of profit and loss in respect of defined benefit plans under Post Retirement Medical Benefit Scheme are as follows:

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Current service cost	6.60	4.62
b. Service Cost	6.60	4.62
c. Net Interest on net defined benefit liability / (asset)	8.71	4.39
d. Cost recognized in P&L	15.31	9.01
Remeasurement on the net defined benefit liability/asset:		
e. Actuarial (gain)/loss due to DBO Experience	7.25	12.60
f. Actuarial (gain)/loss due to DBO assumption changes	35.92	23.36
g. Actuarial (gain)/loss arising during period	43.17	35.96
h. Return on plan assets (greater)/less than discount rate	(3.02)	11.31
i. Actuarial (gains)/losses recognised in OCI	40.15	47.27
j. Adjustments for limit on net assets	-	-
k. (Income)/Cost recognized in OCI	40.15	47.27

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं शुद्ध ब्याज व्यय लाभ एवं हानि के स्टैंडअलोन विवरण में 'कर्मचारी लाभ व्यय' अनुरूपी मदों में सम्मिलित है।
4. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनर्मापन अन्य व्यापक आय में सम्मिलित है।
5. परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में बदलाव निम्नानुसार है

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	212.54	171.39
(ख) वर्तमान सेवा लागत	6.60	4.62
(ग) ब्याज लागत	13.02	12.22
(घ) वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	43.17	35.96
(ङ) अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	-	-
(च) कंपनी द्वारा सीधे भुगतान दिये गए लाभ	(12.78)	(11.65)
(छ) अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	262.55	212.54

6. योजनागत संपत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव निम्नरूप है

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) पूर्वावधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	92.76	107.90
(ख) योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	4.31	7.82
(ग) नियोक्ता अंशदान	18.37	-
(घ) छूट दर से अधिक / (कम) पर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	3.02	(11.31)
(ङ) लाभ का भुगतान	(12.78)	(11.65)
(च) चालू अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	105.68	92.76

7. परिभाषित दायित्व के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ छूट दर एवं अपेक्षित चिकित्सा लागत स्फीति है। सभी अन्य धारणाओं को स्थायी रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटनेवाले संबंधित धारणाओं के यथासंगत संभावी परिवर्तन के अनुसार नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(30.75)	(24.64)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	231.80	187.90
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	32.91	26.57
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	295.46	239.11

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
चिकित्सा स्फीति दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	22.81	18.37
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	285.36	230.91
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(21.06)	(16.90)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	241.49	195.64

3. The current service cost and the net interest expenses for the year are included in the 'Employee benefits expense' line item in the standalone statement of profit and loss.
4. The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.
5. Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Obligation as at the beginning of the year	212.54	171.39
b. Current Service Cost	6.60	4.62
c. Interest Cost	13.02	12.22
d. Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions	43.17	35.96
e. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments	-	-
f. Benefits paid directly by the Company	(12.78)	(11.65)
g. Closing defined benefit Obligation	262.55	212.54

6. Movements in the fair value of the plan assets are as follows

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Fair value of the assets at end of prior period	92.76	107.90
b. Interest Income on plan assets	4.31	7.82
c. Employer Contributions	18.37	-
d. Return on plan assets greater/(lesser) than discount rate	3.02	(11.31)
e. Benefits paid	(12.78)	(11.65)
f. Fair Value of assets at the end of current period	105.68	92.76

7. Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected medical cost inflation. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Effect of a 1% change in discount rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	(30.75)	(24.64)
(ii) closing balance of obligation	231.80	187.90
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	32.91	26.57
(ii) closing balance of obligation	295.46	239.11

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Effect of a 1% change in medical inflation rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	22.81	18.37
(ii) closing balance of obligation	285.36	230.91
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	(21.06)	(16.90)
(ii) closing balance of obligation	241.49	195.64

41. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर किया गया व्यय

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय किए जाने के लिए आवश्यक सकल राशि शून्य।

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी ने सीएसआर व्यय पर शून्य (पिछले वर्ष ₹ 5.40 मिलियन) खर्च किया है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(1) पीएम केयर्स फंड में अंशदान	-	5.40
	-	5.40

उपर्युक्त आंकड़े टिप्पणी सं. 30 में पृथक रूप से प्रकट किए गए हैं।

42. व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय एवं अग्रिमों की शेष राशि में पुष्टि / पुनर्मिलान एवं परिणामी समायोजन यदि कोई है, के अधीन शेष राशि शामिल है। पुनर्मिलान निरंतर आधार पर किया गया है। प्रावधान जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, किए गए हैं।

43. कंपनी की मौजूदा परिसंपत्ति कंपनी की ऋण सुविधाओं की मंजूरी के तहत बैंक के पास प्रभाराधीन है।

44. कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 25 जून, 2021 को आयोजित बोर्ड की 306वी बैठक में वित्तीय विवरणों अपनाया।

45. कंपनी के निदेशक मंडल ने 25 जून, 2021 को आयोजित अपनी 306 वीं बैठक में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के संबंध में इक्विटी शेयर पूँजी पर 44% की दर पर ₹ 4.40 प्रति शेयर को अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है, जो निर्दिष्ट तिथि को ₹ 704.00 मिलियन है। लाभांश का भुगतान वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि अनुमोदित होता है, तो इससे ₹ 309.76 मिलियन का नकद बहिर्वाह होगा।

46. अनुरूपी पिछले वर्ष के आँकड़ों को तुलना योग्य बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184ईई300007

सीए प्रदीप कुमार मित्रा
साझेदार
एम नं. : 052183

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

कृते एमएसटीसी लिमिटेड

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन - 08643406)

(एस. के. बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(सुब्रत सरकार)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
(डीआईएन- 8290021)

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं.- एफ 5627

41. Expenditure Incurred on Corporate Social Responsibility Activities

- (a) Gross amount required to be spent by the company during the year Nil.
- (b) In accordance to section 135 of Companies Act, 2013, the company has incurred Nil (Previous Year ₹ 5.40 Millions), as CSR expenditure.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(1) Contribution to PMCARES FUND	-	5.40
	-	5.40

Above figures are disclosed separately in note no. 30.

42. Balances of Trade Receivables, Trade Payables and Advances includes balances subject to confirmation/reconciliation and consequential adjustment, if any. Reconciliations are carried out on on-going basis. Provisions, wherever considered necessary, have been made.
43. The current assets of the company are under charge with consortium bank against sanction of credit facilities to the company.
44. The Board of Directors of the Company adopted the Financial Statements in 306th Board Meeting held on 25th June, 2021.
45. The Board of Directors of the Company in its 306th Meeting held on 25th June, 2021 has proposed a final dividend of ₹ 4.40 per share in respect of year ending 31st March, 2021 @ 44% on equity share capital which is ₹ 704.00 Millions as on date. The payment of Dividend is subject to approval of shareholders at Annual General Meeting. If approved it will result in a cash outflow of ₹ 309.76 Millions.
46. The figures for the corresponding previous years have been regrouped/reclassified wherever necessary to make them comparable.

In terms of our report of even date
For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN : 302184E/E300007

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M. No : 052183

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

For MSTC LIMITED

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and Managing Director
Managing Director
DIN- 08643406

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627



समेकित रिपोर्ट **CONSOLIDATED REPORT**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएसटीसी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति

समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट

राय

- हमने एमएसटीसी लिमिटेड (इसके बाद “होल्टिंग कंपनी” के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है एवं सहायिका (होल्टिंग कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी संयुक्त रूप से “समूह”) एवं अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित संयुक्त उद्यम पर विचार किया है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 के अनुसार समेकित तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय समेत), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना और समेकित वित्तीय विवरणियों (यहाँ आगे “समेकित वित्तीय विवरण” के रूप में संदर्भित) की टिप्पणियाँ शामिल हैं।

हमारी राय एवं हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अपेक्षानुसार अधिनियमों में अपेक्षित सूचना देते हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 के अनुसार समूह और इसके संयुक्त उद्यम के समेकित मामलों की वस्तु-स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक के दायित्व में वर्णित हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के साथ अधिनियम, के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बने नियमों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए संगत नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम समूह एवं इसके संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र हैं एवं इन आवश्यकताओं एवं आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमने हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षा के लिए जो साक्ष्य प्राप्त किया है वे समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मामलों पर ध्यानाकर्षण

- हमारी राय को सीमित किए बिना हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:
- क) व्यवसाय का “कैश एवं कैरी” मॉडल जो अब बंद हो चुका है, के अधीन ग्राहकों की ओर से उनके परिसर में होल्टिंग कंपनी द्वारा धारित गिरवी रखे

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of MSTC Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of MSTC Limited (hereinafter referred to as the “Holding Company”), and considered the Financial Statements of Subsidiary (Holding Company and its Subsidiary together referred to as “the Group”) and Joint Venture audited by other auditors, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2021, and the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Consolidated Statement of Changes in Equity, Consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as “Consolidated Financial Statements”).

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the Consolidated State of Affairs of the Group and its Joint Venture as at 31st March, 2021, their Consolidated Profit and Other Comprehensive Income, Consolidated changes in Equity and the Consolidated Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the ‘Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements’ section of our report. We are independent of the Group and its Joint Venture in accordance with the Code of Ethics issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI’s Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Emphasis of Matter

- Without qualifying our opinion, we draw attention to the following:
 - With reference to Note 9.4 of the Consolidated Financial Statements for Trade Receivables-Credit Impaired

स्कॉक को दर्शाने वाले व्यापार प्राप्य-क्षीण हो चुके ऋण के लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 9.4 के संदर्भ में कंपनी के पास मालसूची (इंवेन्ट्री) के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिसके कारण विगत वर्ष से और साथ ही वर्तमान वर्ष के दौरान पर्याप्त राशि प्रदान किया जाना था (बट्टे खाते में डाला जाना था)

इसके अलावा, उक्त टिप्पणी के संदर्भ में, वर्ष के दौरान कुछ ग्राहकों के मामले में स्टॉक के परिमाण एवं बाजार मूल्य के साथ अंतिम परिमाणात्मक विश्लेषण किया गया था जबकि अन्य के मामले में इस कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था, इसके लिए धारित स्टॉक की रिपोर्ट शून्य की गई है या संबंधित ग्राहक द्वारा उन तक पहुँचने से अस्वीकार किया गया था।

- ख) समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं. 37 के संदर्भ में होल्डिंग कंपनी के संबंध में दिनांक 01.4.2018 से ₹ 3402.48 मिलियन के संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान पर ₹ 1188.96 मिलियन की आस्थगित कर संपत्ति का गैर-प्रावधान है।
- ग) 31.03.2021 की तिथि के अनुसार होल्डिंग कंपनी के मुंबई में ₹ 0.74 मिलियन के सकल ब्लॉक वाले पूर्णस्वामित्व के फ्लैट का टाइटल डीड सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था

लेखा-परीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ

3. लेखा परीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ वो हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा-परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में एवं इस पर हमारी राय स्थापित करने में इन विषयवस्तुओं पर ध्यान दिया गया था एवं हम इन विषयवस्तुओं पर कोई अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने लेखा परीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुओं में निम्नलिखित विषयवस्तुओं को निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में सूचित की जाएगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ	लेखापरीक्षक के जवाब
i.	व्यापार प्राप्य की वसूली योग्यता:	
	31 मार्च 2021 के अनुसार, सकल व्यापार प्राप्य ₹ 15502.93 मिलियन (शुद्ध ₹ 7237.64 मिलियन) है। ₹ 8265.29 मिलियन ऋण क्षीणता के रूप में विवेचित हुआ है जिसके लिए खराब और संदिग्ध ऋण के लिए समरूप राशि का प्रावधान होल्डिंग कंपनी द्वारा किया गया है।	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्यों एवं लेनदेनों के विवरण की जाँच पर हमने व्यापार प्राप्यों की प्रकृति, संधारणीयता एवं प्राप्यों की संभाव्य वसूली योग्यता का आकलन किया है। लेखाकरण नीति के अनुसरण में वसूली के लिए संदिग्ध ऐसे सभी ऋणों को 31.03.2021 की बहियों में प्रदान किया गया है।
	सहयोजन के लिए एमएसटीसी और/या अन्य मंच में क्षीणयुक्त ऋण के साथ ऋण के प्रत्येक मामले के	चूंकि पार्टियों से शेष राशियों के पुष्टिकरण की प्राप्ति होल्डिंग कंपनी की निरंतर प्रक्रिया है (टिप्पणी 43 देखें), इसलिए शेष राशियों की

representing pledged stocks held by the Holding Company in the premises of the Customers on behalf of them under "Cash & Carry" model of business, now discontinued, the Company does not have appropriate internal control system in place for inventory due to which substantial amounts have had to be provided for written off in the past as well as during the year.

Further, with reference to the said Note, last Volumetric Analysis was done during the year with quantity and Market Value of stocks in respect of few Customers while in rest of the cases, such exercise was not undertaken for either the Stocks held are reported to be "Nil" or access was denied by the concerned Customer.

- (b) With reference to Note No. 37 of the Consolidated Financial Statements there is a non-Provision of Deferred Tax Asset of ₹1188.96 millions on Provision for Doubtful Debts of ₹3,402.48 millions since 1st April, 2018 in respect of the Holding Company.
- (c) In the case of Holding Company, the Title Deed of a freehold flat in Mumbai having Gross Block of ₹ 0.74 million as at 31st March, 2021 was not available for verification.

Key Audit Matters

3. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Sl.	Key Audit Matters	Auditor's Response
i.	Recoverability of Trade Receivables:	
	As at 31st March, 2021, Trade Receivables Gross is ₹15,502.93 millions (Net ₹7,237.64 millions), with ₹8,265.29 millions being considered as Credit Impaired for which a provision for bad and doubtful debts for similar amount is held in the Books of the Holding Company.	While examining details of Receivables and transactions during the year ended 31st March, 2021, if any, we have observed the nature of the Trade Receivables, the sustainability and the likelihood of recoverability of Receivables. In terms of an Accounting Policy all such debts as considered doubtful of recovery have been provided for in the Books as at 31st March, 2021.
	In the event of reference of each case of debt with impaired credits to NCLT and /or other forums for	Since Holding Company's obtaining of balance confirmations from Parties is an ongoing process (as

संदर्भ में कंपनी वित्तीय हानि की जोखिम में आ जाती है, जब वसूली मुकदमेबाजी की लम्बी प्रक्रिया अधीन रहती है एवं फलस्वरूप संदिग्ध हो जाता है।

वसूलीयोग्य राशि का आकलन प्रबंधन द्वारा ग्राहक के काल प्रभावन स्वरूप एवं ऋण पात्रता के संदर्भ में व्यक्तिगत देनदार पर उनकी विशिष्ट वसूली योग्यता के आकलन पर आधारित है। व्यापार प्राप्यों से संबंधित प्रकटीकरण संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 9.1 में प्रदान किए गए हैं।

सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है। ग्राहक के ऋण स्वरूप एवं उनकी ऐतिहासिक भुगतान रूपरेखा, जो भी प्रयोज्य हो, के संदर्भ में एवं ग्राहकों के साथ किए नवीनतम पत्राचार और होल्डिंग कंपनी की वर्तमान जोखिम प्रबंधन नीति के साथ पठित अनुसार प्रबंधन के आकलन के हमारे मूल्यांकन के माध्यम से नमूना आधार पर हमने निपटायें नहीं गए प्राप्यों की वसूली योग्यता का आकलन किया है।

adjudication, the Company referred to in Note 43), is exposed to potential risk of financial loss when the recoveries become subjected to long processes of litigations, and eventually doubtful. The recoverable amounts are estimated by management based on their specific recoverability assessment on individual debtor as well as consideration and application of a provisioning policy.

The disclosures related to Trade Receivables are provided in Note 9.1 to the accompanying Consolidated Financial Statements.

The disclosures related to Trade Receivables are provided in Note 9.1 to the accompanying Consolidated Financial Statements.

ii. आईटी प्रणालियाँ एवं नियंत्रण :

वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण होल्डिंग कंपनी के समर्थित सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर नियंत्रणों पर निर्भर है जिसमें अशुद्ध आंकड़ों के सर्वाधिक उन्मूलन के लिए जोखिम प्रबंधन कार्य शामिल है। अतः लेखापरीक्षा परिणाम की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता आईटी नियंत्रणों एवं प्रणालियों की सीमा तक निर्भर है।

हमने वांछित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं एवं नमूने की जाँच की योजना, रूपरेखा एवं निष्पादन किया है जो हमारी राय में व्यवस्थित आईटी नियंत्रणों की पर्याप्तता पर यथासंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं।

ii. IT Systems & Control:

Preparation and presentation of Financial Statements are dependent on Holding Company's supporting software and hardware controls involving risk management exercise for maximum elimination of erroneous data. Thus, quality of audit outcome and its authenticity are dependent on the extent of IT controls and systems.

We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, which in our opinion are adequate to provide reasonable assurance on the adequacy of IT controls in place.

iii. खराब एवं संदिग्ध अग्रिम एवं आकस्मिक देयताओं के लिए भत्ते का आकलन:

होल्डिंग कंपनी के खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों एवं आकस्मिक देयताओं के लिए भत्ते के आकलन के लिए संभाव्य परिणामों एवं नकद प्रवाहों का आकलन आवश्यक है। अभिनिर्धारण एवं मात्रा निर्धारण के लिए प्रबंधन द्वारा आकलन एवं निर्णय अपेक्षित है। खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों और आकस्मिक देयताओं के लिए भत्ते से संबंधित

होल्डिंग कंपनी के मामले में, हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं के निष्पादन द्वारा प्रबंधन की ओर से दी गई सूचना के वैधीकरण का निष्पादन किया है :-

- आधारभूत अनुमानों का उचित मूल्यांकन।
- मुकदमों की मौजूदा वस्तुस्थिति को समझना।
- उपलब्ध रिकॉर्ड पर संबंधित कागजातों की जाँच।
- जब भी जरूरत पड़े कानूनी

iii. Assessment of allowance for Bad and Doubtful Advances and Contingent Liabilities:

Assessment of allowance for Bad and Doubtful Advances made during the year and Contingent liabilities of Holding Company require assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification require estimation and judgment by the management. The disclosure related to allowance for Bad and

In the case of Holding Company we have carried out the validation of the information provided by the management by performing the following procedures:-

- Evaluating reasonableness of the underlying assumptions.
- Understanding the current status of the litigations.
- Examining the relevant documents on available

प्रकटीकरण संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों में टिप्पणी सं. 33 एवं 36(क) में दिए गए हैं।

- राय / उद्योग-अध्यासों की समीक्षा।
- प्रबंधन द्वारा किए गए विभिन्न प्रकटीकरण का अभिप्रमाणन।
 - आईसीएआई के निर्देशों के अनुसार प्रबंधन के अभिवेदन को प्राप्त करना।
 - होल्डिंग कंपनी की लेखांकन नीति।

iv. लगातार बरकरार कोविड-19 महामारी का प्रभाव:

देश में व्याप्त कोविड-19 महामारी परिस्थिति के फलस्वरूप, होल्डिंग कंपनी की शाखाओं से संबंधित आंकड़ों के संग्रह और इनके विश्लेषण की प्रक्रिया में हमें परेशानी/विलंबता का सामना करना पड़ा था क्योंकि भौतिक रूप से इसका दौरा नहीं किया जा सका था इसी अनुसार कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त अनुसार शाखाओं के संबंध में आंकड़ों को दूर से प्राप्त करते हुए लेखा परीक्षा का निष्पादन किया गया था ताकि हम नियामक प्रधिकारियों के अपेक्षानुसार लेखा परीक्षा की गुणवत्ता के रखरखाव में कोई समझौता किये बिना लेखा परीक्षा के निष्कर्ष पर आ सकें।

- v. सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने निर्धारित किया है कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उनकी रिपोर्ट में सूचित करने हेतु कोई प्रमुख लेखा परीक्षा विषयवस्तु नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण एवं इस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

4. होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना की प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, निगमित अभिशासन एवं शेयरधारक की सूचना शामिल है, परन्तु इनमें समेकित वित्तीय विवरण एवं इस पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है एवं हम इस पर किसी प्रकार का आश्वसन व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के सिलसिले में, हमारी

Doubtful Advances during the year and Contingent liabilities are provided in Note No 33 & 36 (a) to the accompanying Consolidated Financial Statements.

- records.
- Reviewing legal opinion/ industry practices wherever necessary.
 - Verification of various disclosures made by the management.
 - Obtaining Management's Representation as per guidelines of the ICAI.
 - Holding Company's Accounting Policy.

iv. Impact of continuing COVID-2019 pandemic:

As a result of continuing COVID-19 pandemic situation prevailing in the country, we had to encounter difficulties / delay in the process of collection of data and analysing the same in respect of Branches of the Holding Company which could not be physically visited. Accordingly, the audit of the Branches of the Holding Company was carried out based on remote access of the data in respect of the Branches as provided by the management of the Company, to enable us to come to an audit conclusion without compromising the maintenance of quality of audit as desired by the regulatory authorities.

- v. The Subsidiary's other Auditor has reported that they have determined that there are no key audit matters to communicate in their report for the year ended 31st March, 2021.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

4. The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance and conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated

जिम्मेदारी ऊपर अभिनिर्धारित अन्य सूचना के पढ़ने तक है एवं ऐसा करते हुए हम विवेचित करते हैं कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरण या हमारी लेखा परीक्षा चलने के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ यथार्थ रूप से असंगत है या हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर यथार्थ रूप से गलत व्यक्त किए हुए हैं। हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर हम निश्चित करते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई गलत बयानबाजी रहने पर, हमें इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए अभिशासन से प्रभारित व्यक्तियों एवं प्रबंधन का दायित्व

- होलिडिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार है जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह और इसके संयुक्त उद्यम की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, समेकित अन्य विशद आय समेकित नकद प्रवाह तथा इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है। समूह एवं इसके संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल के इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन शामिल है जो समूह के साथ इसके संयुक्त उद्यम की संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग के लिए, तर्क एवं आकलन देने जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो जो कि उपरोक्तानुसार होलिडिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में जारी रहने हेतु समूह एवं संयुक्त उद्यम की क्षमता के आकलन के लिए प्रतिष्ठित संस्था से संबंधित विषयवस्तुओं को प्रयोज्यानुसार प्रकटीकरण एवं प्रतिष्ठित संस्था के लेखांकन का प्रयोग करने के लिए समूह एवं इसके संयुक्त उद्यम से सम्मिलित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल जिम्मेदार है बशर्ते कि प्रबंधन समूह और इसके संयुक्त उद्यम को परिसमाप्त करने या कार्य-प्रचालनों को समाप्त करने की इच्छा करता है या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य यथार्थ विकल्प नहीं है।

समूह एवं संयुक्त उद्यम में शामिल कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल भी समूह के साथ इसके संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained during the course of our audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

- The Holding Company's Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements in terms of the requirements of the Companies Act, 2013 that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance, consolidated total comprehensive income, consolidated changes in equity, and consolidated cash flows of the Group including its Joint Venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act. The respective Boards of Directors of the Companies included in the Group and of its Joint Venture are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and its Joint Venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Holding Company, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Boards of Directors of the Companies included in the Group and its Joint Venture are responsible for assessing the ability of the Group and its Joint Venture's to continue as a Going Concern, disclosing, as applicable, matters related to Going Concern and using the Going Concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group including its Joint Venture or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Boards of Directors of the Companies included in the Group and of its Joint Venture are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its Joint Venture.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

- हमारा उद्देश्य समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में यथासंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या यह भौतिक गलत बयानबाजी, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, से मुक्त है एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। यथासंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परन्तु यह सुनिश्चित नहीं करता है कि एएस के अनुसार संचालित कोई लेखापरीक्षा हमेशा ही कोई भौतिक गलत बयानबाजी रहने पर उनका पता लगा लेगी। गलत बयानबाजी जालसाजी या धोखाधड़ी से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जब व्यक्तिगत रूप से या एकीकृत रूप में इनसे इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर यथोचित प्रभाव पड़ने की अपेक्षा रहती है।

एएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के अंश के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा में पेशवर निर्णय का पालन करते हैं एवं पेशवर संशयवाद बनाए रखते हैं।

हम साथ ही :

- समेकित वित्तीय विवरणियों की गलत बयानबाजी, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण एवं आकलन करते हैं, उन जोखिम के प्रभावनीय लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार एवं निष्पादन करते हैं एवं लेखा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। चूक की बजाय किसी जालसाजी के फलस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी का पता नहीं चल पाने का जोखिम ज्यादा रहता है, क्योंकि जालसाजी में मिलीभगत, धोखाधड़ी, जानबूझकर चूक, गलत कथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल रहता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम हमारी यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्यवस्था है एवं ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन आकलनों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रतिष्ठित संस्था के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन के आधार एवं प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष रखते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जिससे प्रतिष्ठित संस्था के रूप से जारी रखने हेतु समूह और इसके संयुक्त उद्यम की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण में हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की जरूरत पड़ती है या यह प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो हमारी राय में परिवर्तन करते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की नवीनतम तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर है। तथापि, भावी गतिविधियाँ या परिस्थितियाँ एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में समूह एवं इसके संयुक्त के बने रहने की स्थिति को समाप्त कर सकती है।

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

- Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of Accounting Policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the Going Concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its Joint Venture to continue as a Going Concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its Joint Venture to cease to continue as a Going Concern.

- समेकित वित्तीय विवरणों का संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं तथ्य के साथ प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों एवं गतिविधियों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि सही प्रस्तुतीकरण प्राप्त हो सके।
- समूह एवं इसके संयुक्त उद्यम संस्थाओं के अंदर वित्तीय जानकारी एवं व्यावसायिक कार्यकलापों के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा साक्ष्य प्राप्त करना ताकि समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त कर सकें। समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के अनुदेश पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए हम जिम्मेदार हैं और इनसे हम स्वतंत्र निदेशक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरण में गलत बयानबाजी की मात्रा है जो व्यक्तिगत या एकीकृत रूप में यह संभावना उत्पन्न करती है कि वित्तीय विवरण के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता है। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा की कार्य परिधि की योजना तैयार करने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने एवं (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी चिह्नित गलत बयानबाजी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परिमाणात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

अन्य विषयवस्तुओं के साथ समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य संस्थाओं एवं होल्डिंग कंपनी के अभिशासन से प्रभावित व्यक्तियों जिनसे हम लेखापरीक्षक स्वतंत्र हैं, को लेखापरीक्षा की सुनियोजित परिधि एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अनुसंधानों के साथ आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों को सूचित करते हैं जो हमने हमारी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया है।

अभिशासन से जुड़े व्यक्ति को हम एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है एवं उन्हें सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं को सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य पड़े, संबंधित सुरक्षा को यथोचित प्रभावित कर सकता है।

अभिशासन से प्रभावित व्यक्तियों को सूचित विषयवस्तुओं से हम उन विषयवस्तुओं का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए ये प्रमुख लेखा परीक्षा विषयवस्तुएँ हैं। हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में हम इन विषयवस्तुओं का वर्णन करते हैं, बशर्ते कानून या विनियम द्वारा विषयवस्तु को लोक प्रकटीकरण से वर्जित किया गया है या किसी अति असामान्य परिस्थिति में जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में विषयवस्तु को सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोकहित फायदों की तुलना में प्रतिकूल परिणाम होने के आसार रहते हैं।

अन्य विषयवस्तुएं

7. (क) हमने एक सहायक कंपनी यथा फेरो स्कैप निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों से प्राप्त सूचना को विवेचित किया है जिनके वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जो 31 मार्च 2021 को

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its Joint Ventures entities to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the Financial Statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatement in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decision of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements

We communicate with those charged with governance of the Holding Company and such other entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

7. (a) We have considered information from the Financial Statements of one subsidiary, namely, Ferro Scrap Nigam Limited, whose Financial Statements have been

₹4219.81 मिलियन की कुल परिसंपत्ति राशि, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण में विवेचित अनुसार ₹ 3649.69 मिलियन का कुल राजस्व, कर उपरांत ₹ 227.50 मिलियन का कुल शुद्ध लाभ, ₹ 197.55 मिलियन की कुल व्यापक आय एवं ₹ 366.29 मिलियन नकद प्रवाह शुद्ध दर्शाते हैं। 31 मार्च 2021 समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण में होल्डिंग कंपनी की ₹ 8.60 मिलियन की शुद्ध हानि का अंश एवं संयुक्त उद्यम यथा महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्रा. लि. के संबंध में ₹ 8.50 मिलियन की कुल व्यापक हानि शामिल है जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है।

सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है जिनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है एवं सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम के विषय में सम्मिलित राशियों एवं प्रकटनों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय एवं उपर्युक्त सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) एवं (11) के अनुपालन में हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूर्णतया आधारित है।

(ख) सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षक ने उल्लेख किया है कि सहायक कंपनी के यूनिटों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हें उपलब्ध करायी गई सीमित सूचना, तथ्य एवं निविष्टियों पर उनकी राय आधारित है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि कोविड-19 के कारण, भौतिक आवाजाही पर प्रतिबंध रहने एवं कठोर समय सीमा का पालन करने हेतु आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षक मानकों जो निम्नोक्त तक ही सीमित नहीं है, के अधीन अपेक्षित लेखापरीक्षा कार्य-प्रक्रियाओं का भार लेने के लिए भिलाई, दुर्गापुर और बर्नपुर यूनिट को छोड़कर किसी अन्य यूनिट का दौरा नहीं किया है:

- मूल कागजातों/ फाइलों की जाँच, अवलोकन, परीक्षण एवं सत्यापन।
- स्पेयर मदों के स्टॉक के साथ इस पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की भौतिक जाँच।
- स्थायी संपत्तियों (चल एवं अचल), वाहन संचालन अभिलेखों का भौतिक सत्यापन एवं इस पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की जाँच।
- आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में अवलोकन।
- सीएआरओ रिपोर्ट में निर्दिष्ट विविध निश्चयन के लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया।
- व्यय आदि के वाउचर एवं इन्वायस की जाँच।

(ग) होल्डिंग कंपनी के संबंध में हमारे पृथक अवलोकन निम्नानुसार है

- समेकित वित्तीय विवरणों में टिप्पणी सं. 43 के संदर्भ में व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों, व्यापार एवं अन्य देय, किए गए प्राप्त हुए ऋण एवं अग्रिमों, जमा राशि के कोई मामले में शेष राशियों का पुष्टीकरण उपलब्ध नहीं था एवं इसके फलस्वरूप किसी समायोजन का प्रभाव पता नहीं चला है।
- पूरे भारत में कोविड-19 के निरंतर प्रसार ने शाखाओं के भौतिक दौरा पर

audited by other auditor, which reflect total Assets of ₹4219.81 Million as at 31st March, 2021, total Revenues of ₹ 3649.69 Million, total Net Profit after Tax of ₹ 227.50 Million, total Comprehensive Income of ₹197.55 Million and Cash Inflow (net) of ₹ 366.29 Million for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Consolidated Financial Statements also include the Holding Company's share of Net Loss of ₹ 8.60 Million and total Comprehensive Loss of ₹ 8.50 Million in respect of Joint Venture namely Mahindra MSTC Recycling Pvt Ltd for the year ended 31st March, 2021 whose Financial Statements have been audited by other auditor.

The Financial Statements of the Subsidiary and Joint Venture Company have been audited by other auditor whose audit reports have been furnished to us by the Holding Company's Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of Subsidiary and Joint Venture and our report in terms of sub-sections (3) and (11) of section 143 of the Act in so far as it relates to the aforesaid Subsidiary and Joint Venture, is based solely on the reports of the other auditors.

(b) Subsidiary's other auditor has mentioned that their report is based on limited information, facts and inputs made available to them through electronic means by the units of the Subsidiary Company. They have highlighted that due to the COVID-19 induced restrictions on physical movement and strict timelines, they could not visit the units (except Bhilai, Durgapur and Burnpur Units) for undertaking the required audit procedures as prescribed under ICAI issued Standards on Auditing, including but not limited to:

- Inspection, observation, examination and verification of the original documents/files.
- Physical verification of stocks of spares items including adequate internal controls thereof.
- Physical verification of fixed assets (movable & immovable), vehicle movement records including adequate internal controls thereof.
- Observation with regard to internal controls.
- Adequate audit procedures for various assertion specified in CARO Reports.
- Examination of vouchers and invoices of expenses etc.

(c) In respect of the Holding Company our separate observations are as below.

- With reference to Note 43 in the Consolidated Financial Statements, confirmation of balances were not available in many cases of Trade and other Receivables, Trade and other Payables, Loans and Advances, Deposits etc. made and received and the impact of consequent adjustments required, if any, is not ascertained.
- The continued spreading of COVID -19 across India has

प्रतिबंध लगाने एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्था (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निष्पादन की आवश्यकता को बाधित किया है। उपर्युक्त के फलस्वरूप कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए अनुसार शाखाओं के संबंध में आंकड़ों को दूर से प्राप्त किए जाने के आधार पर लेखापरीक्षा का निष्पादन किया गया था। आईसीएआई के ऑडिटिंग एण्ड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा जारी “वर्तमान कोविड-19 स्थिति के अधीन डिस्टेंस ऑडिट / रिमोट ऑडिट / ऑनलाइन ऑडिट का संचालन करते समय विशिष्ट विचारण पर जारी परामर्श” को आधार पर इसका निष्पादन किया गया है। हमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु प्रदान किए गए आंकड़े सही, संपूर्ण, विश्वसनीय हैं एवं कंपनी की लेखांकन प्रणाली द्वारा तैयार किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर एवं अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट पर हमारी राय, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित कार्य एवं रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी विश्वसनीयता के संबंध में उपर्युक्त विषयवस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम प्रयोज्य सीमा में रिपोर्ट करते हैं कि :

- (क) हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी हैं एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
- (ख) हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों एवं अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में कानून की अपेक्षानुसार यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।
- (ग) इस रिपोर्ट से सम्बंधित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय समेत), इक्विटी में समेकित परिवर्तन का विवरण एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित लेखा बहियों के सुसंगत हैं।
- (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन एवं इसके अंतर्गत बने संबंधित नियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
- (ङ) निगमित मामले कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी. एस. आर. 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) होल्डिंग कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। सहायक एवं संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों ने कहा है कि 31 मार्च, 2021 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुपालन में निदेशकों को नियुक्त करने के संबंध में किसी भी निदेशक को अयोग्य नहीं किया गया है।

resulted in restriction on physical visit to the Branches and the need for carrying out alternative audit procedures as per the Standards on Auditing prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). As a result of the above, the audit was carried out based on remote access of the data in respect of the Branches as provided by the management of the Company. This has been carried out based on the advisory on “Specific Considerations while conducting Distance Audit/ Remote Audit/ Online Audit under current Covid-19 situation” issued by the Auditing and Assurance Standards Board of ICAI. We have been represented by the management of the Company that the data provided for our audit purposes is correct, complete, reliable and are generated by the accounting system of the Company.

Our opinion on Consolidated Financial Statements and our report on other legal and regulatory requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the Management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. As required by Section 143(3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid Consolidated Financial Statements.
- (b) In our opinion, proper Books of Accounts as required by law relating to preparation of the aforesaid Consolidated Financial Statements have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.
- (c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), Consolidated Statement of changes in Equity and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant Books of Accounts maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements.
- (d) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with relevant Rules thereto.
- (e) As per notification no. G.S.R 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding disqualification of the Director is not applicable to the Holding Company since it is a Government Company. In respect of Subsidiary and Joint Venture, the other auditors have mentioned that none of the Directors are disqualified as on 31st March, 2021 from being appointed as a Director in terms of Section 164(2) of the Act.

(च) समूह एवं संयुक्त उद्यम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के संबंध में कृपया “अनुलग्नक क” में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) एक सरकारी होल्डिंग कंपनी होने के कारण, निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(16) के प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है। इसकी सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम के अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष के दौरान संबंधित कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार था।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 (संशोधित अनुसार) के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दी व्याख्याओं के अनुसार :

- समूह एवं संयुक्त उद्यम ने अपने समेकित वित्तीय विवरण में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है - समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं 36(क) देखें।
- होल्डिंग कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ नहीं हैं, जिसके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थीं। सहायक कंपनी के अन्य लेखापरीक्षक ने उल्लेख किया है कि व्युत्पन्न संविदा समेत दीर्घमियादी संविदा पर अर्थपूर्ण पूर्वाभासी क्षतियों के लिए प्रयोज्य कानून या लेखांकन मानकों के अधीन सहायक कंपनी द्वारा अपेक्षित प्रावधान किया गया है।
- होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनी या इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी किसी के भी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में कोई निधि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

9. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों के तहत, हम एतद्वारा संलग्न “अनुलग्नक ख” में समेकित वित्तीय विवरण में अपना मत देते हैं।

कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन 302184ई/ई300007

सीए प्रदीप कुमार मित्र

स्थान : कोलकाता

साझेदार

तारीख : 25 जून, 2021

सदस्यता सं. 052183

यूडीआईएन: 21052183AAAAAD9427

(f) In respect of the issues of adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Group and Joint Venture, and the operating effectiveness of such controls, please refer to our separate report in “Annexure A”.

(g) The Holding Company being a Government Company, provisions of section 197 (16) of the Companies Act, 2013 regarding managerial remuneration is not applicable to the company as per notification no. G.S.R. 463(E) dated 05th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs. On the basis of the reports of the other auditors of its Subsidiary and Joint Venture, the remuneration paid by the respective Companies to their directors during the year is in accordance with the provisions of Section 197 of the Act.

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditor's) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- The Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group and Joint Venture - Refer Note no 36 (a) to the Consolidated Financial Statements.
- The Holding Company and its Joint Venture did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses. The Subsidiary's other auditor has mentioned that the Subsidiary Company has made provision, as required under the applicable laws or accounting standards, for material foreseeable losses; if any, on long term contracts including derivative contracts.
- There was no requirement of fund to be transferred to the Investor Education and Protection Fund either by the Holding Company, its Subsidiary or its Joint Venture Company.

9. As required by section 143(5) of the Act the directions and sub-directions issued by the Comptroller & Auditor General of India we give our comments in the Consolidated Financial Statements in “Annexure-B” annexed herewith.

For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN- 302184E/E300007

CA Pradip Kumar Mitra
Partner

M.No.052183

UDIN : 21052183AAAAAD9427

Place: Kolkata

Date: June 25, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर एमएसटीसी लिमिटेड के सदस्यों के प्रति सम दिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 8(च) के संदर्भ में

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

- हमने 31 मार्च, 2021 की स्थिति को एमएसटीसी लिमिटेड (इसके बाद "होल्टिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित सहायक कंपनी ("समूह" के रूप में संदर्भित होल्डिंग कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी) और संयुक्त उद्यम (जो उस तिथि को भारत में निगमित एक कंपनी है) के वित्तीय विवरण को विवेचित किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

- भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना होल्डिंग कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी व संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कंपनी अधिनियम के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो संबंधित कंपनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

- हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह एवं संयुक्त उद्यम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

Annexure - A to the Independent Auditor's Report

Referred to in paragraph 8(f) of the Independent Auditor's Report of even date to the members of MSTC Limited on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2021.

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

- We have audited the internal financial controls over Financial Reporting of MSTC Limited (hereinafter referred to as "the Holding Company"), and considered Financial Statements of Subsidiary (Holding Company and its Subsidiary together referred to as "the Group") and Joint Venture, (which is a Company incorporated in India as of that date) audited by other auditors, as at 31st March, 2021 in conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

- The respective Boards of Directors of the Holding Company and its Subsidiary Company and Joint Venture are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal financial reporting criteria established by the respective Companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective Companies' policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act.

Auditors' Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Group and the Joint Venture based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by ICAI and the Standards on Auditing prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls of the Holding Company. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्डिंग कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं जो कि सहायक कंपनी एवं संयुक्त उद्यम के संबंधित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा इनके संबंध में संबंधित राय को लिए जाने के आधार पर हैं।

समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वाढ्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो :
 - (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में हैं जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थिति को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं
 - (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित है एवं कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और
 - (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

5. नियंत्रण का अतिक्रमण करने वाली मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की प्रयोजना जोखिम के अधीन है कि समेकित वित्तीय

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over consolidated financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over consolidated financial reporting of the Holding Company and its Subsidiary Company and Joint Venture, after taking into account the respective opinions with regard to these by the respective other auditors of the Subsidiary and the Joint Venture.

Meaning of Internal Financial Controls over Consolidated Financial Reporting

4. A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:
 - (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
 - (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and Directors of the Company; and
 - (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

5. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are

रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

योग्यताप्राप्त राय

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2021 के अनुसार निम्नलिखित भौतिक कमजोरी चिह्नित की गई है:

होलडिंग कंपनी के मामले में कंपनी द्वारा क्रय किए गए ग्राहकों के परिसरों में रखी गई सामग्री के गिरवी रखे स्टॉक के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त अभिरक्षक के पास सुरक्षापूर्वक संभाल कर रखने की व्यवस्थापन प्रक्रिया में प्रयुक्त व्यवसाय का कैश एवं कैरी मॉडल, अब बंद कर दिया गया है।

तथापि, होलडिंग कंपनी ने अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा के लिए एक पृथक लेखापरीक्षा का निष्पादन किया था एवं इसकी रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के दौरान इसकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा विवेचित किया गया है।

हमारी राय में, ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी के संभावी प्रभावों को छोड़ कर, समूह एवं इसके संयुक्त उद्यम जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, ने सभी भौतिक पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का रखरखाव किया है एवं भारतीय सनदी लेखापाल संस्था द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण की अनिवार्य विषयवस्तुओं को विचार में लेते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2021 को प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

अन्य विषयवस्तुएँ

एक सहायक कंपनी एवं एक संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रचालन कार्यकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की अनुरूपी रिपोर्ट के आधार पर है।

कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन 302184ई/ई300007

सीए प्रदीप कुमार मित्र

साझेदार

सदस्यता सं. 052183

यूडीआईएन: 21052183AAAAAD9427

स्थान : कोलकाता

तारीख : 25 जून, 2021

subject to the risk that the internal financial control over consolidated financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

6. According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following weaknesses have been identified as at 31st March 2021 :

In the case of Holding Company, in the process of maintaining safe custody with the Company appointed Custodian of Pledged Stock of materials held in the premises of the Customers procured by the Company on behalf of them under Cash & Carry Model of Business, now discontinued.

However the Holding Company had a separate Audit carried out for Audit of its Internal Financial Control System and the report has been considered by its Audit Committee during 2020-21.

In our opinion, except for the possible effects of the weaknesses described hereinabove, the Group and its Joint Venture, which are Companies incorporated in India, have maintained in all material aspects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2021, based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective Companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report u/s 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial control over financial reporting in so far as it relates to its one Subsidiary Company and one Joint Venture, which are Companies incorporated in India, is based on the corresponding reports of the auditors of such Companies incorporated in India.

For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN- 302184E/E300007

CA Pradip Kumar Mitra
Partner

M.No.052183

UDIN: 21052183AAAAAD9427

Place: Kolkata

Date: June 25, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत, हम निम्नवत रिपोर्ट करते हैं :

दिशानिर्देश	लेखापरीक्षक के जवाब
1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया के लिए किसी प्रणाली की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो लेखा की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों की प्रक्रिया के परिणामों के साथ वित्तीय परिणामों यदि कोई है, को व्यक्त किया जा सकता है।	होलडिंग कंपनी के मामले में : समदिनांकित हमारी रिपोर्ट में इस विषयवस्तु से पर्याप्त रूप से निपटा गया है। (अनुच्छेद 3(ii) प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु) सहायक कंपनी के मामले में, सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि: सहायक कंपनी एकीकृत लेखांकन पैकेज अर्थात फास्ट पैकेज के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया करती है। कंपनी के पास 2 पृथक निम्नोक्त के लिए आईटी पैकेज है (1) पेट्रोल एवं (2) माल सूची एवं जेवी के माध्यम से लेखांकन पैकेज एकीकृत किए गए हैं। पेट्रोल एवं मालसूची के संबंध में संपूर्ण वित्तीय आंकड़े लेखांकन पैकेज अर्थात फास्ट पैकेज में सम्मिलित हैं।
2. क्या किसी मौजूदा ऋण की पुनः संरचना तैयार करने या ऋण को चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए किसी कर्ज/ऋण/व्याज आदि को छोड़ने/ बट्टे में डालने का मामला है? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव को व्यक्त किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया गया था? (यदि उधारदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश उधारदाता कंपनी की संविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी प्रयोज्य है।)	होलडिंग कंपनी के मामले में : वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किसी मौजूदा ऋण की पुनः संरचना तैयार करने या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए किसी कर्ज/ऋण/व्याज आदि को छोड़ने/ बट्टे में डालने का उदाहरण नहीं है। सहायक कंपनी के मामले में, सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि: सहायक कंपनी ने सावधि जमा पर ओवरड्राफ्ट सुविधा को छोड़कर कोई ऋण नहीं लिया है। अतएव ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा दिए गए किसी ऋण की पुनः संरचना करने या कर्ज/ऋण/व्याज आदि को छोड़ा/बट्टे में डाला नहीं गया है।
3. क्या केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (ग्रांट/सब्सिडी) इसके नियम और शर्तों के अनुसार खाते में यथोचित डाला गया था/उपयोग किया गया था? भिन्नतावाले मामलों की सूची दें।	होलडिंग कंपनी के मामले में : केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किसी प्राप्त हुए/ प्राप्य फंड का मामला नहीं है। सहायक कंपनी के मामले में, सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट किया है कि: वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान, सहायक कंपनी ने केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं की है।

कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल

एफआरएन-302184ईई300007

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझेदार

सदस्यता सं. 052183

यूडीआईएन: 21052183AAAAAD9427

स्थान : कोलकाता

तारीख : 25 जून, 2021

Annexure – B to the Independent Auditors' Report

Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013, based on the verification of records of the Company and according to information and explanation given to us, we report as under:

Directions	Auditor's Reply
1. Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	In Case of Holding Company: The matter has been adequately dealt with in our report of even date. [Para 3 (ii) Key Audit Matter] In case of the subsidiary, the subsidiary's other auditor reported that: The Subsidiary Company process all accounting transaction through integrated Accounting package i.e. FAST Package. The company has 2 separate IT package for (1) Payroll & (2) Inventory and are integrated in Accounting Package through JVs. Complete financial data with respect to Payroll & Inventory are incorporated in Accounting Package i.e. in FAST Package
2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case lender is a Government Company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender Company).	In Case of Holding Company: There is no instance of restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts/ loans / interest etc. made by a lender to the Company due to Company's inability to repay the loan during the financial year 2020-21. In case of the Subsidiary, the subsidiary's other auditor reported that: The subsidiary company has not taken any loan except Overdraft facility against Fixed Deposits. Hence there is no restructuring of any loan or cases of waiver /write off of debts/loans/interest etc. made by a lender for the Company due to the Company's inability to repay the loan.
3. Whether funds (grants /subsidy etc.) received / receivable for specific schemes from Central / State Governments or its agencies were properly accounted for / utilised as per its term and conditions? List the cases of deviation.	In Case of Holding Company: There is no case of funds received/receivable during the financial year 2020-21 for specific schemes from Central/State Government or its Agencies. In case of subsidiary, the subsidiary's other auditor reported that: During the F.Y. 2020-2021 the Subsidiary Company has not received any fund for specific schemes from Central/State Agencies.

Place: Kolkata
Date: June 25, 2021

For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN- 302184E/E300007
CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M.No.052183
UDIN : 21052183AAAAAD9427

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएसटीसी लि. के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्ट की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड का समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरण पर विचार प्रकट करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 25 जून, 2021 के अनुसार उनके द्वारा किया हुआ बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एमएसटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखा परीक्षा का संचालन किया है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, एमएसटीसी लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनी फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा का संचालन किया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139 (5) एवं 143 (6) (क) सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु, निजी क्षेत्र की संस्था होने के कारण महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड पर लागू नहीं है। इसी अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने कंपनी के लिए न तो सांविधिक लेखा परीक्षक को नियुक्त किया है और न ही अनुपूरक लेखा परीक्षा का संचालन किया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजात को प्राप्त किए बगैर यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है, जिससे कि अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा पूरक प्रदान किया जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
की ओर से एवं उनके लिए



(सुपर्णा देव)

लेखा परीक्षा के महानिदेशक (खदान)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता

तारीख : 03 सितंबर, 2021

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF MSTC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of consolidated financial statements of MSTC Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 June 2021.

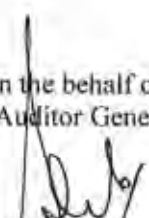
I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of MSTC Limited for the year ended 31 March 2021 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of MSTC Limited and its subsidiary company Ferro Scrap Nigam Limited for the year ended on that date. **Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to Mahindra MSTC Recycling Private Limited being private entity for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller & Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of this company.** This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

Place: Kolkata

Date: 13 SEP 2021

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India


(Suparna Deb)
Director General Audit (Mines)
Kolkata

31 मार्च 2021 के अनुसार समेकित तुलन पत्र Consolidated Balance Sheet as on 31st March 2021

(₹ मिलियन में Amount in ₹ million)

परिसंपत्तियाँ	टिप्पणियाँ	31 मार्च 2021 को Notes As at 31 st March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 st March 2020
(1) गैर मौजूदा परिसंपत्तियाँ	(1) Non-current assets		
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(a) Property, Plant and Equipment	2	819.69
(ख) प्रगति में पूंजीगत कार्य	(b) Capital Work in Progress	2	518.25
(ग) पट्टायुक्त भूमि	(c) Leasehold Land	2	70.82
(घ) अमूर्त संपत्तियाँ	(d) Intangible assets	2	2.05
			1,410.81
(ङ) वित्तीय संपत्तियाँ	(e) Financial assets		
(i) संयुक्त उद्यम में निवेश	(i) Investment In Joint Venture	3	143.57
(ii) व्यापार प्राप्य	(ii) Trade receivables	16	-
(iii) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	(iii) Other financial assets	4	1,054.75
(च) गैर-मौजूदा कर संपत्ति	(f) Non-Current tax assets	5	625.70
(छ) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	(g) Deferred tax assets (net)	7	2,286.81
(ज) अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियाँ	(h) Other non-current assets	6	3.46
कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ	Total non-current assets		5,525.10
(2) मौजूदा परिसंपत्तियाँ	(2) Current assets		
(क) इंटैरी (मालसूची)	(a) Inventories	8	51.61
(ख) वित्तीय संपत्तियाँ	(b) Financial assets		
(i) व्यापार प्राप्य	(i) Trade receivables	9	8,896.64
(ii) नकद और नकद समकक्ष	(ii) Cash and cash equivalents	10	7,456.90
(iii) अन्य बैंक शेष	(iii) Other Bank Balances	11	140.22
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	(iv) Other financial assets	12	252.81
(ग) अन्य मौजूदा संपत्तियाँ	(c) Other current assets	13	124.18
बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत संपत्तियाँ	Assets classified as held for sale	27	30.15
कुल मौजूदा संपत्ति	Total current assets		16,922.36
कुल परिसंपत्तियाँ	TOTAL ASSETS		22,477.61
इक्विटी एवं देयता	EQUITY AND LIABILITIES		
(1) इक्विटी	(1) Equity		
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	(a) Equity share capital	14	704.00
(ख) अन्य इक्विटी	(b) Other equity	15	4,875.53
कुल इक्विटी	Total equity		5,579.53
(2) गैर-मौजूदा देयता	(2) Non-current liabilities		
(क) वित्तीय देयता	(a) Financial liabilities		
(i) ऋण	(i) Borrowings	21	43.19
(ii) व्यापार देय	(ii) Trade payables		
कुल बकाया राशि	Total Outstanding dues of		
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को छोड़कर लेनदार	a) Creditors other than Micro & Small Enterprises	17	-
(iii) अन्य वित्तीय देयता	(iii) Other financial liabilities	18	7.28
(ख) प्रावधान	(b) Provisions	19	930.05
(ग) अन्य गैर मौजूदा देयता	(c) Other non-current liabilities	20	61.20
कुल गैर मौजूदा देयता	Total non-current liabilities		1,041.72
(3) मौजूदा देयता	(3) Current liabilities		
(क) वित्तीय देयता	(a) Financial liabilities		
(i) ऋण	(i) Borrowings	22	1,500.74
(ii) व्यापार देय	(ii) Trade payables		
कुल बकाया राशि	Total Outstanding dues of		
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	a) Micro & Small Enterprises	23	0.35
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को छोड़कर लेनदार	b) Creditors other than Micro & Small Enterprises	23	4,307.79
(iii) अन्य वित्तीय देयता	(iii) Other financial liabilities	24	8,953.84
(ख) प्रावधान	(b) Provisions	25	465.73
(ग) अन्य मौजूदा देयता	(c) Other current liabilities	26	620.85
बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत देयताएँ	Liabilities classified as held for sale	27	7.06
कुल मौजूदा देयता	Total current liabilities		15,856.36
कुल देयता	Total liabilities		16,898.08
कुल इक्विटी एवं देयता	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		22,477.61

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण के अभिन्न हिस्से मानी जाएंगी
हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

The accompanying notes forms an integral part of the financial statements.
In terms of our report of even date.

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184/ईई300007

In terms of our report of even date
For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN : 302184/E300007

कृते एमएसटीसी लिमिटेड

For MSTC LIMITED

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझेदार
एम नं. : 052183

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M. No : 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and
Managing Director
DIN- 08643406

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 8290021

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

(एस. के. बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. - एफ5627

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण
Consolidated Statement of Profit & Loss for the year ended 31st March 2021

(₹ मिलियन में Amount in ₹ million)

विवरण	Particulars	टिप्पणी Note	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31 st March 2021	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31 st March 2020
I परिचालन से राजस्व	I Revenue from operations	28	7,804.66	12,313.99
II अन्य आय	II Other Income	29	2,136.13	645.99
III कुल राजस्व (I + II)	III Total Revenue (I + II)		9,940.79	12,959.98
IV व्यय	IV EXPENSES			
(क) व्यापारगत माल/प्रचालनीय कंज्यूमेबल्स एवं स्पेयर्स की खरीदारी	(a) Purchases of Stock-in-Trade/Operational Consumables & Spares	30	2,177.46	6,151.98
(ख) कर्मचारी हितलाभ पर व्यय	(b) Employee benefit expense	31	1,733.93	1,828.05
(ग) वित्तीय व्यय	(c) Finance costs	32	71.46	287.22
(घ) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	(d) Depreciation and amortisation expense	2	186.78	166.15
(ङ) अन्य व्यय	(e) Other expenses	33	4,403.72	2,832.21
V कुल व्यय	V Total Expenses		8,573.35	11,265.61
VI संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) के अंश एवं कर के पूर्व लाभ (III - V)	VI Profit before share of profit/(loss) of Joint Ventures and tax (III - V)		1,367.44	1,694.37
VII संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) के अंश	VII Share of profit/(loss) of Joint Ventures		(8.60)	(26.94)
VIII कर से पूर्व लाभ (VI + VII)	VIII Profit before tax (VI + VII)		1,358.84	1,667.43
IX कर व्यय	IX Tax Expense			
(क) वर्तमान कर	(a) Current tax	37	206.95	361.75
(ख) आस्थगित कर	(b) Deferred tax		22.30	335.54
कुल कर व्यय	Total tax expense		229.25	697.29
X अवधि के लिए लाभ (VIII - IX)	X Profit for the period (VIII - IX)		1,129.59	970.14
XI अन्य व्यापक आय	XI Other comprehensive income			
(क) (i) वस्तु जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाएगा	A (i) Items that will not be reclassified to profit or loss	41	(79.29)	(136.96)
(ii) उपरोक्त पर आय कर	(ii) Income tax on above		22.23	38.63
(ख) संयुक्त उद्यम के अन्य व्यापक आय के अंश	B Share of Other Comprehensive Income of Joint Venture		0.10	0.20
			(56.96)	(98.13)
XII अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X + XI)	XII Total comprehensive income for the period (X + XI)		1,072.63	872.01
XIII प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक):	XIII Earnings per equity share (face value of ₹ 10 each):	38		
(क) बेसिक (₹ में)	(1) Basic (in ₹)		16.05	13.78
(ख) डायल्यूटेड (₹ में)	(2) Diluted (in ₹)		16.05	13.78

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण के अभिन्न हिस्से मानी जाएंगी
हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

The accompanying notes forms an integral part of the financial statements.
In terms of our report of even date.

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184ईई300007

In terms of our report of even date
For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN : 302184E/E300007

कृते एमएसटीसी लिमिटेड For MSTC LIMITED

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझेदार
एम नं. : 052183

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M. No : 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and
Managing Director
DIN- 08643406

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 8290021

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

(एस. के. बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. - एफ5627

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

Consolidated Statement of Changes in Equity for the year ended 31st March 2021

(राशि ₹ मिलियन में Amount in ₹ million)

विवरण	न.	अंकित मूल्य (₹)	राशि	
Particulars	Nos	Face Value (₹)	(₹ मिलियन में) Amount (₹ Million)	
क इक्विटी शेयर पूंजी	A. Equity Share Capital			
शेष राशि 31 मार्च, 2019 को	7,04,00,000	10	704.00	
शेष राशि 31 मार्च, 2020 को	7,04,00,000	10	704.00	
शेष राशि 31 मार्च, 2021 को	7,04,00,000	10	704.00	
ख अन्य इक्विटी	B. Other Equity			
	पूँजी आरक्षण Capital Reserve	सामान्य आरक्षण General Reserve	प्रतिधारित आय Retained Earnings	कुल Total
शेष राशि 31 मार्च, 2019 को	341.60	6,482.50	(3,648.41)	3,175.69
वर्ष के लाभ	-	-	970.14	970.14
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	-	-	(98.13)	(98.13)
सामान्य आरक्षित में अंतरण/प्रतिधारित आय (से)	-	-	-	-
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर				
वित्तीय वर्ष 18-19	-	-	(12.48)	(12.48)
शेष राशि 31 मार्च, 2020 को	341.60	6,482.50	(2,788.88)	4,035.22
वर्ष के लाभ	-	-	1,129.59	1,129.59
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय	-	-	(56.96)	(56.96)
अंतिम लाभांश वित्तीय वर्ष 19-20	-	-	(232.32)	(232.32)
सामान्य आरक्षित में अंतरण/प्रतिधारित आय (से)	-	-	-	-
शेष राशि 31 मार्च, 2021 को	341.60	6,482.50	(1,948.57)	4,875.53

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184ईई300007

In terms of our report of even date
For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN : 302184E/E300007

कृते एमएसटीसी लिमिटेड For MSTC LIMITED

सीए प्रदीप कुमार मित्र
साझेदार
एम. नं. : 052183

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M. No : 052183

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and
Managing Director
DIN- 08643406

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 8290021

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

(एस. के. बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं. - एफ5627

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का समेकित विवरण

Consolidated Statement of Cash Flows for the Year ended 31st March 2021

(राशि ₹ मिलियन में Amount in ₹ million)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 के समाप्त वर्ष As at 31 st March 2021	31 मार्च 2020 के समाप्त वर्ष As at 31 st March 2020
क. परिचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह	A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व वर्ष के लिए लाभ	Profit before Tax for the year	1,358.84	1,667.43
समायोजन :	Adjustments for:		
गैर-मौजूदा संपत्तियों का मूल्यहास / परिशोधन	Depreciation / Amortisation of non-current assets	187.53	166.90
संयुक्त उद्यम में निवेश से हानि	Loss from Investment in JV	8.60	26.94
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर हानि/(लाभ)	Loss/(Gain) on disposal of Property Plant and Equipment	0.58	1.44
वित्त लागत	Finance Cost	71.46	287.22
लाभ एवं हानि में स्वीकृत ब्याज आय	Interest Income recognised in profit & loss	(132.41)	(140.85)
प्रावधान आवश्यक नहीं रह गए पुनरांकित किए गए	Provision no Longer Required Written Back	(1,968.13)	(482.51)
खराब ऋण पुनरांकित किए गए	Bad Debt Written Off	1,803.61	373.99
खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों/ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for Bad and Doubtful Advances/Debts	716.98	387.36
देयता पुनरांकित की गई	Liabilities Written Back	12.76	-
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	Operating profit before Working Capital changes	2,059.82	2,287.92
परिचालन संपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन के लिए समायोजन	Adjustments for changes in Operating Assets & Liabilities		
परिचालन संपत्तियों में (वृद्धि)/(कमी) के लिए समायोजन	Adjustments for (increase) / decrease in Operating Assets:		
कार्यशील पूँजी में संचार :	Movement in working capital:		
व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों में (वृद्धि)/(कमी)	(Increase)/decrease in Trade and Other Receivables	4,384.14	3,950.22
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/(कमी)	(Increase)/decrease in Other Assets	(5.58)	42.08
इंवेन्टरीज (मालसूची) में (वृद्धि)/(कमी)	(Increase)/ decrease in Inventories	18.38	(9.65)
परिचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन:	Adjustments for increase / (decrease) in Operating Liabilities:		
व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	Increase/ (decrease) in Trade Payables & Others Financial Liabilities	108.03	(3,701.84)
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	Increase/ (decrease) in Other Liabilities	395.63	(73.53)
प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	Increase/ (decrease) in Provisions	85.44	73.40
परिचालन से नकद की सृष्टि	Cash generated from Operations	7,045.86	2,568.60
प्रत्यक्ष कर भुगतान (शुद्ध वापसी)	Direct Taxes Paid (Net of Refund)	(234.38)	(346.07)
परिचालन कार्य कलापों से शुद्ध नकद	Net cash from Operating Activities	6,811.48	2,222.53
ख) निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह	B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए भुगतान	Payment for Property, Plant & Equipment	(359.23)	(387.78)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान से प्राप्त	Proceeds from disposal of Property Plant & Equipment	13.69	32.29
मियादी जमा में निवेश	Investment In Fixed Deposits	312.25	2,752.25
संयुक्त उद्यम में निवेश	Investment in Joint Venture	(40.00)	-
प्राप्त ब्याज	Interest received	185.65	157.74
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकद (प्रयुक्त)	Net cash (used) in Investing Activities	112.36	2,554.50
ग) वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह	C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
अल्प मियादी उधारी से प्राप्त	Proceeds from Short term borrowings	(770.98)	(2,031.85)
ब्याज भुगतान	Interest Paid	(71.46)	(287.35)
लाभांश भुगतान	Dividend Paid	(232.32)	-
लाभांश भुगतान पर कर	Tax on Dividends Paid	-	(12.48)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	Net cash used in Financing Activities	(1,074.76)	(2,331.68)
नकद एवं नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	Net increase/(decrease) in Cash & Cash equivalents(A+B+C)	5,849.08	2,445.35
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समकक्ष	Cash and Cash equivalents at the beginning of the Year	1,607.82	(837.53)
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	Cash and Cash equivalents at the end of the Year	7,456.90	1,607.82
टिप्पणी: (1) कोष्ठक में शामिल अंक बहिर्वाह दर्शाते हैं।	Note : (1) Figures in brackets indicate outflows.		
(2) नकद एवं नकद समकक्ष दर्शाने वाले विवरण	(2) Statement Showing Cash and Cash Equivalents		
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	Cash and Cash equivalents at the end of the Year	7,456.90	1,879.43
घटाएं : वर्ष के अंत में ओवरड्राफ्ट बैलेंस	Less : Over Draft Balances at the end of the year	-	271.61
वर्ष के अंत में शुद्ध नकद एवं नकद समकक्ष	Net Cash and Cash equivalents at the end of the Year	7,456.90	1,607.82
टिप्पणी: भारतीय लेखांकन मानक-7 के अनुसार परोक्ष विधि का इस्तेमाल करते हुए नकद प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है।	Note : Statement of Cash Flows is prepared using Indirect Method as per Indian Accounting Standard-7: Statement of Cash Flows.		
संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण के अभिन्न हिस्से मानी जाएगी हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार।	The accompanying notes forms an integral part of the financial statements. In terms of our report of even date.		

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date
कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी For S. Ghose & Co LLP
सनदी लेखापाल Chartered Accountants
एफआरएन : 302184ईई300007 FRN : 302184E/E300007

सीए प्रदीप कुमार मित्र CA Pradiip Kumar Mitra
साझेदार Partner
एम नं. : 052183 M. No : 052183

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(एस. के. बर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and
Managing Director
DIN- 08643406

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(सुब्रत सरकार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन- 8290021

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं.- एफ5627

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

1.क. सामान्य जानकारी

एमएसटीसी लिमिटेड ("कंपनी"), एक मिनीरत्न श्रेणी-I कंपनी है जो, 9 सितंबर, 1964 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित हुई थी। ये भारत में अधिवासित है एवं पंजीकृत कार्यालय 225सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 में स्थित है एवं शेयरों द्वारा परिसीमित है (सीआईएन L27320WB1964GOI026211)। प्रारंभिक जन प्रस्ताव के तहत एमएसटीसी लि. के इक्विटी शेयर 29 मार्च, 2019 से बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. दोनों में सूचीबद्ध एवं व्यापारित हैं। कंपनी व्यापारिक गतिविधियों, ई-कॉमर्स और फेरस और गैर-फेरस स्क्रेप, अधिशेष भंडार, खनिज, कृषि और वन उत्पादन आदि का निपटान करती है, जो ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के हैं। कंपनी की मुख्य गतिविधि दो संचालन प्रभागों में विभाजित की गई है, अर्थात् ई-कॉमर्स और ट्रेडिंग। ई-कॉमर्स डिवाइजन स्क्रेप, अधिशेष भंडार का निपटान खनिज, कृषि और वन उत्पादों की ई-बिक्री एवं ई-प्रोक्योरमेंट करता है। प्रधानों (प्रिंसिपल) की सूची में शामिल हैं रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि., भारत संचार निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. आदि। निपटान की पद्धति में शामिल है ई-नीलामी, ई-निविदा, ई-रिवर्स ऑक्शन आदि। साथ ही, एमएसटीसी कोल इंडिया लि., सिंगरेनी कोलफील्ड्स लि. आदि से कोयला भी ई-नीलामी करती है। इसके अलावा एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट समाधान भी प्रदान करती है। व्यापार प्रभाग आयात/निर्यात एवं मुख्यतया थोक औद्योगिक कच्ची सामग्रियों के घरेलू व्यापार का परिचालन करता है। यह भारतीय उद्योगों की आपूर्ति के लिए औद्योगिक कच्ची सामग्रियां यथा हेवी मेल्टिंग स्क्रेप, लो एंश मेटालर्जिकल कोक, एचआर क्वायल, क्रूड ऑयल, नैप्था, कोकिंग कोल, स्टीम कोल आदि के उपलब्धता स्रोत, क्रय एवं बिक्री को देखती है। कोयला/इस्पात उद्योग, तेल क्षेत्र, राज्य की स्वामित्ववाली विद्युत कंपनियाँ आदि अंतिम ग्राहक हैं।

इसके पास पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी, फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) है जिसका सीआईएन: U27102CT1989GOI005468 जो 28 मार्च, 1979 को निगमित हुई थी जिसका पंजीकृत कार्यालय छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। एफएसएनएल इस्पात संयंत्रों में लोहा एवं इस्पात बनाए जाने के दौरान उत्पन्न स्लैग एवं परित्यक्त से स्क्रेप को पुनः प्राप्त करने एवं प्रसंस्करण का कार्य करती है। ये ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ब्लास्ट फर्नेस का उत्खनन एवं ढुलाई, स्लैग यार्ड में स्टील मेल्टिंग शॉप स्लैग एवं लौह एवं इस्पात अवशेष, मिल के परित्यक्त का प्रक्रियाकरण एवं स्क्रेप के रखरखाव के लिए विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करती है। एफएसएनएल सिन्टर संयंत्र, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील मेल्टिंग शॉप एवं रेल बैलस्ट में प्रयोग किए जाने हेतु स्लैब की परत चढ़ाने, एलडी स्लैग को कुचलने एवं निरीक्षण की सेवा भी प्रदान करती है। यह स्लज कम्पार्टमेंट (पंक कक्ष) एवं राख के तालाबों से पंक एवं राख के जमाव को भी हटाती है। ये ओपन हार्थ मक डम्प में एंस्ड स्लज के संचालन एवं निष्प्रभावन का भी कार्यभार संभालते हैं।

1.ख. हाल के लेखांकन विकास

24 मार्च, 2021 को निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में परिवर्तन किया गया जिसके

Notes to Consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021

1.A. General Information

MSTC Limited (the "Company") is a Miniratna Category-I Company was incorporated under the Companies Act, 1956 on 9th September, 1964. It is domiciled in India, having registered office at 225C AJC Bose Road, Kolkata 700020 and limited by shares (CIN:L27320WB1964GOI026211). Pursuant to Initial Public Offer equity shares of MSTC Limited are listed and traded on both BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited w.e.f. 29th March, 2019. The Company undertakes trading activities, e-commerce and also disposal of ferrous and non-ferrous scrap, surplus stores, minerals, agri and forest produces etc. mostly from Public Sector Undertakings and Govt. Departments. The core activity of the Company has been divided into two Operational Divisions, i.e. e-Commerce and Trading. The e-Commerce division undertakes disposal of Scrap, surplus stores, e-sales of minerals, agri and forest produces, and e procurement. The list of Principals includes Ministry of Defence, State Governments, PSUs like Indian Oil Corporation Ltd., Oil and Natural Gas Corporation Ltd, Bharat Sanchar Nigam Ltd, Hindustan Petroleum Corporation Ltd. etc. The mode of disposal includes e-auction, e-tender, e-reverse auction etc. Besides, MSTC also e-auctions coal from Coal India Ltd, Singareni Coalfields Ltd etc. Apart from these MSTC also provides e-procurement solution. The trading division handles import/export and domestic trade of mainly bulk industrial raw material. It looks after sourcing, purchase and sales of industrial raw materials like Heavy Melting Scrap, Low Ash Metallurgical Coke, HR Coil, Crude Oil, Naptha, Coking Coal, Steam Coal etc. for supply to Indian industries. The end customers are Coal/Steel Industries, Oil sector, State owned Power Companies etc.

It is having wholly owned subsidiary company, Ferro Scrap Nigam Limited (FSNL) with CIN: U27102CT1989GOI005468, having registered office at Bhilai, Chattisgarh which was incorporated on 28th March 1979. FSNL undertakes the job of recovery and processing of scrap from slag and refuse generated during iron and steel making at Steel Plants. They offers specialised services for Dig and Haul of Blast Furnaces and Steel Melting Shop Slag at slag yards, processing of iron and steel skulls, Mill rejects and Maintenance scrap as per customer's requirement. FSNL also offers scarfing of slabs, crushing and screening of LD slag to be used in sinter plant, blast furnace, steel melting shop and rail ballast. It removes sludge and ash deposit from sludge compartments and ash ponds. They also handle and neutralise Acid Sludge in open Hearth Muck Dump.

1.B. RECENT ACCOUNTING DEVELOPEMENTS

On 24th March, 2021, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") through a notification, amended Schedule III of the Companies Act, 2013 revising Division I, II, and III of

जरिये अनुसूची III के प्रभाग I, II एवं III में संशोधन हुआ है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। संशोधन मुख्यता इनसे संबंधित है:

- क. तुलन पत्र में कुछ मदों के लिए वर्तमान प्रस्तुतीकरण आवश्यकता में परिवर्तन, उदाहरण के लिए पट्टा देयताएँ, प्रतिभूति जमा, दीर्घमियादी ऋणों की मौजूदा परिपक्वता, शेयर पूंजी पर पूर्वाधनुष का प्रभाव।
- ख. विशिष्ट प्रारूपों में अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकताओं के लिए व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, जारी पूंजी कार्य, अमूर्त परिसंपत्तियों, प्रमोटरों की शेयरधारिता आदि का समय विश्लेषण
- ग. यदि विशिष्ट प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य जरूरत के लिए निधि का उपयोग किया गया है, जिसके लिए इसने बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से उधार लिया है, का प्रकटीकरण।
- घ. अतिरिक्त नियामक सूचना, उदाहरण के लिए कंपनियों के स्तरों, अचल परिसंपत्तियों के स्वत्वाधिकार, वित्तीय अनुपातों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों आदि को ऋण एवं अग्रिम के संबंध में अनुपालन।
- ड. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), अधोषित आय और क्रिप्टो या आभासी मुद्रा के संबंध में प्रकटीकरण।

1. ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. ग) 1 (क). तैयारी के आधार

वित्तीय विवरण को कुछ संपत्ति और देनदारियों के अपवाद के साथ ऐतिहासिक लागत परम्परा के तहत तैयार किया गया है, जिन्हें इंड एसएस द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाना अपेक्षित है। समूह के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों ('इंड एसएस') और साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत सूचित नियमों के अनुपालन हेतु तैयार किये गए हैं।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाती है या मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही उस कीमत को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है या किसी मूल्यांकन तकनीक के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी परिसंपत्ति या दायित्व के उचित मूल्य के आकलन में, समूह परिसंपत्ति या देनदारी की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, अगर बाजार के प्रतिभागियों ने उन विशेषताओं को माप की तारीख में परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण में लिया है।

कार्यवाहक मुद्रा एवं प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में तैयार किए जाते हैं, जो कि समूह के सभी प्रचालनों के लिए इसकी कार्यवाहक मुद्रा है। भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचना निकटतम मिलियन में पूर्ण राशि में दी गई है, यदि अन्यथा उल्लेख नहीं है।

चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

समूह चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्ति एवं देनदारी प्रस्तुत करती है। सभी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को समूह के आम प्रचालन चक्र एवं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III और इंड एसएस 1- वित्तीय विवरणियों के प्रस्तुतीकरण में निर्धारित अन्य मानदंड के अनुसार चालू या गैर-चालू

schedule III. These amendments are applicable from April 1, 2021. The amendments primarily relate to:

- a. Change in existing presentation requirement for certain items in the Balance Sheet, for e.g. Lease liabilities, security deposits, current maturities of long term borrowings, effect of prior period error on share capital.
- b. Additional disclosure requirements in specified formats, for e.g. age analysis of trade receivables, trade payables, capital work in progress, intangible assets, share holding of promoters etc.
- c. Disclosure if funds have been utilised other than for the specific purpose for which it has borrowed from banks and financial institutions.
- d. Additional regulatory information for example compliance with layers of companies, title deed of immovable properties, financial ratios, loans and advances to key managerial persons, etc.
- e. Disclosures related to corporate social responsibility (CSR), undisclosed income and crypto or virtual currency.

1.C. Significant Accounting Policies

1.C.1 (a). Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention with the exception of certain assets and liabilities that are required to be measured at fair value at the end of each reporting period by Ind ASs. The financial statements of the Group have been prepared to comply with the Indian Accounting Standards ('Ind ASs'), including the rules notified under the relevant provisions of the Companies Act 2013.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

Functional Currency and Presentation Currency

The financial statements are prepared in Indian Rupees (₹) which is the Group's functional currency for all its operations. All financial information presented in Indian Rupees (₹) has been rounded to the nearest Million, unless otherwise stated.

Current and Non-Current Classification

The Group presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Group's normal operating cycle and other criteria set out in the schedule III to the Companies Act, 2013 and Ind AS 1 – 'Presentation of Financial Statements'.

के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन चक्र कार्य-प्रक्रिया हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं नकद और नकद समतुल्य में इनकी वसूली के बीच का समय है। समूह ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में बारह महीने चिह्नित किया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर-चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अनुमान एवं महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग

इंड एस के अनुसार खातों की तैयारी के लिए प्रबंधन को परिसंपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशि, लेखा की तारीख को आकस्मिक संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान आय एवं व्यय की रिपोर्ट राशि के प्रभाव का अनुमान एवं आकलन करना अपेक्षित है।

वास्तविक परिणाम उनके अनुमान से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों को नीचे लेखांकन नीतियों में वर्णित किया गया है। महत्वपूर्ण लेखांकन फैसले और समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन या अनिश्चितता के महत्वपूर्ण स्रोत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान परिसंपत्ति प्रावधान, आस्थगित कर, सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में उत्पन्न होते हैं। इनमें से प्रत्येक मद के लिए अंतर्निहित निर्णयों और अनुमानों की विधियों सहित विस्तृत लेखा नीतियां नीचे चर्चा की गई हैं। इन सभी महत्वपूर्ण कारकों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखा अनुमानों के लिए संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त है जिसमें अनुमान संशोधन किए गए हैं और किसी भी भविष्य की अवधि जो प्रभावित होती है।

1.ग.1 (ख). समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण एमएसटीसी लि. ("कंपनी") और इसकी सहायक कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लि. एवं संयुक्त उद्यम महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्रा. लि. से संबंधित है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं :

- क. कंपनी और इसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण इंटर-ग्रुप शेष राशि एवं इंटर-ग्रुप लेनदेन को संपूर्ण रूप से हटाने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय, व्यय एवं नकदी प्रवाह जैसे मदों को जोड़ते हुए रेखा दर रेखा आधार पर संयोजित किया गया है।
- ख. इंटर-ग्रुप लेनदेनों से उत्पन्न लाभ या हानि जो परिसंपत्तियों जैसे कि मालसूची एवं संपत्ति, संयंत्र व उपकरण में स्वीकृत हैं, को पूर्णतया हटा लिया गया है।
- ग. प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के मूल कंपनी के अंश एवं प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की वहन राशि को ऑफसेट (समाप्त) करना।
- घ. सहायक कंपनी में निवेश के निपटान से प्राप्त आमदनी और निपटान की तिथि को इसकी परिसंपत्तियों से देनदारियों को हटाने के बाद वहन राशि के बीच अंतर को सहायक कंपनी में निवेश के निपटान पर लाभ या हानि होने के कारण समेकित लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत दी गई है।
- ड. वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनियों के लाभ/हानि के गैर-नियंत्रणकारी ब्याज अंश की पहचान की जाती है एवं कंपनी के शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध आय पर निर्धारण हेतु समूह की आय के विरुद्ध समायोजन किया जाता है।

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents. The Group has identified twelve months as its operating cycle.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

Use of estimates and critical judgements

The preparation of accounts in accordance with Ind ASs requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the accounts and reported amounts of income and expenses during the period.

Actual results could differ from those estimates. The most significant techniques for estimation are described in the accounting policies below. Critical accounting judgments and the key sources of estimation or uncertainty in applying the Group's accounting policies arise in relation to property, plant and equipment, current asset provisions, deferred tax, retirement benefits. The detailed accounting policies, including underlying judgments and methods of estimations for each of these items are discussed below. All of these key factors are reviewed on a continuous basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which estimates are revised and any future periods affected.

1.C.1(b). Principles of consolidation

The consolidated financial statements relate to MSTC Ltd ('the Company') and its subsidiary company Ferro Scrap Nigam Ltd. and Joint Venture Mahindra MSTC Recycling Pvt Ltd. The consolidated financial statements have been prepared on the following basis:

- A. The financial statements of the Company and its subsidiary has been combined on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, equity, incomes, expenses and cash flows, after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions.
- B. Profits or losses resulting from intra-group transactions that are recognised in assets, such as inventory and property, plant and equipment, are eliminated in full.
- C. Offset (eliminate) the carrying amount of the parent's investment in each subsidiary and the parent's portion of equity of each subsidiary.
- D. The difference between the proceeds from disposal of investment in subsidiary and the carrying amount of its assets less liabilities as on the date of disposal is recognised in the Consolidated Statement of Profit and Loss being the profit or loss on disposal of investment in subsidiary.
- E. Non Controlling Interest's share of profit / loss of consolidated subsidiaries for the year is identified and adjusted against the income of the group in order to

च. समेकित सहायक कंपनी की शुद्ध परिसंपत्तियों के गैर-नियंत्रणकारी ब्याज अंश की पहचान की जाती है एवं कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं एवं इक्विटी से पृथक समेकित तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

छ. संयुक्त उद्यम में निवेश को इंड एस 28-सहयोगी एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश के अनुसार इक्विटी विधि के अंतर्गत खाते में लिया गया है।

इक्विटी विधि

इक्विटी विधि के अंतर्गत, निवेश को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है एवं इसके बाद लाभ या हानि में निवेशी के अधिग्रहण उपरांत लाभ या हानि के समूह के अंश एवं निवेशी की अन्य व्यापक आय के समूह के अंश की मान्यता हेतु समायोजित होती है। संयुक्त उद्यम से लाभांश निवेश की वहन राशि में घटाव के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

जब इक्विटी-परिकलित निवेश में समूह के हानि का अंश संस्था में उसके हित के समान या अधिक होता है, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घमियादी प्राप्य शामिल है, को समूह आगे की हानियों में मान्यता नहीं देती है, सिवाय इसके कि इसने दूसरी संस्था की ओर से कोई देयता व्यय किया है या भुगतान किया है।

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के बीच लेनदेनों पर वसूल नहीं हुए लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक हटा दिए जाते हैं। वसूल नहीं हुई हानि को भी हटा दिया जाता है, सिवाय इसके कि लेनदेन स्थानांतरित परिसंपत्ति की क्षीणता का साक्ष्य प्रदान करता है। इक्विटी परिकलित निवेशी की लेखांकन नीतियों को समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु जहाँ भी आवश्यक हो, बदलाव किए गए हैं।

इक्विटी परिकलित निवेश की वहन राशि की जाँच नीति के अनुसार क्षीणता के लिए की गई है।

1.ग.2. विदेशी मुद्रा रूपांतरण

समूह के वित्तीय विवरण को तैयार करते समय, कार्यात्मक मुद्रा को छोड़कर अन्य मुद्राओं में लेनदेन, लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा दर पर दर्ज की जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दरों पर पुनः रूपांतरित किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित, उचित मूल्य पर गैर-मौद्रिक मद इस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनः रूपांतरित होते हैं जिस पर उचित मूल्य का निर्धारण किया गया था। कोई भी गैर मौद्रिक मद जो किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत की शर्तों में मापे जाते हैं, का रूपांतरण नहीं किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटारे पर एवं मौद्रिक मदों के पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न मुद्रा अंतर अवधि के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में सम्मिलित किए गए हैं। उचित मूल्य पर लिए गए गैर-मौद्रिक मदों के पुनः रूपांतरण पर उत्पन्न मुद्रा अंतर अवधि के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में सम्मिलित हैं, जिसमें गैर-मौद्रिक मदों के पुनः

arrive at the net income attributable to shareholders of the Company.

F. Non Controlling Interest's share of net assets of consolidated subsidiary is identified and presented in the Consolidated Balance Sheet separate from liabilities and the equity of the Company's shareholders.

G. Investment in Joint Venture has been accounted under the equity method as per Ind AS 28 - Investments in Associates and Joint Ventures.

Equity method

Under the equity method, the investments are initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and the Group's share of other comprehensive income of the investee. Dividends from joint venture are recognised as a reduction in the carrying amount of the investment.

When the Group's share of losses in an equity-accounted investment equals or exceeds its interest in the entity, including any other unsecured long-term receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the other entity.

Unrealised gains on transactions between the Company and its joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in these entities. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of equity accounted investees have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

The carrying amount of equity accounted investments is tested for impairment in accordance with the policy.

1.C.2. Foreign currency translation

In preparing the financial statements of the Group, transactions in currencies other than the functional currency are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the end of the reporting period. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing on the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not translated.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items, and on retranslation of monetary items are included in the Statement of Profit and Loss for the period. Exchange differences arising on retranslation on non-monetary items carried at fair value are included in statement of profit and

रूपांतरण पर उत्पन्न अंतर शामिल नहीं है जिसके लिए लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया जाता है।

जहाँ कहीं भी, ग्राहकों को उनके साथ अनुबंध के अनुसार विदेशी मुद्रा की अस्थिरता वहन करनी पड़ती है, समूह की बहियों में विदेशी मुद्रा लाभ/हानि की स्वीकृति नहीं दी गई है।

1.ग 3 (क). संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है यदि यह संभव है कि मद के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह के पास आएंगे और इसकी लागत को विश्वास से मापा जा सकता है। यह मान्यता सिद्धांत संपत्ति, संयंत्र, और उपकरणों के मद को प्राप्त करने के लिए शुरू में किए गए खर्चों के लिए लागू किया जाता है और बाद में खर्च किए गए खर्चों को भी शामिल करने, किसी अंश को बदलने या सेवा देने के लिए किया जाता है। नियमित सर्विसिंग सहित सभी अन्य मरम्मत और रखरखाव लागत, लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत है। जब कोई प्रतिस्थापन होता है, तो प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि को मान्यता नहीं दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण संचित मूल्य हास एवं क्षीनता हानि को घटाकर लागत पर व्यक्त किये जाते हैं। लागत में सभी प्रत्यक्ष लागत एवं व्यय शामिल हैं जो संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यकारी स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिए खर्च किए जाते हैं।

किसी परिसंपत्ति के निपटान पर होने वाले लाभ या हानि को बिक्री आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में शामिल हैं खुले संयंत्र और औजार जो कि उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन और अनुमानित स्क्रेप मूल्य और साथ ही स्पेयर से संबंधित बट्टे राशि को निकालकर लागत पर बताए गए हैं, जिसके विरुद्ध जहाँ भी आवश्यक है क्षति प्रावधान दिए गए हैं, ताकि धीमी गति वाले एवं अप्रचलित मदों को उपलब्ध किया जा सके।

भूमि से अनंत आर्थिक जीवन प्राप्त होता है। कंपनी इसके कुछ हिस्से के जीवनकाल को प्रतिबंधित वर्षों के लिए पट्टे पर देते हुए इसका आनंद उठा सकती है। अग्रिम में प्रदत्त पट्टे वाले भाड़े को पट्टा अवधि को दौरान परिशोधन किया गया है।

चालू पूँजी कार्य को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है एवं इसमें मार्गस्थ उपकरण और स्थायी परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग तिथि को उनके अभिष्ट के लिए तैयार नहीं हैं।

सहयोगी कंपनी के मामले में “गैर-चालू परिसंपत्ति” के अंतर्गत “बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ” अपनी वहन राशि पर निरंतर प्रयोग की बजाय मुख्यतया बिक्री लेनदेन से वसूली जाएगी एवं बिक्री को उच्च सम्भाव्य माना गया है। परिसंपत्ति जैसे कि आस्थगित कर संपत्ति, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न संपत्ति, वित्तीय संपत्ति को छोड़कर ये अपनी वहन राशि और बिक्री मूल्य को घटाकर उचित मूल्य के निचले हिस्से में मापे जाते हैं जो कि विशेष रूप से इस आवश्यकता से मुक्त हैं। इसके अलावा, जहाँ प्रबंधन को अपेक्षित है कि उक्त परिसंपत्तियों का कोई भी हिस्सा तुलन पत्र की तिथि को एक वर्ष के अंदर संभवतः निपटारा जाएगा, तो इन्हें चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

loss for the period except for differences arising on the retranslation of non-monetary items in respect of which gains and losses are recognised directly in other comprehensive income.

Wherever foreign exchange fluctuations are to be borne by the customers as per agreement with them, foreign exchange gain/ loss are not recognised in the books of the Group.

1.C.3 (a). Property, plant and equipment

An item of property, plant and equipment is recognised as an asset if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and its cost can be measured reliably. This recognition principle is applied to the costs incurred initially to acquire an item of property, plant and equipment and also to costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service it. All other repair and maintenance costs, including regular servicing, are recognised in the Statement of Profit and Loss as incurred. When a replacement occurs, the carrying amount of the replaced part is derecognised.

Property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses. Cost includes all direct costs and expenditures incurred to bring the asset to its working condition and location for its intended use.

The gain or loss arising on disposal of an asset is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset, and is recognised in the Statement of Profit and Loss.

Included in property, plant and equipment are loose plant and tools which are stated at cost less amounts written off related to their expected useful lives and estimated scrap value and also spares, against which impairment provisions are made where necessary to cover slow moving and obsolete items.

Land has an indefinite economic life. The Company can enjoy the part of the life restricted to years of lease. The lease rent paid in advance is being amortised over the period of lease.

Capital work-in-progress is valued at cost and includes equipment in transit and the cost of fixed assets that are not ready for their intended use at the reporting date.

In case of subsidiary, “Assets classified as held for sale” is under “Non-current Asset” at their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction, rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. They are measured at the lower of their carrying amount and fair value less cost to sell, except for asset such as Deferred Tax Asset, Assets arising from employee benefits, Financial Assets which are specifically exempt from this requirement. Further, where the management expects that any part of said assets is likely to be disposed off within one year on the Balance Sheet date, the same are classified as current assets.

सहायोगी कंपनी के मामले में “बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ” अपने शुद्ध पुनरांकित मूल्य पर “गैर-चालू परिसंपत्ति” के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं, क्योंकि ये परिसंपत्तियाँ आम सतत प्रचालनों से पहले ही अवकाश ले चुकी हैं एवं केवल बिक्री/नीलामी के लिए रखी गई हैं।

सहायक कंपनी के मामले में “बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ” तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से पृथक रूप में प्रस्तुत की गई हैं। बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत देयताएँ तुलन पत्र में अन्य देयताओं से पृथक रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

1.ग. 3 (ख). संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास

मूल्यहास को सीधी रेखा पर बट्टा खाता के रूप में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के अवशिष्ट मूल्य पर प्रावधान किया जाता है। यह प्रभार संपत्ति की तारीख से प्रारम्भ किये जाते हैं, जब से इच्छित उपयोग के लिए उपलब्ध होती है तथा उनके अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन पर लिया जाता है। सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है एवं जब आवश्यकता होती है, संशोधन किया जाता है। उन सम्पत्तियों के संबंध में आगे कोई प्रभार नहीं दिया जाता है जो पूर्णतया अवलेखित हो चुकी है, परन्तु अभी भी उपयोग में है।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास संपत्ति के अभीष्ट उपयोग के लिए प्रस्तुत होने पर शुरू होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत को उनके उपयोगी जीवनकाल पर आबंटित करने हेतु उनके अवशिष्ट मूल्यों को छोड़कर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

प्रमुख श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अपेक्षित उपयोगी जीवन :

परिसंपत्ति का प्रकार	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्ष)
कार्यालय उपकरण	5
वाहन	8
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10
पार्टिशन एवं क्यूबिकल्स	10
बिल्डिंग	60
एयर कंडिशनर्स	10
कम्प्यूटर्स	3
सर्वर्स	6
हॉट स्लैग संचालन के लिए प्रयुक्त एक्सकैवेटर 1.2 से 5 घन मी.	5
डोजर	7
हॉट स्लैग संचालन के लिए प्रयुक्त नहीं हुए एक्सकैवेटर 1.2 से 5 घन मी.	7
क्रेन	15
मैग्नेटिक सेपरेटर	15
उपर्युक्त परिसंपत्तियों को छोड़कर “प्लांट एवं मशीनरी” के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियाँ	9.19
सौर संयंत्र	10
पाँच हजार रुपये से कम मूल्यवाली परिसंपत्तियाँ	100 %

In case of subsidiary, “Assets classified as held for sale” is classified under “Non-current Asset” at their net written down value since these assets have already been retired from normal continuing operations and is held only for sale/ auction.

In case of subsidiary, “Assets classified as held for sale” are presented separately from the other assets in the balance sheet. The liabilities classified as held for sale are presented separately from the other liabilities in the balance sheet.

1.C.3(b). Depreciation of property, plant and equipment

Depreciation is provided so as to write off, on a straight-line basis, the cost of property, plant and equipment to their residual value. These charges are commenced from the date the assets are available for their intended use and are spread over their estimated useful economic lives. The estimated useful lives of assets and residual values are reviewed regularly and, when necessary, revised. No further charge is provided in respect of assets that are fully written down but are still in use.

Depreciation on assets under construction commences only when the assets are ready for their intended use.

Depreciation is provided to allocate the costs of property, plant and equipment, net of their residual values, over their useful life as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

The estimated useful lives for the main categories of property, plant and equipment are:

Type of Asset	Estimated Useful life(Years)
Office Equipment	5
Vehicles	8
Furniture and Fixtures	10
Partition and Cubicles	10
Building	60
Air Conditioners	10
Computers	3
Servers	6
Excavators 1.2 to 5 Cum used for Hot Slag handling	5
Dozer	7
Excavators 1.2 to 5 Cum Not used for Hot Slag handling	7
Cranes	15
Magnetic Separators	15
All assets under “Plant and Machinery” except assets mentioned above	9.19
Solar Plant	10
Assets with value less than Rupees Five Thousand	100 %

निर्माण के क्रम में चल रही परिसंपत्तियाँ चल रहे पूंजी कार्य में शामिल की गई हैं एवं कोई स्वीकृत क्षीणता हानि को छोड़कर लागत पर वहन की गई है। ऐसे चल रहे पूंजी कार्य को पूरा होने पर, परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में अंतरित किया गया है।

1.ग.3 (ग). अमूर्त संपत्तियाँ

सीमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्तियाँ जो अलग-अलग अधिगृहित की गई हैं, उन्हें संचित परिशोधन एवं संचित क्षीणता हानि को घटाकर लागत पर लिया जाता है। परिशोधन को अपने अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है। अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन विधि को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है, जिसमें किसी भावी आधार पर, अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को लिया जाता है।

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 6 वर्ष के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है (बिना किसी अवशिष्ट मूल्य के)।

अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर गैर-स्वीकृति दी जाती है, या जब उपयोग या निपटान पर कोई भावी आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं रहता है। इसके अलावा, प्रबंधन अनुमान लगाती है कि अमूर्त परिसंपत्ति का उसके उपयोगी जीवनकाल के अंत में शून्य वहन लागत है अर्थात् शून्य अवशिष्ट मूल्य है।

पृथक रूप से अर्जित सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के रूप में पूंजीकृत किया गया है। इनकी लाइसेंस अवधि में इनका परिशोधन किया गया है। अनवरत लाइसेंस के मामले में, लागत को पाँच वर्षों की अवधि पर परिशोधित किया गया है।

1.ग.4. गैर वित्तीय संपत्तियों की क्षीणता

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, समूह सुनिश्चित करने के लिए संपत्तियों, संयंत्र एवं उपकरणों की तथा अमूर्त संपत्तियों की वहन कीमत की समीक्षा करती है, क्या उन संपत्तियों की वहन कीमत निरंतर उपयोग के जरिए वसूलीयोग्य नहीं हो सकती है, का कोई संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो सम्पत्ति की वसूलीयोग्य कीमत की क्षीणता हानि (यदि कोई है) के निर्धारण हेतु समीक्षा की जाती है। जहाँ सम्पत्ति से नगद प्रभाव की सृष्टि नहीं होती है जो अन्य सम्पत्ति से स्वतंत्र है, समूह नगद सृष्टिकारी इकाई जिससे सम्पत्ति का संबंध है, की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। अनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति की क्षीणता वार्षिक रूप से जांच की जाती है एवं जहाँ उसका कोई संकेत मिलता है, संपत्ति क्षीणता को प्राप्त कर सकती है।

वसूलीयोग्य राशि बिक्री मूल्य को घटाकर प्राप्त उचित मूल्य एवं उपयोग मूल्य में से अधिक वाली राशि होती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य से पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है, जो राशि के समय मूल्य के चालू बाजार आकलन एवं संपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को प्रतिबिंबित करती है जिसके लिए भावी नकद प्रवाह के अनुमान का समायोजन नहीं किया गया है। क्षीणता हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब संपत्ति की वहन कीमत वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

जब कोई क्षीणता हानि तत्पश्चात व्युत्क्रमित होती है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकद सृजन इकाई) अपनी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान में बढ़ती है, पर इतना कि वर्धित वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो, जो निर्धारित किया

Assets in the course of construction are included under capital work in progress and are carried at cost, less any recognized impairment loss. Such capital work-in-progress, on completion, is transferred to the appropriate category of property, plant and equipment.

1.C.3 (c). Intangible Assets

Intangible assets with finite useful lives that are acquired separately are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Amortization is recognised on a straight-line basis over their estimated useful lives. The estimated useful life and amortization method are reviewed at the end of each reporting period, with the effect of any changes in estimate being accounted for on a prospective basis.

Computer software is amortised over its estimated useful life of 6 years (without any residual value) on a straight line basis.

An intangible asset is de-recognised on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Further, the management estimates that the intangible assets are having zero carrying cost at the end of its useful life i.e. zero residual value.

Softwares acquired separately are capitalised as software. These are amortized over a period of their license. In case of perpetual licences the cost is amortized over a period of five years.

1.C.4. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of its property, plant and equipment and intangible assets to determine whether there is any indication that the carrying amount of those assets may not be recoverable through continuing use. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is reviewed in order to determine the extent of impairment loss (if any). Where the asset does not generate cash flows that are independent from other assets, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. Intangible assets with an indefinite useful life are tested for impairment annually and whenever there is an indication, the asset may be impaired.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted. An impairment loss is recognised in the Statement of Profit and Loss as and when the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount,

गया होता, अगर पूर्व के वर्षों में क्षीणता हानि परिसंपत्ति (या नकद सृजन इकाई) के लिए स्वीकृति नहीं दी गई होती। क्षीणता हानि की विपरीत स्थिति को तुरंत लाभ या हानि में स्वीकृति दी जाती है।

1.ग.5. सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश

सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश लागत पर किया जाता है। जहाँ नुकसान का संकेत दिखता है, निवेश की धारित राशि का आकलन किया जाता है एवं तुरंत उसे वसूलीयोग्य राशि में लिख लिया जाता है। सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश के निपटान पर शुद्ध निपटान प्रक्रिया एवं धारित राशि के बीच का अंतर लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

1.ग.6. वित्तीय लेखपत्र

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह लेखपत्र के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाता है। वित्तीय संपत्तियाँ एवं दायित्व प्रारम्भ में उचित मूल्य में मापे जाते हैं। लेनदेन की लागतें जो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय संपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों के लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के अलावा) के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोपित हैं, उन्हें वित्तीय संपत्तियों या वित्तीय दायित्वों के प्रारम्भिक मान्यता पर मापे गए निष्पक्ष मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

I. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को तदुपरांत परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल के रूप में रखी जाती हैं जिनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाह को एकत्रित करने के लिए इन संपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह को बढ़ाती हैं जो मूलतः बकाया मूलधन एवं इस मूलधन पर ब्याज के भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के पश्चात, ऐसी वित्तीय संपत्तियाँ तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के प्रयोग द्वारा परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं।

प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय साधन की परिशोधित लागत के निर्धारण एवं संबंधित अवधि पर ब्याज आय या व्यय के आबंटन की विधि है। प्रभावी ब्याज वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या जहाँ उपयुक्त हो, कम अवधि के माध्यम से ठीक उतनी ही भावी नकद प्राप्ति या भुगतान की छूट देती है।

II. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल के रूप में रखी जाती हैं जिनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाह को एकत्रित करने या इन वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए इन संपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों को नकद प्रवाह को बढ़ाती हैं जो मूलतः बकाया मूलधन एवं इस मूलधन पर ब्याज के भुगतान हैं।

but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised in profit or loss immediately.

1.C.5. Investment in Subsidiaries and Joint venture

Investment in subsidiary and Joint venture are carried at cost. Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the investment is assessed and written down immediately to its recoverable amount. On disposal of investments in subsidiary and joint venture, the difference between net disposal proceeds and carrying amounts are recognised in Statement of Profit and Loss.

1.C.6. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets and liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in the Statement of Profit and Loss.

a) Financial assets

I. Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business model whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts future cash receipts or payments through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period.

II. Financial assets measured at fair value through Other comprehensive income

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business model whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows or to sell

इन मानदंडों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्रारंभ में उचित मूल्य और साथ में लेनदेन लागत पर मापी जाती हैं। ये तदुपरांत अन्य व्यापक आय में स्वीकृत पुनःमापन पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। तथापि, ब्याज आय, हानियाँ एवं उत्क्रमण तथा विदेशी मुद्रा लाभ एवं हानि की स्वीकृत लाभ एवं हानि विवरण में दी जाती है।

III. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य में नहीं मापी गई परिसंपत्ति लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ली जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति की क्षीणता

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्ते को अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृत दी जाती है।

जीवनभर के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर हानि भत्ते को तब स्वीकृत दी जाती है जब वित्तीय साधनों पर क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक स्वीकृति से उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय साधन जिनके क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक स्वीकृति से उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़े हैं, तो बारह महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर हानि भत्ते को स्वीकृत दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यता

समूह किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब स्वीकृति नहीं देता है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंधित अधिकार खत्म हो जाते हैं या वित्तीय संपत्ति और साथ ही परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से किसी दूसरी संस्था को स्थानांतरित करता है। यदि समूह पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिम एवं पुरस्कार को न तो स्थानांतरित करता है और न ही बरकरार रखता है एवं हस्तांतरित परिसंपत्ति का नियंत्रण जारी रखता है, तब समूह परिसंपत्तियों में बरकरार रखे अपने हित एवं उस राशि के लिए किसी संबंधित देनदारी जिसका भुगतान करना पड़ सकता है, को स्वीकृति देता है। यदि समूह किसी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखता है, तो समूह वित्तीय परिसंपत्ति की स्वीकृति जारी रखता है एवं प्राप्त कार्यवाहियों के सहवर्तित उधारी को भी स्वीकृति देता है।

ख) वित्तीय देनदारियों एवं इक्विटी लेखपत्र

वर्गीकरण

समूह द्वारा जारी वित्तीय देनदारियों एवं इक्विटी साधनों को निष्पादित अनुबंधित व्यवस्थाओं के सार एवं किसी वित्तीय देनदारी एवं इक्विटी साधन की परिभाषाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी लेखपत्र

इक्विटी साधन एक संविदा है जो सभी देनदारियों को घटाने के बाद समूह की परिसंपत्तियों में अवशिष्ट ब्याज का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इक्विटी लेनदेन की लेनदेन लागत को इक्विटी से घटाव रूप में खाते में लिया जाता है।

these financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets meeting these criteria are measured initially at fair value plus transaction costs. They are subsequently measured at fair value with any gains or losses arising on remeasurement recognised in other comprehensive income. However, the interest income, losses & reversals, and foreign exchange gains and losses are recognised in the Statement of Profit and Loss.

III. Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial asset not measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income is carried at fair value through profit or loss.

Impairment of financial assets

Loss allowance for expected credit losses is recognised for financial assets measured at amortised cost and fair value through other comprehensive income.

Loss allowance equal to the lifetime expected credit losses is recognised if the credit risk on the financial instruments has significantly increased since initial recognition. For financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition, loss allowance equal to twelve months expected credit losses is recognised.

Derecognition of financial assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the assets and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing of the proceeds received.

b) Financial liabilities and equity instruments

Classification

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Transaction costs of an equity transaction are being accounted as a deduction from equity.

वित्तीय देनदारियाँ

समूह की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देय तथा उधारी और साथ ही बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जिन्हें प्रारंभ में निवल लेनदेन मूल्य, उचित मूल्य पर मापा जाता है एवं तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की गैर-मान्यता

समूह वित्तीय देनदारियों को केवल तब गैर-मान्यता देता है, जब समूह के दायित्व पूरे हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं या वे समाप्त हो जाते हैं।

वित्तीय लेखपत्रों की क्षतिपूर्ति या समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ उस समय क्षतिपूरित हो उठती हैं एवं शुद्ध राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती हैं, जब स्वीकृत राशियों की क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी तौर पर लागू योग्य कोई अधिकार है एवं शुद्ध आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति को प्राप्त करने एवं देनदारी निपटाने की कोई इच्छा है। कानूनी तौर पर लागू योग्य अधिकार भावी गतिविधियों पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यवसाय के सामान्य प्रचालन और प्रतिपक्ष की चूक, दिवालियापन, दिवाला की स्थिति में निश्चित रूप से लागू योग्य हो।

1.ग.7. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद प्रवाह के विवरण में प्रस्तुत करने के प्रयोजन से नकद और नकद समतुल्य में हाथ में नकद, तीन महीने की मूल या उससे कम परिपक्वता वाले उच्च रूप से तरल निवेश जो ज्ञात नकद राशि में तुरंत परिवर्तन योग्य हैं, बैंक में नकद एवं बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं और जो मूल्य में गैर-उल्लेखनीय परिवर्तन जोखिम के अधीन हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलनपत्र में चालू देनदारियों में उधारी के अंदर दिखाया गया है।

1.ग.8. माल सूची

मार्गस्थ सामग्री समेत व्यापारित स्टॉक लागत पर या अनुमानित शुद्ध वसूलीयोग्य लागत, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित होती है।

सहायक कंपनी के मामले में,

- (i) अचल मालसूचियों को छोड़कर अन्य मालसूची अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, की लागत पर मूल्यांकित होती है। इस लागत में क्रय लागत एवं अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल है, मगर ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क छोड़कर है, जिसके लिए सेनवैट ऋण नियम 2004 के नियम 3(1) के अनुसार कंपनी सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने के योग्य है।
- (ii) मालसूची की वो मदें जो तीन से अधिक वर्षों के लिए हटायी नहीं गई हैं, को गैर-चल मालसूची माना जाता है। गैर-चल मालसूची को वर्ष 2001-02 से प्रत्येक वर्ष लागत पर दस प्रतिशत घटाते हुए मूल्यांकित किया जाता है।
- (iii) स्क्रेप युक्त/अनावश्यक स्टोर्स की मदें अनुमानित शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, की लागत पर मूल्यांकित होती है।

1.ग.9. राजस्व की मान्यता

किसी उपभोक्ता को वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थानांतरण बाबत निष्पादन देयता की संतुष्टि पर राजस्व की स्वीकृति दी गयी है।

Financial Liabilities

The Group's financial liabilities include Trade and other payables and borrowings including bank overdrafts are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or they expire.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the Balance Sheet when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the counterparty.

1.C.7. Cash and cash equivalents

For the purpose of presentation in the statement of cash flows, cash and cash equivalent includes cash on hand, highly liquid investments with original maturities of three months or less that are readily convertible to known amounts of cash, cash at bank, and bank overdraft and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet.

1.C.8. Inventories

Stock in trade including material-in-transit is valued at cost or estimated net realisable value whichever is less.

In case of subsidiary:

- (i) Inventories other than non-moving inventories are valued at cost or estimated net realizable value whichever is less. The cost includes purchase cost and other direct expenses but exclude excise duty on such goods where the company is eligible to take cenvat credit in accordance with rule 3(1) of the Cenvat Credit Rules 2004.
- (ii) The inventory items, which have not moved for more than three years, are considered as non-moving inventories. Non-moving inventories are valued at cost reduced by ten percent of cost every year from the year 2001-02.
- (iii) The scrapped/redundant stores items are valued at cost or estimated net realizable value whichever is lower.

1.C.9. Revenue recognition

Revenue is recognized when the performance obligation towards transfer of goods and services to a customer is satisfied.

प्राप्त हुए या प्राप्य विवेचना के उचित मूल्य पर राजस्व को मापा जाता है एवं उपचय आधार पर स्वीकार किया जाता है।

प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके उपचय आधार पर ब्याज आय की रिपोर्ट की गई है।

बिक्री

- उच्च समुद्री बिक्री (हाई सी सेल्स) की बुकिंग हाई सी सेल पत्र जारी करने की तिथि के आधार पर की जाती है। मूल्य के संबंध में, बिक्री यदि बुक की गई हो, तो अनुबंधित फारवर्ड मुद्रों दरों पर या फिर प्रावधानिक रूप से वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को प्रचलित एफईडीआई स्पॉट मुद्रा दरों के आधार पर की जाती है, जहाँ फारवर्ड कवर नहीं लिया गया था, जिसमें सी एवं एफ/सीआईएफ मूल्य, मियादी ब्याज, तदुपरांत वित्तीय वर्ष में भुगतान की नियत तिथि को अंतिम समायोजन शामिल है।
- स्वदेशी सामग्रियों के मामले में, परिवहन दस्तावेजों की तिथि के आधार पर एवं मूल्य के संबंध में चालान के मूल्य के आधार पर बिक्री को हिसाब में लिया जाता है। दरवाजे पर डिलीवरी के आधार पर की गई बिक्री के मामले में बिक्री बिल की तिथि पर बुक की जाती है।
- निर्यात के मामले में, शिपमेंट की तारीख के आधार पर बिक्री को हिसाब में लिया जाता है। मूल्य के संबंध में, बिक्री अनुबंधित फॉरवर्ड विनिमय दरों पर बुक किए जाने पर या सीमा शुल्क अनुमत दस्तावेज के अनुसार शिपमेंट की तारीख को एफईडीआई दर पर बुक की जाती है जिसके बाद निर्यात की प्राप्ति की वास्तविक वसूली पर अंतिम समायोजन किया जाता है।

सेवा प्रभार :

सरलीकरण पद्धति (फेसिलिटेटर मोड) के माध्यम से विपणन विभाग में लेनदेन हेतु एवं नीलामी, निविदाओं या किसी अन्य साधन द्वारा प्रिन्सिपल की ओर से विक्रय/क्रय के संचालन हेतु पारिश्रमिक को सेवा प्रभार के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

क) निम्नलिखित पर सेवा प्रभार को अनुबंधित दरों पर आय के रूप में खाते में लिया जाता है :

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा एवं अन्य सरकारी विभागों की ओर से बिक्री आदेश/सुपुर्दगी आदेश के जारी करने पर निविदा/ऑक्शन बिक्री।
- ई-बिक्री को संतोषजनक पूरा करने पर।
(i) एवं (ii) के संबंध में, सेवा प्रभार प्रिन्सिपल द्वारा वास्तविक सुपुर्दगी के आधार पर समायोजन के साथ, यदि कोई है, नीलामी की बोली मूल्य पर लिया जाता है, यदि सेवा प्रभार प्रतिशत आधार पर भुगतानयोग्य है।
- गतिविधि के आधार पर सेवा ठेका के मामले में, गतिविधि के घटने पर।
- ई-प्रोक्योरमेंट के मामले में सेवा प्रभार तब बुक किया जाता है, जहाँ सेवा प्रभार गतिविधि की समाप्ति पर प्रिन्सिपल से संग्रह योग्य है।

(ख) बोलीदाताओं से एकत्रित ई-प्रोक्योरमेंट लेनदेन शुल्क गतिविधि के सफलतापूर्वक संचालित होने पर हिसाब में लिया जाता है।

Revenue is measured at the fair value of consideration received or receivable and recognised on accrual basis.

Interest Income is reported on an accrual basis using the effective interest method.

Sales

- High sea sales are booked on the basis of date of issuance of high sea sale letter. As regards value, sales are booked either at contracted forward exchange rates, if booked, or provisionally on the basis of FEDAI spot exchange rates prevailing on the last date of the financial year, where forward cover was not taken, which includes C&F / CIF price, usance interest followed by final adjustment on due date of payment in subsequent financial year.
- In case of indigenous material, sales are accounted for on the basis of date of transport documents and as regards value, based on the value of invoices. In case of sale on door delivery basis sales are booked on sales invoice dates.
- In case of export, sales are accounted for on the basis of date of shipment. As regards value, sales are booked either at contracted forward exchange rates, if booked, or at the FEDAI rate on the date of shipment as per custom clearance document, followed by final adjustment on actual realisation of export proceeds.

Service Charges

Remuneration for transaction in Marketing Department through facilitator mode and for conducting sales/procurement on behalf of Principals, by way of auctions, tenders, or any other means, are accounted for as service charges.

(a) Service charges are accounted for as income at contracted rates on:

- Tender/Auction sale on behalf of Public Sector Undertakings, Defence and other Government Departments on issuance of sale orders / delivery orders.
- On satisfactory completion of e-sales.
In respect of (i) & (ii), service charges are accounted for on bid price of auction with adjustments, if any, on the basis of actual delivery by the Principals, in case service charges are payable on percentage basis.
- On occurrence of event, in case of service contract on event basis.
- In case of E-Procurement Service charges are booked, where service charges are collectable from the Principal, on completion of event.

(b) E Procurement transaction fees collected from bidders are accounted on successful conduct of event.

(ग) सुगमकर्ता के रूप में क्रय के संबंध में प्रोद्भूत सेवा प्रभार बिल ऑफ लैडिंग/रेलवे रसीद/लॉरी रसीद जैसे भी मामले हो, की तारीख के आधार पर संविदागत दर पर खाते में लिया जाता है। आयातीत सामग्रियों हेतु, वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को प्रचलित फॉरवर्ड कवर रेट पर या एफईडीआई स्पॉट दर पर मूल्य सुनिश्चित किया जाता है। वास्तविक भुगतान पर अंतिम समायोजन किया जाता है। स्वदेशी सामग्रियों में मूल्य ठेकागत दर में वास्तविक भुगतान के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

(घ) सहायक कंपनी के मामले में, सेवा प्रभार स्क्रेप एवं अन्य मदों के प्रक्रियाकरण, गोदाम प्रबंधन के लिए अभिरक्षक सेवा एवं संबंधित इस्पात संयंत्रों एवं अन्य पक्षों के साथ रजामंद/प्रस्तावित दरों पर कंपनी द्वारा निष्पादित संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में सेवा हेतु अर्जित आय को प्रस्तुत करता है।

ई-नीलामी पंजीयन

विक्रेताओं से संग्रहित ई-नीलामी पंजीयन शुल्क चालू वर्ष के आय के रूप में विचार किया जाता है, यदि पंजीयन की वैधता एक वर्ष तक है। जीवन भर के पंजीयन के मामले में संग्रहित राशि पांच वर्षों में समान रूप से वितरित की जाती है।

अन्य आय

निम्नलिखित मदों को छोड़कर उपचय आधार पर राजस्व स्वीकार किया जाता है जो वास्तविक वसूली पर लेखाकृत किया जाता है, चूंकि ऐसी सामग्रियों की वसूली क्षमता लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार अनिश्चित है:

- निष्पादन/विवादास्पद बकाये एवं उस पर ब्याज यदि कोई है, हेतु विचाराधीन निर्णय।
- अतिदेय वसूली योग्य पर ब्याज जहाँ वसूली क्षमता अनिश्चित है।
- अपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों पर निर्णीत हर्जाना।
- आयकर/बिक्री कर/वैट की पुनःप्राप्ति एवं इस पर ब्याज।
- लाभांश आय की स्वीकृति दी जाती है जब भुगतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है।

क्रय

- आयातित सामग्रियों को बिल ऑफ लैडिंग (लदान पत्र) की तिथि के आधार पर क्रय के रूप में खाते में लिया जाता है। मूल्य के संबंध में, क्रय को वास्तविक धन प्रेषण के आधार पर बुक किया जाता है एवं जहाँ ऐसे प्रेषण वर्ष की समाप्ति पर बकाया रहते हैं, तब बुक किए जाने पर, अनुबंधित फॉरवर्ड विनिमय दरों या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को प्रचलित एफईडीआई स्पॉट विनिमय दरों पर, यदि फारवर्ड कवर नहीं लिया गया है, जैसे मामले हो, के आधार पर क्रय को बुक किया जाता है। क्रय मूल्य में, सामग्री मूल्य के भाड़े, बीमा आदि एवं मियादी ब्याज और तत्पश्चात तदुपरांत वित्तीय वर्ष में वास्तविक भुगतान पर अंतिम समायोजन शामिल है।
- देशी सामग्रियों के मामले में, क्रय को परिवहन कागजातों के आधार पर एवं मूल्य के संबंध में बिलों के मूल्य के आधार पर बुक किया जाता है।

1.ग.10. उधार-लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य

(c) Service charges accrued in respect of purchase as facilitator are accounted for at the contracted rate on the basis of date of bill of lading / railway receipt / lorry receipt as the case may be. For imported materials, value is ascertained either at forward cover rate or at FEDAI spot rate prevailing on the last date of the Financial Year. Final adjustment is made on actual payment. In case of indigenous materials, value is ascertained on the basis of actual payment at contracted rate.

(d) In case of subsidiary, service charges represent the income earned for processing of scrap and other items, custodian services for warehouse management and service related to valuation of assets done by the company at the rates agreed with/offered to the respective Steel Plants and other parties.

E-Auction Registration

E-auction Registration fees collected from buyers is considered as income of the current year if the validity of registration is upto one year. In case of life long registration, the amount so collected is distributed in five years equally.

Other Income

Revenue is recognised on accrual basis except in the following items which are accounted on actual realization since realisability of such items is uncertain in accordance with the provisions of the accounting standards:

- Decrees pending for execution/contested dues and interest thereon, if any.
- Interest on overdue recoverables where realisability is uncertain.
- Liquidated damages on suppliers or contractors.
- Refund of Income-Tax/Sales Tax/VAT and interest thereon.
- Dividend income is recognised when right to receive payment is established

Purchases

- Imported materials are accounted for as purchase on the basis of date of bill of lading. As regards value, purchase are booked on the basis of actual remittance and where such remittance are outstanding at the close of the year, on the basis of contracted forward exchange rates, if booked, or FEDAI spot exchange rates prevailing on the last date of the financial year, in case forward cover is not taken, as the case may be. Purchase value includes material value freight, insurance etc. and usance interest followed by final adjustments on actual payment in subsequent financial year.
- In case of indigenous materials, purchases are booked on the basis of transport documents and as regards value, based on the value of invoices.

1.C.10. Borrowing cost

Borrowing costs directly attributable to the acquisition,

उधारी लागत, जो ऐसी परिसंपत्ति है जो अपने अभीष्ट उपयोग या विक्रय के लिए तैयार होने में पर्याप्त रूप से समय लेती है, को उनके अभीष्ट उपयोग या विक्रय के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने की अवधि तक इन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

विशिष्ट उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित अन्य आय जो अर्हक परिसंपत्तियों पर अपने व्यय को लम्बित करती है, पूँजीकरण के लिए योग्य उधारी लागत से घटाई जाती है।

सभी अन्य उधारी लागत को उस अवधि में लाभ या हानि में स्वीकृति दी जाती है, जिनमें ये घटित होती हैं।

1.ग.11 कर्मचारी लाभ

(क) अल्पमियादी लाभ

अल्पमियादी कर्मचारी लाभ लेखांकन अवधि जिसमें कर्मचारियों द्वारा सेवा दी जाती है, में उनकी गैर-छूट प्राप्त राशि पर हिसाब में लिया जाता है एवं अवधि जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा दी है, के दौरान लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

(ख) अवकाश नकदीकरण

अर्जित छुट्टी एवं रूपांतरित छुट्टी के लिए देयताएँ अवधि की समाप्ति जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा दी है, के पश्चात 12 महीने के अंदर संपूर्ण रूप से निपटाया जाना अपेक्षित नहीं है। इसलिए ये निर्धारित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भावी भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापी जाती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणाम का प्रयोग करते हुए लाभ पर छूट दिए गये हैं जिनमें संबंधित दायित्वों की शर्तों की अनुरूपी शर्तें हैं। बीमांकिक प्राक्कलनों में हुए अनुभव समायोजन एवं परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः मापन को लाभ या हानि में मान्यता दी गई है। यह सुविधा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित है।

(ग) रोजगार के उपरांत दायित्व

परिभाषित योगदान योजना -

i. भविष्य निधि

भविष्य निधि को आयकर अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रस्ट द्वारा प्रशासित किया जाता है और इस निधि में योगदान राजस्व में प्रभारित होता है। पेंशनरों के लाभ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के माध्यम से सुरक्षित है।

ii. पेंशन

पेंशन प्लान एक स्वतंत्र न्यास के माध्यम से संचालित होता है एवं इस निधि में योगदान को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। इस निधि का व्यवस्थापन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है। डीपीई अनुदेश के अनुसरण में इस्पात मंत्रालय के निर्देशों द्वारा योगदान राशि नियंत्रित है।

परिभाषित लाभ योजना -

i. सेवा ग्रेच्युटी

परिभाषित ग्रेच्युटी योजना के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकृत देनदारी या परिसंपत्ति योजना संपत्ति के उचित मूल्य से कम किया हुआ, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में

construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

Other income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

1.C.11. Employee benefits

(a) Short term benefits

Short term employee benefits are accounted for at their undiscounted amount in the accounting period in which the services are rendered by the employees are recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss during the period in which the employee renders the related service.

(b) Leave encashment

The liabilities for earned leave and commuted leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

The benefits are discounted using the market yield at the end of the reporting period that have terms of approximating to the terms of related obligations. Remeasurement as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in profit or loss. The facility is funded through LIC of India.

(c) Post-employment obligation

Defined Contribution Plan -

i. Provident Fund

Provident Fund is administered by a Trust recognised by Income Tax Authorities and contribution to this Fund is charged to revenue. Pensioner's Benefits are secured through Employees' Pension Scheme 1995.

ii. Pension

Pension plan is administered through an independent trust and contribution to this Fund is charged to revenue. The fund is being managed through of Life Insurance Corporation of India. The contribution amount is governed by Ministry of Steel directives in terms of DPE guidelines.

Defined Benefit Plan -

i. Service Gratuity

The liabilities or assets recognised in the Balance Sheet in respect of defined gratuity plan is the present value of the defined benefits obligation at the end of the reporting

परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्वों को प्रति वर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकक द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य, सरकारी बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार के परिणाम के संदर्भ द्वारा अनुमानित भावी नगदी बहिर्वाहों को छोड़ कर निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों की शर्तों की अनुरूपी शर्तें हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर छूट प्राप्त दर लागू करके की जाती है। लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में यह लागत शामिल है।

अनुभव समायोजन एवं बीमांकिक आकलनों में परिवर्तन से होने वाले पुनर्निर्धारित लाभ व हानि उन समयावधि में माने जाते हैं, जिनमें वे अन्य व्यापक आय में सीधे घटते हैं। इक्विटी में बदलाव और तुलनपत्र के विवरण में प्रतिधारित आय में इन्हें रखा गया है।

संशोधन एवं कटौतियों के फलस्वरूप उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में संशोधन पिछली सेवा लागत के रूप में तुरंत लाभ या हानि में पहचाने जाते हैं। ग्रेच्युटी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्रुप ग्रेच्युटी लाइफ एश्योरेंस योजना के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए समूह द्वारा बनाई गई एक अलग अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा लाभ :

समूह अपने अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का अधिकार आमतौर पर सेवानिवृत्ति की उम्र तक सेवा में रत कर्मचारी और न्यूनतम सेवा अवधि की समाप्ति पर शर्त है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए इस्तेमाल की गई उसी लेखा पद्धति के उपयोग से इन लाभों की अपेक्षित लागत रोजगार की अवधि में अर्जित की गई है। अनुभव समायोजन एवं बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनःमापन लाभ व हानि उत्पन्न होने वाली अवधि में अन्य व्यापक आय में प्रभारित या जमा किये जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए सृजित एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से निधि को प्रशासित किया जाता है।

1.ग.12. कराधान

वर्ष हेतु कर व्यय में शामिल है चालू एवं आस्थगित कर।

(i) चालू कर

वर्तमान में भुगतानयोग्य कर वर्ष के करयोग्य लाभ पर आधारित है। करयोग्य लाभ वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ से अलग है जैसा कि लाभ और हानि के विवरण में दिया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की सामग्रियों को छोड़ दिया जाता है जो अन्य वर्षों में करयोग्य या घटावयोग्य है एवं आगे उन सामग्रियों को छोड़ा जाता है जो कभी करयोग्य या घटावयोग्य नहीं है। वर्तमान कर के लिए समूह के दायित्व की गणना कर दरों या कर कानूनों के उपयोग से की जाती है जो देश में अधिनियमित हुए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हुए हैं जहाँ समूह रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक संचालित है।

period less the fair value of plan assets. The defined benefits obligations are calculated annually by actuaries using projected unit credit method. The present value of defined benefits obligations is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on Government bonds that are terms approximating to the terms of the related obligations.

The net interest cost is calculated by applying the discounted rate to the net balance of defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet.

Changes in the present value of defined benefit obligation resulting from amendments and curtailments are recognised immediately in profit or loss as past service cost. The Gratuity obligation is funded through Group Gratuity Life Assurance Scheme of Life Insurance Corporation of India and is administered through a separate irrevocable trust created by the Group for this purpose.

ii. Post Retirement medical benefit

The Group provides post retirement healthcare benefits to their retirees. The entitlement to these benefits is usually conditional on the employee remaining in service up to the retirement age and the completion of minimum service period. The expected cost of these benefits is accrued over the period of employment using the same accounting methodology as used for defined benefit plans. Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited in other comprehensive income in the period in which they arise. The fund is administered through a separate trust created for this purpose.

1.C.12. Taxation

Tax expense for the year comprises current and deferred tax.

(i) Current tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax for the year as reported in the Statement of Profit and Loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Group's liability for current tax is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted in the country where the Group operates by the end of the reporting period.

(ii) आस्थगित कर

आस्थगित कर वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि एवं कर योग्य लाभ के निर्धारण में प्रयुक्त अनुरूपी कर आधार के बीच के अंतर पर भुगतानयोग्य या वसूली योग्य के लिए अपेक्षित है एवं तुलन पत्र की देनदारी विधि के प्रयोग हेतु खाते में लिया जाता है। आस्थगित कर देयताएँ साधारणतया सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए स्वीकृत हैं। इसके विपरित, आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ उस सीमा तक स्वीकृत हैं कि यह संभावना है कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में केवल तब एवं उस सीमा तक स्वीकृत होती है, जब विश्वसनीय साक्ष्य हो कि समूह निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आय कर का भुगतान करेगा। ऐसी परिसंपत्ति की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को की जाती है एवं मैट क्रेडिट परिसंपत्ति की वहन राशि उसी सीमा तक पुनरांकित होती है, जिसके लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं रह गया है कि समूह निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है एवं इस सीमा तक कम हो जाती है कि कोई संभावना नहीं रहे कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के संपूर्ण या भाग के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो पाएगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ उस सीमा तक क्षतिपूर्ति होती हैं जिससे वे वही कर प्राधिकारी द्वारा प्रभारित कर से संबंधित हैं एवं उस न्यायक्षेत्र के अधीन चालू कर परिसंपत्तियों एवं चालू कर देनदारियों को छोड़ने के लिए कानूनी तौर पर लागू योग्य अधिकार हैं।

चालू एवं आस्थगित कर को लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय या आय के रूप में स्वीकृति दी जाती है सिवाय उस स्थिति के, जब ये अन्य व्यापक आय में या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में जोड़े गए या घटाए गए मदों से संबंधित हैं, इस मामले में कर को अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में भी स्वीकृति दी जाती है।

1.ग.13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधानों को तुलनपत्र में मान्यता दी जाती है जब एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप समूह का एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित संसाधनों के बहिर्वाह से आर्थिक लाभ मिलते हैं जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक प्रावधान तुलन पत्र की तारीख में मौजूदा दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित है। जब उपयुक्त होता है, तो प्रावधान छूट आधार पर मापा जाता है।

संरचनात्मक जिम्मेदारी एक ऐसा दायित्व है जो एक संस्था के कार्यों से प्राप्त होता है जिसमें पिछले अभ्यास, प्रकाशित नीतियों या पर्याप्त रूप से एक विशिष्ट चालू बयान की एक स्थापित पद्धति से संस्था ने अन्य पार्टियों को संकेत दिया है कि वह कुछ जिम्मेदारियों को स्वीकार करेगी, परिणामस्वरूप संस्था ने उन अन्य पार्टियों के अंश के तौर पर एक वैध अपेक्षा का सृजन किया है कि वह उन जिम्मेदारियों को पूरा करेगी।

टिप्पणी के माध्यम से आकस्मिक देयता प्रकट की जाती है जिसका प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में समीक्षा की जाती है और प्रबंधन के वर्तमान अनुमान को प्रतिबिंबित

(ii) Deferred tax

Deferred tax is the tax expected to be payable or recoverable on differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit, and is accounted for using the balance sheet liability method. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences. In contrast, deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deferred tax assets can be utilised.

Minimum Alternate Tax credit is recognised as deferred tax asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Group will pay normal income tax during the specified period. Such asset is reviewed at each Balance Sheet date and the carrying amount of the MAT credit asset is written down to the extent there is no longer a convincing evidence to the effect that the Group will pay normal income tax during the specified period.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset to the extent that they relate to taxes levied by the same tax authority and there are legally enforceable rights to set off current tax assets and current tax liabilities within that jurisdiction.

Current and deferred tax are recognised as an expense or income in the Statement of Profit and Loss, except when they relate to items credited or debited either in other comprehensive income or directly in equity, in which case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity.

1.C.13. Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Provisions are recognised in the Balance Sheet when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, which is expected to result in an outflow of resources embodying economic benefits which can be reliably estimated. Each provision is based on the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the Balance Sheet date. When appropriate, provisions are measured on a discounted basis.

Constructive obligation is an obligation that derives from an entity's actions whereby an established pattern of past practice, published policies or a sufficiently specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities; and as a result, the entity has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities.

Contingent liabilities are disclosed by way of notes. These

करने के लिए समायोजन किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में स्वीकृति नहीं दी जाती है, परंतु प्रकट की जाती है, जब आर्थिक लाभ के अंतःप्रवाह की संभावना रहती है।

1.ग.14. सेगमेंट रिपोर्टिंग

इंड एस 108 मानकों को उस तरीके में स्थापित करता है कि लोक व्यवसाय उद्यम प्रचालन क्षेत्रों एवं संबंधित प्रकटीकरण के बारे में जानकारी की रिपोर्ट करे। समूह व्यापारिक कार्यकलापों का काम करता है एवं ई-कॉमर्स सेवा-प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है। इंड एस 108 में परिभाषित अनुसार 'प्रबंधन दृष्टिकोण' के आधार पर, मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) समूह के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं एवं प्रचालन सेगमेंट (क्षेत्रों) के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण पर संसाधनों को आवंटित करते हैं। उपर्युक्त शर्तों के तहत, समूह ने विपणन, ई-कॉमर्स और स्कैप रिकवरी एवं संबंधित कार्यों को तीन प्राथमिक रिपोर्टयोग्य व्यवसाय क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सेगमेंट से संबंधित राजस्व एवं पहचानयोग्य प्रचालन व्यय को सेगमेंट में पृथक रूप से पहचान योग्य मदों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व एवं व्यय के शेष मद, जिन्हें विशिष्ट सेगमेंट के अंतर्गत विशेष रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है, को अनावंटित के रूप में पृथक रूप से प्रकट किया गया है।

1.ग.15. महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, प्राक्कलन एवं निर्णय

इंड एस की अनुरूपता में वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आकलन एवं प्राक्कलन की आवश्यकता इस प्रकार पड़ती है कि लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय की सूचित राशियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटन तथा रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के दौरान प्रचालनों के परिणामों पर प्रभाव पड़े। हालांकि ये आकलन प्रबंधन द्वारा वर्तमान गतिविधियों एवं कार्यों की सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर किए जाते हैं, फिर भी वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान एवं अंतर्निहित धारणाएँ सतत आधार पर पुनरीक्षित होती हैं। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये संशोधित हुए हैं एवं कोई भावी अवधि जो प्रभावित हुआ है।

अनुमान एवं धारणाएँ जिसमें अगले वित्तीय वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की वहन राशि के भौतिक समायोजन का कारण बनने का महत्वपूर्ण जोखिम रहता है, उसके बारे में नीचे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है :

(i) उपयोगी आर्थिक जीवन एवं अन्य परिसंपत्तियों की हानि

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कई घटकों पर निर्भर रहता है, जिसमें शामिल है अप्रचलन के प्रभाव, परिसंपत्ति एवं अन्य आर्थिक कारकों का प्रयोग (जैसे कि ज्ञात प्रौद्योगिकीजनित उन्नति)।

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में पीपीई एवं अमूर्तों के उपयोगी जीवन की समीक्षा करता है एवं कोई भी परिवर्तन मूल्यहास दरों को भावी रूप से प्रभावित कर सकता है।

are reviewed at each Balance Sheet date and are adjusted to reflect the current estimate of management.

Contingent assets are not recognised but disclosed in the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

1.C.14. Segment reporting

Ind AS 108 establishes standards for the way that public business enterprises report information about operating segments and related disclosures. The Group undertakes trading activities, and also acts as e-commerce service provider. Based on the 'management approach' as defined in Ind AS 108, the Chief Operating Decision Maker (CODM) evaluates Group's performance and allocates resources on an analysis of various performance indicators by operating segments. In terms of above the Group has identified Marketing, E-Commerce and Scrap Recovery & allied jobs as its three Primary Reportable Business Segments. Revenue and identifiable operating expenses in relation to segments are categorised based on items that are individually identifiable to that segment. Rest of the items of revenue and expenses, which cannot be specifically allocated under specific segments are separately disclosed as unallocated.

1.C.15. Critical accounting estimates, assumptions and judgments

The preparation of the financial statements in conformity with Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income, expenses, and disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting period end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed in the paragraphs that follow.

(i) Useful economic lives and impairment of other assets

The estimated useful life of property, plant and equipment (PPE) and intangible asset is based on a number of factors including the effects of obsolescence, usage of the asset and other economic factors (such as known technological advances).

The Group reviews the useful life of PPE and intangibles at the end of each reporting date and any changes could affect the depreciation rates prospectively.

समूह अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की संभावी क्षति की भी समीक्षा करता है कि क्या कोई ऐसी गतिविधि है या परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन है जो परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली न हो पाने का संकेत देते हैं। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की क्षति के आकलन में, लाभ में उल्लेखनीय घटाव लाने वाले कारकों जैसे कि समूह की व्यवसाय योजनाएँ एवं नियामक पर्यावरण में परिवर्तन को विवेचना में लिया जाता है।

(ii) आकस्मिकताएँ एवं वचनबद्धताएँ

व्यवसाय के सामान्य प्रचलन में, आकस्मिक देयताएँ मुकदमे, कराधान एवं समूह के विरुद्ध अन्य दावे से उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ निधियों का बहिर्भाव संभाव्य है एवं प्रत्येक मतभेद की विशिष्ट परिस्थितियों का प्रबंधन के आकलन एवं संबंधित बाहरी सलाह के आधार पर मतभेद के परिणाम का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है, तब प्रबंधन ऐसी देनदारी का सर्वोत्तम अनुमान प्रदान करता है। ऐसी देनदारियों को टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है, परंतु वित्तीय विवरणों में नहीं दिए जाते हैं।

हालांकि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिल सकता है, परंतु समूह की वित्तीय स्थिति या लाभकारिता पर समूह इसके महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की अपेक्षा नहीं करता है।

(iii) बीमांकिक मूल्यांकन

कर्मचारियों को परिभाषित लाभ दायित्व के बारे में समूह की देनदारी का निर्धारण स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है जिसमें लाभ एवं हानि के विवरण एवं अन्य व्यापक आय में स्वीकृति दी जाने वाली राशि का निर्धारण शामिल है। यह मूल्यांकन मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित कारकों जैसे कि रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग कारकों को विचार में लेने के बाद निर्धारित धारणाओं पर निर्भर करता है।

(iv) उचित मूल्य मापन एवं मूल्यांकन पद्धतियाँ

समूह की कुछ परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन से उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य के आकलन में, समूह बाजार के अवलोकन योग्य डेटा का उसकी उपलब्ध सीमा में उपयोग करता है। जहाँ लेवल 1 निविष्टि उपलब्ध नहीं हैं, समूह वहाँ आवश्यक मूल्यांकन कार्य को पूरा करने के लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकक को नियोजित करता है। विभिन्न परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों एवं निविष्टियों की सूचना वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में प्रकट की गई है।

(v) आगे ली गई कर हानियों एवं उपयोग नहीं किए गए टैक्स क्रेडिट के लिए आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता

जिस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को स्वीकृति दी जा सकती है, वह समूह की भावी कर योग्य आय की संभाव्यता के आकलन पर आधारित होती है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी कानूनी या आर्थिक सीमाओं के प्रभाव के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है।

The Group also reviews its property, plant and equipment for possible impairment if there are events or changes in circumstances that indicate that the carrying value of the assets may not be recoverable. In assessing the property, plant and equipment for impairment, factors leading to significant reduction in profits, such as the Group's business plans and changes in regulatory environment are taken into consideration.

(ii) Contingencies and commitments

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigation, taxation and other claims against the Group. Where an outflow of funds is believed to be probable and a reliable estimate of the outcome of the dispute can be made based on management's assessment of specific circumstances of each dispute and relevant external advice, management provides for its best estimate of the liability. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements.

Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, the Group does not expect them to have a materially adverse impact on the Group's financial position or profitability.

(iii) Actuarial Valuation

The determination of Group's liability towards defined benefit obligation to employees is made through independent actuarial valuation including determination of amounts to be recognised in the Statement of Profit and Loss and in other comprehensive income. Such valuation depend on assumptions determined after taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand factors in the employment market.

(iv) Fair Value measurements and valuation processes

Some of the Group's assets and liabilities are measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group uses market-observable data to the extent it is available. Where Level 1 inputs are not available, the Group engages third party valuers, where required, to perform the valuation. Information about the valuation techniques and inputs used in determining the fair value of various assets and liabilities are disclosed in the notes to the financial statements.

(v) Recognition of deferred tax assets for carried forward tax losses and unused tax credit

The extent to which deferred tax assets can be recognised is based on an assessment of the probability of the Group's future taxable income against which the deferred tax assets can be utilised. In addition significant judgement is required in assessing the impact of any legal or economic limits.

1.ग.16. व्यापार प्राप्यों का प्रावधान

कंपनी के पास एक प्रावधान नीति की व्यवस्था है जो नीति के अनुसार तिमाही समीक्षा एवं प्रावधान प्रदान करती है।

कंपनी ने “सहयोगी अपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक टु बैक व्यवस्था” के अधीन व्यवसाय किया है। इस व्यवस्था के अनुसार, अपूर्तिकर्ताओं को भुगतान, व्यापार प्राप्यों की वसूली पर ही केवल छोड़ा जाएगा। अतएव, कंपनी ने इन व्यापार प्राप्यों को सुरक्षित के रूप में लिया है।

सहयोगी कंपनी के मामले में, प्रावधान की मात्रा नीचे वर्णित अनुसार खाता बहियों में व्यापार प्राप्यों के विरुद्ध की जाएगी।

देनदारों की आयु	प्रावधानीकरण राशि
2 वर्ष तक	कोई प्रावधान नहीं
2 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	20%
3 वर्ष से अधिक एवं 4 वर्ष तक	30%
4 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	50%
5 वर्ष से अधिक	100%

1.C.16. PROVISION OF TRADE RECEIVABLES

The Company has a provision policy in place which provides for quarterly review and provision as per the policy.

The Company has done trading under “Back to Back Arrangement with Associate Suppliers”. As per the arrangement the payment to suppliers will be released only on realization of Trade Receivables. Hence the Company treats these Trade Receivables as Secured.

In case of subsidiary, the quantum of provision will be made against trade receivables in the books of accounts as narrated below:

Age of Debtors	Amount of provisioning
Upto 2 Years	No provision
More than 2 years and upto 3 years	20%
More than 3 years and upto 4 years	30%
More than 4 years and upto 5 years	50%
More than 5 years	100%

एमएसटीसी लिमिटेड

2 .संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि मिलियन ₹ में)

विवरण	पूर्णस्वामित्व वाले भवन	कार्यालय उपकरण	कार्यालय के एयर कंडीशनर	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय के पार्टिशनस एवं क्यूबिकल्स	ईडीपी उपकरण	संयंत्र एवं उपकरण	वाहन	कुल मूल्य परिसंपत्तियाँ
31 मार्च, 2019 को सकल ब्लॉक संयोजन	46.99	19.27	4.27	19.60	9.30	38.63	1,053.85	30.97	1,222.87
निपटान	3.12	2.09	0.69	0.51	0.74	37.98	238.95	1.70	285.78
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक संयोजन	-	1.30	0.87	0.23	2.56	20.98	1.73	0.18	27.85
निपटान	50.10	20.06	4.09	19.88	7.48	55.63	1,291.07	32.49	1,480.80
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक संयोजन	3.07	1.42	0.95	0.40	0.25	4.82	116.89	1.48	129.26
निपटान	-	0.07	0.22	0.03	-	1.80	9.05	0.11	11.29
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक संयोजन	53.17	21.41	4.82	20.25	7.73	58.65	1,398.91	33.86	1,598.78
31 मार्च, 2019 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	10.59	9.70	2.57	11.28	5.93	10.51	410.35	11.36	472.29
निपटान	2.89	2.66	0.28	1.03	0.38	9.43	136.81	3.73	157.21
31 मार्च, 2020 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	-	1.16	0.79	0.22	2.43	19.92	0.24	0.13	24.89
निपटान	13.48	11.19	2.06	12.09	3.88	0.02	546.92	14.97	604.61
31 मार्च, 2020 को मूल्यहास वर्ष के लिए प्रभार	2.68	2.50	0.35	1.03	0.42	12.35	153.31	3.80	176.44
निपटान	-	0.05	0.21	0.01	-	1.70	-	-	1.97
31 मार्च, 2021 को मूल्यहास	16.16	13.64	2.20	13.11	4.30	10.67	700.23	18.76	779.09
31 मार्च, 2020 को निवल बही मूल्य	36.62	8.87	2.03	7.79	3.60	55.61	744.15	17.52	876.19
31 मार्च, 2021 को निवल बही मूल्य	37.00	7.76	2.62	7.14	3.43	47.98	698.67	15.09	819.69

विवरण	पूँजी कार्य प्रगति में	पट्टेवाली भूमि	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ विकासधीन अमूर्त समेत
31 मार्च, 2019 को सकल ब्लॉक संयोजन	231.81	72.32	18.09	5.70	23.79
निपटान*	86.60	-	15.39	-	15.39
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक संयोजन	24.99	0.75	0.08	5.70	5.78
निपटान*	293.42	71.57	33.40	-	33.40
31 मार्च, 2020 को सकल ब्लॉक संयोजन	229.78	-	0.18	-	0.18
निपटान*	4.95	0.75	-	-	-
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक संयोजन	518.25	70.82	33.58	-	33.58
31 मार्च, 2021 को सकल ब्लॉक संयोजन	-	-	12.25	-	12.25
वर्ष में प्रभार	-	-	8.94	-	8.94
निपटान	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	-	-	21.19	-	21.19
निपटान	-	-	10.34	-	10.34
31 मार्च, 2020 को मूल्यहास वर्ष में प्रभार	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	31.53	-	31.53
31 मार्च, 2021 को मूल्यहास	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को निवल बही मूल्य	293.42	71.57	12.21	-	12.21
31 मार्च, 2021 को निवल बही मूल्य	518.25	70.82	2.05	-	2.05

* पट्टेवाली भूमि का निपटान होलिंग कंपनी में पूर्व प्रदत्त पट्टा भुगतान के परिशोधन को प्रस्तुत करता है।

होलिंग कंपनी के सभी पूर्णस्वामित्व वाले भवन डीआरटी, मुंबई के आदेश द्वारा एटैचमेंट के तहत हैं।

होलिंग कंपनी के मामले में न्यू टाउन, कोलकाता में कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सीडब्ल्यूआईपी लागत पर बुक की गई है जो इस प्रयोजन के लिए ऋण के प्रतिपक्ष एसबीआई के पास गिरवी रखी हुई है।

इंड एस 101 की शर्तों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रभावी इंड एस के कार्यान्वयन एवं ग्रहण के समय परिसंपत्तियों के शुद्ध प्रखंड को सकल प्रखंड के रूप में विवेचित किया गया था, इसी अनुसार उक्त तिथि को संचित मूल्यहास को "शून्य" लिया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसरण में मूल्यहास प्रभारित हुआ है। अतएव, संचित मूल्यहास 01.04.2015 से केवल संचयी आंकड़ों को दर्शाता है। इसके कारण, उपर्युक्त अनुसार निर्धारित स्थिर परिसंपत्तियों और स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर के बीच सकल प्रखंड एवं संचित मूल्यहास के आंकड़ों में अंतर है। तथापि, शुद्ध प्रखंड के आंकड़े स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर की पूर्ण सहमति में हैं।

2. Property, Plant and Equipment

(Amount in ₹ million)

Particulars	Freehold Buildings	Office Equipment	Office Air Conditioner	Furniture and fixtures	Office Partition & Cubicles	EDP Equipments	Plant and Equipment	Vehicles	Total Tangible Assets
Gross Block as at 31st March, 2019	46.99	19.27	4.27	19.60	9.30	38.63	1,053.85	30.97	1,222.87
Additions	3.12	2.09	0.69	0.51	0.74	37.98	238.95	1.70	285.78
Disposals	-	1.30	0.87	0.23	2.56	20.98	1.73	0.18	27.85
Gross Block as at 31st March, 2020	50.10	20.06	4.09	19.88	7.48	55.63	1,291.07	32.49	1,480.80
Additions	3.07	1.42	0.95	0.40	0.25	4.82	116.89	1.48	129.26
Disposals	-	0.07	0.22	0.03	-	1.80	9.05	0.11	11.29
Gross Block as at 31st March, 2021	53.17	21.41	4.82	20.25	7.73	58.65	1,398.91	33.86	1,598.78
Depreciation as at 31st March, 2019	10.59	9.70	2.57	11.28	5.93	10.51	410.35	11.36	472.29
Charge for the year	2.89	2.66	0.28	1.03	0.38	9.43	136.81	3.73	157.21
Disposals	-	1.16	0.79	0.22	2.43	19.92	0.24	0.13	24.89
Depreciation as at 31st March, 2020	13.48	11.19	2.06	12.09	3.88	0.02	546.92	14.97	604.61
Charge for the year	2.68	2.50	0.35	1.03	0.42	12.35	153.31	3.80	176.44
Disposals	-	0.05	0.21	0.01	-	1.70	-	-	1.97
Depreciation as at 31st March, 2021	16.16	13.64	2.20	13.11	4.30	10.67	700.23	18.76	779.09
Net book value as at 31st March, 2020	36.62	8.87	2.03	7.79	3.60	55.61	744.15	17.52	876.19
Net book value as at 31st March, 2021	37.00	7.76	2.62	7.14	3.43	47.98	698.67	15.09	819.69

Particulars	Capital Work in Progress	Leasehold Land	Computer Software	Intangible Assets under Development	Total Intangible Assets including intangible under development
Gross Block as at 31st March, 2019	231.81	72.32	18.09	5.70	23.79
Additions	86.60	-	15.39	-	15.39
Disposals*	24.99	0.75	0.08	5.70	5.78
Gross Block as at 31st March, 2020	293.42	71.57	33.40	-	33.40
Additions	229.78	-	0.18	-	0.18
Disposals*	4.95	0.75	-	-	-
Gross Block as at 31st March, 2021	518.25	70.82	33.58	-	33.58
Depreciation as at 31st March, 2019	-	-	12.25	-	12.25
Charge for the year	-	-	8.94	-	8.94
Disposals	-	-	-	-	-
Depreciation as at 31st March, 2020	-	-	21.19	-	21.19
Charge for the year	-	-	10.34	-	10.34
Disposals	-	-	-	-	-
Depreciation as at 31st March, 2021	-	-	31.53	-	31.53
Net book value as at 31st March, 2020	293.42	71.57	12.21	-	12.21
Net book value as at 31st March, 2021	518.25	70.82	2.05	-	2.05

* Disposal of Leasehold land represents amortisation of Prepaid Lease Payment in Holding Company.

All Freehold buildings of Holding Company are under attachment by the order of DRT, Mumbai.

In case of Holding Company CWIP is cost booked for Construction of Corporate Office Building in New Town, Kolkata which is mortgaged to SBI against a loan for this purpose.

At the time of implementation and adoption of IndAS w.e.f 1st April, 2015 in terms of IndAS 101, the Net Block of Assets was considered as Gross Block treating Accumulated Depreciation on that date as "Nil". Depreciation has been charged since in terms of Companies Act, 2013. Hence, the Accumulated Depreciation represents cumulative figures since 1st April, 2015 only. Due to this, there are differences in the figure of Gross Block and Accumulated Depreciation between the Fixed Assets schedule as above and Fixed Assets Register. However the Net Block figures are in complete agreement with Fixed assets Register.

3. अनकोटेड इक्विटी शेयर में निवेश, पूर्ण प्रदत्त- लागत पर लिए गए

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	शेयरों की संख्या		राशि ₹ मिलियन में	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश				
महिन्द्रा एमएसटीसी रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)	2,26,00,000	1,86,00,000	226.00	186.00

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
निवेश का प्रारंभिक मूल्य	112.07	138.81
वर्ष के दौरान निवेश	40.00	-
लाभ/हानि में दर्शित संयुक्त उद्यम में वर्तमान अवधि की हानि के कारण मूल्य में कमी	(8.60)	(26.94)
ओसीआई में दर्शित संयुक्त उद्यम में वर्तमान अवधि की हानि के कारण मूल्य में कमी	0.10	0.20
निवेश का अंतिम शेष	143.57	112.07

4. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (गैर-चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) सुरक्षित जमा	10.57	10.42
(ख) अन्य ऋण एवं कर्मचारियों को अग्रिम ऋण	37.36	42.00
(ग) कर्मचारियों के ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज	0.22	0.30
(घ) 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ मियादी जमा	1,006.60	295.75
शुद्ध अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,054.75	348.47

4.1 सहायक कंपनी के मामले में, 4(घ) जमा में बैंक गारंटी एवं ओवरड्राफ्ट सुविधा के एक्ज में आंध्रा बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई एवं इंडियन बैंक में गिरवी रखी ₹ 623.70 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 245.70 मिलियन) शामिल है।

5. गैर-चालू कर परिसंपत्तियाँ

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
करों का अग्रिम भुगतान	5,223.03	7,261.74
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	4,597.33	6,673.55
गैर-चालू कर परिसंपत्तियाँ	625.70	588.19

3. Investment in Unquoted Equity Shares, fully paid up- carried at cost.

(Amount in ₹ million)

Particulars	No. of Shares		Amount	
	31st March 2021	31st March 2020	31st March 2021	31st March 2020
Investment in 50:50 Joint Venture Company				
Mahindra MSTC Recycling Private Limited (Face Value ₹10/- each)	2,26,00,000	1,86,00,000	226.00	186.00

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Opening Value of Investment	112.07	138.81
Investment During the Year	40.00	-
Decrease in Value due to Current Period Loss in JV shown in P/L	(8.60)	(26.94)
Decrease in Value due to Current Period Loss in JV shown in OCI	0.10	0.20
Closing Balance of Investment	143.57	112.07

4. Other Financial Assets (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Security deposits	10.57	10.42
(b) Other loans and advances		
Loans to employees	37.36	42.00
(c) Interest accrued on loans to employees	0.22	0.30
(d) Term Deposits with original maturity of more than 12 months	1,006.60	295.75
Net other financial assets	1,054.75	348.47

4.1 In case of subsidiary, deposit at 4(d) includes ₹ 623.70 Millions (Previous Year ₹ 245.70 Millions) pledged with Andhra Bank, IDBI , Bank of Baroda ,SBI and Indian Bank against Bank Guarantee & Overdraft facility.

5. Non-Current Tax Assets

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Advance payment of Taxes	5,223.03	7,261.74
Less: Provision for Taxation	4,597.33	6,673.55
Non-Current tax assets	625.70	588.19

6. अन्य परिसंपत्तियाँ (गैर-चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(असुरक्षित, अच्छा माना गया)		
(क) सार्वजनिक निकायों के साथ अग्रिम		
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट आदि	0.69	0.69
(ख) भवन निर्माण के लिए अग्रिम	-	23.66
(ग) पूर्व प्रदत्त पट्टा भुगतान लागत *	-	0.01
(घ) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i) पूर्व प्रदत्त व्यय	1.72	1.70
(ii) अन्य	1.05	0.33
कुल अन्य परिसंपत्तियाँ	3.46	26.39

6.1 * राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम, दुर्गापुर एवं धुबड़ी में सहायक कंपनी के संयंत्र एवं भवन जिस भूमि पर स्थित है, वह न तो पूर्णस्वामित्व की और न ही पट्टायुक्त है। कंपनी ने सेवा अनुबंध के अंश के तौर पर भू-धारकों से निःशुल्क उपयोग का अधिकार प्राप्त किया है। कंपनी ने हालांकि वही सेल-बीएसपी से 29 दिसंबर 1988 से प्रभावी 33 वर्षों के स्थायी पट्टे पर पट्टायुक्त भूमि अर्जित किया है, जिस पर सहायक कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है।

7. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
आस्थगित कर (देनदारियाँ)/परिसंपत्तियाँ		
आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के बही शेष एवं कर शेष के बीच अंतर पर	(2.56)	(12.50)
ईएफबीएस योजना	(0.53)	(0.64)
आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव	(3.09)	(13.14)
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव		
क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों, उपदान (ग्रेचुइटी) एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	52.36	50.31
संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए भत्ते	1,709.67	1,767.29
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40(क)(i), 43(ख) के अंतर्गत अस्वीकृति	168.66	150.38
एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र	309.09	304.16
सेवा कर पर व्याज के लिए प्रावधान	0.96	0.96
अन्य व्यापक आय के माध्यम से	49.16	37.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाले मदों का कर प्रभाव	2,289.90	2,310.10
आस्थगित कर (देनदारियाँ)/परिसंपत्तियों (शुद्ध)	2,286.81	2,296.96

6. Other assets (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(Unsecured, considered good)		
(a) Advance with public bodies		
Customs, Excise, Sales Tax ,Port Trusts etc.	0.69	0.69
(b) Advance for Building Construction	-	23.66
(c) Prepaid Lease Payment Cost *	-	0.01
(d) Other loans and advances		
(i) Prepaid expenses	1.72	1.70
(ii) Others	1.05	0.33
Total Other assets	3.46	26.39

6.1 * The land on which the plant and building of the subsidiary company are situated at Rourkela, Burnpur, Bhilai, Bokaro Vizag, Durgapur & Duburi are neither freehold nor leasehold. The company has acquired right of free use from landholders as a part of service agreement. The Company has however, acquired leasehold land from SAIL - BSP on perpetual lease of 33 years w.e.f 29th December, 1988 on which the Registered Office Building of the subsidiary company has been constructed.

7. Deferred Tax Assets (Net)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Deferred tax (liabilities) / assets:		
Tax effect of items constituting deferred tax liabilities		
On difference between book balance and tax balance of Property, Plant and Equipment & Intangible assets	(2.56)	(12.50)
EFBS Scheme	(0.53)	(0.64)
Tax effect of items constituting deferred tax liabilities	(3.09)	(13.14)
Tax effect of items constituting deferred tax assets		
Provision for compensated absences, gratuity and other employee benefits	52.36	50.31
Allowance for doubtful debts / advances	1,709.67	1,767.29
Disallowances under Section 40(a)(i), 43B of the Income Tax Act, 1961	168.66	150.38
MAT credit Entitlement	309.09	304.16
Provision for Interest on Service tax	0.96	0.96
Through Other Comprehensive Income	49.16	37.00
Tax effect of items constituting deferred tax assets	2,289.90	2,310.10
Deferred tax (liabilities) / assets (net)	2,286.81	2,296.96

8. मालसूची

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) लूज औजार समेत स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स	45.89	61.23
(ख) गैर-चल मालसूची का स्टॉक	13.60	16.33
(ग) स्टोर्स एवं स्पेयर्स - प्रतीक्षारत निपटान	1.43	2.60
(घ) मालसूची में कमी - लम्बित समायोजन	0.01	0.01
(ङ) मार्गस्थ वस्तुएँ	0.02	0.01
(च) मुद्रण एवं लेखन सामग्री का स्टॉक	0.97	1.06
(छ) घटाएँ : प्रावधान		
(i) गैर-चल के स्टॉक के लिए	9.49	9.83
(ii) स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए - प्रतीक्षारत निपटान	0.81	1.40
(iii) मालसूची में कमी के लिए	0.01	0.01
कुल मालसूची	51.61	70.00

9. व्यापार प्राप्य (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
व्यापार प्राप्य		
(क) सुरक्षित, अच्छा माना गया	6,559.40	11,406.06
(ख) असुरक्षित, अच्छा माना गया	2,374.49	3,114.43
(ग) ऋण क्षीणता	8,265.29	9,652.91
घटाएँ : संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ते)	8,302.54	9,547.00
कुल	8,896.64	14,626.40

9.1 व्यापार प्राप्य

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
व्यापार प्राप्य जो भुगतान के लिए नियत तिथि से छह महीने से अधिक समय के लिए बकाया है		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	3,813.90	3,696.75
असुरक्षित, अच्छा माना गया	876.19	1,127.13
ऋण क्षीणता	8,265.29	9,652.91
घटाएँ : संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान	8,302.54	9,547.00
	4,652.84	4,929.79
व्यापार प्राप्य जो भुगतान के लिए नियत तिथि से छह महीने से कम समय के लिए बकाया है		
सुरक्षित, अच्छा माना गया	2,745.50	7,709.31
असुरक्षित, अच्छा माना गया	1,498.30	1,987.30
	4,243.80	9,696.61
कुल	8,896.64	14,626.40

9.2: व्यापार प्राप्य में वर्ष 2008-09 के दौरान होल्डिंग कंपनी द्वारा लिए गए सोने के गहनों के निर्यात पर ₹ 1478.20 मिलियन (पिछले वर्ष ₹1478.20 मिलियन) की राशि शामिल है। उक्त प्राप्य को एक प्राप्य क्रय अनुबंध के अंतर्गत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) द्वारा क्रय किया गया था। उक्त अनुबंध की शर्तों के तहत ऐसे खरीदारों को किए गए निर्यातों पर विदेशी खरीदारों पर एमएसटीसी द्वारा किए गए बिलों को एससीबी क्रय करेंगे एवं बिल राशि का 95% एमएसटीसी को भुगतान करेंगे और विदेशी खरीदार बिल की संबंधित नियत तिथियों को बिल के एक्ज में एससीबी को सीधे भुगतान करेंगे। कंपनी के लिए उक्त निर्यात लेनदेन को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, सह-बीमित के रूप में एमएसटीसी सहित एससीबी द्वारा बीमा किया गया था। विदेशी खरीदारों से नियत तिथियों को बिल की कार्यवाहियों की गैर-प्राप्ति पर एससीबी ने बीमा कंपनी से राशि के लिए दावा किया, जिसने बहरहाल एससीबी के दावे को अनुचित तरीके से नकार दिया। इस प्रकार नकारे जाने पर, एससीबी ने एमएसटीसी से क्रय किए गए प्राप्य को एकतरफा एमएसटीसी के ऋण के रूप में परिवर्तित किया एवं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मुंबई में बतौर मूल आवेदन मामला दर्ज किया। एससीबी के दावे के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय, डीआरटी एवं डीआरएटी मुंबई

8. Inventories

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Stores and Spares parts including loose tools	45.89	61.23
(b) Stock of Non-Moving inventory	13.60	16.33
(c) Stores and Spares - Awaiting Disposal	1.43	2.60
(d) Inventory Shortage-Pending Adjustment	0.01	0.01
(e) Goods in Transit	0.02	0.01
(f) Stock of Printing & Stationary	0.97	1.06
(g) Less: Provision		
(i) for stock of non-moving	9.49	9.83
(ii) for stores & spares - awaiting disposal	0.81	1.40
(iii) for inventory shortage	0.01	0.01
Total Inventories	51.61	70.00

9. Trade receivables (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Trade receivables		
(a) Secured, considered good	6,559.40	11,406.06
(b) Unsecured, considered good	2,374.49	3,114.43
(c) Credit Impaired	8,265.29	9,652.91
Less: Allowance for Doubtful trade receivables (expected credit loss allowance)	8,302.54	9,547.00
Total	8,896.64	14,626.40

9.1 Trade Receivables

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Trade Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment		
Secured, Considered good	3813.90	3,696.75
Unsecured, Considered good	876.19	1,127.13
Credit Impaired	8265.29	9,652.91
Less: Provision for doubtful trade receivables	8302.54	9,547.00
	4,652.84	4,929.79
Trade Receivables outstanding for a period less than six months from the date they are due for payment		
Secured, Considered good	2,745.50	7,709.31
Unsecured, Considered good	1,498.30	1,987.30
	4,243.80	9,696.61
Total	8,896.64	14,626.40

9.2: Trade Receivables include an amount of ₹1478.20 millions (prev year ₹1478.20 millions) on account of exports of Gold Jewellery undertaken by the holding Company during the year 2008-09. The said Receivables were purchased by Standard Chartered Bank (SCB) under a Receivable Purchase Agreement. In terms of the said Agreement, SCB would purchase the bills raised by MSTC on the foreign buyers on account of the exports made to such buyers and pay off MSTC 95% of the bill amount and the foreign buyers would be making payments against the bills directly to SCB on the respective due dates. The said export transactions for the Company were also insured by SCB along with MSTC as co-insured, with ICICI Lombard General Insurance Company. On non-receipt of the proceeds of the bills on the due dates from the foreign buyers, SCB claimed the amounts from the Insurance Company, who, however, wrongfully repudiated the claim of SCB. On such repudiation, SCB unilaterally converted the receivables purchased by it from MSTC into debts of MSTC with interest and

सहित विभिन्न फोरम और साथ ही एमएसटीसी के विरुद्ध डीआरटी, मुंबई द्वारा पारित दिनांक 16 सितम्बर, 2017 के अंतरिम आदेश के विरुद्ध एमएसटीसी द्वारा दायर किए गए मिस. अपील समेत एमएसटीसी मामले को चुनौती दे रही थी एवं दे रही है। यदि डीआरटी द्वारा मामले की सुनवाई होती है, तब एमएसटीसी को संबंधित संविधि के प्रावधानों के अनुसार डीआरटी के पास पहले से जमा करनी होगी। एससीबी ने गैर-प्राप्त ऋण की वसूली के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विरुद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष इश्वोरेश पॉलिसी के अंतर्गत एक विधि संक्षिप्त मुकदमा दायर किया था जो लम्बित है।

डीआरटी मुंबई द्वारा पारित दिनांक 16 सितम्बर, 2017 के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए डीआरटी, मुंबई के समक्ष एमएसटीसी द्वारा दायर किए गए मिस. अपील समेत ऐसे मामलों के अंतिम निपटान को लम्बित देखते हुए एमएसटीसी के विरुद्ध एससीबी के विवादित दावे को बिना समायोजित किए असुरक्षित उधार (टिप्पणी सं. 22 के माध्यम से) एवं व्यापार प्राप्य के रूप में दर्शाया गया है।

9.3: व्यापार प्राप्य को कंपनी के पास ग्राहकों द्वारा बंधक रखे स्टॉक द्वारा या बैंक गारंटी द्वारा आमतौर पर सुरक्षित रखा जाता है, अनुरूपी प्राप्यों के बही मूल्य की तुलना में ऐसे बंधक रखे स्टॉक के वसूली योग्य मूल्य में कोई महत्वपूर्ण क्षीणता रहने पर, अंतर आई राशि को 'असुरक्षित' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

आगे एक ग्राहक द्वारा जमा की गई ₹ 311.53 मिलियन राशि की 15 अदद बैंक गारंटी (बीजी) को कंपनी द्वारा लागू की गई थी। ग्राहक लागू की गई गारंटी पर रोक लागाने के लिए अन्य बातों के साथ एक प्रार्थना लेकर आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में पहुँचा है। माननीय न्यायालय ने प्रारंभ में अंतरिम रोक प्रदान किया था। तथापि, कंपनी की ओर से प्रार्थना किए जाने पर माननीय न्यायालय ने तदुपरांत सुनवाई में ग्राहक को बीजी में विस्तार करने का आदेश दिया जो समाप्ति के लिये नियत थे। ग्राहक ने तब से अनुपालन किया है। अभी तक सारे बीजी वैध हैं।

9.4 व्यापार प्राप्य ऋण क्षणता में निम्नलिखित शामिल है :

(राशि ₹ मिलियन में)

पार्टी का नाम	31 मार्च 2021	31st मार्च 2020
गीसकोल एलायज लि.	60.60	60.60
मेहरकिरन एन्टरप्राइजेस लि.	430.05	430.05
तिरुपति फ्लूएल्स पी. लि. / बालाजी कोक	554.87	555.87
सेसा इंटरनैशनल लि.	587.12	587.12
बालासोर एलायज लि.	131.59	19.71
कृष्णा कोक (इंडिया) प्रा. लि.	196.51	197.51
सिद्धार्थ ट्यूब्स लि.	55.56	55.56
टॉपवर्थ पाइप्स एण्ड ट्यूब्स लि.	36.27	36.27
टॉपवर्थ ऊर्जा एण्ड मेटल्स लि.	59.43	64.53
क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर लि.	376.67	299.13
टॉपवर्थ स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लि.	1,035.78	916.88
रोहित फेरो टेक लि.	432.37	308.65
कॉनकास्ट स्टील एण्ड पावर लि.	2,208.42	2,208.42
माँ महामाया इंडस्ट्रीज लि.	-	11.55
जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि.	473.40	315.70
एसपीएस स्टील रोलिंग मिल्स लि.	-	1,889.22
कुल	6,638.64	7,956.77

एमएसटीसी ने उपर्युक्त ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली के लिए सभी कानूनी कदम उठाया है। संबंधित मामले विभिन्न स्तरों पर सहायक प्राधिकरणों के यहाँ लम्बित है।

9.5: व्यापार प्राप्य में सुगमीकरण माध्यम में किए गए व्यवसाय के लिए ₹ 3266.87 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 6537.58 मिलियन) शामिल है (शुद्ध प्रावधान)।

9.6: व्यापार प्राप्य में ई-कॉमर्स व्यापार के लिए (प्रावधान छोड़कर) ₹ 678.13 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 695.00 मिलियन) शामिल है (शुद्ध प्रावधान)।

9.7: सहायक कंपनी (एफएसएनएल) के मामले में भिलाई यूनिट से बिल नहीं की गई राशि ₹ 484.61 मिलियन नियत है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड दुबरी से ₹ 121.35 मिलियन नियत है जिसने जुलाई 2019 से सभी प्रमुख परिचालन बंद कर दिया है एवं बड़े वित्तीय संकट की सामना कर रहा है।

filed the case being Original Application in the Debt Recovery Tribunal, Mumbai. MSTC had been and is contesting the claims of SCB before various forums including before the Hon'ble Bombay High Court, the DRT and DRAT, Mumbai including the Misc. Appeal filed by MSTC against an interim Order dated 16th September 2017 passed by the DRT, Mumbai against MSTC. In case appeal is heard by DRAT than MSTC has to make a pre deposit with DRAT, as per the provisions of relevant statute. SCB had filed a Summary Suit against ICICI Lombard for the recovery of the unrealised debts under the insurance policy, before the Bombay High Court which is pending. Pending final disposal of such cases including the Misc. Appeal filed by MSTC before the DRAT, Mumbai challenging the validity of the Order dated 16th September 2017 passed by the DRT, Mumbai, the disputed claim of SCB against MSTC has been shown as Unsecured Borrowings (vide note no 22) and Trade Receivables, without adjustments.

9.3: Trade receivables are generally secured either by way of stocks pledged by the customers with the Company or Bank Guarantees. In case there is a significant depletion in realizable value of such pledged stock against the book value of the corresponding receivables, the differential amount has been shown under 'Unsecured'.

Further 15 Nos. of Bank Guarantees (BG) amounting to ₹ 311.53 Millions submitted by a customer was invoked by the Company. The Customer has approached Hon'ble High Court of Andhra Pradesh with a prayer inter alia for stay on invocation. The Hon'ble High Court had initially granted interim stay. However, upon a prayer from the company, the Hon'ble Court in a subsequent hearing has ordered the Customer for extending the BGs which were due for expiry. The Customer has since complied with. As on date all the BGs are valid.

9.4: Trade Receivable Credit Impaired Includes the following:

(Amount in ₹ million)

Name of the Party	31st March 2021	31st March 2020
Gyscoal Alloys Ltd.	60.60	60.60
Meherkiran Enterprises Ltd.	430.05	430.05
Tirupati Fuels P. Ltd./BALAJI COKE	554.87	555.87
Sesa International Ltd.	587.12	587.12
Balasore Alloys Ltd.	131.59	19.71
Krishna Coke (India) Pvt Ltd	196.51	197.51
Siddhartha Tubes Ltd	55.56	55.56
Topworth Pipes and Tubes Ltd.	36.27	36.27
Topworth Urja & Metals Ltd	59.43	64.53
Crest Steel & power Ltd	376.67	299.13
Topworth Steels & Power Private Ltd	1035.78	916.88
Rohit Ferro Tech Ltd.	432.37	308.65
Concast Steel and Power Ltd	2208.42	2208.42
Maa Mahamaya Industries Ltd.	-	11.55
Jai Balaji Industries Ltd	473.40	315.70
SPS Steels Rolling Mills Ltd.	-	1889.22
Total	6,638.64	7,956.77

MSTC has initiated all steps including legal action to realise the dues from the above customers. The related cases are pending before adjudicating authorities at various levels.

9.5: Trade Receivables include ₹ 3,266.87 Millions, against business done in facilitator mode (net of provision) (Previous Year ₹ 6,537.58 Millions).

9.6: Trade Receivables include ₹ 678.13 Millions (Previous Year ₹ 695.00 Millions), against E-Commerce business (net of provision).

9.7: In case of Subsidiary (FSNL) ₹ 484.61 Million is due from Bhilai Unit for unbilled amount. ₹ 121.35 Million is due from Nilanchal Ispat Nigam limited, Duburi which has stopped all major operation from July 2019 and is facing huge financial crisis.

10. नकद एवं नकद समतुल्य

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
नकद एवं नकद समतुल्य		
(क) हाथ में नकद	0.02	-
(ख) बैंक में शेष		
(i) चालू खाता में	2,314.14	606.76
(ii) 3 माह से कम परिपक्वता अवधिवाले जमा खाते में	5,142.74	1,272.67
कुल	7,456.90	1,879.43

11. नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) बैंक के पास निर्दिष्ट शेष		
(i) दावारहित लाभांश खाता में	8.55	8.03
(ii) 3 महीने से अधिक मगर 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा	131.67	444.44
कुल	140.22	452.47

11.1 उपर्युक्त क(ii) जमा राशि में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए बैंक में बंधक रखे शून्य (पिछले वर्ष ₹ 424.65 मिलियन) एवं गारंटी के विरुद्ध मार्जिन ₹ 111.34 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 106.24 मिलियन) शामिल है।

11.2 सहायक कंपनी के मामले में, उपर्युक्त क(ii) जमा राशि में बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, इंडियन बैंक एवं आंध्रा बैंक के पास बैंक गारंटी एवं ओवरड्राफ्ट सुविधा के विरुद्ध बंधक राशि ₹ 20.33 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 338.19 मिलियन) शामिल है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) सुरक्षित जमा	113.92	115.87
(ख) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को ऋण	4.85	5.49
(ii) कर्मचारियों को प्राप्य अग्रिम	7.37	5.22
(iii) विक्रेताओं / ठेकेदारों / तीसरे पक्ष से प्राप्य	81.28	6.49
(iv) अन्य अग्रिम	1.59	1.81
(ग) निम्नोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज		
(i) मियादी जमा	43.72	96.95
(ii) कर्मचारियों को ऋण	0.08	0.08
शुद्ध ऋण एवं अग्रिम	252.81	231.91

13. अन्य परिसंपत्तियाँ (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) सार्वजनिक निकायों के साथ अग्रिम		
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पोर्ट ट्रस्ट आदि	71.44	50.70
(ख) पूर्व प्रदत्त पट्टा भुगतान लागत	0.01	0.01
(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम		
(i) कर्मचारियों को ऋण	22.75	18.92
(ii) आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	6.41	2.42
(iii) पूर्व प्रदत्त व्यय	23.31	24.11
(iv) अन्य	0.26	0.06
कुल अन्य परिसंपत्तियाँ	124.18	96.22

10. Cash and Cash Equivalents

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Cash and Cash Equivalents		
(a) Cash in hand	0.02	-
(b) Balances with banks		
(i) In Current Account	2,314.14	606.76
(ii) In Deposit Account Maturity less than 3 months	5,142.74	1,272.67
Total	7,456.90	1,879.43

11. Bank balances other than Cash & cash equivalents

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Earmarked Balances with banks		
(i) In Unclaimed dividend account	8.55	8.03
(ii) Deposits with original maturity of more than 3 months but less than 12 months	131.67	444.44
Total	140.22	452.47

11.1 The deposits at a(ii) above include Nil (Previous Year ₹ 424.65 Millions) pledged with banks against over draft facility. The deposit at (ii) represents Margin against guarantee ₹ 111.34 Millions (Previous Year ₹ 106.24 Millions).

11.2 In case of subsidiary, deposits at a(ii) includes ₹ 20.33 Millions (Previous Year ₹ 338.19 Millions) pledged with Bank of Baroda, IDBI, Indian Bank and Andhra Bank against Bank Guarantee and Overdraft facility.

12. Other financial assets (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Security deposits	113.92	115.87
(b) Other loans and advances		
(i) Loans to employees	4.85	5.49
(ii) Recoverable Advances to employees	7.37	5.22
(iii) Receivable from vendors / contractors / third party	81.28	6.49
(iv) Other Advances	1.59	1.81
(c) Interest accrued on		
(i) Term deposits	43.72	96.95
(ii) Loans to employees	0.08	0.08
Net Loans and advances	252.81	231.91

13. Other assets (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Advance with public bodies		
Customs, Excise, Sales Tax ,Port Trusts etc.	71.44	50.70
(b) Prepaid Lease Payments Cost	0.01	0.01
(c) Other loans and advances		
(i) Advances to employees	22.75	18.92
(ii) Advances to suppliers and service providers	6.41	2.42
(iii) Prepaid expenses	23.31	24.11
(iv) Others	0.26	0.06
Total Other assets	124.18	96.22

14. शेयर पूँजी

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
अधिकृत :		
₹ 10 प्रत्येक के 15,00,00,000 सामान्य शेयर	1,500.00	1,500.00
	1,500.00	1,500.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त :		
₹ 10 प्रत्येक के 704,00,000 सामान्य शेयर	704.00	704.00
	704.00	704.00

14(क)(i) बकाये शेयरों के पुनर्मिलान का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	मूल्य (₹ मिलियन)	संख्या	अंकित मूल्य (₹)	मूल्य (₹ मिलियन)
प्रारंभिक शेयर बकाया	70,400,000	10	704.00	70,400,000	10	704.00
अंतिम शेयर बकाया	70,400,000	10	704.00	70,400,000	10	704.00

14(क)(ii) इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमन्य एवं प्रतिबंध।

कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के सामान्य शेयर ("इक्विटी शेयर") हैं जिनका सममूल्य ₹ 10 प्रत्येक है। सामान्य शेयरों के प्रत्येक धारक ("इक्विटी शेयरधारक") एक वोट प्रति शेयर का अधिकारी है एवं लाभांश पाने एवं अधिशेष में भाग लेने के अधिकारी हैं, यदि समापन की स्थिति उत्पन्न होती है।

14(क)(iii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में 88,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

14(क)(iv) वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1:1 के अनुपात में 1,76,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

14(क)(v) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1:1 के अनुपात में 3,52,00,000 बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

14(क)(vi) : 5% से अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों का विवरण :

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	45580800	64.75%	45580800	64.75%
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	3003559	4.27%	6716279	9.54%

भारत सरकार ने मार्च 2019 के दौरान आईपीओ के माध्यम से एमएसटीसी लि. में अपने 25.10 % शेयर को विनिवेश किया है। एमएसटीसी लि. के इक्विटी शेयर 29 मार्च, 2019 से बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. दोनों में सूचीबद्ध एवं व्यापारित हैं। आईपीओ के बाद शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत है:

शेयरधारक	पूर्व आईपीओ %	आईपीओ के बाद %
भारत सरकार	89.85%	64.75%
अन्य	10.15%	35.25%
कुल	100.00%	100.00%

14. Share Capital

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Authorised:		
15,00,00,000 Ordinary Shares of ₹ 10 each	1,500.00	1,500.00
	1,500.00	1,500.00
Issued, Subscribed and fully paid up :		
704,00,000 Ordinary Shares of ₹ 10 each	704.00	704.00
	704.00	704.00

14(a)(I) Statement of Reconciliation of Shares Outstanding

Particulars	31st March 2021			31st March 2020		
	Number	Face Value (₹)	Amount (₹ Million)	Number	Face Value (₹)	Amount (₹ Million)
Opening Shares Outstanding	7,04,00,000	10	704.00	7,04,00,000	10	704.00
Closing Shares Outstanding	7,04,00,000	10	704.00	7,04,00,000	10	704.00

14(a)(ii) Rights, preferences and restrictions attached to equity shares.

The Company has only one class of ordinary shares ('Equity Shares') having a par value of ₹ 10 each. Each holder of ordinary shares ('Equity Shareholders') is entitled to one vote per share and are entitled to dividend and to participate in surplus, if any, in the event of winding up.

14(a)(iii) : 88,00,000 bonus shares have been issued during F.Y 2016-17 in the ratio of 1:1

14(a)(iv) : 1,76,00,000 bonus shares have been issued during F.Y 2017-18 in the ratio of 1:1

14(a)(v) : 3,52,00,000 bonus shares have been issued during F.Y 2018-19 in the ratio of 1:1

14(a)(vi) : Details of shareholders holding more than 5% of share holding

Name of the Shareholder	31st March 2021		31st March 2020	
	No. of shares held	% of holding	No. of shares held	% of holding
President of India	45580800	64.75%	45580800	64.75%
Life Insurance Corporation of India (LIC)	3003559	4.27%	6716279	9.54%

The Government of India has divested its 25.10 % stake in MSTC Ltd through IPO during March 2019. Equity shares of MSTC Limited are listed and traded on both BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited w.e.f. 29th March, 2019. Change in shareholding pattern post IPO is as following:

Shareholders	Pre IPO%	Post IPO%
Government of India	89.85%	64.75%
Other	10.15%	35.25%
Total	100.00%	100.00%

15. अन्य इक्विटी

	(राशि ₹ मिलियन में)	
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
पूंजी आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	341.60	341.60
अंतिम शेष	341.60	341.60
सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	6,482.50	6,482.50
अंतिम शेष	6,482.50	6,482.50
प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष	(2,788.88)	(3,648.41)
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ	1,129.59	970.14
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	(56.96)	(98.13)
घटाएं : अंतिम लाभांश : वित्तीय वर्ष 19-20	232.32	-
घटाएं : लाभांश वितरण कर : वित्तीय वर्ष 18-19 (अंतिम पर)	-	12.48
अंतिम शेष	(1,948.57)	(2,788.88)
कुल अन्य इक्विटी	4,875.53	4,035.22

16. व्यापार प्राप्य (गैर चालू)

	(राशि ₹ मिलियन में)	
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) व्यापार प्राप्य		
(1) असुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
(2) असुरक्षित, संदिग्ध मना गया	-	1.14
(3) घटाएं : संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान	-	1.14
कुल व्यापार प्राप्य	-	-

17. व्यापार देय (गैर चालू)

	(राशि ₹ मिलियन में)	
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(1) आपूर्तियों एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	-	-
- अन्य	-	2.64
कुल व्यापार देय	-	2.64

31 मार्च, 2021 एवं 31 मार्च, 2020 के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को 45 दिनों से अधिक का कोई ब्याज एवं अतिदेय भुगतान नहीं है।

18. अन्य वित्तीय देनदारियाँ (गैर-चालू)

	(राशि ₹ मिलियन में)	
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ईएफबीएस योजना के अधीन देनदारी	7.28	5.70
कुल अन्य वित्तीय देनदारी	7.28	5.70

15. Other Equity

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Capital Reserve		
Opening balance	341.60	341.60
Closing Balance	341.60	341.60
General Reserve		
Opening balance	6,482.50	6,482.50
Closing Balance	6,482.50	6,482.50
Retained Earnings		
Opening balance	(2,788.88)	(3,648.41)
Add: Profit for the year	1,129.59	970.14
Other Comprehensive income for the year	(56.96)	(98.13)
Less : Final Dividend: FY 19-20	232.32	-
Less: Dividend Distribution Tax: FY 18-19 (on final)	-	12.48
Closing Balance	(1,948.57)	(2,788.88)
Total Other Equity	4,875.53	4,035.22

16. Trade Receivables (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Trade Receivables		
(1) Unsecured, considered good	-	-
(2) Unsecured, considered doubtful	-	1.14
(3) Less: Provision for doubtful trade receivables	-	1.14
Total Trade Receivables	-	-

17. Trade payables (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(1) Creditors for supplies and services		
- Dues to micro and small enterprises	-	-
- Others	-	2.64
Total trade payables	-	2.64

Both as at 31st March, 2021 and as at 31st March, 2020, there is no interest and overdue payment of more than 45 days outstanding to Micro, Small and Medium Enterprises.

18. Other financial liabilities (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Liability under EFBS Scheme	7.28	5.70
Total other financial liabilities	7.28	5.70

19. प्रावधान (गैर चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(1) परिभाषित लाभ दायित्व		
(i) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	76.53	65.05
(ii) उपदान (ग्रेचुइटी)	61.01	93.19
(2) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	462.27	395.27
(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ में अंशदान	22.85	21.80
(iii) कर्मचारी बंदोबस्ती लाभ योजना	6.47	3.29
(3) अन्य कर्मचारी लाभ		
(i) अवकाश नकदीकरण लाभ	300.28	248.74
(ii) लम्बी सेवा के पुरस्कार	0.64	0.56
कुल प्रावधान	930.05	827.90

20. अन्य देनदारियाँ (गैर चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
ग्राहकों से अग्रिम	61.20	63.25
कुल अन्य देनदारियाँ	61.20	63.25

21. उधार (गैर चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
सुरक्षित उधार		
एसबीआई गृह निर्माण से ऋण	43.19	33.91
कुल	43.19	33.91

यह राशि - न्यूटाउन, राजारहाट, कोलकाता में होल्डिंग कंपनी के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त ऋण को प्रस्तुत करता है। ₹ 300 मिलियन की कुल अनुमोदित राशि में से ₹ 195.07 मिलियन राशि का वितरण किया गया है जो ₹ 12.50 मिलियन के तिमाही किस्तों में चुकायी जाएगी, जो 30 जून 2019 से शुरू होगी। प्रस्तावित कार्यालय भवन को गिरवी रखते हुए राशि की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। 30 जून 2019 से शुरू करते हुए तिमाही ईएमआई में ऋण भुगतान योग्य है। दैनिक शेष राशि विधि पर ब्याज की गणना की जाएगी एवं वितरण की तिथि में मासिक शेष आधार पर देय है। मियादी ऋण किस्तों के पूर्व-भुगतान के मामले में प्रयोज्य अनुसार पूर्व-भुगतान शुल्क लागू रहेगा।

22. उधार (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
क. सुरक्षित उधार		
(अ) मांग पर पुनः देय बैंक से		
(i) कार्यकारी पूंजी मांग ऋण #	13.82	794.11
(ii) एफडीआर पर लियन के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट*	-	271.61
(ब) बैंक से गृह निर्माण ऋण (टिप्पणी सं. 21 देखें)	50.72	50.69
कुल सुरक्षित उधार	64.54	1,116.41
ख. असुरक्षित उधार		
(अ) मांग पर पुनः देय बैंक से	1,436.20	1,436.20
कुल असुरक्षित उधार	1,436.20	1,436.20
कुल उधार	1,500.74	2,552.61

19. Provisions (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Provision for employee benefits		
(1) Defined benefit Obligations		
(i) Employees Family Benefit Scheme	76.53	65.05
(ii) Gratuity	61.01	93.19
(2) Retirement Benefit Obligations		
(i) Post Retirement Medical Benefit	462.27	395.27
(ii) Contributory Post Retirement Medical Benefit	22.85	21.80
(iii) Employees Settlement Benefit Scheme	6.47	3.29
(3) Other employee benefits		
(i) Leave Encashment Benefit	300.28	248.74
(ii) Long Service Awards	0.64	0.56
Total Provisions	930.05	827.90

20. Other liabilities (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Advance from customers	61.20	63.25
Total Other liabilities	61.20	63.25

21. Borrowings (Non Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Secured Borrowings		
House Building Loan from SBI	43.19	33.91
Total	43.19	33.91

The amount represents the loan obtained from State Bank of India for the construction of Corporate Office Building of Holding Company at Newtown, Rajarhat Kolkata. Out of the total sanctioned amount of ₹ 300 Millions, ₹ 195.07 Millions has been disbursed which shall be repaid in Quarterly Installments of ₹ 12.50 Millions commencing from 30th June 2019. The amount is secured by way of mortgage of the proposed Office Building. The loan is repayable in Quarterly EMI commencing from 30th June 2019. Interest is computed on daily balance method and is payable on monthly rest basis from the date of disbursement. Prepayment charges as applicable shall be payable in case of prepayment of term loan installments.

22. Borrowings (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
A. Secured Borrowings		
(a) Repayable on Demand		
From Banks:		
(i) Working Capital Demand Loans#	13.82	794.11
(ii) Overdraft against lien on FDR*	-	271.61
(b) House Building Loan from Bank (Refer Note No.21)	50.72	50.69
Total Secured Borrowings	64.54	1,116.41
B. Unsecured Borrowings		
(a) Repayable on Demand From Banks	1,436.20	1,436.20
Total Unsecured Borrowings	1,436.20	1,436.20
Total Borrowings	1,500.74	2,552.61

क) इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से ₹ 13.8 मिलियन का ऋण (19 सितंबर, 2011 से पड़ा हुआ): यह राशि बैंक द्वारा अपने दावे की प्रतिरक्षा में भुगतान किए गए कानूनी शुल्क को प्रस्तुत करता है जिस पर कंपनी ने बैंक पर एक विरोध दायर किया है। एमएसटीसी ने आईओबी के विरुद्ध ₹ 365.6 मिलियन के लिए कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है (जिसमें एलसी मूल्य के ऋण बाबत ₹ 279.8 मिलियन एवं कानूनी व्यय बाबत ऋण के रूप में ₹ 85.8 मिलियन शामिल है)।

ख) उपरोक्त राशि प्राप्य क्रय अनुबंध के तहत 2008-09 के दौरान खरीदारों को सोने के गहनों के निर्यात पर विदेशी खरीदारों को किए गए एमएसटीसी के निर्यात बिलों के क्रय के बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) द्वारा एमएसटीसी को भुगतान पर ₹ 1436.20 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 1436.20 मिलियन) को प्रस्तुत करता है। उक्त अनुबंध के अंतर्गत, एससीबी ने निर्यात बिलों के मूल्य का 95% भुगतान एमएसटीसी को किया एवं विदेशी खरीदार जिन पर एमएसटीसी द्वारा बिल किया गया था बिल का भुगतान बिल की संबंधित नियत तिथियों को सीधे एससीबी को करेंगे। एमएसटीसी द्वारा किए गए बिल के लिए विदेशी खरीदारों से किसी भुगतान की विफलता को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेस कंपनी के साथ एक बीमा नीति के माध्यम से एमएसटीसी को सह-बीमाकृत के रूप में लेते हुए, एससीबी द्वारा सुरक्षित रखे गए थे। विदेशी खरीदारों से कार्यवाहियों की गैर-प्राप्ति पर एससीबी ने बीमा कंपनी के पास दावा जमा किया, जिसने अनुचित प्रकार से एससीबी के दावे को नकार दिया। इसके बाद एससीबी ने प्राप्य क्रय अनुबंध के अधीन एमएसटीसी से क्रय किए गए प्राप्यों को ऋण/कर्ज में रूपांतरित किया एवं एमएसटीसी से राशि के लिए दावा किया एवं वर्ष 2012 में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मुंबई (डीआरटी) में मूल एप्लिकेशन के रूप में मामला दायर किया जिसे एमएसटीसी ने अस्वीकार करते हुए विवादित रखा है। 16 सितंबर, 2017 को डीआरटी अपीलेंट मुंबई द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध समेत ऐसी कार्यवाहियों में एससीबी के दावे की वैधता को एमएसटीसी द्वारा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मुंबई के समक्ष एक मिस. अपील दायर करते हुए चुनौती दी गई है, जो अभी लंबित है। यदि इस अपील की सुनवाई डीआरटी द्वारा की जाती है, तब एमएसटीसी संबंधित संविधि को प्रावधानों के अनुसार डीआरटी के पास पूर्व जमा करनी होगी। एससीबी के दावे को चुनौती देने वाली अन्य कार्यवाहियाँ भी माननीय उच्च न्यायालय, बॉम्बे एवं अलीपुर, कोलकाता के सिविल कोर्ट समेत विभिन्न फोरम में लंबित है जो एससीबी एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध एमएसटीसी द्वारा शुरू की गई है। तत्पश्चात एससीबी ने भी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के विरुद्ध माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में वर्ष 2012 के अंतिम पर्व में एक विधि संक्षिप्त मुकदमा दायर किया जिसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा एससीबी के दावे के नकारे जाने पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पॉलिसी के अंतर्गत उसी राशि का दावा किया गया। एससीबी का दावा कानूनी मामलों के परिणाम पर आकस्मिक है। ऐसे सभी अदालती मामलों जहाँ विषयवस्तु वर्तमान में लंबित है, के अंतिम निपटान को लंबित देखते हुए, एमएसटीसी बिना समायोजन के राशि को एक साथ असुरक्षित उधार एवं व्यापार प्राप्य के रूप में प्रकट किया है (टिप्पणी सं. 9.2 के माध्यम से)।

चालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित

* वर्तमान वर्ष के लिए एफडीआर पर लियन द्वारा सुरक्षित शून्य (पिछला वर्ष ₹ 695.02 मिलियन)

23. व्यापार देय (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(1) आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	0.35	0.75
- अन्य #	3,999.26	6,297.86
- मजदूरी एवं वेतन प्रोद्भूत *	308.53	238.16
कुल व्यापार देय	4,308.14	6,536.77

* कर्मचारी पेंशन लाभ के लिए प्रावधान बाबत वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 28.53 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 28.06 मिलियन) तथा 01 जनवरी, 2017 से नियत कर्मचारियों के मजदूरी संशोधन बाबत वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 67.64 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 47.36 मिलियन) शामिल है। सहायक कंपनी (एफएसएनएल) के मामले में 01 जनवरी, 2017 से नियत कर्मचारियों के मजदूरी संशोधन के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 86.53 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 95.66 मिलियन) शामिल है।

व्यापार प्राप्य में शून्य (पिछला वर्ष ₹ 484.32 मिलियन) शामिल है जिसके साथ लेटर ऑफ क्रेडिट है।

31 मार्च, 2021 के अनुसार एवं 31 मार्च 2020 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को 45 दिनों से अधिक का कोई ब्याज या अतिदेय भुगतान का बकाया नहीं है।

24. अन्य वित्तीय देनदारियाँ (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)		
विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) ब्याज देय		
(i) उधार पर ब्याज प्रोद्भूत मगर देय नहीं	788.90	788.90
(ख) दावारहित लाभांश	8.49	8.03
(ग) अन्य देनदारियों के लिए लेनदार		
(i) सुरक्षित जमा राशि/ईएमडी	6,489.31	4,690.98
(ii) ग्राहकों से प्राप्त जमा राशि	1,646.62	1,109.14
(iii) ईएफबीएस के अंतर्गत जमा	9.75	8.27
(iv) ईएफबीएस जमा योजनाओं के अंतर्गत देय	2.44	1.89
(v) अन्य	8.33	8.91
कुल अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8,953.84	6,616.12

- a) Loan from Indian Overseas Bank (IOB) amounting to ₹13.8 Millions (lying since 19th September, 2011): This amount represents legal fees paid by the bank in defending their claims to which the Company has lodged its protest with the Bank. MSTC has filed a case in Hon'ble High Court of Calcutta against IOB for ₹ 365.6 Millions (which includes ₹ 279.8 Million towards debit of LC value & ₹ 85.8 Millions as debit towards legal expenses).
- b) The above amount represents ₹ 1436.20 million (Previous year ₹1436.20 million) towards payment made by Standard Chartered Bank (SCB), after purchase of export bills of MSTC raised on foreign buyers against export of Gold Jewelleries to the buyers during 2008-09, under a Receivable Purchase Agreement. Under the said Agreement, SCB paid 95% of the value of export bills to MSTC and the foreign buyers on whom the bills were raised by MSTC would be paying against the bills directly to SCB on respective due dates mentioned in the bills. Payment failures, if any from the foreign buyers against the bills raised by MSTC was covered by SCB through an insurance Policy taken from ICICI Lombard General Insurance Company with MSTC as co-insured. On non receipt of the proceeds from the foreign buyers against the bills, SCB submitted claims with the Insurance Company, who, however, wrongfully repudiated the claim of SCB. Thereafter, SCB converted the receivables purchased from MSTC under the Receivables Purchase Agreement into loans / debts as if owing by MSTC, claimed the amount from MSTC with interest and filed a case, being the Original Application in the Debt Recovery Tribunal, Mumbai (DRT) in the year 2012, which MSTC has denied and disputed. The validity of the claim of SCB in such proceedings including against an Interim Order passed by the DRT, Mumbai on 16th September, 2017 have been challenged by MSTC by filing a Misc. Appeal before the Debt Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, which are currently pending. In case appeal is heard by DRAT then MSTC has to make a pre deposit with DRAT, as per the provisions of relevant statute. Other proceedings challenging the claim of SCB are also pending before various forums including the Hon'ble High Court, Bombay and in the Civil Court at Alipore, Kolkata initiated by MSTC both against SCB and the Insurance Company. Subsequently, SCB also filed a Summary Suit in late 2012 in the Hon'ble Bombay High Court against ICICI Lombard claiming the same amount under the Policy from ICICI Lombard on account of the repudiation of the claim of SCB by ICICI Lombard. The claim of SCB is contingent upon the outcome of the legal cases. Pending final disposal of all such court cases where the matters are currently pending, MSTC has disclosed the amount simultaneously as Unsecured Borrowings and as Trade Receivables (vide Note No. 9.2).

Secured against Current Assets.

* Secured by lien on FDR current year Nil (Previous Year ₹ 695.02 Millions).

23. Trade payables (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(1) Creditors for supplies and services		
- Dues to micro and small enterprises	0.35	0.75
- Others #	3,999.26	6,297.86
- Accrued wages and salaries*	308.53	238.16
Total trade payables	4,308.14	6,536.77

* It includes ₹ 28.53 Millions in FY 2020-21 (Previous Year ₹28.06 Millions) towards provision for pension benefit of employees and ₹ 67.64 Millions in FY 2020-21 (Previous Year ₹ 47.36 Millions) towards wage revision of the employees due from 1st January, 2017. In case of Subsidiary (FSNL) it includes ₹ 86.53 Millions in FY 2020-21 (Previous Year ₹ 95.66 Millions) towards wage revision of the employees due from 1st January, 2017.

Trade Payable includes Nil (Previous Year ₹ 484.32 Millions) backed by Letter of credit.

Both as at 31st March, 2021 and as at 31st March, 2020, there is no interest and overdue payment of more than 45 days outstanding to Micro, Small and Medium Enterprises.

24. Other financial liabilities (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Interest payable		
(i) Interest accrued but not due on borrowings	788.90	788.90
(b) Unclaimed dividends	8.49	8.03
(c) Creditors for other liabilities		
(i) Security deposits/EMD	6,489.31	4,690.98
(ii) Deposits received from customers	1,646.62	1,109.14
(iii) Deposit under EFBS	9.75	8.27
(iv) Payable under EFBS Deposit schemes	2.44	1.89
(v) Others	8.33	8.91
Total other financial liabilities	8,953.84	6,616.12

25. प्रावधान (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(1) परिभाषित लाभ दायित्व		
कर्मचारी परिवार लाभ योजना	25.35	19.06
(2) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	8.59	9.19
(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ में अंशदान	0.90	1.24
(iii) कर्मचारी बंदोबस्ती लाभ योजना	0.55	0.26
(3) अन्य कर्मचारी लाभ		
(i) अवकाश नकदीकरण लाभ	17.35	17.23
(ii) लम्बी सेवा के पुरस्कार	0.05	0.13
(iii) मजदूरी संशोधन	348.69	262.16
(iv) गैर-कार्यपालकों को देय अतिरिक्त संसाधन अर्जन योजना	5.10	6.43
(v) कार्य-निष्पादन संबंधित भुगतान		
2018-19 के लिए	-	16.46
2019-20 के लिए	19.54	20.56
2020-21 के लिए	8.42	-
(4) भविष्य निधि #	-	25.17
(ख) अन्य प्रावधान*	31.19	25.26
कुल प्रावधान	465.73	403.15

* सहायक कंपनी के मामले में, अन्य प्रावधान में एमवीआई द्वारा जारी किए गए दुर्घटना दावा, मांग आदि शामिल हैं।

यह पीएफ ट्रस्ट की आय में कमी हेतु अंशदान के लिए शून्य (पिछला वर्ष ₹ 25.17 मिलियन) के लिए प्रावधान प्रस्तुत करता है। (टिप्पणी सं. 41 देखें)

26. अन्य देनदारियाँ (चालू)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(i) वैधानिक देय		
(क) सेवा कर एवं जीएसटी देय	171.98	124.22
(ख) स्रोत पर कर कटौती एवं एकत्रित	373.75	24.91
(ग) भविष्य निधि एवं पेंशन	16.93	17.30
(घ) कार्यकारी के लिए पेंशन	14.95	15.38
(ङ) अन्य	0.06	0.15
(ii) ग्राहकों से अग्रिम	43.18	39.81
कुल अन्य देनदारियाँ	620.85	221.77

27. बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	30.15	29.60
(ख) बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति के साथ संबंधित देनदारियाँ	7.06	8.46

सहायक कंपनी के मामले में :

- बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति उनके पुनरांकित मूल्य पर “चालू परिसंपत्तियाँ” के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं, क्योंकि ये परिसंपत्तियाँ आम जारी प्रचालनों से पहले ही समाप्त हो चुकी हैं एवं केवल बिक्री/नीलामी के लिए रखी हुई हैं। इसके अलावा, जब प्रबंधन अपेक्षा करता है कि उक्त परिसंपत्तियाँ का कोई भी हिस्सा तुलनपत्र की तिथि के एक वर्ष के अंदर संभवतः निपटारा जाएगा, पुनरांकित किया जाएगा, तो उसे चालू परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- एच 1 बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि परन्तु रिपोर्टिंग तिथि को संपत्ति/ सब-असेम्बली को उठाया नहीं जाता है, तो “बिक्री के लिए धारित संपत्ति से संबंधित सीधे देनदारी” के अधीन विचार किया जाता है।

25. Provisions (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Provision for employee benefits		
(1) Defined benefit Obligations		
Employee Family Benefit Scheme	25.35	19.06
(2) Retirement Benefit Obligations		
(i) Post Retirement Medical Benefit	8.59	9.19
(ii) Contributory Post Retirement Medical Benefit	0.90	1.24
(iii) Employees Settlement Benefit Scheme	0.55	0.26
(3) Other employee benefits		
(i) Leave Encashment Benefit	17.35	17.23
(ii) Long Service Awards	0.05	0.13
(iii) Wage Revision	348.69	262.16
(iv) Additional Resource Generation Scheme payable to Non-executives	5.10	6.43
(v) Performance Related Pay		
For 2018-19	-	16.46
For 2019-20	19.54	20.56
For 2020-21	8.42	-
(4) Provident Fund #	-	25.17
(b) Other Provisions*	31.19	25.26
Total Provisions	465.73	403.15

* Other Provisions includes accident claim, demand raised by MVI, etc. in case of subsidiary company.

This represents the provision for Nil (Previous Year - ₹ 25.17 Million) towards the contribution for deficit in income of PF Trust. (Refer Note No. 41)

26. Other liabilities (Current)

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(i) Statutory Dues		
(a) Service Tax & GST payable	171.98	124.22
(b) Tax deducted and collected at source	373.75	24.91
(c) Provident Fund and Pension	16.93	17.30
(d) Pension for Executive	14.95	15.38
(e) Others	0.06	0.15
(ii) Advance from customers	43.18	39.81
Total Other liabilities	620.85	221.77

27. Assets classified as held for sale

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Property, Plant and Equipment	30.15	29.60
(b) Liabilities associated with asset held for sale	7.06	8.46

In the case of Subsidiary :

- (1) Asset classified as held for sale is classified under "Current Assets" at their written down value since these assets have already been retired from normal continuing operations and is held only for sale / auction. Further, where management expects that any part of the said assets is likely to be disposed off written off within one year on the Balance Sheet date, the same are classified as current assets.
- (2) Amount deposited by H1 bidder but asset / sub-assemblies not lifted on reporting date is considered under "Liabilities directly associated with asset held for sale".

28. प्रचालनों से राजस्व

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) वस्तुओं की बिक्री	1,757.69	5,703.60
(ख) सेवा प्रभार	2,057.66	1,903.47
(ग) अन्य प्रचालन राजस्व	461.90	699.73
(घ) स्ट्रैप एवं अन्य मदों का प्रक्रियाकरण	3,527.41	4,007.19
प्रचालन से कुल राजस्व	7,804.66	12,313.99

(क) वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी के ई-नीलामी पंजीकरण बाबत ₹ 51.41 मिलियन की राशि (पिछले वर्ष ₹ 48.12 मिलियन) एकत्रित की गई। वर्तमान वर्ष के कुल संग्रह में से ₹ 41.13 मिलियन की राशि (पिछले वर्ष ₹ 38.50 मिलियन) देनदारियों में रखी गई है जो तदुपरांत चार वर्षों में वितरित की जाएगी क्योंकि संबंधित पंजीकरण जीवन भर के लिए वैध है। दिनांक 31 मार्च, 2021 के अनुसार, संचित अवितरित शेष ₹ 104.38 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 103.07 मिलियन) है। शेष राशि जिसके लिए पंजीकरण एक वर्ष तक के लिए वैध है, को वर्तमान वर्ष के दौरान आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

(ख) अन्य प्रचालन राजस्व में ग्राहकों से ब्याज बाबत ₹ 345.04 मिलियन भी शामिल है। (पिछले वर्ष ₹ 586.73 मिलियन)

(ग) होल्डिंग कंपनी के सेवा प्रभार एवं ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती वर्तमान वर्ष में ₹ 99.79 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 126.67 मिलियन) है।

(घ) सहायक कंपनी (एफएसएनएल) के मामले में, वित्त वर्ष 2019-20 में बुक किए गए बगैर बिल युक्त आय के तहत भिलाई स्टील प्लांट द्वारा दरों में संशोधन के कारण भिलाई युनिट के मामले में ₹ 53.22 मिलियन वापस हो गई है।

29. अन्य आय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) ब्याज आय		
(1) एफडीआर पर ब्याज	132.41	140.85
(2) कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	2.90	3.23
(ख) प्रावधान जो आवश्यक नहीं रहा, पुनरांकित किया गया	12.76	-
(ग) देवता वापस लिखी गई	1,968.13	482.51
(घ) सब-असेम्बली की बिक्री	1.68	1.01
(ङ) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	2.10	0.47
(च) तरलीकृत क्षतियाँ एवं अन्य वसूली	1.49	2.68
(छ) विविध आय	14.66	15.24
कुल अन्य आय	2,136.13	645.99

होल्डिंग कंपनी के बैंक जमा पर ब्याज से स्रोत पर कर कटौती ₹ 4.99 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 7.54 मिलियन) है।

30. स्टॉक-इन-ट्रेड का क्रय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) स्टॉक-इन-ट्रेड का क्रय	1,746.07	5,663.12
(ख) लैन्सिंग ट्यूब्स	4.35	4.92
(ग) ऑक्सीजन एवं एसीटिलीन	23.36	29.98
(घ) लुब्रिकेन्ट्स	10.85	14.51
(ङ) डीजल एवं गैसोलीन	278.02	295.11
(च) स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स	104.53	133.19
(छ) जल, विद्युत, ईंधन	10.28	11.15
कुल	2,177.46	6,151.98

28. Revenue from operations

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Sale of Goods	1,757.69	5,703.60
(b) Service Charges	2,057.66	1,903.47
(c) Other Operating Revenues	461.90	699.73
(d) Processing of scrap & other items	3,527.41	4,007.19
Total Revenue from Operations	7,804.66	12,313.99

(a) During the year, an amount of ₹ 51.41 Millions (Previous Year ₹ 48.12 Millions) was collected towards E-auction Registration of Holding Company. Out of total collection of current year, an amount of ₹ 41.13 Millions (Previous Year ₹ 38.50 Millions) has been kept in liabilities to be distributed in subsequent four years, since related registration is valid for life long. Accumulated undistributed balance standing as on 31st March, 2021 is ₹ 104.38 Millions (Previous Year ₹103.07 Millions). Balance amount for which registration is valid upto one year is accounted for as income during the current period.

(b) Other Operating Revenues of Holding Company also include Interest from customers ₹ 345.04 Millions in current year (Previous Year ₹ 586.73 Millions).

(c) Tax deducted at source on Service Charge and Interest income of Holding Company amounts to ₹ 99.79 Millions in current year (Previous Year ₹ 126.67 Millions).

(d) In case of Subsidiary (FSNL) ₹ 53.22 Million has been reversed in case of Bhilai unit due to revision in rates by Bhilai Steel Plant against unbilled Revenue booked in FY 2019-20.

29. Other income

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Interest income		
(i) Interest on FDR	132.41	140.85
(ii) Interest on Employee Advances	2.90	3.23
(b) Liability written back	12.76	-
(c) Provision no longer required written back	1,968.13	482.51
(d) Sale of Sub-assemblies	1.68	1.01
(e) Profit on Sale of Assets	2.10	0.47
(f) Liquidated damages and other recoveries	1.49	2.68
(g) Miscellaneous income	14.66	15.24
Total Other Income	2,136.13	645.99

Tax deducted at source from interest on bank deposits of Holding company amounted to ₹ 4.99 Millions (Previous Year ₹ 7.54 Millions).

30. Purchases of Stock-in-Trade

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Purchases of Stock-in-Trade	1,746.07	5,663.12
(b) Lancing Tubes	4.35	4.92
(c) Oxygen & Acetylene	23.36	29.98
(d) Lubricants	10.85	14.51
(e) Diesel & Gasolene	278.02	295.11
(f) Stores & Spare Parts	104.53	133.19
(g) Water, Power, Fuel	10.28	11.15
Total	2,177.46	6,151.98

31. कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) वेतन एवं मजदूरी, बोनस समेत	1,410.70	1,502.96
(ख) भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	147.64	148.82
(ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	175.59	176.27
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	1,733.93	1,828.05

32. वित्त लागत

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) ब्याज व्यय		
(i) अल्पकालिक उधारों पर ब्याज	10.92	230.38
(ii) ग्राहकों को भुगतान किया गया ब्याज	60.23	56.70
(iii) ईएफबीएस जमा राशियों के खाते पर ब्याज	0.31	0.14
कुल वित्त लागत	71.46	287.22

31. Employee Benefit Expense

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Salaries and wages, including bonus	1,410.70	1,502.96
(b) Contribution to provident and other funds	147.64	148.82
(c) Staff welfare expenses	175.59	176.27
Total Employee Benefit Expense	1,733.93	1,828.05

32. Finance costs

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Interest expense		
(i) Interest on Short term borrowings	10.92	230.38
(ii) Interest Paid to Customers	60.23	56.70
(iii) Interest on account of EFBS Deposits	0.31	0.14
Total finance costs	71.46	287.22

33. अन्य व्यय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(क) मरम्मत एवं रखरखाव		
(i) मशीनरी	65.27	87.53
(ii) भवन	1.24	3.74
(iii) अन्य	48.20	46.11
(ख) ईडीपी व्यय	8.95	14.73
(ग) बीमा शुल्क	15.51	11.21
(घ) किराया	34.80	35.03
(ङ) दर एवं कर	6.43	10.83
(च) बैंक शुल्क	7.91	8.18
(छ) यात्रा व्यय	7.39	33.47
(ज) विदेशी यात्रा व्यय	-	-
(झ) गाड़ी भाड़ा शुल्क	10.88	12.70
(ञ) बैठक एवं सम्मेलन	1.57	5.44
(ट) प्रशिक्षण	1.04	5.26
(ठ) निदेशक का बैठक शुल्क	0.65	1.25
(ड) सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक		
(i) लेखा परीक्षा शुल्क	1.24	1.14
(ii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.14	0.14
(iii) फुटकर व्यय	0.39	0.72
(ढ) टैलेक्स, पोस्टेज एवं टेलीग्राम	1.69	4.09
(ण) बिजली	9.57	11.47
(त) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.21	7.44
(थ) मनोरंजन	1.42	2.02
(द) टेलीफोन शुल्क	6.32	5.18
(ध) विज्ञापन	4.61	7.44
(न) कानूनी व्यय	8.29	18.47
(प) परामर्श शुल्क	6.41	10.79
(फ) आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.16	0.28
(ब) फुटकर व्यय (आंतरिक लेखापरीक्षक)	0.27	0.63
(भ) विविध व्यय	35.72	37.32
(म) कर्मचारी नियुक्ति व्यय	0.45	0.71
(य) समाचारपत्र, पुस्तक एवं पत्रिकाएँ	0.20	0.24
(कक) निगमित सामाजिक दायित्व (टिप्पणी सं.42 देखें)	50.00	11.71
(कख) नीलामी निविदा व्यय	8.48	9.99
(कग) बाहरी एजेंसी / किराये पर उपकरण के जरिए सेवा लागत	1,326.66	1,510.41
(कघ) प्रचालन कार्यों के लिए जनशक्ति किराये पर लेना	72.28	88.29
(कङ) सुरक्षा सेवाएँ	46.65	43.20
(कच) खराब ऋण बट्टे में डाला गया	1,803.61	373.99
(कछ) खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों/ऋण के लिए भत्ते *	176.98	387.36
(कज) स्टॉक यार्ड व्यय	13.90	9.80
(कझ) भाड़ा	6.19	4.75
(कञ) अचल संपत्ति को बट्टे खाते में डालने/बेचने पर हानि	2.56	0.84
(कट) निपटान के लिए प्रतीक्षारत परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान	8.89	7.56
(कठ) दान*	50.00	-
(कड) क्रेडिट नोट पर छूट	4.84	-
(कढ) प्लॉट किराया	0.75	0.75
कुल अन्य व्यय	4,403.72	2,832.21

* होल्डिंग कंपनी के मामले में टिप्पणी

- 1) दान में राशि पीएम केयर्स फंड में दी गई राशि कके दर्शाती है।
- 2) उपर्युक्त (कच) में खराब ऋण बट्टा में डाला गया लेखा संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान में धारित समरूप राशि के व्यवसाय के कैश एवं कैरी मॉडल के अधीन प्राप्य नहीं हुई व्यापार प्राप्य को दर्शाता है जो पुनरांकित किया गया है एवं टिप्पणी 26 (घ) का हिस्सा है। उपर्युक्त बट्टे में डाला गई राशि 11 फरवरी 2021 को आयोजित बैठक सं. 303 में निदेशक मंडल के अनुमोदम के अनुसार है।
- 3) खराब एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते वर्ष के दौरान कि गया प्रावधान है जो 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही के लेखे से कार्यान्वित व्यापार प्राप्य पर प्रावधानीकरण नीति के अनुसार है।

33. Other expenses

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(a) Repairs and Maintainance for		
(i) Machinery	65.27	87.53
(ii) Building	1.24	3.74
(iii) Others	48.20	46.11
(b) EDP Expenses	8.95	14.73
(c) Insurance charges	15.51	11.21
(d) Rent	34.80	35.03
(e) Rates and taxes	6.43	10.83
(f) Bank Charges	7.91	8.18
(g) Travelling Expenses	7.39	33.47
(h) Foreign Travelling Expenses	-	-
(i) Car Hire Charges	10.88	12.70
(j) Meeting and Conference	1.57	5.44
(k) Training	1.04	5.26
(l) Directors' Sitting Fees	0.65	1.25
(m) Statutory Auditors' Remuneration		
(i) Audit Fees	1.24	1.14
(ii) Tax Audit Fees	0.14	0.14
(iii) Out-of-Pocket Expenses	0.39	0.72
(n) Telex, Postage and Telegram	1.69	4.09
(o) Electricity	9.57	11.47
(p) Printing and Stationery	5.21	7.44
(q) Entertainment	1.42	2.02
(r) Telephone Charges	6.32	5.18
(s) Advertisement	4.61	7.44
(t) Legal Expenses	8.29	18.47
(u) Consultancy Charges	6.41	10.79
(v) Internal Audit fees	0.16	0.28
(w) Out-of-Pocket Expenses (Internal Auditor)	0.27	0.63
(x) Miscellaneous Expenses	35.72	37.32
(y) Staff Recruitment Expenses	0.45	0.71
(z) Newspaper, Books and Periodicals	0.20	0.24
(aa) Corporate Social Responsibility (Refer Note No - 42)	50.00	11.71
(ab) Auction Tender Expenses	8.48	9.99
(ac) Cost of services through outside agency/Equipment rent	1,326.66	1,510.41
(ad) Hiring of manpower for operational activities	72.28	88.29
(ae) Security Services	46.65	43.20
(af) Bad Debts Written off	1,803.61	373.99
(ag) Allowance for Bad and Doubtful Advances/Debts *	716.98	387.36
(ah) Stock Yard Expenses	13.90	9.80
(ai) Freight	6.19	4.75
(aj) Loss of written off / Sale of Fixed Assets	2.56	0.84
(ak) Provision for Assets Awaiting for Disposal	8.89	7.56
(al) Donation *	50.00	-
(am) Discount on Credit Notes	4.84	-
(an) Plot Rent	0.75	0.75
Total Other Expenses	4,403.72	2,832.21

* Notes in case of Holding Company

- 1) The Company has made a Donation to PM CARES Fund.
- 2) Bad Debt written off at (af) above represents unrealised trade receivable under cash and carry model of business with equivalent amount held in Provision for Doubtful Debts and Advances which has been written back and is part of Note 26(d). The above write off is as per approval of Board of Directors in Meeting no. 303 held on 11th February, 2021.
- 3) Allowances for Bad and Doubtful Advances are provision made during the year as per Provisioning Policy on Trade Receivable implemented from third Quarter Accounts ending 31st December, 2019.

34 (क). 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए होल्डिंग कंपनी के प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, विक्रय एवं अंतिम स्टॉक का विवरण

(मात्रा '000 एमटी/एमटीआर)/ (राशि ₹ मिलियन में)

सामग्री का विवरण		शुरुआती स्टॉक		क्रय		विक्रय		अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कोक /कोल	2020-21	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019-20	-	-	548.92	2,398.94	548.92	2,417.77	-	-
पाइप्स एवं ट्यूब्स	2020-21	-	-	190.03	1,841.70	190.03	1,853.44	-	-
	2019-20	-	-	44.13	3,261.69	44.13	3,283.34	-	-
	2020-21	-	-	-	1,841.70	-	1,853.44	-	-
	2019-20	-	-	-	5,660.63	-	5,701.11	-	-
जोड़ :	2020-21	अंतिम बिल समायोजन		-	(95.63)	-	(95.75)	-	-
	2019-20	-	-	-	2.49	-	2.49	-	-
अंतिम :	2020-21	-	-	-	1,746.07	-	1,757.69	-	-
	2019-20	-	-	-	5,663.12	-	5,703.60	-	-

34(ख). उपरोक्त के अलावा होल्डिंग कंपनी ने फेसिलिटेटर (सुगमकर्ता) के रूप में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सामग्री का भी क्रय किया है:

(मात्रा '000 एमटी/एमटीआर)/ (राशि ₹ मिलियन में)

सामग्री का विवरण		मात्रा	खरीद मूल्य	अर्जित सेवा प्रभार
कोक / कोल	2020-21	-	-	-
	2019-20	132.33	236.85	4.40
टावर	2020-21	-	-	0.58
	2019-20	3.97	93.61	0.94
विविध सामग्रियां	2020-21	112.00	10.00	4.01
	2019-20	396.26	642.79	11.05
टीएमटी बार	2020-21	4,157.00	78.33	15.49
	2019-20	2,942.83	2,094.74	30.51
क्रोम अयस्क	2020-21	12.00	7.00	1.33
	2019-20	17.65	1,430.64	13.19
चैनल	2020-21	1,200.00	54.52	7.28
	2019-20	22.19	1,045.13	9.02
विद्युत उपकरण/परियोजना सामग्री	2020-21	-	-	1.39
	2019-20	364.00	315.85	3.18
कुल	2020-21	5,481.00	149.85	30.08
	2019-20	3,879.23	5,859.61	72.29

34 (a). Statement of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing Stock of Holding Company for the year ended 31st March 2021

(Qty '000 MT/MTR) (Amount in ₹ million)

Description of material		Opening Stock		Purchases		Sales		Closing Stock	
		Qty	Value	Qty	Value	Qty	Value	Qty	Value
Coke / Coal	2020-21	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019-20	-	-	548.92	2,398.94	548.92	2,417.77	-	-
Pipes & Tubes	2020-21	-	-	190.03	1,841.70	190.03	1,853.44	-	-
	2019-20	-	-	44.13	3,261.69	44.13	3,283.34	-	-
	2020-21	-	-	-	1,841.70	-	1,853.44	-	-
	2019-20	-	-	-	5,660.63	-	5,701.11	-	-
Add :	2020-21	Final Bill Adjustment		-	(95.63)	-	(95.75)	-	-
	2019-20	-	-	-	2.49	-	2.49	-	-
Closing	2020-21	-	-	-	1,746.07	-	1,757.69	-	-
	2019-20	-	-	-	5,663.12	-	5,703.60	-	-

34 (b) . In addition to above the Holding Company have also purchased material as facilitator as per details below:

(Qty '000 MT/MTR) (Amount in ₹ million)

Description of material		Qty	Purchase Value	Service Charges Earned
Coke / Coal	2020-21	-	-	-
	2019-20	132.33	236.85	4.40
Tower	2020-21	-	-	0.58
	2019-20	3.97	93.61	0.94
Misc Items	2020-21	112.00	10.00	4.01
	2019-20	396.26	642.79	11.05
TMT Bar	2020-21	4,157.00	78.33	15.49
	2019-20	2,942.83	2,094.74	30.51
Chrome Ore	2020-21	12.00	7.00	1.33
	2019-20	17.65	1,430.64	13.19
Channel	2020-21	1,200.00	54.52	7.28
	2019-20	22.19	1,045.13	9.02
Electrical Equipment/Project Materials	2020-21	-	-	1.39
	2019-20	364.00	315.85	3.18
Total	2020-21	5,481.00	149.85	30.08
	2019-20	3,879.23	5,859.61	72.29

34(ग). आईएनडी एस 108 के अनुसार सेगमेंट-वार रिपोर्टिंग :

इंड एस 108 के अनुसार, समूह ने मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एवं स्क्रेप रिकवरी व सम्बद्ध कार्यों को अपने तीन प्राथमिक रिपोर्ट योग्य व्यवसाय क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। कोई द्वितीयक सेगमेंट नहीं है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण		मार्केटिंग	ई- कॉमर्स	अन्य (अनावंटित)	स्क़ैप रिकवरी व सम्बद्ध कार्य	कुल
कुल राजस्व	2020-21	4,062.61	2,212.16	16.34	3,649.68	9,940.79
	2019-20	6,463.57	2,019.72	377.82	4,098.87	12,959.98
कुल व्यय	2020-21	4,251.65	100.82	900.66	3,328.83	8,581.96
	2019-20	6,295.15	24.71	1,334.16	3,638.53	11,292.55
कर पूर्व लाभ/(हानि)	2020-21	(189.04)	2,111.34	(884.32)	320.85	1,358.83
	2019-20	168.42	1,995.01	(956.34)	460.34	1,667.43
कर व्यय	2020-21	-	-	-	-	229.25
	2019-20	-	-	-	-	697.29
वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	2020-21	-	-	-	-	1,129.58
	2019-20	-	-	-	-	970.14

समूह के व्यवसाय में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को किसी भी रिपोर्ट योग्य सेगमेंट या खंड में चिह्नित नहीं किया गया है, क्योंकि ये खंडों के मध्य अंतर-परिवर्तन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसलिए प्रबंधन को विश्वास है कि परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से संबंधित खंड का प्रकटन व्यवहारयोग्य नहीं है।

प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

संस्था के राजस्व के 10 प्रतिशत या अधिक की राशि वाले एकल बाह्य ग्राहक के साथ लेनदेन से प्राप्त राजस्व नीचे दिए गए हैं :

(राशि ₹ मिलियन में)

प्रमुख ग्राहक (10% से अधिक राजस्व रखने वाले ग्राहक)	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
कुल राजस्व	1853.44	6293.32
ग्राहकों की सं.	2	2
कुल राजस्व का %	18.64	48.56
उत्पाद खंड	विपणन एवं स्क्रेप रिकवरी व सम्बद्ध कार्य	विपणन एवं स्क्रेप रिकवरी व सम्बद्ध कार्य

35. विदेशी मुद्रा में खर्च किया गया व्यय :

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
सामानों का आयात	-	201.25
कुल	-	201.25

36. आकस्मिक देनदारियाँ एवं प्रतिबद्धताएँ

(क) आकस्मिक देनदारियाँ

(राशि ₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1	बिक्री कर एवं सीमा शुल्क	329.08	327.82
2	मुद्रा मामले	1742.70	1,567.84
3	पंचाट	3.02	3.02
4	आय कर	0.99	26.57
5	सेवा कर	515.67	792.25
6	कंपनी के विरुद्ध दावे ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं	36.98	13.59
7	बकाया बैंक गारंटी	56.99	146.95
	कुल	2685.43	2,878.04

(ख) प्रतिबद्धताएँ

(राशि ₹ मिलियन में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
1	न्यू टाउन, कोलकाता में नये कार्यालय भवन का निर्माण	75.14	160.92
2	ठेके की अनुमानित राशि पूँजी खाते पर निष्पादन किया जाना है एवं प्रदान नहीं किया गया (अग्रिम छोड़कर)	29.12	7.97
	कुल	104.26	168.89

34 (c) . Segmental Reporting as per IndAS 108:

In terms of IndAS 108 the Group has identified Marketing, E-Commerce and Scrap Recovery & Allied Jobs as its three Primary Reportable Business Segments. There is no Secondary Segment.

(Amount in ₹ million)

Particulars		Marketing	E-Commerce	Others (unallocated)	Scrap Recovery & Allied Jobs	Total
Total Revenue	2020-21	4,062.61	2,212.16	16.34	3,649.68	9,940.79
	2019-20	6,463.57	2,019.72	377.82	4,098.87	12,959.98
Total Expenses	2020-21	4,251.65	100.82	900.66	3,328.83	8,581.96
	2019-20	6,295.15	24.71	1,334.16	3,638.53	11,292.55
Profit/(Loss) before Tax	2020-21	(189.04)	2,111.34	(884.32)	320.85	1,358.83
	2019-20	168.42	1,995.01	(956.34)	460.34	1,667.43
Tax expenses	2020-21	-	-	-	-	229.25
	2019-20	-	-	-	-	697.29
Profit/(Loss) for the year	2020-21	-	-	-	-	1,129.58
	2019-20	-	-	-	-	970.14

Assets and liabilities used in the Group's business are not identified to any of the reportable segments, as these are used interchangeably between the segments. Hence the Management believes, that it is currently not practicable to provide segment disclosure related to assets and liabilities.

Information about major customers

The revenues from transactions with a single external customer amounting to 10% or more of the entity's revenues are given below:-

(Amount in ₹ million)

Major Customer (Customer having more than 10% revenue)	31st March 2021	31st March 2020
Total Revenue	1853.44	6293.32
No. of Customers	2	2
% of Total Revenue	18.64	48.56
Product Segment	Marketing and Scrap Recovery & Allied Jobs	Marketing and Scrap Recovery & Allied Jobs

35. Expenditure incurred in Foreign Currency:

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Import of Goods	-	201.25
Total	-	201.25

36. Contingent Liabilities & Commitments**(a) Contingent Liabilities**

(Amount in ₹ million)

Sl No.	Particulars	31st March 2021	31st March 2020
1	Sales Tax & Customs	329.08	327.82
2	Money Suits	1,742.70	1,567.84
3	Arbitration	3.02	3.02
4	Income Tax	0.99	26.57
5	Service Tax	515.67	792.25
6	Claims against the company not acknowledged as debt	36.98	13.59
7	Outstanding Bank Guarantees	56.99	146.95
	Total	2,685.43	2,878.04

(b) Commitments

(Amount in ₹ million)

Sl No.	Particulars	31st March 2021	31st March 2020
1	Construction of New Office Building at New town Kolkata	75.14	160.92
2	Estimated amounts of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances)	29.12	7.97
	Total	104.26	168.89

37. कर व्यय

(i) लाभ एवं हानि विवरण में आय कर की मान्यता

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(1) चालू कर		
- अवधि के लिए	103.05	306.85
- पूर्व के वर्षों के लिए	103.91	54.90
(2) आस्थगित कर	22.30	335.54
चालू वर्ष में कुल आयकर व्यय की मान्यता	229.26	697.29

(ii) अवधि के लिए आय कर व्यय को लाभ (हानि) के लेखाकरण में निम्नानुसार सामंजस्य किया जा सकता है :

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(1) वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ	1,358.84	1,667.43
(2) होल्डिंग कंपनी के मामले में आय कर व्यय की गणना 34.944 % पर एवं सहयोगी कंपनी (एफएसएनएल) में 25.168%	515.12	568.31
(3) व्यय का प्रभाव जो करयोग्य लाभ के निर्धारण में घटाने योग्य नहीं है	241.26	16.63
(4) आय का प्रभाव जो कर से मुक्त है घटना योग्य है	(0.78)	34.28
(5) आयकर दर में @34.944% से 25.168% में परिवर्तन के कारण आस्थगित कर पर प्रभाव (सहयोगी कंपनी के मामले में - एफएसएनएल)	-	23.17
(6) पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर	103.91	54.90
(7) पूर्णतः खराब ऋण पर करों का प्रभाव	(630.25)	-
कुल	229.26	697.29

होल्डिंग कंपनी के मामले में, उपर्युक्त के मिलान में वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के लिए प्रयुक्त कर दर भारतीय कर कानून के अंतर्गत कर योग्य लाभों पर भारत में निगमित संस्थाओं द्वारा देय 34.944% की निगमित कर दर है (30% के साथ अधिकर 12% की दर से एवं शिक्षा प्रभार 4% की दर से)। वित्तीय वर्ष 2019-20 की आस्थगित कर गणना के लिए 34.944% की आय कर दर (30% के साथ 12% अधिकर एवं 4% की दर से शिक्षा प्रभार) को विवेचित किया गया है।

तथापि होल्डिंग कंपनी के पास ₹ 309.09 मिलियन की एमएटी देनदारी है (पिछला वर्ष ₹ 304.16 मिलियन) जिसके लिए होल्डिंग कंपनी के पास अगले आकलन वर्षों में उन वर्षों के लिए आय पर देय कर के विरुद्ध क्रेडिट पाने का अधिकार है। कंपनी को लगता है कि आनेवाले वर्षों में पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। इसी अनुसार, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को एमएटी क्रेडिट अधिकार के लिए मान्यता दी गई है। तथापि संरक्षण दृष्टिकोण के तहत ₹ 695.05 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 339.91 मिलियन) के संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान पर कोई आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

वर्ष के दौरान, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 के अधीन ₹ 6.85 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 10.25 मिलियन) होल्डिंग कंपनी द्वारा जमा किया गया था। साथ ही उक्त स्कीम के अधीन वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 1.07 मिलियन की राशि जमा की गई है। उक्त स्कीम के अधीन निपटाई गई/दाखिल किए गए आयकर मामलों के विरुद्ध ₹ 9.13 मिलियन (पिछला वर्ष ₹ 54.30 मिलियन) का कर व्यय बलक किया गया है। जो 5 (पाँच) अकलन वर्षों में प्राप्त है।

होल्डिंग कंपनी ने धारा 115 बीए के अधीन वर्णित नई आयकर दर को नहीं अपनाया है एवं सामान्य आयकर दर को लागू करना बरकरार रखा है।

सहयोगी कंपनी (फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड) ने कम दरों पर धारा 115 बीए के अधीन वर्णित कर दरों के लिए विकल्प लिया है एवं इन परिणामों के प्रयोजन के लिए @25.168% पर विवेचित किया है।

37 . Tax Expenses

(i) Income Tax Recognised in the Statement of Profit and Loss

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(1) Current Tax		
- For the period	103.05	306.85
- For earlier years	103.91	54.90
(2) Deferred Tax	22.30	335.54
Total income tax expense recognised in the current year	229.26	697.29

(ii) The income tax expense for the period can be reconciled to the accounting profit (loss) as follows:

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(1) Profit before tax for the year	1,358.84	1,667.43
(2) Income tax expense calculated at 34.944 % in Holding Company and 25.168% in Subsidiary Company (FSNL)	515.12	568.31
(3) Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	241.26	16.63
(4) Effect of income that is exempt/deductible from tax	(0.78)	34.28
(5) Effect on deferred tax due to change in income tax rate @34.944% To 25.168% (In case of Subsidiary Company - FSNL)	-	23.17
(6) Tax for earlier years	103.91	54.90
(7) Effect of Taxes on Bad Debt written off	(630.25)	-
Total	229.26	697.29

In case of Holding Company tax rate used for the year 2020-21 and 2019-20 in the reconciliations above is the corporate tax rate of 34.944% (30% plus surcharge @ 12% and education cess @ 4 %) payable by corporate entities in India on taxable profits under the Indian tax law. For Deferred Tax calculation of financial year 2019-20, income tax rate of 34.944% (30% plus surcharge @ 12% and education cess @ 4 %).

However the Holding company has a MAT credit of ₹ 309.09 Millions (Previous Year - ₹ 304.16 Million) for which company is entitled to credit in next assessment years against tax payable on income for those years. The Company feels that it will earn sufficient profit in coming years. Accordingly deferred tax assets has been recognised for MAT credit entitlement. However no Deffered tax asset has been recognised on the provision for Doubtfull Debts of ₹ 695.05 Million (Previous year ₹ 339.91 Million) as a conservative approach.

During the year, an amount of ₹ 6.85 Million (Previous Year ₹ 10.25 Million) has been deposited under Direct Tax Vivad Se Vishwas Act, 2020 by Holding Company. Further an amount of ₹ 1.07 Million has also been deposited in FY 2021-22 under said scheme. Tax Expense of ₹ 9.53 Million (Previous Year ₹ 54.30 Million) has been booked against Income Tax cases settled/deposited under the said scheme which comprised 5 (five) assessment years.

The Holding Company has not adopted new Income Tax Rate specified under section 115BAA and it continued to apply normal Income Tax Rate.

Subsidiary Company (Ferro Scrap Nigam Limited) has opted for the tax rates specified under section 115BAA at lower rates and has considered @ 25.168% for the purpose of these results.

(iii) आस्थगित कर में बदलाव

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2020	वर्ष के लिए प्रभार/(क्रेडिट)	31 मार्च, 2021
लाभ या हानि के माध्यम से आस्थगित कर देनदारियाँ कर्मचारी परिवार लाभ योजना संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियाँ एवं अन्य	13.14	(10.05)	3.094
	13.14	(10.05)	3.09
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अन्य	-	-	-
अन्य व्यय के बाबत प्रावधान	200.69	20.33	221.02
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए भत्ते	1,767.29	(57.62)	1,709.67
अन्य	0.96	-	0.96
एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र	304.16	4.93	309.09
शुद्ध आस्थगित कर (देनदारी)/परिसंपत्ति	2,273.10	(32.36)	2,240.74
कुल आस्थगित कर (देनदारी)/परिसंपत्ति	2,259.96	(22.31)	2,237.65
अन्य व्यापक आय के माध्यम से आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
परिभाषित लाभ योजना का पुनःमापन	37.00	12.16	49.16
सकल आस्थगित कर (देनदारी)/परिसंपत्ति	2,296.96	(10.15)	2,286.81

38. प्रति शेयर आय

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्ष के लिए लाभ	1,129.59	970.14
शेयरधारकों को आरोप्य लाभ	1,129.59	970.14
मूल ईपीएस के लिए शेयरों की भारित औसत सं.	7,04,00,000	7,04,00,000
सामान्य शेयरों का आम मूल्य (₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर मूल/मिश्रित आय (₹ प्रति शेयर)	16.05	13.78

39. वित्तीय लेखपत्र पर प्रकटन

यह प्रभाग समूह के वित्तीय साधनों के महत्व का अवलोकन प्रस्तुत करता है एवं वित्तीय साधनों से संलग्न तुलनपत्र के सामानों पर अतिरिक्त सूचना प्रदान करता है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ मान्यता के लिए मानदंड, वित्तीय संपत्ति, वित्तीय देयता एवं इक्विटी साधन की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में मापन के आधार एवं आय और व्यय को जिस आधार पर मान्यता दी गई है, का विवरण समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

(1) वित्तीय लेखपत्र की श्रेणियाँ

निम्नलिखित तालिका वर्ष के अंत में प्रत्येक श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की अग्रेनीत राशि एवं उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। उचित मूल्य अग्रेनीत मूल्य के समकक्ष है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	जिस पर मापे गए
व्यापार प्राप्य	8,896.64	14,626.40	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,307.56	580.38	परिशोधित लागत
नकद एवं नकद समकक्ष	7,456.90	1,879.43	परिशोधित लागत
अन्य बैंक शेष	140.22	452.47	परिशोधित लागत
निवेश	143.57	112.07	परिशोधित लागत
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	17,944.89	17,650.75	
वित्तीय देनदारियाँ			
उधार	1,543.93	2,586.52	परिशोधित लागत
व्यापार देय	4,308.14	6,538.66	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8,961.12	6,621.81	परिशोधित लागत
कुल वित्तीय देनदारियाँ	14,813.18	15,747.00	

(iii) Movement in Deferred Tax

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2020	Charge/ (credit) for the Year	31st March 2021
Through Profit or Loss			
Deferred Tax Liabilities			
Employee Family Benefit Scheme, Property Plant & Equipment and Intangible Assets and Others	13.14	(10.05)	3.09
	13.14	(10.05)	3.09
Deferred Tax Assets			
Property Plant & Equipment Others	-	-	-
Provision against other expenses	200.69	20.33	221.02
Allowances for Doubtful Debts & Advances	1,767.29	(57.62)	1,709.67
Others	0.96	-	0.96
MAT credit entitlement	304.16	4.93	309.09
Net Deferred Tax (Liabilities)/ Assets	2,273.10	(32.36)	2,240.74
Total Deferred Tax (Liabilities)/ Assets	2,259.96	(22.31)	2,237.65
Through Other Comprehensive Income			
Deferred Tax Assets			
Remeasurement of Defined Benefit Plan	37.00	12.16	49.16
Gross Deferred Tax (Liabilities)/ Assets	2,296.96	(10.15)	2,286.81

38. Earnings per Share

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Profit for the period	1,129.59	970.14
Profit attributable to Shareholders	1,129.59	970.14
Weighted average No. of Shares for Basic EPS	7,04,00,000	7,04,00,000
Nominal value of Ordinary Shares (₹)	10.00	10.00
Basic/Diluted Earnings per Share (₹ Per Share)	16.05	13.78

39. Disclosures on financial instruments

This section gives an overview of the significance of financial instruments for the Group and provides additional information on balance sheet items that contain financial instruments. The details of significant accounting policies, including the criteria for recognition, the basis of measurement and the basis on which income and expenses are recognized, in respect of each class of financial asset, financial liability and equity instrument are disclosed in note to the consolidated financial statements.

(1) Categories of Financial Instruments

The following table presents carrying amount and fair value of each category of financial assets and liabilities as at the year end. Carrying value is equivalent to the fair value.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020	Measured at
Financial assets			
Trade Receivables	8,896.64	14,626.40	Amortised cost
Other Financial Assets	1,307.56	580.38	Amortised cost
Cash and Cash Equivalents	7,456.90	1,879.43	Amortised cost
Other Bank Balances	140.22	452.47	Amortised cost
Investments	143.57	112.07	Amortised cost
Total Financial Assets	17,944.89	17,650.75	
Financial Liabilities			
Borrowings	1,543.93	2,586.52	Amortised cost
Trade Payables	4,308.14	6,538.66	Amortised cost
Other Financial Liabilities	8,961.12	6,621.81	Amortised cost
Total Financial Liabilities	14,813.18	15,747.00	

(2) पूंजी प्रबंधन

समूह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि समूह ऋण और इक्विटी शेष के अनुकूलन के माध्यम से शेयरधारकों के रिटर्न को अधिकतम करते हुए जारी रहता है। समूह किसी भी बाहरी रूप से नियोजित पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

(3) वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

समूह के कॉर्पोरेट ट्रेजरी कार्य व्यापार के लिए सेवाएं प्रदान करता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच का समन्वय, समूह के संचालन से जुड़े वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन और निगरानी करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (जैसे-मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम), क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं। नीतियों और उपस्थिति सीमाओं के अनुपालन की निरंतर आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा की जाती है। समूह अव्यवहार्य के प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों समेत वित्तीय साधनों में शामिल नहीं होता है और न ही व्यापार करता है।

(क) बाजार जोखिम

समूह की गतिविधियां, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों के वित्तीय जोखिमों को प्रदर्शित करती है। मामले के आधार पर, विनिमय दर जोखिम का बचाव करने के लिए समूह फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा अनुबंधों को अपनाता है।

(i) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

वर्तमान में समूह ने अपने अधिकतम ऋण को एमसीएलआर के आधार पर परिवर्तित किया है, इसलिए दर अनुबंध अवधि के लिए आम तौर पर एक वर्ष के लिए स्थिर है।

(ii) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

समूह का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आयात देयताओं के कारण होता है। ग्राहकों के साथ लेनदेन एक के बाद एक के आधार पर है। लाभ और हानि अगर हो तो ग्राहक को उपलब्ध कराया जाता है। ग्राहकों के साथ चर्चा कर संबंधित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को बचाने के लिए कभी-कभी फॉरवर्ड कवर लिया जाता है। जहां भी विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हो, ग्राहकों द्वारा उनके साथ समझौता के अनुसार वहन किया जाता है, विदेशी मुद्रा लाभ / हानि को समूह की पुस्तकों में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ख) साख (क्रेडिट) जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम उस जोखिम को दर्शाता है कि एक काउंटरपार्टी अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों पर चूक जाएगी जिसके परिणामस्वरूप समूह को नुकसान होता है। समूह ने जहां उपयुक्त हो, चूक से वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करने के एक साधन के रूप में केवल ऋणयोग्य काउंटर पार्टियों के साथ काम करने की नीति अपनाई है, समूह केवल ऐसी संस्थाओं से लेनदेन करता है, जो उपलब्ध एजेंसियों द्वारा रेट किए गए हैं और अगर उपलब्ध नहीं है तो समूह अपने प्रमुख ग्राहकों को रेट करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वित्तीय जानकारी और अपने पिछले रिकॉर्ड का उपयोग करता है। समूह के जोखिम और उसके काउंटर पार्टियों की क्रेडिट रेटिंग पर नजर रखी जाती है और निष्कर्ष निकाले गए लेनदेन का एकत्रित मूल्य अनुमोदित काउंटरपार्टी में प्रसारित किया जाता है। क्रेडिट एक्सपोजर को काउंटरपार्टी की सीमाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो वरिष्ठ प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

(ग) तरलता (लिव्किडिटी) जोखिम प्रबंधन

समूह लगातार भविष्य की और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करने पर्याप्त भंडार, बैंकिंग सुविधाएं और आरक्षित उधार सुविधा बनाए रखने के तरलता जोखिम का प्रबंध करती है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2021 एवं 31 मार्च, 2020 के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देनदारियों की संविदागत छूट रहित नकद दायित्वों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

(₹ मिलियन में)

वित्तीय देयताएं	31 मार्च 2021				
	आगे लायी गई राशि	ठेकागत नकद प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
उधार	1,543.93	1,543.93	1,500.74	43.19	-
व्यापार देय	4,308.14	4,308.14	4,308.14	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	8,961.12	8,962.65	8,953.84	6.83	1.98
	14,813.18	14,814.71	14,762.71	50.02	1.98
वित्तीय देयताएं	31 मार्च 2020				
	आगे लायी गई राशि	ठेकागत नकद प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 - 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
उधार	2,586.52	2,586.52	2,552.61	33.91	-
व्यापार देय	6,538.66	6,538.66	6,538.66	-	2.64
अन्य वित्तीय देयताएं	6,621.81	6,623.64	6,417.90	154.62	51.12
	15,747.00	15,748.83	15,509.18	188.53	53.76

(2) Capital Management

The Group manages its capital to ensure that the Group is able to continue as going concern while maximising the return to shareholders through the optimisation of the debt and equity balance. The Group is not subject to any externally imposed capital requirements.

(3) Financial risk management objectives

The Group's Corporate Treasury function provides services to the business, co-ordinates access to domestic and international financial markets, monitors and manages the financial risks relating to the operations of the Group. These risks include market risk (like- currency risk, interest rate risk and other price risk), credit risk and liquidity risk. Compliance with policies and exposure limits is reviewed by the internal auditors on a continuous basis. The Group does not enter into or trade of financial instruments, including derivative financial instruments, for speculative purposes.

(a) Market Risk

The Group's activities exposes it, primarily to the financial risks of changes in foreign currency exchange rates. On a case to case basis, the Group enters into Forward foreign exchange contracts to hedge the exchange rate risk.

(i) Interest rate risk management

At present Group has converted maximum of its loan to MCLR based, hence the rate is firm for a contract period usually for a year.

(ii) Foreign Currency risk management

The foreign currency exposure of the Group is due to import liabilities. Transactions are on back to back basis with customers. The gain and loss if any is passed on to the customers. Some times forward cover is taken to hedge the related foreign currency exposure in terms of discussion with the customers. Wherever foreign exchange fluctuations are to be borne by the customers as per agreement with them, foreign exchange gain/loss are not recognized in the books of the Group.

(b) Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Group. The Group has adopted a policy of only dealing with creditworthy counterparties, where appropriate, as a means of mitigating the risk of financial loss from defaults. The Group only transact with entities that are rated by agencies where available and if not available, the Group uses other publicly available financial information and its own past records to rate its major customers. The Group's exposure and the credit ratings of its counterparties are monitored and the aggregated value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the Senior management committee.

(c) Liquidity risk management

The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The table below provides details regarding the contractual undiscounted cash obligations of financial liabilities including estimated interest payments as at 31st March, 2021, as at 31st March, 2020.

(₹ in Million)					
Financial Liabilities	31st March 2021				
	Carrying amount	Contractual cash flows	less than 1 year	between 1 - 5 years	More than 5 years
Borrowings	1,543.93	1,543.93	1,500.74	43.19	-
Trade payables	4,308.14	4,308.14	4,308.14	-	-
Other financial liabilities	8,961.12	8,962.65	8,953.84	6.83	1.98
	14,813.18	14,814.71	14,762.71	50.02	1.98
Financial Liabilities	31st March 2020				
	Carrying amount	Contractual cash flows	less than 1 year	between 1 - 5 years	More than 5 years
Borrowings	2,586.52	2,586.52	2,552.61	33.91	-
Trade payables	6,538.66	6,538.66	6,538.66	-	2.64
Other financial liabilities	6,621.81	6,623.64	6,417.90	154.62	51.12
	15,747.00	15,748.83	15,509.18	188.53	53.76

(4) उचित मूल्य मापन

कंपनी की कोई भी वित्तीय संपत्ति एवं वित्तीय देनदारी का मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर नहीं किया गया है।

40. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टियों का नाम एवं संबंध का विवरण

1) संयुक्त उद्यम

महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड

2) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता (17.12.2019 से)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री बमबहादुर सिंह (30.11.2019 तक)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

श्री सुब्रत सरकार

निदेशक (वित्त)

श्रीमती भानु कुमार

निदेशक (वाणिज्य)

श्री अजय कुमार राय

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

श्री गंगाराम अलोरिया (05.09.2020 तक)

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. रूद्रमौनी शिवयोगेष्वा येली (08.03.2021 तक)

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती प्रभाती परिदा (01.04.2019 तक)

स्वतंत्र निदेशक

डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन (05.09.2020 तक)

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी

स्वतंत्र निदेशक

श्री राजीव भट्टाचार्य

प्रबंध निदेशक

श्री सतदल मित्र

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री अशोक मिश्रा

कंपनी सचिव

श्री अरविंदो बेहरा

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती लक्ष्मी वर्मा

स्वतंत्र निदेशक

(ii) संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन

(क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

विवरण	पारिश्रमिक (₹ मिलियन में)				कुल
	संबंधित पार्टी का स्वरूप/संबंध	अल्पकालिक लाभ	रोजगार उपरान्त लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए					
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	4.76	0.30	0.09	5.15
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	3.82	0.28	0.05	4.15
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्य)	4.78	0.35	(0.15)	4.98
श्री अजय कुमार राय	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	2.65	0.18	0.29	3.12
श्री गंगाराम अलोरिया	स्वतंत्र निदेशक	0.10*	-	-	0.10
डॉ. रूद्रमौनी शिवयोगेष्वा येली	स्वतंत्र निदेशक	0.20*	-	-	0.20
डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन	स्वतंत्र निदेशक	0.12*	-	-	0.12
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	0.47*	-	-	0.47
श्री राजीव भट्टाचार्य	प्रबंध निदेशक	5.39	0.18	(0.11)	5.46
श्री सतदल मित्र	मुख्य वित्तीय अधिकारी	3.70	0.16	0.22	4.07
श्री अशोक मिश्रा	कंपनी सचिव	1.78	0.09	0.18	2.04
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	0.24*			0.24

(4) Fair value Measurement

None of the Company's financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of the reporting period.

40. Related Party Disclosures

(i) Name of the related parties and description of relationship:

1) Joint Venture

Mahindra MSTC Recycling Private Limited

2) Key Managerial Personnel

Shri Surinder Kumar Gupta (From 17.12.2019)	Chairman and Managing Director
Shri Bam Bahadur Singh (Upto 30.11.2019)	Chairman and Managing Director
Shri Subrata Sarkar	Director (Finance)
Smt. Bhanu Kumar	Director (Commercial)
Shri Ajay Kumar Rai	Company Secretary
Shri Gangaram Aloria (upto 05.09.2020)	Independent Director
Dr. Rudramauni Shivayogeppa Yeli (upto 08.03.2021)	Independent Director
Smt. Pravati Parida (Upto 01.04.2019)	Independent Director
Dr. T. V. Muralivallabhan (upto 05.09.2020)	Independent Director
Smt. Aparna Chaturvedi	Independent Director
Shri Rajib Bhattacharya	Managing Director
Shri Satadal Mitra	Chief Financial Officer
Shri Ashok Mishra	Company Secretary
Shri Aurobindo Behera	Independent Director
Smt. Aparna Chaturvedi	Independent Director
Smt. Laxmi Verma	Independent Director

(ii) Transaction with Related Parties

(a) Compensation to Key Managerial Personnel

Particulars	Remuneration (₹ in Million)				
	Nature of related party / relationship	Short Term Benefit	Post Employment Benefits	Other Long Term Benefits	Total
For the year ended March 31st, 2021					
Shri Surinder Kumar Gupta	Chairman and Managing Director	4.76	0.30	0.09	5.15
Shri Subrata Sarkar	Director (Finance) & CFO	3.82	0.28	0.05	4.15
Smt. Bhanu Kumar	Director (Commercial)	4.78	0.35	(0.15)	4.98
Shri Ajay Kumar Rai	Company Secretary and Compliance Officer	2.65	0.18	0.29	3.12
Shri Gangaram Aloria	Independent Director	0.10*	-	-	0.10
Dr. Rudramauni Shivayogeppa Yeli	Independent Director	0.20*	-	-	0.20
Dr. T. V. Muralivallabhan	Independent Director	0.12*	-	-	0.12
Smt. Aparna Chaturvedi	Independent Director	0.47*	-	-	0.47
Shri Rajib Bhattacharya	Managing Director	5.39	0.18	(0.11)	5.46
Shri Satadal Mitra	Chief Financial Officer	3.70	0.16	0.22	4.07
Shri Ashok Mishra	Company Secretary	1.78	0.09	0.18	2.04
Smt. Laxmi Verma	Independent Director	0.24*	-	-	0.24

विवरण	पारिश्रमिक (₹ मिलियन में)				
	संबंधित पार्टी का स्वरूप/संबंध	अल्पकालिक लाभ	रोजगार उपरान्त लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	कुल
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए					
श्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता (17.12.2019 से)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	1.20	0.06	-	1.26
श्री बमबहादुर सिंह (30.11.2019 तक)	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	4.06	-	-	4.06
श्री सुब्रत सरकार	निदेशक (वित्त)	3.91	0.32	0.27	4.50
श्रीमती भानु कुमार	निदेशक (वाणिज्य)	4.67	0.36	0.51	5.54
श्री अजय कुमार राय	कंपनी सचिव	2.75	0.11	0.38	3.24
श्री गंगाराम अलोरिया	स्वतंत्र निदेशक	0.32*	-	-	0.32
डॉ. रुद्रमौनी शिवयोगेष्वा येली	स्वतंत्र निदेशक	0.32*	-	-	0.32
डॉ. टी. वी. मुरलीवल्लभन	स्वतंत्र निदेशक	0.39*	-	-	0.39
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	0.41*	-	-	0.41
श्री राजीव भट्टाचार्य	प्रबंध निदेशक	4.59	0.31	(0.20)	4.70
श्री सतदल मित्र	मुख्य वित्तीय अधिकारी	3.38	0.30	0.21	3.89
श्री अशोक मिश्रा	कंपनी सचिव	1.54	0.09	0.16	1.79
श्री अरविंदो बेहरा	स्वतंत्र निदेशक	0.17*	-	-	0.17
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	0.21*	-	-	0.21

टिप्पणी : *यह निदेशक के बैठक शुल्क का सूचक है।

- (i) चूंकि कंपनी द्वारा निदेशकों को सीमित दूरी के लिए निजी इस्तेमाल हेतु कार की सुविधा दी जाती है इसलिए ऐसी सुविधा को लाभ/परिलाभ विवेचित नहीं किया गया है।
- (ii) उपरोक्त में वास्तविक भुगतान आधार पर निष्पादन संबंधी भुगतान शामिल है।

(ख) महिन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेनदेन (50:50 संयुक्त उद्यम)

विवरण	(₹ मिलियन में)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
संयुक्त उद्यम में निवेश	40.00	-
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त राशि	1.65	0.66
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान की गई राशि	0.60	0.61
ई-नीलामी सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त राशि	0.14	0.23

41. कर्मचारी लाभ

परिभाषित योगदान योजनाएं

1. भविष्य निधि

मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% समूह द्वारा भविष्य निधि न्यास में योगदान दिया गया।

2. पेंशन

इस्पात मंत्रालय के अनुदेशों के अनुपालन में परिभाषित अंशदान योजना के अधीन एमएसटीसी के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तैयार की गई है। कंपनी एक ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय एलआईसी को वार्षिक अंशदान करती है। एमएसटीसी (नियोक्ता) से अंशदान के जरिए कर्मचारियों में कॉर्प्स (राशि) से एलआईसी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करेगी।

3. अवकाश नकदीकरण लाभ

सहायक कंपनी के मामले में, अलगाव पर योग्य कर्मचारियों को देय है, जो 300 दिनों (उपार्जित अवकाश एवं अर्द्ध-भुगतान अवकाश संयुक्त) तक सीमित होगा एवं 300 दिनों की सीमा की गणना के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अर्द्ध-भुगतान अवकाश (एचपीएल) परिकलित नहीं होगा। संचित उपार्जित अवकाश के लिए भी नकदीकरण एक कैलेंडर वर्ष में एक बार में 30 दिनों तक की अनुमति दी जाएगी।

Particulars	Remuneration (₹ in Million)				
	Nature of related party / relationship	Short Term Benefit	Post Employment Benefits	Other Long Term Benefits	Total
For the year ended March 31st, 2020					
Shri Surinder Kumar Gupta (From 17.12.2019)	Chairman and Managing Director	1.20	0.06	-	1.26
Shri Bam Bahadur Singh (Upto 30.11.2019)	Chairman and Managing Director	4.06	-	-	4.06
Shri Subrata Sarkar	Director (Finance)	3.91	0.32	0.27	4.50
Smt. Bhanu Kumar	Director (Commercial)	4.67	0.36	0.51	5.54
Shri Ajay Kumar Rai	Company Secretary	2.75	0.11	0.38	3.24
Shri Gangaram Aloria	Independent Director	0.32*	-	-	0.32
Dr. Rudramauni Shivayogeppa Yeli	Independent Director	0.32*	-	-	0.32
Dr. T. V. Muralivallabhan	Independent Director	0.39*	-	-	0.39
Smt. Aparna Chaturvedi	Independent Director	0.41*	-	-	0.41
Shri Rajib Bhattacharya	Managing Director	4.59	0.31	(0.20)	4.70
Shri Satadal Mitra	Chief Financial Officer	3.38	0.30	0.21	3.89
Shri Ashok Mishra	Company Secretary	1.54	0.09	0.16	1.79
Shri Aurobindo Behera	Independent Director	0.17*	-	-	0.17
Smt. Laxmi Verma	Independent Director	0.21*	-	-	0.21

Note: * It indicate Directors Sitting Fees.

- (i) Since the facility of private use of car for limited mileage is provided by the company to the Directors, such facility has not been considered as benefit/perquisite.
- (ii) The above includes Performance related pay on actual payment basis.

(b) Transaction with Mahindra MSTC Recycling Private Limited (50:50 Joint Venture)

(₹ in million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Investment in Joint Venture	40.00	-
Amount received towards reimbursement of expenditure	1.65	0.66
Amount paid towards reimbursement of expenditure	0.6	0.61
Amount Received for providing E-Auction Service	0.14	0.23

41. Employee Benefits

Defined Contribution Plans

1. Provident Fund

12% of Basic pay and dearness allowance contributed to the provident fund trust by the Group.

2. Pension

In terms of Ministry of Steel Directives Pension scheme for the employees of MSTC has been formulated, under Defined Contribution Plan. The company contributes annually to LIC of India through a trust. LIC will provide the pension to the employees from the corpus created on account of employees, by way of contribution from MSTC (The Employer)."

3. Leave Encashment Benefit

In case of subsidiary, it is payable on separation to eligible employees, shall be limited to 300 days (Earned Leave and Half-Pay Leave combined), and HPL shall not be commuted as per DPE Guidelines for calculation of 300 days limit. Encashment of accumulated earned leave is also allowed upto 30 days once in a calendar year.

4. सेवानिवृत्ति उपरांत निपटान लाभ

सहायक कंपनी के मामले में, यह सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों को उनके घोषित होम टाउन पर निपटारे के लिए देय है।

5. कर्मचारी परिवार लाभ योजना

सहायक कंपनी के मामले में, मृत कर्मचारी के सेवा निवृत्त की अनुमानित तिथि तक निर्धारित जमा के स्थान पर मृत कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी अलग हो चुके विकलांग कर्मचारी को मासिक भुगतान।

6. दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार

सहायक कंपनी के मामले में, न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा देने और सेवा निवृत्त पर भी देय है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

1. उपदान (ग्रेच्युटी) :

ग्रेच्युटी 15 दिनों के भुगतान की दर से पृथक रूप से पात्र कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए देय है, जो न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि एवं 30 वर्ष तक सतत सेवा प्रदान करते हैं। 30 वर्ष से अधिक के प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए कर्मचारी द्वारा एक महीने की अंतिम आहरित मजदूरी की दर पर ग्रेच्युटी की गणना की जाती है। कर्मचारी को देय अधिकतम ग्रेच्युटी ₹ 2 मिलियन है। ग्रेच्युटी को भारत के एलआईसी के साथ वित्त पोषित किया जाता है। मार्च 2018 तक कंपनी भारत की एलआईसी द्वारा की गई मांग के आधार पर हर साल प्रीमियम के रूप में फंड में योगदान करती है जो प्रीमियम के भुगतान के आधार पर ग्रेच्युटी के रूप में हिसाब में लिया जाता है। इसके अलावा, आईएनडी एस 19 के अनुसार कंपनी ने ग्रेच्युटी फंड का बीमांकिक मूल्यांकन किया है।

2. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ :

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी के लिए एक चिकित्सा लाभ है। सदस्यों को बीमा कंपनी के मेडिकलेम बीमा के माध्यम से कवर किया जाएगा। मेडिकलेम बीमा पॉलिसी के तहत उल्लिखित अस्पताल में सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए चिकित्सा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त घरेलू चिकित्सा में किए गए खर्चों को भी निर्धारित सीमा के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। लाभ इस उद्देश्य के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा गठित एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित है। होल्डिंग कंपनी इसके लिए कॉर्प्स प्रदान करती है। किसी भी कमी को होल्डिंग कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 तक कंपनी निजी आकलन के आधार पर फंड में योगदान करती थी। वित्त वर्ष 2016-17 से, पहली बार बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं इसी अनुसार खाता बहियों में देनदारी प्रदान की गई है।

3. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं के लिए अंशदायी योजना (घरेलू) :

सहायक कंपनी के मामले में, कार्यपालकों के लिए सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधाओं के लिए अंशदायी योजना (घरेलू) के अंतर्गत सम्मिलित पृथक हो चुके कार्यपालकों को चिकित्सा सुविधाओं (घरेलू) का भुगतान।

निवेश जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य एक छूट दर का उपयोग करके गणना किया जाता है जो कि सरकारी बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार के परिणामों के संदर्भ से निर्धारित होता है। अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, ऐसे बॉण्ड के लिए एक गहन बाजार होने पर उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की उपज के संदर्भ में छूट की दर निर्धारित की जाती है, यदि योजना संपत्ति पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह एक योजना को घाटा योग्य बनाएगा। वर्तमान में, भारत की योजना के लिए, इसमें सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ऋण साधनों में निवेश का अपेक्षाकृत संतुलित मिश्रण है, इसके अलावा, विदेशी योजना में इक्विटी प्रतिभूतियों, ऋण साधनों और रियल एस्टेट में अपेक्षाकृत संतुलित निवेश है। योजना देनदारियों की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, विदेशी बोर्ड फंड इसे उचित मानता है कि योजना संपत्तियों का एक उचित हिस्सा इक्विटी प्रतिभूतियों और रियल एस्टेट में फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न का लाभ उठाने के लिए निवेश किया जाना चाहिए।

ब्याज जोखिम

बांड की ब्याज दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी। हालांकि, आंशिक रूप से योजना के ऋण निवेश पर रिटर्न में वृद्धि द्वारा इसकी भरपाई की जाएगी।

दीर्घायु जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के प्रतिभागियों की मृत्यु दर का सबसे अच्छा अनुमान के अनुसार उनके रोजगार के दौरान और बाद में की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी।

वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयताएं के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ द्वारा की जाती है। ऐसे में योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ेगी।

4. Post Retirement Settlement Benefit

In case of subsidiary, it is payable to retiring employees for settlement at their declared home town.

5. Employee Family Benefit Scheme

In case of subsidiary, monthly payment to disabled separated employees / legal heirs of deceased employees in lieu of prescribed deposit till the notional date of superannuation of deceased employees.

6. Long Term Service Award

In case of subsidiary, it is payable in kind for rendering minimum 25 years of service and also on superannuation.

Defined Benefits Plans

1. Gratuity:

The Gratuity is payable on separation at the rate of 15 days pay for each completed year of service to eligible employees who render continuous service for a minimum period of 5 years and upto 30 years. The Gratuity is calculated at the rate of one month's wages last drawn by the employee for every completed year of service in excess of 30 years. The maximum amount of Gratuity payable to employee is ₹ 2 Million. The Gratuity is funded with LIC of India. Till March'18 the Company contributed in the fund every year as premium on the basis of demand raised by LIC of India which was accounted as Gratuity on the basis of payment of premium. In addition, the company has done actuarial valuation of Gratuity Fund in accordance with Ind AS 19.

2. Post Retirement Medical Benefit:

The Post Retirement Medical Benefit is a medical benefit to the superannuated employees and their spouse. The members will be covered through Mediclaim Insurance admitted of the Insurance Company. This is available to superannuated employees at any hospital under the Mediclaim Insurance Policy. In addition to this expenses incurred in domiciliary treatment is also reimbursed as per prescribed ceiling. The benefits are funded through a separate trust formed by the Holding Company for this purpose. The Holding Company provides the corpus for this. Deficit if any is being compensated by the Holding Company. Till F.Y 2015-16, the Company used to contribute to the fund based on own estimates. From F.Y 2016-17, first time actuarial valuation has been done and accordingly liability has been provided in the books of accounts.

3. Contributory Scheme for Post Retirement Medical Facilities (Domiciliary):

In case of subsidiary, the payment of medical facilities (Domiciliary) to the separated executives as covered under contributory scheme for post retirement medical facilities (domiciliary) for executives.

Investment risk	The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate which is determined by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds. For other defined benefit plans, the discount rate is determined by reference to market yields at the end of the reporting period on high quality corporate bonds when there is a deep market for such bonds; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, for the plan in India, it has a relatively balanced mix of investments in government securities, and other debt instruments. Further, the overseas plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the overseas Fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.
Interest risk	A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.
Longevity risk	The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.
Salary risk	The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

(क) समूह ने परिभाषित योगदान योजनाओं के तहत वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में ₹ 151.04 मिलियन की राशि (पिछले वर्ष ₹165.23 मिलियन) व्यय को मान्यता दी है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
लाभ (योगदान)		
भविष्य निधि एवं अन्य*	122.51	137.17
पेंशन	28.53	28.06
कुल	151.04	165.23

* यह वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएफ ट्रस्ट की आय में कमी के लिए योगदान बाबत शून्य (पिछला वर्ष ₹ 25.17 मिलियन) के लिए प्रावधान को प्रस्तुत करता है (टिप्पणी सं. 25 देखें)

(ख) कंपनी सेवा निवृत्ति उपरांत परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रचालन निम्नानुसार करती है

i. वित्त पोषित

क. उपदान (ग्रेच्युटी)

ख. सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना

ii. गैर-वित्त पोषित:

क. सहायक कंपनी के मामले में, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना गैर-वित्त पोषित है।

ख. सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधाओं की योगदान संबंधी योजना (अधिवासीय)

ग) ग्रेच्युटी योजना का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2021	समाप्त वर्ष हेतु 31 मार्च, 2020
1. धारणाएँ		
क. छूट दर (प्रति वर्ष)	5.90%	6.20%
ख. योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर (प्रति वर्ष)	5.90%	6.20%
ग. वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%
सहायक कंपनी के मामले में, वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	“गैर-कार्यपालक 6% कार्यपालक 5% ”	“गैर-कार्यपालक 6% कार्यपालक 5% ”

2. ग्रेच्युटी के अंतर्गत परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के समेकित विवरण में स्वीकृत राशि निम्नानुसार है:

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2021	समाप्त वर्ष हेतु 31 मार्च 2020
क. वर्तमान सेवा लागत	36.86	36.90
ख. सेवा लागत	36.86	36.90
ग. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	3.22	3.34
घ. लाभ व हानि में स्वीकृत लागत	40.08	40.24
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति पर पुनर्माप		
क. डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	17.68	22.08
ख. डीबीओ धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	12.64	39.41
ग. अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	30.32	61.49
घ. योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न छूट दर की तुलना में (अधिक)/कम	(4.76)	(3.89)
ड. ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	25.57	57.59
च. ओसीआई में स्वीकृत (आय)/लागत	25.57	57.59

- (a) The Group has recognised an amount of ₹ 151.04 Millions (Previous Year ₹ 165.23 Millions) in Statement of Profit and Loss for the current year as expenses under defined contribution plans.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Benefit (Contribution to)		
Provident Fund & others*	122.51	137.17
Pension	28.53	28.06
Total	151.04	165.23

* This represents the provision for Nil (Previous Year - ₹ 25.17 Million) towards the contribution for deficit in income of PF Trust for the FY 2020-21 (Refer Note No. 25)

(b) The company operates post retirement defined benefit plans as follows :

- i. Funded:
 - a. Gratuity.
 - b. Post Retirement Medical Benefit Scheme.
- ii. Unfunded:
 - a. In case of subsidiary, Post Retirement Medical Benefit Scheme is unfunded.
 - b. Contributory scheme for Post Retirement Medical Facilities (Domiciliary)

(c) Details of the Gratuity Plan are as follows :

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
1. Assumptions		
a. Discount rate (per annum)	5.90%	6.20%
b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	5.90%	6.20%
c. Rate of escalation in salary (per annum)	8.00%	8.00%
In case of subsidiary, rate of escalation in salary (per annum)	"Non-Executive- 6% Executive- 5%"	"Non-Executive- 6% Executive- 5%"

2. Amounts recognised in Consolidated statement of profit and loss in respect of defined benefit plans under Gratuity are as follows:

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Current service cost	36.86	36.90
b. Service Cost	36.86	36.90
c. Net Interest on net defined benefit liability / (asset)	3.22	3.34
d. Cost recognized in P&L	40.08	40.24
Remeasurement on the net defined benefit liability/asset:		
a. Actuarial (gain)/loss due to DBO Experience	17.68	22.08
b. Actuarial (gain)/loss due to DBO assumption changes	12.64	39.41
c. Actuarial (gain)/loss arising during period	30.32	61.49
d. Return on plan assets (greater)/less than discount rate	(4.76)	(3.89)
e. Actuarial (gains)/losses recognised in OCI	25.57	57.59
f. (Income)/Cost recognized in OCI	25.57	57.59

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं शुद्ध ब्याज व्यय आईएनडी एस 19 के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में 'कर्मचारी लाभ व्यय' वाले मदों में सम्मिलित है।
4. शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी का पुनर्माप अन्य व्यापक आय में सम्मिलित है।
- 5(क) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में बदलाव निम्नानुसार है

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क. वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	899.82	866.87
ख. वर्तमान सेवा लागत	36.86	36.90
ग. डीबीओ पर ब्याज लागत	53.13	58.01
घ. पिछली सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
ङ. अधिग्रहण (क्रेडिट)/लागत	-	-
च. वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	8.92	27.92
छ. अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	21.29	33.57
ज. जनांकिक धरनाओं से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	0.11	-
झ. योजना परिसंपत्ति से लाभ का भुगतान	(108.29)	(123.45)
ञ. अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	911.84	899.82

- 5(ख) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में संचलन निम्नानुसार है

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क. पूर्वावधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	806.62	792.25
ख. योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	49.92	54.68
ग. नियोक्ता अंशदान	97.82	79.26
घ. योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	4.77	3.89
ङ. लाभ का भुगतान	(108.29)	(123.45)
च. चालू अवधि के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	850.84	806.62

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ छूट दर एवं अपेक्षित वेतन वृद्धि है। सभी अन्य धारणाओं को स्थायी रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटनेवाली संबंधित घटनाओं के यथासंगत संभावी परिवर्तन के आधार पर नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(40.69)	(41.83)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	871.15	857.99
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	43.84	45.20
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	955.68	945.02
वेतन वृद्धि दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	23.79	27.30
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	935.62	927.12
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(25.51)	(28.86)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	886.33	870.96

3. The current service cost and the net interest expenses for the year are included in the 'Employee benefits expense' line item in the Consolidated statement of profit and loss on the basis of actuarial valuation under INDAS 19.
4. The rereasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

5(a). Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Obligation as at the beginning of the year	899.82	866.87
b. Current Service Cost	36.86	36.90
c. Interest Cost on DBO	53.13	58.01
d. Past Service Cost- Plan Amendment	-	-
e. Acquisitions (credit)/cost	-	-
f. Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions	8.92	27.92
g. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments	21.29	33.57
h. Actuarial gains and loss arising demographic assumption	0.11	-
i. Benefits paid from plan asset	(108.29)	(123.45)
J. Closing defined benefit Obligation	911.84	899.82

5 (b). Movements in the fair value of the plan assets are as follows

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Fair value of the assets at the end of prior period	806.62	792.25
b. Interest Income on plan assets	49.92	54.68
c. Employer Contributions	97.82	79.26
d. Return on plan assets greater/(lesser) than discount rate	4.77	3.89
e. Benefits paid	(108.29)	(123.45)
f. Fair Value of assets at the end of current period	850.84	806.62

6. Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary escalation. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Effect of a 1% change in discount rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	(40.69)	(41.83)
(ii) closing balance of obligation	871.15	857.99
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	43.84	45.20
(ii) closing balance of obligation	955.68	945.02
Effect of a 1% change in salary escalation rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	23.79	27.30
(ii) closing balance of obligation	935.62	927.12
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	(25.51)	(28.86)
(ii) closing balance of obligation	886.33	870.96

7. प्रस्तुत सुग्राही विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं भी कर सकता है, क्योंकि संभावना कम है कि धारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे से अलगाव में घटेगा, क्योंकि कुछ धारणाएँ सह-संबंधित हो सकती हैं।
8. सुग्राही विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और धारणाओं में पूर्व के वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं है।
- सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1. धारणाएँ		
(क) छूट दर (प्रति वर्ष)	5.90%	6.20%
(ख) चिकित्सा स्फीति (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%

2. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के अधीन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के समेकित विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं:
(राशि ₹ मिलियन में)

	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
(क) वर्तमान सेवा लागत	14.36	10.02
(ख) सेवा लागत	14.36	10.02
(ग) शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज	26.06	21.30
(घ) लाभ व हानि में स्वीकृत लागत	40.42	31.32
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति पर पुनः मापन		
(ङ) डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	7.90	6.61
(च) डीबीओ धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	49.17	57.91
(छ) अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	57.07	64.52
(ज) छूट दर से (अधिक)/ कम पर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न	(3.02)	11.31
(झ) ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ) / हानि	54.05	75.83
(ञ) शुद्ध परिसंपत्तियों पर सीमा के लिए समायोजन	-	-
(ट) ओसीआई में स्वीकृत (आय) / लागत	54.05	75.83

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं शुद्ध ब्याज व्यय लाभ एवं हानि के समेकित विवरण के 'कर्मचारी लाभ व्यय' अनुरूपी मदों में सम्मिलित है।
4. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनर्माप अन्य व्यापक आय में सम्मिलित है।
5. परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में बदलाव निम्नानुसार है

(राशि ₹ मिलियन में)

	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क. वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	497.21	413.94
ख. वर्तमान सेवा लागत	14.36	10.02
ग. ब्याज लागत	30.37	29.13
घ. वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	56.42	70.51
ङ. अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	0.65	(5.99)
च. जनांकिक धारणाओं से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	-	-
छ. कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किये गए लाभ	(22.47)	(20.41)
ज. अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	576.54	497.21

7. The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

8. There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years

Details of the Post Retirement Medical Benefit Scheme are as follows :

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
1. Assumptions		
a. Discount rate (per annum)	5.90%	6.20%
b. Medical Inflation (per annum)	5.00%	5.00%

2. Amounts recognised in consolidated statement of profit and loss in respect of defined benefit plans under Post Retirement Medical Benefit Scheme are as follows:

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Current service cost	14.36	10.02
b. Service Cost	14.36	10.02
c. Net Interest on net defined benefit liability / (asset)	26.06	21.30
d. Cost recognized in P&L	40.42	31.32
Remeasurement on the net defined benefit liability/asset:		
e. Actuarial (gain)/loss due to DBO Experience	7.90	6.61
f. Actuarial (gain)/loss due to DBO assumption changes	49.17	57.91
g. Actuarial (gain)/loss arising during period	57.07	64.52
h. Return on plan assets (greater)/less than discount rate	(3.02)	11.31
i. Actuarial (gains)/losses recognised in OCI	54.05	75.83
j. Adjustments for limit on net assets	-	-
k. (Income)/Cost recognized in OCI	54.05	75.83

3. The current service cost and the net interest expenses for the year are included in the 'Employee benefits expense' line item in the consolidated statement of profit and loss.

4. The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

5. Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Obligation as at the beginning of the year	497.21	413.94
b. Current Service Cost	14.36	10.02
c. Interest Cost	30.37	29.13
d. Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions	56.42	70.51
e. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments	0.65	(5.99)
f. Actuarial gains and loss arising from demographic assumption	-	-
g. Benefits paid directly by the Company	(22.47)	(20.41)
h. Closing defined benefit Obligation	576.54	497.21

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ छूट दर एवं अपेक्षित चिकित्सा लागत स्फीति है। सभी अन्य धारणाओं को स्थायी रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटनेवाली संबंधित धारणाओं के यथासंगत संभावी परिवर्तन के अनुसार नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(71.83)	(62.64)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	504.71	434.57
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	83.98	73.89
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	660.52	571.09
चिकित्सा स्फीति दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	72.98	65.78
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	649.52	562.99
कमी		
(i) एकीकृत वर्तमान सेवा एवं ब्याज लागत	(62.21)	(55.62)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	514.33	441.59

7. उपर्युक्त प्रस्तुत सुग्राही विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं भी कर सकता है क्योंकि संभावना कम है कि धारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटेगा, क्योंकि कुछ धारणाएँ सह-संबंधित हो सकती हैं।

8. सुग्राही विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं धारणाओं में पूर्व के वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं है।

सहायक कंपनी के मामले में, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधाओं (घरेलू) के लिए अंशदायी योजना का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
1. धारणाएँ		
क. छूट दर (प्रति वर्ष)	5.90%	6.20%
ख. चिकित्सा स्फीति (प्रति वर्ष)	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं

2. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधाओं (घरेलू) के लिए अंशदायी योजना के अधीन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के समेकित विवरण में स्वीकृत राशि :

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क. चालू सेवा लागत	0.66	0.57
ख. सेवा लागत	0.66	0.57
ग. शुद्ध परिभाषित पर शुद्ध ब्याज/(परिसंपत्ति)	1.40	1.28
घ. (लाभ)/हानि की तत्काल पहचान - अन्य दीर्घकालिन कर्मचारी लाभ योजना	-	-
ङ. लाभ एवं हानि में स्वीकृत लागत	2.06	1.86
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्ति पर पुनःमापन :		
क. डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.14)	1.24
ख. डीबीओ धारणा परिवर्तन बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.82	2.30
ग. अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.33)	3.54
घ. ओसीआई में स्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.33)	3.54
ङ. ओसीआई में स्वीकृत (आय)/लागत	(0.33)	3.54

6. Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected medical cost inflation. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Effect of a 1% change in discount rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	(71.83)	(62.64)
(ii) closing balance of obligation	504.71	434.57
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	83.98	73.89
(ii) closing balance of obligation	660.52	571.09
Effect of a 1% change in medical inflation rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	72.98	65.78
(ii) closing balance of obligation	649.52	562.99
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	(62.21)	(55.62)
(ii) closing balance of obligation	514.33	441.59

7. The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.
8. There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

In case of subsidiary, details of the Contributory Scheme for Post Retirement Medical Facilities (Domiciliary) are as follows:

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
1. Assumptions		
a. Discount rate (per annum)	5.90%	6.20%
b. Medical Inflation (per annum)	Not Applicable	Not Applicable

- 2. Amounts recognised in Consolidated statement of profit and loss in respect of defined benefit plans under Contributory Scheme for Post Retirement Medical Facilities (Domiciliary) are as follows:**

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Current service cost	0.66	0.57
b. Service Cost	0.66	0.57
c. Net Interest on net defined benefit liability / (asset)	1.40	1.28
d. Immediate recognition of (gains)/losses-other long term employee benefit plans		
e. Cost recognized in P&L	2.06	1.86
Remeasurement on the net defined benefit liability/asset:		
a. Actuarial (gain)/loss due to DBO Experience	(1.14)	1.24
b. Actuarial (gain)/loss due to DBO assumption changes	0.82	2.30
c. Actuarial (gain)/loss arising during period	(0.33)	3.54
d. Actuarial (gains)/losses recognised in OCI	(0.33)	3.54
e. (Income)/Cost recognized in OCI	(0.33)	3.54

3. वर्ष के लिए वर्तमान सेवा लागत एवं शुद्ध ब्याज व्यय लाभ और हानि के समेकित विवरण में, 'कर्मचारी लाभ व्यय' के अनुरूपी मद में शामिल है।
4. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनःमापन अन्य व्यापक आय में शामिल है।
5. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में बदलाव निम्नानुसार है

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
क. वर्ष के प्रारंभ में दायित्व	(23.04)	(18.51)
ख. वर्तमान सेवा लागत	(0.66)	(0.57)
ग. ब्याज लागत	(1.40)	(1.28)
घ. अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानि	-	-
ङ. कंपनी द्वारा सीधे भुगतान दिए गए लाभ	1.02	0.86
च. ओसीआई में स्वीकृत राशि	0.33	(3.54)
छ. अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	(23.75)	(23.04)

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ छूट दर एवं अपेक्षित चिकित्सा लागत स्फीति हैं। सभी अन्य धारणाओं को स्थायी रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटनेवाली संबंधित धारणाओं के सुसंगत संभावी परिवर्तन के आधार पर नीचे वर्णित सुग्राही विश्लेषण का निर्धारण किया गया है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत चालू सेवा एवं ब्याज लागत	(2.56)	(2.53)
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	(26.31)	(25.57)
कमी		
(i) एकीकृत चालू सेवा एवं ब्याज लागत	3.10	3.07
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	(20.66)	(19.98)
चिकित्सा स्फीति दर में 1% परिवर्तन का प्रभाव		
वृद्धि		
(i) एकीकृत चालू सेवा एवं ब्याज लागत	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	-	-
कमी		
(i) एकीकृत चालू सेवा एवं ब्याज लागत	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं
(ii) दायित्व का अंतिम शेष	-	-

7. उपर्युक्त प्रस्तुत सुग्राही विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं भी कर सकता है क्योंकि संभावना कम है कि धारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे से अलगाव में घटेगा क्योंकि कुछ घटनाएँ सह-संबंधित हो सकती हैं।
8. सुग्राही विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं धारणाओं में पूर्व के वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं है।

3. The current service cost and the net interest expenses for the year are included in the 'Employee benefits expense' line item in the consolidated statement of profit and loss.
4. The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

5. Movements in the present value of the defined benefit obligation are as follows

(Amount in ₹ million)

Particulars	For the year ended	
	31st March 2021	31st March 2020
a. Obligation as at the beginning of the year	(23.04)	(18.51)
b. Current Service Cost	(0.66)	(0.57)
c. Interest Cost	(1.40)	(1.28)
d. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments	-	-
g. Benefits paid directly by the Company	1.02	0.86
h. Amounts recognized in OCI	0.33	(3.54)
i. Closing defined benefit Obligation	(23.75)	(23.04)

6. Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected medical cost inflation. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
Effect of a 1% change in discount rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	(2.56)	(2.53)
(ii) closing balance of obligation	(26.31)	(25.57)
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	3.10	3.07
(ii) closing balance of obligation	(20.66)	(19.98)
Effect of a 1% change in medical inflation rate		
Increase		
(i) aggregate current service and interest cost	Not Applicable	Not Applicable
(ii) closing balance of obligation	-	-
Decrease		
(i) aggregate current service and interest cost	Not Applicable	Not Applicable
(ii) closing balance of obligation	-	-

7. The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.
8. There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

42. निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर किए गए व्यय

क. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय किए जाने के लिए आवश्यक सकल राशि ₹ 6.70 मिलियन।

ख. समूह ने सीएसआर व्यय पर वर्तमान वर्ष में ₹50.00 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 11.71 मिलियन) खर्च किया है।

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
(1) किसी परिसंपत्ति का निर्माण / नवीकरण	-	3.28
(2) टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण	-	3.03
(3) पी एम केयर्स फंड में अंशदान *	50.00	5.40
कुल	50.00	11.71

* टिप्पणी : चालू वर्ष में पीएम केयर्स फंड में उपरोक्त योगदान सहायक कंपनी द्वारा किया गया है।

उपर्युक्त आँकड़े टिप्पणी सं. 33(कक) में पृथक रूप से प्रकट किए गए हैं।

43. व्यापार प्राप्ति, व्यापार देय एवं अग्रिमों की शेष राशि में पुष्टि / पुनर्मिलान एवं परिणामी समायोजन यदि कोई है, के अधीन शेष राशि शामिल है। पुनर्मिलान निरंतर आधार पर किया गया है। प्रावधान जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, किए गये हैं।

44. होलिंग कंपनी की मौजूदा परिसंपत्ति कंपनी को ऋण सुविधाओं की मंजूरी के तहत बैंक के पास प्रभाराधीन है।

45. सहायक कंपनी (एफएसएनएल) के मामले में, हरिद्वार यूनिट (भेल, हरिद्वार के अंदर) का परिचालन अनुबंध में विस्तार न किए जाने/नवीकरण न किए जानी कारण 01 अक्टूबर, 2020 से बंद कर दिया गया है। प्रबंधन ने यूनिट की सारी परिसंपत्तियों को अन्य परिचालन यूनिटों एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया है।

46. कंपनी के निदेशक मंडल में दिनांक 25 जून, 2021 को आयोजित 306वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय विवरणियों को ग्रहण किया है।

47. अनुरूपी पिछले वर्ष के आँकड़ों को तुलना योग्य बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वगीकृत किए गए हैं।

48. होलिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने 25 जून, 2021 को आयोजित अपनी 306 वीं बैठक में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के संबंध में इक्विटी शेयर पूँजी पर @44% की दर पर ₹ 4.40 प्रति शेयर पर अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो निर्दिष्ट तिथि को ₹ 704.00 मिलियन है। लाभांश का भुगतान वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यदि अनुमोदित होता है, तो इससे ₹ 309.76 मिलियन का नकद बहिर्वाह होगा।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस घोष एण्ड कं. एलएलपी
सनदी लेखापाल
एफआरएन : 302184ईई300007

सीए प्रदीप कुमार मिश्र
साझादार
एम नं. : 052183

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : कोलकाता

कृते एमएसटीसी लिमिटेड

(सुरेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 08643406

(एस. के. वर्णवाल)
अपर महाप्रबंधक
वित्त एवं लेखा

(सुब्रत सरकार)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन- 8290021

(अजय कुमार राय)
कंपनी सचिव
एम. नं.- एफ 5627

42. Expenditure incurred on Corporate Social Responsibility Activities

- In accordance to Section 135 of the Companies Act 2013 , gross amount required to be spent by the group during the year - ₹ 6.70 Millions.
- The group has incurred ₹ 50.00 Millions in current year (Previous Year ₹ 11.71 Millions) as CSR expenditure.

(Amount in ₹ million)

Particulars	31st March 2021	31st March 2020
(1) Construction/ Renovation of any asset	-	3.28
(2) Construction of Toilet Blocks	-	3.03
(3) Contribution to PM Cares Fund*	50.00	5.40
Total	50.00	11.71

* Note :- Above contribution to PMCARES FUND in current year is made by subsidiary .

Above figures are disclosed separately in note no 33(aa).

- Balances of Trade Receivables, Trade Payables and Advances includes balances subject to confirmation/reconciliation and consequential adjustment, if any. Reconciliations are carried out on on-going basis. Provisions, wherever considered necessary, have been made.
- The current assets of the holding company are under charge with consortium bank against sanction of credit facilities to the company.
- In case of Subsidiary (FSNL) operation of Haridwar Unit (inside BHEL , Haridwar) has been closed w.e.f 1st October, 2020 due to non-extension / renewal of agreement. The management has transferred all the assets of the unit to other Operational Units and Corporate Office.
- The Board of Directors of the Company adopted the Financial Statements in 306th Board Meeting held on 25th June, 2021.
- The figures for the corresponding previous years have been regrouped/reclassified wherever necessary to make them comparable.
- The Board of Directors of the Holding Company in its 306th Meeting held on 25th June, 2021 has proposed a final dividend of ₹4.40 per share in respect of year ending 31st March 2021, @ 44% on equity share capital which is ₹ 704.00 Millions as on date. The payment of Dividend is subject to approval of shareholders at Annual General Meeting. If approved it will result in a cash outflow of ₹309.76 Millions.

In terms of our report of even date
For S. Ghose & Co LLP
Chartered Accountants
FRN : 302184E/E300007

CA Pradip Kumar Mitra
Partner
M. No : 052183

Dated : June 25, 2021
Place : Kolkata

For MSTC LIMITED

(Surinder Kumar Gupta)
Chairman and Managing Director
Managing Director
DIN- 08643406

(S K Barnwal)
Addl. General Manager
Finance & Accounts

(Subrata Sarkar)
Director (Finance) & CFO
DIN- 8290021

(Ajay Kumar Rai)
Company Secretary
M. No : F5627

टिप्पणी Note

[illegible]



सीआईएन / CIN : L27320WB1964GOI0266211

प्रधान कार्यालय, कोलकाता, प्लॉट नं. सीएफ-18/2, स्ट्रीट नं. 175, एक्सन एरिया 1C, न्यू टाउन, कोलकाता - 700 156, प. ब.

दूरभाष : 91-33-2340-0000
ई-मेल : mstcindia@mstcindia.in
GSTIN : 19AACCM0021E1Z4

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, 30/31ए, जीवन विकास बिल्डिंग, प्रथम तल, असाफ अली रोड (हमदर्द के विपरीत), नई दिल्ली - 110 002

दूरभाष : (011) 2321 4201, (011) 2321 3945
ई-मेल : mstcnro@mstcindia.in
GSTIN : 07AACCM0021E1Z9

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई, 607-608 रहेजा सेंटर, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष : (022) 2288 6261 / 2288 5924
ई-मेल : mstcwro@mstcindia.in
GSTIN : 27AACCM0021E1Z7

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, इस्पत भवन, तीसरी मंजिल, नं. 5 कोडांबक्कम हाई रोड, चेन्नई - 600 034

दूरभाष : 044 28285000
ई-मेल : mstcsro@mstcindia.in
GSTIN : 33AACCM0021E1ZE

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, प्लॉट नं. सीएफ-18/2, स्ट्रीट नं. 175, एक्सन एरिया 1C, न्यू टाउन, कोलकाता - 700 156, प. ब.

दूरभाष : 91-33-2340-0000
ई-मेल : mstcero@mstcindia.in
GSTIN : 19AACCM0021E2Z3

बेंगलूर, एमएसटीसी लिमिटेड, 19/5 और 19/6, तृतीय तल, करीम टावर, कनिंघम रोड, बेंगलूर - 560 052

दूरभाष : (080) 2225 6367, 2226 0054, 22266417
ई-मेल : mstcblr@mstcindia.in
GSTIN : 29AACCM0021E1Z3

विशाखापत्तनम, एमएसटीसी लिमिटेड, चतुर्थ तल, जीवन समृद्धि, डी नं. 42-1-45/1/1, न्यू इन्वेंटमेंट बिल्डिंग,

थिकाना रोड, विशाखापत्तनम - 530 004, आंध्र प्रदेश

दूरभाष : (0891) 274 6948, 270 1066
ई-मेल : mstcvzg@mstcindia.in
GSTIN : 37AACCM0021E1Z6

वडोदरा, एमएसटीसी लिमिटेड, 21, कमलानजली अपार्टमेंट, द्वितीय तल, ट्यूब कंपनी के विपरीत, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020

दूरभाष : (0265) 2960354, 2960379, 2960385
ई-मेल : mstcvda@mstcindia.in
GSTIN : 24AACCM0021E1ZD

भोपाल, एमएसटीसी लिमिटेड, पहली मंजिल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स एमपीओआईएलएफईडी बिल्डिंग, भोपाल - 462 004 (मध्य प्रदेश)

दूरभाष : (0755) 2552241 / (0755) 2570664
ई-मेल : mstcbhopal@mstcindia.in
GSTIN : 23AACCM0021E1ZF

हैदराबाद, एमएसटीसी लिमिटेड, 5-9-13, 7 वां तल, तारामंडल कॉम्प्लेक्स, साफाबाद, साहारा मंजिल और सम्राट कॉम्प्लेक्स के बीच, हैदराबाद, तेलंगाना - 500 004

दूरभाष : (040) 23301039
ई-मेल : mstchyd@mstcindia.in
GSTIN : 36AACCM0021E1Z8

लखनऊ, एमएसटीसी लिमिटेड, द्वितीय तल, सेंटर कोर्ट भवन, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ - 226 001, उत्तर प्रदेश

दूरभाष : 0522-2236396, 4244702, 4240445
ई-मेल : mstclko@mstcindia.in
GSTIN : 09AACCM0021E1Z5

भुवनेश्वर, एमएसटीसी लिमिटेड, 8वीं मंजिल, आईडीसीओ टॉवर, जनपथ रोड, यूनिट 9, भुवनेश्वर - 751 022, ओडिशा

दूरभाष : (0674)-2544199/2950091
ई-मेल : mstcbbbr@mstcindia.in
GSTIN : 21AACCM0021E1ZJ

त्रिवेंद्रम, प्रथम तल, बीएसएनएल सीटीओ बिल्डिंग, केरल स्टेट सेक्रेटरेिएट, महत्वा गांधी रोड, स्ट्रेचू तिरुवनंतपुरम - 695 001

दूरभाष : 0471-2326686
ई-मेल : mstctvc@mstcindia.in
GSTIN : 32AACCM0021E1ZG

रायपुर, एमएसटीसी लिमिटेड, हॉल सं 6 और 7, तीसरी मंजिल, उद्योग भवन, तेलीबंधा, रिंग रोड 1, रायपुर - 492 006

दूरभाष : 0771-2432481
ई-मेल : mstcrpr@mstcindia.in
GSTIN : 22AACCM0021E1ZH

जयपुर, रूम नं. 114, 1म तल, बीएसएनएल बिल्डिंग, लालकोठी, नगर निगम के पीछे, जयपुर - 302 015

दूरभाष : 0141-2742208
ई-मेल : mstcjrpr@mstcindia.in
GSTIN : 08AACCM0021E1Z7

रांची, एमएसटीसी लिमिटेड, एक्सप्लोरेशन बिल्डिंग, चौथी मंजिल, सीएमपीडीआई कैम्पस, गोंडवाना पैलेस कांके रोड, रांची - 834 031, झारखंड

दूरभाष : 0651-2443396
ई-मेल : mstcrnc@mstcindia.in
GSTIN : 20AACCM0021E1ZL

गुवाहाटी, एमएसटीसी लिमिटेड, बीएसएनएल एक्सचेंज बिल्डिंग, बेलतोला बसिष्ठ रोड, वायरलेस गुवाहाटी, असम - 781 038

दूरभाष : 0361-2221199
ई-मेल : mstcghy@mstcindia.in
GSTIN : 18AACCM0021E1Z6

चंडीगढ़, एमएसटीसी लिमिटेड, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, द्वितीय तल, सेक्टर 5 पंचकुला - 134 109

दूरभाष : 0172-2584921
ई-मेल : sbanduni@mstcindia.co.in
GSTIN : 06AACCM0021E1ZB

पटना, एमएसटीसी लिमिटेड, तृतीय तल, डीसीएम सह एमआरटी बिल्डिंग, एसबीपीडीसीएल, रोड सं-01, डी पी राय पथ, आर ब्लॉक के निकट, पटना - 800 001, बिहार

दूरभाष : 0612-2506169
ई-मेल : akgoutam@mstcindia.co.in

नागपुर, एमएसटीसी लिमिटेड, पहली मंजिल, ईस्ट विंग, नया सचिवालय भवन, विपरीत बीसीए ग्राउंड, सिविल लाईंस, नागपुर, महाराष्ट्र - 440 001

HO, KOLKATA, Plot No. CF-18/2, Street no 175, Action Area 1C, New Town, Kolkata - 700156, W.B.

Tel : 91-33-2340-0000
E-mail : mstcindia@mstcindia.in
GSTIN : 19AACCM0021E1Z4

NRO, NEW DELHI, 30/31A Jeevan Vikas Building, 1st Floor, Asaf Ali Road (Opp. Hamdard), New Delhi - 110 002

Tel : (011) 2321 4201, (011) 2321 3945
E-mail : mstcnro@mstcindia.in
GSTIN : 07AACCM0021E1Z9

WRO, MUMBAI, 607-608 Raheja Centre, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Tel : (022) 2288 6261 / 2288 5924
E-mail : mstcwro@mstcindia.in
GSTIN : 27AACCM0021E1Z7

SRO, CHENNAI, ISPAT Bhavan, 3rd Floor, No.5, Kodambakkam High Road, Chennai - 600 034

Tel : 044 28285000
E-mail : mstcsro@mstcindia.in
GSTIN : 33AACCM0021E1ZE

ERO, KOLKATA, Plot No. CF-18/2, Street no 175, Action Area 1C, New Town, Kolkata - 700156, W.B.

Tel : 91-33-2340-0000
E-mail : mstcero@mstcindia.in
GSTIN : 19AACCM0021E2Z3

BANGALORE, MSTC Limited, 19/5 & 19/6, 3rd Floor, Kareem Tower, Cunningham Road, Bangalore - 560 052

Tel : (080) 2225 6367, 2226 0054, 22266417
E-mail : mstcblr@mstcindia.in
GSTIN : 29AACCM0021E1Z3

VIZAG, MSTC Limited, 4th Floor, "Jeevan Samridhhi", D No 42-1-45/1/1, New Investment Building, Thikkana Road, Vishakapatnam - 530 004, Andhra Pradesh

Tel : (0891) 274 6948, 270 1066
E-mail : mstcvzg@mstcindia.in
GSTIN : 37AACCM0021E1Z6

VADODARA, MSTC Limited, 21, Kamalanjali Apartment, 2nd Floor, Opp.Tube Company, Old Padra Road, Akota, Vadodara - 390 020

Tel : (0265) 2960354, 2960379, 2960385
E-mail : mstcvda@mstcindia.in
GSTIN : 24AACCM0021E1ZD

BHOPAL, MSTC Limited, 1st Floor, Tilhan Sangh Bhawan, 1 Arera Hills MPOILFED Building, Bhopal - 462004, Madhya Pradesh

Tel : (0755) 2552241 / (0755) 2570664
E-mail : mstcbhopal@mstcindia.in
GSTIN : 23AACCM0021E1ZF

HYDERABAD, MSTC Limited, No 5-9-13, 7th Floor, Taramandal Complex, Saifabad, Between Sahara Manzil and Samrat Complex, Hyderabad, Telangana - 500 004

Tel : (040) 23301039
E-mail : mstchyd@mstcindia.in
GSTIN : 36AACCM0021E1Z8

LUCKNOW, MSTC Limited, 2nd Floor, Centre Court Building, Park Road, Hazratganj, Lucknow - 226 001, Uttar Pradesh

Tel : 0522-2236396, 4244702, 4240445
E-mail : mstclko@mstcindia.in
GSTIN : 09AACCM0021E1Z5

BHUBANESWAR, MSTC Limited, 8th Floor, IDCO Tower, Janapath Road, Unit-9, Bhubaneswar - 751 022, Odisha

Tel : (0674)-2544199/2950091
E-mail : mstcbbbr@mstcindia.in
GSTIN : 21AACCM0021E1ZJ

TRIVANDRUM, First Floor, BSNL CTO Building, Opp. Kerala State Secretariat, Mahatma Gandhi Road, Statue, Thiruvananthapuram-695 001

Tel : 0471-2326686
E-mail : mstctvc@mstcindia.in
GSTIN : 32AACCM0021E1ZG

RAIPUR, MSTC Limited, Hall No 6 & 7, 3rd floor, Udyog Bhawan, Telibandha, Ring Road 1, Raipur - 492 006

Tel : 0771-2432481
E-mail : mstcrpr@mstcindia.in
GSTIN : 22AACCM0021E1ZH

JAIPUR, Room No. 114, 1st Floor, BSNL Building, Lalkothi, behind Nagar Nigam, Jaipur. Pin: 302 015

Tel : 0141-2742208
E-mail : mstcjrpr@mstcindia.in
GSTIN : 08AACCM0021E1Z7

RANCHI, MSTC Limited, Exploration Building, 4th floor, CMPDI Campus, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi - 834 031, Jharkhand

Tel : 0651-2443396
E-mail : mstcrnc@mstcindia.in
GSTIN : 20AACCM0021E1ZL

GUWAHATI, MSTC Limited, BSNL Exchange Building, Beltola Basistha Road, Wireless Guwahati, Assam-781038

Tel : 0361-2221199
E-mail : mstcghy@mstcindia.in
GSTIN : 18AACCM0021E1Z6

CHANDIGARH, MSTC Limited, Telephone Exchange Building, 2nd Floor, Sector-5, Panchkula-134109

Tel : 0172-2584921
E-mail : sbanduni@mstcindia.co.in
GSTIN : 06AACCM0021E1ZB

PATNA, MSTC Limited, 3rd Floor, DCM cum MRT Building SBPDCL, Road No-01, D P Rai Path, Near R Block, Patna-800001, Bihar

Tel : 0612-2506169
E-mail : akgoutam@mstcindia.co.in
NAGPUR, MSTC Limited, 1st Floor, East Wing, New Secretariat Building, Opp. V.C.A Ground, Civil Line, Nagpur, Maharashtra - 440 001



एमएसटीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

MSTC Limited

(A Govt. of India Enterprise)

प्लॉट नं. सीएफ-18/2, स्ट्रीट नं. 175, एक्सन एरिया 1C, न्यू टाउन, कोलकाता - 700 156, प. ब.
Plot No. CF-18/2, Street no 175, Action Area 1C, New Town, Kolkata - 700156, W.B.
फोन / Phone : 91-33-2340-0000

वेबसाइट / website : www.mstcindia.co.in | www.mstcecommerce.com

सीआईएन / CIN : L27320WB1964GOI026211